आज़ादी का
अमृत महोत्सव

एम एम टी सी
लि मि टे ड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

58वीं वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

एमएमटीसी कालोनी, नई दिल्ली में योगा कैंप

सीओ एमएमटीसी में महिला दिवस समारोह

विषय सूची

कारपोरेट मिशन/कारपोरेट उद्देश्य	04
अध्यक्ष का वक्तव्य	05–06
निदेशक मंडल	07
निदेशकों की रिपोर्ट	09–17
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण	18–22
वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट	23–25
कारपोरेट गवरनेंस पर रिपोर्ट	26–40
वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एमएमटीसी व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट	41–49
सचीवीय लेखापरीक्षको की रिपोर्ट तथा प्रबंधन का उत्तर	50–55
सीएंडएजी की टिप्पणियां	58–72
दशक पर एक नजर	73–80
संविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा उस पर प्रबंधन का उत्तर	81–96
एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरण	97–157
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर के वित्तीय विवरण	159–188
समेकित वित्तीय विवरण	189–275
एमएमटीसी के लेखा परीक्षक	276
एमएमटीसी बैंकर	277

कॉरपोरेट मिशन

भारत की सबसे बड़ी बड़ी व्यापारिक कंपनी एवं एशिया की एक प्रमुख व्यापारिक कंपनी के रूप में एमएमटीसी का लक्ष्य है कि अपने शेयरहोल्डरों, ग्राहकों, आपूर्तिकारों, कर्मचारियों और समाज की संपूर्ण संतुष्टि के साथ साथ अपने सभी कार्यकलापों में उत्कृष्टता द्वारा सतत एवं व्यवहार्य वृद्धि दर प्राप्त करते हुए अपनी स्थिति को और बेहतर बनाए।

कंपनी के उद्देश्य

- विश्व स्तर पर व्याप्त व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के वातावरण में कार्यशील रहते हुए, विशेषकर थोक व्यापार (बल्क) के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर स्वयं को एक अग्रणी अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित कर नियोजित पूंजी से मिलने वाले रिटर्न में सुधार करना।
- खनिजों, धातुओं तथा बहुमूल्य धातु जैसे उत्पादों के व्यवसाय में देश की एकमात्र विशालतम कंपनी के स्थान को बनाए रखना ।
- व्यवसाय से संबंधित आधारभूत संरचना का विकास करना
- मध्यम एवं लघु स्तर के उद्योगों को सहायक सेवाएं उपलब्ध करवाना
- सभी श्रेणी के ग्राहकों को प्रोफेशलिज्म और दक्षता के साथ उच्च गुववत्ता की सेवाएं उपलब्ध कराना
- वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए कंपनी के भीतर कारगर व्यवस्था स्थापित करना।
- उच्चतर उत्पादकता हासिल करने के लिए कर्मचारियों के कौशल में वृद्धि करना

एमएमटीसी लिमिटेड की 58वीं एजीएम में
अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारक

मैं एमएमटीसी लिमिटेड की 58वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के साथ जुड़ना हमेशा एक खुशी की बात होती है हालांकि यह वर्चुअल बैठक है। हमारे साथ जुड़ने हेतु समय निकालने के लिए मैं एमएमटीसी के निदेशक मंडल की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले चार दशकों में आपके विश्वास और समर्थन ने हमें खुद को आगे बढ़ाने, पिछली चुनौतियों और जटिलताओं का मुकाबला करते हुए साल–दर–साल बाजारोन्मुख रिटर्न देने और आपके मूल्य की निरंतर कीमत देने का विश्वास दिलाया है। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निदेशकों और लेखा परीक्षित खातों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ शेयरधारकों को पहले ही भेजा जा चुका है और आपकी अनुमति से मैं उन्हें पढ़ा हुआ मानूंगा। पिछला वर्ष वास्तव में दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं सहित आपके कॉरपोरेट्स को प्रभावित करने वाली कोविड–19 महामारी के साथ बड़ी चुनौती का वर्ष रहा है। हालाँकि, आपकी कंपनी ने चुनौती से निपटने में लचीलापन दिखाया है और महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग करते हुए दीर्घकालिक विकास के लिए अपनी नींव को मजबूत करने के लिए काम करना जारी रखा है।

प्रमुख निष्पादन विशेषताएं

महामारी की दूसरी लहर के कारण हुए व्यवधानों का कंपनी के व्यापारिक कार्यों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। तथापि बाद में सामान्य स्तर पर गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए सभी प्रयास किए गए थे जिसका प्रभाव वार्षिक परिणामों में दिखाई दे रहा है। कंपनी ने 2020–21 में 26,364.50 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया जिसमें 769.69 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि शामिल है जो मुख्य रूप से मैसर्स एंग्लो कोल के साथ 2009–10 के पुराने विवादित मामले में मुकदमेबाजी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 877.43 करोड़ रू. के प्रावधान के कारण देयता उत्पन्न करने के कारण हुई है। इसके अलावा, कोविड अवधि के दौरान, प्रशासनिक ओवरहेड्स जैसे – वेतन और अन्य प्रशासनिक खर्चों के कारण हानि में वृद्धि हुई है।

आपकी कंपनी ने अव्यवहार्य व्यवसाय/संयुक्त उद्यम/क्षेत्रीय कार्यालयों के पुनर्गठन के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसने अल्पावधि में राजस्व को प्रभावित किया है लेकिन भविष्य में इसमें नये सिरे से सुधार होगा।

अल्पावधि में, कंपनी के लिए व्यवसाय कुछ बहिर्जनित कारकों को देखते हुए प्रभावित हुआ है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क) सरकार की सलाह और सहवर्ती कटौती के अनुरूप केंद्रित "प्रमुख व्यवसाय" के दृष्टिकोण को देखते हुए आवश्यक कदम उठाये गये हैं!

ख) जापान और कोरिया को लौह अयस्क के निर्यात के लिए दीर्घकालिक समझौता 31.03.2021 से आगे नहीं बढ़ाया गया है।

ग) कंपनी को उर्वरक विभाग की ओर से यूरिया के आयात के लिए नामित एसटीई से हटा दिया गया है।

घ) इसके अलावा, 2009–10 के एक विवादित मामले में, माननीय

सर्वोच्च न्यायालय ने एनआईएनएल के लिए कोकिंग कोल के आयात के लिए एंग्लो कोल मामले के संबंध में कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है।

कंपनी की नई व्यापार रणनीति एमएमटीसी की देनदारियों को समाप्त करने के लिए एनआईएनएल के विनिवेश से पर्याप्त आय की प्राप्ति पर निर्भर करती है

जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) में सभी सार्वजनिक उपक्रमों के हिस्से का विनिवेश करने का निर्णय लिया है ताकि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के भारी कर्ज से बचाया जा सके। इसमें आपकी कंपनी की 49.78% इक्विटी है। वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में दीपम ने एनआईएनएल के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की है। विनिवेश प्रक्रिया चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरी होने की उम्मीद है।

सीएसआर नीति, सतत विकास और सुशासन

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी को हानि हुई है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम–2013 की धारा 198 के अनुसार गणना किया गया सीएसआर बजट अर्थात् पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% नकारात्मक था। इसलिए, वर्ष 2020–21 के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कोई वार्षिक सीएसआर बजट नहीं था। फिर भी 96.46 लाख रुपये की राशि को वित्त वर्ष 2019–20 के सीएसआर बजट से आगे बढ़ाया गया। कंपनी की अनुमोदित सीएसआर नीति के अनुसार अन्य सीएसआर गतिविधियों के अलावा इसमें से 53.32 लाख रु. का योगदान पीएम–केयर्स फंड में दिया गया।

आपकी कंपनी ठोस कारपोरेट सुशासन मानदंडों के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

आभार

कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद कंपनी अपनी विभिन्न पहलों पर लगातार आगे बढ़ रही है, जो विभिन्न स्टेकहोल्डर के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता। मैं अपने सम्मानित ग्राहकों के साथ–साथ अन्य व्यावसायिक भागीदारों को उनके निरंतर विश्वास के लिए, हमारे कर्मचारियों को उनकी वचनबद्धता, उत्साह और दृढ़ता के लिए, बोर्ड के सदस्यों को उनके मार्गदर्शन के लिए और आप, हमारे सम्मानित शेयरधारकों को कंपनी में समर्थन और विश्वास व्यक्त करने के लिए निष्ठा से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रूप से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग को हमारे सभी प्रयासों में उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

विभु नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
23.04.2022

निदशक मंडल

संजय चड्ढा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(14.05.2020 से)

विभु नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(1.3.2022 से प्रभावी)

सरकार द्वारा नामित निदेशकगण

शशांक प्रिया
विशेष सचिव एवं वित्तीय
सलाहकार

श्यामल मिश्रा
जे एस. विभाग वाणिज्य के
(07.12.2021 तक)

विपुल बंसल
जेएस, विभाग वाणिज्य
(20.12.2021 से प्रभावी)

फंक्शनल निदेशकगण

उमेश शर्मा
निदेशक(वित्त)
(31.05.2020 तक)

अश्वनी सोंधी
निदेशक(विपणन)
(05.01.2021 तक)

जे. रवि शंकर
निदेशक(विपणन)

आर.आर.सिन्हा
निदेशक(कार्मिक)

के.के.गुप्ता
निदेशक(वित्त)
(01.06.2020 से)

नॉन-आफिसिएल (स्वतंत्र) निदेशक

मंजूनाथ जी
(16.12.2021 तक)

डॉ.(श्रीमती) स्वाधीनता कृष्णा

डॉ.प्रदीप कुमार वर्मा
(13.11.2021 से)

वरिष्ठ अधिकारी (दिनांक 31.03.2021 तक)

बीर सिंह नेगी, आईडीएएस

संजय कौल

अंजना सिंह

एन बालाजी

अश्विनी कपूर

बी.एन. दाश

अरूण रोजारियो

रवि किशोर

अरूण चन्द्रा

सूरज मोदी

सुब्रता साहा

निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्य

एमएमटीसी लिमिटेड,
नई दिल्ली।

देवियों और सज्जनों

निदेशक मंडल की ओर से आपकी कंपनी की 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कार्यनिष्पादन की 58वीं वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अंकेक्षित लेखा विवरण तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल है, प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

परिचालन परिणाम

आपकी कंपनी, जो भारत की अग्रणी व्यापारिक कंपनियों में से एक है, ने गत वित्त वर्ष के 24,057.05 करोड़ रुपये के कुल कारोबार की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान 26,364.50 करोड़ रुपये का कुल कारोबार किया। इस व्यावसायिक कारोबार में 1804.74 करोड़ रुपये का निर्यात, 20,696.64 करोड़ रुपये का आयात तथा 3863.12 करोड़ रुपये का घरेलू व्यापार शामिल है। कंपनी को वित्त लागत में वृद्धि के अलावा, पिछले वित्त वर्ष के 227.11 करोड़ रूपये की हानि की तुलना में वर्ष 2020–21 में 769.69 करोड़ रूपये की हानि हुई। शुद्ध घाटा मुख्य रूप से मुकदमेबाजी (मैसर्स एंग्लो कोल) के प्रावधान और एनआईएनएल को 295.69 करोड़ रुपये के अग्रिम पर अर्जित ब्याज आय को शमिल नही करने के कारण है।

वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के कार्यनिष्पादन की विशेषताएं निम्नानुसार हैं :–

	(करोड़ रू)	(करोड़ रू)
	2020-21	2019-20
उत्पादों की बिक्री	**26,361.59**	24,051.99
सेवाओं की बिक्री	**2.91**	4.06
अन्य व्यापार अर्जन	**17.11**	78.93
प्रचालन से प्राप्त कुल राजस्व	**26,381.61**	24,134.98
बिक्री लागत	**26,267.23**	23,953.78
प्रचालन से प्राप्त सकल लाभ	**114.38**	181.20
जोड़ें : लाभांश एवं अन्य आय	**36.97**	20.85
घटाएं : स्थापना एवं प्रशासनिक उपरिव्यय आदि	**163.33**	250.84
घटाएं : ऋण/दावे बट्टे खाते में डाले गए	**5.80**	0.34
घटाएं : संदिग्ध ऋणों/दावों/अग्रिमों/निवेशों के लिए प्रावधान	**1.06**	0.49
ब्याज, मूल्यह्रास, परिशोधन खर्च एवं करों से पूर्व लाभ	**(18.84)**	(49.62)
घटाएं: भुगतान किया गया ब्याज (निवल) (भुगतान किया गया ब्याज घटा अर्जित ब्याज)	**193.26**	127.64
मूल्यह्रास, परिशोधन खर्च व करों से पूर्व लाभ	**(212.10)**	(177.26)
घटाएं : मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्च	**4.94**	5.65
घटाएं : असाधारण मदें	**877.17**	44.32
कर– पूर्व लाभ	**(1,094.22)**	(227.23)
घटाएं : वर्तमान करों के लिए प्रावधान	**0.07**	(0.12)
घटाएं : आस्थगित करों के लिए प्रावधान	**(324.60)**	-
कर पश्चात लाभ	**(769.69)**	(227.11)
जोड़ें : पूर्व वर्ष से आगे लाया गया शेष	**460.83**	755.28
शेष		
अन्य व्यापक आय की मदें जिन्हें रिटेंड आय में सीधे तौर पर ले लिया गया		
रिटेंड अर्जन में सीधे तौर पर पहचानी गइ मदें	-	(3.09)
लाभांश एवं लाभांश कर	-	(54.25)
विनियोग		
सामान्य रिजर्व	-	(10.00)
आगे ले जाने के लिए छोड़ा गया शेष	**(308.86)**	460.83

आपकी कंपनी के विभिन्न व्यवसाय समूहों का कार्यनिष्पादन संलग्न प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट में दर्शाया गया है जो इस रिपोर्ट का एक अंग है।

इक्विटी शेयर पूंजी और लाभांश

वर्ष के दौरान कंपनी की इक्विटी पूंजी में कोई परिवर्तन नही हुआ है। कंपनी की चुकता इक्विटी 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार 150 करोड़ रुपये के अंकित मूल्य के 150 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल हैं। निदेशक मंडल ने मौजूदा तरलता संकट, अपनी दिन–प्रतिदिन की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए बैंकों से पर्याप्त धन उधार लेने में कठिनाइयों और लगभग की 769.69 करोड़ रुपये निवल हानि को देखते हुए वर्ष 2020–21 के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नही की है।

रिजर्व

1 अप्रैल, 2020 को आपकी कंपनी के भंडार और अधिशेष में 1057.80 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध थी। 31 मार्च, 2021 को आपकी कंपनी के "आरक्षित और अधिशेष" में 288.11 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है।

विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गम

2020–21 के दौरान आपकी कंपनी का विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गमन निम्नानुसार है:–

	अर्जन (करोड़ रूपये)		निर्गमन (करोड़ रूपये)
निर्यात	1884.39	आयात	19551.13
अन्य	0.04	अन्य	7.13
कुल	1884.43	कुल	19,558.26

ऋण पुनर्गठन

एमएमटीसी लंबे समय से तरलता संकट का सामना कर रहा है और सितंबर 2020 से बैंकों को देय ऋण और मासिक ब्याज भुगतान में चूक कर रहा है (198.48 करोड़ रुपये की वित्तीय लागत में 84.48 करोड़ रुपये का अर्जित ब्याज शामिल है)। बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, एमएमटीसी ने सभी ऋणदाता बैंकों से आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2020–21/16 डीओआर नं.बीपी/बीसी/3/21.04.048/2020–21 दिनांक 06.08.2020। के अनुसार ऋण के पुनर्गठन के लिए अनुरोध किया। कोविड–19 संबंधित तनाव के समाधान के लिए ऋण समाधान योजना को सभी ऋणदाता बैंकों द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसे 08.06.2021 से लागू किया गया था। समाधान योजना के क्रियान्वयन की तिथि को बकाया ऋण की मूल राशि रु. 2272.25 करोड़ रू. थी। आवश्यक जानकारी और / रिकॉर्ड बैंकों के साथ साझा किए गए थे और बाद में कंपनी और ऋणदाता बैंकों ने 08.06.2021 को मास्टर ऋण समाधान समझौते (एमडीआरए), ट्रस्ट और प्रतिधारण लेखा समझौते (टीआरए) और अन्य आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। पुनर्गठन प्रक्रिया को देखते हुए, एमएमटीसी संयुक्त उद्यमों या अन्य संस्थाओं को कोई लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने में सक्षम नही है।

ऋण पुनर्गठन के कार्यान्वयन के बाद, सभी ऋणदाता बैंकों के साथ एमएमटीसी का खाता सभी ऋणदाता बैंकों के साथ नियमित / मानक होगा। समझौतों पर हस्ताक्षर करके, उधारदाताओं ने डिफॉल्ट की मौजूदा ईवेंट को वेव कर दिया और आईबीसी के तहत कोई सिविल कार्रवाई या कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इस योजना के तहत, कंपनी को एसबीआई के लिए 08.12.2021 तक और अन्य बैंकों के लिए 31.03.2022 तक और सभी बैंकों के लिए 31.03.2022 तक मूलधन के लिए ब्याज की वसूली पर मोहलत मिली है। बकाया ऋण और अर्जित ब्याज मुख्य रूप से नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) की विनिवेश आय के माध्यम से चुकाया जाना है। यह कानूनी मामलों, एंग्लो कोल केस, सरकारी निर्देशों और कोविड–19 महामारी की स्थिति आदि के परिणाम से प्रभावित हो सकता है। भारत सरकार के प्रशासनिक विभाग यानी वाणिज्य विभाग को विधिवत सूचित किया गया है ।

सहायक कंपनी

वस्तुओं में व्यापार के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार का दोहन करने के लिए, एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड (एमटीपीएल), सिंगापुर, आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कमोडिटी व्यापार में लगी हुई है और सिंगापुर में स्वयं को एक विश्वसनीय और प्रतिष्ठित व्यापारिक संगठन के रूप में स्थापित किया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान एमटीपीएल ने 486.20 मिलियन अमरीकी डालर का बिक्री कारोबार हासिल किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान 333.60 मिलियन अमरीकी डालर दर्ज किया गया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 45.74% से अधिक की वृद्धि है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान एमटीपीएल का शुद्ध लाभ 1.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि 2019–20 के दौरान अर्जन 0.97 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था। 31 मार्च 2021 को एमटीपीएल की कुल संपत्ति 10.47 मिलियन अमरीकी डालर थी। एमटीपीएल द्वारा स्थापना के बाद से घोषित कुल लाभांश 21.94 मिलियन अमरीकी डालर है जिसमें वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान एमटीपीएल से प्राप्त 3.90 मिलियन अमरीकी डालर का लाभांश शामिल है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के अनुसार, निदेशकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ एमटीपीएल के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण इसके साथ संलग्न हैं।

एमएमटीसी का संयुक्त उद्यम – नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)

आपकी कंपनी ने संयुक्त रूप से ओडिशा सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य सीपीएसई के साथ नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) – 1.1 मिलियन टन क्षमता का एक लौह और इस्पात संयंत्र, 0.8 मिलियन टन कोक ओवन और कैप्टिव पावर प्लांट के साथ उत्पाद इकाई की स्थापना की। भारत सरकार ने एनआईएनएल के विनिवेश के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है जिसमें चार केंद्रीय पीएसयू यानी एमएमटीसी, एनएमडीसी, भेल और मेकॉन और दो ओडिशा सरकार की कंपनियां यानी ओएमसी और आईपीआईसीओएल शेयरधारक हैं। सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के भारी कर्ज को उबारने के लिए एनआईएनएल के विनिवेश का निर्णय लिया है। तदनुसार, वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने एनआईएनएल के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की है।

एनआईएनएल की बिक्री के लिए रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) 29 मार्च, 2021 को पूरा हो गया। डीआईपीएएम शॉर्टलिस्ट बोलीदाताओं से मूल्य बोली आमंत्रित करने की प्रक्रिया में है।

विनिवेश प्रक्रिया वित्त वर्ष 2021–2022 के दौरान पूरी होने की उम्मीद है।

परियोजनाएं / संयुक्त उपकम

मुक्त बाजार के वातावरण में उभर रहे नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए, आपकी कंपनी ने पहले के वर्षों में सार्वजनिक–निजी भागीदारी मॉडल के बाद कई संयुक्त उपक्रमों को बढ़ावा दिया है। पिछले वर्षों में स्थापित किए गए ऐसे जेवी की वर्तमान स्थिति पर एक संक्षिप्त जानकारी नीचे दी गई है:

(i) अभी आपकी कंपनी के पास दिनांक 31.3.2021 तक भारतीय कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (आईसीईएक्स) में 6% इक्विटी पूंजी है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आईसीईएक्स ने 2019–20 के दौरान 42.32 करोड़ रूपये की तुलना में 25.67 करोड रुपये की हानि की सूचना दी है। एसईसीसी रेगुलेशन, 2018 के रेगुलेशन 17, और एसईबीआई परिपत्र दिनांक 26 नवंबर, 2015 के अनुसार, एमएमटीसी को आईसीईएक्स में इक्विटी होल्डिग को 6% से घटाकर 5% करना अपेक्षित है और एमएमटीसी आईसीईएक्स में अपनी इक्विटी को कम करने की प्रक्रिया में है। एमएमटीसी ने आईसीईएक्स में 6% एमएमटीसी की इक्विटी के विनिवेश के प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित किया है।

(ii) आपकी कंपनी ने "यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड" के नाम और शैली के तहत करेंसी फ्यूचर्स एक्सचेंज की इक्विटी में भाग लिया था, जिसे "बीएसई लिमिटेड" (बीएसई) में मिला दिया गया था, बीएसई में आपकी कंपनी के पास 2/– रुपये प्रत्येक के 38,961 इक्विटी शेयर हैं। वर्ष के दौरान बीएसई ने 97.26 करोड़ रू. का पीएटी अर्जित किया जबकि 2019–20 के दौरान अर्जित 173.67 करोड़ रुपये और 2 रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर पर 21 रुपये के लाभांश का भुगतान किया ।

(iii) एमएमटीसी–पीएएमपी इंडिया प्रा. लिमिटेड जिसमें एमएमटीसी ने 26% इक्विटी पार्टनर के रूप में भाग लिया है, ने वित्त वर्ष 2020–21 की अवधि के दौरान 20,372.37 करोड़ रुपये का कारोबार किया और 3.06 करोड़ रुपये का लाभ (कर के बाद) हासिल किया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान यह 31.30 करोड़ रुपये था। संयुक्त उद्यम ने हॉलमार्किंग के लिए मैसर्स पीएएमपी स्पेशियलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मैसस पीएएमपी प्रीशियस मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फॉर इंडस्ट्रियल्स नामक दो नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना की है।

(iv) जेवी कंपनी – मै.सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड(एसआईओटीएल) कर्नाटक राज्य में बेल्लारी–होस्पेट सेक्टर से निर्यात के लिए लौह अयस्क की अनुपलब्धता और खनन/राज्य सरकार द्वारा निर्यात के लिए आयरन ओर के आवागमन पर प्रतिबंध के कारण वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं कर सकी। लौह अयस्क के निर्यात के अनिश्चित भविष्य और निर्मित बुनियादी ढांचे के उपयोग के मद्देनजर कामराजार पोर्ट ट्रस्ट (पूर्ववर्ती एननोर पोर्ट ट्रस्ट) ने सुविधा में संशोधन के लिए बोली प्रक्रिया के माध्यम से इस सुविधा को प्रदान करने का निर्णय लिया ताकि आम उपयोगकर्ता कोयला भी हैंडल किया जा सके। चूंकि कोयले का एममएटीसी के मौजूदा कारोबार के साथ तालमेल नहीं है, इसलिए सितंबर 2016 में एममएटीसी बोर्ड ने जेवी से बाहर निकलने का फैसला किया था। एमएमटीसी ने ए एसआईओटीएल जेवी में अपनी संपूर्ण 26% इक्विटी की बिक्री के लिए खुली निविदा के माध्यम से बोलियां आमंत्रित की, हालांकि इसका कोई उत्तर नही मिला। इस बीच, एसआईओटीएल के शेयरधारकों के समझौते में "पहले इनकार के अधिकार" के अनुसार, सिकाल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, (एसआईओटीएल के प्रमुख प्रमोटर) ने एमएमटीसी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य पर एमएमटीसी की इक्विटी खरीदने की पेशकश की जिसे एमएमटीसी बोर्ड ने स्वीकार करने का फैसला किया है। (एसआईओटीएल में एमएमटीसी की इक्विटी की बिक्री के लिए 31.05.2018 को सिकाल लोजिस्टक लि. के साथ शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और समझौते के अनुसार सिकाल लोजिस्टक लि. ने एमएमटीसी के साथ .0.50 करोड़ रू.(पि.वर्ष. 0.50 करोड़ रू.) के समझौता निष्पादन के लिए जमा किया था। समय–समय पर एसपीए की वैधता को बढ़ाया गया था। पिछला विस्तार 31.03.2020 तक वैध था। वित्तीय संकट के कारण, मैसर्स सिकल लॉजिस्टिक्स एसपीए के लिए बिक्री मूल्य का भुगतान नहीं कर सका और इसलिए एमएमटीसी द्वारा 31.03.2020 को निवेश के मूल्य में कमी के लिए 33.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। मार्च 2021 में, एनसीएलटी ने सिकाल लोजिस्टक लि के खिलाफ एमओएल टॉयफूजी आटोमेटिव लोजिस्टक (इंडिया) प्राईवेट लि द्वारा किए गए आवेदन के अनुसार कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने के खिलाफ एक आदेश सुनाया और एक दिवालिया समाधान प्रफेशनल (आईआरपी) को नियुक्त किया गया था। अधिवक्ताओं के साथ चर्चा के अनुसार, एमएमटीसी ने एसपीए के आधार पर सीआईआरपी (कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल) के अप्रदत्त शेयर बिक्री प्रतिफल के साथ 34.26 करोड़ रुपये के लिए अपना दावा दर्ज कराया है।

इस बीच, 21.12.2020 को केपीएल ने दिनांक 11.07.2016 के लाइसेंस समझौते के तहत वित्तीय चूक का आरोप लगाते हुए एसआईओटीएल

को समाप्त करने के इरादे का नोटिस जारी किया। 22.03.2021 को केपीएल ने 22.03.2021 से एसआईओटीएल को 90 दिनों का टर्मिनेशन नोटिस जारी किया । उसी तारीख को केपीएल ने एक ट्रांसफर इंफॉर्मेशन नोटिस भी जारी किया है जिसमें 30 दिनों के भीतर यानी 20.04.2021 तक जेवी कंपनी से जानकारी मांगी गई है। अधिवक्ताओं के सुझाव के अनुसार, एमएमटीसी ने 24/06.2021 को मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की और विवाद के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरडी) के माध्यम से विवाद के निपटारे के लिए प्रार्थना की।

मेसर्स सिकल लॉजिस्टिक्स ने अपने सीआईआरपी के माध्यम से केपीएल के खिलाफ एनसीएलटी में स्थगन याचिका दायर की। एमएमटीसी ने मामले में पैरवी करने के लिए आवेदन दिया है। तर्क पूरे हो चुके हैं और अवार्ड सुरक्षित कर लिया गया है।

(v) टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड – खनन, अन्वेषण और संबद्ध गतिविधियों के लिए आपकी कंपनी का मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम। हालांकि, चूंकि जेवी कंपनी स्थापना के बाद से कोई व्यवसाय उत्पन्न करने में सक्षम नहीं थी, इसलिए एमएमटीसी बोर्ड ने जेवी कंपनी द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास आवश्यक दस्तावेज दाखिल करने के लिए जेवी कंपनी के नाम को कंपनी से 'काटने' के लिए मंजूरी दे दी है। आरओसी का रिकॉर्ड तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान संयुक्त उद्यम का अंतिम तुलन पत्र तैयार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आरओसी द्वारा "स्ट्राइकिंग ऑफ" के लिए सभी दस्तावेज आरओसी को प्रस्तुत किए गए थे ।

मेसर्स टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड का नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनी 28.10.2021 से भंग कर दी गई है। इस संबंध में, उपरोक्त कंपनी के "स्ट्राइक ऑफ" को मंजूरी देने वाले एमसीए / आरओसी से फॉर्म एसटीके 7 में नोटिस भी प्राप्त हुआ है।

(vi) भारत में मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्रों की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि एक्जिम नीति में घोषित किया गया है, एमएमटीसी और आईएल एंड एफएस ने 2004–05 में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर एसपीवी की स्थापना की थी।एमएमटीसी और आईएल एंड एफएस के बीच इक्विटी 50:50 के आधार है। कांडला और हल्दिया में भूमि बैंकों के प्रशासन के लिए एफटीडब्ल्यूपीएल की दो 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना की गई थी। प्रमोटरों की वित्तीय स्थिति और परियोजना के विकास के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता को देखते हुए, प्रमोटरों द्वारा परियोजना से बाहर निकलने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, कांडला में भूमि परियोजना प्राधिकरण को सौंप दी गई है। हल्दिया भूमि के संबंध में, स्थानीय किसानों ने 2015 में भूमि अधिग्रहण को चुनौती देते हुए हल्दिया विकास प्राधिकरण के खिलाफ याचिका दायर की थी और कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी। लंबे समय तक मुकदमेबाजी और स्टे नहीं हटाए जाने के कारण, प्रमोटरों ने हल्दिया विकास प्राधिकरण (एचडीए) को जमीन सौंपने का फैसला किया। तदनुसार मार्च, 2020 में भूमि एचडीए को वापस कर दी गई थी।

(vii) मार्च, 2007 में कर्नाटक के गजेंद्रगढ में एमएमटीसी द्वारा 25 पवन ऊर्जा जेनरेटरों के साथ 15 मेगावाट क्षमता की पवन चक्की परियोजना शुरू की गई थी। परियोजना से उत्पन्न बिजली एचईएससीओएम को बेची जाती है। यह परियोजना सफलतापूर्वक चल रही है और इसने कर्नाटक राज्य की कुछ बिजली जरूरतों को पूरा करके क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है। 2020–21 के दौरान पवन चक्की परियोजना का कारोबार 4.90 करोड़ रू. हुआ।

औद्योगिक संबंध और मानव संसाधन प्रबंधन

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी में सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए गए। वर्ष के दौरान किसी भी औद्योगिक अशांति के कारण कोई मानव दिवस नहीं गया। इसके अलावा, कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिकारी महासंघ/स्टाफ यूनियनों/एससी एंड एसटी एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं। 31 मार्च, 2021 को आपकी कंपनी मे कुल 702 कर्मचारी थे, जिसमें 3 बोर्ड स्तर के कार्यकारी, 1 सीवीओ, 324 अधिकारी और 374 कर्मचारी/वर्कर थे। कार्मिको में पूर्ववर्ती माईका ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के 1 अधिकारी और 64 कर्मचारी/कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्हें बीआईएफआर के आदेश के अनुसार आपकी कंपनी में विलय कर दिया गया था। कंपनी के कुल कार्मिकों में 19.52%(137 कर्मचारी) महिला कर्मचारी; अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) क्रमशः 21.79%(153 कर्मचारी), 10.11% (71 कर्मचारी), 11.54% (81 कर्मचारी) और 2.14% (15 कर्मचारी) हैं। वर्ष के दौरान कोई भर्ती नही की गई।

आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) और पूर्व सैनिकों के लिए सेवाओं में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी राष्ट्रपति के निर्देशों और अन्य निर्देशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला एक विवरण नीचे दिया गया है:

31.03.2021 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व									
समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	एससी	एससी की ता	एसटी	एसटी की ता	ओबीसी	ओबीसी की ता	दिव्यांग	दिव्यांग की ता
ए	328	65	19.82	25	7.62	34	10.37	13	3.96

बी	219	47	21.46	34	15.53	5	2.28	2	0.91
सी	66	14	21.21	3	4.55	15	22.73	0	-
डी	89	27	30.34	9	10.11	27	30.34	0	-
कुल	702	153	21.79	71	10.11	81	11.54	15	2.14

2020–21 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगों की भर्ती									
समूह	कुल भर्ती	एससी	एससी की :ता	एसटी	एसटी की :ता	ओबीसी	ओबीसी की :ता	दिव्यांग	दिव्यांग की :ता
ए	कोई भर्ती नही की गई								
बी	कोई भर्ती नही की गई								
सी	कोई भर्ती नही की गई								
डी	कोई भर्ती नही की गई								
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2020–21 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की पदोन्नति					
समूह	कुल पदोन्नति	एससी	एससी की :ता	एसटी	एसटी की :ता
ए	-	-	-	-	-
बी	10	5	50%	2	20%
सी	4	2	50%	-	-
डी	2	-	-	-	-
कुल	**16**	**7**	**43.75%**	**2**	**12.50%**

प्रशिक्षण एवं विकास

लगातार बदलते कारोबारी परिदृश्य में कर्मचारियों के कौशल को और बढ़ाने/उन्नत करने के लिए वर्ष के दौरान कंपनी की गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में 232 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। देश में महामारी की स्थिति और इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, केवल ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (वेबिनार) आयोजित किए गए थे। कोई प्रत्यक्ष कक्षा प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था। बीच–बीच में आयोजित प्रशिक्षण में कार्यात्मक और व्यवहारिक प्रशिक्षण दोनों शामिल थे। वेबिनार के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों में एससी के 41 कर्मचारी, एसटी के 18 कर्मचारी और 51 महिला कर्मचारी शामिल हैं।

राजभाषा का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वर्ष 2020–21 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा सभी प्रयास किए गए। कंपनी के दैनिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढावा देने के लिए वर्ष के दौरान कारपोरेट कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी कार्यशाला, हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा आयोजित किये गये। इसके सकारात्मक परिणाम आए थे और दिन–प्रतिदिन के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में काफी वृद्धि देखी गई थी। वर्ष के दौरान, माननीय संसदीय राजभाषा समिति ने हिन्दी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए कारपोरेट कार्यालय का निरीक्षण किया था। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (पीएसयू–1) ने हिन्दी में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए कंपनी को सम्मानित किया। कंपनी की हिंदी वेबसाइट को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। वर्ष के दौरान, सरकार द्वारा जारी कोविड एसओपी को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा तिमाही हिंदी पत्रिका 'मणिकंचन' का ई–संस्करण प्रकाशित किया गया था।

सर्तकता

एमएमटीसी का सतर्कता विभाग निवारक सतर्कता उपायों के रूप में एमएमटीसी में आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए प्रणालीगत सुधार और एसओपी के अद्यतन पर जोर देता रहा है। वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग ने 35 शिकायतों पर कार्रवाई की। इन 35 शिकायतों में से 31 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है और शेष 4 शिकायतों पर 31.03.2021 तक कार्रवाई चल रही है। आज तक कोई शिकायत लम्बित नही है। 08 अधिकारियों से जुड़े 02 मामलों में विभागीय कार्यवाही जारी है। इन 02 मामलों में से एक मामले में 03 अधिकारियों की जांच चल रही है और एक अन्य मामले में जिसमें 05 अधिकारी शामिल हैं, जांच पूरी होने के बाद दूसरे चरण की सलाह के लिए सीवीसी को मामला प्रस्तुत किया गया था, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है। वर्ष के दौरान, 51 निरीक्षण सतर्कता अधिकारियों द्वारा और 23 क्षेत्रीय कार्यालयों के गैर–सतर्कता अधिकारियों द्वारा किए गए थे, इन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्टों को कॉर्पोरेट कार्यालय में संसाधित किया गया था और जहां भी आवश्यक था, उचित कार्रवाई की गई थी। सतर्कता विभाग ने कॉरपोरेट कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न प्रभागों द्वारा जारी निविदाओं के 6 सीटीई प्रकार के निरीक्षण भी किए हैं। निरीक्षणों के अलावा, सतर्कता विभाग ने कर्मचारियों की 171 वार्षिक संपत्ति विवरणियों की भी जांच की है और आंतरिक लेखा परीक्षकों की 63 लेखापरीक्षा रिपोर्ट और कमियों को सुधारात्मक कार्रवाई

के लिए सूचित किया गया था।

सतर्कता विभाग ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 के दौरान अपने सभी कार्यालयों में 27.10.2020 से 02.11.2020 तक सीवीसी के निर्देशों के अनुसार 'सतर्क भारत, समृद्ध भारत (सतर्क भारत, समृद्ध भारत)' विषय पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया था। सप्ताह के दौरान, निवारक सतर्कता प्रेक्टिस, ऑनलाइन सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा प्रशासन और आंतरिक (हाउसकीपिंग) गतिविधियों सहित विभिन्न गतिविधियों को शुरू किया गया और सीवीसी को रिपोर्टिंग प्रारूप के अनुसार अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

सतर्कता तंत्र

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी के बोर्ड ने 2014 में 'सतर्क तंत्र' पर एक योजना शुरू की थी। निदेशकों और कर्मचारियों के लिए उनकी वास्तविक शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए सतर्कता तंत्र स्थापित किया गया है। किसी कर्मचारी/निदेशक की कोई शिकायत, यदि कोई हो, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष को भेजी जाएगी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है। यह तंत्र पहले से लागू व्हिसल ब्लोअर नीति से अलग है।

सत्यनिष्ठा समझौता

सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, इक्विटी और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा उठाए गए कदमों की श्रृंखला के हिस्से के रूप में सत्यनिष्ठा संधि को बढ़ावा दिया जाता है। आपकी कंपनी ने बोलीदाताओं के बीच पारदर्शिता / इक्विटी को बढ़ावा देने और कंपनी द्वारा आयोजित व्यापार में भ्रष्ट प्रथाओं की किसी भी संभावना को रोकने के लिए भी इसे लागू किया है। श्री बाल राज, आईटीएस (सेवानिवृत्त), को स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास

आपकी कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम '2013 की धारा 135 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सीएसआर नियमों के अनुरूप है और सीएसआर परियोजनाएं कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार शुरू की जा रही हैं। सीएसआर नीति को कंपनी की वेबसाइट पर द्विभाषी रूप में होस्ट किया गया है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान आपकी कंपनी को घाटा हुआ। तदनुसार, कंपनी अधिनियम–2013 की धारा 198 के अनुसार गणना की गई सीएसआर बजट यानी पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% नकारात्मक था। इसलिए, वर्ष 2020–21 के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कोई वार्षिक सीएसआर बजट नहीं था। वित्त वर्ष 2019–20 के सीएसआर बजट से 96.46 लाख रुपये कैरी फारवर्ड किये गए, जिसमें से 53.32 लाख रू. पीएम–केयर फंड में योगदान दिया गया राजस्थान में जिला अस्पताल, बारां (एक आकांक्षी जिला) में प्रतीक्षालय के निर्माण के लिए 31.63 लाख रुपये खर्च किए गए थे। कौशल विकास परियोजना के लिए 1.50 लाख रू. खर्च किये गये। उपरोक्त के अलावा, वर्ष के दौरान 2,82,546/– रुपये का स्वैच्छिक योगदान कोविड–19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए पीएम–केयर फंड में किया गया। इसके अलावा, कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 21 (बी) के अनुसार, वर्ष के दौरान खर्च नही किये गये सीएसआर निधि के लिए एक विशेष सीएसआर बैंक खाता खोला गया था।

कारपोरेट गवरनेंस

कॉर्पोरेट गवरनेंस कुशल, प्रतिस्पर्धी और सफल उद्यम बनने के लिए व्यावसायिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है। आपकी कंपनी निरंतर विकास अपनाने और सर्वोत्तम कॉर्पोरेट गवरनेंस प्रेक्टिस के प्रति समर्पण में अपना दृढ़ विश्वास रखती है। इस दिशा में, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित मानदंड, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और इस संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी सीपीएसई के लिए लागू दिशानिर्देशों को नियमित रूप से लागू किया जा रहा है। तथापि, 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जानी बाकी है।

लिस्टिंग विनियमों में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवरनेंस से संबंधित शर्तों के अनुपालन के संबंध में मैसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स (सीपी संख्या 13901) से प्रमाण पत्र के साथ कॉर्पोरेट गवर्नेस पर एक अलग रिपोर्ट संलग्न है और इस रिपोर्ट का हिस्सा है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि कंपनी ने सीपीएसई के लिए लागू सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित सीजी मानदंडों का अनुपालन किया है और सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेस के दिशानिर्देशों के अनुपालन पर तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से भेजी जाती है।

आचार संहिता

लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 15 (5) के अनुसार, बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए लागू आचार संहिता आपकी कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की गई है। मार्च 31, 2020 को समस्त बोर्ड सदस्य व वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने, जिन पर यह संहिता लागू है, 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए इसके अनुपालन की पुष्टि की है। बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा किए गए आचार संहिता के अनुपालन के बारे में घोषणा नीचे गई है:

सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और कॉर्पोरेट गवरनेंस पर डीपीई के दिशानिर्देश के तहत के अनुसार घोषणा

"बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 'कंपनी के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए' व्यापार आचरण और आचार संहिता' के अनुपालन की पुष्टि की है।"

हस्ता./ –

संजय चड्ढा

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 00752363

व्यापार दायित्व रिपोर्ट

आपकी कंपनी ने सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाओं) विनियम, 2015 के विनियमन 34 (2) के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने के लिए व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट तैयार की है। सेबी द्वारा सुझाए गए ढांचे और सिद्धांतों से सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित पर्यावरण, सामाजिक और शासन मानदंडों के अनुपालन का आकलन करना है। उक्त संलग्न व्यापार दायित्व रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में संलग्न है।

सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति

सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के लिए सूक्ष्म, भारत सरकार के लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति (पीपीपी) के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रालयों /विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा माल और सेवाओं की कुल खरीद में से न्यूनतम 25% हिस्सा/एमएसई से किया जाना है। राजपत्र अधिसूचना दिनांक 09.11.2018 के अनुसार एमएसई से वार्षिक खरीद के 25% लक्ष्य में एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 5% वार्षिक खरीद का उप–लक्ष्य और उपरोक्त 25% आरक्षण के तहत एमएसई के स्वामित्व वाली महिलाओं के लिए अतिरिक्त 3% आरक्षण लागू है।एमएसएमईएस अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसएमई मंत्रालय के साथ पंजीकृत फर्मों को वरीयता दी जाएगी।

सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसरण में वर्ष 2020–21 के दौरान, प्रशासनिक जरूरतों के लिए एमएमटीसी ने 5.78 करोड़ रू. की कुल वार्षिक खरीद की, जिसमें से 5.39 करोड रू. (अर्थात 93.25%) की वस्तुएं और सेवाएँ एमएसई से खरीदी गई। इन एमएसई में एससी/एसटी उद्यमी के स्वामित्व वाले 0.21 करोड़ रू. (अर्थात् 3.90%), और 0.0085 करोड़ रू. (0.16%) महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई शामिल हैं।

सार्वजनिक जमा योजना

1 अप्रैल 2020 को कोई बकाया सार्वजनिक जमा नही थे और 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई भी सार्वजनिक जमा आमंत्रित/स्वीकार नहीं किया ।

वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुसार, 2020–21 के दौरान दाखिल वार्षिक रिटर्न की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट: www.mmtclimited.com पर उपलब्ध है ।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

वर्ष 2020–21 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ–साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर संलग्न है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन और समेकित खातों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं और इसे एजीएम में प्राप्त होने पर रखा जाएगा।

सचिवीय लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 9 के अनुसार, आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए मेसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली की सेवाएं ली। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट (फॉर्म एमआर–3 में) सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर इसके साथ संलग्न है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत शामिल किए गए निवेश, ऋण और गारंटियों का विवरण वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में दिया गया है। 31.3.2021 को एनआईएनएल में कंपनी का एक्सपोजर 3528.47 करोड़ रुपए है, जिसमें प्रावधानों के अनुसार जेवी कंपनी–मैसर्स नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड की दिन–प्रतिदिन की परिचालन गतिविधियों को पूरा करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अनुसार बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित 1425 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी ऋण सुविधाएं शामिल हैं।

संबंधित पार्टी लेनदेन

संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा दर्ज किए गए सभी लेनदेन व्यापार के साधारण तरीके से किये गये थे। ऑडिट समिति ने 2019–20 के दौरान किए गए लेन–देन के लिए सर्वग्राही अनुमोदन प्रदान किया। ऐसे संबंधित पार्टी लेन–देन के लिए एजीएम में बोर्ड और शेयरधारकों की मंजूरी ली गई थी। इंड एस–24 के तहत आवश्यकतानुसार उपयुक्त खुलासे वित्तीय विवरणों के लिए नोट 42 के नोट में किए गए हैं। लेनदेन का विवरण फॉर्म एओसी –2 में प्रदान किया जाता है जो कि उसके साथ संलग्न है।

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित संबंधित पार्टी लेन–देन पर नीति को कंपनी की वेबसाइट पर निम्न लिंक पर अपलोड किया गया है:
http://mmtclimited.com/ files/related%20party%20transaction%20policy%20eng.pdf

जोखिम प्रबंधन नीति

निदेशक मंडल ने आपकी कंपनी द्वारा किए गए व्यवसाय से जुड़े विभिन्न जोखिमों का ध्यान रखने के लिए निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा विधिवत सिफारिश किए जाने के बाद जोखिम प्रबंधन नीति को मंजूरी दी। कंपनी द्वारा किए गए व्यापार से जुड़े विभिन्न जोखिमों और कंपनी द्वारा अभ्यास के रूप में इसके जोखिम प्रबंधन का विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट के हिस्से के रूप में प्रदान किया गया है जो इसके साथ संलग्न है। इसके अलावा, कंपनी ने नियंत्रण लागू करने और कंपनी में धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने में सहायता करने के लिए धोखाधड़ी रोकथाम नीति लागू की है। नीति का उद्देश्य नियंत्रणों के विकास के लिए जिम्मेदारी सौंपकर और संदिग्ध कपटपूर्ण व्यवहार की जांच और रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देश प्रदान करके सुसंगत कानूनी और नैतिक संगठनात्मक व्यवहार को बढ़ावा

देना है।

कंपनी अस्थिर वस्तुओं/बाजार की स्थिति में जोखिम नहीं लेती है। आम तौर पर, यह केवल ईएमडी के माध्यम से उचित मार्जिन मनी द्वारा समर्थित पुष्टि किए गए ऑर्डर के पद खरीदारी करता है। एमएमटीसी फंड से जुड़े लेनदेन के संबंध में फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज कवर लेने के लिए दिशानिर्देश लागू हैं।

ऊर्जा का संरक्षण

वर्ष 2020–21 के दौरान आपकी कंपनी के एमआईसीए समूह में कोई गतिविधि नहीं हुई। इसलिए, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के अनुसार, कंपनी के पास इस शीर्ष के तहत रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक के अनुपात और औसत कर्मचारी का पारिश्रमिक तथा समय–समय पर निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के विवरण का खुलासा निदेशकों की रिपोर्ट में करना आवश्यक है। हालांकि, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुपालन से छूट दी गई है। इसलिए, ऐसे विवरणों को निदेशकों की रिपोर्ट के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

निदेशक दायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशक का कथन है कि:

क) वार्षिक खातों की तैयारी में, मेटिरियल डिपार्चर से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया और निर्णय दिए और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में तथा 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।

ग) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है;

घ) निदेशकों ने गोईंग कंसर्न आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया था।

ङ) आपकी कंपनी के निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा था और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; तथा

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली को अपनाया था और यह व्यवस्था पर्याप्त और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थी ।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निशेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत खुलासा

आपकी कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निशेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप एक नीति बनाई है। कॉर्पोरेट कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निवारण करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदात्मक, अस्थायी, प्रशिक्षु) इस नीति के अंतर्गत आते हैं। वर्ष के दौरान उक्त अधिनियम के तहत कंपनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत सूचना

एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में आपकी कंपनी ने आरटीआई अधिनियम '2005 के तहत विभिन्न अनुपालनों का जवाब दिया है। वर्ष के दौरान कुल 28 आरटीआई आवेदन सीधे/धारा 6(3) के तहत प्राप्त हुए हैं और सभी आरटीआई का निपटारा कर दिया गया है। नामित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए), पारदर्शिता अधिकारी, मुख्य जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ)/नोडल सीपीआईओ, जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) आदि का विवरण सार्वजनिक डोमेन पर प्रदर्शित किया गया है। कुल 28 आरटीआई प्राप्त हुए और सभी का निपटारा कर दिया गया और कोई दूसरी अपील प्राप्त नही हुई। सभी चार त्रैमासिक (ऑनलाइन) रिपोर्ट सीआईसी के डिजिटल पब्लिक इंटरफेस पर दर्ज की गई हैं। आपकी कंपनी ने आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा –4 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक डोमेन (www.mmtclimited.com) पर किए जाने वाले स्वैच्छिक प्रकटीकरण का 'सेल्फ–असेसमेंट ऑडिट' भी किया है और सीआईसी द्वारा लेखा परीक्षा और अंतिम मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

एमएटीसी और एंग्लो अमेरिकन कोल के बीच विवाद :

एमएमटीसी एनआईएनएल के लिए और उसकी ओर से कोकिंग कोल की खरीद कर रहा था और वर्ष 2007 में मेसर्स एंग्लो अमेरिकन कोल प्राइवेट लिमिटेड, ऑस्ट्रेलिया के साथ एलटीए निष्पादित किया। हालांकि, वर्ष 2009 में एंग्लो के साथ गैर–निष्पादन के लिए विवाद उत्पन्न हुआ। नतीजतन, मैसर्स एंग्लो कोल आर्बीट्रेशन में चले गये। लंबी मुकदमेबाजी के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने एमएमटीसी के खिलाफ 12.05.2014 को 78,720,414.92 अमेरिकी डॉलर के मध्यस्थता अवार्ड को बरकरार रखा, इसके अलावा कानूनी खर्च और 01.10.2009 से 12.05.2014 तक की प्री–अवार्ड अवधि के लिए 7.5% और पोस्ट–भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज भी देय है। इसके अलावा, एमएमटीसी द्वारा पेंडेंट लाइट और भविष्य के ब्याज पर दी गई समीक्षा याचिका को घटाकर 6% के साधारण ब्याज पर कर दिया गया है।

मध्यस्थता की अवधि के दौरान, एमएमटीसी एनआईएनएल पर कोई औपचारिक दावा दर्ज किए बिना मामले की प्रगति के बारे में एनआईएनएल को सूचित कर रहा था, हालांकि, एमएमटीसी एनआईएनएल पर आकस्मिक देयता के रूप में अपनी पुस्तकों में एंग्लो कोल देयता दिखा रहा था। समीक्षा आदेश दिनांक 29.07.2021 प्राप्त होने पर, जिसमें देय पुरस्कार राशि को क्रिस्टलीकृत किया गया था, एमएमटीसी ने औपचारिक रूप से दिनांक 07.09.2021 के पत्र के माध्यम से एनआईएनएल पर दावा दर्ज किया। इसके बाद, एमएमटीसी ने एनआईएनएल और एलडी को एंग्लो कोल

की देयता को पारित करने के संबंध में विद्वान एजी से राय मांगी। एजी ने कहा कि एनआईएनएल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने का समय निकल चुका है। एनआईएनएल बोर्ड की 180वी, 181वी और 182वी बैठक में यह मामला क्रमशः 13.09.2021, 22.09.2021 और 24.09.2021 को लाया गया।एनआईएनएल बोर्ड ने बहुमत से फैसला किया कि दायित्व एनआईएनएल को नही दिया जा सकता है।

एमएमटीसी ने अपनी लेखा बहियों में देयता की हानि का प्रावधान करते हुए डीओसी को अपने पत्र दिनांक 13.10.2021 के माध्यम से एनआईएनएल की विनिवेश की आय के वितरण के लिए आंतरिक वाटरफॉल मेकेनिज्म में उचित कार्रवाई के लिए दीपम के साथ इस मुद्दे को उपयुक्त रूप से उठाने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।

निदेशक मंडल

1 अप्रेल, 2020 के बाद से आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है :–

निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति की तिथि/ समाप्ति	नियुक्ति/समाप्ति
श्री सुधांशु पाण्डेय	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	13.05.2020	समाप्ति
श्री संजय चड्ढा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	14.05.2020	नियुक्ति
श्री उमेश शर्मा	निदेशक (वित्त)	31.05.2020	समाप्ति
श्री कपिल कुमार गुप्ता	निदेशक (वित्त)	01.06.2020	नियुक्ति
श्री अश्विनी सोंधी	निदेशक (विपणन)	5.1.2021	समाप्ति
डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा	गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक	13.11.2021	नियुक्ति

बोर्ड 1.4.2020 से बोर्ड में नहीं रहे निदेशकों द्वारा किए गए योगदान ओर सराहनीय सेवाओं की प्रशंसा करता है। बोर्ड श्री संजय चड्ढा, श्री कपिल कुमार गुप्ता और डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा का भी स्वागत करता है और विश्वास व्यक्त करता है कि कंपनी को उनके समृद्ध और विविध अनुभव से अत्यधिक लाभ होगा।

निदेशकों के रोटेशनल रिटायरमेंट के संबंध में कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 87(4)(ए) के प्रावधानों के अनुसार, श्री राजीव रंजन सिन्हा, निदेशक (का.) एजीएम में सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते, उन्होंने स्वयं पुनर्नियुक्ति के लिए पेश किया है

आभार

आपके निदेशक सभी हितधारकों–शेयरधारकों, वाणिज्य विभाग, सभी सरकारी एजेंसियों, आरबीआई और अन्य बैंकों, रेलवे, सीमा शुल्क, बंदरगाहों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य व्यापारिक भागीदारों द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये श्रेष्ठ समर्थन और सहयोग के लिए उनकी सराहना करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते है। आपके निदेशक कंपनी के सभी कर्मचारियों के प्रयासों और कडी मेहनत और इसकी प्रगति में उनके निरंतर योगदान को भी पहचानते हैं और उनकी सराहना करते हैं।

बोर्ड के आदेश से

(संजय चड्ढा)

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक(अतिरिक्त प्रभाग)

डीआईएन नंबरः 00752363

दिनांक : 24.11.2021

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट 2020–21

वैश्विक व्यापार व विकास का सिंहावलोकन

कोविड–19 प्रकोप के कारण आर्थिक और सामाजिक व्यवधानों के परिणामस्वरूप 2020–21 के दौरान वैश्विक व्यापार में काफी कमी आई है। अंकटाड के अनुसार, 2020 के आंकड़े महामारी के कारण व्यापार वृद्धि में लगभग 8 प्रतिशत की तेज गिरावट का संकेत देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे तेज गिरावट 2020 की दूसरी तिमाही में हुई, जिसमें वैश्विक व्यापार 2019 की समान तिमाही के सापेक्ष 20 प्रतिशत से अधिक गिर गया।

वर्ष की दूसरी छमाही में व्यापार रुझान, हालांकि साल–दर–साल के आधार पर अभी भी नकारात्मक थे, लेकिन पहली छमाही की तुलना में बेहतर थे। उदाहरण के लिए, कई पूर्वी एशियाई देश अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। विशेष रूप से, 2020 की दूसरी छमाही में सापेक्षिक सुधार काफी हद तक चीन द्वारा संचालित था।

दुनिया भर में लॉकडाउन में ढील के साथ 2021 की पहली तिमाही मे वैश्विक व्यापार जारी रहा, जिसमें साल–दर–साल लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विश्व व्यापार संगठन का मानना है कि यह व्यापार रिकवरी के संकेत हैं।

2021 में वॉल्यूम ग्रोथ 7.2 प्रतिशत तक प्रतिक्षेप के लिए लेकिन पूर्व–संकट की प्रवृत्ति से काफी नीचे रहने के कारण रिकवरी की अवधि और नीति प्रतिक्रियाओं की प्रभावशीलता पर निर्भर है।

2021 की दूसरी छमाही में व्यापार वृद्धि मजबूत रहने की उम्मीद है, समग्र पूर्वानुमान 2020 के निम्नतम बिंदु (वस्तुओं के लिए 19 प्रतिशत और सेवाओं के लिए 8 प्रतिशत) से लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि का संकेत देता है। कोविड से संबंधित क्षेत्रों में व्यापार मजबूत रहने के साथ, माल का व्यापार पूर्व–महामारी के स्तर से अधिक है।

लेकिन कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया पिछड़ गई है, जिनमें से कुछ में 2020 में दोहरे अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। उदाहरण के लिए, आयात और निर्यात ब्राजील, जापान और रूसी संघ के लिए 2019 के स्तर से काफी नीचे रहे हैं। दूसरी ओर, यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका के आंकड़ों में धीमी गति से सुधार के संकेत मिले हैं।

कोविड–19 के कारण आई वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के विघटन और कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच अनसुलझे व्यापार मुद्दों के संयोजन को देखते हुए, और बड़े पैमाने पर महामारी प्रतिबंधों पर निर्भर होने के कारण, दृष्टिकोण अनिश्चित बना हुआ है। फिर भी, 2021 के दौरान विशेष रूप से विकसित देशों मे राजकोशीय प्रोत्साहन पैकेज और सरकारी हस्तक्षेप वैश्विक व्यापार में सुधार की प्रबल समर्थन करने की उम्मीद पैदा करता है।

2021–22 और उससे आगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वृद्धि के लिए वैश्विक उत्पादन में वृद्धि को आगे बढ़ाना संभव है, इसलिए इस अनुपात को और ऊपर लाया जा सकता है।

2020–21 के दौरान भारत में आर्थिक विकास का अवलोकन

विश्व बैंक की वार्षिक बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर), 2020 में भारत 63 वें स्थान पर है, जबकि डीबीआर 2019 में 77वें स्थान पर 14 रैंक की वृद्धि दर्ज की गई है। 2020–21 के दौरान, भारत का व्यापार प्रदर्शन लचीला रहा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 महामारी के गंभीर प्रभाव के बावजूद, वित्त वर्ष के दौरान कुल निर्यात (वस्तुओं और सेवाओं) का संचयी मूल्य 493.19 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है; वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 528.37 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में, (–) 6.66 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई जो कि मौजूदा वैश्विक स्थिति को देखते हुए काफी मध्यम है। यह अप्रैल 2020 में भारी मंदी के बाद वित्तीय वर्ष के दौरान रिकवरी के आशाजनक संकेत को दर्शाता है।

मार्च 2021 के व्यापारिक अंकडे कई चुनौतियों के बावजूद निर्यात में मजबूत सुधार के निर्माण को दर्शाता है। जिन वस्तुओं/समूहों ने 2020–21 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है, वे, प्रोडक्टस अन्न, खाद्य तेल, लौह अयस्क, चावल, अनाज की तैयारी और विविध प्रसंस्कृत वस्तुएं, दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्टस अन्न, खाद्य, मसाले, फल और सब्जियां, कालीन, जूट निर्माण, सिरेमिक उत्पाद और कांच के बने पदार्थ, और कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन है।

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर कुल व्यापार घाटा 12.74 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। पूरे वित्त वर्ष 2011 में, भारत की अर्थव्यवस्था के 8.5 प्रतिशत तक अनुबंधित होने का अनुमान है।

2021.22 के लिए आउटलुक

वित्त वर्ष 2021–22 का बजट आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सार्वजनिक निवेश (विशेष रूप से परिवहन के बुनियादी ढांचे में) में वृद्धि के साथ मांग–पक्ष की प्रोत्साहन के लिए एक बदलाव की ओर इशारा करता है। अंकटाड के अनुसार, वैश्विक मांग में प्रत्याशित सुधार से भी 2021 तक व्यापार क्षेत्र में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

एमएमटीसी– 2020–21 में पूर्वव्यापी

वित्तीय समीक्षा

उपरोक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य की पृष्ठभूमि में, आपकी कंपनी ने वर्ष 2020.21 रू. 26364.50 करोड़ रुपये का व्यापार किया। पिछले वित्त वर्ष में 24056.04 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ। इस कारोबार में रुपये 1804.74 करोड़ का निर्यात एवं 1804.74 करोड़ रुपये का आयात हुआ जिसमें घरेलू व्यापार 20696.64 करोड़ रू. शामिल है। आपकी कंपनी को वर्तमान वित्त वर्ष में 769.69 करोड़ का निबल घाटा हुआ।

मुख्य रूप से मैसर्स के साथ मुकदमे पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न देयता के कारण 877.43 करोड़ रू. के प्रावधान के कारण 2009.10 के एक विवादित मामले में एंग्लो कोल जिसमें 2014 में ब्याज के साथ 78.77 मिलियन अमरीकी डालर के मध्यस्थता पुरस्कार के साथ लंबे समय से मुकदमा चल रहा हैए जिसे 2015 में दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने बरकरार रखा था। हालांकि, डबल बेंच दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2015 में एमएमटीसी को कुछ राहत दी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में पंच निर्णय बहाल कर दिया। तथापि, एमएमटीसी सुप्रीम कोर्ट में एक क्यूरेटिव याचिका के माध्यम से लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परिणाम की थोड़ी निश्चितता है। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लंबित स्पष्टीकरण के लिए पूर्व–पुरस्कार ब्याज का प्रावधान न करने के कारण एमएमटीसी की पुस्तकों में 128.89 करोड़ रुपये की आकस्मिक देयता दिखाई गई है। मध्यस्थता की अवधि के दौरान एमएमटीसी एनआईएनएल पर कोई औपचारिक दावा दर्ज किए बिना मामले के विकास के बारे में एनआईएनएल को सूचित कर रहा थाए लेकिन एमएमटीसी एनआईएनएल पर आकस्मिक देयता के रूप में अपनी पुस्तकों में एंग्लो कोयला देयता दिखा रहा था।

धन का स्रोत और उपयोग

31 मार्च, 2021 को कंपनी के फंड के स्रोत में 150 करोड़ रुपये की इक्विटी शेयर पूंजी और 47.64 करोड़ रुपये तथा 5,036.66 करोड़ रुपये की गैर–चालू और वर्तमान देनदारियों सहित 422.46 करोड़ रुपये की शेयरधारकों की निधि शामिल है। इन निधियों को अन्य बातों के साथ–साथ गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए रु. 31 मार्च, 2021 को 695.84 करोड़ रुपये और वर्तमान संपत्ति 4810.92 करोड़ रुपये है।

आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं

एमएमटीसी में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली और अन्य प्रक्रियाएं हैं जो इसके विविध कार्यों के अनुरूप हैं। लेखापरीक्षा समिति द्वारा लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की समीक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा समिति के निर्देशों, यदि कोई हो, का विधिवत अनुपालन किया जाता है। आंतरिक ऑडिट करने में बाहरी ऑडिटिंग फर्मों के साथ समन्वय करने के लिए कंपनी का एक आंतरिक ऑडिट डिवीजन है। क्षेत्रीय कार्यालयों में लेनदेन की समवर्ती लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षकों द्वारा अपवाद रिपोर्टिंग आदि के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं। लेखापरीक्षा रिपोर्ट को उनकी आवश्यकता के अनुसार सतर्कता प्रभाग/सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ भी साझा किया जाता है। लेखा परीक्षा समिति में श्री मंजूनाथ जी., अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक, श्री शशांक प्रिया, और सरकार नामित निदेशक डॉ. (श्रीमती) स्वाधीनता कृष्णा, स्वतंत्र निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं।

विभिन्न व्यापार करने के लिए एसओपी है। इसके लिए, आंतरिक नियंत्रण तंत्र, व्यावसायिक प्रस्तावों पर जोखिम मूल्यांकन और व्यवस्थित करने के लिए एमएमटीसी के विभिन्न ट्रेडों के लिए एक अनुमोदित आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली, लेखा नियमावली, कॉर्पोरेट जोखिम प्रबंधन नीति और व्यापार–सह–आंतरिक नियंत्रण नियमावली बनाई गई है।

सहायक कंपनी

वस्तुओं में व्यापार के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार का दोहन करने के लिए, एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई। लिमिटेड (एमटीपीएल), सिंगापुर, आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कमोडिटी ट्रेडिंग में लगी हुई है और सिंगापुर में खुद को एक विश्वसनीय और प्रतिष्ठित व्यापारिक संगठन के रूप में स्थापित किया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान एमटीपीएल ने 486.20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बिक्री कारोबार हासिल किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान यह 333.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 45.74 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हासिल करता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान एमटीपीएल का शुद्ध लाभ 1.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि 2019–20 के दौरान अर्जित 0.97 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। 31 मार्च 2021 को एमटीपीएल की कुल संपत्ति 10.47 मिलियन अमरीकी डालर थी। एमटीपीएल द्वारा स्थापना के बाद से घोषित कुल लाभांश 21.94 मिलियन अमरीकी डालर है जिसमें वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान एमटीपीएल से प्राप्त 3.90 मिलियन अमरीकी डालर का लाभांश शामिल है।

2020–21 के लिए बिजनेस ग्रुप वार समीक्षा

खनिज

सेवा और उत्पादों की गुणवत्ता में आपकी कंपनी का खनिज समूह पांच दशकों से अधिक की अवधि के लिए लौह अयस्क व्यापार में अग्रणी भूमिका निभाता था। पिछले दशक में, एमएमटीसी खनिज पोर्टफोलियो को मजबूत करके, बाजार की अनिश्चितताओं से बचाव के लिए गतिशील और विवेकपूर्ण रणनीतियों को मजबूत करके, अपनी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करके और अपनी व्यापार प्रतिबद्धताओं को अत्यधिक सावधानी और महत्व देकर वैश्विक बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकता है। 2020–21 के दौरान आपकी कंपनी के खनिज समूह ने 1798.10 करोड़ रुपये का कारोबार हासिल किया, जिसमें 1791.61 करोड़ रुपये मूल्य के लौह अयस्क का निर्यात, क्रोम अयस्क का निर्यात 0.32 करोड रुपये और मैंगनीज अयस्क/ऑक्साइड का निर्यात रु. 4.85 करोड़ रुपये और 1.32 करोड़ रुपये के लौह अयस्क की घरेलू बिक्री भी। इस समूह के मुख्य घटक हैं.

(i) लौह अयस्क

भारत सरकार की वर्तमान एक्जिम नीति के अनुसार, एमएमटीसी लिमिटेड ग्रेड एफई 64% और उससे अधिक के लौह अयस्क के निर्यात के लिए नामित राज्य व्यापार उद्यम था। एमएमटीसी ने जापान और दक्षिण कोरिया को लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट (एलटीए) के तहत लौह अयस्क का निर्यात किया, जिसे सरकार द्वारा विधिवत मंजूरी दी गई थी। पिछले एलटीए 2018–21 की अवधि के लिए था और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, जापानी स्टील मिल्स (जेएसएम) और पोस्को, दक्षिण कोरिया को दीर्घकालिक समझौतों (एलटीए) के तहत लौह अयस्क (लंप्स एंड फाइन्स) की आपूर्ति जारी रही। हालांकि, जापानी स्टील फैक्ट्री और पोस्को, दक्षिण कोरिया के साथ दीर्घकालिक समझौतों (एलटीए) के तहत लौह अयस्क के निर्यात को सरकार द्वारा नवीनीकृत नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप एमएमटीसी ने 31.03.2021 के बाद एलटीए के तहत लौह अयस्क कारोबार बंद कर दिया।

(ii) मैगनीज अयस्क

एक्जिम नीति के अनुसार, मैंगनीज अयस्क का निर्यात एमएमटीसी के माध्यम से किया जाता है। भारत में इसका 475 मिलियन मीट्रिक टन का भंडार है लेकिन वार्षिक उत्पादन लगभग 3.0 मिलियन मीट्रिक टन है। भारत में मैंगनीज की वार्षिक खपत लगभग 5.5 – 6.0 मिलियन मीट्रिक टन है। भारत में उत्पादित ढेलेदार अयस्क की खपत पूरी तरह से घरेलू उद्योग द्वारा की जाती है। निर्यात के लिए एमएमटीसी को घरेलू उद्योग द्वारा खपत न किए गए निम्न ग्रेड मैंगनीज अयस्क फाइन की केवल एक छोटी मात्रा की पेशकश की जाती है।

वर्ष के दौरान एमएमटीसी ने 4.85 करोड़ रुपये मूल्य के मैंगनीज अयस्क का निर्यात किया।

कीमती धातु, रत्न और आभूषण

आपकी कंपनी तीन दशकों से अधिक समय से एक नामित एजेंसी के रूप में कीमती धातुओं के प्रमुख आयातकों में से एक रही है और निर्यातकों/घरेलू उपयोगकर्ताओं को एसईजेड सहित अखिल भारतीय आधार पर कीमती धातुओं की आपूर्ति नियंत्रित और निगरानी बेहतर तरीके से कर रही है, जिसमें सभी को शामिल किया गया है। भारत के प्रमुख आभूषण निर्माण केंद्र के माध्यम से एमएमटीसी ने प्रतिस्पर्धी प्रीमियम पर कीमती धातुओं की आपूर्ति के लिए घरेलू बाजार और निर्यात को पूरा करने के लिए लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (एलबीएमए) द्वारा अनुमोदित कई विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ करार किया है।

कोरोना वायरस महामारी, इसके दूरगामी प्रभावों और रिकॉर्ड उच्च कीमतों के साथ, 2020 के दौरान कीमती धातुओं में उपभोक्ता मांग में कमजोरी के पीछे प्रेरक कारक था, इसके बावजूद एमएमटीसी के कीमती धातु समूह ने 14,041.36 करोड़ रुपये का सकल कारोबार और लाभ का योगदान दिया। वित्त वर्ष 2020–21 में कुल कारोबार का लगभग 53 प्रतिशत योगदान के लिए 53.15 करोड़ रुपये, कंपनी द्वारा हासिल किए गए। इस समूह के कारोबार में 11,340.53 करोड़ रुपये के सोने और चांदी का आयात और जीएमएस गोल्ड की ई–नीलामी और सीमा शुल्क 2452.12 करोड़ रुपये का सोना शामिल है। एमएमटीसी ई–नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से सीमा शुल्क अधिकारियों और मंदिर ट्रस्टों को उनके पास पड़े सोने/चांदी की बिक्री की सुविधा भी देता है।

एमएमटीसी–पीएएमपी इंडिया प्रा. लिमिटेड, एमएमटीसी लिमिटेड और पीएएमपी एसए, स्विट्जरलैंड के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी, कीमती धातु प्रसंस्करण सुविधा संचालित करती है। एमपीआईपीएल भारत की पहली और एकमात्र एलएमबीए सोने और चांदी के लिए गुड डिलीवरी रिफाइनरी है जिसे मान्यता प्राप्त है। संयुक्त उद्यम ने वित्त वर्ष 2020.21 की अवधि के दौरान 20,452.73 करोड़ रुपये का कारोबार और 3.06 करोड़ रुपये का लाभ (कर के बाद) हासिल किया। संयुक्त उद्यम ने हॉलमार्किंग के लिए मैसर्स पीएएमपी स्पेशियलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स पीएएमपी प्रीशियस मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फॉर इंडस्ट्रियल्स नामक दो नई सहायक कंपनियों की स्थापना की है।

17.45 करोड़ रुपये के निवेश के साथ संयुक्त उद्यम में एमएमटीसी की 26% हिस्सेदारी है और एंग्लो कोल में निष्पादन याचिका पर उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निजी प्लेसमेंट/आईपीओ के माध्यम से जल्द से जल्द संयुक्त उद्यम से बाहर निकलने का प्रयास किया जा रहा है। मामला, कंपनी की स्थिति को संयुक्त उद्यम के संबंध में सुनवाई की अगली तारीख यानी 29.11.2021 तक बनाए रखा जाना है।

अलौह धातु

आपकी कंपनी के धातु समूह ने 2020–21 के दौरान 74.00 करोड़ रुपये का बिक्री कारोबार हासिल किया है जिसमें क्रमशः 72.58 करोड़ रुपये के जस्ता और 0.29 करोड़ रुपये के सुरमा का आयात और 0.06 करोड़ रुपये के सीसा और 1.07 करोड़ रुपये टिन का घरेलू व्यापार शामिल है।

कृषि उत्पाद

आपकी कंपनी के कृषि समूह ने वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 644.50 करोड़ रुपये का कारोबार हासिल किया जिसमें दाल, खाद्य तेल और चीनी का घरेलू व्यापार शामिल है।

एमएमटीसी लगभग तीन दशकों से कृषि जिंसों चावल के आयात, गेहूं के निर्यात और फिर सोयाबीन प्रसंस्करण के साथ सोयाबीन ऑयल्ड केक के निर्यात और घरेलू बाजार में कच्चे सोया तेल की बिक्री के साथ कारोबार में है। चावल, गेहूं और चीनी जैसे अनाज के निर्यात और आयात के अवसर भी सरकारी खाते या वाणिज्यिक आधार पर उपलब्ध थे। सरकार की मूल्य स्थिरीकरण योजना के तहत, एमएमटीसी ने पूर्व में दालों और प्याज के आयात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, डीजीएफटी ने एमएमटीसी को खोपरा के आयात के लिए एकमात्र एसटीई और नारियल तेल के आयात के लिए एसटीई में से एक के रूप में नामित किया, जिसमें एमएमटीसी को डीजीएफटी के लाइसेंस वाले सहयोगियों को एनओसी जारी करने की भी अनुमति है। डीजीएफटी की अधिसूचना के बाद, डीजीएफटी के लाइसेंस धारक कई ग्राहकों ने खोपरा/नारियल तेल के आयात की

अपनी आवश्यकता के लिए एमएमटीसी से संपर्क किया। तदनुसार, एमएमटीसी वैध डीजीएफटी लाइसेंस के साथ एमएमटीसी से संपर्क करने वाले विभिन्न पक्षों को नारियल तेल और खोपरा के आयात के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर रहा है। वित्तीय वर्ष में 2020–21 एमएमटीसी ने विभिन्न सहयोगियों को खोपरा/नारियल के तेल के आयात के लिए लगभग 3840 मीट्रिक टन की कुल मात्रा के लिए एनओसी जारी किया था और लगभग 1.10 करोड़ रुपये का मार्जिन बुक किया था। यह आशा की जाती है कि भविष्य में अधिक ग्राहक खोपरा/नारियल तेल के आयात की अपनी आवश्यकता के लिए एमएमटीसी से संपर्क करेंगे जिससे इस व्यवसाय से अधिक मार्जिन प्राप्त होगा। एमएमटीसी आरबीडी पॉम ऑयल, दाल और चीनी की आपूर्ति के लिए राज्य सरकारों की निविदाओं में भी नियमित रूप से भाग ले रहा है। एमएमटीसी तमिलनाडु राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को पाउच और पैकेज्ड दालों और चीनी में पामोलिन के नियमित आपूर्तिकर्ताओं में से एक रहा हैं।

एमएमटीसी कृषि उत्पादों के आयात/निर्यात के अवसरों की तलाश में है।

उर्वरक और रसायन

एमएमटीसी उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की ओर से एमएमटीसी और डीओएफ के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के आधार पर यूरिया का आयात करता है। एमएमटीसी सेल और एमएमटीसी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के आधार पर सेल आरएसपी के लिए सल्फर का भी आयात करता है। एमएमटीसी अन्य उर्वरक उत्पादों का भी व्यापार करती है। अपने अंतिम ग्राहकों की आवश्यकता के आधार पर डीएपी, एमओपी आदि का भी व्यापार करते है।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, उर्वरक विभाग ने 9185.83 करोड़ रुपये के कारोबार का योगदान दिया है, जिसमें डीओएफ की ओर से लगभग 4.49 मिलियन टन यूरिया का आयात 9177.84 करोड़ रुपये और सल्फर का आयात 6.49 करोड़ रुपये और 1.50 करोड़ रुपये का गैर–सरणीकृत यूरिया का आयात शामिल है। यूरिया मिट्टी की नाइट्रोजन पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रमुख उर्वरकों में से एक है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, एमएमटीसी के यूरिया आयात ने देश की आयात आवश्यकता का लगभग 50% हिस्सा लिया है। एमएमटीसी के यूरिया आयात का हिस्सा पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में एक और एसटीई के शामिल होने के कारण कम हो गया।

हालाँकि, एमएमटीसी को उर्वरक विभाग के लिए डीजीएमटी की अधिसूचना संख्या 40/2015–2020 दिनांक 3 नवंबर, 2021 के तहत यूरिया (कृषि उपयोग के लिए) के आयात के लिए एसटीई के रूप में हटा दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक खंड का नुकसान हुआ।

कोयला और हाइड्रोकार्बन

आपकी कंपनी के कोयला और हाइड्रोकार्बन समूह ने 584.60 करोड़ रुपये का कारोबार किया है जिसमें 74.17 करोड़ रुपये के कोकिंग कोयले का आयात और 486.22 करोड़ रुपये के भाप कोयले का घरेलू व्यापार शामिल है। लैम कोक और कोक ब्रीज का घरेलू व्यापार क्रमशः 15.19 करोड़ रुपये और 9.02 करोड़ रुपये था। इस समूह द्वारा संचालित उत्पाद स्टीम कोल और कोकिंग कोल हैं।

एमएमटीसी विद्युत संयंत्रों को सीमित/खुली निविदाओं में भाग लेकर और नामांकन के आधार पर विद्युत संयंत्रों को भाप कोयले की आपूर्ति करता रहा है। हालांकि, एमएमटीसी भारत में सीमेंट, स्पंज आयरन इकाइयों और कैप्टिव बिजली संयंत्रों को आयातित भाप कोयले की आपूर्ति में अवसर की तलाश कर रहा है ताकि अधिक व्यवसाय उत्पन्न किया जा सके।

2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी ने आंध्र प्रदेश पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को 8.18 लाख मीट्रिक टन आयातित स्टीम कोयले की आपूर्ति की, जिसका मूल्य 488.81 करोड़ रुपये है।

सामान्य व्यापार

आपकी कंपनी के सामान्य व्यापार समूह ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 36.11 करोड़ रुपये का कारोबार किया। समूह ने वर्ष 2020–21 के दौरान राजस्व खुफिया निदेशालय से प्राप्त आवंटन के आधार पर 7.96 करोड़ रुपये मूल्य के रेड सैंडर्स के निर्यात को अंतिम रूप दिया। चांदी/सोने की मिश्र धातु का आयात 23.24 करोड़ रुपये रहा। कर्नाटक के गजेंद्रगढ़ में पवन फार्म से उत्पन्न पवन ऊर्जा की बिक्री ने 4.90 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इसके अलावा विंड मिल गतिविधि से उत्पन्न कार्बन क्रेडिट की बिक्री के माध्यम से 0.01 करोड़ की वसूली की गई। परियोजना से उत्पन्न बिजली एचईएससीओएम को बेची जाती है। यह परियोजना सफलतापूर्वक चल रही है और इसने कर्नाटक राज्य की ऊर्जा जरूरतों के कुछ हिस्से को पूरा करके क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है।

कंपनी की भविष्य की संभावनाएं

ऐतिहासिक रूप से, कंपनी खनिज और धातु, उर्वरक, कीमती धातु और कृषि उत्पादों के क्षेत्रों में कैनालाइज्ड व्यावसायिक गतिविधियों में लगी हुई है जो टर्नओवर और व्यापारिक आय उत्पन्न करने का मुख्य आधार थे। इसके अलावा, कंपनी ने संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी के माध्यम से बैकवर्ड/फॉरवर्ड एकीकरण में कदम रखा है, जिनमें से अधिकांश गैर–निष्पादित रहे हैं। एनआईएनएल, जो संयुक्त उद्यमों में कंपनी का प्रमुख निवेश मैसर्स में किया गया है। आईपीआईसीओएल, ओएमसी,एनएमडीसी,बीएचईएल और एमईसीओएन द्वारा सह–प्रवर्तित कंपनी है। जबकि कच्चे माल की सोर्सिंग और तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए एनआईएनएल के साथ एक विपणन समझौते (ओं) में प्रवेश करके स्टील सेगमेंट में अपने कारोबार का विस्तार करने का इरादा था, कंपनी ने धीरे–धीरे रुपये की कॉर्पोरेट गारंटी देकर अपने जोखिम को बढ़ाया। . एनआईएनएल के बैंकरों और बांड धारकों को वित्त पोषित और गैर–वित्त पोषित सुविधाओं के विस्तार के लिए और उसके बाद एनआईएनएल के दिन–प्रतिदिन के संचालन के लिए ऋण देने के लिए 1470 करोड़ रू. इस्पात उद्योग की चक्रीय प्रकृति कैपेक्स के साथ युग्मित है जो वर्षों से संचालन में आवश्यक प्रोत्साहन और रिटर्न और अक्षमता प्रदान नहीं कर रही है, एनआईएनएल को 2012–13 के बाद से एक सतत घाटे में चलने वाली इकाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका नेटवर्थ वित्त वर्ष 2016–17 से नकारात्मक हो गया है और यह टिकाऊ नही

था। 2019–20 तक नियमित रूप से निधियों का प्रवाह (जिसके कारण 2015–16 में 928 करोड़ रुपये से बढ़कर 2019–20 में 3221 करोड़ रुपये हो गया) जाहिर तौर पर पहले से किए गए भारी निवेश को बचाने का एक प्रयास था। एमएमटीसी की है एनआईएनएल पर वित्तीय देनदारी 31.3.2021 को 3528.47 करोड़ रुपए और बैंकों से उधार लेकर एनआईएनएल को ऋण/कार्यशील पूंजी प्रदान करने में निरंतर वृद्धि के परिणामस्वरूप 2019–20 में एमएमटीसी की बैंक सीमा समाप्त हो गई और परिणामस्वरूप कंपनी को अपनी पुनर्रचना के लिए मजबूर होना पड़ा। चालू वित्त वर्ष के दौरान ऋणों को एनआईएनएल के विनिवेश से प्राप्त आय के माध्यम से चुकाया जाना है जो कि दीपम के तत्वावधान में किया जा रहा है। विनिवेश की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

एनआईएनएल से ब्याज को छोड़कर कंपनी का लाभ वर्ष 2012–13 से नियमित रूप से अपने परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और बैंकों के लिए कंपनी का एक्सपोजर बढ़ गया है। 2015–16 में 272 करोड़ रु. 2019–20 में 2422 करोड़ और 31.3.2021 तक यह 2364 करोड़ रुपये है। अकेले वर्ष 2019–20 में, कंपनी ने नकारात्मक नकदी प्रवाह को पूरा करने के लिए बैंकों से लगभग 1500 करोड़ रुपये का शुद्ध ऋण लिया। दूसरी ओर, निम्नलिखित निर्देशों के साथ कंपनी के व्यवसाय के अवसरों को गंभीर रूप से कम कर दिया गया है:

क) वाणिज्य विभाग ने कंपनी को अपने व्यवसाय को कम करने और अपनी गतिविधियों को कम करने की सलाह दी है।

बी) विभाग वाणिज्य विभाग ने सलाह दी है कि जापान और कोरिया को लौह अयस्क के निर्यात के लिए दीर्घकालिक समझौते को 31.03.2021 से आगे नहीं बढाया जाए। एमएमटीसी के मुनाफे में लौह अयस्क सबसे बड़ा योगदानकर्ता था।

ग) कंपनी को विभाग की ओर से यूरिया के आयात के लिए नामित एसटीई से हटा दिया गया है। उर्वरकों की डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 40/2015–2020 दिनांक 03/11/2021 के तहत यूरिया का आयात एमएमटीसी के टर्न ओवर का एक बहुत बड़ा हिस्सा था और इसकी व्यापारिक आय में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता था।

घ) इसके अलावा, 2009–10 के एक विवादित मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपूर्तिकर्ता मैसर्स एंग्लो कोयला के साथ एनआईएनएल के लिए कोकिंग कोल के आयात के लिए कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध के गैर–निष्पादन के संबंध में कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है। हालांकि कंपनी को 12.05.2014 को एक प्रतिकूल मध्यस्थत निर्णय का सामना करना पड़ा और 10.07.2015 को दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा निर्णय को बरकरार रखा गया, कंपनी को 02.03.2020 को दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा एक राहत दी गई, जिससे इसे रद्द कर दिया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपने एसएलपी में पार्टी ने डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती दी और मध्यस्थत निर्णय की बहाली की मांग की, जिसे 17.12.2020 के फैसले के तहत पार्टी के पक्ष में फैसला सुनाया गया है, इस प्रकार एमएमटीसी पर लगभग 1000 करोड़ रुपये की देनदारी पैदा हुई है।

प्रशासनिक खर्चों के मौजूदा स्तर को देखते हुए उपरोक्त ने कंपनी की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। कंपनी की व्यवहार्यता पर निर्भर है:

(ए) एनआईएनएल के विनिवेश से एमएमटीसी बैंक ऋण और पिछले बकाया को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय की प्राप्ति, (बी) वास्तविक संपत्ति आधार के मुद्रीकरण के माध्यम से एंग्लो कोल की देयता को पूरा करना और (सी) लौह अयस्क और यूरिया का कैनालाइज्ड कारोबार की बहाली । यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशासनिक खर्च पूरी तरह से व्यापारिक आय से ही पूरा किया जा सके, वर्तमान जनशक्ति में भारी कटौती और पर्याप्त पेशेवर कौशल के साथ मानव संसाधनों में सुधार के लिए एमएमटीसी ने सरकार के निर्देशानुसार कदम उठाया है। वीआरएस को लागू करने के लिए ऋण के आधार पर धन उपलब्ध कराना ताकि मैनपावर को कम किया जा सके। यह समझा जाता है कि "वाणिज्य विभाग में सरकारी निकायों के युक्तिकरण" के प्रस्ताव पर एक विचार सामने आया है कि एसटीसी, एमएमटीसी और पीईसी जैसे सार्वजनिक उपक्रम अब प्रासंगिक नहीं हैं और उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लिए जाने की उम्मीद है।

सचेतक कथन

कंपनी के अनुमानों, और अपेक्षाओं का वर्णन करने वाले प्रबंधन चर्चाओं और विश्लेषण में कथन लागू कानूनों और नियमों के अर्थ के भीतर "आगे की ओर देखने वाले बयान" हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित से अलग–अलग हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कारक जो कंपनी के संचालन में अंतर कर सकते हैं, उनमें घरेलू और विदेशी बाजारों में मांग/आपूर्ति और मूल्य की स्थिति को प्रभावित करने वाली आर्थिक स्थिति शामिल है जिसमें कंपनी संचालित होती है, सरकारी नियमों/नीतियों, कर कानूनों, अन्य विधियों और अन्य आकस्मिक कारकों में परिवर्तन।

वर्ष 2020–21 के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. **कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा**

आपकी कंपनी ने लगातार एक अच्छे कॉर्पोरेट नागरिक की भूमिका निभाई है और अपने व्यवसाय को नैतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से संचालित करके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रथाओं के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता दिखाई है। सीएसआर गतिविधियों के संबंध में आधिकारिक आदेश के अभाव में भी, आपकी कंपनी ने बहुत पहले सितंबर 2006 में सीएसआर को एक नीतिगत पहल के रूप में अपनाया था, जो 2007–08 से प्रभावी था, और सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने के लिए पिछले वर्ष के बनाए रखने योग्य लाभ का 1% आवंटित किया। प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत प्रदान करने के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और समुदाय से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने पर विशेष जोर दिया गया।

2010 में, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सीपीएसई द्वारा अपनाने के लिए सीएसआर पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। आपकी कंपनी ने इन दिशानिर्देशों को अपनाया और तदनुसार अपनी सीएसआर नीति को पुनः व्यवस्थित किया। इनका पालन नवंबर 2011 और अप्रैल 2013 के डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा किया गया था जिन्हें कंपनी द्वारा फिर से विधिवत अपनाया गया था।

कंपनी की सीएसआर नीति अब कंपनी अधिनियम की धारा 135 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सीएसआर नियमों के अनुरूप है और सीएसआर परियोजनाएं कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार शुरू की जा रही हैं। कंपनी की सीएसआर नीति को इसकी वेबसाइट पर होस्ट किया गया है।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान आपकी कंपनी को घाटा हुआ। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार गणना की गई सीएसआर बजट यानी पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% नकारात्मक था। इसलिए, वर्ष 2020–21 के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कोई वार्षिक सीएसआर बजट नहीं था। हालांकि, वित्त वर्ष 2019–20 का अव्ययित सीएसआर बजट रु. 96.46 लाख को वित्त वर्ष 2020–21 तक आगे बढ़ाया गया। वर्ष के दौरान, अग्रेषित सीएसआर निधि में से रु. 53.32 रू. लाख पीएम केयर फंड में योगदान दिया गया। राजस्थान में जिला अस्पताल, बारां (एक आकांक्षी जिला) में प्रतीक्षालय के निर्माण पर 31.63 लाख रुपये और कौशल विकास परियोजना के लिए 1.50 लाख रूप्य खर्च किए गए

उपरोक्त के अलावा, 2,82,546/– रुपये का स्वैच्छिक योगदान पीएम केयर फंड की ओर से वर्ष के दौरान कोविड–19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा, कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 21 (बी) के अनुसार, वर्ष के दौरान अव्ययित सीएसआर निधि के लिए एक विशेष सीएसआर बैंक खाता खोला गया था।

2. **सीएसआर समिति की संरचनाः**

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक की प्रकृति	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की आयोजित बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री मंजूनाथ जी	स्वतंत्र निदेशक/ समिति के अध्यक्ष	1	1
2.	श्री संजय चड्ढा	सीएमडी/सदस्य	1	-
3.	श्री राजीव रंजन सिन्हा	निदेशक (कार्मिक)/सदस्य	1	1
4.	श्री कपिल कुमार गुप्ता	निदेशक (वित्त)ध्सदस्य	1	1

3. **वेब–लिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा किया गया है।**

वेब–लिंक https://www.mmtclimited.com/pages/display/89-corporate-social-responsibility

4. **कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014, यदि लागू हो, के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें)।**

लागू नहीं।

5. **कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में समंजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो**

क.सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट–ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रूपये में)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि यदि कोई हो (रूपये में)
1.	2020-21	शून्य	शून्य
	कुल	शून्य	शून्य

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ। रु. (23.48) करोड़

7. (ए) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशतः लागू नहीं

(बी) सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष पिछले वित्तीय वर्ष शून्य

(सी) वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई होः शून्य

(डी) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7ए7बी–7सी): शून्य। हालांकि कोविड–19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए सीएसआर के तहत वर्ष के दौरान पीएम केयर्स फंड के लिए 2,82,546 /– रूपये का स्वैच्छिक योगदान किया गया।

8. (ए) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशिः

वित्तीय वर्ष में कुल खर्च की गई राशि (रूपये में)	अव्ययित राशि (रूपये में)				
	धारा (135–6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा (135–5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिश्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि		
2,82,546	राशि	ट्रांसफर की तिथि	फंड का नाम	राशि	ट्रांसफर की तिथि
	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही

बी) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः

लागू नहीं

सी) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची अपप गतिविधियों की सूची के लिए	स्थानीय क्षेत्र (हां नहीं)	का सथान परियोजना		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रूपये में)	कार्यान्वयन का तरीका–सीधे (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका–कार्यान्वयन के माध्यम से एजेंसी	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	पीएम केयर्स फंड में योगदान	हेल्थकेयर अनु vii की क्र.सं (i)	नहीं	-	-	2,82,546	नहीं	पीएम केयर्स फंड	-
	कुल					2,82,546			

(डी) प्रशासनिक उपरिव्यय में व्यय की गई राशि : शून्य

(ई) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू होः लागू नहीं

(एफ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8बी+8सी+8डी+8ई): 2,82,546/–रूपये

(जी) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपये में)
(i)	धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	लागू नही
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	2,82,546/- रूपये*
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि (ii)–(i)	लागू नही
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्शों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (iii)–(iv)	शून्य

*स्वैच्छिक योगदान

9. (ए) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरणः

क. सं.	पिछला वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रूपये में)	रिपोर्टिंग राशि वित्तीय वर्ष में खर्च की गई : (रूपये में)	धारा 135 (6) के अनुसार अनुसूची Vii के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड की हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो			अगले वित्तीय वर्ष में खर्च की जाने वाली शेष राशि (रूपये में)
				फंड का नाम	राशि (रूपये में)	स्थानांतरण की तिथि	
1.	2018-19	-	1,50,000	-	-	-	शून्य
2.	2019-20	-	84,95,040	-	-	-	10,01,200
	कुल		86,45,040				10,01,200

(बी) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना थी शुरू की गई	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि (रूपये लाख में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष मे राशि में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रूपये लाख में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रूपये लाख में)	पूरे / चल रही परियोजना की स्थिति
1.		पीएम केयर्स फंड में योगदान	2019-20	-	53.32	53.32	53.32	पूरा हुआ
2.		जिला अस्पताल, बारां में प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य (एमसीएच) के लिए प्रतीक्षालय का निर्माण	2019-20	2 वर्ष	52.72	31.63	47.45	चल रहा है
3.		(i) परिधान और पोशाक बनाना (कटिंग और टेलरिंग) और (ii) ब्यूटीशियन (सौंदर्य और कल्याण) के क्षेत्र में वंचित सामाजिक समूहों (महिलाओं, दलितों और विशेषाधिकार प्राप्त बच्चों) के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण लेना।	2019-20	1 वर्ष छः महीने	5.00	1.50	3.50	चल रही है
4.		वंचित बच्चों के लिए शैक्षिक गतिविधियों की ओर	2019-20	1 साल छ महीने	5.32	0	2.08	चल रहा है
	कुल				**116.36**	**86.45**	**106.35**	

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस तरह बनाई या हासिल की गई संपत्ति से संबंधित विवरण (संपत्ति–वार विवरण) शून्य

(ए) पूंजीगण संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि लागू नही

(बी) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि लागू नही

(सी) ईकाइ या लोक प्राधिकरण या लाभार्थी जिसके नाम के तहत इस तरह की पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदिका विवरण लागू नही

(डी) सृजित या अर्जित (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें लागू नही

11. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135 (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है।

लागू नहीं

एसडी/–
(आर.आर.सिन्हा)
निदेशक (कार्मिक) सदस्य–सीएसआर समिति
डीआइएनः 08487833

एसडी/–
(मंजूनाथ जी.)
स्वतंत्र निदेशक और अध्यक्ष–सीएसआर समिति
डीआइएनः 8308050

एमएमटीसी में कारपोरेट गवर्नेंस

कंपनी के रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने, आत्मविश्वास को मजबूत करने, शेयरधारकों और हितधारकों के धन के दीर्घकालिक मूल्य को अधिकतम करने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन संगठन का एक अभिन्न अंग बन गया है। एमएमटीसी पारदर्शिता के सर्वोच्च स्तर, विश्वास, सत्यनिष्ठा, कार्यनिष्पादन अभिमुखता, जिम्मेदारी और जवाबदेही, व्यावसायिकता, सामाजिक दायित्व, नैतिक व्यवसाय प्रथाओं और स्व–अनुशासन संहिता के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता के अनुपालन के माध्यम से स्वस्थ कारपोरेट गवर्नेंस नियमों के सिद्धांत को प्रोन्नत तथा सशक्त करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है ताकि स्टेकहोल्डरों यथा–निवेशकों, निदेशकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों अथवा सामान्य समुदाय का निरंतर मूल्यवर्धन होता रहे।

सेबी के लिस्टिंग रेगुलेशंस तथा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस संबंधी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए जारी दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसार नीचे एक रिपोर्ट दी गई है जो निदेशक रिपोर्ट का एक भाग है। इसके अलावा कारपोरेट गवर्नेंस के प्रावधानों के अनुपालन के लिए एक पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र भी शामिल किया गया है।

निदेशक मंडल

एमएमटीसी के निदेशक मंडल में कार्यकारी व गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। इस रिपोर्ट को जारी किए जाने की तिथि को निदेशक मंडल में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), दो पूर्णकालिक निदेशक(विपणन), एक पूर्णकालिक निदेशक(कार्मिक), एक पूर्णकालिक निदेशक(वित्त) सरकार द्वारा नामित दो अशंकालिक निदेशक तथा दो गैर–सरकारी अंशकालिक(स्वतंत्र) निदेशक हैं। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों में एमएमटीसी के समस्त निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर शेष सभी निदेशक क्रमवार रिटायर होते रहते हैं और प्रतिवर्ष कम से कम एक तिहाई रिटायर होते हैं तथा पात्र होने पर पुनः नियुक्ति पाते हैं।

फंक्शनल निदेशकों के मामले में निदेशक मंडल के सदस्य, निदेशक के पारिश्रमिक प्राप्त करने तथा स्वतन्त्र निदेशकों के मामलों में सिटिंग फीस के अतिरिक्त कंपनी के साथ अथवा इसके प्रोमोटर्स व इसकी सहायक कंपनियों के साथ ऐसा कोई विशेष आर्थिक संबंध अथवा लेनदेन नहीं रखते हैं जो निदेशक मंडल के विचार से निदेशकों के निर्णय की स्वायत्तता को प्रभावित कर सके।

वर्ष 2020–21 के दौरान निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार थी :–

क्र.स	निदेशक का नाम	कार्यकारी / गैर– कार्यकारी	धारित पद	31.03.2021 को निदेशक मंडलों में डायरेक्टरशिप की संख्या	31 मार्च 2021 को बोर्ड समितियों की संख्या जिसके सदस्य / अध्यक्ष हैं
1	श्री संजय चड्ढा	कार्यकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 1	सदस्य 1
2	श्री अश्विनी सोंधी 05.01.2021 तक	कार्यकारी	निदेशक (विपणन)	लागू नहीं	लागू नहीं
3	श्री उमेश शर्मा 05.01.2021 तक	कार्यकारी	निदेशक (वित्त)	लागू नहीं	लागू नहीं
4	श्री जी. मंजूनाथ	गैर कार्यकारी	पार्ट टाइम नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक	शून्य	अध्यक्ष – 1
5	डॉ. (सुश्री)स्वाधीनता कृष्णा	गैर कार्यकारी	पार्ट टाइम नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक	शून्य	सदस्य – 1 अध्यक्ष – 1
6	श्री शशांक प्रिया	गैर कार्यकारी	सरकार नामित निदेशक	निदेशक–6	सदस्य – 3 अध्यक्ष – 1
7	श्री श्यामल मिश्रा	गैर कार्यकारी	सरकार नामित निदेशक	निदेशक – 1	सदस्य – 2
8	श्री सुधांशु पांडे (13.05.2020 तक)	गैर कार्यकारी	सरकार नामित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं
9	श्री जे. रवि शंकर	कार्यकारी	निदेशक (विपणन)	अध्यक्ष– 2 निदेशक–3	शून्य
10	श्री आर आर सिन्हा	कार्यकारी	निदेशक (कार्मिक)	निदेशक– 2	शून्य
11	श्री कपिल कुमार गुप्ता	कार्यकारी	निदेशक (वित्त)	निदेशक–6	सदस्य – 1

*केवल लेखा परीक्षा समिति तथा सार्वजनिकों कंपनी के स्टेकहोल्डर्स की रिलेशनशिप समिति पर विचार किया गया है।

लागू नहीं – चूंकि इन निदेशकों की कंपनी मंडल से समयावधि समाप्त होना है अतः 31..03.2021 को इनकी परिसमाप्ति उपलब्ध नहीं है।

निदेशक मंडल में परिवर्तन (01.04.2020 से)

निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति की तारीख/ कार्यकाल की समाप्ति	परिवर्तन का विवरण
श्री सुधांशु पांडे	सरकार द्वारा नामित निदेशक	13.5.2020	कार्यकाल की समाप्ति
श्री संजय चड्ढा	सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार)	14.5.2020	नियुक्ति
श्री उमेश शर्मा	कार्यकारी (निदेशक – वित्त)	31.05.2020	कार्यकाल की समाप्ति
श्री कपिल कुमार गुप्ता	कार्यकारी (निदेशक – वित्त)	01.06.2020	नियुक्ति
श्री अश्विनी सोंधी	निदेशक (विपणन)	05.01.2021	कार्यकाल की समाप्ति
प्रदीप कुमार वर्मा	पार्ट टाइम नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक	13.11.2021	नियुक्ति

निदेशकों का पारिश्रमिक

एमएमटीसी भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसके निदेशक मंडल के सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके प्रशासनिक मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है। अन्य बातों के साथ–साथ इन पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक, संबंधित नियुक्ति आदेश/वेतन निर्धारण आदेशों के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं। एमएमटीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों को सामान्यतः भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के सेवाकाल या अधिवर्षिता आयु पूरी करने की तिथि तक अथवा सरकार के अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, नियुक्त किये जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार नियुक्त निदेशक किसी भी प्रकार की नोटिस अवधि/सेवरेंस फीस के पात्र नहीं होते हैं। निदेशक मंडल के फंक्शनल सदस्य लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यनिष्पादन से जुड़ा वेतन पाने के पात्र हैं। नॉन–आफिसियल अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक बोर्ड/बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रत्येक बैठक के लिए रु.15,000/– की दर से सिटिंग फीस का भुगतान पाने के पात्र हैं। किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक का कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक संबंध अथवा लेन–देन नहीं था।

वर्ष 2020–21 के दौरान सीएमडी सहित प्रत्येक फंक्शनल निदेशक को भुगतान किये गये पारिश्रमिक का विवरण निम्नलिखित है :–

निदेशक का नाम	वेतन तथा लाभ	वर्ष 2020–21' के दौरान कार्य– निश्पादन से जुड़ा वेतन	बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन सिवरेंस फीस	दिनांक 31.03.2021 को एममएटीसी के धारित भोयरों की संख्या
कार्यकारी निदेशक				
श्री कपिल कुमार गुप्ता	3073988	शून्य	शून्य	शून्य
श्री आर. आर. सिन्हा	3350865	शून्य	शून्य	शून्य
श्री अश्वनी सोंधी	*2750667	शून्य	शून्य	लागू नहीं
श्री उमेश शर्मा	*880078	शून्य	शून्य	लागू नहीं
श्री जे. रवि शंकर	3421420	शून्य	शून्य	शून्य

निदेशक मंडल की बैठकें

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में ही आयोजित की जाती हैं तथा उनके आयोजन की तिथि का निर्णय पर्याप्त समय रहते लिया जाता है। एमएमटीसी के निदेशक मंडल की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य आयोजित की जाती है। बोर्ड की बैठकों का संचालन निर्धारित कार्य–सूची के अनुसार होता है तथा बोर्ड का कोई भी सदस्य किसी भी मामले को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है। सभी मुख्य मुद्दों से संबंधित, अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों सहित विस्तृत कार्य–सूची दस्तावेज सदस्यों को पहले ही परिचालित कर दिए जाते हैं ताकि बोर्ड सूचनापरक तथा स्वतंत्र निर्णय ले सके।

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की छः बैठकें हुई, जो दिनांक 04.06.2020, 31.07.2020, 14.09.2020, 13.11.2020, 01.12.2020, और 15.01.2021 तथा 24.03.2020 को आयोजित की गईं। निदेशक मंडल की इन बैठकों तथा 24 दिसंबर 2020 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक से संबंधित निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	निदेशक का नाम	बोर्ड की उस अवधि में हुई बैठकों की संख्या जिसके दौरान बोर्ड के निदेशक थे	बोर्ड की बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे	दिनांक 24.12.2020 को आयोजित गत वार्षिक आम सभा में उपस्थिति
(क)	**फंक्शनल निदेशक**			
	श्री सुधांशु पांडे	शून्य	शून्य	हां
	श्री संजय चड्ढा	6	6	लागू नहीं
	श्री अश्वनी सोंधी	5	5	हां
	श्री जे. रवि शंकर	6	6	हां
	श्री उमेश शर्मा	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	श्री आर. आर. सिन्हा	6	6	हां
	श्री कपिल कुमार गुप्ता	6	6	हां
(ख)	**अंशकालिक पदेन निदेशक (सरकार द्वारा नामित)**			
	श्री शशांक प्रिया	6	6	नहीं
	श्री श्यामल मिश्रा	6	5	नहीं
(ग)	**गैर सरकारी आंकालिक (स्वतंत्र) निदेशक**			
	श्री जी. मंजूनाथ	6	5	हां
	डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा	6	6	हां

स्वतन्त्र निदेशकों की अलग बैठक

सेबी के (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) अधिनियम 2015, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नॉन–आफिसियल निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की भूमिका के बारे में डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार दिनांक 31.03.2021 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में तत्कालीन सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने वित्तीय वर्ष में होने वाली पहली बोर्ड की बैठक में इस बात की घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6), सिक्यूरीटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस तथा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम 2015 तथा कारपोरेट गवर्नेस के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए जाने के मानदण्डों को पूरा करते हैं।

कंपनी के व्यवसाय से परिचित होने तथा उनके द्वारा प्रभावी ढंग से काम करने के उद्देश्य से प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक को विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज द्वारा समय–समय पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी नामित किया जाता है। इन कार्यक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों के नामांकन का विवरण http://mmtclimited.com/pages/display/294.training.programme.for.directors पर उपलब्ध है।

बोर्ड के सदस्यों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 5 जून 2015 के परिपत्र द्वारा सरकारी कंपनियों को धारा 178(2) के प्रावधानों से छूट प्राप्त हो गई है। इसके प्रावधानों में निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समिति तथा नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन का तरीका बताया गया है। सेबी (एलओडीआर) के तहत भी इसी प्रकार की छूट अपेक्षित है। एमसीए के उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार सरकारी कंपनियों को धारा 134(3)(पी) से भी छूट दी गई है। इस धारा के अनुसार बोर्ड तथा इसकी समितियों/संबंधित निदेशक को बोर्ड रिपोर्ट में अपने कार्य निष्पादन के औपचारिक मूल्यांकन के तरीके का उल्लेख करना होता है, यदि निदेशकों का मूल्यांकन केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के अपने तरीके के अनुसार मूल्यांकन किया गया हो। इस संबंध में डीपीई ने फंक्शनल निदेशकों के कार्यनिष्पादन के मूल्याकंन का तंत्र निर्धारित कर दिया है। डीपीई ने स्वतंत्र निदेशकों के मूल्यांकन की शुरुआत कर दी है।

उल्लेखनीय है कि एमएमटीसी प्रत्येक वर्ष भारत सरकार (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) के साथ एमओयू हस्ताक्षर करती है जिसमें कंपनी के लिए मुख्य कार्यनिष्पादन पैरामीटर्स दिए जाते हैं। एमओयू के लक्ष्य कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन का एक अभिन्न अंग होते हैं तथा इन्हें

सभी निदेशकों के मूल्यांकन में शामिल किया जाता है। एमओयू में वित्तीय लक्ष्य, लागत कटौती लक्ष्य, सामुदायिक विकास एवं अन्य संबंधित कारक सहित सभी परिचालन तथा कार्यनिष्पादन के पैरामीटर्स कवर होते हैं। डीपीई वार्षिक आधार पर भारत सरकार के साथ हुए एमओयू से तुलना करते हुए कंपनी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करता है।

बोर्ड की समितियां

कंपनी के मामलों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने, अतिशीघ्र आधार पर विचार–विमर्श करने तथा निर्णय लेने के लिए निदेशक मंडल ने विभिन्न भूमिकाओं, जवाबदेही तथा प्राधिकारों के साथ निम्नलिखित समितियों का गठन किया है:

1. निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति
2. नामांकन व पारिश्रमिक निदेशक समिति
3. स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति
4 शेयर ट्रांसफर समिति
5 कार्मिक नीतियों पर निदेशकों की समिति
6 सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट कंपनियों पर निदेशकों की समिति
7. सीएसआर तथा सतत विकास पर निदेशकों की समिति
8 निदेशको की फंक्शनल मैनेजमेंट कमेटी
9. निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति

1. निदेशकों की लेखा–परीक्षा समिति

निदेशक मंडल द्वारा गठित लेखा परीक्षा समिति में दिनांक 31.03.2021 को दो अंशकालीन गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक तथा एक अंशकालिक (सरकार द्वारा नामित) निदेशक हैं। वर्ष के दौरान आयोजित समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक द्वारा की गई। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। लेखापरीक्षा समिति द्वारा लेखा–परीक्षा कार्यों का निरीक्षण, अति महत्वपूर्ण जॉच की पुनरीक्षा, लेखा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करना तथा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरणों को स्वीकृति प्रदान करना इसके प्रमुख कार्य हैं। लेखा परीक्षा समिति की भूमिका, कार्यक्षेत्र तथा प्राधिकारों में कंपनी अधिनियम 2013 तथा सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस तथा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स), विनियम 2015 ("लिस्टिंग विनियम") के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना भी शामिल है।

व र्ा 2020–21 में समिति की चार बैठकें आयोजित हुईं जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है:

क्र.सं.	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	31.7.2020	श्री शशांक प्रिया डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा	श्री मंजूनाथ जी.
2	14.9.2020	श्री शशांक प्रिया डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा	श्री मंजूनाथ जी.
3	3.11.2020	श्री शशांक प्रिया	सुश्री स्वाधीनता कृष्णा
4	1.12.2020	श्री शशांक प्रिया डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा	श्री मंजूनाथ जी.

लेखापरीक्षा समिति के विचार विमर्श में सहायता हेतु कंपनी के अन्य फंक्शनल निदेशक तथा सांविधिक लेखा परीक्षक भी उपरोक्त बैठकों में उपस्थित रहे। उपरोक्त बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

यह भी पुष्टि की जाती है कि लेखा परीक्षा समिति की ऐसी कोई भी सिफारिश नहीं थी जिसे बोर्ड ने स्वीकार न किया हो ।

2. निदेशकों की नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति

कंपनीज एक्त, 2013 के प्रावधानों और सूचीबद्ध विनियमों के लागू प्रावधानों के अनुसरण में निदेशको की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में अंशकालीन नॉन आफिसिएल (स्वतंत्र) निदेशक डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा अध्यक्ष तथा अंशकालीन नॉन आफिसिएल (स्वतंत्र) निदेशक श्री शशांक प्रिया 31.03.2021 को इसके सदस्य हैं। समिति डीपीई दिशा–निर्देशों, दिनांक 26 नवंबर 2008 के पार्ट डी की अनुसूची में सूचीबद्ध निर्देश के तहत कर्तव्यों और शक्ति प्रयोग करती है। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान समिति की एक बैठक हुई जिनका विवरण नीचे दिया गया है :–

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	31.3.2021	श्री शशांक प्रिया	डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा

बैठक के मिनट्स निदेशक मण्डल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए ।

3. स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति

निदेशक मंडल द्वारा गठित स्टेक होल्डर्स संबंध समिति की संरचना में 31.03.2021 को डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा, अंशकालीन गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक इसके अध्यक्ष हैं, श्री कपिल कुमार गुप्ता निदेशक (वित्त) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एमएमटीसी इसके सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं। समिति शेयरधारकों दूसरे निवेशकों की शिकायतों के समाधान के शीघ्र निपटान पर विचार और देखरेख करती है।

वर्ष 2020–21 के दौरान इस समिति की एक बैठक हुई, जिसका विवरण नीचे है :–

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	31.3.2021	श्री कपिल कुमार गुप्ता	डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान निवेशकों से प्राप्त शिकायतों का विवरण निम्नलिखित है: –

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.03.2020 को लंबित शिकायतों की संख्या
21	15	6

4. शेयर ट्रांसफर समिति

निदेशक मंडल द्वारा शेयर ट्रांसफर समिति गठित की गई है जिसमें एमएमटीसी के सभी फंक्शनल निदेशक इसके सदस्य हैं तथा कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं। समिति ने फिजीकल शेयर ट्रांसफर, रिमैट्रलाइजेशन तथा डिमैट्रलाइजेशन इत्यादि के अनुरोध पर शीघ्र विचार करके अपना अनुमोदन प्रदान करती है। वर्ष 2020–21 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

5. कार्मिक नीतियों पर निदेशकों की समिति

बोर्ड ने कार्मिक नीतियों की निदेशक समिति का गठन किया है जिसमें अंशकालीन नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक सुश्री स्वाधीनता कृष्णा इसके अध्यक्ष, अंशकालीन नॉन–आफिशियल(स्वतंत्र) निदेशक श्री जी. मंजूनाथ तथा एमएमटीसी के निदेशक(विपणन) श्री अश्वनी सोंधी इसके सदस्य हैं। यह समिति सेवा नियमों तथा अन्य कार्मिक नीतियों में परिवर्तन/बनाने पर विचार करने तथा उनके अनुमोदन की सिफारिश निदेशक मंडल को करती है। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित की गई

6. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा एसोसिएट कंपनियों पर निदेशकों की समिति

निवेशों/विनिवेशों पर विचार करने तथा अनुमोदन की सिफारिश करने, मौलिक मानदंडों/चार्टर/समझौते और उनमें निदेशक मंडल द्वारा किसी परिवर्तन की स्वीकृति और कार्यशील प्रबंधन के साथ पुनरीक्षा करने तथा एमएमटीसी के निवेश के संबंध में रणनीतिक मामलों पर सलाह देने और एमएमटीसी परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन/संयुक्त उद्यमों/एसोसिएट कंपनियों/विदेशी कार्यालयों/सहायक कंपनियों के लिए निदेशक मंडल ने "सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट कंपनियों" के लिए निदेशकों की समिति का गठन किया है।

31.03.2021 को एमएमटीसी के सीएमडी इस समिति के अध्यक्ष तथा अंशकालीन नॉन आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक, डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा, तथा श्री जे. रवि शंकर, निदेशक(विपणन) इसके सदस्य हैं। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

7. सीएसआर एवं सतत विकास पर निदेशकों की समिति

कंपनीज एक्ट, 2013 के प्रावधानों तथा डीपीई द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसरण में कारपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों की देखरेख तथा नियंत्रण हेतु समिति गठित की गई। 31.03.2021 को समिति की संरचना में श्री मंजूनाथ जी, अध्यक्ष के रूप में अंशकालिक नॉन–ऑफिसयल (स्वतंत्र) निदेशक के साथ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (का) इसके सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान इस समिति की नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एक बैठक बुलाई गई :–

क्र.सं.	बैठक की तारीख	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	16.2.2021	श्री आर. आर. सिन्हा श्री के.के.गुप्ता	श्री मंजूनाथ जी.

इस बैठक के मिनट्स निदेशक मण्डल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

8. निदेशकों की फंक्शनल मैनेजमेंट कमेटी

निदेशक मंडल द्वारा गठित निदेशकों की फंक्शनल मैनेजमेंट कमेटी में एमएमटीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष, सभी फंक्शनल निदेशक समिति के सदस्य तथा कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में शामिल हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013/अन्य विधिक प्रावधानों के अधीन विनिर्दिष्ट, निदेशक मंडल की बैठक में विचार एवं निर्णय लिए जाने वाले मामलों और/अन्य शेयरधारकों तथा अन्य विनिर्दिष्ट मामलों और बोर्ड द्वारा निर्णय अथवा विचारार्थ आरक्षित मामलों और एमएमटीसी के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 99 के अधीन

निदेशक मंडल द्वारा गठित किसी अन्य समिति द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को छोड़कर समय–समय पर निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को प्रदत्त शक्तियों के उपर सभी मामलों में निर्णय लेने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान समिति की सत्ताइस बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों के कार्यवृत्त निदेशक मंडल के सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

9. निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी के सभी फंक्शनल निदेशकों को सदस्य के रूप में तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को इसके अध्यक्ष के रूप में शामिल करते हुए अगस्त 2016 में निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई। यह समिति लिस्टिंग एग्रीमेंट तथा समय–समय पर संशोधित कानून के अन्य प्रावधानों में विनिर्दिष्ट भूमिका के तहत कार्य करेगी। श्री मंजूनाथ जी. अंशकालिक गैर सरकारी(स्वतंत्र) निदेशक सदस्य के रूप में शमिल थे। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव रहेंगे। वर्ष 2020–21 के दौरान इस समिति की नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एक बैठक बुलाई गई :–

क्र.सं.	बैठक की तारीख	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	31.3.2021	श्री आर आर सिन्हा श्री के.के. गुप्ता	श्री जे.रविशंकर

आम सभा बैठकें

कंपनी की आम वार्षिक बैठकें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के निकटवर्ती स्थान पर आयोजित की जाती हैं। विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित ऐसी बैठकों के विवरण नीचे दिये गए हैं :–

बैठक का प्रकार	तारीख व समय	पारित विशेष संकल्प
55वीं वार्षिक आम बैठक	28.09.2018 को 11:00 बजे	शून्श्य
56वीं वार्षिक आम बैठक	30.09.2019 को 11:30 बजे	शून्य
57वीं वार्षिक आम बैठक	24.12.2020 को 11:30 बजे	शून्य

प्रकटन

ए) निदेशक मण्डल के किसी भी सदस्य का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध अथवा लेन–देन नही है।

बी) विशेष रूप से संबंधित पक्षकारों के बीच कोई लेनदेन नहीं हुआ है अर्थात कंपनी का अपने प्रोमोर्ट्स, निदेशकों अथवा प्रबंधन, सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों इत्यादि के साथ ऐसी कोई महत्वपूर्ण प्रकृति का लेन–देन नहीं हुआ है जिससे कंपनी के हित प्रभावित होने की शंका हो। ''संबंधित पक्ष लेन–देन'' के अन्य विवरण वार्षिक रिपोर्ट में लेखों के भाग के नोट्स में प्रकट किये गये हैं।

सी) कंपनी के सीईओ सीएफओ सूचीबद्ध विनियम के विनियम 33 के अंतर्गत आवश्यक विशिष्ट मामले को प्रमाणित किया है।

डी) कंपनी ने इम्पलाइज स्टॉक आप्शन स्कीम को नहीं अपनाया है।

ई) कंपनी ने ''व्हिसल ब्लोअर पालिसी'' तैयार की है जिसे एमएमटीसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

एफ) कंपनी ने एक विजिल मैकेनिजम तैयार किया है जिसे कंपनी की वेवसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

जी) कंपनी पर स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकार का या किसी अन्य पूंजीबाजार से संबंधित मामले में इनके द्वारा कंपनी पर विगत तीन वर्षों के दौरान कोई जुर्माना या आक्षेप नहीं लगाया गया।

एच) सेबी (एलओडीआर) विनियमों, 2015 की अनुसूची V का भाग सी के खंड 9 (एन) के अनुसरण में, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक – सी पर सूचीबद्ध अस्तित्व के द्वारा वस्तु जोखिम दिए गए हैं।

सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के तहत, कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीएफओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को 27 अक्टूबर, 2021 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था और वही कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के साथ संलग्न (अनुलग्नक–ए) है।

सूचना के साधन

कंपनी के तिमाही, अर्ध–वार्षिक अनअंकेक्षित परिणामों को संबंधित अवधि की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर तथा कम्पनी के वार्षिक अंकेक्षित परिणामों को 60 दिनों के भीतर घोषित किया जाता है, जिन्हें प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है तथा कंपनी की वेबसाइट www.mmtclimited.com पर अपलोड किया जाता है।

शेयरधारकों की सूचना

(ए) वार्षिक आम बैठक

कंपनी की 58वी वार्षिक आम बैठक गुरुवार, दिनांक 23.12.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स

("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

(बी) वर्ष 2021–22 के लिए वित्तीय कैलेंडर

तिमाही के अंत के लिए तिमाही परिणामों को अपनाना	वित्तीय परिणाम अपनाने की अंतिम तिथि
30 जून 2021	14 अगस्त2021
30 सितंबर 2021	14 नवंबर 2021
31 दिसंबर 2021	14 फरवरी 2022
31 मार्च 2022	30 मई 2022

(सी) बुक क्लोजर की तिथियां

वार्षिक आम बैठक के लिए दिनांक 11.12.2021 से दिनांक 16.12.2021 (दोनों दिन शामिल हैं) तक शेयर अन्तरण पुस्तिकाओं तथा सदस्यों के रजिस्टर को बंद रखा जाएगा।

(डी) लाभांश भुगतान विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त लाभांश का विवरण इस प्रकार है:–

वर्ष	2017.18	2018.19	2019.20
दर	30 प्रतिशत	30 प्रतिशत	शून्य
दिनांक	20.10.2018	18.10.2019	शून्य

(ई) स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता कंपनी के शेयर बीएसई तथा एनएसई में सूचीबद्ध हैं। दोनों स्टॉक एक्स्चेंजों को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।

(एफ) बाजार–मूल्य डाटा वर्ष 2020–21 के दौरान मुंबई स्टॉक एक्सचेंज/एनएसई पर उद्धृत/व्यापार किए गए एमएमटीसी के स्क्रिप का माहवार बाजार भाव आंकड़ा नीचे दिया जा रहा है:

महीना	अधिकतम (रूपए)	न्यूनतम (रूपए)	महीना	अधिकतम (रूपए)	न्यूनतम (रूपए)
बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज			**नेशनल स्टॉक एक्सचेंज**		
अप्रैल 2020	15.95	12.00	अप्रैल 2020	15.90	12.05
मई 2020	15.77	13.20	मई 2020	15.80	13.05
जून 2020	17.85	15.15	जून 2020	17.85	15.10
जुलाई 2020	21.70	16.65	जुलाई 2020	21.65	16.60
अगस्त 2020	21.85	17.85	अगस्त 2020	21.90	17.80
सितंबर 2020	19.20	15.80	सितंबर 2020	19.20	15.70
अक्तूबर 2020	17.25	15.75	अक्तूबर 2020	17.25	15.75
नवंबर 2020	19.60	15.80	नवंबर 2020	19.75	15.75
दिसंबर 2020	27.75	18.55	दिसंबर 2020	27.75	16.80
जनवरी 2021	33.20	26.40	जनवरी 2021	33.20	26.20
फरवरी 2021	42.30	27.25	फरवरी 2021	42.30	27.70
मार्च 2021	52.55	40.15	मार्च 2021	52.55	40.20

रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट्स(आरटीए) : मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ–65 ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I, नई दिल्ली–110020 को दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से डिमैटरियलाइज्ड तथा फिजिकल दोनों प्रकार के शेयरों के लिए कंपनी का रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट नियुक्त किया गया है।

(एच) शेयरों का डिमैटरियलाइजेशन सीडीएसएल तथा एनएसडीएल द्वारा आईएसआईएन संख्या: आईएनई123एफ01029 के साथ, एमएमटीसी लिमिटेड के शेयर डिमैटरियलाइज्ड रूप में व्यापार करने हेतु स्वीकृत सिक्यूरिटी के रूप में स्वीकार किए गए।

31 मार्च, 2021 को एमएमटीसी लिमिटेड के 1/– रुपए प्रतिशेयर के अंकित मूल्य की दर से 150 करोड़ इक्विटी शेयरों में से 1348903143 शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर हैं और 151092112 शेयर डिमैटरियलाइज्ड रूप में अन्य के पास हैं, और केवल 4745 शेयर फिजिकल रूप में हैं।

(आई)शेयर अंतरण पद्धति कंपनी के शेयरों का ट्रांसफर इनके प्रस्तुत किए जाने पर मानक अवधि के भीतर हो जाता है। डिमैटरियलाइज्ड रूप में उपलब्ध शेयरों का अन्तरण डिपाजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा इलेक्ट्रोनिक फार्म में प्रोसेस तथा अनुमोदित किया जाता है। दिनांक 31.03.2021 को शेयर अन्तरण का कोई भी मामला लम्बित नहीं था। भौतिक रूप में शेयर

अंतरण सेबी द्वारा दिनांक 01.04.2019 से बंद कर दिया गया है। शेयर ट्रांसफर/ट्रांसमिशन शेयर अंतरण तथा निवेश संबंधी सभी मामले आरटीए कार्यालय अर्थात एमसीएस लिमिटेड द्वारा देखे तथा प्रोसेस किए जाते हैं।

(जे) दिनांक 31.03.2021 को शेयर होल्डिंग का वितरण : दिनांक 31.3.2021 की शेयरहोल्डिंग के वितरण का विवरण नीचे दिया गया है :–

श्रेणी कोड		शेयरहोल्डर की श्रेणी	शेयरहोल्डर्स की संख्या	कुल शेयरहोल्डिंग प्रतिशत में
(ए)	**प्रोमोटर तथा प्रोमोटर ग्रुप की शेयरहाल्डिंग**			
(i)	केंद्र सरकार	**1**	**1348903143**	**89.927**
(बी)	**पब्लिक शेयरहोल्डिंग**			
(ए)	केंद्र सरकार/राज्य सरकार	**1**	**10264**	**0.001**
(बी)	म्युचुअल फंड्स/ए आई एफ	**3**	**72709**	**0.005**
(सी)	वित्तीय संस्थान/बैंक	**1**	**632**	**0.026**
(डी)	बीमा कंपनीज	**6**	**60025104**	**4.002**
(ई)	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	**0**	**0**	**0**
	गैर–संस्थान			
(ए)	कारपोरेट निकाय	**617**	**4883720**	**0.326**
(बी)	व्यक्तिगत होल्डर्स जिनकी शेयर पूंजी 2 लाख रूपए तक है	**148206**	**83924318**	**5.595**
(सी)	यक्तिगत होल्डर्स जिनकी शेयर पूंजी 2 लाख रूपए से अधिक है	**1**	**296000**	**0.019**
(डी)	ट्रस्ट तथा फाउंडेशन	**7**	**22150**	**0.001**
(ई)	नॉन रेजिडेंट व्यक्ति	**1093**	**1819460**	**0.121**
(एफ)	आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	**2**	**42500**	**0.003**
	कुल	**149938**	**1500000000**	**100**

टिप्पणी : कोई भी जीडीआर/एडीआर/वॉरन्ट/परिवर्तनीय दस्तावेज बकाया नहीं है।

(के) 31.03.2021 को 10 सबसे बड़े शेयरधारक

क्र.सं.	नाम	शेयरों की संख्या	शेयरों का प्रतिशत
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	50909511	3.3940
2	यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी	3682471	0.2455
3	जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया	2760000	0.1840
4	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी	1712446	0.1142
5	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	675268	0.0450
6	रविकुमार रामकिशोर सनवल्का	296000	0.0197
7	ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि.	285408	0.0190
8	जयश्री चंद्रप्रकाश चोपड़ा	200000	0.0133
9	जीरोधा ब्रोकिंग	182692	0.0122
10	रामजी लाल लाढा एंड संस	173781	0.0116

(एल) 31.03.2021 को शेयरहोल्डिंग का वितरण

श्रेणी (शेयर)	शेयरों की संख्या	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत	शेयरधारकों की कुल संख्या	शेयरधारकों का प्रतिशत
1-500	16074916	1.0717	119451	79.5629
501-1000	11891327	0.7928	15066	10.0350

1001-2000	12421315	0.8281	8284	5.5177
2001-3000	7587159	0.5058	2908	1.9369
3001-4000	3770210	0.2513	1050	0.6994
4001-5000	4498471	0.2999	962	0.6408
5001-10000	10558468	0.7039	1437	0.9571
10001-50000	16875597	1.1250	884	0.5888
50001-100000	4538725	0.3026	65	0.0433
तथा इससे ऊपर	1411783812	94.1189	27	0.0180
कुल	1500000000	100	150134	100

(के) 31.03.2021 को शेयरधारकों का भौगोलिक वितरण

शहर	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
अहमदाबाद	6400	4.26	5310080	0.35
बंगलुरु	3840	2.56	2724063	0.18
भुवनेश्वर	442	0.29	228224	0.02
चंडीगढ़	551	0.37	330165	0.02
चेन्नई	3163	2.11	6940713	0.46
दिल्ली	15118	10.07	1356879007	90.46
गोहाटी	346	0.23	368282	0.02
हैदराबाद	3040	2.02	2396999	0.16
जयपुर	2760	1.84	1540194	0.10
कानपुर	993	0.66	557654	0.04
कोलकाता	4357	2.90	4499728	0.30
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई	17943	11.95	72139444	4.81
नागपुर	911	0.61	320257	0.02
एनसीआर	4402	2.93	3097399	0.21
पटना	757	0.50	317094	0.02
त्रिवेन्द्रम	225	0.15	101479	0.01
अन्य	84886	56.54	42249218	2.82

(एल) शेयरधारकों/अन्य निवेशकों की शिकायतें : –

शेयरधारकों/अन्य निवेशक अपनी शिकायत कम्पनी सचिव को ई–मेल आईडी ganarayanan@mmtclimited.com पर भेज सकते हैं।

(एम) बोर्ड सचिवालय

पत्राचार का पता :

एमएमटीसी लिमिटेड, कोर –1, स्कोप कॉम्पलेक्स,
7, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
लोदी रोड, नई दिल्ली –110003.
फोन संख्या : 011– 24361889 ई–मेल: ganarayanan@mmtclimited.com

कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट का अनुलग्नक–ए

सेबी (लिस्टिंग आब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के प्रावधानों के अनुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि:

ए) दिनांक 31.3.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों तथा नकद प्रवाह विवरणों की समीक्षा की गई है तथा अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार इस बारे में हमारा कहना है कि:

i. इन विवरणों में किसी भी तरह का असत्य कथन शामिल नहीं है अथवा न ही किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया गया है अथवा इसमें न ही ऐसे कथन शामिल हैं जो भ्रामक हो सकते हैं ;

ii. ये विवरण एक साथ कंपनी के मामलों के बारे में सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं और ये मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और नियमों के अनुपालन में हैं।

बी) हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया जो कंपनी की आचार संहिता के अनुसार धोखाधड़ी, अवैध अथवा उल्लंघन की श्रेणी में आता हो।

सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है तथा यदि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की संरचना अथवा परिचालन से संबंधित यदि कोई कमी हमारी जानकारी में आई है तो हमने उसकी सूचना लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को दे दी है। इसके अलावा हमने इन कमियों को दूर करने के उपाय किए हैं अथवा दूर करने का प्रस्ताव है।

डी) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित के बारे में बता दिया है :

i. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं तथा हमने इसका उल्लेख वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में कर दिया है; तथा

iii. हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी के ऐसे मामले, जिनमें प्रबंधतंत्र अथवा कोई कर्मचारी शामिल है तथा उनकी वित्तीय रिपोर्टिंग में कंपनी के आंतरिक नियंत्रण सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका है।

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
(कपिल कुमार गुप्ता)	**(जे रवि शंकर)**	**(आर.आर.सिन्हा)**	**(संजय चड्ढा)**
(निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ)	(निदेशक(विपणन)	(निदेशक(का.))	(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अति.प्रभार)

कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट का अनुलग्नक–बी

एमएमटीसी लिमिटेड की लाभांश वितरण नीति

I पृष्ठभूमि

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग आब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के विनियम 43ए के अनुसरण में बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष पॉच सौ सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए आवश्यक है कि (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को गणना की जाती है) वह लाभांश वितरण की एक पालिसी बनाए तथा उसकी सूचना अपनी वार्षिक रिपोर्ट में दें तथा उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे।

चूंकि एमएमटीसी 31 मार्च, 2016 के मानदंडों के अनुसार शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं में से एक है, इसलिए इसने लाभांश वितरण की पालिसी तैयार की है।

II पॉलिसी फ्रेमवर्क

पालिसी मोटे तौर पर कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय द्वारा "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिश्ठानों की पूंजी का पुनर्गठन" विशय पर जारी दिशानिर्देशों, लोक उदयम विभाग, सेबी द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों इत्यादि के अनुसार किया गया है।

III कारक जिनको विचार में लिया जाता है

एमएमटीसी लगातार लाभांश का भुगतान कर रहा है तथा यह अपने सभी स्टेकहोल्डर्स को सतत मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर, कंपनी के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में लाभांश घोषित किया जाता है। बोर्ड लाभांश की सिफारिश अपने विवेक के आधार पर करता है। बोर्ड अंतरिम लाभांश भी घोषित कर सकता है।

लाभांश भुगतान का निर्णय एक महत्वपूर्ण निर्णय है चूंकि ऐसा करते समय कंपनी के शेयरधारकों के बीच वितरित किए जाने वाले लाभ की राशि तथा कंपनी को अपने निरंतर विकास की योजनाओं में लगाई जाने वाली आंतरिक पूंजी के बीच संतुलन बनाना होता है। लाभांश की सिफारिश/घोषणा करने से पहले जिन कारकों पर विचार किया जाता है, वे इस प्रकार हैं:

ए. परिस्थितियां जिनके तहत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नही कर सकते हैं

लाभांश की सिफारिश करने से पहले बोर्ड द्वारा आमतौर पर जिन कारकों पर विचार किया जा सकता है, उनमें भविष्य की पूंजीगत व्यय योजना, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, वैकल्पिक स्रोतों से धन जुटाने की लागत, नकदी प्रवाह की स्थिति और समय–समय पर लागू दिशानिर्देशों के अधीन कर सहित लाभांश पर कर शामिल है परंतु केवल ये ही कारक विचारणीय नही हो सकते।

बी. लाभांश की घोषणा करते समय बी वित्तीय पैरामीटर पर विचार किया जाएगा

एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान होने के नाते, कंपनी का प्रयास रहता है कि वह भारत सरकार के डीआईएपीएम द्वारा "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की पूंजी की रिस्ट्रक्चरिंग" विषय पर जारी दिशानिर्देशों जिनके अनुसार प्रत्येक सीपीएसई को अपने पीएटी पर 30 प्रतिशत अथवा नेट–वर्थ पर 5 प्रतिशत इनमें से जो भी अधिक हो, की दर से लाभांश का भुगतान करना होता है बशर्ते कि मौजूदा कानूनी प्रावधान अधिकतम लाभांश के भुगतान की अनुमति देते हों।

फिर भी, कंपनी से अपेक्षा की जाती है कि वह उस अधिनियम, जिसके तहत उसका गठन हुआ है के अनुसार स्वीकार्य अधिकतम लाभांश का भुगतान कर सकती है। कम लाभांश का भुगतान तभी किया जा सकता है जब वाणिज्य एवं उदयोग मंत्रालय निम्नलिखित वित्तीय पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए मामले में उचित निर्णय ले:

(i) ऋण लेने के लिए नेटवर्थ और क्षमता;

(ii) दीर्घकालिक उधार;

(iii) कैपेक्स/व्यवसाय विस्तार की आवश्यकताएं;

(iv) कैपेक्स की आवश्यकताओं के अनुरूप आगे लाभ उठाने के लिए लाभ का रिटेंशन; तथा

(v) नकद और बैंक शेष।

सी. आंतरिक एवं बाहरी कारक जिन्हें लाभांश की घोषणा के लिए विचार के लिए शामिल किया जाएगा

सी.1 आंतरिक कारक

कंपनी की नेट वर्थ

भारत सरकार के डीआईपीएएम द्वारा जारी किए गए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक सीपीएसई को अपने पीएटी पर 30 प्रतिशत अथवा नेट–वर्थ पर 5 प्रतिशत इनमें से जो भी अधिक हो, की दर से लाभांश का भुगतान करना होता है बशर्ते कि मौजूदा कानूनी प्रावधान अधिकतम लाभांश के भुगतान की अनुमति देते हों। सरकारी कंपनी होने के नाते, एमएमटीसी के लिए इन दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

उपरोक्त मापदंडों के अलावा, कंपनी विभिन्न अन्य आंतरिक कारकों पर भी विचार कर सकती है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:

मौजूदा व्यवसायों की वर्तमान और भविष्य की पूंजी की आवश्यकताएं;

कंपनी का सहायक/असोसिएट्स में अतिरिक्त निवेश;

अन्य कोई कारक जिसे बोर्ड उचित समझे।

सी.2 बाहरी कारक

सी.2.1 आर्थिक परिदृश्य

आर्थिक अनिश्चितता अथवा मंदी तथा व्यावसायिक स्थिति के मामले में, कंपनी भावी उतार–चढ़ाव से निपटने के लिए रिजर्व में वृद्धि करने के लिए लाभ के बड़े हिस्से को रिटेन करने का प्रयास करेगी।

सी. 2.3 वैधानिक प्रावधान और दिशानिर्देश

कंपनी लाभांश की घोषणा के संबंध में कंपनी अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करेगी। इसके अलावा, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार अथवा अन्य सांविधिक निकायों द्वारा लाभांश घोषणा के संबंध मे समय–समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों पर भी विचार करेगी।

डी. रिटेंड अर्जन का उपयोग

कंपनी विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करती है तथा यह अपने व्यवसाय के विविधीकरण के उपायों के रूप में ऐसे संयुक्त उद्यमों में भागीदारी कर सकती है जो इसके व्यापार से मेल खाते हों। रिटेंड किए गए अर्जन को कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिए गए उद्देश्यों के अनुरूप लगाया जाएगा, जिससे कंपनी के कारोबार और परिचालन में वृद्धि होगी।

ई. विभिन्न वर्गों के शेयरों के संबंध में अपनाए जाने वाले पैरामीटर्स

रिकॉर्ड तिथि की स्थिति के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयरों के धारक लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं। चूंकि कंपनी ने समान वोटिंग अधिकारों के साथ केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर जारी किए हैं, इसलिए कंपनी के सभी सदस्य प्रति शेयर लाभांश की समान राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। किसी भी नए वर्ग के शेयरों के जारी होने की प्रकृति और दिशानिर्देशों के आधार पर इस नीति को समय–समय पर संशोधित किया जाएगा।

अन्य प्रावधान

यदि बाद में किसी भी वैधानिक अधिनियम, नियम, विनियम आदि में कोई परिवर्तन किया जाता है तथा ऐसे परिवर्तन का कोई प्रावधान वैधानिक अधिनियम, नियम, विनियम आदि के अनुरूप नही है तो उस स्थिति में परिवर्तित पालिसी की बजाय उक्त वैधानिक अधिनियम, नियम, विनियम के प्रावधान मान्य होंगे।

इस पालिसी में मामूली संशोधन/परिवर्तन सीएमडी के अनुमोदन से किया जा सकता है तथा वे इस पालिसी के संबंध में किसी भी व्याख्या के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट का अनुलग्नक – सी

1. जोखिम प्रबंधन नीतिः निदेशक मंडल ने कंपनी द्वारा किए गए व्यवसाय से जुडे विभिन्न जोखिमों की देखभाल के लिए निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित होने के बाद जोखिम प्रबंधन नीति को मंजूरी दी।

2. पूरे वर्ष के दौरान इकाई द्वारा सामना की जाने वाली कमोडिटी और कमोडिटी जोखिमों के लिए सूचीबद्ध इकाई का एक्सपोजर।

ए. भारतीय रुपये में वस्तुओं के लिए सूचीबद्ध इकाई का कुल एक्सपोजर और (बी) विभिन्न वस्तुओं के लिए सूचीबद्ध इकाई का एक्सपोजरः

31.03.2021 तक

कमोडिटी का नाम	विशेष कमोडिटी की ओर भारतीय करोड़ रू.में एक्सपोजर	विशेष कमोडिटी के प्रति मात्रा के लिए कि.ग्रा. में एक्सपोजर	कमोडिटी डेरिवेटिव्स के माध्यम से हेज्ड एक्सपोजर का :				
			घरेलू बाजार		अंतर्राश्टिय बाजार		कुल
			ओटीजी	एक्सचेंज	ओटीजी	एक्सचेंज	
सोना	14.83	33.00	-	100%	-	-	100%
चांदी	16.08*	3217.23	-	-	-	-	-

टिप्पणी :

1. चांदी की हेजिंग अक्टूबर 2018 से शुरू हुई

2. सिल्वर ओपन पोजीशन 3217.23 किलोग्राम है।

3. निगम द्वारा सामना किया जाने वाला कमोडिटी जोखिमः

4. बिंदु संख्या 2 पर उल्लिखित चांदी की मात्रा के अलावा मूल्य में उतार–चढ़ाव का जोखिम होता है जो कमोडिटी एक्सचेंज में कवर किया जाता है

*मूल्य की गणना डीआरओ खातों की पुस्तकों के अनुसार चांदी के मेडालियन/वस्तुओं के औसत मूल्य के अनुसार की गई है।

VAP & ASSOCIATES
Company Secretaries

Add: 387, First Floor, Shakti Khand-3,
Indirapuram, Ghaziabad-201010, U.P.
Tel: +91-0120-4272409
M: +91- 9910 091 070
+91- 9711 670 085
E-mail: vapassociatespcs@gmail.com

कॉरपोरेट गवरनेंस पर अनुपालन रिपोर्ट

सदस्यगण
एमएमटीसी लिमिटेड
कोर 1, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7, इंस्टीटयूटशनल एरिया
लोधी रोड
नई दिल्ली–110003

हमने 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि विनियम 17 से 27 और विनियम 46 (2) के खंड (बी) से (i) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम") और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट गवरनेंस पर दिशानिर्देशों में अनुसूची V के पैरा सी और सी (डीपीई) दिशानिर्देशों में निर्धारित है।

कॉरपोरेट गवरनेंस की शर्तों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा कॉरपोरेट गवरनेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो ऑडिट है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने 31 मार्च 2001 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित को छोड़कर, लिस्टिंग विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है :

1. बोर्ड की संरचना सेबी (एलओआरडी) विनियम 2015 के विनियम (17) (1) (बी) के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं थी, क्योंकि ऑडिट अवधि के दौरान बोर्ड के आधे हिस्से में बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार जहां निदेशक मंडल का नेतृत्व एक कार्यकारी अध्यक्ष करता है, स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड के सदस्यों 50% होनी चाहिए। हालांकि, कंपनी के बोर्ड में केवल दो स्वतंत्र निदेशक थे।
2. दिनांक 13.11.2020 को हुई लेखापरीक्षा समिति की बैठक में सदस्य उपस्थित थे, तथापि दो के स्थान पर केवल एक स्वतंत्र निदेशक उपस्थित था। कंपनी ने एक स्वतंत्र निदेशक की अनुपलब्धता के संबंध में पत्र दिनांक 3.2.2021 के माध्यम से एनएसई के स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है।

VAP & ASSOCIATES
Company Secretaries

Add: 387, First Floor, Shakti Khand-3,
Indirapuram, Ghaziabad-201010, U.P.
Tel: +91-0120-4272409
M: +91- 9910 091 070
+91- 9711 670 085
E-mail: vapassociatespcs@gmail.com

3 विनियमों के विनियम 33(3)(ए) के अनुसार वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने में देरी हुई क्योंकि 31.12.2020 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम 16.4.2021 को प्रस्तुत किए गए थे। कंपनी ने सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों से समय का विस्तार मांगा था।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही दक्षता और प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते वीएपी एंड एसोसिएट
कंपनी सचिव
एफआरएन : S2014UP280200
पीयर रिव्यू सं. 1083/2021

(पारूल जैन)
प्रोपराईटर
एम नं. F8323
सीपी नं. 13901

तिथि : 18.11.2021
स्थान : गाजियाबाद

एमएमटीसी लिमिटेड

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट वित्त वर्ष 2020–21

कंपनी के विषय में

एमएमटीसी श्रेणी–I का मिनी रत्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो 1963 में निगमित हुआ था। यह देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनियों में से एक है जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली–110 003 में है। भारत के प्रमुख शहरों में कंपनी के 05 क्षेत्रीय कार्यालय और 04 उप क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (एमटीपीएल) सिंगापुर है।

खनिजों का निर्यात और कीमती धातु, अलौह धातु, उर्वरक, कृषि उत्पाद, कोल व हाइड्रोकार्बन का आयात तथा सांची ब्रांड के चांदी के उत्पादों, इंडिया गोल्ड कॉयन, गोल्ड मैडालियन इत्यादि का घरेलू बिक्री कंपनी के प्रमुख कार्यकलाप हैं। एमएमटीसी इंजीनियरिंग उत्पादों का भी व्यवसाय करती है तथा स्टील रिटेलिंग, फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग तथा कमोडिटी एक्सचेंज के संयुक्त उद्यमों में भागीदारी है।

कंपनी के व्यापारिक कार्यकलाप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट के देशों में फैले हुए हैं।

मुक्त वातावरण में उभरते हुए अवसरों का लाभ उठाने के उदेद्श्य से एमएमटीसी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप(पीपीपी) के रूट को अपनाते हुए नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, टी एम माइनिंग कम्पनी लिमिटेड, सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड, फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि. तथा इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड आदि जैसे विभिन्न संयुक्त उपक्रमों को प्रोन्नत किया है।

कारपोरेट मिशन

भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी एवं एशिया की एक प्रमुख व्यापारिक कंपनी के रूप में एमएमटीसी का लक्ष्य है कि अपने शेयरहोल्डरों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों और समाज की संपूर्ण संतुष्टि के साथ–साथ अपने सभी कार्यकलापों में उत्कृष्टता द्वारा टिकाऊ एवं व्यवहार्य वृद्धि दर प्राप्त करते हुए अपनी स्थिति को और बेहतर बनाए।

कारपोरेट उद्देश्य

- विश्व स्तर पर व्याप्त व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के वातावरण में कार्यशील रहते हुए, विशेषकर थोक व्यापार (बल्क) के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर स्वयं को एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थपित कर नियोजित पूंजी से मिलने वाले रिर्टन में सुधार करना।
- खनिजों, धातुओं तथा बहुमूल्य धातुओं जैसे उत्पादों के व्यवसाय में देश की एकमात्र विशालतम कंपनी के स्थाान को बनाए रखना।
- व्यापार संबंधी संरचना के विकास को प्रोन्नत करना।
- मध्यम एवं लघु स्तर के उद्योगो को सहायक सेवाएं उपलब्ध करवाना।
- सभी श्रेणी के ग्राहकों को व्यावसायिकता व कुशलता के साथ उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करना।
- वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए कंपनी के भीतर कारगर व्यवस्था स्थापित करना।
- उच्चतर उत्पादकता प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की कुशलता को बढ़ाना।

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट – वित्त वर्ष 2020–21

2012 में आई भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड(सेबी) लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 55 के अनुसार बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष पांच सौ सूचीबद्ध कंपनियों के लिए वार्षिक व्यवसाय रिपोर्ट (बीबीआर) जारी करना आवश्यक हो गया है।

खण्ड एः कंपनी के बारे में सूचना

1. कंपनी का कारपोरेट आईडेंटिटी नम्बर (सीआईएन)
   एल 51909डीएल1963जी01004033
2. कंपनी का नाम
   एमएमटीसी लिमिटेड
3. पंजीकृत पता
   कोर – 1, स्कोप काम्पलेक्स
7. **इंस्टीटयूशनल एरिया, लोदी रोड नई दिल्ली – 110003**
4. वेबसाइट
   www.mmtclimited.com
5. ई मेल आईडी
   mmtc@mmtclimited.com

6 रिपोर्ट किया गया वित्त वर्ष

2020.21

7. क्षेत्र जिसमें कंपनी कार्यरत है (औद्योगिक कार्यकलाप कोडवार)

ट्रेडिंग

8. तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की सूची जिनका कंपनी निर्माण करती है या उपलब्ध कराती है। (तुलन पत्र के अनुसार)

(i) बुलियन

(ii) यूरिया

(iii) आयरन ओर

9. ऐसे स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जाती हैं

i. अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख 5 का विवरण दें)

1. सिंगापुर में एक सहायक कंपनी

ii. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या

भारत में 05 क्षेत्रीय कार्यालय

10. कंपनी द्वारा जिन बाजारों में आपूर्ति की जाती है – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय

एशिया, यूरोप, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा उत्तरी व दक्षिण अमेरिका

खण्ड बी : कंपनी के वित्तीय विवरण

1.	प्रदत्त पूंजी (भारतीय रुपये)	**150 करोड़**
2.	कुल कारोबार (भारतीय रुपये)	**26,381.16 करोड़**
3.	करोपरांत कुल लाभ 2015–16(आईएनआर)	**(769.69) करोड़**
4.	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में कुल बजटीय व्यय (प्रतिशत)	वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान एमएमटीसी को घाटा हुआ। तदनुसार, कंपनी अधिनियम–2013 की धारा 198 के अनुसार गणना की गई सीएसआर बजट यानी पिछले 3 वर्षो के औसत शुद्ध लाभ का 2% नकारात्मक था। इसलिए, वर्ष 2020–21 के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कोई वार्षिक सीएसआर बजट नही था।
5.	उपर्युक्त 4 में से जिन कार्यकलापों पर खर्च किया गया उसकी सूची।	वर्ष 2020–21 के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कोई वार्षिक सीएसआर बजट नही था। हालांकि, वित्त वर्ष 2019–20 के सीएसआर बजट से 96.46 लाख रुपये की राशि को आगे लाया गया जिसमें से 53.32 लाख रुपये पीएम केयर फंड में योगदान दिया गया, राजस्थान में जिला अस्पताल, बारां (एक आकांक्षी जिला) में प्रतीक्षालय के निर्माण के लिए 31.63 लाख रुपये और कौशल विकास परियोजना के लिए 1.50 लाख रूपये खर्च किए गए थे। उपरोक्त के अलावा, 2,82,546/– रुपये का स्वैच्छिक योगदान पीएम केयर फंड की ओर से वर्ष के दौरान कोविड–19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए बनाया गया था।

खण्ड सी : अन्य विवरण

1. **क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं ?**

जी हां, एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (विदेश में सहायक कंपनी)

क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं ? यदि हां तो ऐसी सहायक कंपनियों की संख्या बताएं।

– नहीं

2. **क्या कोई अन्य व्यक्ति (उदाहरणार्थ आपूर्तिकर्त्ता, वितरक आदि) जिनके साथ कंपनी व्यापार करती है, कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेते हैं ? यदि हां तो उक्त व्यक्तियों की प्रतिशतता को इंगित करें (30 प्रतिशत से कम, 30 से 60 प्रतिशत तक, 60 प्रतिशत से अधिक)**

– नहीं

खण्ड डी : बीआर सूचना

1. बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण

क. वर्ष 2020–21 के लिए बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण

डीआईएन संख्या – 07696766

नाम – श्री राजीव रंजन सिन्हा

पदनाम – निदेशक(कार्मिक)

ख. बीआर प्रमुख का विवरण

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	डीआईएन संख्या (यदि लागू है)	
2.	नाम	संजय कौल
3.	पदनाम	मुख्य महाप्रबंधक(कार्मिक)
4.	टेलीफोन नं.	011–24360365
5.	ई–मेल आईडी	skaul@mmtclimited.com

2. सिद्धांतवार (एनवीजी अनुसार) बीआर नीति/नीतियां (हॉ/नहीं में उत्तर दें)

सिद्धांत 1	–	नीतिपरक, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से बिजनेस संचालित किया जाना चाहिए।
सिद्धांत 2	–	बिजनेस को ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए जो सुरक्षित होने के साथ–साथ अपने जीवन चक्र के दौरान स्थाई बनी रहें।
सिद्धांत 3	–	बिजनेस सभी कर्मचारियों के कल्याण को प्रोन्नत करता हो।
सिद्धांत 4	–	बिजनेस को सभी स्टेकहोल्डर्स, विशेषकर पिछड़े कमजोर एवं अधिकारहीन आदि के हितों के प्रति संवेदनशील एवं जवाबदेह होना चाहिए।
सिद्धांत 5	–	बिजनेस को मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए एवं उन्हें प्रोन्नत करना चाहिए।
सिद्धांत 6	–	बिजनेस पर्यावरण का सम्मान, सुरक्षा करे तथा इसे बचाने के लिए प्रयास करें।
सिद्धांत 7	–	जनता एवं नियामक नीतियों को प्रभावित करते समय बिजनेस को जिम्मेदार तरीके से कार्य करना होगा।
सिद्धांत 8	–	बिजनेस समावेशी एवं समान विकास को प्रोन्नत करता हो।
सिद्धांत 9	–	बिजनेस अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारी से व्यवहार करते हुए उन्हें सम्मान देता हो।

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपके पास..... के लिए नीति/ नीतियां है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
2.	क्या पालिसी संबंधित स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श करके बनाई गई है ?	हां		हां	हां	हां			हां	
3.	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार है यदि हां तो स्पष्ट करें (50 शब्दों में)	नहीं		हां	हां	हां			हां	हां
4.	क्या बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया है? यदि हां तो क्या यह एमडी/मालिक/सीईओ/ उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है?	हां		हां	हां	हां			हां	
5.	नीति के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए क्या कंपनी में निदेशक मण्डल/निदेशक/ कर्मचारी की निर्दिष्ट समिति हैं?	हां		हां	हां	हां				

6.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक बताएं?	www.mmt-climited.com		www.mmt-climited.com						
7.	क्या नीति की सूचना आंतरिक व बाह्य सभी स्टेकहोल्डरों को औपचारिक रूप से दी गई है ?	हां		हां	हां	हां			हां	
8.	क्या कंपनी में नीति/नीतियों को लागू करने के लिए इन हाउस स्ट्रक्चर है?	हां		हां	हां	हां			हां	
9.	क्या कंपनी में स्टेकहोल्डरों की नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत को दूर करने के लिए कोई शिकायत निवारण व्यवस्था है?	हां		हां	हां	हां				
10.	क्या कंपनी ने इस नीति को सुचारू रूप से काम करने के लिए किसी आंतरिक अथवा स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आडिट/मूल्यांकन करवाया है?	हां		हां		हां				

2ए. यदि क्र.सं. 1 के लिए किसी भी सिद्धान्त का उत्तर नहीं में है तो कृपया उल्लेख करें कि उत्तर नहीं क्यों है : (2 विकल्पों तक टिक करें)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है									
2.	कंपनी ऐसी स्थिति में नहीं है जहां वह निर्धारित सिद्धांतों पर बनाई गई नीतियों को बनाकर लागू कर सके							✓		
3.	कंपनी के पास इस काम के लिए वित्तीय अथवा श्रम शक्ति के स्रोत उपलब्ध नहीं है									
4.	ऐसा अगले छः महीनों में कर लेने की योजना है									
5.	ऐसा अगले एक वर्ष में कर लेने की योजना है									
6.	अन्य कोई कारण (कृपया उल्लेख करें)									

3. बीआर से संबंधित सुशासन (गवर्नेंस)

कृपया यह बताएं कि निदेशक मंडल, बोर्ड समिति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी किस अंतराल पर कंपनी की बीआर परफारमेंस का जायजा लेते हैं। 3 मास की अवधि में, 3–6 मास की अवधि में, वार्षिक रूप से, 1 वर्ष से ज्यादा की अवधि में ?

एमएमटीसी के बोर्ड की कम से कम तीन माह के भीतर बैठक होती है। बोर्ड की बैठकों में स्ट्रक्चर्ड एजेंडा पर चर्चा होती है। सभी बड़े मामलों के लिए विस्तृत एजेंडा अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ पहले से ही जारी कर दिए जाते हैं जिससे कि बोर्ड मामले पर समुचित तथा स्वतंत्र निर्णय ले सके।

कंपनी के मामलों पर शीघ्र विचारार्थ तथा सही दिशा में निर्णय लेने के लिए बोर्ड ने विशेष भूमिका, दायित्व तथा शक्तियों से निहित विभिन्न समितियों का गठन किया है। शीर्ष प्रबंधन तीन माह में होने वाली बैठक में संगठन के कार्यनिष्पादन की पुनरीक्षा करता है। वर्ष 2020–21 के दौरान एमएमटीसी के प्रबंधतंत्र ने निम्नलिखित पर विचार विमर्श एवं समीक्षा की :

कारपोरेट योजना/एमओसी एण्ड आई के साथ मसौदा एमओयू

– /वेतन संशोधन/सक्सेशन प्लान/पीसीएमएम गैप विष्लेशण
– संयुक्त उद्यमों में एचआर से संबंधित मामले/निवेश की समीक्षा
– एनआईएनएल से संबंधित मामले
– वार्षिक बजट
– शेयर मूल्य तथा एमएमटीसी का शेयरधारिता पैटर्न
– अधिशेष निधियों के उपयोग की स्थिति
– वित्तीय विवरणों/परिणामों को मंजूरी
– वर्ष 2019–20 के लिए सीएसआर/बीबीआर पर वार्षिक रिपोर्ट
– कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अनुसार सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन

क्या कंपनी बीआर अथवा सस्टेनेबलटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट का अवलोकन करने के लिए कौन सा हाइपर लिंक उपलब्ध है? यह रिपोर्ट कितने अंतराल पर प्रकाशित की जाती है?

सेबी के आदेश (मैनडेट) के अनुसार मार्केट कैपिटल के आधार पर 500 शीर्ष कंपनियों को बीआरआर तैयार करनी होती है। एमएमटीसी टॉप 100 सूचीगत कंपनियों में नही होने के बावजूद वर्ष 2012–13 से बीआरआर नियमित रूप से प्रकाशित कर रही है। बीआरआर वार्षिक रिपोर्ट का भाग होती है तथा इसे आफिसियल वेबसाइट www.mmtclimited.com पर देखा जा सकता है।

संगठन यूनाइटेड नेशनल ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क (यूएनजीसीएन) का सदस्य भी है तथा वार्षिक आधार पर कम्यूनिकेशन ऑन प्रोग्रेस (सीओपी) प्रस्तुत करता है। यह यूएनजीसी की वेबसाइट पर हमारे सभी स्टेकहोल्डरों के लिए उपलब्ध है।

खण्ड ई – सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन

सिद्धांत 1 – व्यवसाय नैतिकता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही की नीतियों पर आधारित हो।

1. **क्या नैतिकता, रिश्वत तथा भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को ही कवर करती है?**

   जी हां। कंपनी का नैतिक आचार–व्यवहार विभिन्न नीति पहलों में परिलक्षित होता है। यद्यपि कर्मचारी आचरण, अनुशासन व अपील नियमों के अधीन संगठन के सभी स्तर के कर्मचारी आते हैं फिर भी वरिष्ठ प्रबंधन (बोर्ड स्तर के अधिकारियों सहित) के आचरण को संचालित करने के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबधन के लिए व्यापारिक आचार एवं नीतियों की संहिता के रूप में अलग से दिशा निर्देश हैं। इसके अतिरिक्त, नीतिगत बिजनेस, पालिसियों जैसे सत्यनिष्ठा समझौता, पैक्ट, व्हिसल ब्लोअर पालिसी तथा सिटीजन चार्टर लागू किए गए हैं।

   क्या यह ग्रुप/संयुक्त उद्यम/सप्लायरों/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य पर भी लागू होता है ?

   जी हां, सत्यनिष्ठा समझौता निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य के खरीद संबंधी टेंडरों के लिए अपनाया गया है, सिटीजन चार्टर के दायरे में वेंडर, क्रेता, सप्लायर, ठेकेदार आदि आते हैं जबकि आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) तथा व्हिसल ब्लोअर नीतियां और आडिट कमेटी सतर्कता तंत्र केवल कंपनी के कर्मचारियों के लिए है।

2. **पिछले वित्त वर्ष में स्टेकहोल्डरों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उनमें से कितने प्रतिशत का निपटान प्रबंधतंत्र द्वारा संतोषजनक रूप से किया गया? यदि कुछ है तो उसका 50 शब्दों में ब्यौरा दें।**

   वर्ष 2020–21 के दौरान सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर कुल 76 जन शिकायतें प्राप्त हुईं और सभी का निपटान कर दिया गया है।

सिद्धांत 2 – व्यापार ऐसा माल तथा सेवाएं प्रदान करें जो कि सुरक्षित तथा अपने जीवन चक्र में टिकाऊ हों।

एमएमटीसी मुख्यतः ट्रेडिंग कारोबार में होने के साथ–साथ स्वर्ण एवं चांदी के विभिन्न मूल्यवर्गों के मेडालियन का निर्माण भी करती है। एमएमटीसी जिन उत्पादों में ट्रेड करती है उनकी श्रेष्ठ गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ–साथ बीआईएस के अनुरूप मेडालियन के निर्माण को भी सुनिश्चित करती है।

सिद्धांत 3 – व्यापार कर्मचारियों के हितों का उन्नयन करने वाला हो।

1. **कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं**

   दिनांक 31.3.2021 को कुल कर्मचारी संख्या 702 (निदेशक मंडल स्तर के अधिकारियों सहित) है।

2. **कृपया अस्थायी/ठेके पर/कैजुअल आधार पर रखे गए कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

   कोई भी अस्थायी/संविदा कर्मचारी सीधे एमएमटीसी के रोल में नही लगाया गया था। हालाँकि, आवश्यकता के आधार पर, कुछ रखरखाव कार्य जैसे हाउसकीपिंग, सुरक्षा, बागवानी, बिजली की मरम्मत, फर्नीचर की मरम्मत आदि आउटसोर्स सेवाओं के माध्यम से किए जा रहे हैं।

3. **कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

   कुल स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या 137 है।

4. **कृपया दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

   दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या 15 है।

5. **क्या आपके संगठन में प्रबंधतंत्र द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कर्मचारी संघ है।**

   जी हां ।

6. **इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ में स्थायी कर्मचारियों की सदस्यता का क्या प्रतिशत है ?**

   100 प्रतिशत

7. कृपया पिछले वित्त वर्ष में बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें तथा इस वित्त वर्ष में लम्बित शिकायतों की संख्या का उल्लेख करें।

क्रम संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष में प्राप्त शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लम्बित शिकायतों की संख्या
1.	बाल मजदूरी/जबरन मजदूरी/अनैच्छिक मजदूरी	0	0
2.	यौन उत्पीड़न	0	0
3.	पक्षपाती रोजगार	0	0

8. पिछले वर्ष में आपके निम्नलिखित कर्मचारियों के कितने प्रतिशत कर्मचारियों को सुरक्षा व कार्यकुशलता को बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया गया।

लगातार बदलते व्यवसायिक परिदृश्य में कर्मचारियों के कौशल को और बढ़ाने/उन्नत करने की दिशा में, कंपनी की गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष के दौरान 232 (33.05) कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। देश में महामारी की स्थिति और इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, केवल ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (वेबिनार) आयोजित किए गए थे। कोई प्रत्यक्षा प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था। आयोजित प्रशिक्षण में कार्यात्मक और व्यवहारिक प्रशिक्षण दोनों शामिल थे। वेबिनार के लिए नियुक्त कर्मचारियों में अनुसूचित जाति से संबंधित 41 (17.67%) कर्मचारी, अनुसूचित जनजाति के 18 (7.76%) और 51 (21.98%) महिला कर्मचारी शामिल थे।

सिद्धांत 4 – व्यापार में सभी स्टेकहोल्डर्स के हितों का, विशेषकर उनका जो कि सुविधाहीन, असुरक्षित तथा जो हशिए पर हैं, का सम्मान करते हुए जवाबदेह होना चाहिए।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक तथा बाह्य स्टेकहोल्डरों को मैप कर लिया है? हां/नहीं

जी हां, कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद के वर्षों में विभिन्न समूह के स्टेकहोल्डर्स की पहचान की है और उनके साथ संपर्क बनाया है। आंतरिक स्टेकहोल्डर्स में कर्मचारी, शेयरहोल्डर्स तथा बाहरी में ग्राहक, समुदाय इत्यादि भाामिल हैं।

2. उपरोक्त में से क्या कंपनी ने सुविधाहीन, असुरक्षित तथा अधिकारहीन स्टेकहोल्डरों की पहचान की है?

जी हां। संगठन ने समुदाय के असुरक्षित तथा अधिकारहीन स्टेकहोल्डरों की पहचान की है तथा सीएसआर गतिविधियों द्वारा इनसे संपर्क बनाया है।

3. क्या कंपनी द्वारा सुविधाहीन, असुरक्षित तथा अधिकारहीन स्टेकहोल्डरों के साथ संपर्क बनाने के लिए कोई विशेष कदम उठाए हैं? यदि हां तो इसका पचास या अधिक शब्दों में ब्यौरा दें।

जी हां, समावेशी विकास को प्रोन्नत करने के लिए एमएमटीसी द्वारा एससी/एसटी/ ओबीसी/पीडब्ल्यूडी(विकलांग व्यक्ति)/भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निदेशों तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाता है। शिकायतों के पंजीकरण के लिए कारपोरेट कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायत रजिस्टर भी बनाए गए हैं। एससी/एसटी कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों/शिकायतों को शीघ्रता से निपटाने का प्रयास किया जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों की दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए भी पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को ऐसे कार्य दिए जाते हैं जो वे दक्षतापूर्ण तरीके से कर सकें। पहिया कुर्सी(व्हील चेयर) का प्रयोग करने वाले पी डब्ल्यूडी कर्मचारियों के सहज आवागमन के लिए कारपोरेट कार्यालय के मुख्य गेट पर एक स्थायी ढाल रास्ता(रैम्प) बनाया गया है।

कार्यालय भवन में मंजिलों की उदघोषण के लिए श्रव्य सूचक हैं। इनमें से कुछ में मंजिलों के लिए ब्रेल सिम्बल बटन हैं। साथ ही कार्यालय भवन में पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के लिए अलग से वॉशरूम है।

इसके अतिरिक्त, सुविधाहीन, असुरक्षित तथा अधिकारहीन स्टेकहोल्डर्स को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सीएसआर कार्यकलापों को नियोजित किया जाता है। स्थानीय सरकारी निकायों तथा क्षेत्र में कार्यरत एनजीओज़ के सहयोग से ऐसे स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर कार्य किया जाता है।

सिद्धांत 5. व्यवसाय में मानव अधिकारों का सम्मान तथा इन्हें प्रोन्नत किया जाना चाहिए।

1. क्या कंपनी की मानव अधिकार नीति केवल कंपनी तक ही सीमित है या इसमें ग्रुप/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/एनजीओ/अन्य भी शामिल हैं?

कंपनी यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कंपैक्ट नेटवर्क(यूएनजीसीएल) की सदस्य है और कम्युनिकेशन ऑन प्रोग्रेस(सीओपी) पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। यह यूएनजीसी की वेबसाइट पर सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए उपलब्ध है।

तथापि, एक सरकारी कंपनी होने के कारण एमएमटीसी भारत के संविधान जिसमें सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे का संकल्प है तथा जिसमें विश्वव्यापी मूल मानवाधिकार घोषणा में निदेशित मानव अधिकार महत्ता भी शामिल है, के प्रति निष्ठावान है। एमएमटीसी अपने कार्यस्थलों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानव अधिकारों का सम्मान कर उनकी सुरक्षा एवं सहयोग

के लिए प्रतिबद्ध है तथा यह सुनिश्चित करती है कि इसके कर्मचारी मूलभूत मानव अधिकार प्राप्त करें। एमएमटीसी में कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए "सहायता" के नाम से 03 स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था है। एमएमटीसी की प्रबंधन व्यवस्था में स्वास्थ्य, सुरक्षा, निवास तथा शिक्षा के लिए प्रावधान है। इन सभी को सर्वांगीण रूप से सुनिश्चित करने के लिए एमएमटीसी में पूरी व्यवस्था की गई है।

2. पिछले वित्त वर्ष में कितने स्टेकहोल्डरों से शिकायतें प्राप्त हुई तथा इनमें से प्रबंधतंत्र द्वारा कितने प्रतिशत का संतोशजनक निवारण किया गया?

शून्य

सिद्धांत 6. व्यवसाय में पर्यावरण का सम्मान, संरक्षण तथा इसके पुनः स्थापित किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

क्योंकि विनिर्माण एमएमटीसी का मुख्य कार्यकलाप नहीं हैं अतः इस पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता।

1. क्या नियम 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी में ही लागू होती है या फिर यह ग्रुप/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/एनजीओज/अन्य पर भी लागू है?

यूएन ग्लोबल काम्पैक्ट का सदस्य होने के नाते कंपनी पर्यावरणीय रूप से जवाबदेह तरीके से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

2. जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्वि (ग्लोबल वार्मिंग) आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मामलो के समाधान के लिए क्या कंपनी ने कोई रणनीति बनाई है/उपाय किए हैं ? यदि उत्तर हां है, तो कृपया वेब पेज आदि के हाईपरलिंक बताएं।

यद्यपि विनिर्माण एमएमटीसी की प्रमुख वाणिज्यिक गतिविधि नहीं है, फिर भी खनन क्षेत्रों में वृक्षारोपण, जनजाति क्षेत्रों में विकास तथा प्रचालन क्षेत्रों तथा इसके आसपास के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए और अपने सीएसआर कार्यक्रम के माध्यम से सतत पहलों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्व है। इसके अतिरिक्त यूएन ग्लोबल काम्पैक्ट के लिए सीओपी द्वारा अपनी विभिन्न पहलों के विषय में संस्थान नियमित रूप से सूचित करता है।

3. क्या कंपनी संभावी पर्यावरण जोखिमों को पहचान कर उनका मूल्यांकन करती है? हां/नहीं

यद्यपि संगठन सीधे किसी विनिर्माण से नहीं जुड़ा है, तथापि यह पर्यावरण के प्रति जवाबदेह तरीके से काम करता है। एमएमटीसी लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करती है। जिसके अनुसार पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित परियोजनाओं की पहचान किए जाने के साथ–साथ उनका कार्यान्वयन भी किया जाता है।

4. क्या कंपनी में क्लीन डेवलपमेंट मेकेनिज्म से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है ? यदि ऐसा है तो पचास या अधिक शब्दों में उसका विवरण दें। इसके अतिरिक्त यदि उत्तर हां है तो यह भी बताएं कि क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट फाइल की गई है ?

जी नहीं ।

5. क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी, ऊर्जा दक्षता, अक्षय ऊर्जा आदि के लिए कोई अन्य कदम उठाए है? हां/नहीं । यदि हां है तो वेब–पेज आदि का हाइपरलिंक बताएं।

एमएमटीसी पूरे संगठन में उर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा कुशल स्टार रेटेड उपकरणों का प्रयोग करती है।

एमएमटीसी ने अपने झंडेवालान स्थित क्षेत्रीय कार्यालय तथा एमएमटीसी आवासीय कालोनी, नई दिल्ली की छत पर 50 केडब्लयूपी का सोलर पावर प्लांट लगाए हैं।

6. क्या कंपनी द्वारा रिपोर्ट के इस वित्तीय वर्ष में उत्पन्न उत्सर्जन/वेस्टेज इत्यादि सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई निर्धारित सीमाओं के भीतर रहे हैं?

लागू नहीं।

7. समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त ऐसे कारण बताओ/वैधानिक नोटिसों की संख्या जो लंबित है (अर्थात संतोषजनक रूप से नहीं निपटाए गए)

लागू नहीं।

सिद्धांत 7. व्यवसाय यदि पब्लिक तथा नियामक नीति को प्रभावित करता है तो एक जिम्मेदार तरीके से करें।

1. क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड तथा चैम्बर अथवा एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां, तो कृपया केवल उन्ही मुख्य संघों का उल्लेख करें जिनसे आपके व्यवसाय का संबंध है ।

ए. सीआईआई

बी. एफआईईओ

सी.स्कोप

2. **क्या आपने जनकल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए उपरोक्त संघों के माध्यम से वकालत/प्रचार किया है? हां/नही; यदि हां तो मुख्य क्षेत्रों का उल्लेख करें (ड्राप बॉक्सः सुशासन व प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, दीर्घकालिक व्यापार सिद्धांत, अन्य)।**

संगठन ने उपरोक्त संघों के माध्यम से जन कल्याण से संबंधित किसी भी मामले के लिए वकालत/प्रचार नहीं किया है।

सिद्धांत 8. व्यवसाय को समावेशी विकास तथा न्यायसंगत विकास को प्रोन्नत करना चाहिए।

1. **क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 से संबंधित नीतियों के अनुसरण में विशिष्ट कार्यक्रम/पहल/प्रोजेक्ट बनाए है? यदि हां तो उसका विवरण दें।**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के सीएसआर नियमों तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी सीएसआर दिशा निर्देशों को भी एमएमटीसी ने अपनाया है। एमएमटीसी में अपनी कमाई के एक भाग को समाज के उत्थान के लिए सीएसआर गतिविधियों पर व्यय करने की एक स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया उपलब्ध है।

2. **क्या कार्यक्रम/प्रोजेक्टस/इन-हाउस टीम/अपनी संस्था/बाहरी एनजीओ/सरकारी स्ट्रक्चर/अन्य किसी संगठन द्वारा चलाए जाते हैं?**

एमएमटीसी की सीएसआर पर एक बोर्ड स्तरीय समिति है जिसमें सदस्य सचिव के रूप में कंपनी सचिव के साथ स्वतंत्र निदेशक और कार्यात्मक निदेशक शामिल हैं। सीएसआर उप-समिति द्वारा शुरू में विभिन्न सीएसआर प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है। उप-समिति की सिफारिश को निदेशक मंडल स्तर की सीएसआर समिति के समक्ष रखा जाता है जो स्वतंत्र रूप से उप-समिति द्वारा प्रस्तावित ऐसी परियोजनाओं की व्यवहार्यता पर विचार-विमर्श और मूल्यांकन करती है और उनकी संतुष्टि पर ही ऐसी परियोजनाओं को अनुसमर्थन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है। बोर्ड द्वारा इस प्रकार अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति सीएसआर समिति की सूचना के लिए रखी जाती है और जब कभी बुलाई जाती है।

जिस क्षेत्र में प्रोजेक्ट के तहत कार्य किया जाना है वहां के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय को स्वयं ही अथवा निजी/सार्वजनिक भागीदार के साथ मिलकर प्रोजेक्ट के निरीक्षण एवं कार्यान्वयन के निदेश दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाता है जिसका कार्य यह होता है कि वह प्रोजेक्ट के समय पर पूरा होने के लिए निगरानी रखे तथा प्रोजेक्ट के पूरा होने के बारे में कारपोरेट कार्यालय को अवगत कराए। प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के पश्चात इसका एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

3. **क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभावी मूल्यांकन किया है?**

एमएमटीसी द्वारा चलाई जा रही सीएसआर गतिविधियों के "सामाजिक प्रभाव" का मूल्यांकन करने के लिए इसका मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाता है।

4. **सामुदायिक विकास प्रोजेक्ट्स में आपकी कंपनी का क्या प्रत्यक्ष अंशदान है ? भारतीय रुपयों में राशि तथा किए गए प्रोजेक्ट्स का ब्यौरा दें।**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एमएमटीसी को 277.00 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। तदनुसार, कंपनी अधिनियम-2013 की धारा-198 के अनुसार गणना की गई सीएसआर बजट यानी पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभ का 2% औसत नकारात्मक था। इसलिए वर्ष 2020-21 के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कोई वार्षिक सीएसआर बजट नही था।

हालांकि, वित्त वर्ष 2019-20 का अव्ययित सीएसआर बजट रु. 96.46 लाख को वित्त वर्ष 2020-21 तक आगे बढ़ाया गया। वर्ष के दौरान, अग्रेशित सीएसआर निधि में से 53.32 लाख रू. पीएम केयर फंड में योगदान दिया गया। राजस्थान में जिला अस्पताल, बारां (एक आकांक्षी जिला) में प्रतीक्षालय के निर्माण के लिए 31.63 लाख रुपये तथा कौशल विकास परियोजना के लिए 1.50 लाख रू. खर्च किए गए थे।

उपरोक्त के अलावा, 2,82,546/- रुपये का स्वैच्छिक योगदान पीएम केयर फंड की ओर से वर्ष के दौरान कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए बनाया गया था।

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इस सामुदायिक विकास की पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक स्वीकार किया गया है? कृपया पचास या अधिक शब्दों में उल्लेख करें।**

एमएमटीसी की सीएसआर पहलों का उद्देश्य समुदाय आधारित ऐसे संगठनों को मजबूत बनाना है जो विकास की मुख्य धारा से बाहर रह गए लोगों विशेषकर महिलाओं, युवाओं तथा बच्चों की बेहतरी के लिए कार्य करती है। एमएमटीसी द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओ को पहले एक व्यावसायिक एजेंसी द्वारा की गई आवश्यकता निर्धारण सर्वेक्षण से चिन्हित किया जाता है तथा स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं की पहचान करने, इन कार्यान्वयन में उन्हें लगाने के साथ-साथ भविष्य की योजनाओं के लिए उनके फीडबैक प्राप्त करने के लिए स्थानीय समुदाय की भागीदारी को भी हम सुनिश्चित करते हैं।

सिद्धांत 9: व्यवसाय करते समय ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं को महत्व देते हुए जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए ।

1. **वित्तीय वर्ष के अंत तक कितने प्रतिशत ग्राहकों की शिकायतें/उपभोक्ताओं के मामले लम्बित हैं।**

   शिकायतों का निस्तारण कंपनी की नीति के अनुसार किया जा रहा है।

2. **स्थानीय कानूनों के अनुसार दी जाने वाली वैधानिक सूचना के अतिरिक्त भी क्या कंपनी अपने उत्पाद के लेबल पर उत्पाद से संबंधी सूचना छापती है? हां/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणियां (अतिरिक्त सूचना)।**

   कंपनी सिल्वर व गोल्ड मेडालियन तथा सांची ब्रांड नाम से सिल्वर मेडालियन तथा सिल्वरवेयर की खुदरा (रिटेल) बिक्री करती है। इन वस्तुओं की पैकेजिंग पर संबंधित उत्पाद सूचना दी गई होती है। इसके अतिरिक्त इन वस्तुओं पर बार कोडिंग भी हैं।

3. **क्या कंपनी के विरूद्ध किसी स्टेकहोल्डर ने अनुचित व्यापारिक गतिविधि, गैर–जिम्मेदाराना विज्ञापन तथा/अथवा गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के लिए पिछले पांच वर्षों में कोई शिकायत की है तथा जो इस वर्ष में भी लम्बित है? यदि हां तो पचास या अधिक शब्दों में उत्तर दें।**

   इस प्रकार का कोई भी मामला निपटान के लिए लंबित नही है।

4. **क्या आपकी कम्पनी ने कोई उपभोक्ता सर्वे/उपभोक्ता संतुष्टि रूझान का आकलन किया है?**

   जी नहीं

****

CS VAP & ASSOCIATES
Company Secretaries

Add: 387, First Floor, Shakti Khand-3,
Indirapuram, Ghaziabad-201010, U.P.
Tel: +91-0120-4272409
M: +91- 9910 091 070
+91- 9711 670 085
E-mail: vapassociatespcs@gmail.com

सेक्रेटेरियल आडिट रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

ख्कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2014(1) तथा कंपनीज नियमावली, 2014
(अपाइंटमेंट एंड रेमुनरेशन आफ मैनेजरियल पर्सनल) के नियम संख्या 9 के अनुसरण में),

सदस्य
एमएमटीसी लिमिटेड
कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स
7, इंस्टिट्यूशनल एरिया
लोधी रोड
नई दिल्ली – 110 003

हमने एमएमटीसी लिमिटेड (CIN L51909DL1963GOI004033) (इसके बाद 'कंपनी' कहा गया है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रेक्टिस के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सेक्रेटेरियल ऑडिट इस तरीके से किया गया था जिससे हमें कॉरपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

ए. कंपनी की पुस्तकों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, फॉर्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर और कंपनी, उसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2021 (लेखा परीक्षा अवधि) को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है, साथ ही कंपनी में वर्तमान में उचित बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन तंत्र है जिसकी सीमा तथा विस्तार नीचे दिया जा रहा है।

(i) दि कंपनीज एक्ट, 2013 (दि एक्ट) तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) दि सिक्युरिटीज कांट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1956 ('एससीआरए') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;

(iii) दि डिपाजिटरीज एक्ट, 1996 तथा इसके अधीन बनाए गए विनियम तथा नियम;

(iv) फारेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 तथा इसके अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक उधार के संबंध में बनाए गए नियम तथा विनियम

(v) सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया एक्ट, 1992 (सेबी एक्ट) के तहत बनाए गए निम्नलिखित विनियम तथा दिशा–निर्देश:

ए) दि सिक्युरिटीज एंड एक्स्चेंज बोर्ड आफ इंडिया(लिस्टिंग आब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015;

VAP & ASSOCIATES
Company Secretaries

Add: 387, First Floor, Shakti Khand-3,
Indirapuram, Ghaziabad-201010, U.P.
Tel: +91-0120-4272409
M: +91- 9910 091 070
+91- 9711 670 085
E-mail: vapassociatespcs@gmail.com

बी) दि सिक्युरिटीज एंड एक्स्चेंज बोर्ड आफ इंडिया (इश्यु एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्युरिटीज) रेगुलेशंस, 2018 (ऑडिट अवधि के दौरान लागू नहीं था)

सी) दि सिक्युरिटीज एंड एक्स्चेंज बोर्ड आफ इंडिया(सब्सटेंशिएल एक्विजिशन आफ शेयर्स एंड टेक. ओवर्स) रेगुलेशंस, 2011;

डी) दि सिक्युरिटीज एंड एक्स्चेंज बोर्ड आफ इंडिया(बॉयबैक ऑफ सिक्युरिटीज) रेगुलेशंस, 2018; (ऑडिट अवधि के दौरान लागू नहीं था)

ई) दि सिक्युरिटीज एंड एक्स्चेंज बोर्ड आफ इंडिया (शेयर बेस्ड एम्पलाई बेनिफिट्स) रेगुलेशंस, 2014 (ऑडिट अवधि के दौरान लागू नहीं था)

एफ) दि सिक्युरिटीज एंड एक्स्चेंज बोर्ड आफ इंडिया(इश्यु एंड लिस्टिंग आफ डेट सिक्योरिटी) रेगुलेशंस, 2008 ; (समीक्षा अवधि के दौरान लिस्टिड इकाई पर लागू नही)(ऑडिट अवधि के दौरान लागू नहीं था)

जी) दि सिक्युरिटीज एंड एक्स्चेंज बोर्ड आफ इंडिया(नॉन कन्वर्टीबल एंड रिडीमेएबल प्रिफ्रेंस शेयर जारी व लिस्टिंग करना) रेगुलेशंस, 2013; (ऑडिट अवधि के दौरान लागू नहीं था)

एच) दि सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया(प्रोहिबिशन आफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेगुलेशंस, 2015;

आई) दि सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया(डिलिस्टिंग आफ ईक्विटी शेयर) रेगुलेशंस, 2009;(ऑडिट अवधि के दौरान लागू नहीं था)

जे) दि सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया (रजिस्ट्रार टू एन इस्यू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंटस्) रेगुलेशन 1993 कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंध में और जारी की गई प्रतिभूतियों की सीमा तक ग्राहक के साथ डीलिंग करना;

(vi) कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली के संबंध में, कंपनी के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई रिपोर्ट और कंपनी सचिव विभाग द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रमाण पत्रों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने आम तौर पर उन अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया है जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, आदि कंपनी के लिए उनकी प्रयोज्यता की सीमा तक कंपनी पर शामिल हैं, लागू होते हैं,। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के कंपनी द्वारा किए गए अनुपालन की इस लेखापरीक्षा में समीक्षा नहीं की गई है, क्योंकि यह ऊपर उल्लिखित पैरा बी.में विभिन्न प्रावधानों के तहत अनिवार्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षक और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन है।

सी. हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

I इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी निदेशक मंडल (एसएस –1) और सामान्य

VAP & ASSOCIATES
Company Secretaries

Add: 387, First Floor, Shakti Khand-3,
Indirapuram, Ghaziabad-201010, U.P.
Tel: +91-0120-4272409
M: +91- 9910 091 070
+91- 9711 670 085
E-mail: vapassociatespcs@gmail.com

बैठक (एसएस –2) की बैठकों के संबंध में सचिवीय मानक।

II कंपनी द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई के साथ सूचीबद्ध करार।

डी. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने आम तौर पर निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

क) बोर्ड की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(बी) के तहत प्रावधानों के अनुपालन में नहीं थी, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बोर्ड के आधे हिस्से में बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं हैं।

ख) 13.11.2020 को हुई लेखा परीक्षा समिति की बैठक में दो सदस्य उपस्थित थे, हालांकि, दो के बजाय केवल एक स्वतंत्र निदेशक मौजूद था। कंपनी ने एक स्वतंत्र निदेशक की अनुपलब्धता के संबंध में एनएसई को पत्र दिनांक 03.02.2021 के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है।

ग) विनियमों के विनियम 33(3)(ए) के अनुसार वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने में देरी हुई क्योंकि 31. 12.2020 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम 16.04.2021 को प्रस्तुत किए गए थे। कंपनी ने सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों से समय बढ़ाने की मांग की थी।

घ) डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार जहां निदेशक मंडल का नेतृत्व एक कार्यकारी चेयरमैन करता है, स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड के सदस्यों का कम से कम 50% होनी चाहिए। हालांकि, कंपनी के बोर्ड में केवल दो स्वतंत्र निदेशक थे।

हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

I. कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन नहीं किया गया है क्योंकि स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के अभाव में कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देशों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

II. सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स आम तौर पर कम से कम सात दिन पहले भेजे गये थे और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद होती है।

III. बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय बहुमत से किए जाते हैं जैसा भी मामला हो, जैसा कि निदेशक मंडल या बोर्ड की समिति की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाता है,

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्राप्त जानकारी और बनाए गए रिकॉर्ड के आधार पर कंपनी में लागू

VAP & ASSOCIATES
Company Secretaries

Add: 387, First Floor, Shakti Khand-3,
Indirapuram, Ghaziabad-201010, U.P.
Tel: +91-0120-4272409
M: +91- 9910 091 070
+91- 9711 670 085
E-mail: vapassociatespcs@gmail.com

कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त सिस्टम और प्रक्रियाएं हैं।

टिप्पणियां:

ए) इस रिपोर्ट को हमारे सम तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जिसे "अनुलग्नक ए" के रूप में संलग्न किया गया है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

बी) कोविड–19 महामारी के बीच प्रतिबंधित आवाजाही के कारण, हमने सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की जिसमें कार्यवृत्त, दस्तावेजों, रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों आदि सहित सचिवीय अभिलेखों की जांच की और उनमें से कुछ कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्राप्त हुए और मूल रिकार्ड से सत्यापन नहीं किया जा सका। प्रबंधन ने पुष्टि की है कि हमें जो रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए हैं वे सच्चे और सही हैं।

कृते वीएपी एंड असोसिएट्स
कंपनी सचिव
एफआरएन संख्या: S2014UP280200
पीआर संख्या:1083 / 2021

पारूल जैन
प्रोपराईटर
एम नं. एफ8323
सीपी नं.13901

स्थान : गाजियाबाद
दिनांक : 26.10.2021

VAP & ASSOCIATES
Company Secretaries

Add: 387, First Floor, Shakti Khand-3,
Indirapuram, Ghaziabad-201010, U.P.
Tel: +91-0120-4272409
M: +91- 9910 091 070
+91- 9711 670 085
E-mail: vapassociatespcs@gmail.com

'अनुलग्नक 'ए'

सदस्य
एमएमटीसी लिमिटेड
कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स
7, इंस्टिट्यूशनल एरिया
लोधी रोड
नई दिल्ली – 110 003

हमारी समदिनांक की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए :

1. सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड के रख–रखाव की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने लेखा परीक्षण के आधार पर इन सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड पर अपना मत जाहिर करें।

2. हमने सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड की सामग्री की यथार्थतता के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित आडिट प्रेक्टिस तथा प्रक्रियाओं को अपनाया है। सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हो, इसके लिए हमने टैस्ट के आधार पर जांच की है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया तथा परंपरा हमारे मत के औचित्य का आधार है।

3. हमने समीक्षाधीन अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर भरोसा किया है। अतः हमने कंपनी की सां. विधिक अनुपालनों की यथार्थतता तथा औचित्य की जांच नमूने के आधार पर की है। उनकी रिपोर्ट में योग्यता/टिप्पणियां इस रिपोर्ट का भी अभिन्न अंग है!

4. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्ड तथा लेखा पुस्तिकाओं की यथार्थतता व उपयुक्तता की जांच नहीं की है।

5. जहां भी आवश्यक हुआ हमने कानूनों, नियमों तथा विनियमों तथा घटनाओं इत्यादि के बारे में प्रबंधतंत्र से स्पष्टीकरण प्राप्त किया है।

6. कारपोरेट तथा अन्य लागू नियम, कानून, विनियम, स्टैंडर्ड के प्रावधानों को सुनिश्चित करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच टेस्ट के आधार पर किए गए परीक्षण तक सीमित है।

7. भारत में आम तौर पर स्वीकृत प्रेक्टिस के अनुसार किए गए कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, हमें न तो कंपनी पर या कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का कोई उदाहरण मिला है और वर्ष के दौरान न ही कंपनी ने इस तरह के किसी भी मामले को नोटिस और रिपोर्ट किया है। और तदनुसार कंपनी ने हमें ऐसे किसी मामले के बारे में सूचित नहीं किया है।

कृते वीएपी एंड असोसिएट्स
कंपनी सचिव
एफआरएन संख्याः S2014UP280200
पीआर संख्याः1083/2021

पारूल जैन
प्रोपराईटर
एम नं. एफ8323
सीपी नं.13901

स्थान : गाजियाबाद
दिनांक : 26.10.2021

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधतंत्र का उत्तर

लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधतंत्र का उत्तर
1. बोर्ड की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(बी) के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं थी, क्योंकि ऑडिट अवधि के दौरान बोर्ड के आधे हिस्से में बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं हैं।	कंपनी के एओए के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। कंपनी नियमित रूप से प्रशासनिक मंत्रालय के साथ फोलो अप कर रही है।
2. दिनांक 13.11.2020 को हुई लेखापरीक्षा समिति की बैठक में दो सदस्य उपस्थित थे, तथापि दो के स्थान पर केवल एक स्वतंत्र निदेशक उपस्थित था। कंपनी ने एक स्वतंत्र निदेशक की अनुपलब्धता के संबंध में एनएसई को पत्र दिनांक 03.02. 2021 के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है।	चूंकि दो स्वतंत्र निदेशकों में से एक अपने स्तर पर तकनीकी समस्या के कारण भाग नहीं ले सका, लेखापरीक्षा समिति की उक्त बैठक शेष दो सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई थी और समिति के सदस्यों द्वारा कार्यवृत्त पर सहमति व्यक्त की गई है।
3. विनियमों के विनियम 33(3)(ए) के अनुसार वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने में देरी हुई क्योंकि 31.12.2020 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम 16.04.2021 को प्रस्तुत किए गए थे। कंपनी ने सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों से समय बढ़ाने की मांग की थी।	जेवी कंपनी–एनआईएनएल, जिसका एमएमटीसी एक प्रमुख प्रमोटर है, में भारी निवेश को देखते हुए, एनआईएनएल के खातों के निष्कर्ष ने एमएमटीसी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट का गठन किया। कोविड–19 महामारी और एनआईएनएल के इस्पात संयंत्र के कार्यों की समाप्ति और लॉकडाउन और अशांति के कारण, 2019–20 के लिए इस संयुक्त उद्यम कंपनी के खातों में देरी हुई है। इसका एमएमटीसी लिमिटेड के खातों पर असर पड़ा। इसलिए, स्टॉक एक्सचेंजों से इस संबंध में जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया गया है।
4. डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार जहां निदेशक मंडल का नेतृत्व एक कार्यकारी अध्यक्ष करता है, स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड के सदस्यों का कम से कम 50% होनी चाहिए। तथापि, कंपनी के बोर्ड में केवल दो स्वतंत्र निदेशक थे।	ऊपर (1) के अनुसार उत्तर दें।

फार्म नं. ए.ओ.सी. 2

अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में उल्लिखित संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान किए गए ठेकों/व्यवस्थाओं के विवरण के खुलासे का फार्म, जिसमें उसके (तीसरे पंरतुक) के अंतर्गत दो पार्टियों द्वारा अपने–अपने हित के लिए किए गए स्वतंत्र एवं असंबंधित लेन–देन (आर्म्स लेन्थ ट्रांजेक्शंस) भी शामिल हैं

संबंधित पार्टी का नाम	एमएमटीसी पैंप इंडिया प्रा. लि.	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि., सिंगापुर	नीलाचल इस्पात निगम लि.
1. आर्म्स लेंथ के आधार पर नहीं किए गए करार या व्यवस्था या लेन–देन			
(ए) संबंध का स्वरूप	संयुक्त उपक्रम	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	संयुक्त उपक्रम
(बी) ठेकों/व्यवस्थाओं/लेन–देन का स्वरूप	बुलियन व मिंटेड उत्पादों की बिक्री, रिफाइनिंग एंड जॉब वर्क	एमटीपीएल सिंगापुर ने एमएमटीसी के साथ लॉट–वार/लदान– वार बिक्री/ खरीद का करार किया, जिसमें एमटीपीएल विक्रेता और एमएमटीसी क्रेता है। इसी प्रकार, अन्य बोलीदाताओं के साथ एमटीपीएल वैश्विक निविदाओं में भी भाग लेती है, जिसमें एमएमटीसी के एक डब्ल्यूओएस होने के नाते उसे ईएमडी, परफॉर्मेंस बॉंड गारंटी देने और केवाईसी नियमों से छूट है, जबकि अन्य बोलीदाताओं पर यह लागू है।	मै.आईपीआईसीओएल के जरिए एक मैनेजिंग प्रमोटर के रूप में एमएमटीसी की 49.78 प्रतिशत तक इक्विटी की भागीदारी के बारे में एमएमटीसी तथा ओडिशा सरकार के बीच शेयरधारकों का करार है। साथ ही, तैयार माल की बिक्री/खरीद पर एमएमटीसी और एनआईएनएल के बीच सहमति से 06–08–1999 को करार पर हस्ताक्षर किए गए जो 22–06–2012 को यथा संशोधित ।
(सी) ठेकों/ व्यवस्थाओं /लेन–देन की अवधि	एमओयू के अनुसार	चालू आधार पर, जब तक बिक्री और खरीद की मांग बनी रहती है।	चालू आधार पर, जब तक बिक्री और खरीद की मांग बनी रहती है या एनआईएनएल के विनिवेश इनमें से जो भी पहले हो।
(डी) ठेकों या व्यवस्थाओं या लेन–देन की प्रमुख शर्तें, जिनमें मूल्य शामिल है, यदि कोई हो	एमपीआईपीएल के साथ नवीनतम हस्ताक्षरित एमओयू की प्रमुख शर्तें हैं— 1) एमएमटीसी समय–समय पर पूरे भारत में स्थित एमपीआईपीएल के विभिन्न स्थानों से बुलियन के स्टॉक्स (995 शुद्धता वाले किलोग्राम के स्वर्ण बार या 999 शुद्धता वाले 100 ग्राम के स्वर्ण बार और 0.999 फाइन शुद्ध ता वाले चांदी के बार) को प्रत्येक स्थान लिए एमपीआईपीएल द्वारा यथा–निर्धारित प्रीमियम पर खरीदने का इरादा इंगित कर सकती है। 2) एमएमटीसी कारपोरेट आफिस सीबीओ के विधिवत प्राधिकृत कार्मिक एमपीआईपीएल के मूल्य निर्धारण डेस्क के साथ सभी बुलियन का मूल्य निर्धारित करेंगे। न्यूनतम निर्धारण लॉट स्वर्ण बार के लिए 1 कि.ग्रा. और चांदी बार के लिए 100 कि. ग्रा. होगा। 3) एमपीआईपीएल समय समय पर एमएमटीसी से सोने/चांदी खरीद सकती है। मूल्यः 109.03 करोड़ रुपए	जैसा ऊपर (बी) में दिया गया है । मूल्यः 1.74 करोड़ रुपए	मैसर्स आईपीआईसीओएल के माध्यम से एमएमटीसी तथा ओडिशा सरकार के बीच शेयर धारकों का समझौता हुआ जिसमें इन संभावनाओं का पता लगाया जाएगा कि एमएमटीसी प्लांट के लिए परस्पर सहमत शर्तो पर कच्चा माल तथा कन्ज्यूमेब्लस सप्लाई करेगी, एमएमटीसी तथा एनआईएनएल के बीच परस्पर सहमत शर्तों पर संयुक्त उद्यम की कंपनी के उत्पाद की घरेलू बिक्री तथा निर्यात करेगी। एमएमटीसी द्वारा तैयार माल की बिक्री/ खरीद के लिए एमएमटीसी तथा एनआईएनएल के बीच दिनांक 06.08.1999 को करार हुआ था जिसमें दिनांक 22.06.2012 को को संशोधन किया गया। मूल्यः 27.45 करोड़ रुपये केवल माल व सेवाओं की बिक्री तथा खरीद के लिए।

(ई) इस प्रकार के ठेकों या व्यवस्थाओं या लेन–देन करने का औचित्य	1) मार्जिन और टॉपलाइन में सुधार लाना। 2) घरेलू बाजार में बुलियन बार के वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत (एलबीएमए एक्रेडिटिड रिफाइनरी, जिससे हमारी गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो) विशेष रूप से ये तब उपयोगी होते हैं, जब सरकारी नीतियों के कारण आयात से बाजार में आपूर्ति प्रतिबंधित हो जाती है। (जैसे–80:20 स्कीम) 3) विशेषकर हमारे झंडेवालान मिंट मशीनरी में खराबी के मद्देनजर उच्च गुणवत्ता उत्पाद प्रदान कर रिटेल बूम का लाभ उठाने के लिए स्वर्ण व चांदी के मेडालियन को रिफाइन करने और ढालने के लिए।	एमएमटीसी द्वारा जारी टेंडरों के लिए एल–1 बोलीदाता	उपर्युक्त ।
(एफ) बोर्ड द्वारा स्वीकृति की तारीख	14.09.2020	14.09.2020	14.09.2020
(जी) अग्रिम के रूप में भुगतान, यदि कोई हो	शून्य	शून्य	शून्य
2. आर्म्स लेंथ आधार पर ठेकों या व्यवस्था या लेन–देन का विवरण : एमपीआईपीएल के साथ उपरोक्त आर्म्स लैंथ आधार पर किए गए एमओयू के अनुसार।			

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्या: एएमजी-I/8(19)/वार्षिक खाता/
एमएमटीसी(2020-21)/2021-22/376-377
दिनांक: 29 DEC 2021

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
एमएमटीसी लिमिटेड,
कोर 1, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.

विषय : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वार्षिक वित्तीय लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के के वार्षिक वित्तीय लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलगन पत्र अग्रेपित है।

भवदीया,

Vidhu Sood

(विधु सूद)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत एमएमटीसी लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर धारा 143(10) के तहत निर्धारित अंकेक्षण पर मानकों के अनुसार राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा 27 अक्टूबर 2021 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया बताया गया है।

मैंनें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखा–परीक्षा की है। यह पूरक लेखा–परीक्षा सांविधिक लेखा–परीक्षक के कामकाजी कागजात देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा–परीक्षक और कंपनी कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखा रिकॉर्डो की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

अपनी पूरक लेखा–परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरे विचार में हैं और वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा की बेहतर समझ को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है, निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगाः

ए. लाभप्रदता पर एक टिप्पणी

ए.1 परिसंपत्ति

ए.1.1 निवेश (नोट 6)

बिक्री के लिए धारित गैर–चालू निवेश (नोट 6 सी) 466.95 करोड रू.

उपरोक्त में इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज (आईसीईएक्स) में 16 करोड़ रू. का निवेश शामिल है, जिसके लिए कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2019–20 में 8.16 करोड़ (आईसीईएक्स की शेयर पूंजी में संचित हानि के अनुपात को देखते हुए, जो लगभग 51 प्रतिशत था) का प्रावधान किया गया था। यह देखा गया कि 31 मार्च 2021 को आईसीईएक्स की शेयर पूंजी में संचित हानियों का अनुपात बढ़कर 61 प्रतिशत हो गया है, हालांकि, कंपनी ने 1.60 करोड़ की राशि का अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया है, जो कि कंपनी के स्वयं के लेखांकन उपायों के विरुद्ध है, जिसका पिछले वर्षों में पालन किया गया था।

इसके परिणामस्वरूप बिक्री के लिए धारित गैर–चालू निवेशों को अधिक बताया गया और हानि को 1.60 करोड़ से कम बताया गया।

ए.1.2 आस्थगित कर परिसंपत्तियां (नोट 10) रू 555.44 करोड़

उपरोक्त में 31.03.2021 को नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) से प्राप्य के रूप में कंपनी द्वारा निर्धारित 946. 33 करोड़ की संभावित आय पर सृजित 330.69 करोड़ की आस्थगित कर परिसंपत्तियां (डीटीए) शामिल हैं। हालांकि, कंपनी ने वित्त वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए प्राप्य ब्याज को इसकी प्राप्ति की अनिश्चितता के कारण शामिल नहीं किया, हालांकि, डीटीए के सृजन के लिए इसे निश्चित माना गया। इसके अलावा, डीटीए सृजन के लिए वित्त वर्ष 2021–22 के लिए ब्याज पर भी विचार किया गया था, जो न केवल कंपनी द्वारा उठाए गए रुख के खिलाफ था बल्कि एनआईएनएल से प्राप्य आय अनिश्चित है लेकिन आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के खिलाफ भी है।

इसके परिणामस्वरूप आस्थगित कर परिसंपतियों को अधिक बताया गया और हानि को 330.69 करोड़ रू.से कम बताया गया।

ए.1.3 **अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (नोट 9)**

अन्य अग्रिम (गैर चालू) 28,79 करोड़ रू.

ऊपरोक्त में कंपनी द्वारा प्रावधान किए गए 25 से अधिक वर्षो से विभिन्न पार्टियों से वसूली योग्य के रूप में दिखाए गए 0.21 करोड़ रू. की राशि शामिल है। ये मामले बहुत पुराने हैं और कंपनी के पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और वसूली की संभावना भी बहुत कम है। इस प्रकार, उपरोक्त राशि को 31.03.2021 तक बहीखातों में बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था। पिछले वर्ष कंपनी द्वारा उपरोक्त अवलोकन पर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद, कंपनी वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान ऐसा करने में विफल रही है।

इसके परिणामस्वरूप अन्य अग्रिमों को 0.21 करोड़ रू. ज्यादा दिखाया गया है और परिणामस्वरूप उसी राशि से खराब और संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्तों को कम कर दिया गया है।

ए.2 इक्विटी और देनदारियां

ए.2.1 प्रावधान–चालू (नोट 20 बी)

ए.2.1.1 अन्य–मुकदमों के निपटारे के लिए प्रावधान 2888.81 करोड़ रू.

उपरोक्त में मै. एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल प्रा. लिमिटेड के साथ विवादित मामले की पूर्व–मध्यस्थता अवधि लिए देय 103.11 करोड रुपये के ब्याज के प्रावधान शामिल नहीं हैं

कंपनी ने 4,66,000 मीट्रिक टन कोकिंग कोल उठाने के लिए मै. एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल प्रा.लि. (आपूर्तिकर्ता) के साथ एक अनुबंध किया (मार्च 2007)। हालांकि, कंपनी ने अनुबंधित मात्रा नहीं उठाई और आपूर्तिकर्ता ने सितंबर 2012 में मध्यस्थता के लिए पहल की। मामला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय (1ए) में चला गया और आपूर्तिकर्ता के पक्ष में निर्णय लिया गया और कंपनी को 78,720,414.92 अमरीकी डालर का भुगतान करने का निर्देश दिया गया जिसके साथ अवार्ड की तारीख से भुगतान की तारीख तक 7.5 प्रतिशत और 15 प्रतिशत भावी ब्याज शामिल है।

वित्त वर्ष 2019–20 के लिए 547.87 करोड़ रू. और 2020–21 वर्ष 2021–22 के लिए 398.46 करोड़ रू.

मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट (एससी) में चला गया और आईए के फैसले को एससी द्वारा 17 दिसंबर 2020 के आदेश के तहत बरकरार रखा गया था। कंपनी ने एक समीक्षा याचिका दायर की (16 जनवरी 2021) और एससी ने आदेश दिया (29 जुलाई 2021) कि अवार्ड के बड़े ब्याज घटक को देखते हुए, पेंडेंट लाइट और भवि य के ब्याज को 6 प्रतिशत साधारण ब्याज तक कम किया जा सकता है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पूर्व–मध्यस्थता अवधि के लिए ब्याज के बारे में कुछ नहीं कहा, जिसका अर्थ है कि आईए द्वारा तय की गई पूर्व–मध्यस्थता अवधि के लिए ब्याज दर सही है। हालांकि, कंपनी ने पूर्व–मध्यस्थता अवधि के लिए देय ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया और एससी से स्प टीकरण (अक्टूबर 2021) मांगा है। कंपनी ने आकस्मिक देनदारियों के तहत संपूर्ण पूर्व–मध्यस्थता ब्याज दिखाया है। लेखापरीक्षा का विचार है कि लेखांकन के परंपरागत सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय विवरणों में कम से कम 6 प्रतिशत के बराबर प्रावधान किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, पूर्व–मध्यस्थता अवधि के लिए ब्याज का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप प्रावधान और हानि को 103.11 करोड़ कम करके दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप आकस्मिक देनदारियों को 103.11 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए 547.87 करोड़ रू. और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 398.46 करोड़ रू.।

ए..2.1.2 बोनस/निष्पादन संबंधी वेतन 17.46 करोड़ रू.

उपरोक्त में निष्पादन से संबंधित वेतन (पीआरपी) के लिए 17.08 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है, जिसमें से 13.99 करोड़ रू. वित्त वर्ष 2017–18 और 2018–19 से संबंधित हैं और 3.09 करोड़ रुपये पहले के वर्षों में बुक किए गए अतिरिक्त प्रावधान हैं। कंपनी ने पीआरपी के लिए 2017–18 और 2018–19 के दौरान अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) से प्राप्य ब्याज बुक किया, जबकि कंपनी वास्तव में नकद आधार पर लाभ नहीं कमा रही थी, एक तथ्य जिसे कंपनी ने उप मुख्य श्रम आयुक्त को अपने जवाब (मार्च 2021) में और वाणिज्य विभाग से स्पष्टीकरण (दिसंबर 2020) मांगते हुए स्वीकार किया था।

इसके अलावा, पीआरपी के उद्देश्य के लिए जेवी कंपनी से प्राप्य ब्याज पर विचार करना भी डीपीई के दिशानिर्देशों (18 सितंबर 2013) का उल्लंघन है, जो अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्धारित करता है कि, पीआरपी को सीपीएसई की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों से अर्जित लाभ के आधार पर वितरित किया जा सकता है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए पीआरपी को निदेशकों की पारिश्रमिक समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था और अत्यधिक नकदी संकट को देखते हुए, कंपनी पीआरपी की सिफारिश करने की स्थिति में नहीं है।

उपरोक्त को देखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कंपनी ने अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन (नवंबर 2020) के अनुरूप पीआरपी की वसूली भी शुरू कर दी है, पीआरपी के लिए बनाए गए प्रावधान को भी रिवर्स कर दिया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप प्रावधान और हानि को 17.8 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।

ए.2.1.3 प्रावधान (नोट 20 बी) 926.59 करोड़ रू.

उपरोक्त में वित्तीय वर्ष 2021 के लिए पोस्ट–रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट ट्रस्ट (ट्रस्ट) को देय 0.14 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं। कंपनी के निदेशक मंडल (411वीं बैठक) ने तीन साल की सावधि जमा के लिए स्वीकार्य दर पर ब्याज के बदले अतिरिक्त योगदान को मंजूरी दी। कंपनी के पास निहित निधि की राशि पर वार्षिक रूप से निधि में जमा किया जाना है। तदनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए ट्रस्ट को 6.75 प्रतिशत और 3.70 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त योगदान प्रदान किया। हालांकि, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रस्ट को देय शुद्ध राशि पर अतिरिक्त योगदान नहीं दिया।

इसके परिणामस्वरूप प्रावधानों और हानि को 0.14. करोड़ रू. कम करके आंका गया है।

ए. 2.2 व्यापार प्राप्य (नोट 18) 765.01 करोड़ रू.

उपरोक्त में दो विदेशी पार्टियों को 36.32 करोड़ की भुगतान के लिए 10 वर्षों से लंबित देय शामिल है। चूंकि, सीमा–कानून यह निर्धारित करता है कि पार्टियां तीन साल के बाद राशि का दावा नहीं कर सकती हैं, इसे वापस लिखा जाना चाहिए। पिछले वर्ष कंपनी द्वारा इसे वापस लिए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, इसके बावजूद, कंपनी वित्त वर्ष 2020–21 में ऐसा करने में विफल रही है

इसके परिणामस्वरूप व्यापार देय और हानि को 6.32 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है

ए. 2.3 अन्य देनदारियों (नोट 21)

अन्य . 1.13 करोड़ रू.?

(i) उपरोक्त में भारतीय खाद्य निगम के रू. 0.49 करोड़ के दावे के प्रावधान शामिल नहीं हैं। कंपनी ने 0.49 करोड़ रुपये के एफसीआई के तीन दावों को स्वीकार किया, जिसमें अर्जित प्रेषण (2006–08), लिक्विडेटिड क्षति (2006–08), और शुद्ध स्लिंग शुल्क (1994–95) के खातों पर दावे शामिल हैं। एफसीआई ने 92.18 करोड़ रुपये का दावा किया। सेंट्रल पूल स्टॉक से गेहूं के निर्यात के संबंध में, कंपनी से बोरियों के भंडारण शुल्क आदि की देरी भुगतान लागत के लिए ब्याज और सीपीएसई विवादों (एएमआरसीडी) के निवारण के लिए प्रशासनिक मशीनरी में इस मुद्दे को उठाया। एएमआरसीडी ने कंपनी और एफसीआई को निर्देश दिया (मई 2020) कि वे विवादित मामले को सुलझाने के लिए और सुलह करें। सुलह के दौरान, कंपनी ने 0.49

करोड़ रुपये के तीन दावों को स्वीकार कर लिया, हालांकि, कंपनी द्वारा इसके लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।

इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देयताएं और हानि को 0.49 2 करोड़ रुपये से कम बताया गया है

(ii) उपरोक्त में स्कोप कॉम्प्लेक्स के बिजली शुल्क के लिए 0.13 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल नहीं है, जो मार्च 2021 के महीने के लिए देय है। जैसा कि (अक्टूबर 2021) में खातों के फाईनल करने के काफी पहले ही इसके बीजक जून 2021 में ही प्राप्त हो गया था, उक्त राशि के लिए वित्त वर्ष 2020–21 के खातों में यह राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी।

2ट्रस्ट को 2.68 करोड. रू. देय (बीओडी द्वारा यथा अनुमोदित तीन वर्षों के लिए एफडी पर लागू दर)

इसके परिणामस्वरूप अन्य वर्तमान देनदारियों और हानियों में 0.13 करोड़ रू. कम बताया गया है।

ए.3 असाधारण आइटम–व्यय (नोट 32) 877.17 करोड रू.

उपरोक्त में एमएमटीसी कर्मचारी सहकारी कैंटीन सोसायटी के दो कर्मचारियों के टर्मिनल देय राशि के लिए 0.16 करोड़ रू. का प्रावधान शामिल नहीं है, जिन्हें कंपनी द्वारा मार्च 2016 में समाप्त कर दिया गया था। कंपनी द्वारा टर्मिनल देय राशि का भुगतान स्वीकार किया गया था।

इसके परिणामस्वरूप असाधारण मदों और हानि को 0.16 करोड़ रू. से कम बताया गया है।

बी. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

आकस्मिक देयताएं और प्रकटीकरण (नोट संख्या 34)942.62 करोड़ रू.

(i) उपरोक्त में संपदा अधिकारी, कोलकाता द्वारा पारित आदेश के अनुसार एनआईसी भवन के बकाया किराए और ब्याज के कारण 7.29 करोड़ की आकस्मिक देनदारी शामिल नहीं है, जिसमें कंपनी को अप्रैल 2014 से अप्रैल 2019 की अवधि के लिए भवन पर अनधिकृत के लिए कब्जा करने पर नेशनल इंशोरंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल) को राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। कंपनी ने, उपरोक्त आदेशों के खिलाफ, सिटी सिविल कोर्ट, कोलकाता के समक्ष एक अपील दायर की और जहां संपदा अधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी गई, जिसके खिलाफ एनआईसीएल ने माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के समक्ष मुख्य न्यायाधीश, सिटी सिविल कोर्ट, कोलकाता द्वारा पारित आदेश के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की है, मामला अभी भी लंबित है और सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं है और विचाराधीन है, इसलिए इसे आकस्मिक देयताओं के तहत दिखाया जाना चाहिए।

(ii) नोट संख्या 3 (सी) की ओर ध्यान दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि, एमएमटीसी की अचल संपत्तियों का मूल्यांकन किया गया है और नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 31.03.2021 को उचित मूल्य 1642 करोड़ है, जो पिछले मई 2019 में यह 1389 करोड़ रू. था। (नोट 32 (ii) देखें)। हालांकि, यह देखा गया कि नोट 32 (ii) में मूल्यांकन के संबंध में ऐसा कोई विवरण नहीं है। इस प्रकार, लेखे की टिप्पणियाँ उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण हैं।

(iii) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल प्रा. लिमिटेड की निष्पादन याचिका पर सुनवाई के बाद कंपनी को उक्त आदेश की तिथि से दो माह के भीतर 585.94 करोड़ रू. जमा करने का निर्देश दिया (मार्च 2021)। वित्तीय संकट के कारण, कंपनी आदेश का पालन नहीं कर सकी। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 27.08.2021 को 1.02 करोड़ रू. की राशि के दो बैंक खातों को कुर्क करने का आदेश पारित किया।

रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं पर इंडस्ट्रीज एएस–10 के अनुसार एक इकाई को रिपोर्टिंग अवधि के बाद प्राप्त जानकारी को दर्शाने के लिए अपने वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण को अद्यतन करने की आवश्यकता होती है, भले ही जानकारी अपने वित्तीय विवरणों में शामिल की गई राशि को प्रभावित न करे।

हालाँकि, कंपनी ने उपरोक्त तथ्य को लेखों की टिप्पणियों में प्रकट नहीं किया है और इस प्रकार, लेखे की टिप्पणियाँ उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण हैं।

सी. स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

(i) सांविधिक लेखापरीक्षक क्रमांक 1 (पैराग्राफ की ऑडिट मैटर्स के तहत) ने कहा है कि कंपनी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जबकि 31.03.2021 को कंपनी के छह क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिन्हें वित्तीय विवरणों में सामान्य जानकारी के तहत भी प्रकट किया गया है। इस प्रकार स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्टिंग उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण हैं।

(ii) उपरोक्त टिप्पणियों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के लिए हानि (769.69 करोड़ रू.) जैसा कि कंपनी के लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया गया है, 53.67 प्रतिशत बढ़कर 1182.82 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इसलिए, कंपनी के वित्तीय विवरण 'सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण' प्रस्तुत नहीं करते हैं और स्वतंत्र लेखा परीक्षक की ओर से यह आश्वासन देना उचित नहीं था कि वित्तीय विवरण एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

हस्ता./–

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए

और उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 29.12.2021

एमएमटीसी लिमिटेडः कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा (स्टैंडअलोन) पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी अंतिम टिप्पणियों के उत्तर

सीएएंडजी की अतिम टिप्पणियां	सीएएंडजी की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर
ए. लाभप्रदता पर एक टिप्पणी **ए.1 परिसंपत्ति** **ए.1.1 निवेश (नोट 6)**	
बिक्री के लिए धारित गैर–चालू निवेश (नोट 6 सी) 466.95 करोड़ रू. उपरोक्त में इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज (आईसीईएक्स) में 16 करोड़ रू. का निवेश शामिल है, जिसके लिए कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2019–20 में 8.16 करोड़ (आईसीईएक्स की शेयर पूंजी में संचित हानि के अनुपात को देखते हुए, जो लगभग 51 प्रतिशत था) का प्रावधान किया गया था। यह देखा गया कि 31 मार्च 2021 को आईसीईएक्स की शेयर पूंजी में संचित हानियों का अनुपात बढ़कर 61 प्रतिशत हो गया है, हालांकि, कंपनी ने 1.60 करोड़ की राशि का अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया है, जो कि कंपनी के स्वयं के लेखांकन उपायों के विरुद्ध है, जिसका पिछले वर्षों में पालन किया गया था। इसके परिणामस्वरूप बिक्री के लिए धारित गैर–चालू निवेशों को अधिक बताया गया और हानि को 1.60 करोड़ से कम बताया गया।	यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2019–20 के दौरान निवेश किए गए 16 करोड़ रुपये में से आईसीईएक्स में निवेश की हानि के लिए 8.16 करोड़ रुपये का आंशिक प्रावधान करना उचित होगा और तदनुसार हानि के लिए प्रावधान किया गया था। इसके अलावा आईसीईएक्स ने सूचित किया है कि कुल 1960 ग्राहकों के साथ 2020–21 के दौरान एक्सचेंज का कुल कारोबार 1666.17 करोड़ रुपये था। कोविड–19 के प्रभाव के कारण 2020–21 के दौरान आईसीईएक्स सहित सभी कमोडिटी एक्सचेंजों में व्यापारिक परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। आईसीईएक्स ने वैश्विक महामारी और वैश्विक मंदी के कारण अपने संचालन को मजबूत करने की योजना बनाई है। उनका ध्यान म्युचुअल फंड लेनदेन का उपयोग करने और वस्तुओं पर नए सिरे से जोर देने के साथ पूंजी जुटाने पर है। उपरोक्त के मद्देनजर 1.60 करोड़ रुपये के और प्रावधान की आवश्यकता नहीं हो सकती है। हालांकि, आईसीईएक्स पर संचित हानियों के प्रावधान के संबंध में सीएजी के अवलोकन की समीक्षा की जाएगी और प्रावधान सहित उपयुक्त कार्रवाई वित्त वर्ष 2021–22 में की जाएगी।
ए.1.2 आस्थगित कर परिसंपत्तियां (नोट10): 555.44 करोड़ उपरोक्त में 31.03.2021 को नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) से प्राप्य के रूप में कंपनी द्वारा निर्धारित 946.33 करोड़ की संभावित आय पर सृजित 330.69 करोड़ रू. की आस्थगित कर परिसंपत्तियां (डीटीए) शामिल हैं। हालांकि, कंपनी ने वित्त वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए प्राप्य ब्याज को इसकी प्राप्ति की अनिश्चितता के कारण भामिल नहीं किया, हालांकि, डीटीए के सृजन के लिए इसे निश्चित माना गया। इसके अलावा, डीटीए सृजन के लिए वित्त वर्ष 2021–22 के लिए ब्याज पर भी विचार किया गया था, जो न केवल कंपनी द्वारा उठाए गए रुख के खिलाफ था बल्कि एनआईएनएल से प्राप्य आय अनिश्चित है लेकिन आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के खिलाफ भी है। इसके परिणामस्वरूप आस्थगित कर परिसंपतियों को अधिक बताया गया और हानि को 330.69 करोड रू.से कम बताया गया।	एमएमटीसी को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कारोबार में 1,094.22 करोड़ रू.(स्टैंडअलोन) का घाटा हुआ है। आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, इस नुकसान को अप्रयुक्त कर हानियों के रूप में 8 वर्षों तक आगे बढ़ाया जा सकता है और इसे भविष्य के करयोग्य व्यावसायिक लाभ के साथ समायोजित किया जा सकता है। इसके अलावा, इंड एएस 12–आयकर के अनुसार, "एक आस्थगित कर परिसंपत्ति को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यता दी जाएगी कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके लिए कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है।" एमएमटीसी ने वर्ष के दौरान एक मास्टर डैट रिजोल्यूशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसके अनुसार, एनआईएनएल से मार्च, 2022 में एनआईएनएल की विनिवेश आय के माध्यम से 946.33 करोड़ रू. की ब्याज आय की उम्मीद है।

सीएएंडजी की अतिम टिप्पणियां	सीएएंडजी की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर
	जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है, 324.60 करोड़ रू. मूल्य की आस्थगित कर परिसंपतियां को कर हानियों पर इस सीमा तक सृजन किया गया है कि एनआईएनएल से 946.33 करोड़ रु की। संभावित ब्याज आय यानी आयकर और इंड अस 12 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए और वर्तमान कर और भविष्य कर की स्पष्ट तस्वीर बनाई जा सके। इसके अलावा, इंडस्ट्रीज़ एएस 12 के अनुसार – एक आस्थगित कर परिसंपत्ति की कैरिंग राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में समीक्षा की जाएगी। डीटीए की कैरिंग राशि को इस हद तक कम किया जाएगा कि अब यह संभव नही है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा और इस तरह की कमी को इस हद तक उलट दिया जाएगा कि यह संभव हो जाए कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। चूंकि एनआईएनएल के विनिवेश की बोली प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है और मेसर्स टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीएसएलपी) 12100 करोड़ रुपये की एच1 बोलीदाता बन गई है, एनआईएनएल के विनिवेश के बाद के मुद्दे की समीक्षा की जाएगी और वित्त वर्ष 2021–22 में उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। अतः एमएमटीसी को ब्याज सहित सभी देय राशियां प्राप्त होंगी, जिन्हें प्राप्ति की अनिश्चितता के कारण खातों में नही दिखाया गया । उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एमएमटीसी प्रबंधन एनआईएनएल की विनिवेश आय से अपने सभी बकाया राशि की वसूली के लिए आश्वस्त है और इसलिए आस्थगित कर इंडस एएस 12 के अनुरूप है।
ए.1.3 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (नोट 9) **अन्य अग्रिम (गैर चालू) 28,79 करोड़ रू.** ऊपरोक्त में कंपनी द्वारा प्रावधान किए गए 25 से अधिक वर्षों से विभिन्न पार्टियों से वसूली योग्य के रूप में दिखाए गए 0.21 करोड़ रू. की राशि शामिल है। ये मामले बहुत पुराने हैं और कंपनी के पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और वसूली की संभावना भी बहुत कम है। इस प्रकार, उपरोक्त राशि को 31.03.2021 तक बहीखातों में बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था। पिछले वर्ष कंपनी द्वारा उपरोक्त अवलोकन पर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद, कंपनी वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान ऐसा करने में विफल रही है। इसके परिणामस्वरूप अन्य अग्रिमों को 0.21 करोड़ रू. ज्यादा दिखाया गया है और परिणामस्वरूप उसी राशि से खराब और संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्तों को कम कर दिया गया है।	चूंकि मामले वर्ष 1995–96 से संबंधित हैं और फाइलों/अभिलेखों का पता लगाना मुश्किल है। तथापि, संबंधित फाइलों/दस्तावेजों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीएण्डएजी के अवलोकन की समीक्षा की जाएगी और इसे 2021–22 में बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।

सीएएंडजी की अतिम टिप्पणियां	सीएएंडजी की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर
ए.2 इक्विटी और देनदारियां **ए.2.1 प्रावधान–चालू (नोट 20 बी)** **ए.2.1.1 अन्य–मुकदमों के निपटारे के लिए प्रावधान 2888.81 करोड़ रू.** उपरोक्त में मै. एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल प्रा. लिमिटेड के साथ विवादित मामले की पूर्व–मध्यस्थता अवधि लिए देय 103.11 करोड़ रुपये के ब्याज के प्रावधान शामिल नहीं हैं कंपनी ने 4,66,000 मीट्रिक टन कोकिंग कोल उठाने के लिए मै. एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल प्रा.लि. (आपूर्तिकर्ता) के साथ एक अनुबंध किया (मार्च 2007)। हालांकि, कंपनी ने अनुबंधित मात्रा नहीं उठाई और आपूर्तिकर्ता ने सितंबर 2012 में मध्यस्थता के लिए पहल की। मामला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय (1ए) में चला गया और आपूर्तिकर्ता के पक्ष में निर्णय लिया गया और कंपनी को 78,720.414.92 अमरीकी डालर का भुगतान करने का निर्देश दिया गया जिसके साथ अवार्ड की तारीख से भुगतान की तारीख तक 7.5 प्रतिशत और 15 प्रतिशत भावी ब्याज शामिल है। मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट (एससी) में चला गया और आईए के फैसले को एससी द्वारा 17 दिसंबर 2020 के आदेश के तहत बरकरार रखा गया था। कंपनी ने एक समीक्षा याचिका दायर की (16 जनवरी 2021) और एससी ने आदेश दिया (29 जुलाई 2021) कि अवार्ड के बडे ब्याज घटक को देखते हुए, पेंडेंट लाइट और भविष्य के ब्याज को 6 प्रतिशत साधारण ब्याज तक कम किया जा सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पूर्व–मध्यस्थता अवधि के लिए ब्याज के बारे में कुछ नहीं कहा, जिसका अर्थ है कि आईए द्वारा तय की गई पूर्व–मध्यस्थता अवधि के लिए ब्याज दर सही है। हालांकि, कंपनी ने पूर्व–मध्यस्थता अवधि के लिए देय ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया और एससी से स्पष्टीकरण (अक्टूबर 2021) मांगा है। कंपनी ने आकस्मिक देनदारियों के तहत संपूर्ण पूर्व–मध्यस्थता ब्याज दिखाया है। लेखापरीक्षा का विचार है कि लेखांकन के परंपरागत सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय विवरणों में कम से कम 6 प्रतिशत के बराबर प्रावधान किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, पूर्व–मध्यस्थता अवधि के लिए ब्याज का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप प्रावधान और हानि को 103.11 करोड कम करके दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप आकस्मिक देनदारियों को 103.11 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.07.2021 के अनुसार, पेंडेंट अवधि और भविष्य की अवधि के लिए ब्याज दर क्रमशः 7.5% और 15% से घटाकर 6% कर दी गई है, लेकिन पूर्व मध्यस्थता अवधि के लिए ब्याज दर पर आदेश साइलेंट है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, एमएमटीसी ने पहले ही वित्त वर्ष 2020–21 के लिए लेखा पुस्तिकाओं में 887.43 करोड़ रुपये रुपये का प्रावधान किया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए 1.10.2009 से 26.09.2012 तक की पूर्व मध्यस्थता अवधि के लिए ब्याज दर को शून्य रखा गया है। भारत के विद्वान महान्यायवादी (एजी) की राय को ध्यान में रखते हुए, उद्धरण "इस स्तर पर यह विवेकपूर्ण नहीं हो सकता है क्योंकि विद्वान एजी ने राय दी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.7.2021 से उत्पन्न होने वाली किसी भी अस्पष्टता को हल किया जा सकता है" अनउद्धृत। आगे विद्वान एजी की सलाह के अनुसार, एमएमटीसी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2021 के स्पष्टीकरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया था। यह दोहराया जाता है कि विद्वान एजी का मत था कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 29.7.2021 से उत्पन्न किसी भी अस्पष्टता का समाधान न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। कंपनी ने स्पष्टीकरण के लिए आवेदन किया है जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 28.01.2022 को सूचीबद्ध किया गया था। सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने मामले को दो सप्ताह के बाद सूचीबद्ध कर दिया। सुनवाई की विशेष तारीख का इंतजार है। माननीय उच्चतम न्यायालय के स्पष्टीकरण पर, सीएण्डएजी के अवलोकन की समीक्षा की जाएगी और वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

सीएएंडजी की अतिम टिप्पणियां	सीएएंडजी की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर
ए..2.1.2 बोनस/निष्पादन संबंधी वेतन 17.46 करोड़ रू. उपरोक्त में निष्पादन से संबंधित वेतन (पीआरपी) के लिए 17.08 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है, जिसमें से 13.99 करोड़ रू. वित्त वर्ष 2017–18 और 2018–19 से संबंधित हैं और 3.09 करोड़ रुपये पहले के वर्षों में बुक किए गए अतिरिक्त प्रावधान हैं। कंपनी ने पीआरपी के लिए 2017–18 और 2018–19 के दौरान अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) से प्राप्य ब्याज बुक किया, जबकि कंपनी वास्तव में नकद आधार पर लाभ नहीं कमा रही थी, एक तथ्य जिसे कंपनी ने उप मुख्य श्रम आयुक्त को अपने जवाब (मार्च 2021) में और वाणिज्य विभाग से स्पष्टीकरण (दिसंबर 2020) मांगते हुए स्वीकार किया था। इसके अलावा, पीआरपी के उद्देश्य के लिए जेवी कंपनी से प्राप्य ब्याज पर विचार करना भी डीपीई के दिशानिर्देशों (18 सितंबर 2013) का उल्लंघन है, जो अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्धारित करता है कि, पीआरपी को सीपीएसई की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों से अर्जित लाभ के आधार पर वितरित किया जा सकता है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए पीआरपी को निदेशकों की पारिश्रमिक समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था और अत्यधिक नकदी संकट को देखते हुए, कंपनी पीआरपी की सिफारिश करने की स्थिति में नहीं है। उपरोक्त को देखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कंपनी ने अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन (नवंबर 2020) के अनुरूप पीआरपी की वसूली भी शुरू कर दी है, पीआरपी के लिए बनाए गए प्रावधान को भी रिवर्स कर दिया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप प्रावधान और हानि को 17.8 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।	वेतन पैकेज के हिस्से के रूप में पीआरपी की अवधारणा को डीपीई द्वारा अपने दिनांक 26/11/2008 और 09/02/2009 के कार्यालय ज्ञापन के दिशानिर्देशों के अनुसार पेश किया गया था। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, पीआरपी का भुगतान सेवारत कर्मचारियों को तब किया जाता है जब लेखों को अंतिम रूप दिया जाता है और बोर्ड, सीएजी द्वारा अनुमोदित किया जाता है और एजीएम, कंपनी रेटिंग, कर्मचारी ग्रेड और संबंधित कर्मचारी की रेटिंग द्वारा अपनाया जाता है। अंतिम पीआरपी का भुगतान निदेशकों की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (आरसीओडी) के अनुमोदन के बाद किया जाता है जैसा कि डीपीई दिशानिर्देशों में अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए पीआरपी के अंतिम भुगतान के प्रस्ताव को कंपनी और कर्मचारी रेटिंग की एमओयू रेटिंग लंबित अनुमोदन के लिए आरसीओडी के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया, इस प्रकार, दोनों वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम पीआरपी का भुगतान नही किया गया है। हालांकि, पिछली प्रथा के अनुसार, पीआरपी सीएमडी के उचित अनुमोदन के साथ कर्मचारियों को अंडरटेकिंग के साथ तदर्थ अग्रिम जारी की गई थी। यह कई वर्षों से तदर्थ अग्रिम जारी करने की पिछली प्रथा के अनुरूप था। एमएमटीसी के निदेशक मंडल ने 13.11.2020 को आयोजित अपनी 459वीं बैठक में पाया कि इस तरह के तदर्थ भुगतान अनुचित थे और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए इसकी वसूली करने की जरूरत थी। तदर्थ अग्रिम से संबंधित मामले को एमएमटीसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा प्रतिकूल रूप से देखा गया था, पूरे मामले को प्रभाग के नोट दिनांक 30.03.2021 के माध्यम से आरसीओडी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त नोट को आरसीओडी द्वारा 31.03.2021 को आयोजित अपनी 10वीं बैठक में चर्चा के लिए शामिल किया गया था। आरसीओडी ने चर्चा के लिए नोट में बताई गई स्थिति पर ध्यान देने के बाद यह विचार किया कि तदर्थ/अग्रिम की वसूली को तब तक के लिए रोक दिया जाए जब तक कि श्रम आयुक्त कर्मचारी संघ की याचिका पर निर्णय न ले लें और इस पर डीपीई से राय प्राप्त न कर लें। साथ ही मामले को मूल्यांकन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखने का निर्देश दिया। चूंकि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान लाभ दर्ज किया था, लेखा सिद्धांतों और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप पीआरपी के भुगतान के लिए खातों की पुस्तकों में प्रावधान किए गए थे।

सीएएंडजी की अंतिम टिप्पणियां	सीएएंडजी की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर
	पीबीटी की गणना और सीपीएसई में पीआरपी के वितरण के उद्देश्य से निष्क्रिय नकदी/बैंक शेष पर ब्याज की कटौती के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीबीटी की गणना के समय, निष्क्रिय नकदी/बैंक शेष पर अर्जित ब्याज की कटौती की गई है। इसके अलावा, कंपनी की अनिश्चित तरलता की स्थिति के कारण योग्य पीआरपी का 50% केवल वित्तीय वर्ष 16–17 के लिए सेवारत कर्मचारियों को जारी किया गया था। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कोई पीआरपी जारी नहीं किया गया था। यह आश्वासन दिया जाता है कि बनाए गए प्रावधान को 2021–22 में उलट दिया जाएगा और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए जल्द से जल्द वसूली की जाएगी। चूंकि एनआईएनएल के विनिवेश की बोली प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है और मैसर्स टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीएसएलपी) 12100 करोड़ रुपये की एच1 बोलीदाता बन गई है, एमएमटीसी को ब्याज सहित सभी बकाया राशि मिल जाएगी, जिसे खातों में दिखाया नही गया है। प्राप्ति की वसूली की अनिश्चितता है, इसलिए बोर्ड एक बार फिर पीआरपी के मुद्दे की समीक्षा करने पर विचार कर सकता है।
ए.2.1.3 प्रावधान (नोट 20 बी) 926.59 करोड़ रू. उपरोक्त में वित्तीय वर्ष 2021 के लिए पोस्ट–रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट ट्रस्ट (ट्रस्ट) को देय 0.14 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं। कंपनी के निदेशक मंडल (411वीं बैठक) ने तीन साल की सावधि जमा के लिए स्वीकार्य दर पर ब्याज के बदले अतिरिक्त योगदान को मंजूरी दी। कंपनी के पास निहित निधि की राशि पर वार्षिक रूप से निधि में जमा किया जाना है। तदनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए ट्रस्ट को 6.75 प्रतिशत और 3.70 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त योगदान प्रदान किया। हालांकि, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रस्ट को देय शुद्ध राशि पर अतिरिक्त योगदान नहीं दिया। इसके परिणामस्वरूप प्रावधानों और हानि को 0.14. करोड़ रू. कम करके आंका गया है।	बोर्ड ने अपनी दिनांक 15.05.2019 की 447वीं बैठक में "एमएमटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा आवश्यकता के लिए ट्रस्ट के गठन और ट्रस्ट के लिए आयकर छूट प्राप्त करने के बाद एक या एक से अधिक किश्तों में 150.05 करोड़ रुपये के ट्रांसफर और नियमित ट्रांसफर करने के लिए "उसके बाद योगदान के लिए मंजूरी दी थी"। 19.12.2019 से 3.3.2020 तक की अवधि में 7 किस्तों में कुल 150 करोड़ रुपये की धनराशि ट्रस्ट को हस्तांतरित की गई। जैसा कि बीओडी ने अपनी 411वीं बैठक में तीन साल की सावधि जमा के लिए स्वीकार्य दर पर ब्याज के बदले अतिरिक्त योगदान के लिए अनुमोदन किया था वह कंपनी के पास निहित फंड में सालाना केडिट होगा। (मिनटों का उद्धरण संलग्न) 31.03.2021 तक, ट्रस्ट को 9.31 करोड़ रुपये देय है और ट्रस्ट से 6.63 करोड़ रुपये प्राप्य हैं और ट्रस्ट को देय ब्याज बहुत कम है, इसलिए ब्याज का प्रावधान नही किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अवलोकन का अनुपालन किया जाएगा और वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी

सीएएंडजी की अतिम टिप्पणियां	सीएएंडजी की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर
ए. 2.2 व्यापार प्राप्य (नोट 18) 765.01 करोड़ रू. उपरोक्त में दो विदेशी पार्टियों को 36.32 करोड़ की भुगतान के लिए 10 वर्षों से लंबित देय शामिल है। चूंकि, सीमा–कानून यह निर्धारित करता है कि पार्टियां तीन साल के बाद राशि का दावा नहीं कर सकती हैं, इसे वापस लिखा जाना चाहिए। पिछले वर्ष कंपनी द्वारा इसे वापस लिए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, इसके बावजूद, कंपनी वित्त वर्ष 2020–21 में ऐसा करने में विफल रही है। इसके परिणामस्वरूप व्यापार देय और हानि को 6.32 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार, क्षे.का. चेन्नई ने पहले ही वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लेखा पुस्तिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियां पारित कर दी हैं ताकि मेसर्स वी.एस. एलएडी के संबंध में 4.06 करोड़ रुपये की देयता वापस लिखी जा सके। पार्टी बहीखाता की प्रति संलग्न है। जहां तक मैसर्स ओबालापुरम माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, बेल्लारी (ओएमसी) के संबंध में 2.26 करोड़ रुपये की देनदारी का संबंध है, चेन्नई क्षे.का. को मामले की समीक्षा करने की सलाह दी गई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अवलोकन का अनुपालन किया जाएगा और वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी
ए. 2.3 अन्य देनदारियों (नोट 21) **अन्य 1.13 करोड़ रू.?** (i) उपरोक्त में भारतीय खाद्य निगम के रू. 0.49 करोड़ के दावे के प्रावधान शामिल नहीं हैं। कंपनी ने 0.49 करोड़ रुपये के एफसीआई के तीन दावों को स्वीकार किया, जिसमें अर्जित प्रेषण (2006–08), लिक्विडेटिड क्षति (2006–08), और शुद्ध स्लिंग शुल्क (1994–95) के खातों पर दावे शामिल हैं। एफसीआई ने 92.18 करोड़ रुपये का दावा किया। सेंट्रल पूल स्टॉक से गेहूं के निर्यात के संबंध में, कंपनी से बोरियों के भंडारण शुल्क आदि की देरी भुगतान लागत के लिए ब्याज और सीपीएसई विवादों (एएमआरसीडी) के निवारण के लिए प्रशासनिक मशीनरी में इस मुद्दे को उठाया। एएमआरसीडी ने कंपनी और एफसीआई को निर्देश दिया (मई 2020) कि वे विवादित मामले को सुलझाने के लिए और सुलह करें। सुलह के दौरान, कंपनी ने 0.49 करोड़ रुपये के तीन दावों को स्वीकार कर लिया, हालांकि, कंपनी द्वारा इसके लिए कोई प्रावधान नही बनाया गया है। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देयताएं और हानि को 0.492 करोड़ रुपये से कम बताया गया है।	एफसीआई ने एमएमटीसी के खिलाफ एएमआरसीडी की कार्यवाही की है। सचिव (एफएंडपीडी), वाणिज्य सचिव और कानून सचिव की समिति ने एमएमटीसी और एफसीआई दोनों को एक दूसरे पर अपने दावों और काउंटर दावों का समाधान करने का निर्देश दिया है। तदनुसार, एमएमटीसी और एफसीआई दोनों ही दावों के समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। जैसा कि जीएपी नोट में उल्लेख किया गया है, एमएमटीसी ने एफसीआई के तीन दावों को स्वीकार किया है और जीएपी ने आगे कुल 1.11 करोड रू.के , दावों का आंकलन किया है; जिसका रिकार्ड अपेक्षित है। एमएमटीसी द्वारा स्वीकार किए गए तीन दावों की पुष्टि एमएमटीसी और एफसीआई के बीच दावों के सत्यापन के लिए नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (एएससी एंड एसोसिएट्स) ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.06.2021 में भी की थी। एमएमटीसी और एफसीआई के बीच दावों और काउंटर दावों का समाधान किया जाना जारी है। ऊपर से आगे, निम्नलिखित बिंदुओं का भी अवलोकन किया जा सकता है: 1. एमएमटीसी द्वारा स्वीकार किए गए तीन दावे (सक्षम प्राधिकारी के उचित अनुमोदन के बाद) दिनांक 26.11.2021 के पीओएम 4 में संदर्भित 2007–08 के गेहूं आयात (डिस्पैच और एलडी) और 1995–96 के चीनी आयात (स्लिंग शुल्क) से संबंधित हैं। स्वीकृत राशि पर लगने वाले ब्याज का निर्णय मामले का निर्णय करते समय एएमआरसीडी द्वारा किया जाएगा। 2. मामला एएमआरसीडी द्वारा अंतिम निर्णय के लिए लंबित है और एमएमटीसी द्वारा स्वीकृत राशि पर प्रावधान करने की आवश्यकता पर एएमआरसीडी का अंतिम निर्णय ज्ञात होने के बाद विचार किया जाएगा। अत: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का अनुपालन किया जाए और वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

सीएएंडजी की अंतिम टिप्पणियां	सीएएंडजी की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर
(ii) उपरोक्त में स्कोप कॉम्प्लेक्स के बिजली शुल्क के लिए 0.13 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल नहीं है, जो मार्च 2021 के महीने के लिए देय है। जैसा कि (अक्टूबर 2021) में खातों के फाईनल करने के काफी पहले ही इसके बीजक जून 2021 में ही प्राप्त हो गया था, उक्त राशि के लिए वित्त वर्ष 2020–21 के खातों में यह राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी। इसके परिणामस्वरूप अन्य वर्तमान देनदारियों और हानियों में 0.13 करोड़ रू. कम बताया गया है।	वास्तविक बिल प्राप्त नहीं होने की स्थिति में 31.03.2021 को लेखा पुस्तिकाओं में अनुमानित आधार पर देय बिजली शुल्क और अन्य विविध खर्चों जैसे प्रशासनिक खर्चों का प्रावधान किया गया है। विशेष शीर्ष पर सृजित प्रावधान और निपटान पर वास्तविक व्यय के बीच किसी भी अंतर का हिसाब अगले वित्तीय वर्ष में लगाया जाएगा। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 की पहली तिमाही में 13 लाख की कमी का हिसाब लगाया गया है। स्कोप कॉम्प्लेक्स के बिजली बिल का जून 2021 में भुगतान किया गया था और 2021–22 में इसका हिसाब रखा गया है।
ए.3 असाधारण आइटम–व्यय (नोट 32) 877.17 करोड रू. उपरोक्त में एमएमटीसी कर्मचारी सहकारी कैंटीन सोसायटी के दो कर्मचारियों के टर्मिनल देय राशि के लिए 0.16 करोड़ रू. का प्रावधान शामिल नहीं है, जिन्हें कंपनी द्वारा मार्च 2016 में समाप्त कर दिया गया था। कंपनी द्वारा टर्मिनल देय राशि का भुगतान स्वीकार किया गया था। इसके परिणामस्वरूप असाधारण मदों और हानि को 0.16 करोड़ रू. से कम बताया गया है।	एमएमटीसी कर्मचारी सहकारी समिति के दो कर्मचारियों द्वारा वीएसएस मुआवजा स्वीकार नही किया गया और उनकी सेवा समाप्त करने को चुनौती देते हुए श्रम न्यायालय दिल्ली में मामला दायर किया। मामला आज की तारीख में विचाराधीन है। कुंदन लाल बनाम एमएमटीसी के मामले में दलीलें पूरी हो गई हैं। मामला अब बहस के लिए तय है। पिछली तारीख 10.11.221 थी। सुनवाई की अगली तारीख का इंतजार है। मामला विचाराधीन है और अपने अंतिम दौर में नही पहुंचा है। कानूनी मामला समाप्त होने के बाद दायित्व, यदि कोई हो, प्रदान किया जाएगा। हालांकि एमएमटीसी कैंटीन सोसाइटी द्वारा ग्रेच्युटी का भुगतान वैधानिक दायित्व के रूप में किया गया है। ग्रेच्युटी स्वीकार करने के साथ ही सेवा समाप्त हो जाती है, इस प्रकार, यह माना जाता है कि सेवा समाप्ति के विवाद के बाद सुनवाई का कोई अधिकार नही है। तत्कालीन एमएमटीसी कर्मचारी सहकारी कैंटीन सोसाइटी के दो कर्मचारियों द्वारा वीएसएस मुआवजा स्वीकार नहीं किया गया, जबकि बाकी कर्मचारियों ने मुआवजा लिया और उसे स्वीकार कर लिया। ये दोनों कर्मचारी औद्योगिक न्यायाधिकरण में एमएमटीसी में नियमितीकरण के लिए लड़ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बर्खास्तगी अवैध है। चूंकि मामला विचाराधीन है, इसलिए जब तक औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा मामले का समाधान नही किया जाता है, तब तक इस संबंध में कोई प्रावधान करना ठीक नहीं होगा।

सीएएंडजी की अंतिम टिप्पणियां	सीएएंडजी की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर
बी. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ **आकस्मिक देयताएं और प्रकटीकरण** **(नोट संख्या 34) 942.62 करोड़ रू.** (i) उपरोक्त में संपदा अधिकारी, कोलकाता द्वारा पारित आदेश के अनुसार एनआईसी भवन के बकाया किराए और ब्याज के कारण 7.29 करोड़ की आकस्मिक देनदारी शामिल नहीं है, जिसमें कंपनी को अप्रैल 2014 से अप्रैल 2019 की अवधि के लिए भवन पर अनधिकृत के लिए कब्जा करने पर नेशनल इंशोरंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल) को राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। कंपनी ने, उपरोक्त आदेशों के खिलाफ, सिटी सिविल कोर्ट, कोलकाता के समक्ष एक अपील दायर की और जहां संपदा अधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी गई, जिसके खिलाफ एनआईसीएल ने माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के समक्ष मुख्य न्यायाधीश, सिटी सिविल कोर्ट, कोलकाता द्वारा पारित आदेश के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की है, मामला अभी भी लंबित है और सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं है और विचाराधीन है, इसलिए इसे आकस्मिक देयताओं के तहत दिखाया जाना चाहिए।	(i) एमएमटीसी ने पहले एनआईसी द्वारा जारी दिनांक 23.06.2004 के लीज एग्रीमेंट के अनुसार फरवरी, 2014 से 15.4.2019 की अवधि के लिए किराया और बिजली शुल्क को क्षे.का.कोलकाता की लेखा पुस्तिकाओं में समय–समय पर फर्म की देनदारी दर्ज की है और एनआईसी द्वारा बिजली और अन्य शुल्क के भुगतान के लिए एमएमटीसी को भेजे गए बिलो को दायित्वों के रूप में समायोजित किया गया है। 31.3.2020 को लेखा पुस्तिकाओं के अनुसार, 31.03.2019 तक एनआईसी को देय किराए के रूप में फर्म की देनदारी 91,77,890.00 रुपये है। सिटी सिविल कोर्ट के आदेश दिनांक 9.7.2019 के निर्देश के आलोक में और एनआईसी द्वारा जारी किए गए लीज एग्रीमेंट दिनांक 23.06.2004 के अनुसार 15 साल की अवधि के लिए 01.04.2004 से 31.03.2019 तक हर पांच वर्षों में किराए में 25% की वृद्धि के साथ जारी किया गया था। एनआईसी द्वारा दावा किए गए नुकसान के लिए 8.21 करोड़ रुपये की आकस्मिक देयता का प्रावधान, इस स्तर पर, उत्पन्न नहीं हो सकता है। इस बीच एमएमटीसी, कोलकाता ने एनआईसी के परिसर को खाली कर दिया। चूंकि मामला विचाराधीन है, इसलिए एनआइसी द्वारा नुकसान की भरपाई के लिए 8.21 करोड़ रुपये का आकस्मिक देनदारियों के खाते में खुलासा करना ठीक प्रतीत नही होता। जब तक न्यायालय द्वारा मामले का समाधान नही हो जाता।
(ii) नोट संख्या 3 (सी) की ओर ध्यान दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि, एमएमटीसी की अचल संपत्तियों का मूल्यांकन किया गया है और नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 31.03.2021 को उचित मूल्य 1642 करोड़ है, जो पिछले मई 2019 में यह 1389 करोड़ रू. था। (नोट 32 (ii) देखें)। हालांकि, यह देखा गया कि नोट 32 (ii) में मूल्यांकन के संबंध में ऐसा कोई विवरण नहीं है। इस प्रकार, लेखे की टिप्पणियाँ उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण हैं।	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को नोट किया जाता है और इसे वित्तीय वर्ष 2020–21 के मुद्रित खातों में उपयुक्त रूप से शामिल/संशोधित किया जाएगा।
(iii) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल प्रा. लिमिटेड की नि पादन याचिका पर सुनवाई के बाद कंपनी को उक्त आदेश की तिथि से दो माह के भीतर 585.94 करोड़ रू. जमा करने का निर्देश दिया (मार्च 2021)। वित्तीय संकट के कारण, कंपनी आदेश का पालन नहीं कर सकी। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 27.08.2021 को 1.02 करोड़ रू. की राशि के दो बैंक खातों को कुर्क करने का आदेश पारित किया। रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं पर इंडस्ट्रीज एएस–10 के अनुसार एक इकाई को रिपोर्टिंग अवधि के बाद प्राप्त जानकारी को दर्शाने के लिए अपने वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण को अद्यतन करने की आवश्यकता होती है, भले ही जानकारी अपने वित्तीय विवरणों में शामिल की गई राशि को प्रभावित न करे। हालाँकि, कंपनी ने उपरोक्त तथ्य को लेखों की टिप्पणियों में प्रकट नहीं किया है और इस प्रकार, लेखे की टिप्पणियाँ उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण हैं।	चूंकि वर्ष 2021–22 में भुवनेश्वर और पारादीप के बैंक खातों को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है और वर्ष 2021–22 के दौरान आवश्यक लेखा प्रविष्टियां भी पारित की जाएंगी। इसलिए वित्तीय वर्ष 2021–22 के खातों में आवश्यक प्रकटीकरण पर भी विचार किया जाएगा। तथापि, दो बैंक खातों की कुर्की 27.08.2021 से प्रभावी की गई है, तदनुसार उक्त राशि की आवश्यक लेखा प्रविष्टि पारित की जाएगी और खातों की टिप्पणियों में प्रकटीकरण, जैसा कि लेखा पुस्तिकाओं में अपेक्षित है, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान किया जाएगा।

सीएएंडजी की अतिम टिप्पणियां	सीएएंडजी की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर
सी. स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ **31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट**	
(i) सांविधिक लेखापरीक्षक क्रमांक 1 (पैराग्राफ की ऑडिट मैटर्स के तहत) ने कहा है कि कंपनी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जबकि 31.03.2021 को कंपनी के छह क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिन्हें वित्तीय विवरणों में सामान्य जानकारी के तहत भी प्रकट किया गया है। इस प्रकार स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्टिंग उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण हैं।	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को नोट किया लिया गया है और वित्तीय वर्ष 2020–21 के मुद्रित खातों में उपयुक्त रूप से शामिल/संशोधित किया जाएगा।
(ii) उपरोक्त टिप्पणियों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के लिए हानि (769.69 करोड़ रू.) जैसा कि कंपनी के लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया गया है, 53.67 प्रतिशत बढ़कर 1182. 82 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इसलिए, कंपनी के वित्तीय विवरण 'सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण' प्रस्तुत नहीं करते हैं और स्वतंत्र लेखा परीक्षक की ओर से यह आश्वासन देना उचित नहीं था कि वित्तीय विवरण एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।	सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि प्रबंधन के साथ मामलों पर चर्चा करने के बाद 2021–22 में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा, आस्थगित कर परिसंपत्ति को भाामिल करने के पर्याप्त कारण है और एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल प्राइवेट लिमिटेड को देय ब्याज का प्रावधान सही नही है और इस प्रकार वित्तीय विवरणों पर एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह केवल विचार का विषय है। इसके अलावा नुकसान और आकस्मिक देनदारियों को 2020–21 के लिए खातों की किताबों में सही ढंग से दिखाया गया है।

दशक एक नजर में

(रू करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
हमारी देनदारियां											
इक्विटी शेयर पूंजी	**150**	150	150	100	100	100	100	100	100	100	100
अन्य इक्विटी	**272**	1034	1339	1349	1334	1278	1259	1242	1241	1321	1280
	422	1184	1489	1449	1434	1378	1359	1342	1341	1421	1380
उधार			922	519	440	272	287	413	1478	3430	6084
अन्य दीर्घकालीन देयताएं			-	-	-	19	20	10	19	5	-
दीर्घकालीन प्रावधान	**44**	45	189	184	188	179	177	183	170	137	-
	2834	**4967**	**2600**	**2152**	**2062**	**1847**	**1843**	**1947**	**3008**	**4993**	**7463**
हमारी परिसंपत्तियां											
स्थिर परिसंपत्तियां			67	65	65	209	206	212	211	205	211
घटाएं: मूल्यह्रास		29	22	17	12	152	148	130	119	108	99
निवल स्थिर परिसंपत्तियां			45	48	52	58	58	82	92	97	111
निवेश संपत्ति			4	4	4	-	-	-	-	-	-
निवेश			452	453	485	460	446	446	470	467	283
बिक्री के लिए परिसंपत्तियों			-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय परिसंपतियों सहित अन्य गैर परिसंपतियां			74	94	219	146	134	78	115	112	-
चालू पंजी			1794	1317	1070	955	977	1115	2187	4245	7035
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**555**	231	231	236	233	229	228	226	145	72	34
	2834	4967	2600	2152	2062	1847	1843	1947	3008	4993	7463
हमारी निवल आय											
बिक्री	**26365**	24056	28293	15757	11593	12460	18242	25075	28416	65929	68855
निर्यात			1104	1795	1580	673	2301	4127	2980	2045	3693
आयात			21625	11878	8480	10296	14530	18714	20954	61042	63301
घरेलू			5564	2084	1533	1492	1411	2234	4482	2842	1860
अर्जित ब्याज			4	17	28	125	100	138	280	646	475
अन्य आय	**54**	100	701	740	130	71	68	280	221	477	237
	26424	**24167**	**28998**	**16514**	**11751**	**12656**	**18409**	**25492**	**28916**	**67052**	**69566**
हमारे व्यय											
बिक्री लागत			28506	16118	11489	12374	18076	24924	28299	66048	68726
स्थापना व्यय			221	259	196	202	192	190	203	184	184
प्रशासनिक व्यय			55	48	52	53	51	47	48	52	55
वित्तीय लागत(प्रदत्त ब्याज सहित)			65	17	21	30	17	67	220	576	372
मूल्यह्रास व ऋणमुक्ति			6	5	7	5	18	12	12	12	13
बट्टे खाते में डाले गए विविध व्यय			1	0	1	0	30	1	0	0	0
बट्टे खाते मे डाले गए/वापस लिए गए ऋण/दावे/अग्रिम के लिए स्वीकृत			16	-	1	0	1	1	6	13	23
असाधारण मदें			-	-	-	-	-	210	244	100	-
आपवादिक मदें	**876**	37	9	8	(96)	(66)	(37)	23	13	(0)	-
	27518	**24394**	**28879**	**16455**	**11669**	**12597**	**18348**	**25476**	**29045**	**66987**	**69373**

हमारी बचत											
वर्ष के लिए लाभ			119	59	81	59	62	16	(128)	65	194
कराधान के लिए प्रावधान			37	10	24	3	12	(4)	(57)	5	70
कर पश्चात लाभ(पूर्वावधि समायोजन से पूर्व)			82	49	57	56	50	20	(71)	60	124
पूर्वावधि समायोजन			-	-	-	1	2	2	(1)	(11)	2
उपयोग हेतु उपलब्ध लाभ			82	49	57	55	48	19	(71)	71	122
लाभांश			30	30	30	30	25	15	10	25	25
लाभांश पर कर			6	6	6	6	5	3	0	4	4
रिटेंड अर्जन	**(770)**	(281)	46	13	21	19	18	1	(81)	42	93
सकल लाभ			474	333	220	130	208	346	300	277	330
कर पूर्व लाभ			119	59	81	58	60	14	(128)	76	192
कर पश्चात लाभ			82	49	57	55	48	19	(71)	71	122
नेट वर्थ			1489	1449	1434	1378	1359	1342	1341	1421	1380
नियोजित पूंजी			917	846	682	740	748	784	800	913	865
कार्यशील पूंजी	**1672**	4122	1794	1317	1070	955	977	1115	2187	4245	7035
अनुपात											
बिक्री पर खर्च :			0.98	1.95	2.14	2.04	1.33	0.94	0.88	0.36	0.35
स्टॉक के अनुपात में बिक्री :			0.99	10.86	20.42	3.22	1.75	1.23	3.13	1.40	0.94
बिक्री के अनुपात मे व्यापारिक लाभ:			1.68	2.11	1.90	1.04	1.14	1.38	1.05	0.42	0.48
बिक्री के अनुपात मे कर पूर्व लाभ :			0.42	0.37	0.70	0.46	0.33	0.06	(0.45)	0.12	0.28
बिक्री के अनुपात में कर पश्चात लाभ :			0.29	0.31	0.49	0.44	0.26	0.07	(0.25)	0.11	0.18
बिक्री के अनुपात में देनदार :			0.98	2.24	4.36	6.64	16.64	6.92	7.83	4.20	3.69
कार्यशील पूंजी के अनुपात में बिक्री :			6.34	8.36	9.23	7.66	5.36	4.45	7.69	6.44	10.22
बिक्री के अनुपात में कार्यशील पूंजी(गुणा)			15.77	11.96	10.84	13.05	18.67	22.48	13.00	15.53	9.79
नियोजित पूंजी से वर्ष के लिए लाभ :			12.98	6.97	11.90	7.90	8.23	2.04	(16.04)	7.13	22.41
नियोजित पूंजी से कर पश्चात लाभ :			8.94	5.79	8.36	7.42	6.41	2.37	(8.82)	7.75	14.07
नेटवर्थ से वर्ष के लिए लाभ :			7.99	4.07	5.66	4.25	4.53	1.19	(9.58)	4.58	14.05
नेटवर्थ से कर पश्चात लाभ :			5.51	3.38	3.97	3.98	3.53	1.39	(5.27)	4.97	8.81
कर्मचारियों की संख्या			943	1117	1226	1334	1439	1530	1605	1673	1767
प्रति कर्मचारी बिक्री	**37.56**	30.61	30.00	14.11	9.46	9.34	12.68	16.39	17.70	39.41	38.97

*वर्ष के लिए 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 तथा 2015 के लिए बट्टे खाते में डाली गई इन्वेंट्रीज में निवल वसूली योग्य मूल्य शामिल नहीं हैं

निधियों का स्रोत और उपयोग

(रू करोड़ में)

	2020-21	2019-20	2018-19
स्रोत			
आंतरिक उत्पत्ति			
कर पश्चात लाभ	(770)	(227)	81
आस्थगित कर समायोजन	(325)	0	5
मूल्यह्रास	34	30	24
प्रावधान	707	708	668
इक्विटी	150	150	150
रिजर्व	1042	1261	1258
बाह्य उत्पत्ति			
बैंक	2364	3732	922
वर्तमान देयताएं	1746	1561	1805
अन्य देयताएं	974	103	239
कुल स्रोत	**5922**	**7318**	**5152**
उपयोग			
स्थिर परिसंपत्तियां	75	77	73
निवेश	540	540	461
व्यापार ऋण	946	2314	669
इन्वेंट्रीज	46	218	280
ऋण व अग्रिम	3919	3818	3378
नकद व बैंक शेष	166	120	55
आस्थगित कर	230	231	236
कुल उपयोगिता	**5922**	**7318**	**5152**

वित्तीय स्थिति में परिवर्तन का विवरण

(रू करोड़ में)

निधियों के स्रोत	2020-21		2019-20		2018-19	
आंतरिक अर्जन						
पर पश्चात लाभ	(770)		(227)		81	
मुल्यह्रास	5	(765)	6	(221)	6	87
आस्थगित कर समायोजन		231		231		236
उधारियां						
ऋण निधि		(1,368)		2,810		403
कुल स्रोत		**(1,902)**		**2,820**		**726**
निधि का अनप्रयोग						
स्थायी परिसंपति		-		6		3
निदेश		1		37		(1)
आस्थगित कर परिसंपति		**555**		**231**		**231**
अंतिम लाभांश		-		45		30
लाभांश कर		**-**		**9**		**6**
इंवेन्ट्री		(172)		(62)		(1,432)
व्यापार प्राप्य		(1,370)		1,648		(75)
ऋण व अन्य परिसंपति		103		440		566
नगद व बैंक शेष		46		65		(13)
देयताएं		(183)		238		1,323
प्रावधान		(882)		163		88
निधि का कुल अनप्रयोग		**(1,902)**		**2,820**		**726**

प्रावधान + ओसीआई

कमोडिटी–वार निष्पादन

(रू करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
निर्यात												
लौह अयस्क	**1792**	1602	564	1091	923	361	1,401	1,670	989	305	1,939	1,924
मैंगनीज अयस्क/आक्साइड	**5**	9	10		-	-	7	14	23	34	58	102
क्रोम ओर/कंसन्ट्रेट	-	74	126	191	350	82	34	353	378	616	808	627
पिग आयरन	-	110	375	401	242	230	629	1,099	289	940	814	489
स्लैग	-	-	8	1	-	-	-	2	-	-	-	-
उर्वरक	-	-	-	-	-	-	-	235	153	149	74	80
कृषि उत्पाद	-	-	-	-	-	-	229	754	1,148	-	2	-
कच्चा उन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
मर्चेंटिंग व्यापार	-	-	-	61	21	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य व्यापार	**8**	7	21	50	45	-	-	-	-	-	-	-
कुल निर्यात	**1805**	**1802**	**1104**	**1795**	**1580**	**673**	**2301**	**4127**	**2980**	**2045**	**3693**	**3223**
आयात												
मेटल्स/आईआरएम												
कॉपर/कॉपर कैथोड्स	-	-	-	1	166	-	-	-	10	133	124	155
जिंक	-	95	136	147	-	101	56	62	84	138	121	149
लैड	**73**	1	0	0	-	0	3	2	5	4	12	9
टिन	-	8	8	45	39	18	20	39	42	67	101	52
निकल	-	32	23	26	58	18	72	75	57	139	330	104
अल्यूमीनियम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
एंटीमनी मैटल	-	-	-	1	4	4	5	7	6	-	3	1
स्टील/स्क्रैप/एचआर कॉयल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	108	158
अन्य	-	21	25	26	10	-	-	-	11	58	28	33
अनुप्रयोग	**73**	**157**	**192**	**246**	**278**	**141**	**156**	**185**	**214**	**587**	**827**	**664**
उर्वरक												
सल्फर	**6**	6	17	14	6	16	23	23	23	22	14	22
यूरिया	**9180**	11091	10111	1823	2,418	2,611	7,797	3,597	1,170	4,893	1,453	1,408
डीएपी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	-	57
एमओपी	-	-	-	-	158	-	176	128	560	528	394	930
फोस्फोरिक एसिड	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	1	24	97	-	-	-	-	-	0
कुल कारोबार	**9186**	**11097**	**10128**	**1838**	**2652**	**2725**	**7996**	**3747**	**1754**	**5587**	**1861**	**2418**

हीरा / सोना / एमरेल्ड	**11364**	7072	9581	8939	4,874	6,342	4,334	8,412	13,137	50,461	50,193	31,603
कृषि उत्पाद	**-**	96	610	529	106	58	70	1,214	1,378	1,184	1,492	1,464
हसईड्रोकार्बन	**74**	646	1097	323	570	1,013	1,948	5,151	4,469	3,220	8,923	3,820
अन्य	**-**	5	17	3	-	17	26	5	3	3	4	0
कुल आयात	**20697**	**19073**	**21625**	**11878**	**8480**	**10296**	**14530**	**18713**	**20955**	**61042**	**63301**	**39969**
घरेल												
कॉपर / जिंक / ब्रास / अल्युमीनियम	**1**	5	1		-	0	-	-	-	-	2	119
पिग आइरन / स्लैग / स्टील	**1**	558	1488	417	174	187	176	234	980	827	418	635
फर्टिलाइज़र्स	**-**	3	5	2	0	160	86	5	8	9	4	4
एग्रो प्रोडक्टस	**644**	660	370	20	103	298	-	502	1,604	846	129	125
ज्वेल्स एंड ज्वेलरी / सिल्वर	**"**	1232	3206	1168	1,165	708	812	761	538	682	492	527
हसईड्रोकार्बन	**510**	692	356	439	69	114	176	446	1,166	348	587	175
अन्य	**6**	31	138	38	22	24	161	287	186	130	228	347
कुल घरेलू	**3863**	**3181**	**5564**	**2084**	**1533**	**1492**	**1411**	**2234**	**4482**	**2842**	**1860**	**1932**
कुल कारोबार	**26365**	**24056**	**28293**	**15757**	**11593**	**12460**	**18242**	**25075**	**28416**	**65929**	**68854**	**45124**

मूल्य वर्धित विवरण

(रू करोड़ में)

	2020-21		2019-20		2018-19	
मूल्य वर्धित						
बिक्री एवं अन्य व्यापारिक अर्जन	26,382		24,135		28,979	
जमा: अन्य आय	37		25		18	
	26419		24160		28997	
घटा : प्रयुक्त माल और सेवाओं की लागत	25,186		23,295		27,624	
कुल मूल्यवर्धन	**1233**		**865**		**1373**	
मूल्य वितरण						
परिचालन व्यय	1,081	87.70	659	76.18	881	64.15
रोजगार लागत	135	10.95	194	22.48	221	16.13
प्रशासन लागत	912	73.94	105	12.14	69	5.02
प्रावधान	1	0.09	0	0.06	16	1.16
मूल्यह्रास	5	0.40	6	0.65	6	0.40
ब्याज (निबल)	193	15.68	128	14.76	62	4.49
आय कर	(325)	(26.32)	-	0.00	37	2.71
रिटेंड अर्जन	(770)	(62.43)	(227)	(26.26)	81	5.93
कुल मूल्य वितरण	**1,233**	**100**	**865**	**100**	**1,373**	**100**
विश्लेषण						
कर्मचारियों की संख्या	702		786		943	
प्रति कर्मचारी मूल्य वर्धन	1.76		1.10		1.46	
नेट वर्थ	422		1,184		1,489	
नेट वर्थ का प्रति रूपये मूल्य वर्धन	2.92		0.73		0.92	

देशवार आयात

(रू करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2021	2020	2019
अफ्रीका			
इजिप्ट	1113	904	576
अल्जीरिया	-	105	121
मलावी	-	-	-
नाइजीरिया	-	-	66
दक्षिण अफ्रीका	83	-	-
	1,196	**1,009**	**763**
एशिया			
चाइना	3207	4238	3603
वियतनाम	98	91	-
इंडोनेशिया	424	1109	155
जापान	-	7	2
कोरिया	2	1	35
मलेशिया	94	-	-
हॉंगकॉंग	-	-	43
रशिया	249	665	695
सिंगापुर	-	55	196
तायवान	-	-	-
	4074	**6166**	**4729**
पूर्वी यूरोप			
कज़ाखिस्तान	-	21	6
उज्बेकिस्तान	-	45	73
उक्रेन	1110	719	-
	1110	**785**	**79**
मिडिल ईस्ट			
बेहरीन	336	536	291
दुबई	-	46	105
ईरान	-	-	1391
ओमान	1278	1371	997
कतार	83	343	383
साउदी अरब	-	191	501
टर्की	4642	128	-
यूएई	-	1244	1454
	6339	3859	5122
नार्थ अमेरिका			
यूएसए	5	11	207
	5	**11**	**207**
दक्षिण अमरिका			
ब्राजिल	1	-	-
	1	-	-
ओशीनिया			
आस्ट्रेलिया	94	870	2446
	94	**870**	**2446**
पश्चिमी यूरोप			
लग्ज़मबर्ग		-	-
फिनलैंड	204	199	127
नीदरलैंड	6	7	-
लेटीविया		104	121
स्विटजरलैंड	4844	3396	2607
नोर्वे		21	25
यूके	1667	1956	3615
ईटली	11		
	6732	**5683**	**6495**
कुल आयात	**19551**	**18383**	**19841**

देशवार निर्यात

(रू करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त	2021	2020	2019
एशिया			
बंगलादेश	-	-	205
चीन	8	85	78
हांगकांग	5	-	-
जापान	1393	1252	512
कोरिया	399	350	125
मलेशिया	-	-	-
नेपाल	-	1	8
ईंडोनेशिया	-	5	6
सिंगापुर	-	109	
थाईलेंड	-	-	170
कुल निर्यात	**1805**	**1802**	**1104**

राजकोश में योगदान

(रू करोड़ में)

	2020-21	2019-20	2018-19
केंद्र सरकार को			
निर्यात शुल्क	182	179	234
आयात शुल्क	1,073	569	580
सेवाकर	-	-	-
सीएसटी	-	-	-
जीएसटी	163	239	88
आयकर(लाभांश पर आयकर शामिल)	21	46	25
लाभांश	-	40	27
कुल	**1,439**	**1,073**	**954**
रेलवे एवं पोर्ट को			
रेल भाडा	-	1	12
रेलवे/पोर्ट को प्लाट का किराया	3	-	4
पोर्ट प्रभार	-	8	4
कुल	**3**	**9**	**20**
राज्य सरकार को			
जीएसटी	143	66	107
कुल	**143**	**66**	**107**
कुल योग	**1,585**	**1,148**	**1,081**

निष्पादन एक नजर में

(रु करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	2021	2020	2019
कुल बिक्री	**26365**	24056	28293
इसमें शामिल है			
निर्यात	1805	1802	1104
आयात	20697	19074	21625
घरेलू	3863	3180	5564
व्यापारिक लाभ	113	174	474
अन्य स्रोत से आय	43	36	21
कर पश्चात आय	(770)	(227)	82
वर्ष के अंत में			
कुल परिसंपत्तियां	5507	6580	4455
शेयर पूंजी	150	150	150
नेट वर्थ	422	1184	1489
प्रति शेयर (रूपये)			
अर्जन	(5.13)	(1.51)	0.55
लाभांश	-	-	0.30
शेयर पूंजी पर नेट वर्थ (गुणा)	2.81	7.89	9.93
नियोजित पूंजी पर कर पश्चात लाभ (%)	117.74	(52.42)	8.94
नेट वर्थ पर कर पश्चात लाभ (%)	(182.46)	(19.17)	5.51
प्रति कर्मचारी बिक्री (रू.)	37.56	30.61	30.00

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एमएमटीसी लिमिटेड के सदस्यों को

एकल वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट

राय

हमने एमएमटीसी लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के तुलनपत्र, लाभ व हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड प्रवाह विवरण तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश तथा इक्विटी में परिवर्तन और नगद प्रवाह विवरण शामिल हैं। इसमें इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अन्य महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश तथा व्याख्यात्म सूचना (इसके बाद भवित्तीय विवरण कहा जाये) सहित वित्तीय विवरणों पर की गई टिप्पणियां शामिल हैं। कंपनी के मुबई, विजाग, चेन्नै, हैदराबाद, भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय विवरण भी शामिल हैं जिनका आडिट शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और एक सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं। कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप, इसके संशोधित, ("इंड एएस") और अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप देखें, जो आमतौर पर भारत में राज्य में स्वीकार किए जाते हैं। 31 मार्च, 2021 को कंपनी के मामलों का विवरण, हानि और कुल व्यापक आय (शुद्ध हानि और कुल व्यापक हानि सहित), इक्विटी में परिवर्तन और इसका नकदी प्रवाह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए है।

राय का आधार

हमने अधिनियम (एसए) की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम के प्रावधानों और बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं। इसके तहत और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामलों पर जोर

1. हम 1.10.2009 से 24.09.2012 की अवधि के लिए 128.89 करोड़ रुपये की राशि के एंग्लो कोल को देय पूर्व–अवार्ड ब्याज के संबंध में स्टैंडअलोन इंड–एएस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 34 (vi) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी की राय है कि एंग्लो कोल को पूर्व–मध्यस्थता ब्याज का उल्लेख अवधि के लिए देय नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 29.07.2021 के अनुसार केवल पेंडेंट लाइट और भविष्य का ब्याज 6% साधारण ब्याज पर देय होगा।

   नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) के साथ एमएमटीसी का कुल 3987.58 करोड़ रुपये (इक्विटी निवेश सहित) का एक्सपोजर है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 8 जनवरी 2020 को एमएमटीसी और अन्य केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा आयोजित इक्विटी निवेश के रणनीतिक विनिवेश और बाद में दीपम द्वारा विनिवेश पर विभिन्न बैठकों के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है। प्रबंधन ने माना है कि एनआईएनएल को निवेश और अग्रिम की कोई हानि की आवश्यकता नही है क्योंकि एनआईएनएल से देय पूर्ण बकाया राशि विनिवेश से प्राप्त राशि से वसूल की जाएगी। (स्टैंडअलोन इंड–एएस वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 36(सी) भी देखें)।

2. हम स्टैंडअलोन इंड–एएस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 10 पर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी ने संभावित ब्याज आय (वित्त वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22) तक सीमित नुकसान पर 330.69 करोड़ रुपये की आस्थगित कर संपत्ति बनाई है जो एनआईएनएल की विनिवेश आय के माध्यम से प्राप्त किया जाना है।

3. हम ऋणों के पुनर्गठन के संबंध में स्टैंडअलोन इंड–एएस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 17 पर ध्यान आकर्षित करते हैं जहां ऋणदाता

बैंकों के साथ यह सहमति हुई है कि ऋण और ब्याज की बकाया राशि 31.03.2022 तक विनिवेश के माध्यम से एनआईएनएल की आय से चुकाई जाएगी ।

4. हम विवरणों की टिप्पणी संख्या 49 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो कंपनी के संचालन और वित्तीय मामलों पर वैश्विक महामारी कोविड –19 के प्रभाव का वर्णन करता है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए, इस संदर्भ में हमारा विवरण दिया गया है कि हमारी लेखापरीक्षा ने मामले को कैसे हल किया है।

हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है। हमने इन मामलों के संबंध में, हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्वों में वर्णित जिम्मेदारियों को पूरा किया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा में स्टैंडअलोन इंड–एएस वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों के हमारे आकलन का जवाब देने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल था। हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के परिणाम, नीचे दिए गए मामलों को संबोधित करने के लिए निष्पादित प्रक्रियाओं सहित, साथ में स्टैंडअलोन इंड–एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करते हैं।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामला	लेखा परीक्षकों का उत्तर
1.	संदर्भ नोट नं 34 दावों पर ऋण के रूप में स्वीकार नही किया गया है जिसमें लंबित कानूनी मामलों के दावों को शामिल किया गया है। विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के समक्ष बडी संख्या में मामले लंबित हैं। इन कानूनी मामलों में उन विवादों के संभावित परिणाम और मामले को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र कानूनी मूल्यांकन का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। विशेष गतिविधि के लेखांकन सहित व्यापार गतिविधियों को संभालने के लिए कंपनी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय और विभिन्न प्रभाग हैं। हालाँकि, बहुत से मामलों में कानूनी मामलों को कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर निपटाया जाता है, जबकि संबंधित वित्तीय जानकारी / लेनदेन को क्षे.का. स्तर पर निपटाया जाता है, जिससे लेनदेन को व्यापक और समग्र उपाय करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।	हमने 31 मार्च 2021 को कॉरपोरेट ऑफिस विधि प्रभाग में निपटाए गए सभी लंबित कानूनी मामलों की सूची पिछले साल की तुलना में मामलों की स्थिति में बदलाव पर प्रबंधन से एक नोट के साथ प्राप्त की। हमने प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के प्रभाव पर विचार किया और कंपनी के वित्तीय दायित्व के प्रभाव का विश्लेषण किया। वित्तीय विवरण में रिपोर्टिंग में स्पष्टता रखने के लिए प्रबंधन को यह सुझाव दिया गया था कि कानूनी मामले और वित्तीय दायित्व एक ही स्थान पर हों।
2º	संदर्भ नोट नं. 11 में संबंधित पार्टियों को अग्रिम शामिल है जिसमें एनआईएनएल को दिए गए ऋण/अग्रिम पर ब्याज आय को वर्ष के दौरान आय के रूप में नही दिखया गया है।	मामले के महत्व को देखते हुए, हमने पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया। ब्याज की वसूली की संभावना को समझने के लिए हमने प्रबंधन के साथ मामले पर चर्चा की। कंपनी की राजस्व पहचान नीति की उपयुक्तता और इंड एएस 115 राजस्व पहचान के संदर्भ में इसके अनुपालन पर विचार किया गया। वित्तीय विवरणों में किए गए संबंधित डिस्क्लोजर का आकलन किया।

3.	सहायक और संयुक्त उद्यमों में निवेश की हानि का आकलन (नोट संख्या 6 देखें) 31 मार्च, 2021 तक कंपनी के पास गैर–चालू और चालू निवेश	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं लेकिन हम निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं: प्रबंधन प्रक्रिया को प्राप्त करना और समझना। हानि संकेतकों के संबंध में प्रबंधन के साथ व्यापक रूप से चर्चा की और नियंत्रणों के डिजाइन और परीक्षण संचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया। निवेश की वसूली का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली का आकलन किया और यह सुनिश्चित किया कि यह लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप है।
4.	एंग्लो कोल पर प्रावधान पर टिप्पणी संख्या 32 (ii) देखें	मामले के महत्व को देखते हुए, हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया: एंग्लो कोल के मामलों के संबंध में प्रासंगिक दस्तावेजों को प्राप्त करना और समझना। संभावित प्रभाव के संबंध में प्रबंधन के साथ चर्चा की और वित्तीय विवरण में दिखाया गया।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, की सत्य एवं सही स्थिति दर्शाने वाले वित्तीय विवरणों को बनाने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे पर्याप्त रिकार्ड का रखरखाव शामिल है जो आवश्यक है कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी रोकने तथा धोखाधड़ी व अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखा नीतियों का चयन करने तथा उनको अपनाने, ऐसे निर्णय लेने तथा आकलन करने जो तर्कसंगत तथा उचित हो, ऐसा पर्याप्त अंतरिम वित्तीय नियंत्रण तैयार करने, लागू करने जो लेखा रिकार्ड एक्युरेसी तथा पूर्णतया को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करते हों, ऐसे वित्तीय विवरण तैयार करने तथा प्रस्तुत करने जो लेखों की सही तथा सत्य स्थिति प्रस्तुत करते हों तथा लेखा विवरण धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण हुई बड़ी चूक से मुक्त हों।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय मैनेजमेंट का यह दायित्व होता है कि वह कंपनी की गोईंग कंसर्न की योग्यता का निर्धारण करे, गोईंग कंसर्न से संबंधित मामलों का खुलासा करे तथा अकाऊंटिग के लिए गोईंग कंसर्न की व्यवस्था उस स्थिति तक अपनाए जब तक कि मैनेजमेंट कंपनी का निस्तातरण न कर दे अथवा परिचालन न बंद कर दे अथवा कोई विकल्प ही न बचा हो।

निदेशक मंडल का यह दायित्व है कि वह कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर भी नजर रखे।

वित्तीय विवरणों की ऑडिट के बारे में लेखा परीक्षकों के दायित्व

हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसा उचित आश्वासन प्राप्त करे कि वित्तीय विवरणों में किसी भी सूचना एवं तथ्यों को गलत तौर पर नहीं दिया गया है, चाहे गलत जानकारी किसी धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण क्यों न दी गई हो। इसके बाद हम लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें हम अपनी राय शामिल करते हैं। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है परंतु वह इस बात की गारंटी नहीं होती है कि एसएज के अनुसार किया गया ऑडिट सदा ही किसी गलत तथ्य एवं सूचना का पता लगा सके। गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा किसी गलती से उत्पन्न हो सकते हैं तथा उन्हें एकल रूप से अथवा समग्र रूप से इतना महत्वपूर्ण अथवा प्रभावी माना जाता है कि इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोगकर्ता द्वारा किए जाने वाले निर्णयों की इससे पर्याप्त रूप से प्रभावित होने की आशंका हो।

एसएज के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में हम पेशेवर के तौर पर निर्णय लेते हैं तथा अपनी ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेहवाद को अपनाते हैं। हम यह भी करते हैं :

- वित्तीय वितरणों में दी गई गलत जानकारी, त्रुटि चाहे धोखाधड़ी अथवा गलती से हुई हो, का पता लगाते हैं तथा संबंधित जोखिम का निर्धारण करते हैं। साथ ही हम ऑडिट की ऐसी प्रकिया अपनाते हैं जो उन जोखिम के लिए रिस्पोंसिव हो। इसके अलावा ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय अथवा मत के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार होता है। धोखाधड़ी से दी गई गलत जानकारी का जोखिम त्रुटि की तुलना में अधिक होता है चूंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना हो सकती है।

- ऑडिट से संबंधित आंतरिक वित्त नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त आडिट प्रकियाएं तैयार की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(प) के अंतर्गत हमारा यह भी दायित्व होता है कि हम यह देखें कि कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है तथा यह प्रणाली नियंत्रण के लिए कारगर है ।
- प्रयोग में लाई गई लेखानीतियां तथा लेखा अनुमानों की उपयुक्तता तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों की उपयुक्तता का मूल्यांकन ।
- इस बात का निष्कर्ष निकालते हैं कि लेखांकन के लिए प्रबंधतंत्र द्वारा प्रयोग किया गया गोईंग कंसर्न उचित है, प्राप्त किए गए आडिट साक्ष्य के अनुसार क्या ऐसी घटनाओं अथवा परिस्थितियों के बारे में अनिश्चितता विद्यमान है जिनके कारण कंपनी की एक गोईंग कंसर्न की निरंतरता कायम रहने की योग्यता पर पर्याप्त संदेह बनता हो। यदि हमें यह पता चलता है कि इस बारे में पर्याप्त अनिश्चितता है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए साक्ष्य पर आधारित होते हैं। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी के लिए ऐसी स्थितियां पैदा कर सकती है जिनके कारण कंपनी के लिए गोइंग कंसर्न बने रहना संभव न हो।
- प्रकटनों सहित समग्र प्रस्तुति संरचना तथा वित्तीय विवरणों के सार का मूल्यांकन तथा क्या वित्तीय विवरण मुख्य लेनदेन तथा इवेंट्स का इस प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हैं कि वे सही प्रस्तुति की श्रेणी में आते हैं ।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत विवरणों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विचार करते हैं।

आडिट की समयसारणी तथा विस्तार क्षेत्र की योजना तथा महत्वपूर्ण आडिट परिणाम तथा आंतरिक नियंत्रण में हमें अपने आडिट के दौरान जिन कमियों का पता चलता है उनके बारे में हम संबंधित कार्मिकों से संवाद करते हैं ।

हम अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के मामले में संबंधित नीतिपरक आवश्यकताओं का पालन किया है तथा उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों जिनमें संवाद किया गया है तथा जो स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में आवश्यक है।

अन्य मामले

हमने कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में 5 क्षेत्रीय कार्यालयों के स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों का आडिट नही किया है जिसमें 31 मार्च 2021 के एकल वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना में उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 4267.69 करोड़ रू. की कुल संपति और 1671.31 करोड़ रू. का कुल राजस्व दिखाया गया है जैसा कि एकल वित्तीय विवरण में विचार किया गया था। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं का आडिट ब्रांच आडिटरों ने किया है जिनकी रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराई गई है और हमारी राय में जहां तक इन ब्रांचों के संबंध में शामिल की गई राशि और प्रकटन का संबंध है यह पूरी तरह ऐसी ब्रांचों के आडिटरों की रिपार्ट पर आधारित है।

इस मामले में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनीज (आडिटर रिपोर्ट) (आदेश) के द्वारा अपेक्षित हम **अनुलग्नक –ए** में जैसा लागू है, आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण दे रहे हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं :–

   ए) हमने ऐसी उपरोक्त वित्तीय विवरणों की सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी एवं विश्वास में लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे ।

   बी) हमारी राय में बहियों की हमारी जांच से स्पष्ट होता है कि कंपनी द्वारा कानून के अनुसार अपेक्षित उचित खाता बहियां बनाई गई हैं

   सी) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन लेखा पुस्तिकाओं के अनुरूप हैं

   डी) हमारे विचार में उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 जिसके साथ यथा संशोधित कंपनीज (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 पठनीय है में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं ।

   ई) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना

संख्या जीएसआर 463(ई) अधिनियम की धारा 164 की उप धारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

एफ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा इस प्रकार के नियंत्रण के परिचालन प्रभाव के लिए **"अनुलग्नक बी"** में दी गई हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें ।

जी) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार निदेशक को पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

एच) यथा संशोधित कंपनीज (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के संबंध में हमारी राय तथा हमारी सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :–

i. बिक्री कर, कस्टम ड्यूटी और उत्पाद शुल्क से संबंधित मामलों सहित लंबित मुकदमें जिनका खुलासा आकस्मिक देयता के रूप में किया गया है – एकल वित्तीय विवरण के नोट 34 और 36 का संदर्भ लें। इसके प्रभाव का निर्धारण करना संभव नहीं है चूंकि मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं।

ii. कंपनी के पास डेरीवेटिव करारों सहित कोई दीर्घावधि करार नही है जिसके लिए कोई ठोस हानि की संभावना हैं ।

iii. कंपनी ने निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोश में 0.66 लाख रुपये हस्तांतरित नहीं किए हैं।

3. भारत के सीएजी द्वारा कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत जारी निर्देशों के तहत हमने अपनी रिपोर्ट अनुलग्नक–सी में प्रस्तुत की है।

कृते एम एल पुरी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 002312एन)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.10.2021
यूडीआईएन 21095584AAAALG7320

चार्टड एकाउंटेंट आर सी गुप्ता
भागीदार
सदस्य सं. 095584

एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक –ए
हम रिपोर्ट करते हैं कि:–

("अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकता" के अंतर्गत पैराग्राफ 4 में संदर्भित) हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में :–

i. कंपनी ने अपनी स्थिर परिसंपत्तियों का उपयुक्त रिकार्ड बनाया है जिसमें स्थिर परिसंपत्तियों की मात्रा तथा उनकी स्थिति सहित पूरे विवरण दिए गए हैं।

ii. हमें दी गई वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर, हमारी राय में, प्रबंध तंत्र द्वारा उचित अंतराल पर उक्त परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया है।

iii. अचल परिसंपत्ति की टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पर है सिवाय नीचे दिए गए मामलों के :

क्षेत्र/कार्यालय	परिसंपत्ति का विवरण	सकल मूल्य	क्षेत्र	टिप्पणियां
कारपोरेट कार्यालय	लीजहोल्ड भूमि(स्कोप) कार्यालय भवन(स्कोप)	1.04 करोड़ 5.74 करोड़	–	लीज डीड स्कोप के नाम पर है जिसे कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया जाता है !

इसके अलावा एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल प्राइवेट लिमिटेड के साथ विवाद के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के पास 36 शीर्षक विलेख जमा किए गए हैं।

2. इन्वैंट्रीज के संबंध में :–

i. जैसा हमें स्पष्ट किया गया है मैनेजमेंट ने वर्ष के दौरान इन्वैंट्रीज का भौतिक सत्यापन किया है।

ii. हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वास्तविक सत्यापन के दौरान कोई भारी अंतर नहीं पाया गया।

iii. हमारी राय तथा हमें दी गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार मैनेजमेंट द्वारा इन्वेंट्रीज के भौतिक सत्यापन के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं को एमएमटीसी लिमिटेड के आकार तथा इसकी व्यापारिक प्रकृति के अनुरूप और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है।

3. धारा 189 के अंतर्गत कवर होने वली पार्टियों को दिए गए ऋण नोट सं. 36(सी) देखें

कंपनी ने अपनी एक संयुक्त उपक्रम कंपनी, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को असुरक्षित ऋण दिया है।

i. हमारी राय तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार जिन शर्तों व अनुबंधों पर ऋण दिया गया है वे कंपनी के हित में नुकसानदेह नहीं है।

ii. हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार ऋण की अदायगी की शर्त तथा ब्याज की दर में बोर्ड द्वारा केडिट सुविधा प्रदान करते हुए संशोधन किया गया है, जिसके लिए एक नया एग्रीमेंट किया जाना है।

iii. हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार तथा केडिट सुविधा प्रदान करने के परिणामस्वरूप जिसके लिए अभी एग्रीमेंट किया जाना है, हम तुलन पत्र की तिथि को किसी भी बकाया राशि के बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

4. ऋणों, गारंटियों तथा सिक्युरिटिज के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 व 186 के प्रावधानों का अनुपालन

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन में ऋण प्रदान करने, निवेश करने और लागू होने वाली गारंटी और प्रतिभूतियां प्रदान करने के संबंध में किया है।

5. जमा राशि(डिपाजिट्स) स्वीकार करना

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आदेशों तथा धारा 73 से 76 के प्रावधानों अथवा कंपनी अधिनियम के किन्हीं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी ने कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

6. लागत रिकार्ड का रखरखाव

जैसा कि हमें बताया गया है कि अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत भारत सरकार ने कंपनी द्वारा लागत रिकार्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है।

7. अविवादित तथा विवादित सांविधिक देय राशियां

i. हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा सत्यापित रिकार्ड्स के अनुसार कंपनी द्वारा आयकर, भविश्य निधि देय, व्यावसायिक कर, मूल्यवर्धित कर तथा सेवा कर सहित अविवादित सांविधिक देय उपयुक्त प्राधिकरण में नियमित रूप से जमा किए गए हैं।

ii. दिनांक 31 मार्च, 2021 को देय तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए आयकर, भविष्य निधि देय, प्रोफेशनल टैक्स, वैट, सेवाकर तथा अन्य सांविधिक देयों की अविवादित बकाया राशि देय नहीं थी बजाय, सीपीसी (टीडीएस) द्वारा वर्ष 2007-08 में 2018-19 के लिए 2,74,760 रूपये (जैसा कि भुवनेश्वर क्षेत्र द्वारा रिपोर्ट किया गया है)

iii. किसी विवाद के कारण आयकर अथवा बिक्री कर अथवा सेवाकर अथवा सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क अथवा सेस के देयों का भुगतान न किए जाने का ब्यौरा अनुलग्नक 'ए' में दिया गया है।

8. बैंकों/वित्तीय संस्थानों/सरकार/डिबेंचर्स से ऋण

हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा सत्यापित किए गए रिकार्ड के अनुसार कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकार अथवा डिबेंचर धारकों को ऋणों अथवा उधार की अदायगी में संलग्न अनलग्नक II में दिये गये विवरण के अनुसार कोई चूक नहीं की है।

9. सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) (ऋण दस्तावेज सहित)/टर्म ऋण से प्राप्तियां

हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा सत्यापित किए गए रिकार्ड के अनुसार कंपनी ने आरंभिक/अगले सार्वजनिक निर्गम (ऋण दस्तावेजों सहित) से कोई राशि प्राप्त नहीं की है। कंपनी द्वारा लिए गए टर्म ऋण का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए लिया गया था।

10. कंपनी के साथ अथवा कंपनी द्वारा धोखाधड़ी

हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा की प्रणालियों के अनुरूप हमारे द्वारा सत्यापित रिकार्ड के अनुसार कंपनी के साथ अथवा कंपनी अथवा अधिकारियों द्वारा किए गए किसी भी धोखे का कोई भी मामला न तो संज्ञान में आया है और न ही वर्ष के दौरान प्रबंधतंत्र द्वारा सूचित किया गया है।

11. प्रबंधकीय पारिश्रमिक

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की दिनांक 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 कंपनी में लागू नहीं है। तदनुसार आदेश का पैरा 3(xi) कंपनी पर लागू नहीं है।

12. निधि कंपनियां

हमारे विचार से तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार आदेश के पैरा 3 (xii) का प्रावधान कंपनी पर लागू नही है।

13. संबंधित पार्टी लेन–देन

हमारे सत्यापन के दौरान दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारा मत है कि कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ किए गए लेनदेन अधिनियम की धारा 177 एवं 188 के अनुपालन में हैं। जहां भी अपेक्षित है इन लेनदेनों का विवरण अधिनियम की धारा 133 जिसके साथ संबंधित नियम पठनीय है, और उल्लिखित इंड एएस-24 "संबंधित पार्टी प्रकटन" के अंतर्गत स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों में उपयुक्त रूप से दिया गया है ।

14. अधिमान्य निर्गम (प्रिफ्रेंशियल इश्यू)

हमें उपलब्ध कराई गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयर अथवा आंशिक रूप से पूर्णतः परिवर्तनीय डिबेंचर्स का कोई भी अधिमान्य आबंटन अथवा प्राईवेट प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार आदेश के पैरा 3(xiv) का प्रावधान कंपनी पर लागू नही है।

15. **निदेशकों आदि के साथ गैर–रोकड़ लेन–देन**

हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान अधिनियम 2013 की धारा 192 के अंतर्गत निदेशकों अथवा निदेशकों से संबंधित किसी व्यक्ति के साथ कोई गैर–रोकड़ लेन–देन नहीं किया है। तदनुसार आदेश के पैरा 3 (xv) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

16. **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के 45–आईए का प्रावधान**

हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा सत्यापित किए गए रिकार्ड के अनुसार वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–आईए के अंतर्गत कंपनी का पंजीकरण आवश्यक नहीं है। तदनुसार पैरा 3(xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

कृते एम एल पुरी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 002312एन)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.10.2021
यूडीआईएन 21095584AAAALG7320

चार्टड एकाउंटेंट आर सी गुप्ता
भागीदार
सदस्य सं. 095584

एमएमटीसी लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक–1 के क्लॉज 7 (iii) का अनुलग्नक "ए"

मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	शामिल राशि	जमा राशि	अथॉरिटी
बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1989&90	15,01,06,778	5,00,000	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील iv)
बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1990-91	23,35,46,478	5,00,000	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील iv)
बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1991-92	32,98,738	4,00,000	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील iv)
बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	2001-02	45,03,961	-	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील I)
बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम एवं केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956	बिक्री कर	2004-05	42,00,789	-	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर) बीएसटी अपील)
महाराष्ट्र वैट, 2002	बिक्री कर	2008-09	13,04,722	71,495	महाराष्ट्र बिक्री कर ट्रिब्यूनल
महाराष्ट्र वैट, 2002	बिक्री कर	2007-08	0**	-	महाराष्ट्र बिक्री कर ट्रिब्यूनल
महाराष्ट्र वैट, 2002	बिक्री कर	2010-11	45,01,471	2,78,400	महाराष्ट्र बिक्री कर ट्रिब्यूनल
महाराष्ट्र वैट, 2002	बिक्री कर	2009-10	17,22,430	94,380	महाराष्ट्र बिक्री कर ट्रिब्यूनल
महाराष्ट्र वैट, 2002	बिक्री कर	2011-12	0*	-	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील vi)
महाराष्ट्र वैट, 2002	बिक्री कर	2013-14	13,29,839	72,921	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील vi)
केन्द्रीय बिक्री कर 1956	बिक्री कर	2011-12	48,25,144*	1,00,000	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील vi)
केन्द्रीय बिक्री कर 1956	बिक्री कर	2008-09	51,81,979	-	महाराष्ट्र बिक्री कर ट्रिब्यूनल
केन्द्रीय बिक्री कर 1956	बिक्री कर	2007-08	71,97,308	-	महाराष्ट बिक्री कर ट्रिब्यूनल
केन्द्रीय बिक्री कर 1956	बिक्री कर	2014-15	7,63,905	405,793	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील vi)
कस्टम अधिनियम 1962	सीमा शुल्क	2012-13	23,98,53,708	23,98,53,708	कस्टम आयुक्त

*दोनों अपील एक जैसे मामले के लिए कॉमन अपील अधिकारी के पास फाईल की गई है।
**पहली अपील मे मंजूर रिफंड से अधिक के लिए दूसरी अपील फाईल की गई है।

चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि	अथॉरिटी
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर जुर्माना व ब्याज	2001-02	1,78,566 (स्पेंडक्स यानी)	सहायक आयुक्त(वाणिज्यिक कर)
टीएनवेट अधिनियम	वैट एवं जुर्माना	2008-09	3,55,08,765 (डन पीज)	वाणिज्यिक कर अपील के संयुक्त आयुक्त

विजाग क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि(रूपये में)	अथॉरिटी
एपीजीएसटी*	एपीजीएसटी	1968-69	18,56,325	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी*	एपीजीएसटी	1985-86	25,05,806	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी*	एपीजीएसटी	1989-90	4,79,000	एसटीएटी,
एपीजीएसटी*	एपीजीएसटी	1991-92	19,34,139	एसी, एलटीयू
एपीजीएसटी*	एपीजीएसटी	1997-98	25,27,960	एसटीएटी, विजाग
सीएसटी**	सीएसटी	1994-95	8,41,695	एसी, एलटीयू
सीएसटी*	सीएसटी	2007-08	1,04,614	एडीसी
वीएटी	एपीवीएटी	2013-14	22,63,563	एडीसी

सीएसटी	सीएसटी	2013-14	4,10,662	एडीसी
वीएटी	एपीवीएटी	2014-15	4,17,000	एडीसी
कस्टम ड्यूटी	कस्टम ड्यूटी	2009-10	92,92,463	एसटीएटी, हैदराबाद

'एपीजीएसटी/वैट से संबंधित विवादित राशि में से क्षेत्रीय कार्यालय ने रुपए 98,76,324/– की राशि संबंधित प्राधिकरण में जमा करा दी है।

''कस्टम ड्यूटी से संबंधित विवादित राशि में से क्षेत्रीय कार्यालय ने रुपए 76,07,136 की राशि से संबंधित प्राधिकारण में जमा करा दी है।

कोलकता क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि(रूपये में)	अथॉरिटी
केन्द्रीय बिक्री कर, 1956	बिक्री कर	2005-06	10,17,873	अपीलीय बोर्ड
केन्द्रीय बिक्री कर, 1956	बिक्री कर	2013-14	46,07,728	कोलकाता उच्च न्यायालय
पश्चिम बंगाल, मूल्य संवर्धन कर अधिनियम	पश्चिम बंगाल वैट	2013-14	51,46,313	कोलकाता उच्च न्यायालय

हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि(रूपये में)	अथॉरिटी
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	1989-90	1,49,770	एसटीएटी
एपीजीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	1991-92	24,02,576	एसटीएटी
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1992-93	13,96,269	एसटीएटी – विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1993-94	17,62,687	एसटीएटी – विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1993-94	6,30,615	एसटीएटी – विजाग
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	1993-94	4,41,446	एसटीएटी – विजाग
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	1994-95	2,04,081	एसीएलटीयू
सीएसटी	बिक्री कर	1997-98	58,43,100	एसटीएटी – विजाग
सीएसटी	बिक्री कर	1999-00	39,04,454	एसटीएटी – विजाग
सीएसटी	बिक्री कर	2000-01	2,52,926	एसटीएटी – विजाग
वैट	वैट	2006-07	6,76,058	एसीएलटीयूए एसटीएटी
वैट	वैट	2007-08	71,000	एसी ऑडिट
वैट	वैट	2008-09	7,84,474	सीटीएटी
वैट	वैट	2012-13	99,49,808	एडीसी (सीटीओ)
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	2013-14	4,40,000	एसटीएटी
एपीवीएटी–जेसी	वैट	2013-14	22,00,000	एपीवीएटी–जेसी
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	2014-15	6,33,008	एडीसी (सीटीओ)

कारपोरेट कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष (एवाई)	राशि(रूपये में)	फोरम
आयकर अधिनियम	आयकर	2018-19	2,09,96,930	
आयकर अधिनियम	आयकर	2017-18	1,59,36,207	सीआईटी(ए)
आयकर अधिनियम	आयकर	2016-17	3,24,12,680	सीआईटी(ए)
आयकर अधिनियम	आयकर	2015-16	1,17,51,934	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2014-15	1,55,24,136	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2013-14	3,34,92,278	आईटीएटी

आयकर अधिनियम	आयकर	2011-12	91,77,995	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2010-11	2,57,474	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2009-10	8,06,98,915	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2008-09	1,44,83,413	सीआईटी(ए) / उच्चतम न्यायालय
आयकर अधिनियम	आयकर	2005-06	4,51,65,330	उच्चतम न्यायालय
आयकर अधिनियम	आयकर	2004-05	3,58,34,174	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2003-04	1,08,96,834	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2001-02	1,17,77,218	उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम	आयकर	2000-01	1,16,64,510	उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम	आयकर	1999-00	2,85,69,897	आईटीएटी
आय कर अधिनियम	आयकर	1998-99	58,90,533	आईटीएटी
आय कर अधिनियम	आयकर	1997-98	50,22,928	आईटीएटी
आय कर अधिनियम	आयकर	1996-97	3,73,75,477	आईटीएटी
	कुल		**42,69,28,865**	

उपरोक्त मांग के अलावा, कंपनी के द्वारा 20,45,10,551/- रुपये की राशि जमा की गई ।

दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि	अथॉरिटी
यूपी–वैट	एलएसटी / सीएसटी	1990-91	6,17,588	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी – वैट	एलएसटी	1991-92	4,70,578	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी – वैट	एलएसटी	1992-93	2,64,037	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी – वैट	एलएसटी	1993-94	1,85,100	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी – वैट	एलएसटी	1987-88	16,35,160	संयुक्त आयुक्त (अपील)ए कानपुर
यूपी – वैट	वैट	1996-97	6,11,808	आयुक्त (अपील) यूपी वैट
यूपी – वैट	वैट फार्म 3 बी(स्वर्णद्ध और फार्म 3सी 1(मेंथा आयल) नही जमा कराने पर ब्याज	2007-08	62,457	आयुक्त (अपील) यूपी वैट
हरियाणा वैट	एलएसटी	1992-93	4,24,587	फरीदाबाद, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़
एमपी – वैट	एलएसटी	1999-00	1,50,004	बिक्री कर प्राधिकरण, इंदौर
एमपी – वैट	एलएसटी	1998-99	47,30,692	निर्धारण प्राधिकरणए इंदौर
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	सीमा शुल्क तथा एसोसिएट द्वारा गोल्ड लोन के लिए स्वर्ण आभूषण निर्यात नही करने पर ब्याज	1999-00	2,72,67,919	माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित

जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि(रूपये में)	अथॉरिटी

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	2003-04	1,49,46,540	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर। (विरोध करते हुए रूपये 35 – 49 लाख जमा किया गया). कर बोर्ड में डीसी (अपील) के आदेश के खिलाफ बिक्री कर विभाग ने अपील किया। सुनवाई की अगली तारीख 15.07.2021 है
राजस्थान बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1999-00	26,07,605	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर। आरएसटी अधिनियम की धारा 84 के अंतर्गत 4767 मीट्रीक टन डीएपी की मांग के कारण कर बोर्ड के पास लंबित। सुनवाई की अगली तारीख 14.06.2021 है।
आयकर	आयकर	2009-10 to 2017-18	23,030	टीडीएस मांग।
आयकर	आयकर	2018-19	1,330	टीडीएस की मांग
आयकर	आयकर	2020-21	590	टीडीएस की मांग

अवरोध के अंतर्गत कुल रूप्ये 35,49,446 जमा किया गया ।

भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि(राशि रूपये में)	अथॉरिटी
ओएसटी अधिनियम	ओएसटी	1977-78	41,95,457	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएएसटी अधिनियम	ओएएसटी	1977-78	2,09,773	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएसटी अधिनियम	ओएसटी	1979-80	54,32,092	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएएसटी अधिनियम	ओएएसटी	1979-80	54,32,092	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएसटी अधिनियम	ओएसटी	1979-80	3,00,090	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएएसटी अधिनियम	ओएएसटी	1980-81	1,30,21,518	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएसटी अधिनियम	ओएसटी	1980-81	6,53,245	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएएसटी अधिनियम	ओएएसटी	1981-82	15,18,451	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएएसटी अधिनियम	ओएएसटी	1981-82	3,27,928	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज जुर्माना	1978-79	26,50,388	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	1978-79	34,00,919	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उडीसा बिक्री कर	1978-79	1,70,046	उडीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज जुर्माना	1979-80	6,53,452	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	केन्द्रीय बिक्री कर	1982-83	34,83,020	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज	1978-79	3,57,42,030	उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार डीसीसीटी के समक्ष जवाब दायर किया गया
उड़ीसा बिक्री कर	डीईपीबी	2006-09	14,98,22,308	उडीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण
उड़ीसा बिक्री कर	डीईपीबी	2010-12	5,08,43,080	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उडीसा मूल्य वर्धित कर	मूल्य वर्धित कर	2013-14	14,28,18,841	उडीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण
सीएसटी (ओडिशा)	केन्द्रीय बिक्री कर, 1956	2013-14	58,07,05,822	उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण
ईटी (ओडिशा)	प्रवेश कर	2013-14	52,63,10,091	उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण
सीएसटी (ओडिशा)	घोषणा प्रपत्र जारी	2011-14	75,79,583	उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण
सीएसटी (ओडिशा)	बिक्री कर	2015-16	9,48,103	उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2003-05	4,78,54,163	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2003-07	22,62,28,349	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण

केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2007-08	5,02,15,256	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2008-10	10,33,25,317	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2010-11	5,86,09,553	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2011-12	5,84,53,943	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2009-12	49,99,50,599	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2009-11	1,13,80,588	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2012-13	56,47,089	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2012-13	6,71,92,937	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2013-14	9,94,263	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सीमाशुल्क	2012-13	149,02,87,737	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
केन्द्रीय उत्पाद	सेवा कर	2014-15	17,71,628	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद	सेवा कर	2015-16	59,54,842	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क अधिनियम	सीमाशुल्क ब्याज एवं जुर्माना	2017-18	1,32,576	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम	सेवा कर	2017-18	18,315	विभाग अपील के लिए दायर किया है।

अहमदाबाद क्षेत्र

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि	अवधि	अथॉरिटी
कस्टम अधिनियम, 1962	अंतरीय सीमा शुल्क	2012-13	17,83,24,573	सीईएसटीएटी, चेन्नै

एमएमटीसी लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक ए के खंड 8 के अनुलग्नक– "II"

विवरण	बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार चूक की राशि		डिफॉल्ट की अधिकतम अवधि (दिनों में)	
ऋणदाताओं के नाम बैंकों:	मूल (रूपये)	ब्या ज(रूप्ये)	मूल	ब्याबज
बैंक आफ महाराष्ट्रा	1,60,00,00,000	9,41,84,941	199	182
पंजाब एंड सिंध बैंक	2,30,00,00,000	12,71,95,194	196	182
पंजाब नेशनल बैंक	5,00,00,00,000	25,06,70,473	93	182
इंडियन बैंक (पूर्व इलाहाबाद बैंक) टर्म लोन 12 समान तिमाही किश्तों में चुकाने योग्य रु. 16.67 करोड़ 31.12.2020 से देय	16,67,00,000	10,23,17,700	90	182
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व कॉर्पोरेशन बैंक)	5,00,00,00,000	21,53,80,335	38	182
कुल योग	**14,06,67,00,000**	**78,97,48,643**		

एमएमटीसी लिमिटेड के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक – बी

कंपनी अधिनियम 2013(अधिनियम) की धारा 143(3) (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल इंडएएस वित्तीय विवरणों के हमारे आडिट के साथ 31 मार्च 2021 से संबंधित एमएमटीसी लि.(कंपनी) के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबंधन का दायित्वः

कंपनी द्वारा इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आडिट पर दिशा निर्देश नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना और रखरखाव के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इसमें इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाईन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके व्यवसाय को सक्षम और सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सुनिश्चित करने के प्रभावी तरीके से परिचालित हो रहे थे। इसमें अधिनियम 2013 के अंतर्गत संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों से बचाव और इसकी पहचान लेखा रिकार्डो की सटीकता और इसकी पूर्णता भी शामिल हैं।

आडिटरों का दायित्वः

हमारा दायित्व हमारे आडिट पर आधारित कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय देना है।

हमने लेखा मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आडिट पर दिशा निर्देशों के अनुसार आडिट किया है जो अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्धारित माना गया है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और इंस्टम्टयूट आफ चार्टर्ड एकांउटेंट आफ इंडिया दोनो द्वारा जारी दोनो पर लागू है, के आडिट पर लागू है। हम उन मानकों और दिशा –निर्देशों का नीतिपरक अपेक्षाओं और योजनाओं के साथ अनुपालन करते हैं और पर्याप्त आश्वासन लेने के लिए आडिट करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रमाणित हो और इससे संबंधित सभी का प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण हो सके।

हमारे आडिट में निष्पादन प्रक्रिया को अपनाया है जिससे वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के आडिट प्रमाण मिल सके और उनकी संचालन प्रभावशीलता मिल सके।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ पैदा करने, मूर्त कमजोरी में जोखिम का पता लगाना और इसके जोखिम पर आधारित डिजाइन और आंतरिक नियंत्रण के परिचालित प्रभावशीलता की जांच और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया आडिट के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें ईंडएएस वित्तीय विवरण का ठोस गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमें जो आडिट प्रमाण मिले हैं वे कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी आडिट राय के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्रायः

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्वांतों के अनुसार बाहय उददेश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में इन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है कि

(ए) रिकार्ड के रख रखाव से संबद्व जो उचित विवरण में कंपनी की संपत्तियों के लेन देन, प्रकृति को सटीक और उचित रूप से प्रतिबिंबित करते हैं।

(बी) उचित आश्वासन देता है कि लेन देन को आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्वांतों के अनुसार ईंडएएस वित्तीय विवरणों की तैयारी करने के लिए आवश्यक रूप में रिकार्ड किया गया है और कंपनी के प्रबंधन और निवेशकों के अधिकारों के अनुसार कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है।

(सी) रोकथाम या अनाधिकृत अधिग्रहण की समय पर खोज, उपयोग के संबंध में उचित आश्वासन उपलब्ध कराता है या कंपनी की संपत्ति की प्रकृति जिसका ईंडएएस वित्तीय विवरण पर ठोस प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्विहित सीमाएंः

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतनिर्हित सीमाएं जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित तरीके से प्रबंधन का

नियंत्रण अपने हाथ में लेना, ठोस गलत विवरण जो त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण हो सकता है इसमें शामिल है, जिसका पता न लग सके! भविष्य की अवधि में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय विवरण के किसी मूल्यांकन के प्रोजेक्शन जोखिम पर निर्भर करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं क्योंकि स्थिति में परिवर्तन हो सकता है या नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा बदतर हो सकती है।

राय :

हमारी राय में हमारी सूचना और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी में सभी ठोस मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त रूप में हैं और इस प्रकार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 से प्रभावी रूप से संचालित है जो कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर मानदंड पर आधारित थे। इनकी स्थापना के समय इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आडिट पर दिशा–निर्देशों में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रकों के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया है।

कृते एम एल पुरी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 002312एन)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.10.2021
यूडीआईएन 21095584AAAALG7320

चार्टड एकाउंटेंट आर सी गुप्ता
भागीदार
सदस्य सं. 095584

अनुलग्नक – सी : एमएमटीसी लिमिटैड के एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों पर उसी तिथि को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत सीएजी द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी
I	क्यां कंपनी के पास सभी अकाउंटिग लेन–देन को आईटी सिस्टम के द्वारा करने की प्रणाली है, यदि हां तो वित्तीय लागू के साथ अकाउंट की संपूर्णता आई टी सिस्टम के बाहर अकाउंटिंग लेने की प्रक्रिया लागू है, यदि कोई है, तो दर्ज किया जाए ।	हां, कंपनी के पास सभी अकाउंटिग लेन–देन को एकल आईटी सिस्टम के द्वारा करने का सिस्टम है जिसमें आंकड़ा इसके ईआरपी सिस्टम को स्थानांतरण किया जाता है। यद्यपि आधुनिक पूर्ण आर पी सिस्टम की अनुपलब्धता में कुछ लेन देन आई टी सिस्टम में मैन्युली प्रविष्टी दर्ज किये जाते हैं। उन लेन.देन का न तो अकाउंट की पूर्णता पर न ही वित्तीय आशय पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे लेन देन जो कि आई टी सिस्टम में मैन्यूली पारित हुए हैं नीचे हैं : हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर) परीक्षण के आधार पर) जहां कही भी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के बाहर कामकाज पर आधारित होते हैं) खातों की सत्यनिष्ठा में कमी और कोई वित्तीय प्रभाव नोट/रिपोर्ट नही किया गया है।
II	कंपनी की असमर्थता के कारण लोन अदायगी के लिए कंपनी के ऋणदाता के द्वारा मौजूदा ऋण के पुनगर्ठन अथवा छूट के मामले/उधार/ ऋण/ब्याज आदि के राईट ऑफ है ? यदि हां तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें!	मामला कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान ऋण पुनर्गठन के लिए सभी ऋणदाताओं से संपर्क किया था और 2020–21 के दौरान अंतिम ऋण पुनर्गठन समझौते को अंतिम रूप नही दिया/हस्ताक्षर नहीं किया जा सका। अंत में इसे 10 जून 2021 को हस्ताक्षरित किया गया है और वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान प्रभाव शून्य है।
III	क्या केन्द्रीय राज्य एजेंसियों के द्वारा विशेष योजनओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का इसके नियम एवं नियम एंव शर्तों के साथ इस्तेमाल होने के लिए उचित तरीके से हिसाब हुआ है। विचलन में मामलों को सूचीबद्ध करें।	ऐसा कोई मामला नहीं है ।

ईआरपी प्रणाली में मैन्यूली पारित लेन–देन की सूची

क्रम सं.	लेखा क्षेत्र	लेखा गतिविधि	अखंडता एवं वित्तीय समावनाओं पर प्रभाव
1	आईजीसी सहित खुदरा वस्तु की बिक्री	खुदरा व्यापार में माल की बिकी एवं स्वतंत्र साफटवेयर के माध्यम से की जाती है, जिसमें डेटा, मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना, ईआरपी में स्वचालित रूप से एकीकृत नहीं होता है !	कोई नहीं
2	समापन सूची	कम लागत अथवा बाजार मूल्य पर समापन वस्तु सूची की कीमत मैन्यूली लगायी जाती है और जर्नल वाउचर के ईआरपी में प्रविष्ट की जाती है।	कोई नहीं
3	मूल्यह्रास	कपंनी अधिनिय 2013 की अनुसूची III में निर्दिष्ट के अनुसार मूल्यह्रास की गणना मैन्यूली की जाती है और सिस्टम में जर्नल वाउचर के द्वारा प्रविष्ट की जाती है ।	कोई नहीं
4	हेजिगं प्रविष्टयां	प्रतिरक्षा/बचाव के लिए लेखा प्रविष्टियां मैन्यूली पास की जाती है और प्रत्येक अवधि के समापन में ईआरपी प्रणाली में जर्नल वाउचर के द्वारा प्रविष्ट की जाती है ।	कोई नहीं
5	महीने की समाप्ति में खर्च का प्रावधान	प्रक्रिया मैन्यूली की जाती है और जर्नल वाउचर से ईआरपी में प्रविष्टि की जाता है ।	कोई नहीं

कृते एम एल पुरी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 002312एन)

चार्टड एकाउंटेंट आर सी गुप्ता
भागीदार
सदस्य सं. 095584

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.10.2021
यूडीआईएन 21095584AAAALG7320

एम एम टी सी
लि मि टे ड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

वित्तीय विवरण

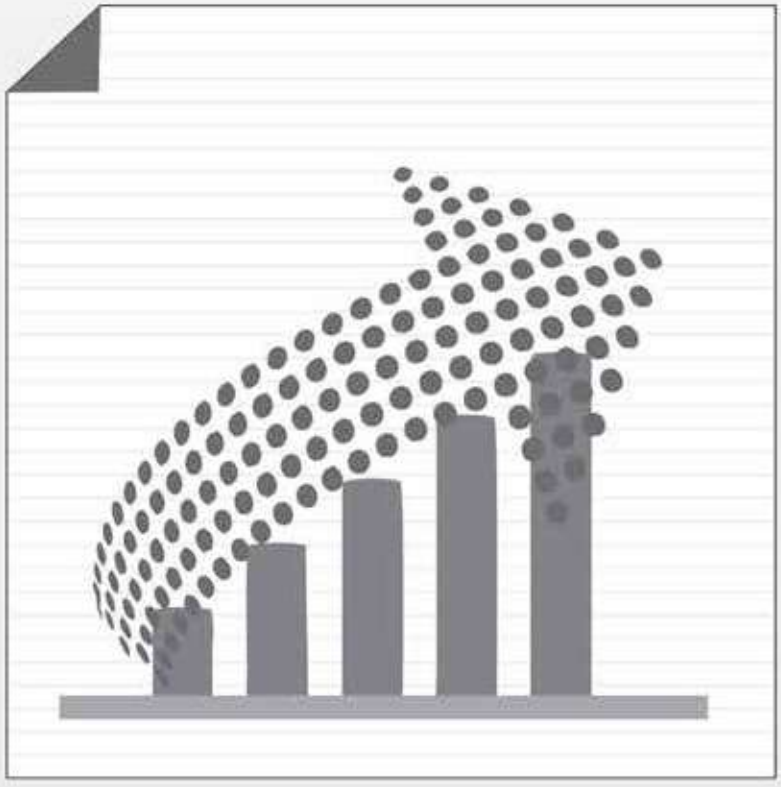

एमएमटीसी लिमिटेड

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र

(रुपए करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2021 को	31.03.2020 को
परिसंपत्तियां			
गैर चालू परिसंपत्तियां			
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	3	**34.39**	38.64
संपत्ति,उपयोग का अधिकार	3	**3.35**	4.47
कार्यशील पूंजीगत	3	**-**	-
निवेश संपत्ति	4	**3.88**	4.03
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	5	**0.39**	0.56
वित्तीय परिसंपत्तियां			
निवेश	6A	**22.83**	21.76
व्यापार प्राप्य	7A	**-**	-
ऋण	8	**5.44**	6.65
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	**45.33**	46.13
स्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	10	**555.44**	230.84
अन्य चालू परिसंपत्तियां	11A	**24.79**	24.80
चालू परिसंपत्तियां			
इन्वेंट्रीज	12	**45.64**	217.74
वित्तीय परिसंपत्तियां			
निवेश	6B	**-**	-
व्यापार प्राप्य	7B	**555.69**	1,925.36
नगद तथा नगद समतुल्य	13	**132.71**	63.27
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	14	**33.21**	56.86
ऋण	8	**1.36**	1.72
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	**5.80**	8.48
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	15	**2.64**	11.44
अन्य चालू परिसंपत्तियां	11B	**3,566.92**	3,450.45
बिकी के लिए रोकी गई संपत्ति	6C	**466.95**	466.97
कुल परिसंपत्तियां		**5,506.76**	**6,580.17**
इक्विटी तथा देयता			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	16A	**150.00**	150.00
अन्य इक्विटी	16B	**272.46**	1,034.15
देयताएं			
गैर–चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
उधार	17A	-	166.70
अन्य वित्तीय देनदारी	19A	**3.61**	5.81
प्रावधान	20A	**44.03**	44.84
चालू देयताएं			
वित्तीय देयताए			
उधार	17B	**2,364.01**	3,565.18
व्यापार प्राप्य			
कुल सूक्ष्म और लघु उद्यम बकाया देय	18	**0.03**	0.08
कुल सूक्ष्म और लघु उद्यम से अलग बकाया देय देनदारी		**764.98**	663.13
अन्य वित्तीय देयताएं	19B	**208.82**	199.35
अन्य चालू देनदारियां	21	**772.23**	698.53
प्रावधान	20B	**926.59**	52.40
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	22	**-**	-
कुल इक्विटी और देयता		**5,506.76**	**6,580.17**

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणीयों को देखें 1 – 52

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफ.आर सं. 00002312 एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एमनं. 095584
दिनांक: 27.10.2021
स्थान: नई दिल्ली

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दास)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन: 08751137

(जे. रवि शंकर)
निदेशक
डीआईएन : 6961483

(संजय चड्ढा)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00752363

'एमएमटीसी की अचल संपतियों का मूल्यांकन किया गया है और नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 31.03.2021 को उचित मूल्य 1642 करोड़ रु. है, जबकि पिछले मूल्यांकन मई 2020 में 1389 करोड़ था।

एमएमटीसी लिमिटेड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा विवरण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
आय			
परिचालन से राजस्व	23	**26,381.61**	24,134.98
अन्य आय	24	**42.19**	32.19
कुल आय (I)		**26,423.80**	**24,167.17**
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	25	**75.51**	177.46
व्यापार में स्टॉक की खरीद	26	**24,948.63**	23,073.63
तैयार माल की इंवेंट्रीज, स्टॉक इन ट्रेड और वर्कइन में परिवर्तन	27	**161.85**	43.96
कर्मचारी लाभ व्यय	28	**135.04**	194.37
वित्तीय लागत	29	**198.48**	139.00
मूल्यह्रास तथा अमोर्टाइजेशन व्यय	30	**4.94**	5.65
अन्य खर्च	31	**1,116.39**	716.01
कुल खर्च (II)		**26,640.84**	**24,350.08**
असाधारण मदों तथा टैक्स (I-II) से पूर्व लाभ / (हानि)		**(217.04)**	(182.91)
असाधारण मदें –व्यय / (आय)	32	**877.17**	44.32
कर पूर्व लाभ		**(1,094.22)**	**(227.23)**
कर व्यय	33		
– वर्तमान कर		**-**	-
– पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन		**0.07**	(0.12)
– आस्थगित कर		**(324.60)**	-
कुल कर व्यय		**(324.53)**	**(0.12)**
वर्ष के लिए लाभ (ए)		**(769.69)**	**(227.11)**
अन्य व्यापक आय			
ऐसी मदें जिनको लाभ अथवा हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:			
– परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मूल्यांकन		**6.93**	(11.27)
– अन्य व्यापक आय द्वारा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स		**1.07**	(9.38)
– आयकर का प्रभाव			
कुल अन्य व्यापक आय नेट आफ टेक्सर (बी)		**8.00**	**(20.65)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		**(761.69)**	**(247.76)**
प्रति इक्विटी शेयर से अर्जन			
बेसिक व डाइल्यूटेड (में)	43	**(5.13)**	**(1.51)**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ.आर सं. 00002312 एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एमनं. 095584
दिनांक: 27.10.2021
स्थान: नई दिल्ली

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दास)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन: 08751137

(जे. रवि शंकर)
निदेशक
डीआईएन : 6961483

(संजय चड्ढा)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00752363

एमएमटीसी लिमिटेड

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्श के लिए	
ए. प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ/हानि		**(1,094.22)**		(227.23)
के लिए समायोजन :–				
इंवेंट्रीज के मूल्यांकन पर हानि	**1.59**		7.50	
मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय	**4.94**		5.65	
निवल विदेशी मुद्रा (लाभ)/हानि	**(11.95)**		(5.81)	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	**(1.38)**		(0.06)	
गैर चालू निवेश की मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	**-**		33.80	
ब्याज आय	**(4.68)**		(10.59)	
लाभांश आय	**(28.71)**		(12.41)	
वित लागत	**197.99**		138.68	
लीज पर ब्याज खर्च	**0.49**		0.32	
बट्टे खाते में डाले गये ऋण/दावे	**5.80**		0.34	
सीएसआर व्यय	**0.89**		1.43	
संदिग्ध ऋणों/दावे व अग्रिमों के लिए भत्ता	**1.06**		0.49	
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	**(0.30)**		(3.83)	
रिटन बैक देयताएं	**(4.38)**		(4.91)	
डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	**0.08**		0.04	
संयुक्त उपक्रमों के (लाभ)/हानि के शेयर में प्रयुक्त लेखों के लिए इक्विटी पद्यति(शुद्ध निवल आयकर)		**161.46**		150.63
कार्यगत पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ		**(932.76)**		**(76.60)**
के लिए समायोजन :–				
इन्वेंट्रीज	**170.51**		54.57	
व्यापार प्राप्ति योग्य	**1,367.33**		(1,645.31)	
ऋण व अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**5.05**		(3.99)	
अन्य चालू व गैर चालू परिसंपत्तियां	**(92.81)**		(476.26)	
व्यापार प्राप्य	**113.90**		(359.04)	
अन्य वित्तीय देयताएं	**7.26**		25.09	
अन्य चालू व गैर चालू देयताएं	**73.70**		137.81	
प्रावधान	**879.34**	**2,524.28**	(154.15)	(2,421.28)
		1,591.52		**(2,497.89)**
प्रदत्त कर		**8.74**		(19.50)
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		**1,600.26**		**(2,517.39)**
बी. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	**(0.49)**		(4.96)	
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	**2.61**		0.69	
निवेश की बिक्री/खरीद	**0.02**		(79.42)	
प्राप्त किया गया ब्याज	**4.68**		10.59	
प्राप्त किया गया लाभांश	**28.71**	**35.53**	12.41	(60.68)
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		**35.53**		**(60.68)**
सी. वित गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
लिये गये उधार	**(1,367.87)**		2,809.95	
वित्त लागत	**(197.99)**		(138.68)	
लीज (ब्याज)	**(0.49)**		(3.40)	
प्रदत्त लाभांश (लाभांश वितरण कर)	**-**	**(1,566.36)**	(54.25)	2,613.61
वित्तीय कार्यकलापों से निवल नगदी		**(1,566.36)**		**2,613.61**
डी . नगद व नगद समतुल्य में निवल परिवर्तन		**69.44**		**35.54**
ई. आरंभिक नगद व नगद समतुल्य(नोट संख्या 13)		**63.27**		**27.73**
एफ. अंतिम नगद व नगद समतुल्य(नोट संख्या 13)		**132.71**		**63.27**

टिप्पणी :

1. उपरोक्त नगद प्रवाह विवरण "अप्रत्यक्ष पद्धति" के तहत जैसाकि नगद प्रवाह विवरण के विशय में इंड एएस–7 में बताया गया है के अनुसार तैयार किया गया है ।
2. शाखा कार्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर कारपोरेट कार्यालय में एकूअल और डेफटल के लिए समायोजन
3. नगद तथा नगद समतुल्य में भामिल है :–

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
बैंकों में उपलब्ध कोष		
(ए) चालू खाते में	**40.64**	48.41
(बी) 3 माह तक की मूल परिपक्वता वाले टर्म डिपाजिट्स	**57.92**	-
(सी) कैश क्रेडिट खाते में डेबिट कोष	**33.99**	14.82
उपलब्ध चेक/ड्राफ्ट/स्टाम्प	**0.00**	0.00
उपलब्ध रोकड़	**0.16**	0.04
	132.71	**63.27**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ.आर सं. 00002312 एन

(सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एमनं. 095584
दिनांक: 27.10.2021
स्थान: नई दिल्ली

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(बीएन दास)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन: 08751137

(जे. रवि शंकर)
निदेशक
डीआईएन : 6961483

(संजय चड्ढा)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00752363

एमएमटीसी लिमिटेड

31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में हुए परिवर्तनों का समेकित विवरण

1. इक्विटी शेयर पूंजी (रुपए करोड़ में)

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
01.04.2020 तक शेष	**1,500,000,000**	150
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31.03.2021 को शेष	**1,500,000,000**	**150**

(रुपए करोड़ में)

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
01.04.2020 तक शेष	1,500,000,000	150
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31.03.2020 को शेष	**1,500,000,000**	**150**

बी. 31 मार्च, 2021 को अन्य इक्विटी (रुपए करोड़ में)

	लंबित आबंटन पर शेयर आवेदन राशि	रिजर्व एवं सरप्लस			ओसीआई द्वारा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	कैश फ्लो हेजिज का प्रभावी हिस्सा	मुद्रा विनिमय अंतर	ओसीआई के अन्य आइटम्स	कुल
		आरएंडडी रिजर्व	सामान्य रिजर्व	रिटेंड अर्जन					
1.4.2018 को शेष	-	-	596.97	460.83	(10.00)	-	-	(13.65)	**1,034.15**
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	(769.69)	1.07	-	-	6.93	**(761.69)**
लाभांष तथा डीडीटी*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
फारवर्ड कांट्रेक्ट पर अनअमोर्टाइज्ड प्रीमियम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रिटेंड अर्जन में मदों की सीधे पहचान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजना का पुनः माप	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य कोई परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.3.2018 को शेष	-	-	**596.97**	**(308.86)**	**(8.93)**	-	-	**(6.72)**	**272.46**

31 मार्च, 2020 को अन्य इक्विटी (रुपए करोड़ में)

	लंबित आबंटन पर भोयर आवेदन राशि	रिजर्व एवं सरप्लस			ओसीआई द्वारा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	कैश फ्लो हेजिज का प्रभावी हिस्सा	मुद्रा विनिमय अंतर	ओसीआई के अन्य आइटम्स	कुल
		आरएंडडी रिजर्व	सामान्य रिजर्व	रिटेंड अर्जन					
1.4.2019 को शेष	-	0.35	586.62	755.28	(0.62)	-	-	(2.38)	1,339.25
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	(227.11)	(9.38)	-	-	(11.27)	(247.76)
लाभांष तथा डीडीटी*	-	-	-	(54.25)	-	-	-	-	(54.25)
फारवर्ड कांट्रेक्ट पर अनअमोर्टाइज्ड प्रीमियम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रिटेंड अर्जन में मदों की सीधे पहचान	-	-	-	(3.09)	-	-	-	-	(3.09)
परिभाषित लाभ योजना का पुनः माप	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य कोई परिवर्तन	-	(0.35)	10.35	(10.00)	-	-	-	-	-
31.3.2018 को शेष	-	-	596.97	460.83	(10.00)	-	-	(13.65)	1,034.15

*31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश / शून्य प्रति शेयर की राशि शून्य करोड़ रू. और लाभांश वितरण कर शून्य करोड़ रू. (पीवाई /0.30 प्रति शेयर की राशि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 45 करोड़

रू. और लाभांश वितरण कर 9.25 करोड़ रु.)।

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर न पहचाना गया लाभांश (करोड़ रुपए में)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
प्रस्तावित लाभांश	-	-
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	-	-

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ.आर सं. 00002312 एन

(सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एमनं. 095584
दिनांक: 27.10.2021
स्थान: नई दिल्ली

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दास)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएनः 08751137

(जे. रवि शंकर)
निदेशक
डीआईएन : 6961483

(संजय चड्ढा)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00752363

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के लिए नोट

1. सामान्य सूचना

1963 में स्थापित और भारत में अधिवासित कंपनी एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स, 7 इंस्टीटयूश्नल एरिया, लोदी रोड नई दिल्ली–110003, भारत में स्थित है। कंपनी के भारत में विभिन्न स्थानों पर 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड सिंगापुर में है।

कंपनी की प्रमुख गतिविधियों में खनिजों का निर्यात और कीमती धातुओं, अलौह धातुओं के आयात, उर्वरक, कृषि उत्पादों, कोयला तथा हाइड्रोकार्बन आदि का व्यवसाय शामिल हैं। कंपनी की व्यापार गतिविधियां एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के विभिन्न देशों में फैली हुई है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2.1 अनुपालन का विवरण और वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण कंपनीज (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड–एएस) तथा इनमें बाद में हुए संशोधनों के अनुरूप तैयार किया गया है। इन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी समयावधि के लिए लेखांकन नीतियों को निरंतर लागू किया गया है। वित्तीय विवरण एक्रुअल के आधार पर तैयार लेखा पुस्तिकाओं से ऐतिहासिक लागत समझौते के तहत तैयार किए जाते हैं। वित्तीय साधन, जो उचित मूल्य पर मापे जाते हैं, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार होते हैं, इसके अपवाद हैं।

2.2 कार्यात्मक और प्रस्तुति करेंसी

इन वित्तीय विवरणों को भारत की राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रूपए में तैयार किया गया है। यह कंपनी की फंक्शनल करेंसी है। वित्तीय विवरणों में इक्विटी शेयरों की संख्या और प्रति शेयर डेटा को छोडकर सभी राशियों को भारतीय रूपयों में दर्शाया गया है तथा जंहा कही ऐसा नहीं किया गया है वहां पर अन्य उल्लेख किया गया है।

2.3 अनुमान और निर्णय का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए निर्णयों अनुमानों और आकलनों की आवश्यकता होती है जो परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरण की तिथि को सूचित की गई आकस्मिक देनदारियों तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करता है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर की पहचान उस अवधि में होती है जिसमें परिणाम ज्ञात/प्राप्त होते हैं।

2.4 राजस्व पहचान

i) ट्रेडिंग आय

माल की बिक्री से प्राप्त होने वाले राजस्व की गणना रिटर्न व भत्तों, व्यापार डिस्काउंट वाल्यूम छूट को घटाकर प्राप्त प्रतिफल अथवा प्राप्त होने वाले प्रतिफल के उचित मूल्य पर की जाती है। राजस्व की पहचान तब की जाती है जब कंपनी वादा की गई सेवाओ और सामान को ग्राहक को ट्रांसफर करके निष्पादन दायित्व पर सहमत होता है और ग्राहक इसका इसपर अपना आधिकार ले लेता है और ऐसी संभावना है कंपनी ग्राहक को ट्रांसफर किए गए सामान और सेवाओं के बदले लाभ, जिसके हकदार है, कंपनी प्राप्त करेगी!

खरीद व बिक्री

ए. कंपनी के माध्यम से सरणीकृत किये गये कुछ वस्तुओं के आयात के मामले मे जो आयात भारत सरकार द्वारा जारी अधिकृत पत्र के द्वारा 'सरकारी खाते' में किये जाते हैं, वह क्रय/विक्रय कंपनी के नाम पर बुक होता है।

बी. वस्तुओं का व्यापार कमोडिटी एक्सचेंज के माध्यम से भी होता है। व्यापार के संबंध में विभिन्न कमोडिटी एक्सचेंजों के माध्यम से क्रय/विक्रय को बुक किया जाता है और इसके आधार पर माल की वास्तविक सुपुर्दगी होती है।

सी. सोने/चांदी को डिपोजिट के तहत रखा जाता है: सोने/चांदी के आपूर्तिकर्ता के साथ व्यवस्था के अनुसार धातु को आपूर्तिकर्ता द्वारा कंपनी के पास अनफिक्स्ड मूल्य आधार पर बाद में वापसी के लिए या आउटराईट क्रय के लिए रखा जाता है।

(i) नामित एजेंसी के रूप में कंपनी द्वारा संचालित एक्जिम पॉलिसी की योजना के अनुसार, खरीद में आउटराईट खरीद के आधार पर आपूर्तिकार की जमा खेप से निकाला गया सोना/चांदी शामिल हैं।

(ii) वर्ष के दौरान घरेलू बिक्री के लिए सोने की खरीद को सप्लायरों के जमा सोने/चांदी की खेप से निकासी पर और आपूर्तिकारों के साथ मूल्य निर्धारण पर शामिल किया जाता है। 'वर्ष के अंत में कंपनी में अंडर डिपॉजिट रखे गये स्टॉक को चालू परिसंपत्तियां स्टॉक के अंतर्गत 'बिना बीजक के खरीदारी के स्टाक के रूप में और चालू देयताओं के अंतर्गत वर्ष के अंत में प्रचलित बुलियन मूल्य पर बिना बीजक के खरीदारी के रूप में देय राशि में शामिल किया जाता है। हालांकि,जमा में शेष के संबंध में भुगतान सीमा शुल्क प्रीपेड खर्च में शामिल किया जाता है।

(iii) सोने/चांदी अंडर डिपॉजिट से ऋण आधार पर वापस लिये गये सोना/चांदी ग्राहकों को दिए गए ऋण के रूप में बुक किया जाता है और वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत समूहबद्ध किया जाता है। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त स्टॉक की देनदारी को सकल लेनदार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। ऋण/सकल लेनदार का समायोजन खरीद/बिक्री बुक किए जाने पर होता है।

डी. जब सोने की खरीद घरेलू बाजार से की जाती है तथा मूल्य निर्धारण को आस्थगित रखा जाता है, इस स्थिति में आरंभ में खरीद को सप्लायर से प्राप्त इन्वायस के आधार पर रिकार्ड में लिखा जाता है। मूल्य फिक्स करने पर यदि कोई अंतर आता है तो इसे डेबिट/क्रेडिट नोट के माध्यम से हिसाब में लिया जाता है।

ई. भरपाई के आधार पर, मार्जिन धन देकर निर्यातक द्वारा बुक कराए गए सोने/चांदी खरीद विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ कीमत तय करने के बाद बुक की जाती है। हालांकि, बिक्री तब बुक की जाती है जब वास्तव में निर्यात पूरा होने के बाद माल की डिलीवरी की जाती है।

एफ. हाईसीज सेल

माल के दस्तावेजों के हस्तांतरण के माध्यम से आयात बिक्री के दौरान अर्थात हाई सीज बिक्री को माल के टाईटल के दस्तावेजों के हस्तातंरण पर खरीदार के पक्ष में माल बुक किया जाता है जिससे माल पर केता का नियंत्रण हो जाता है और कंपनी बिकी आय को लेने की हकदार हो जाती है। जिससे माल पर केता का नियंत्रण हो जाता है और कंपनी बिकी आय को लेने की हकदार हो जाती है इससे पहले माल भारत के कस्टम सीमाओं से बाहर हो जाता है।

ii) अन्य ऑपरेटिंग राजस्व

कंपनी की मुख्य गतिविधियों से संबंधित आय, जो बिक्री/सेवाओं से प्राप्त होने वाले राजस्व में शामिल नहीं होती है, उदाहरण के लिए अर्जित डिस्पैच, सब्सिडी, व्यापार लेनदेन पर होने वाले नुकसान के दावें क्रेडिट बिक्री पर ब्याज और व्यापार संबंधी अग्रिम (ओवरडयू के अलावा) आदि, जो व्यापार सहयोगी या संबंधित व्यापार संबंधी योजनाओं के साथ संबंधित व्यापार समझौतों की शर्तों के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं को 'अन्य ऑपरेटिंग राजस्व' के अंतर्गत रखा जाता है।

iii) दावें

दावों की पहचान लाभ और हानि (किसी भी देय को घटाकर) के विवरण में अक्रुअल आधार पर होती है, जिसमें सरकार से मिली प्राप्तियां, सब्सिडी, नकद प्रोत्साहन, हानियां आदि की प्रतिपूर्ति शामिल है जब अंतिम वसूली की संभावना होती है। दावों की पहचान की जाती है लेकिन बाद में संदिग्ध होने के कारण लाभ और हानि विवरण में दिखाया जाता है। बीमा दावों को बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार किए जाने पर खातों में शामिल किया जाता है। कमी/क्षति जिसमें तरल क्षतियां/मात्रा/गुणवत्ता में कमी इत्यादि को संबद्ध संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार खातों में शामिल किया जाता है। यदि वर्तमान संविदा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो संभावित दावा राशि की वसूली के अतिरिक्त पार्टी द्वारा स्वीकृति मिलने पर लेखों में शामिल किया जाता है। ऐसे दावों की पहचान होने पर उसी पार्टी को अग्रिम मिलने भुगतान योग्य दावे के एवज में वसूली की जाएगी/समंजन किया जाएगा।

iv) सेवा आय

कंपनी मुआवजे का हक देने के लिए सेवाओं में राजस्व बुक किया जाता है जब ग्राहक को वायदा की गई सेवाएं ट्रांसफर करने पर निष्पादन दायित्व पूरा हो जाए।

v) लाभांश और ब्याज आय

निवेश से लाभांश आय की पहचान तब की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार प्रमाणित हो जाता है और यह संभव है कि लेनदेन से जुडे आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आय की राशि की गणना विश्वसनीय रूप से की जा सकती है।

ब्याज आय की पहचान बकाया राशि और प्रभावी ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात आधार पर होती है, जो वित्तीय परिसंपत्ति की सकल राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों पर छूट की दर है।

vi) वास्तविक वसूली पर राजस्व की पहचान

राजस्व की पहचान अक्रुअल आधार पर नीचे दी गई मदों को छोडकर, इंड एएस–115 के प्रावधानों के अनुसार होती है।

जिनकी गणना वास्तविक वसूली पर होती है क्योंकि ऐसी मदों की वसूली अनिश्चित होती है :–

ए) ड्यूटी क्रेडिट/लागू विदेश व्यापार नीति की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के तहत छूट, टैक्स क्रेडिट, सर्वेक्षण कमी के कारण कस्टम शुल्क की वापसी, और आयकर/सेवाकर/बिक्री–कर/ वैट/जीएसटी तथा इस पर लगने वाले ब्याज आदि की वापसी।

बी) निष्पादन/विवादित देय राशि और उन पर देय ब्याज के लिए लंबित डिक्री, यदि कोई हो तो:

सी) अतिदेय वसूली पर ब्याज जहां वसूली अनिश्चित हो।

डी) आपूर्तिकर्ताओं/अंडरराईटरों को देय निर्णीत हर्जाना।

2.5 परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की लागत की पहचान परिसंपत्ति के रूप में होती है यदि, और केवल यदि ऐसी संभावना है कि मदों से संबंधित संभावी आर्थिक लाभ कंपनी के पक्ष में जाएंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकता है। पीपीई की मद की लागत पहचान तिथि को लागत के बराबर होती है। पीपीई की एक मद की लागत में शामिल है:

i) खरीद मूल्य जिसमें व्यापार छूट और कटौती को घटाकर आयात शुल्क और गैर–वापसी खरीद कर शामिल है।

ii) लागत सीधे तौर पर पीपीई को उस स्थिति और स्थान पर लाने के लिए सहायक है जहां प्रबंधन द्वारा अपेक्षित तरीके से संचालन करने में सक्षम है।

iii) वस्तु को विभाजित करने और हटाने की लागत का आरंभिक अनुमान और उस स्थान पर लौटाने के लिए जिस पर यह स्थित है, कंपनी जिस दायित्व के लिए खर्च करती है जब पीपीई लिया हो या विशेष अवधि के दौरान पीपीई के प्रयोग के परिणामस्वरूप उस अवधि के दौरान इंवेंट्री तैयार की गई हो।

कंपनी ने पहचान के लिए लागत माडल को चुना है और यह माडल पीपीई की पूरी श्रेणी पर लागू होता है। संपत्ति की पहचान के बाद पीपीई की एक मद इसकी लागत से कम किसी भी संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि पर नुकसान होता है।

छोटे मूल्य की कुछ वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, दीवार घड़ी, रसोई के बर्तन, आदि जिनका उपयोगी जीवन बहुत ही सीमित है और लागत के रूप में इस तरह के आइटम के लिए 2000/– रूपये प्रत्येक मामले में खरीद के वर्ष में राजस्व के लिए सीधे शुल्क लिया जाता है। लागत के बावजूद मोबाइल हैंडसेट की कीमत भी राजस्व प्रभारित की जाती है चाहे लागत कुछ भी हो।

2.6 अमूर्त परिसंपत्तियां

जब कंपनी परिसंपत्तियों पर नियंत्रण रखती है तो पहचान योग्य अमूर्त संपत्तियों की पहचान की जाती है, ऐसी संभावना है कि परिसंपत्ति पर भविश्य में मिलने वाले आर्थिक लाभों का प्रवाह एक से अधिक आर्थिक अवधि में कंपनी के हित में होता है और संपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकता है। पहली नजर में अमूर्त संपत्ति की पहचान लागत पर होती है। अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन सीधे तौर पर अनुमानित राशि पर उपयुक्त अवधि के लिए उस तिथि से किया जाता है जिस तिथि से वे उपयोग के लिए उपलब्ध है। साफ्टवेयर्स को इनकी उपभोग अवधि में अमोर्टाइज किया जाता है। जिसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष अथवा लाइसेंस अवधि होती है, जैसा भी मान्य हो। प्रत्येक मामले में 2000/–रूपये तक अमूर्त परिसंपत्ति को सीधे राजस्व में चार्ज किया जाता है।

रिसर्च के द्वारा निकली अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान नहीं की जाती और खर्चे पर रिसर्च को सीधे लाभ व हानि खाते से कम किया जाता है, जब यह व्यय होता है विकास के द्वारा अर्जित अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान की जाती है यदि परिसंपत्ति इंडएएस के अनुसार पहचान के लिए कसौटी को पूरा करती है। अमूर्त परिसंपत्ति पर परिव्यय जिसकी पहचान शुरू में खर्चे के रूप में की गई थी वह अमूर्त संपत्ति की लागत के एक भाग के रूप में बाद में की गई।

2.7 बिक्री के लिए गैर–उपयोगी परिसंपत्ति

कंपनी गैर–उपयोगी संपत्ति (या संपत्ति का निपटान समूह) जो बिक्री के लिए है यदि इसकी वर्तमान मूल्य की वसूली इसका उपयोग जारी रखने की बजाय बिक्री लेन–देन के माध्यम से इसकी वसूली सैद्धांतिक रूप से हुई हो तो उसका वर्गीकरण किया जाता है। गैर–उपयोगी संपत्ति को बिक्री के लिए वर्गीकृत किया जाता है, जिसको वर्तमान से कम और बिक्री से कम लागत के उचित मूल्य पर आंका जाता है।

2.8 मूल्यह्रास

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित उपयोगी अवधि के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसची–II के अंतर्गत प्रदान किए गए मूल्यह्रास के बराबर है। संपत्ति के उपयोगी जीवन के प्रत्येक

वित्त वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है। पीपीई की प्रत्येक ईकाई का प्रत्येक भाग लागत के साथ संपत्ति की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और यदि संपत्ति का उपयोगी जीवन संपत्ति के शेष भाग से अलग है, ऐसे महत्वपूर्ण भाग पर अलग से मूल्यह्रास लगाया जाता है। सभी वस्तुओं पर मूल्यह्रास उस तिथि से लगाया जाता है जिस तिथि को "उपयोग के लिए उपलब्ध"है और बिक्री पर निपटान की तिथि तक लगाया जाता है। इसमें अमूर्त संपत्ति और लीजहोल्ड संपत्ति का परिशोधन शामिल है। फ्रीहोल्ड जमीन पर मूल्यह्रास नहीं निकाला जाता है। पीपीई की आइटम की पहचान नहीं की जाती जब या तो इसका निपटान किया गया है या जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से किसी आर्थिक लाभ की आशा नहीं होती।

परिसंपत्ति का नाम	अनुसूची II के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाया गया उपयोगी जीवन
ए. सामान्य परिसंपत्ति	
फर्नीचर फिटिंग्स	10
दफ्तर के उपकरण	5
वाहन – स्कूटर	10
वाहन – कार	8
कंप्यूटर्स – सर्वर्स और नेटवर्क	6
कंप्यूटर्स – अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण	3
लीज–होल्ड भूमि	लीज एग्रीमेंट के अनुसार
वैगन रेक्स	एग्रीमेंट/वैगन निवेश योजना के अनुसार
पंखों को छोड़कर इलैक्ट्रिक इंस्टालेशन	10
जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज	5
सड़कें	
कारपेटिड सड़क – आरसीसी	10
गार्डेड सड़क – आरसीसी के अलावा	5
गैर कारपोटिड सड़कें	3
पुलिया	30
इमारतें	
इटारसीसी	60
आरसीसी के अलावा	30
आवासीय फ्लैट (तैयार)	
आरसीसी	60
आरसीसी के अलावा	30
अस्थायी संरचना और लकड़ी के पार्टिशन	3
वेयरहाउस/गोदाम	30
बी. विनिर्माण इकाई की परिसंपत्तियां	
फैक्टरी बिल्डिंग्स	30
पंखों को छोड़कर इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन	10
जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज	5
मशीनरी एवं प्लांट	
एक शिफ्ट	15
दो शिफ्ट	10

तीन शिफ्ट	7.5
मशीनरी एवं संयंत्र – पवन उर्जा उत्पादन संयंत्र	22
सी. भूमि पर बनाई गई स्थायी परिसंपत्तियां तथा जो न ही स्थायी परिसंपत्तियां तथा न ही जमीन कंपनी की है	5
डी. अमूर्त संपत्ति का परिशोधन(अमोर्टाजेशन)	
सॉफ्टवेयर	5 साल या लाइसेंस अवधि जैसी भी स्थिति हो

2.9 हानि

यदि किसी संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य (या नगद–जनरेटिंग ईकाई) का अनुमान संपत्ति की मूल राशि (या नगद–सृजित ईकाई) से वसूली योग्य मूल्य से कम पर लगाया जाता है। हानि को लाभ या हानि में तुरंत दिखाया जाता है जब तक कि संबंद्ध संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता जिस मामले में हानि को पुनर्मूल्यांकन कमी माना गया है।

वसूली योग्य मूल्य उचित मूल्य में से निपटान लागत और इसका मूल्य घटाकर निकाला जाता है। उपयोग में मूल्य के आकलन के लिए अनुमानित भविष्य नगद–प्रवाह को उसके वर्तमान लागत में लाया जाता है इसके लिए कर से पूर्व छूट का उपयोग किया जाता है ताकि यह धन का सामयिक मूल्य का चालू बाजार आकलन और संपत्ति पर जोखिम विशेष प्रतिबिंबित कर सके जिसके लिए भविष्य नगद प्रवाह आकलन का समायोजन नहीं किया गया है।

जब इसके फलस्वरूप हानि रिवर्स होती है तो संपत्ति की मूल राशि इसकी वसूली योग्य मूल्य के संशोधित आकलन तक बढ जाती है (या एक नगद–जनरेटिंग ईकाई) ताकि बढी हुई मूल राशि इसकी मूल राशि से अधिक न हो और यह माना गया है कि पिछले वर्षों में संपत्ति के लिए कोई हानि नहीं दिखाई गई है (या नगद–जनरेटिंग ईकाई)। जब तक संबंधित संपत्ति की पुनर्मूल्यांकन राशि नहीं निकाली जाती, हानि के रिवर्स को तुरंत लाभ या हानि में दिखाया जाता है जिस मामले में हानि में रिवर्स को पुनर्मूल्यांकन वृद्धि माना गया है।

मूर्त एवं अमूर्त परिसंपत्तियों में हानि होने के किन्हीं संकेतों का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर कंपनी उनकी कैरिंग लागत की पुनरीक्षा करती है। यदि ऐसे कोई संकेत विद्यमान होते हैं तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है ताकि हानि (यदि कोई हो तो) के परिमाण का निर्धारण किया जा सके। जब किसी एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता तो जिस रोकड़ अर्जन इकाई से परिसंपत्ति संबंधित है कंपनी उसकी वसूली योग्य राशि का आकलन करती है। जब आबंटन के तर्कसंगत एवं एक समान आधार की पहचान की जा सकती है तो अनिश्चित उपयोगी समय के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों एवं उपयोग के लिए अभी अनुपयुक्त अमूर्त परिसंपत्तियों की हानि के लिए जब भी ऐसे संकेत मिलते हैं कि परिसंपत्ति में हानि हो सकती है तो वर्ष में न्यूनतम एक बार जांच की जाती है।

वित्तीय परिसम्पत्ति

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में क्षति के सूचकों के लिए लाभ व हानि द्वारा उचित मूल्य(एफवीटीपीएल) के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्धारण किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्ति की आरंभिक पहचान के पश्चात एक या अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप निवेश के अनुमानित भविष्य में रोकड़ प्रवाह प्रभावित हुआ है तो ऐसे वस्तुनिष्ठ साक्ष्य होने पर वित्तीय परिसंपत्ति में क्षति मानी जाती है। बिक्री हेतु उपलब्ध(एएफएस) इक्विटी निवेशों के लिए प्रतिभूति की लागत से कम पर फेयर मूल्य में महत्वपूर्ण अथवा दीर्घकालीन गिरावट को क्षति का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य माना जाता है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षति के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:–

- जारीकर्त्ता अथवा प्रतिपक्ष(काउंटर पार्टी) की महत्वूपर्ण वित्तीय समस्या
- ब्याज अथवा मूल भुगतान में डिफाल्ट अथवा चूक के कारण करार भंग
- ऋण लेने वाले की दिवालिया अथवा वित्तीय पुनर्गठन अथवा वित्तीय कठिनाइयों के कारण उस वित्तीय परिसंपत्ति के लिए एक्टिव बाजार गायब होने की संभावना।

व्यापारिक प्राप्य जैसी वित्तीय परिसंत्तियों के कुछ वर्गो के लिए क्षति हेतु परिसंपत्तियों का निर्धारण वैयक्तिक आधार पर किया जाता है। भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का विगत अनुभव तथा शून्य दिन की औसत क्रेडिट अवधि के पश्चात पोर्टफोलियो में विलंबित भुगतान की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ वसूली योग्य राशि में चूक से संबंधित राष्ट्रीय अथवा स्थानीय आर्थिक परिस्थितियों में दर्शनीय परिवर्तन वसूली योग्य राशि के पोर्टफोलियो में क्षति का वस्तुनिष्ठ साक्ष्यों में शामिल हो सकते हैं।

जिन वित्तीय परिसंपत्तियों को लागत पर लिया जाता है उनकी क्षति/हानि की राशि का आकलन उसी प्रकार की वित्तीय

परिसंपत्ति की वर्तमान मार्केट रेट आफ रिटर्न घटा कर अनुमानित भविष्य रोकड़ प्रवाह के वर्तमान मूल्य तथा परिसंपत्ति की कैरिंग लागत के बीच के अंतर पर किया जाता है। ऐसी क्षति/हानि को तदंतर में रिवर्स नहीं किया जाएगा।

व्यापारिक प्राप्यों को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षति/हानि को सीधे ही वित्तीय परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि से कम कर दिया जाता है। संबंधित वित्तीय परिसंपत्ति के लिए अलाउंस अकाउंट के प्रयोग द्वारा उक्त क्षति/हानि को कम किया जाता है। जब यह माना जाता है कि व्यापारिक प्राप्य संग्रहणीय नहीं है तो अलाउंस खाते के प्रति इसे बटटे खाते में डाला जाता है। पहले बटटे खाते में डाली गई राशि की वसूली को अलाउंस खाते के प्रति क्रेडिट किया जाता है। अलाउंस खाते की कैरिंग राशि की पहचान लाभ अथवा हानि में की जाती है।

परिशोधित लागत पर आकलित वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए यदि तदंतर में क्षति/हानि के परिमाण में कमी आती है तथा क्षति की पहचान होने के पश्चात घटी घटना से कमी को निष्पक्षता से संबंधित किया जाता है तो विगत में पहचानी गई क्षति/हानि को लाभ अथवा हानि द्वारा रिवर्स किया जाता है। यह उस सीमा तक किया जाता है कि रिवर्स की गई क्षति की तिथि को निवेश की कैरिंग राशि, यदि क्षति की पहचान न की जाती तो जो परिशोधित लागत होती, उससे अधिक न हो।

वित्तीय परिसंपत्तियों की डी–रिकग्नीशन

जब परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाह के संविदात्मक अधिकार निरस्त होते हैं अथवा जब वित्तीय परिसंपत्ति तथा इसके पश्चात स्वामित्व के जोखिम एवं रिकार्डस का किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरण करती है तो कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को डी–रिकागनाईज कर देती है। यदि कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा रिवार्डस को न तो हस्तांतरित करती है और न ही उन्हें अपने पास रखती है तथा हस्तांतरित परिसंपत्ति का नियंत्रण रखती है तो कंपनी परिसंपत्ति में अपने रिटेन्ड हितों की पहचान करती है तो राशि की संबंधित देयता का इसे वहन करना होगा। यदि हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के जोखिमों तथा रिकार्ड को काफी हद तक कंपनी अपने पास रखती है तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की पहचान करने के साथ–साथ प्राप्त मुनाफे के लिए कोलेटराइज्ड ऋण की भी पहचान करती है।

वित्तीय परिसंपत्ति के पूर्णतः डी–रिकगनाईज होने पर परिसंपत्ति की कैरिंग राशि तथा प्राप्त हुए लाभ की राशि के अंतर को तथा वसूली योग्य एवं संचयी लाभ अथवा हानि जिसे अन्य आय में पहचाना गया है तथा इक्विटी में संचय किया गया है, को लाभ अथवा हानि में पहचाना जाता है।

2.10 ऋण लागत

कंपनी उस क्रय लागत को पूंजीगत बनाती है जो सीधे तौर पर अधिग्रहण, निर्माण या संपत्ति की लागत के भाग के रूप में क्वालिफाईंग संपत्ति के उत्पादन पर आरोप्य होता है।

कंपनी उस लागत की पहचान खर्चे के रूप में उस अवधि में करती है जिसमें यह खर्च की गई हो।

क्वालिफाइंग परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जिसको इसके वांछित उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार होने में काफी समय लगता है।

2.11 विदेशी मुद्रा विनिमय

क्रियात्मक मुद्रा से अलग मुद्रा में लेनःदेन की पहचान लेन–देन की तिथि को विनिमय दर पर की जाती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गित मौद्रिक मदें उस तिथि को प्रचलित दर पर पुनः मूल्यांकित की जाती हैं। विदेशी मुद्रा में मूल्य–वर्गित गैर–मौद्रिक मदें उचित मूल्य पर पुनःमूल्यांकित की जाती है जिस दर पर उस तिथि को उचित मूल्य निर्धारित हुआ था। विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित की गई गैर–मौद्रिक मदों का ऐतिहासिक लागत पर पुनःमूल्यांकन नहीं किया जाता है।

विदेशी करेंसी मौद्रिक मदों (अतिदेय वसूली योग्य जहां विश्वसनीयता अनिश्चित हो, को छोड़कर) को इंड एएस–21 में परिभाषित अंतिम दर को प्रयोग करके परिवर्तित किया जाता है। गैर–मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग लेन–देन की तिथि को विनिमय दर का प्रयोग करके ही जाती है। विनियम अंतर लाभ/हानि को लाभ–हानि विवरण में दिखाया जाता है।

स्थिर परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित विदेशी मुद्रा की देयता को अंतिम दर का प्रयोग करके परिवर्तित किया जाता है। विनिमय अंतर को लाभ–हानि विवरण में दिखाया जाता है।

2.12 इन्वेंट्री

इन्वेंट्री को शुद्ध वसूली योग्य मूल्य और कम लागत पर दर्शाया जाता है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य इन्वेंट्री के अनुमानित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें पूर्व अनुमानित लागत जो बिक्री के लिए आवश्यक है, शामिल है। लागत और मूल्यांकन के निर्धारण की पद्धति नीचे दी गई है :–

(ए) निर्यात :

(i) प्रत्यक्ष खर्चे जो स्टॉक के रखने की जगह तक किए गए हैं, को शामिल करने के बाद निर्यात स्टाक निकाला गया है। इसी प्रकार बाजार मूल्य खर्चों को घटाकर वसूली योग्य मूल्य निकाला जाता है। इन खर्चों में वे खर्चे भी शामिल हैं जो उस स्थान से बिक्री स्थान तक किए गए हैं।

(ii) खनिज अयस्क के संबंध में अयस्क के वसूली मूल्य की गणना निर्यात करार के अनुसार अयस्क के ग्रेड के न्यूनतम एफई/एमएन मात्रा पर की जाती है और इसकी तुलना अयस्क के वेटिड औसत एफई/एमएन मात्रा/वेटिड औसत नमी की मात्रा पर क्रेटिड औसत लागत से की जाती है।

(बी) आयात :

(i) आयातित स्टाक की लागत का मूल्यांकन वार्षिक क्षेत्रीय भारित औसत लागत निकाल कर किया जाता है जिसमें अलौह धातु के लिए शामिल शेष स्टाक की वेटिड औसत लागत शामिल नहीं है। इसमें उन खर्चों को शामिल माना जाता हैं जो रखे गये माल के स्थान तक किये गये हैं, तथापि जहां स्टाक विशेष रूप से पहचान योग्य होता है, वहां माल की वास्तविक लागत में वे खर्चे शामिल किए जाते हैं जो उस स्थान तक किए गए हैं जहां माल रखा गया माना जाता है।

ii) प्रतिपूर्ति विकल्प के अंतर्गत निर्यातकों द्वारा बुकिंग करने पर विदेशी आपूर्तिकारों से सोना/चांदी खरीदा जाता है और वर्ष के अंत में सुपुर्द नहीं किए गए स्टाक को कंपनी के स्टाक में दिखाया जाता है और उसका मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

(सी) घरेलू

(i) सोने/चांदी के मेडालियन और चांदी के सामान की लागत की गणना प्रतिवर्ष स्थान–वार सामान की भारित औसत लागत और आरंभिक स्टाक की लागत की गणना करके की जाती है। लागत में विनिर्माण/फैबरिकेशन चार्जेज, वेस्टेज तथा अन्य लागत खर्च शामिल है ।

(ii) कट और पालिश वाले पत्थरों और आभूषणों (तैयार, अर्ध–तैयार) के मामले में जहां स्टाक विशेष रूप से पहचाने जाने योग्य है, माल की वास्तविक लागत में वे खर्चे शामिल किए जाते हैं जो उस स्थान तक किए जाते हैं जहां रखे गए माने जाते हैं। लागत में वेस्टेज और अन्य प्रत्यक्ष निर्माण लागत शामिल है।

(डी) पैकिंग मैटिरियल

पैकिंग मैटिरियल का मूल्यांकन कम लागत या शुद्ध वसूली मूल्य पर किया जाता है।

(ई) फैब्रिकेटर्स के पास स्टाक

फैब्रिकेटर्स के पास स्टाक को समायोजन होने तक कंपनी के स्टाक में लिया जाता है।

2.13 प्रावधान

पिछली घटना के फलस्वरूप कंपनी के वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा रचनात्मक) होने पर प्रावधानों की पहचान की जाती है, यह संभव है कि दायित्वों के समायोजन के लिए आर्थिक लाभों के आउटफ्लो की आवश्यकता हो और दायित्वों की राशि से विश्वसनीय आकलन तैयार किया जा सके।

2.14 आकस्मिक देयताएं/परिसंपत्तियां

आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं की जाती है बल्कि इनकी सूचना लेखों की टिप्पणियों में दी जाती है जब कंपनी का संभावित दायित्व पिछली घटना और दायित्वों की विद्यमानता भविष्य की घटनाओं की पुनरावृत्ति और गैर–पुनरावृत्ति पर निर्भर करता है जो कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होते।

आकस्मिक देनदारियों का मुल्यांकन निरंतर यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि अधिक संसाधनों का आउटफ्लो संभाव्य हो जाता है। यदि आउटफ्लो संभव हो जाता है तो संबंधित प्रावधान की पहचान वित्तीय विवरण में की जाती है।

जहां एक ईकाई एक दायित्व के लिए संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी है, उस दायित्व का हिस्सा जिसे अन्य पार्टियों द्वारा मिले जाने की उम्मीद है, उसे एक आकस्मिक दायित्व माना जाता है। ईकाई दायित्वों के भाग के लिए प्रावधानों की पहचान करती है जिसके लिए आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों का आउटफ्लो संभावित है, सिवाय अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जहां विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, देयताओं के सामान्य टिप्पणियों के खातों के हिस्से के रूप में दिखाया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्ति

आकस्मिक परिसंपत्ति की पहचान वित्तीय विवरणों में की जाती है। इस तरह की आकस्मिक संपत्ति का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और आर्थिक लाभों का प्रवाह संभव होने पर नोट्स में खुलासा किया जाता है। अगर यह वास्तव में निश्चित है कि आर्थिक लाभों का प्रवाह उत्पन्न होगा तो ऐसी संपत्तियां और संबंधित आय की पहचान वित्तीय विवरणों में की जाती है।

2.15 लीज

संपत्ति लीज के तहत होती है जिसमें जोखिम और स्वामित्व का महत्वपूर्ण दर्जा मूलभूत परिसंपत्ति से जुडे पट्टेदार को स्थानांतरित कर दिया जाता है जो वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत होते हैं।

अन्य पट्टों को ऑपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जिसमें जोखिम और स्वामित्व का दर्जा मूलभूत परिसंपत्ति से जुडे पट्टेदारों को स्थानांतरित किया जाता है।

कंपनी आमतौर पर ऑपरेटिंग पट्टों का निष्पादन करती है, जो निम्नानुसार है:–

(i) परिचालन पट्टों से किराए की आय की पहचान सीधी रेखा के आधार पर संबद्ध पट्टे की शर्तों पर की जाती है।

(ii) जब कंपनी पटटाधारी हो तो आरंभ में संपत्ति के अधिकार की तिथि को लागत और पटटे को भुगतान के वर्तमान मूल्य पर दिखाया जाता है जिसको पटटे की देयता के रूप का भुगतान नहीं किया जता है तदंतर, संपत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यांकन लागत माडल का उपयोग करते हुए पटटा देयता के पुर्नमूल्यांकन के लिए अपेक्षित किसी समायोजन के साथ किया जाता है और पटटा देयता का मूल्यांकन पटटा देयता पर ब्याज दर्शाने के लिए कैरिंग राशि की वृद्धि करके दिया जाता है कि जिससे भुगतान की गई पटटे की राशि की वृद्धि करके किया जाता है जिससे भुगतान की गई पटटे की राशि को दिखाने के लिए केरिंग राशि को कम किया जाता है और केरिंग राशि का पुनः मूल्यांकन किसी पुनःनिर्धारण या पटटे में संशोधन को दिखाने के लिए किया जाता है ।

(iii) एक व्यावहारिक समीक्षक के रूप में, अल्पावधि के पट्टे और पट्टे जिनके लिए अंतर्निहित संपति 1,00,000/– रूपये प्रति माह के कम मूल्य की है या 1,00,000/– रूपये प्रति वर्ष दिए गए प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त नही हैं। इंडस्ट्रीज+ AS–116 (पट्टों) के तहत और पट्टे की अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर खर्च के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2.16 कर्मचारी लाभ

i. ग्रेच्युटी, अवकाश मुआवजा और दीर्घ सेवा लाभ जैसे सेवा अवार्ड, अनुकंपा ग्रेच्युटी, कर्मचारियों के लिए परिवार लाभ योजना तथा माईका प्रभाग के कर्मचारियों को विशेष लाभ का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और इसमें प्रोजेक्टिड ईकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया गया है। पुनर्मूल्यांकन, बीमांकिक जिसमें लाभ और हानि, संपत्ति सीमा (यदि लागू हो) में परिवर्तन और योजना पंरसिपत्तियों (ब्याज को छोडकर) पर लाभ, वित्तीय स्थिति विवरण ों में चार्ज और उस अवधि में व्यय जिसमें वे होते हैं अन्य व्यापक आय क्रेडिट के साथ तुरंत दिखाई देते हैं, उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। अन्य व्यापक आय में पहचाने गये पुनर्मूल्यांकन रोकी गई आय में प्रतिबिंबित होते हैं और उन्हें फिर से लाभ या हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता। और किसी योजना संशोधन, कटौती और वर्तमान सेवा लागत, निवल ब्याज, पिछली सेवालागत या समझौते के लिए लाभ या हानि के निर्धारण के लिए विचार किया जाता है।

ii. सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान परिभाशित अंशदान आधार पर किया जाता है।

iii. प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट को प्रोविडेंट फंड का अंशदान अक्रूअल आधार पर किया जाता है।

iv. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर एक्स–ग्रेशिया और नोटिस वेतन के भुगतान को उस वर्ष के राजस्व में लिया जाता है।

v. एक परिभाषित अंशदान योजना, अधिवर्षिता योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किया जाता है। कंपनी प्रत्येक पात्र कर्मचारी के वेतन के निर्दिश्ट प्रतिशत के आधार पर अंशदान देती है।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ दायित्व

लघु अवधि के कर्मचारी लाभ दायित्वों का आकलन बिना छूट आधार पर मापा जाता है और व्यय को संबंधित सेवा के रूप में दर्ज किया जाता है। पीएलआई/पीआरपी योजना के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि के लिए दायित्व के रूप में पहचान की जाती है अगर कंपनी के कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सर्विस के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए वर्तमान कानूनी या तर्कसाध्य दायित्व है और दायित्व का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है।

2.17 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय और आस्थगित कर की राशि को दर्शाता है।

वर्तमान कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ, लाभ या हानि विवरण और अन्य व्यापक

आय/लाभ या हानि विवरण में दिखाये गए कर से पहले लाभ से भिन्न होता है क्योंकि आय या व्यय जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य है और जो आइटम कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं है। कंपनी के चालू कर की गणना उस कर की दर से की जाती है जो लागू हो या रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक में लागू हो।

आस्थगित कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की राशियों के बीच कर योग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त वित्तीय विवरणों और संबंधित कर के बीच अस्थायी अंतर है। आस्थगित कर देनदारियों की पहचान आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए की जाती है। आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान आमतौर पर उस सीमा तक की जाती है कि ऐसा संभव है कि कर योग्य लाभ उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए उपलब्ध होंगे। इस तरह के आस्थगित कर संपत्ति और देनदारियों की लेनदेन में पहचान नहीं की जाती है यदि उस लेनदेन में संपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक पहचान से अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है (एक व्यापार संयोजन के अलावा) जो कर योग्य लाभ और न ही लेखा लाभ को प्रभावित करता है। इसके अलावा, आस्थगित कर देनदारियों की पहचान नहीं की जाती यदि गुडविल की प्रारंभिक पहचान से अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है।

आस्थगित करों की पहचान जहां कंपनी अस्थायी अंतर के रिवर्सल को नियंत्रित करने में सक्षम है, को छोड़कर सहायक और सहयोगी और संयुक्त उदयमों के हितों में देनदारियों में निवेश से संबंधित कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए की जाती है। और ऐसी संभवना है कि निकट भविश्य में अस्थायी अंतर में रिवर्सल नहीं होगा। ऐसे निवेश और हितों से संबद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर संपत्ति की पहचान केवल उस सीमा तक की जाती है जहां संभव है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ का अस्थायी अंतरों के लिए लाभों का उपयोग हो सके और निकट भविश्य में इसका रिवर्सल होने की आशा हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियें की बकाया राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और इस सीमा तक कम किया गया है कि यह अब संभव नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ संपत्ति के सभी या कुछ हिस्से के लिए उपलब्ध होगा!

आस्थगित कर देयताएं और संपत्तियों का मूल्यांकन टैक्स दर से किया जाता है और ऐसी आशा की जाती है कि यह उस अवधि में लागू होगा जिसमें दायित्व का निर्वाह होता है या संपत्ति की वसूली होती है। यह रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू या मूल रूप से लागू कर दरों (और कर कानून) पर आधारित होता है।

वर्ष के लिए वर्तमान और आस्थगित कर

वर्तमान और आस्थगित कर की पहचान लाभ या हानि में की जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संगत किय जाते हैं जब उनकी पहचान क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में की जाती है। जब वर्तमान कर या आस्थगित कर प्रारंभिक लेखा से उत्पन्न होता है तो कर प्रभाव व्यापार संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल होता है ।

लाभांश वितरण कर

कंपनी अन्य इक्विटी के अंतर्गत लाभांश के भुगतान पर देय लाभांश वितरण कर भी शामिल कर रही है क्योंकि वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के फलस्वरूप भुगतान के देय लाभांश को अन्य इक्विटी के तहत भी प्रस्तुत किया जाता है।

आयकर ट्रीटमेंटस पर अनिश्चितता

ईंडएएस–12 के अंतर्गत जेब आयकर ट्रीटमेंट्स, पर अनिश्चितता हो तो कंपनी कर योग्य लाभ (या हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानियां अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों पर विचार करते हुए, कंपनी आयकर प्राधिकारी द्वारा इसी ट्रीटमेंट को स्वीकार करने की संभावना पर विचार करती है और तुलनात्मक समायोजन के बिना ही पहले निवेदन पर इक्विटी समायोजन के द्वारा संचयी प्रभाव के साथ पूर्व प्रभाव के समायोजन के कारण परिवर्तन पर भी विचार करती है!

2.18 **निवेश संपत्ति**

निवेश संपत्तियां वे संपत्ति हैं जो किराया कमाने और/या पूंजी में बढोतरी (ऐसे उद्देश्य के लिए निर्माणाधीन संपत्ति शामिल हैं) के लिए होती हैं। निवेश संपत्ति का मूल्यांकन आरंभ में लागत दर पर किया जाता है जिसमें लेन–देन लागत शामिल है। कंपनी की सभी संपत्तियां आपरेटिंग लीज के अंतर्गत किराया कमाने या पूंजी का विस्तार करने के उद्देश्य के लिए निवेश संपत्तियों के रूप में लेखों में शामिल की जाती हैं। आरंभिक पहचान के पश्चात कंपनी निवेश का मूल्यांकन लागत पर करती है।

जब कर निपटान किया जाता है या निवेश संपत्ति पूरी तरह से उपयोग से हटा ली जाती है और उसके निपटान से भविश्य में कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलने की कोई उम्मीद होती है तो ऐसी निवेश संपत्ति की पहचान समाप्त हो जाती है। संपत्ति के निपटान से किसी लाभ या हानि को उस वर्श की अवधि में लाभ अथवा हानि में लिया जाता है जिस वर्ष इसका निपटान होता है। (इसकी गणना शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की मूल राशि के अंतर पर की जाती है)।

निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास संपत्ति की उस श्रेणी के अनुसार लगाया जाता है जिससे वह संबंध रखती है और संपत्ति की

अवधि का अनुमान कंपनी की संपत्ति को उसी श्रेणी में लिया जाता है।

2.19 प्रति शेयर अर्जन

इक्विटी धारकों पर आरोप्य सकल लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर बेसिक प्रति शेयर अर्जन का आकलन किया जाता है। डाईल्यूटिड प्रति शेयर अर्जन का आकलन कंपनी के इक्विटी धारकों पर अरोप्य लाभ को मूल(बेसिक) प्रति शेयर अर्जन ज्ञात करने के लिए उपयुक्त इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या के साथ साथ अगर सभी संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर यह शेयर जारी किए जाते तो उन इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। यदि इक्विटी शेयरों को वास्वत में उचित मूल्य(अर्थात बकाया इक्विटी शेयरों का औसत बाजार मूल्य) पर जारी किया जाता तो वसूली योग्य लाभ में संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों को समायोजित किया जाता है। जब तक शेयर बाद की तिथि को जारी नहीं किए जाते तो संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों को अवधि के आरंभ में ही परिवर्तित माना जाता है। प्रत्येक प्रस्तुत अवधि के लिए स्वतंत्र रूप से संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों का निर्धारण किया जाता है।

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों का अनुमोदन किए जाने से पूर्व किए गए प्रभावी परिवर्तनों सहित किसी शेयर विभाजन एवं जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए सभी अवधियों में प्रस्तुत किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या एवं संभावित डाईल्यूटिड इक्विटी शेयर्स को पूर्व प्रभावी रूप से समायोजित किया जाता है।

2.20 बंद किए गए प्रचालन

बंद किए गए प्रचालन कंपनी के व्यापार का एक घटक है जो अलग प्रकार के व्यापार को इंगित करता है जिसे बेचा जा रहा है अथवा बिक्री के लिए रखा गया है अथवा यह एक सहायक कंपनी है जिसे केवल पुन: बिक्री के उद्देश्य से अधिग्रहीत किया गया है। निपटान से पहले अथवा जब प्रचालन 'बिक्री के लिए रखा गया' के रूप में वर्गीकृत मापदण्ड को पूरा करता है तो 'बंद किए गए प्रचालन' के रूप में इसका वर्गीकरण किया जाता है।

2.21 वित्तीय दस्तावेज

i) गैर अमौलिक (नान डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेज

गैर अमौलिक (नॉन डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेज में निम्नलिखित शामिल हैं :–

- वित्तीय परिसंपत्तियां जिसमें रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष, ट्रेड प्राप्य, बिल न किया गया राजस्व, वित्त लीज प्राप्य, कर्मचारी एवं अन्य अग्रिम, इक्विटी में निवेश तथा ऋण प्रतिभूतियां एवं पात्र चालू एवं गैर चालू परिसंपत्तियां शामिल हैं।
- वित्तीय देयताएं जिसमें दीर्घ एवं लघु अवधि ऋण एवं उधार, बैंक ओवरड्राफट, ट्रेड देय, पात्र चालू एवं गैर चालू देयताएं शामिल हैं।
- वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं बराबर कर दी जाती हैं और शुद्ध राशि को तुलन–पत्र में रखा जाता है। यदि वर्तमान में प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार है जो शामिल राशि को बराबर कर देता है और निवल आधार पर सेटल करने की मंशा है। ताकि परिसंपत्ति की कानूनी और देयताओं का निपटान एक साथ हो सके।
- गैर मौलिक (नॉन डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेजों की पहचान आरंभ में सीधे तौर पर आरोप्य ट्रांजेक्शन लागत के साथ–साथ उचित मूल्य पर की जाती है। जब वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के बहुत अधिक जोखिमों एवं रिवार्डस को अंतरित किया गया हो तब वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान नहीं (डि–रिकाग्नाईज) की जाती है। यदि वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के बहुत अधिक जोखिमों एवं रिवार्ड को न ही ट्रांसफर अथवा न ही रिटेन किया गया है अथवा रोक कर नहीं रखा गया तथा कंपनी द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों का नियंत्रण बना कर नहीं रखा है तो वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान नहीं की जाती।

  आरंभिक पहचान के पश्चात गैर–मौलिक (नॉन–डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेजों का आकलन निम्नलिखित है:–

(ए) रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष

कैश फ्लो विवरण के उद्देश्य के लिए अपने पास(कैश इन हैंड), बैंकों में रोकड़ तथा बैंकों में डिमाण्ड डिपाजिट, मांग किए जाने पर पुनर्भुगतान योग्य बकाया बैंक ओवर ड्राफ्ट्स जिन्हें कंपनी के रोकड़ प्रबंधन सिस्टम का भाग माना जाता है आदि रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में शामिल हैं। वित्तीय स्थिति के विवरण में बैंक ओवरड्राफ्ट्स को चालू देयताओं के अधीन उधार के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

(बी) लिक्विड म्यूचुअल फंडों, इक्विटी प्रतिभूतियों(सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम तथा एसोसिएट्स के अतिरिक्त) में निवेश का मूल्यांकन उनके फेयर मूल्य पर किया जाता है। इन निवेशों का आकलन फेयर मूल्य पर किया जाता है तथा इनमें क्षति/हानि के अतिरिक्त परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में दर्शाने के साथ–साथ कर घटाकर

इक्विटी के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। क्षति/हानि, यदि कोई हो तो, को इक्विटी से आय के विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। जब कोई वित्तीय परिसंपत्ति बिक्री के लिए उपलब्ध होती है तो इसे डी–रिकग्नाईज कर दिया जाता है तथा इक्विटी में पहचाने गए संबंधित संचयी लाभ या हानि को आय के विवरण में अंतरित कर दिया जाता है।

(सी) ऋण एवं प्राप्य

ऋण एवं प्राप्य स्थायी अथवा निर्धारण किए जाने योग्य वाली गैर मौलिक वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जिन्हें सक्रिय बाजार में उदधृत नहीं किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात 12 माह से अधिक समय पर परिपक्व होने वाली जिन्हें गैर चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, के अतिरिक्त इन्हें चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऋणों एवं प्राप्यों को आरंभ में उचित मूल्य के साथ–साथ आरोप्य किए जाने योग्य लेन देन लागत सहित पहचाना जाता है तथा बाद में किसी प्रकार की क्षति होने को कम करके प्रभावी ब्याज प्रक्रिया का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर आंका जाता है। ऋणों एवं प्राप्यों में ट्रेड प्राप्य, बिल न किए गए राजस्व तथा अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं।

ऐतिहासिक भुगतान तरीके, ग्राहकों पर ध्यान, ग्राहक की विश्वसनीयता तथा वर्तमान आर्थिक रूझानों का विश्लेषण करते हुए कंपनी वसूली योग्य खातों के संग्रह न किए जाने का अनुमान निर्धारित करती है। यदि किसी ग्राहक की वित्तीय स्थिति और खराब होती है तो अतिरिक्त भत्तों की आवश्यकता हो सकती है।

(डी) ट्रेड एवं अन्य प्राप्य

ट्रेड एवं अन्य प्राप्यों को आरंभ में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है तथा इसके पश्चात प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर निर्धारित किया जाता है। वित्तीय दस्तावेजों की लघु अवधि परिपक्वता के कारण इनकी कैरिंग राशि उचित मूल्य के लगभग होती है।

(ई) सहायक कंपनी, एसोसिएट्स तथा संयुक्त उपक्रम में निवेश

सहायक कपनी एसोसिएटस में किए गए निवेश को निगम लागत पर खातों में लेता है।

कंपनी के नियंत्राधीन इकाई को कंपनी की सहायक कंपनी माना जाता है।

भारत से बाहर की सहायक कंपनी में किए गए निवेश को अधिग्रहण की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर हिसाब में लिया जाता है।

जिन निवेश पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है उनका वर्गीकरण एसोसिएट्स के रूप में किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशकर्ता द्वारा वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी नीतिगत निर्णयों में भागीदारी की शक्ति होती है परन्तु इन नीतियों पर नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है ।

संयुक्त व्यवस्था जिसके द्वारा व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों का संयुक्त व्यवस्था की सकल परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है, उन्हें संयुक्त उपक्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संयुक्त नियंत्रण किसी व्यवस्था की हिस्सेदारी के लिए संविदात्मक रूप से की गई सहमति है जिसमें प्रासंगिक कार्यकलापों के विषय में निर्णयों के लिए नियंत्रण की हिस्सेदारी वाले पक्षों की एक मत से सहमति आवश्यक होती है।

ii) अमौलिक (डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेज

कंपनी को विदेशी मुद्रा में परिसंपत्तियों, दायित्वों, विदेशी कार्यकलापों में शुद्ध निवेश तथा विदेशी मुद्रा में मौद्रिकृत पूर्वानुमित रोकड़ प्रवाह में विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव का जोखिम रहता है।

कंपनी डेरिवेटिव के प्रयोग तथा स्थापित जोखिम प्रबंधन नीतियों का अनुसरण करते हुए विदेशी मुद्रा दर में उतार चढ़ाव के प्रभाव को सीमित किया जाता है। जहां दूसरा पक्ष मुख्यतः बैंक होता है वहां कंपनी डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेज बनाती है।

डेरिवेटिव की पहचान एवं मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है। निश्चित लेन देन लागत की पहचान लागत की तरह आय के विवरण में की जाती है।

आरंभिक पहचान के पश्चात डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेजों का मूल्यांकन निम्नलिखित रूप से किया जाता है।

ए) रोकड़ प्रवाह हेजिज

रोकड़ प्रवाह हेज के रूप में निर्दिष्ट डेरिवेटिव हेजिंग दस्तावेज के उचित मूल्य में परिवर्तन की पहचान अन्य समेकित आय तथा रोकड़ प्रवाह हेजिंग अधिशेष, सकल कर एवं हेज के प्रभावी होने की सीमा तक इक्विटी के एक घटक के रूप में की जाती है। हेज के अप्रभावी होने की सीमा तक उचित मूल्य की पहचान आय के विवरण में की जाती है तथा विदेशी मुद्रा विनिमय में लाभ/(हानि) प्रचालन के कार्यकलापों से प्राप्त निवल राशि दी जाती है। यदि हेजिंग दस्तावेज हेज

एकाउटिंग की प्रणाली के अनुरूप नहीं होता है तो हैज एकाउंटिंग को बंद कर दिया जाता है। विगत में रोकड़ हेजिंग अधिशेष में पहचाने गए संचयी लाभ अथवा हानि को संबंधित अनुमानित लेनदेन किए जाने पर लाभ व हानि विवरण में अंतरित किया जाता है। यदि अनुमानित लेनदेन होने की संभावना नहीं होती है तो उक्त संचयी शेष की पहचान तत्काल रूप से लाभ तथा हानि के विवरण में की जाती है।

बी) अन्य

न तो रोकड़ प्रवाह हेजिज और न ही विदेशी प्रचालनों में किए गए निवल निवेश की हेजिज के रूप में निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव दस्तावेज के उचित मूल्य में परिवर्तन को आय के विवरण में पहचाने जाने के साथ–साथ प्रचालन के कार्यकलापों के परिणामस्वरूप निवल विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ/(हानि) के अधीन सूचित किया जाता है।

उधार से संबंधित विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंटस के निपटान पर अंकित मूल्य में होने वाले परिवर्तनों तथा लाभ/(हानि), जिन्हें हेजिज नहीं माना गया है, को वित्तीय खर्चों में शामिल किया गया है ।

2.22 खण्डवार सूचना

जैसा कि इंड एएस–108 ' 'आपरेटिंग सेगमेंट्स' में परिभाषित किया गया है कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक(सीएमडी) की पहचान चीफ आपरेटिंग डिसीजन मेकर(सीओडीएम) के रूप में की जाती है। कंपनी के सीएमडी द्वारा ही राजस्व में वृद्धि तथा प्रचालन आय के आधार पर खंडों का मूल्यांकन किया जाता है।

कंपनी ने अपने आपरेटिंग सेगमेंट्स की पहचान खनिजों, बहुमूल्य धातुओं, धातुओं, कृषि उत्पादों, कोयला एवं हाईड्रोकार्बन, उर्वरक एवं सामान्य व्यापार/अन्य के रूप में की है।

कंपनी के व्यापार में प्रयुक्त परिसंपत्तियों एवं देयताओं जिन्हें किसी भी आपरेटिंग खण्ड में नहीं पहचाना गया है उन्हें आबंटन न की जाने वाली परिसंपत्तियों/देयताओं के रूप में दर्शाया गया है। प्रबंध तंत्र का यह विचार है कि उपलब्ध डाटा का अर्थपूर्ण विश्लेषण कठिन होने के कारण संपूर्ण परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबंधित खंडवार प्रकटन उपलब्ध करवाना अभी व्यवहार्य नहीं है चूंकि कुल परिसंपत्तियों एवं देयताओं को परस्पर परिवर्तन के रूप में प्रयोग किया जाता है।

2.23 पूर्वावधि चूके

पूर्वावधि(यों) से संबंधित गंभीर चूकों का प्रकटन पूर्वावधि चूकों की प्रकृति तथा बाद में प्रस्तुत किए गए उक्त प्रत्येक पूर्वावधि चूक के लिए किए गए सुधारों के एक नोट द्वारा किया जाता है और यह बेसिक एवं कम हुए (डाईल्यूटिड) प्रतिशेयर अर्जन में परिवर्तन के साथ व्यवहार्य सीमा तक किया जाता है। तथापि किसी विशेष अवधि के लिए यदि अतीतलक्षीय पुनः विवरण व्यवहार्य नहीं होता है तो इस स्थिति के विद्यमान होने की परिस्थितियों एवं चूक को किस प्रकार एवं कहां से सुधारा गया है इसके विवरण का प्रकटन नोट्स टू एकाउंटस में किया जाता है। कंपनी के व्यापार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यदि एक साथ आय/व्यय (निवल) की मदें कंपनी की बिक्री टर्न ओवर के 0.5 प्रतिशत से अधिक होती है तो पूर्वावधि चूकों को गंभीर माना जाता है।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का नोट

3. संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2020 को सकल कैरिंग मूल्य	वृद्धि	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2021 को सकल कैरिंग मूल्य	1 अप्रैल, 2020 को संचित मूल्यह्रास	वृद्धि	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2021 को संचित मूल्यह्रास	31 मार्च, 2021 को नेट कैरिंग मूल्य	31 मार्च, 2020 को नेट कैरिंग मूल्य
फ्रीहोल्ड भूमि										
– कार्यालय भवन	0.37	-	-	**0.37**	-	-	-	-	**0.37**	**0.37**
– स्टॉफ क्वार्टर्स	0.13	-	-	**0.13**	-	-	-	-	**0.13**	**0.13**
लीज होल्ड भूमि										
– कार्यालय भवन	1.07	-	(0.00)	**1.07**	0.09	0.02	-	**0.11**	**0.96**	**0.98**
– स्टॉफ क्वार्टर्स	1.85	-	-	**1.85**	0.56	0.22	-	**0.78**	**1.07**	**1.29**
भवन										
– कार्यालय भवन	6.68	-	(0.23)	**6.45**	0.80	0.17	(0.03)	**0.94**	**5.51**	**5.87**
– स्टॉफ क्वार्टर्स/आवासीय फ्लैट्स	1.21	-	-	**1.21**	0.18	0.04	-	**0.22**	**0.99**	**1.03**
– जलापूर्ति, सीवरेज व ड्रेनेज	0.06	-	-	**0.06**	0.04	0.01	-	**0.05**	**0.01**	**0.02**
– विद्युत इंस्टॉलेशंस	3.07	-	(0.00)	**3.07**	1.89	0.06	(0.00)	**1.95**	**1.12**	**1.17**
– सड़कें व पुलियां	0.02	-	-	**0.02**	0.02	0.00	-	**0.02**	**0.01**	**0.01**
– ऑडियो/फायर/एयरकंडिशिनिंग	0.06	-	(0.00)	**0.06**	0.05	0.00	(0.00)	**0.05**	**0.01**	**0.01**
प्लांट एवं उपकरण	41.11	-	(0.51)	**40.60**	15.39	2.97	(0.51)	**17.85**	**22.75**	**25.72**
फर्नीचर तथा फिक्स्चर्स										
– पार्टिशंस	0.39	-	(0.00)	**0.39**	0.35	0.01	(0.00)	**0.36**	**0.03**	**0.04**
– अन्य	1.52	0.01	(0.04)	**1.48**	0.57	0.15	(0.02)	**0.69**	**0.80**	**0.96**
वाहन	0.50	-	(0.02)	**0.48**	0.24	0.06	(0.02)	**0.28**	**0.20**	**0.26**
कार्यालय उपकरण	1.81	0.20	(0.20)	**1.81**	1.41	0.20	(0.03)	**1.58**	**0.23**	**0.38**
अन्य :										
रेलवे वैगन रेक	0.00	-	-	**0.00**	0.00	-	-	**0.00**	**0.00**	**0.00**
बीएन7एचटी पर रेलवे लूप लाइन	0.00	-	-	**0.00**	-	-	-	-	0.00	0.00
कम्प्यूटर/डाटा प्रोसेसर्स	2.38	0.01	(0.10)	**2.29**	1.98	0.18	(0.09)	2.07	0.23	0.40
कुल	**62.23**	**0.21**	**(1.10)**	**61.34**	**23.58**	**4.07**	**(0.71)**	**26.95**	**34.39**	**38.64**
गत वर्ष	62.16	0.71	(0.64)	62.23	19.70	4.28	(0.39)	23.58	**38.64**	
परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार	**6.07**	**0.14**	**(1.15)**	**5.06**	**1.60**	**0.42**	**(0.30)**	**1.71**	**3.35**	**4.47**
गत वर्ष	1.62	4.45	-	6.07	0.13	1.47	-	1.60	**4.47**	
कार्य प्रगति पर पूंजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गत वर्ष	0.28	-	(0.28)	-	-	-	-	-	-	

(ए) दिल्ली स्थित स्टाफ क्वार्टर्स से संबंधित लीजहोल्ड भूमि, सडकें तथा पुलियां, सीवरेज, ड्रेनेज तथा जलापूर्ति में वह शामिल है जो पूर्व में कंपनी द्वारा 50:50 के आधार पर एसटीसी लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से धारित थी। तथापि कंपनी ने वर्ष 2018–19 में डीडीए से अपने हिस्से की 16.16 एकड भूमि की अलग लीज डीड अपने नाम पर निष्पादित करा ली।

(बी) वर्ष के दौरान, कंपनी ने परिसंपत्तियों में हुई हानि का निर्धारण कराया तथा तदनुसार पीपीई के मूल्य में वर्ष के दौरान हुई 0.27 करोड रूपए (गत वर्ष 'शून्य' करोड रूपए) की हानि का प्रावधान किया गया है।

(सी) एमएमटीसी की अचल संपत्तियों का मूल्यांकन किया गया है और नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार मई 2019 में 1389 करोड़ रू. के पिछले मूल्यांकन के मुकाबले 31.3.2021 को उचित मूल्य 1642 करोड रू. है (नोट 32 (ii) देखें)

4. निवेश संपत्ति

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
वर्ष के आरंभ में सकल कैरिंग मूल्य	**4.88**	4.66
वृद्धि	**-**	0.22
निपटान/समायोजन	**-**	-
वर्ष के अंत में सकल कैरिंग मूल्य	**4.88**	**4.88**
वर्ष के आरंभ में संचित मूल्यह्रास	**0.84**	
वृद्धि	**0.16**	0.19
वर्ष के अंत में संचित मूल्यह्रास	**1.00**	**0.85**
वर्ष के अंत में नेट कैरिंग मूल्य	**3.88**	**4.03**

निवेश संपत्तियों के लिए राशि लाभ अथवा हानि में पहचान की गई राशियां हैं ।

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
किराया आय	**1.50**	1.35
मूल्यह्रास से पूर्व निवेश परिसंपत्तियों से लाभ	**1.50**	1.35
मूल्यह्रास	**0.08**	0.08
निवेश संपत्तियों से लाभ	**1.42**	**1.27**

लिजिंग व्यवस्था

कुछ निवेश परिसंपत्तियों को किराएदारों को दीर्घावृद्धि ओपरेटिंग लीज के तहत लीज पर दिया जाता है जिसके तहत मासिक आधार पर किराया देय होता है। निरस्त न की जाने वाली ओपरेटिंग लीज निवेश संपत्तियों से प्राप्त होने वाली न्यूनतम लीज राशि का विवरण नीचे दिया गया है :–

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
एक वर्ष के अंदर	-	-
एक वर्ष के बाद परंतु पांच वर्ष तक	-	-
पांच वर्ष के बाद	-	-
कुल	**0.00**	**0.00**

उचित मूल्य का अनुमान

निवेश संपत्तियों का मूल्यांकन निम्नलिखित लागत मॉडल के अनुसार किया गया है। स्वतंत्र वैल्यूअर द्वारा निर्धारित किया गया निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य रुपए 96.48 करोड़ (पिछले वर्ष 126.18 करोड़ रू) है।

5. अन्य अमूर्त संपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	01 अप्रैल 2020 को सकल कैरिंग मूल्य	वृद्धि	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2021 को सकल कैरिंग मूल्य	01 अप्रैल 2020 को संचित मूल्यह्रास	वृद्धि	निपटान/ समायोजन	01 अप्रैल 2021 को संचित मूल्यह्रास	31 मार्च, 2021को नेट कैरिंग मूल्य	31 मार्च, 2020 को नेट कैरिंग मूल्य
पिछले वर्ष	**4.11**	**0.13**	-	**4.23**	**3.55**	**0.29**	-	**3.84**	**0.39**	**0.56**
पिछले वर्ष	3.39	0.64	0.08	4.11	2.59	0.78	0.18	3.55	**0.56**	

निवेश

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार		31 मार्च 2020 के अनुसार	
ए. गैर चालू निवेश				
(ए). अमोटाईज्ड लागत पर इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स में निवेश –				
(i) सहायक कंपनी				
अनकोटिड				
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड 1461502 (पिछले वर्ष 1461502) प्रत्येक 1 सिंगापुर $ का पूर्णप्रदत्त इक्विटी शेयर		**3.14**		3.14
(ii) संयुक्त उपकम				
अनकोटिड				
एमएमटीसी गीतांजलि प्रा. लि. प्रत्येक 10/–रूपये मूल्य के 2987400 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर(गत वर्ष 2987400) ।	**2.99**		2.99	
जमा/(कमी) : निवेश मूल्य में कमी	**(2.99)**	**0.00**	(2.99)	0.00
फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि. – प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 5000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 5000) ।		**0.01**		0.01
एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि. – प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 17446000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 17446000) ।		**17.45**		17.45
(iii) अन्य				
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य				
कोटिड				
बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड 38961(गत वर्ष 38961) पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर रुपए 2 प्रत्येक।	**3.00**		3.00	
जमा/(कमी): अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	**(0.77)**	**2.23**	(1.84)	1.16
अमोर्टाइज्ड लागत पर				
अनकोटिड				
इंडो फ्रेंच बायोटेक लिमिटेड प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 4750000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्श 4750000	**4.75**		4.75	
जमा/(घटाएं): निवेश के मूल्य में कमी	**(4.75)**	**0.00**	(4.75)	0.00
इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कुल निवेश		**22.83**		**21.76**

(करोड़ रुपए में)

कुल गैर चालू निवेश (सकल)	सकल राशि	बाजार मूल्य	सकल राशि	बाजार मूल्य
कोटिड निवेश की सकल राशि तथा इसका बाजार मूल्य	**3.00**	**2.23**	3.00	1.16
अनकोटिड निवेश की सकल राशि	**28.33**	-	28.33	-
निवेश मूल्य में कमी की सकल राशि	**7.74**	-	7.74	-

विवरण	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
बी) चालू निवेश	-	-	-	-

विवरण	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
(सी) बिकी के लिए रखी गई गैर–चालू निवेश				
(क) अमोटाईज्ड लागत पर इक्विटी इस्ट्रूमेंट में निवेश				
संयुक्त उपकम				
अनकोटिड				
नीलाचल इस्पात निगम लि. 368762744 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 289342744) प्रत्येक 10 रूपये मूल्य		**459.11**		459.11
सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि. – प्रत्येक रु. 10/– मूल्य के 33800000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 33800000)	**33.80**		33.80	
जमा/(कमी): लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	**(33.80)**	-	(33.80)	-
अन्य				
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य				
अनकोटिड				
इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि. – प्रत्येक 5/– मूल्य के 32000000 के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 32000000) ।	**16.00**		16.00	
जमा/(कमी):अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	**(8.16)**	**7.84**	(8.16)	7.84
बिकी के लिए रखा गया कुल निवेश		**466.95**		**466.95**
(ख) बिकी के लिए रखा पीपीई		-		**0.02**
कुल (क) +(ख)		**466.95**		**466.97**

i. सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के इक्विटी इंस्ट्रुमेंट्स में किए जाने वाले सभी गैर चालू निवेशों को लागत के आधार पर आगे लाया जाता है तथा निवेश मूल्य में आई कमी, यदि कोई है, तो इसमें से घटाया जाता है। अन्य के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में किए जाने वाले निवेश को उचित मूल्य पर आगे ले जाया जाता है।

ii. कंपनी ने कामराजार बंदरगाह पर लौह अयस्क टर्मिनल को बनाने तथा प्रचालन हेतु सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड (एसआईओटीएल) के साथ संयुक्त उपक्रम में 26 प्रतिशत इक्विटी के रूप में 33.80 करोड़ रुपए (गत वर्ष 33.80 करोड़ रुपए) का निवेश किया था। हालांकि नवंबर 2010 तक टर्मिनल का निर्माण पूरा हो गया था परन्तु लौह अयस्क के खनन, परिवहन तथा निर्यात पर लगे प्रतिबंधों के कारण बंदरगाह को चालू नहीं किया गया। कामराजार पोर्ट लिमिटेड (केपीएल) द्वारा कोयले की हैंडलिंग हेतु सुविधा में बदलाव के टेंडर प्रक्रिया के बाद स्वीकार कर लिया गया था। एमएमटीसी के निदेशक मंडल ने दिनांक 14.09.16 को हुई अपनी 428वीं बैठक में एमएमटीसी को ओपन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से एमएमटीसी को जेवी से बाहर आने संबंधी अनुमोदन प्रदान किया था। तदनुसार एमएमटीसी की इक्विटी की बिक्री के लिए इच्छुक पार्टियों से बोलियां आमंत्रित की। टेंडर प्रक्रिया में कोई आवेदन नही मिला। परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान अग्रणी प्रोमोटर (मै. सिकाल लॉजिस्टिक लि.) ने 34.26 करोड़ रू. के रिजर्व मूल्य पर एमएमटीसी की इक्विटी खरीदने के लिए सहमति दी है। तदनुसार, शेयर खरीद करार (एसपीए) हस्ताक्षरित किया गया है तथा करार के अनुसार मैसर्स सिकॉल लाजिस्टिक्स लिमिटेड ने करार के निष्पादन हेतु एमएमटीसी के पास रूपए 0.50 करोड की राशि जमा कराई है। एसपीए की शर्तों के अनुसार मैसर्स एसआईओटीएल ने एमएमटीसी के जेवी छोडने की एनओसी/अनुमति लेने के लिए मैसर्स कामराजार पोर्ट लिमिटेड को आवेदन कर दिया है। अक्टूबर 2020 में एनओसी मिल गई। तथापि शेष राशि का भुगतान अभी नही मिला है। मैसर्स सिकॉल लाजिस्टिक्स लिमिटेड से शेयर क्रय मूल्य की प्राप्ति में देरी और मैसर्स सिकॉल लाजिस्टिक्स लिमिटेड के वित्तीय संकट को देखते हुए एसआईओटीएल में निवेश के मूल्य में कमी के लिए 33.80 करोड़ रूपये सृजित करने का प्रावधान किया गया है तदनुसार निवेश को 'बिक्री के लिए रोक' के रूप में दिखाया गया है।

इसके अलावा, कंपनी दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत पार्टियों द्वारा आवेदन के अनुसार एनसीएलटी द्वारा नियुक्त कॉर्पोरेट दिवाला समाधान पेशेवर के पास 34.26 करोड़ का दावा दर्ज करती है। इस बीच केपीएल ने 21.12.2021 को एसआईओटीएल को समाप्त करने के इरादे का नोटिस जारी किया। कंपनी ने केपीएल द्वारा जारी टर्मिनेशन नोटिस के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में 24.06.2021 को याचिका दायर की।

iii. भारत सरकार ने एनआईएनएल में एमएमटीसी की 100% इक्विटी के विनिवेश के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। डीआईपीएएम के माध्यम से विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है। तदनुसार, निवेश को 'बिक्री के लिए रोके गये निवेश' के रूप में दिखाया गया है।

iv. भारतीय कमोडिटी एक्सचेंज (आईसीईएक्स) में 26.00 करोड़ रूपये मूल्य के 5 रू. प्रत्येक राशि के 5.20 करोड़ इक्विटी शेयरों के शुरुआती निवेश की एवज में (आईसीएक्स में कंपनी की 26% हिस्सेदारी) कंपनी ने 2015–16 के दौरान 100V के प्रीमियम पर 2 करोड़ इक्विटी शेयर बांटे। फरवरी/मार्च 2016 में आईसीईएक्स द्वारा 100% प्रीमियम पर एक राइट इश्यू लाया गया जो पूरी तरह से सब्सक्राइब हुआ। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान, आईसीईएक्स द्वारा 100% प्रीमियम पर राइट फिर से इश्यू लाया गया जो पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। एमएमटीसी ने उपरोक्त राइट इश्यू में भाग नहीं लिया। 31.03.2021 तक एमएमटीसी की होल्डिंग 6% है। एमएमटीसी ने आईसीईएक्स में अपनी इक्विटी होल्डिंग आईसीईएक्स की बुक वैल्यू पर 31.3.2021 को 7.84 करोड़ रुपये (पि. वर्ष 16.00 करोड़) पर कीमत लगाई। आईसीईएक्स के इक्विटी शेयर 31.03.2021 तक भारत के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थे। एमएमटीसी ने आईसीईएक्स में 6% इक्विटी के विनिवेश के लिए प्रस्ताव पर अनुरोध आमंत्रित किया है और तदनुसार 31.3.2021 को निवेश को 'बिक्री के लिए रोकने हेतु दिखाया गया है।

एसईसीसी विनियम, 2018 के अनुसार शेयरधारिता सीमा का अनुपालन करने के लिए सेबी ने 31 दिसंबर, 2021 तक की अतिरिक्त समय–सीमा प्रदान की है।

7 . प्राप्य व्यापार

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
(i) अन्य व्यापार प्राप्य		
ए) अच्छे माने गये –सुरक्षित	**538.22**	303.54
बी) अच्छे माने गये –असुरक्षित	**17.47**	1,621.82
सी) ऐसा जिसमें क्रेडिट जोखिम अधिक है	-	-
डी) क्रेडिट हानि	**390.02**	388.97
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता	**390.02**	388.97
अनुयोग	**555.69**	**1,925.36**
कुल	**555.69**	**1,925.36**
गैर–चालू (ए)	-	-
चालू (बी)	**555.69**	1,925.36
कुल	**555.69**	**1,925.36**

उपरोक्त में से कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों अथवा उनमें एकल अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से अथवा फर्म अथवा निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक भागीदार है अथवा निदेशक है अथवा सदस्य है से शून्य राशि देय है (पिछले वर्ष शून्य रू)।

अधोध्य और संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता में चलन

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
वर्ष के आरंभ में शेष	**388.97**	391.20
वर्ष के दौरान वृद्धि	**1.06**	1.33
वर्ष के दौरान रिवर्सल	-	(3.56)
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**390.02**	**388.97**

08. ऋण

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार		31 मार्च 2020 के अनुसार	
	चालू	गैर चालू	चालू	गैर चालू
प्राप्ति योग्य– सुरक्षित				
सिक्योरिटी जमा राशि	-	**0.06**	-	0.01
संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण	-	-	-	-
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	**0.62**	**2.57**	0.72	3.14
अन्य	-	-	-	-
अनुयोग	**0.62**	**2.63**	**0.72**	**3.15**
प्राप्ति योग्य – असुरक्षित				
सिक्योरिटी जमा राशि	-	**1.89**	-	1.87
संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण	-	**0.00**	-	0.00
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	**0.74**	**0.92**	1.00	1.63
अन्य	-	**0.00**	-	-
अनुयोग	**0.74**	**2.81**	**1.00**	**3.50**
जिनमें क्रेडिट जोखिम अधिक है				
सिक्योरिटी जमा राशि	-	-	-	-

संबंधित पार्टियों को ऋण	-	-	-	-
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-
अनुयोग	-	-	-	-
क्रेडिट में क्षति				
सिक्योरिटी जमा राशि	-	**0.17**	-	0.17
संबंधित पार्टियों को ऋण	-	-	-	-
कर्मचारियों को ऋण	-	-	-	-
अन्य	**0.03**	**0.14**	0.03	0.14
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण	**0.03**	**0.31**	0.03	0.31
अनुयोग	-	-	-	-
योग	**1.36**	**5.44**	**1.72**	**6.65**

उपरोक्त में निदेशकों अथवा कंपनी के अन्य अधिकारियों अथवा उनमें से अन्य किसी व्यक्ति के साथ अलग से अथवा संयुक्त रूप से देय राशि अथवा ऐसी फर्मों अथवा निजी कंपनियों जिनमें कोई निदेशक पार्टनर अथवा निदेशक अथवा सदस्य हैं उनके द्वारा देय राशि रू शून्य करोड़ है (पिछले वर्ष रू 0.004 करोड़ रू)।

09. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां **(करोड़ रुपयों में)**

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार		31 मार्च 2020 के अनुसार	
	चालू	गैर चालू	चालू	गैर चालू
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाले बैंक जमा राशि	-	**13.12**	-	0.03
भुगतान नही किये गये लाभांश के लिए बैंक के पास शेष	-	**0.22**	-	0.22
एनएसईएल से प्राप्य (i)	-	**208.25**	-	208.25
प्राप्य डेमरेज तथा डिस्पैच	**5.00**	**6.26**	5.82	6.41
फारवार्ड संविदा प्राप्य	-	-	-	-
अन्य कंपनियों को दिए गए अग्रिम (ii)	-	**33.53**	-	33.53
अन्य अग्रिम	**(0.05)**	**8.79**	1.40	8.71
निम्नलिखित पर उत्पन्न देय ब्याज/अदेय ब्याज				
– सावधिक जमा राशि	**1.41**	-	1.13	-
– कर्मचारियों को दिए गए ऋण	**0.55**	**7.10**	0.71	7.69
– संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण	-	-	-	-
– अन्य को दिए गए ऋण	**0.02**	**2.25**	0.55	15.03
अन्य	-	**9.90**	-	11.27
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध प्राप्यों में हानि/ स्वीकार्यता	**1.13**	**244.09**	1.13	245.01
योग	**5.80**	**45.33**	**8.48**	**46.13**

(i) रूपए 208.25 करोड़ (गत वर्श रूपए 208.25 करोड़) विभिन्न उधारकर्ताओं तथा नेशनल स्पॉट एक्सचेंज (एनएसईएल) से वसूल किए जाने हैं जो कि एनएसईएल द्वारा भुगतान देनदारी में डिफाल्ट करने के कारण उत्पन्न हुआ है। इसके लिए पूरा प्रावधान कर लिया गया हैं। कंपनी ने मुम्बई हाईकोर्ट में एनएसईएल तथा अन्य के विरूद्ध कानूनी वाद दायर किया है तथा इस मामले की सुनवाई चल रही है। सीबीआई ने भी मामले की जांच की है। भारत की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनएसईएल तथा एफटीआईएल के विलय आदेश को निरस्त कर दिया है।

एसएलपी के लंबित रहने के दौरान, एमएमटीसी द्वारा दायर किए गए सिविल सूट और प्रस्ताव की नोटिस पर रोक लगा दी गई थी, जो उपर्युक्त एसएलपी के निपटान के बाद फिर से शुरू हो सकती है।

इस बीच महाराष्ट्र राज्य ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 2020 के एसएलपी (सिविल) संख्या 21128–29 के माध्यम से बॉम्बे एचसी के दिनांक 22.08.2020 के एक फैसले को चुनौती दी है। दिनांक 22.08.19 के आदेश में कहा गया है कि एनएसईएल "वित्तीय प्रतिष्ठान" की परिभाषा के अंतर्गत नही आता है। एमएमटीसी ने उक्त एसएलपी में हस्तक्षेप का आवेदन भी दायर किया है जो न्याय निर्णयन के लिए लंबित है। मामला 02.02.2021 को अंतिम निपटान के लिए आया था। हालांकि, माननीय न्यायालय ने मामले को स्थगित कर दिया। सुनवाई की अगली तारीख का इंतजार है।

(ii) वर्ष के दौरान एचएफटीडब्ल्यूपीएल और केएफटीडब्ल्यूपीएल को परियोजना विकास के लिए अग्रिम के एवज में शून्य करोड़ (पी.वाई. ₹ 0.36 करोड़) का प्रावधान किया गया है। 31.03.2021 को कुल प्रावधान ₹ 16.30 करोड़ (पी.वाई. ₹ 16.30 करोड़) है।

10. आस्थगित कर परिसंपत्तियां (करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार	31 मार्च 2019 के अनुसार
आस्थगित कर देयता		
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	**(7.83)**	(8.70)
अनुयोग	**(7.83)**	**(8.70)**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**233.27**	
डीडब्ल्यूए जोखिम	**0.02**	233.27
वीआरएस व्यय	**3.03**	0.01
सीएसआर के लिए प्रावधान	**-**	6.26
कैरी फॉरवर्ड टैक्स लॉस	**330.69**	-
कर्मचारी लाभ व्यय का प्रावधान	**(3.74)**	-
अनुयोग	**563.27**	**239.54**
आस्थगित कर संपत्तिया(निवल)	**555.44**	**230.84**

आस्थगित कर आस्तियों को कंपनी की संभावित भावी कर योग्य आय के प्रति अपेक्षित उपयोग की सीमा तक पहचान की गई है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष से संभावित ब्याज आय तक सीमित हानियों पर 330.69 करोड़ रू. की आस्थगित कर परिसंपत्तियां बनाई हैं। 2020–20 से 2021–22 तक एनआईएनएल पर विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से वसूली की जाएगी।

वर्श के दौरान आस्थगित कर भोश में चलन (करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को शेष	लाभ व हानि में शामिल	समायोजन	31 मार्च 2021 को शेष
आस्थगित कर देयता				
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	(8.70)	-	0.87	**(7.83)**
अनुयोग	**(8.70)**	**-**	**0.87**	**(7.83)**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	233.27	-	-	**233.27**
डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	0.01	0.01	-	**0.02**
वीआरएस व्यय	6.26	-	(3.23)	**3.03**
कैरी फॉरवर्ड टैक्स लॉस	-	330.69	-	**330.69**
कर्मचारी लाभ व्यय के लिए प्रावधान	-	(3.74)	-	**(3.74)**
अनुयोग	**239.54**	**326.96**	**(3.23)**	**563.27**
कुल	**230.84**	**326.96**	**(2.36)**	**555.44**

पहचान की गई आस्थगित कर परिसंपतियां

निम्नलिखित के संबध में आस्थगित कर परिसंपतियां पहचान की गई (रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
अस्थाई कटौती योग्य अंतर राशि	**555.44**	230.84
कुल	**555.44**	**230.84**

आस्थगित कर संपत्तियों और आस्थगित कर दायित्वों को आफसेट कर दिया है क्योंकि वे एक ही कानून के अंर्तगत आते हैं।

11. अन्य संपत्तियां (रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
ए. गैर चालू		
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
–सिक्युरिटी डिपाजिट्स	**0.04**	0.04
–अन्य सप्लायर्स को अग्रिम	**4.67**	4.67
–अन्य अग्रिम	**17.12**	17.12
अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों की स्वीकार्यता	**(18.02)**	(17.98)
अन्य		
–वसूली योग्य प्रदत्त आयकर	**20.94**	20.94
–अन्य	**0.04**	0.01
कुल	**24.79**	**24.80**
बी. चालू		
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
–सिक्युरिटी डिपाजिट्स	**20.82**	13.09
–संबंधित पार्टियों को अग्रिम	**1,425.00**	1,425.00
–संबंधित पार्टियों को व्यापार संबंधित अग्रिम	**2,103.47**	1,796.00
–अर्जित ब्याज की वसूली अनिश्चित	**(547.87)**	(252.18)
–अन्य आपूर्तिकारों को अग्रिम	**8.38**	5.75
–अन्य प्राप्य दावे	**165.44**	135.65
–बिना बिलों के की गई गोल्ड/सिल्वर स्टॉक की खरीद	**294.50**	238.18
–अन्य अग्रिम	**15.41**	23.68
अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों की स्वीकार्यता	**(3.36)**	(3.25)
अन्य		
–देय बिक्री कर रिफंड	**11.12**	-
–बिक्री कर वापसी देय	**13.75**	13.79
–देय एक्साइज/कस्टम ड्यूटी रिफंड	**4.68**	4.64
–देय सेवाकर रिफंड	**0.40**	0.47
–अन्य	**55.17**	49.63
कुल	**3,566.92**	**3,450.45**

12. इन्वेंट्रीज (रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
कच्चा माल	**5.83**	11.31
तैयार माल	**22.25**	43.38
स्टॉक इन ट्रेड	**13.82**	155.85
रू 7.69 करोड़. रुपये (पिछले वर्ष 139.74 करोड़. रुपये) मूल्य के गुड्स इन ट्रॉजिट		
अन्य	**3.74**	7.20
योग	**45.64**	**217.74**

ए) जैसा प्रबंधतंत्र ने मूल्यांकित तथा प्रमाणित किया वैसा ही अपनाया गया।

बी) गुडस इन ट्रांजिट सहित इन्वेंट्रीज का मूल्यांकन दिनांक 31 मार्च 2021 को लागत के निम्नतर अथवा वसूली योग्य मूल्य पर किया गया। बाजार मूल्य पर अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत से कम मूल्य पर करने के कारण 7.50 करोड़. रूपये (पिछले वर्श 0.80 करोड़.) की हानि हुई ।

सी) स्टॉक इन ट्रेड में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआरएस) 39936यूनिट (पिछले वर्ष 20920 यूनिट) जिनका मूल्य 0.07 करोड़. रूपये (पिछले वर्ष 0.05 करोड़. रुपए) जो इंड एएस–2 'इन्वेंट्रीज' के अनुसार लागत अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य से निम्नतर है।

(ii) प्रमाणन के अंतर्गत सीईआरएस की संख्या शून्य यूनिट है (गत वर्ष 39939 यूनिट)

(iii) मूल्यहरास, एमिसन कटौती उपकरण की ओ एण्ड एम लागत के लिए 5.13 करोड़ रुपए की राशि(गत वर्ष रू 4.34 करोड़ रुपए) व्यय की गई।

(डी) प्याज का बफर स्टॉक बनाने के लिए भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत आयातित प्याज से संबंधित लागत पर मूल्यांकित 22.18 करोड़ रुपये(गत वर्ष शून्य करोड़ रुपये) की इन्वेंट्री स्टॉक इन ट्रेड में शामिल है (सदर्भ नोट 36(ई)) ।

ई) एमएमटीसी और एनआईएनएल के बीच विपणन समझौते के अनुसार एमएमटीसी एनआईएनएल को आयातित कोकिंग कोल की आपूर्ति कर रहा है। प्रमोटरों द्वारा मार्च, 2020 में संयंत्र को बंद करने का निर्णय लिया गया और एमएमटीसी द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि एनआईएनएल को आगे कोकिंग कोल की आपूर्ति नहीं की जाएगी। एमएमटीसी ने फरवरी 2020 में 79848 एमटी गोनीएला कोकिंग कोल का आयात किया था। इसके अलावा, एमएमटीसी के पास पारादीप बंदरगाह पर 15853 एमटी ब्लैकवाटर सॉफ्ट कोकिंग कोल का स्टॉक था जिसे पहले आयात किया गया था और एनआईएनएल को नहीं दिया गया था। एमएमटीसी ने कई बार घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निविदाएं जारी कर कोयले के स्टॉक को निपटाने का प्रयास किया, लेकिन असंतोशजनक प्रतिक्रिया के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कोयला बेचने का प्रयास किया गया। आरआईएनएल/सेल। सेल ने शुरू में इस कोयले को खरीदने के लिए प्रतिबद्ध किया था, लेकिन बाद में कोयले की अस्वीकार्य गुणवत्ता का हवाला देते हुए इसे खरीदने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात, स्टॉक को खुली निविदाओं के माध्यम से निपटाया गया। गूनीला कोकिंग कोल यानी 79848 मैट्रिक टन की खरीद लागत जीएसटी उपकर को छोड़कर रू 111 करोड़ (लगभग) है और ब्लैक वाटर सॉफ्ट कोकिंग कोल की खरीद मूल्य रू 17.23 करोड़ (लगभग) है, जिसमें 15853 मीट्रिक टन की शेष मात्रा के लिए जीएसटी उपकर शामिल नही है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 93119.49 मीट्रिक टन कोकिंग कोल रू 74.16 करोड़ में 37.66 करोड़ रू. की हानि के साथ बेचा गया है।

13. नकद तथा नकद समतुल्य (रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
बैंक में उपलब्ध शेष		
ए) चालू खाते में	**40.64**	48.41
बी) सावधिक जमा राशि में जिनकी मूल परिपक्वता 3 महीने तक की है	**57.92**	-
सी) कैश क्रेडिट अकांउट में डेबिट शेष	**33.99**	14.82
चैक, ड्राफ्ट ऑन हैंड	**0.00**	0.00
कैश ऑन हैंड	**0.16**	0.04
कुल	**132.71**	**63.27**

14. उपरोक्त के अलावा बैंक शेष (करोड रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
मार्जिन मनी के रूप में/लियन पर	**23.22**	44.71
सावधिक जमा राशि में जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक परंतु 12 महीने से कम है	**9.99**	12.16
कुल	**33.21**	**56.86**

15. वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल) (करोड रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए भुगतान किया गया अग्रिम कर	**2.64**	
वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए भुगतान किया गया अग्रिम कर	-	11.44
कुल	**2.64**	**11.44**

16. ए . इक्विटी शेयर पूंजी (करोड रुपए में)

विवरण		31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
		संख्या	संख्या
अधिकृत			
प्रत्येक 1/– रुपए समान मूल्य के साधारण शेयर	संख्या	**2,000,000,000**	2,000,000,000
	राशि	**200.00**	200.00
निर्गत, खरीदे गए तथा पूर्ण प्रदत्त			
प्रत्येक 1/– रुपए समान मूल्य के साधारण शेयर	संख्या	**1,500,000,000**	1,500,000,000
	राशि	**150.00**	150.00

शेयरों की संख्या जिनका मिलान किया गया

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
आरंभिक इक्विटी शेयर	**1,500,000,000**	1,500,000,000
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी/खरीदे गए शेयरों की संख्य		
घटाए : कटौती	-	-
अंतिम शेष	**1,500,000,000**	**1,500,000,000**

कंपनी में ऐसे शेयर होल्डर के शेयरों की संख्या जिनकी 5 प्रतिशत से अधिक होल्डिंग है

शेयर होल्डर का नाम	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
– भारत के राष्ट्रपति	**1,348,903,143**	1,348,903,143

ज्कंपनी में भोयर पूंजी की एक श्रेणी है, जिसमें रू 1/– प्रत्येक शेयर मूल्य के साधारण शेयर हैं। कंपनी के आर्टिकल्स आफ असोसिएशन तथा लागू कानून के तहत कंपनी के साधारण शेयर होल्डर को कंपनी की वार्षिक आम सभा का नोटिस तथा वोट डालने का अधिकार प्रदान करता है, कंपनी के बंद होने की स्थिति में सरप्लस परिसंपत्तियों को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है, साधारण शेयरों पर घोषित किए गए किसी भी लाभांश को प्राप्त करने की पात्रता प्रदान करता है।

इक्विटी शेयर पूंजी में गतिविधि: वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी शेयर की वापस खरीद नहीं की है।

कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है

वर्ष 2020–20 के दौरान कंपनी ने पोस्टल बैलट के माध्यम से शेयरहोल्डर्स की सहमति प्राप्त कर पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में 50 करोड रूपए की फ्री रिजर्व राशि का पूंजीकरण करते हुए कंपनी ने 50 करोड इक्विटी शेयर 1:2 के अनुपात में पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर के रूप में आबंटित किए। तदनुसार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी बढकर 150 करोड रूपए हो गई है जिसे रूपए 1/– प्रति इक्विटी शेयर पूर्णप्रदत्त की दर से 150 करोड़ इक्विटी शेयर में विभाजित किया गया है।

कंपनी की कोई भी होल्डिंग कंपनी नही है।

बी. अन्य इक्विटी (करोड रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
अनुसंधान व विकास रिजर्व	-	-
सामान्य रिजर्व	**596.97**	596.97
रिटेंड अर्जन	**(308.86)**	460.83
अन्य व्यापक आय रिजर्व	**(15.65)**	(23.65)
कुल अन्य इक्विटी	**272.46**	**1,034.15**

(i) अनुसंधान एवं विकास रिजर्व

(करोड रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
आरंभिक शेष	-	0.35
सरप्लस से अंतरण	-	-
सामान्य रिजर्व से अंतरण	-	(0.35)
अंतिम शेष	-	-

(ii) सामान्य रिजर्व

(करोड रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
आरंभिक शेष	**596.97**	586.62
सरप्लस/अन्य रिजर्व से अंतरण	-	10.35
बोनस शेयर जारी करना	-	-
अंतिम शेष	**596.97**	**596.97**

(iii) रिटेंड रिजर्व

(करोड रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
आरंभिक शेष	**460.83**	755.27
वर्ष के लिए निवल लाभ	**(769.69)**	(227.11)
लाभांश रिटेन में सीधे दिखायी गई मदें रोजगारोपरांत	-	(3.09)
लाभ दायित्वों का पुनः मूल्यांकन तथा लाभांश वितरण	-	-
प्रतिधारित कमाई	-	(54.25)
विनियोग :–		
सामान्य रिजर्व	-	(10.00)
अंतिम शेष	**(308.86)**	**460.83**

(iv) अन्य रिजर्व

(करोड रुपए में)

	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स	पुनर्मांप–पोस्ट कर्मचारी लाभ योजनाएँ	कुल अन्य रिजर्व
01 अप्रैल 2019 को	(0.62)	(2.38)	**(3.00)**
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	-	(11.27)	**(11.27)**
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	(9.38)	-	**(9.38)**
31 माच 2020 को	**(10.00)**	**(13.65)**	**(23.65)**
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मूल्यांकन	-	6.93	**6.93**
अन्य समायोजन अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स	1.07	-	**1.07**
31 मार्च, 2021 को	**(8.93)**	**(6.72)**	**(15.65)**

17. उधार

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
गैर –चालू		
(i) मांग पर प्रतिदेय ऋण		
(ए) बैंकों से		

– सुरक्षित	-	-
– असुरक्षित	-	166.70
योग	**-**	**166.70**
बी – चालू		
(i) मांग पर प्रतिदेय ऋण		
(ए) बैंकों से		
– सुरक्षित (इन्वेंट्रीज, ट्रेड प्राप्यों तथा अन्य वर्तमान एवं भविष्य की चालू परिसंपत्तियों के हाईपोथिकेशन के प्रति)	**185.20**	463.42
– असुरक्षित	**2,178.81**	1,791.76
अन्य ऋण–राष्ट्रीय लघु बचत फंड (एफएसएसएफ) से	-	1,310.00
योग	**2,364.01**	**3,565.18**

- किसी भी निदेशक अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा ऋणों की गारंटी नहीं दी गई है।
- बैंकों से कैश क्रेडिट/पैकिंग क्रेडिट खाते/अन्य के अंतर्गत ऋण लिए गए हैं तथा एक वर्ष के अंदर अदायगी योग्य हैं। मांग पर प्रतिदेय ऋण पर देय ब्याज एमसीएलआर तथा बैंकों के विस्तार पर आधारित है।

भारत सरकार से यूरिया के आयात के लिए जिसका भुगतान मार्च 2021 में कर दिया गया)

एमएमटीसी लंबे समय से चलनिधि संकट का सामना कर रहा है और सितंबर 2020 से बैंकों को देय ऋण और मासिक ब्याज भुगतान के भुगतान में भी चूक की है (रू 198.48 की वित्तीय लागत में रू 84.48 करोड़ का अर्जित ब्याज शामिल है)। बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, एमएमटीसी ने सभी ऋणदाता बैंकों से आरबीआई परिपत्र संख्या के अनुसार ऋण के पुनर्गठन के लिए अनुरोध किया। कोविड–19 संबंधित तनाव के समाधान के लिए आरबीआई/2020–21/16 डीओआर सं.बीपी/बीसी/3/21.04.048/2020–21 दिनांक 06.08.2020। ऋण समाधान योजना को सभी ऋणदाता बैंकों द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसे 1.4.2015 से लागू किया गया था। 08.06.2021। समाधान योजना के क्रियान्वयन की तिथि को बकाया ऋण की मूल राशि रू 2272.25 करोड़ थी। आवश्यक जानकारी और/रिकॉर्ड बैंकों के साथ साझा किए गए थे और बाद में कंपनी और ऋणदाता बैंकों ने 08.06.2021 को मास्टर ऋण समाधान समझौते (एमडीआरए), ट्रस्ट और प्रतिधारण खाता समझौते (टीआरए) और अन्य आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं।

ऋण पुनर्गठन के कार्यान्वयन के बाद, सभी ऋणदाता बैंकों के साथ एमएमटीसी खाता सभी ऋणदाता बैंकों के साथ नियमित/मानक होना चाहिए। दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करके, उधारदाताओं ने डिफ़ॉल्ट की मौजूदा घटना को माफ कर दिया और आईबीसी के तहत कोई नागरिक कार्रवाई या कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इस योजना के तहत, कंपनी को एसबीआई के लिए 08.12.2021 तक और अन्य बैंकों के लिए 31.03.2022 तक और सभी बैंकों के लिए 31.03.2022 तक मूलधन के लिए ब्याज की वसूली पर मोहलत मिली है। बकाया ऋण और अर्जित ब्याज मुख्य रूप से नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) की विनिवेश आय के माध्यम से चुकाया जाना है। यह कानूनी मामलों, एंग्लो कोल केस, सरकारी निर्देशों और कोविड–19 महामारी की स्थिति आदि के परिणाम से प्रभावित हो सकता है। भारत सरकार के प्रशासनिक विभाग यानी वाणिज्य विभाग को विधिवत सूचित किया गया है।

18. देय व्यापार (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
चालू		
व्यापार देय		
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों का कुल देय बकाया	**0.03**	0.08
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स का कुल देय बकाया	**764.20**	650.74
संबंधित पार्टियों को व्यापार देय		
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स कुल देय बकाया	-	-
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स का कुल देय बकाया	**0.78**	12.39
कुल	**765.01**	**663.21**

19. अन्य वित्तीय देयताएं (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
ए. गैर		
लीज	**3.61**	5.81

कुल	**3.61**	**5.81**
बी –चालू		
देय – व्यापार के अलावा	**14.79**	9.50
देय डिस्पेच/डेमरेज	**3.95**	4.90
वसूली गई राशि – पेंडिंग रेमिटेंस	**8.33**	0.22
उधार पर उत्पन्न ब्याज	**2.02**	13.29
सिक्युरिटी डिपॉजिट व ईएमडी	**43.57**	38.07
भुगतान न किया गया लाभां	**0.22**	0.22
देय दावे	**47.20**	45.41
लीज	**0.35**	0.27
अन्य	**88.39**	87.47
कुल	**208.82**	**199.35**

20. प्रावधान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 ekpZ 2021 ds vuqlkj	31 ekpZ 2020 ds vuqlkj
ए. गैर चालू		
कर्मचारी लाभ दायित्व		
ए) अर्जित अवकाश	**13.12**	11.68
बी) अनुकंपा ग्रेच्युटी	**0.09**	0.10
सी) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ		
01.01.2007 को या इसके बाद सेवानिवृत्त	**5.22**	4.25
01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त	**1.32**	1.46
डी) अर्द्धवेतन अवकाश	**16.29**	18.26
ई) सेवा अवार्ड	**3.41**	3.88
एफ) कर्मचारी परिवार लाभ योजना	**3.11**	3.48
जी) माईका कर्मचारियों को विषेश लाभ	**1.47**	1.73
कुल	**44.03**	**44.84**
बी. चालू		
कर्मचारी लाभ दायित्व		
ए) अर्जित अवकाश	**2.89**	2.75
बी) अनुकंपा ग्रेच्युटी	**0.03**	0.06
सी) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ		
01.01.2007 को या इसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी	**0.28**	0.10
01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी	**2.49**	0.27
डी) अर्द्धवेतन अवकाश	**4.30**	3.62
ई) ग्रेच्युटी	**8.41**	11.12
एफ) सेवानिवृत्ति लाभ	**0.94**	0.97
जी) सेवा अवॉर्ड	**17.46**	21.11
एच) बोनस/कार्यनिष्पादन से जुड़ा वेतन	**0.52**	0.55

आई) कर्मचारी परिवार लाभ योजना	**0.38**	0.43
अनुयोग	**37.70**	**40.98**
अन्य		
गंतव्य भार तथा विश्लेषण जोखिम	**0.08**	0.04
मुकदमेंबाजी के निपटान के लिए प्रावधान	**888.81**	11.38
अनुयोग	**888.89**	**11.42**
कुल	**926.59**	**52.40**

21. अन्य देयताएं (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
चालू		
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	**418.68**	448.00
सांविधिक भुगतान योग्य देय	**57.92**	11.07
अनबिल्ड खरीदारी के लिए देय राशि	**294.50**	238.18
अन्य	**1.13**	1.28
कुल	**772.23**	**698.53**

22. वर्तमान कर देयताएं (निवल) (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2020–20 के लिए देय आयकर	-	-
कुल	-	-

23. प्रचालन से राजस्व (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री	**26,361.59**	24,051.99
सेवाओं की बिक्री	**2.91**	4.06
अन्य प्रचालन राजस्व		
–दावे	**25.90**	89.25
–अर्जित डिस्पैच	**-**	-
–अन्य व्यापार आय	**(8.79)**	(10.32)
कुल	**26,381.61**	**24,134.98**

24. अन्य आय (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय		
– फिक्स्ड डिपोजिट से	**4.02**	3.10
– ग्राहकों की अतिदेय राशि से	**0.15**	0.04
– अन्य	**1.05**	8.20
लाभांश आय		
– सहायक / संयुक्त उद्यमों से	**28.64**	12.21
– अन्य से	**0.07**	0.20
अन्य गैर–प्रचालन राजस्व (ऐसी आय पर प्रत्यक्ष रूप से हुए खर्च को घटाकर)		
– स्टाफ क्वार्टर्स किराया	**0.70**	0.64

– रिटन बैक देयताएं	**4.38**	4.91
– विविध प्राप्तियों	**3.18**	2.89
कुल	**42.19**	**32.19**

25. प्रयुक्त माल की लागत (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
कच्चे माल का आरंभिक स्टॉक	**11.31**	26.97
जोड़ें : क्रय से अंतरण	**70.30**	161.13
घटाएं: कच्चे माल का अंतिम स्टॉक	**6.10**	10.64
प्रयुक्त माल की लागत	**75.51**	**177.46**
उपभोग वस्तुएँ	-	-

26. स्टॉक–इन–ट्रेड का क्रय (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
क. क्रय		
बहुमूल्य धातुएं	**12,803.89**	7,524.20
धातुएं	**93.41**	755.26
उर्वरक	**9,156.43**	11,058.25
खनिज	**1,748.75**	1,684.03
कृषि उत्पाद	**638.80**	821.70
कोयला व हाईड्रोकार्बन	**480.81**	1,219.42
अन्य	**26.63**	10.90
ख. स्टॉक के रूप में प्राप्त/(जारी किया गया)		
बहुमूल्य धातुएं	**(0.09)**	(0.13)
कुल	**24,948.63**	**23,073.63**

27. इन्वेंट्रीज में परिवर्तन (करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
क. तैयार माल		
आरंभिक शेष	**43.38**	30.18
अंतिम शेष	**22.58**	46.53
तैयार माल की इन्वेंट्री में परिवर्तन	**20.80**	**(16.35)**
ख. स्टॉक–इन–ट्रेड		
आरंभिक शेष	**155.86**	222.66
अंतिम शेष	**14.81**	162.35
स्टॉक–इन–ट्रेड की इन्वेंट्री में परिवर्तन	**141.05**	**60.31**
निवल (वृद्धि)/कमी	**161.85**	**43.96**

28. कर्मचारी लाभ व्यय (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
क) वेतन तथा पारिश्रमिक		
वेतन तथा भत्ते	**101.22**	125.53
छुट्टी नकदीकरण	**7.81**	11.94
बोनस	**0.05**	0.06
परफॉरमेंस से जुड़ा वेतन	-	0.00

चिकित्सा व्यय	**6.95**	13.20
ग्रुप बीमा	**0.00**	0.01
वी आर खर्चे	**0.00**	22.87
ख) भविष्य निधि तथा अन्य		
भविष्य निधि	**8.88**	9.88
ग्रेच्युटी निधि	**4.01**	3.41
परिवार पेंशन योजना	**0.84**	1.02
अधिवर्षिता लाभ	**4.56**	5.09
ग) स्टाफ कल्याण व्यय	**0.72**	1.36
कुल	**135.04**	**194.37**

निदेशकों की समिति के निर्णय के अनुसार एमएमटीसी ने अपने सेवारत कर्मचारी के भत्तों का भुगतान दिनांक 01.04.2015 से स्थगित कर दिया है। सितंबर 2020। उसी की आगे की बहाली एमएमटीसी की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगी जो मुख्य रूप से एनआईएनएल के विनिवेश और उन्नत दिशानिर्देशों के बाद होगी। तदनुसार, 2020–21 के दौरान कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।

29. वित्त लागत (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
क. ब्याज व्यय	**197.99**	138.68
ख. लीज पर ब्याज व्यय	**0.49**	0.32
ग. फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्ट पर प्रीमियम	-	-
कुल	**198.48**	**139.00**

30. मूल्यह्रास तथा अमोर्टाइजेशन व्यय (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
पीपीई पर मूल्यह्रास	**4.49**	4.71
निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास	**0.16**	0.16
अमूर्त परिसंपत्तियों पर अमोर्टाइजेशन	**0.29**	0.78
कुल	**4.94**	**5.65**

31. अन्य व्यय (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
ए. प्रचालन व्यय		
भाड़ा	**0.02**	51.50
डेमरेज	**0.85**	25.37
क्लियरिंग, हैंडलिंग, डिस्काउंट एवं अन्य प्रभार	**12.53**	35.36
एल/सी नेगोशिएशन एवं अन्य प्रभार	**0.59**	1.59
विदेशी मुद्रा विनिमय में अंतर	**(7.72)**	(6.61)
सीमा शुल्क	**1,072.70**	546.41
पैकिंग सामग्री	**0.17**	1.25
बीमा	**0.00**	0.08
गोदाम बीमा	**1.37**	0.87
प्लॉट तथा गोदाम किराया	**0.66**	2.86
गंतव्यी भार एवं विश्लेषण जोखिम के लिए प्रावधान	**0.08**	0.04

अनुयोग (ए)	**1,081.25**	**658.72**
बी. प्रशासनिक व्यय :		
किराया	**1.31**	2.22
सुरक्षा खर्च	**3.41**	3.62
दरें एवं कर	**1.46**	2.12
बीमा	**0.20**	0.25
भवनों की मरम्मत	**4.51**	5.11
मशीनों की मरम्मत	**0.02**	0.03
मरम्मत एवं रखरखाव–कम्प्यूटर्स	**1.89**	1.63
मरम्मत एवं रखरखाव – अन्य	**0.35**	0.67
बिजली एव जल प्रभार	**2.33**	3.13
विज्ञापन एवं प्रचार	**0.10**	0.90
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	**0.19**	0.47
पोस्टेज एवं कुरियर	**0.04**	0.15
टेलीफोन	**0.82**	1.09
टेलीकम्युनिकेशन	**0.33**	0.39
यात्रा	**0.64**	1.69
वाहन	**0.90**	1.47
मनोरंजन	**0.11**	0.51
विधिक	**4.07**	11.43
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (i)	**0.57**	0.64
बैंक प्रभार	**0.60**	1.88
किताबें एवं पत्रिकाएं	**0.01**	0.05
ट्रेड/बिक्री प्रोमोशन	**0.28**	0.83
सब्सक्रिपशन	**0.20**	0.61
प्रशिक्षण सेमिनार तथा कान्फ्रेंस	**0.01**	0.14
प्रोफेशनल/कंसलटैंसी	**1.36**	2.39
सीएसआर व्यय (ii)	**0.89**	1.43
विदेशी मुद्रा विनिमय में अंतर	**(4.22)**	0.80
सेवा कर/जीएसटी	**1.93**	0.82
प्रदर्शनी एवं मेले	**0.08**	0.76
विविध व्यय	**3.89**	9.24
अनुयोग (बी	**28.28**	**56.47**
सी. अन्य		
अशाध्य ऋण/दावे/परिसंपत्तियाँ अपलिखित निकासी	**5.80**	0.34
अशोध्य और संदिग्ध कर्ज/दावे/अग्रिम के लिए भत्ते	**1.06**	0.49
अनुयोग(सी)	**6.86**	**0.82**
कुल (एबीसी)	**1,116.39**	**716.01**

(i) लेखापरीक्षा को दी गई राशि

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
लेखा परीक्षक के रूप में	**0.29**	0.33
कराधान मामले के लिए /कर लेखापरीक्षा	**0.14**	0.16
अन्य सेवाओं के लिए	**0.13**	0.15
व्यय की प्रतिपूर्ति	**0.01**	0.01
कुल	**0.57**	**0.64**

ii) सीएसआर के खर्चे के विवरणम

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021
कंपनी के द्वारा खर्च की आवश्यकता की कुल राशि (पूर्व तीन वर्षों के दौरान के औसत कुल लाभ के 2% के बराबर)	शून्य करोड़	शून्य करोड़

विवरण	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	नहीं खर्च की गई राशि
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष		
i) किसी संपत्ति का निर्माण अधिग्रहण	**0.32**	0.05
ii) उपरोक्त (i) के उद्देश्य के अलावा	**0.58**	0.05
iii) पिछले साल के आरक्षित का.सा. दा. के नामे	**-**	-
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		
i) किसी संपत्ति का निर्माण अधिग्रहण	**0.82**	0.37
ii) उपरोक्त (i) के उद्देश्य के अलावा	**0.61**	0.60
iii) पिछले साल के आरक्षित का.सा. दा. के नामे	**-**	-

वर्ष के दौरान किसी संपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण के लिए 0.59 करोड़ (पी.वाई. 0.15 करोड़) व्यय किया गया और अन्य 0.05 करोड़ (पी.वाई. 0.54 करोड़) 31 मार्च 2020 तक व्यय नहीं किया गया है।

32. अपव ाद मदें

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से इन्वैंट्रीज को राइट डाउन करना और उसका रिवर्सल करना।	**1.59**	7.50
परिसंपत्तियों की मदों का निपटान	**(0.24)**	(0.06)
गैर चालू निवेश के मूल्य में हुई कमी के लिए प्रावधान	**-**	33.80
मुकदमों का निपटान	**(1.13)**	-
मुकदमेबाजी निपटान (ii)	**877.25**	6.91
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	**(0.30)**	(3.83)
कुल	**877.17**	**44.32**

एसआईसीएएल आइरन ओर ट्रमिनल लिमिटेड में इक्विटी निवेश के प्रावधान

(ii) असाधारण मदों में एक विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा वर्ष 2008–09 में एनआईएनएल (एक संयुक्त उद्यम कंपनी) को आपूर्ति के लिए 7.872 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि और मध्यस्थता की लागत 0.098 करोड़ अमेरिकी डॉलर की आपूर्ति के लिए कोकिंग कोल के आयात से संबंधित दावे की राशि शामिल है। ब्याज के साथ, जिसे अंततः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एससी निर्णय दिनांक 17.12.2020 द्वारा तय किया गया था और मध्यस्थता पुरस्कार और निर्णय दिनांक 12.5.2014 को बहाल किया गया था। इस बीच एमएमटीसी ने 16.01.2021 को एक समीक्षा याचिका दायर की थी जिसे 03.02.2021 को सूचीबद्ध किया गया था और एससी ने ब्याज भाग के मुद्दे तक सीमित खुली अदालत में सुनवाई की अनुमति दी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 29.07.2021 को पेंडेंट लाइट और भविष्य के ब्याज को 6% साधारण ब्याज पर भुगतान करने का निर्देश दिया। तदनुसार, एमएमटीसी ने 877.43 करोड़ रू.(583.15 करोड़ रू.के दावे और 294.28 करोड़ रू. के ब्याज सहित) का प्रावधान किया है।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.5.2019 के अनुपालन में, कंपनी ने रजिस्ट्रार के पास अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख जमा किए। अनुकूल आदेश के बाद, कंपनी ने अन्य बातों के साथ–साथ दावेदार द्वारा दायर निष्पादन/प्रवर्तन याचिका को खारिज करने के लिए आवेदन दायर किया था, लेकिन दावेदार ने प्रस्तुत किया कि वे वर्तमान में डिवीजन बेंच के फैसले को रद्द करने के फैसले को खारिज करने की प्रक्रिया में हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता देते हुए। न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक

15 जुलाई, 2020 द्वारा प्रवर्तन याचिका को निष्फल बताते हुए खारिज कर दिया और आदेश दिया कि कंपनी द्वारा जमा किए गए टाइटल डीड को दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 12 सप्ताह की और अवधि के लिए रखा जाएगा और उसके बाद जारी किया जाएगा। कंपनी को, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश के अधीन। अचल संपत्तियों का टाइटल डीड अभी भी दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेसर्स एंग्लो कोल की निष्पादन याचिका याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिनांक 03.03.2021 के तहत उक्त आदेश की तारीख से दो महीने के भीतर 585.94 करोड़ रू.जमा करने का निर्देश दिया है। वित्तीय संकट के कारण कंपनी के आदेश का पालन नहीं किया जा सका। एमएमटीसी की कुछ संपत्तियों/बैंक खाते की कुर्की के अनुसरण में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में निष्पादन मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। आदेश दिनांक 28.9.2021 के अनुसार, एमएमटीसी को मास्टर डेट एग्रीमेंट दिनांक 8.6.2021 के अनुसार बैंकरों की बकाया राशि का निर्वहन करने के बाद एनआईएनएल की विनिवेश आय के अधिशेष से 1000 करोड़ रू. अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया था। नवीनतम आदेश के अनुसार सुनवाई की अगली तिथि 29.11.2021 है।

यद्यपि एमएमटीसी एंग्लो कोल से संबंधित कानूनी मामले की प्रगति पर एनआईएनएल को नियमित रूप से अपडेट कर रहा है और एनआईएनएल की पुस्तकों में एनआईएनएल को एनआईएनएल की पुस्तकों में प्रदान करने के लिए बार–बार अनुरोध कर रहा है, क्योंकि एनआईएनएल के लिए एमएमटीसी द्वारा खरीद शुरू की गई थी, एंग्लो कोल विवाद से उत्पन्न आकस्मिक देयता केवल। एमएमटीसी ने इस संबंध में एनआईएनएल को कई पत्र भेजे हैं। तथापि, एमएमटीसी द्वारा एंग्लो कोल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही में एनआईएनएल को पक्षकार नहीं बनाया गया था।

एंग्लो कोयला विवाद से संबंधित कार्यसूची मद को मद सं. 27.05.2019 को आयोजित एनआईएनएल के निदेशक मंडल की 165वीं बैठक में से 10. एजेंडे पर एनआईएनएल के अध्यक्ष ने बोर्ड को एंग्लो कोल के साथ लेनदेन और कानूनी मामले की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। अध्यक्ष, एनआईएनएल ने यह भी बताया कि एनआईएनएल की ओर से कच्चे माल की खरीद के लिए एकमात्र और अनन्य एजेंट के रूप में एमएमटीसी ने एनआईएनएल के हित में उपाय किए थे। कोकिंग कोल का आयात केवल एनआईएनएल के लिए था। यह भी बताया गया कि एमएमटीसी मामले के बचाव के लिए हर संभव उपाय और कानूनी सहारा लेती रही है और जारी रखेगी। हालांकि, एनआईएनएल में देयता को दर्शाने का निर्णय नहीं लिया गया था, भले ही यह प्रावधान के बिना एमएमटीसी की वार्षिक रिपोर्ट में एनआईएनएल के खिलाफ परिलक्षित हुआ था।

स्टील और खानों के नामित निदेशकों, उड़ीसा सरकार, आईपीआईसीओएल और ओएमसी ने व्यक्त किया कि एनआईएनएल के खातों के विवरण में एंग्लो कोयला विवाद के कारण देयता का खुलासा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उक्त देयता एनआईएनएल के लिए उपार्जित नहीं है क्योंकि बाद वाली है अनुबंध के पक्षकार नहीं। उन्होंने आगे सलाह दी कि ऐसी वस्तुओं को टेबल पर रखी वस्तुओं के रूप में न रखें।

एमएमटीसी ने वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2018–19 तक एमएमटीसी की लेखा पुस्तकों में एनआईएनएल के कारण आकस्मिक देयता के रूप में एंग्लो कोल का उल्लेख किया है, जिसका लेखा परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया गया है और एजीएम द्वारा अनुमोदित किया गया है। एंग्लो कोयला देयता के लिए एमएमटीसी की लेखा पुस्तकों में 2018–19 तक कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि 2013–14 से 2018–19 के खातों में यह उल्लेख किया गया है कि इस खाते पर देयता एनआईएनएल द्वारा वहन की जानी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में लगभग 1607 करोड़ रू. की आकस्मिक देयता का आदेश। एमएमटीसी के खातों में उपस्थित होने पर एमएमटीसी द्वारा फिर से विचार किया गया और 18.02.2021 को आयोजित एनआईएनएल के निदेशक मंडल की 175वीं बैठक में फिर से विचार–विमर्श किया गया। एनआईएनएल बोर्ड में लिया गया निर्णय "लगभग 1607 करोड़ रुपए की आकस्मिक देयता" था। एमएमटीसी के खातों में उपस्थित होने पर विचार–विमर्श किया गया और ओएमसी ने सूचित किया कि उन्होंने पहले ही एक औपचारिक संचार भेजा है कि ये देनदारियां एनआईएनएल खातों की किताबों में देनदारियों का हिस्सा नहीं बन सकती हैं। एनएमडीसी ने इस संबंध में ओएमसी की टिप्पणियों को भी दोहराया। एमएमटीसी और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संदर्भ में इस मुद्दे पर दीपम द्वारा उठाए गए स्टैंड पर भी चर्चा की गई।

06.03.2021 को आयोजित एनआईएनएल के निदेशक मंडल की 176 वीं बैठक के दौरान, एमएमटीसी के खातों में प्रदर्शित होने वाले एंग्लो कोल के कारण आकस्मिक देयता को फिर से एमएमटीसी के नामित निदेशकों द्वारा उठाया गया था और ओएमसी ने सूचित किया कि उन्होंने पहले ही औपचारिक संचार भेज दिया है कि यह देनदारी एनआईएनएल की बहीखातों में देनदारियों का हिस्सा नहीं बन सकती। एनएमडीसी ने भी ओएमसी की टिप्पणियों को दोहराया।

इस दायित्व के क्रिस्टलीकरण के बाद, एमएमटीसी ने अपने पत्र दिनांक 07 सितंबर, 2021 के माध्यम से एनआईएनएल पर एक औपचारिक दावा दर्ज किया और एनआईएनएल के खातों की पुस्तकों में इस फर्म देयता को शामिल करने की मांग की।

इस संबंध में दिनांक 13.09.2021 को आयोजित एनआईएनएल के निदेशक मंडल की 180वीं बैठक में एमएमटीसी के दावे पर विचार किया गया। एमएमटीसी के नामित निदेशकों ने इस बात पर जोर दिया था कि लेनदेन केवल एनआईएनएल की ओर से किया गया था और इससे उत्पन्न होने वाली देनदारियों को एनआईएनएल द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, एनआईएनएल के बोर्ड ने बहुमत से निर्णय लिया कि एनआईएनएल को दायित्व नहीं सौंपा जा सकता है। एमएमटीसी के निदेशकों ने बैठक में यह भी सूचित किया था कि एमएमटीसी इस विषय पर एक सरकार के वरिश्ठ से राय मांगेगा। वकील और एनआईएनएल बोर्ड के निर्णय के साथ इसे डीओसी/दीपम को समाधान के लिए प्रस्तुत करेंगे।

इसके अलावा, एनआईएनएल के बोर्ड की 24.09.2021 को हुई 182वीं बैठक में वित्त वर्ष 2020–21 के लिए एनआईएनएल के अनंतिम खातों पर विचार–विमर्श करते हुए, राशि के क्रिस्टलीकरण के बाद एंग्लो कोल विवाद के कारण देयता से संबंधित मुद्दे को फिर से उठाया गया था। एमएमटीसी के नामित निदेशकों द्वारा, क्योंकि वित्त वर्ष 2020–21 के लिए एमएमटीसी की बहीखातों पर इसका असर पड़ता है, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि, अन्य सभी बोर्ड सदस्यों ने एनआईएनएल की पुस्तकों में उक्त देयता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और 2020–21 के लिए एनआईएनएल के अनंतिम खातों को एंग्लो कोल के कारण देयता को शामिल किए बिना पारित कर दिया गया। एनआईएनएल द्वारा 28.09.2021 को अनंतिम खाते दीपम को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

एमएमटीसी ने एनआईएनएल पर एंग्लो कोल की देनदारी के उपार्जन के संबंध में विद्वान एजी से राय भी मांगी थी। उन्होंने कहा कि एमएमटीसी एनआईएनएल पर दावा करती है कि एमएमटीसी के लिए एनआईएनएल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने में बहुत देर हो चुकी है क्योंकि सीमा अवधि समाप्त हो गई है।

कंपनी एंग्लो कोल के खिलाफ उपलब्ध कानूनी उपाय तलाश रही है।

33. कर व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
वर्तमान वर्ष	-	-
पूर्वाधियों से संबंधित समायोजन	**0.07**	(0.12)
अनुयोग (ए)	**0.07**	**(0.12)**
आस्थगित कर व्यय		
अस्थाई अंतर राशि का ओरिजिनेशन तथा रिवर्सल	**(324.60)**	-
अनुयोग (बी)	**(324.60)**	**-**
कुल (एबी)	**(324.53)**	**(0.12)**

अन्य व्यापक आय में माना गया कर

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
परिभाषित लाभ योजना एक्चुरियल लाभ (हानि)	-	-
कुल	**-**	**-**

प्रभावी करों का मिलान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	**(1,094.22)**	(227.23)
अधिनियमित कर दर	**34.94**	34.94
गणना की गई अनुमानित कर खर्चे	**-**	-
कटौती मुक्त खर्चे	**-**	-
कर मुक्त आय/अन्य कोई कटौती अथवा अनुमति योग्य खर्च	**-**	-
पूर्वावधि से संबंधित अनुमानों में परिवर्तन	**-**	-
आस्थगित कर	**-**	-
वर्ष के लिए कर व्यय	**-**	**-**
समायोजन : ओसीआई पर कर प्रभाव	**-**	-
वर्ष के लिए निवल कर व्यय	**-**	**-**

34. आकस्मिक देयताएं एवं प्रकटन

i)

(करोड़ रू. में)

	विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
(I)			
ए)	विदेशी मुद्रा दावे सहित कंपनी के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है।	175.57	202.35
बी)	विवादित आयकर मांग जिसके प्रति 19.64 करोड़ रू. (गत वर्ष 19.08 करोड़ रू.) जमा किए गए हैं।	42.69	40.59

सी)	विवादित टीडीएस मांग	0.05	0.00
डी)	विवादित बिक्री कर मांग जिसके विरूद्ध 12.36 करोड़ रू. (गत वर्ष 17.80 करोड़ रू.) जमा किए गए तथा बैंक गारंटी द्वारा 0.07 करोड़ रू. (गत वर्ष 0.07 करोड़ रू.) कवर किए गए।	202.73	202.66
ई)	विवादित सेवा कर मांग	113.76	107.10
एफ)	विवादित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मांग	20.29	20.29
जी)	विवादित पीएफ मांग	2.24	2.24
एच)	कस्टम्स बांड्स	254.80	267.08
आई)	बकाया जीआर–1 जिसके लिए 0.73 करोड़ रुपए (गत वर्ष 0.73 करोड़ रू.) की बैंक गारंटी दी गई है।	1.60	1.60
जे)	कंपनी के विरूद्ध विदेशी सप्लायर की ओर से किए गए दावे को ऋण नही माना गया है।	128.89	-
कुल (I)		**942.62**	**843.91**
(II)	**अन्य बैक टु बैक आधार पर असोसिएट के अकाउंट में यदि कोई देयता बनती है**		
ए)	कस्टम्स ड्यूटी/ब्याज/पेनल्टी इत्यादि की अंतर राशि	166.87	166.92
कुल (II)		**166.87**	**166.92**

क्रम संख्या (I) में दी गई मदों का मूवमेंट ए) से जे) (करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च 2020 को शेष	वर्ष के दौरान आरंभिक शेष में कटौती	वर्ष 2020–20 के दौरान वृद्धि	31 मार्च 2021 को शेष
ए)	विदेशी मुद्रा के दावों सहित कंपनी के विरूद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण नही माना गया	202.35	30.88	4.10	175.57
बी)	विवादित आयकर मांग	40.59	-	2.10	42.69
सी)	विवादित टीडीएस मांग	-	-	0.05	0.05
डी)	विवादित बिक्री कर मांग	202.66	0.01	0.08	202.73
ई)	विवादित सेवाकर मांग	107.10	-	6.66	113.76
एफ)	विवादित केंद्रीय उत्पाद शुल्क मांग	20.29	-	-	20.29
जी)	विवादित पीएफ मांग	2.24	-	-	2.24
एच)	कस्टम्स बांड्स	267.08	74.66	62.38	254.80
आई)	बकाया जीआर–1	1.60	-	-	1.60
जे)	विदेशी सप्लायर की ओर से कंपनी के विरूद्ध किए गए ऐसे दावे जिन्हें ऋण नही माना गया	-	-	128.89	128.89
	कुल	**843.91**	**105.55**	**204.26**	**942.62**

क्रम संख्या (II) में दी गई मदों का मूवमेंट (करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च 2020 को शेष	वर्ष के दौरान आरंभिक शेष में कटौती	वर्ष 2020–20 के दौरान वृद्धि	31 मार्च 2021 को शेष
ए)	कस्टम्स ड्यूटी/ब्याज/पेनल्टी आदि की अंतर राशि	166.92	0.05	-	166.87
	कुल	**166.92**	**0.05**	**-**	**166.87**

i) संविदा के निष्पादन के प्रति कंपनी की ओर से ग्राहक के पक्ष में बैंकों ने 3.87 करोड़ रु. (गत वर्ष 3.81 करोड़ रु.) की गारंटियां जारी हैं जिनकी एवज में एसोसिएट आपूर्तिकर्ताओं से 0.59 करोड़ रुपए (गत वर्ष 0.59 करोड़ रुपए) की बैक–अप गारंटियां प्राप्त की गई हैं।

ii) कंपनी द्वारा खोली गई एल/सीज के तहत 100.54 करोड़ रु. की शेष बकाया है (गत वर्ष 99.57 करोड़ रु.)।

iii) कंपनी ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम कंपनी को वित्तीय संस्थानों/बैंकों से लिए गए ऋण तथा ब्याज को सुरक्षित रखने के प्रयोजन से संबंधित वित्तीय संस्थानों/बैंकों के पक्ष में 1345.82 करोड़ रूपए (गत वर्ष 1345.82 करोड़ रुपए) की कारपोरेट गारंटियां दी हैं।

iv) कुछ मामलों में आकस्मिक देयताओं के तहत शामिल की गई राशि भारत सरकार के खाते में किए गए वस्तु व्यापार से संबंधित है और इसे भारत सरकार से वसूल किया जाना है।

v) यदि कर निर्धारण हो जाने पर बिक्री कर की मांग, कुछ कर्मचारियों के विवादित मामले, हैंडलिंग एजेंट्स/ठेकेदारों द्वारा भविष्य निधि की कटौती

न करना, विवादित किराया तथा आकस्मिक देयता के रूप में दर्शायी गयी राशि के संबंध में ब्याज/दण्ड/विविध लागत आदि के प्रति यदि कोई अतिरिक्त देयता बनती है तो इसका निर्धारण करना संभव नही है। अतः इस पर विचार नहीं किया गया।

(vi) *1.10.2009 से 24.9.2012 की अवधि के लिए ब्याज देयता के लिए रू 128.89 करोड़ (/7.50%) की राशि जो प्रदान नहीं की गई है। 1.10.2009 से 24.09.2012 तक की अवधि के लिए ब्याज प्रदान करना इस स्तर पर विवेकपूर्ण नहीं हो सकता है क्योंकि विद्वान एजी का मत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.7.2021 से उत्पन्न किसी भी अस्पष्टता का समाधान स्वयं न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। .

35. वचनबद्धताएं :

पूंजीगत वचनबद्धताएं: विदेशी मुद्रा संविदाओं सहित ऐसी संविदाओं की अग्रिम राशि घटाकर अनुमानित राशि जिनका निष्पादन कैपिटल अकाउंट में किया जाना है तथा जिसका प्रावधान नहीं किया गया है ऐसी राशि 'शून्य' करोड़ रूपए है (गत वर्ष 'शून्य' करोड रु.)।

36. सामान्य प्रकटन :

ए) (i) कंपनी ने बिना बिल के खरीदे गये निम्नलिखित माल को अपने पास रखा है जिसको अन्य चालू परिसंपत्तियों को (टिप्पणी संख्या 11(बी)) तथा अन्य चालू देयताओं को (टिप्पणी संख्या 21) में दिखाया गया है।

मदें	31.3.2021		31.3.2020	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
स्वर्ण (किलोग्राम)	733.96	291.11	467.00	181.98
स्वर्णाभूषण (ग्राम में)	-	-	-	-
चांदी (कि.ग्रा. में)	600.00	3.39	15,135.22	56.19
कुल	**1,333.96**	**294.50**	**15,602.22**	**238.18**

बी) हाल के वर्षों में आए व्यापार मॉडल में विभिन्न बदलावों के कारण और नवीनतम सांविधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी ने वर्तमान ईआरपी पैकेज को बदलने का निणर्य लिया है।

सी) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) – संयुक्त उपक्रम कंपनी में निवेश:–

(i) कंपनी द्वारा उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर उड़ीसा में 1.1 मिलियन टन क्षमता का इंटिग्रेटेड इस्पात संयंत्र नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना किए जाने के साथ–साथ इस एसोसिएट कंपनी में 49.78 प्रतिशत इक्विटी पूंजी के प्रति 459.11 करोड़ रुपए (गत वर्ष 379.69 करोड़ रुपए) का निवेश किया है। (नोट 6) भारत सरकार (सीसीईए) ने दिनांक 8 जनवरी 2021 को सैद्धांतिक रूप से एमएमटीसी और अन्य केन्द्रीय/राज्य उपक्रमों को ईक्विटी निवेश के लिए नीतिबद्ध विनिवेश का अनुमोदन दिया है। विनिवेश की प्रक्रिया निवेश विभाग और लोक संपत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) के द्वारा प्रक्रियाधीन है।

(ii) एनआईएनएल की दैनिक प्रचालन गतिविधियों के लिए निरंतर आधार पर कंपनी इसे 1425.00 करोड़ रूपये की सीमा तक लघु अवधि क्रेडिट सुविधा प्रदान करती रही है। इसके अलावा 1875.00 करोड़ रुपए की व्यापार से संबंधित वित्तीय सुविधा भी दी गई है। इसके लिए 2020–20 के लिए 252.18 करोड़ के व्याज को आय के रूप में न मान्य करते हुए दिनांक 31.03.2021 को कंपनी की 1184.15 करोड़ रूपए की नेटवर्थ के विरूद्ध अन्य परिसंपत्तियों (संबंधित पार्टियों को एडवांस) (नोट 11) के अंतर्गत बकाया राशि 3221.00 करोड़ रूपए (गत वर्ष 2594.57 करोड़ रूपए)।

(iii) एमएमटीसी और एनआईएनएल के विधिवत हस्ताक्षरित से दिनांक 31.12.2029 तक 3116.34 करोड़ बकाया राशि के साथ एनआईएनएल के साथ खाते का समाधान हो गया है। यद्यपि कोविड 19 महामारी और उड़ीसा में बंदी की वजह से एनआईएनएल से जनवरी–मार्च 2021 का लेखा–समाधान नहीं हो पाया है, हालांकि कंपनी ने एनआईएनएल को सभी दस्तावेज और सूचना दे दी है। दि. 31.03.2021 तक एनआईएनएल ने 3221.00 करोड़ शेष जमा लंबित की पुष्टि की है।

(iv) एनआईएनएल द्वारा लिए गए ऋण की वसूली के लिए वित्तीय संस्थानों/बैंकों/अन्य के पक्ष में कंपनी ने 1345.82 करोड़ रुपए(गत वर्ष 1345.82 करोड़ रुपए) की कारपोरेट गारंटी भी दी है (नोट 34 (iii)) ।

(v) कंपनी ने पूर्व वर्षों के दौरान वृद्धि आधार पर व्यापार संबंधित ब्याज की पहचान की है और शेष अग्रिम में जोड़ लिया जाता है। हालांकि, वर्ष 2020–20 के दौरान 252.18 करोड़ का व्याज एनआईएनएल से इसकी उगाही में अनिश्चितता के कारण जोड़ा नहीं गया था जैसा कि प्लांट बंद हो गया है और दीपम के द्वारा एनआईएनएल विनिवेश प्रक्रिया के अधीन है।

(vi) एनआईएनएल ने समय–समय पर क्रेडिट सुविधा के लिए कंपनी को 2800.00 करोड़ रुपए (गत वर्ष 1975.00 करोड़ रु.) की कारपोरेट गारंटी दी है।

(vii) तुलनपत्र की तारीख के बाद कंपनी ने दिनांक 04 मई 2018 को वाणिज्य मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद दिनांक 5.5.2020 को अतिरिक्त इक्विटी पूंजी के लिए 79.42 करोड़ रूपए की राशि जारी की है जिसके बाद कुल अतिरिक्त इक्विटी 149.34 करोड़ रूपए हो गई है।

(viii) एनआईएनएल को गत 8 वर्षों से घाटा हो रहा है जिसके कारण इसकी नेट वर्थ नकारात्मक होकर दिनांक 31.12.2020 को रुपए (–) 956.49 करोड़ (गत वर्श 31.3.2020 को रुपए (–) 956.49 करोड़ रू.)। दिनांक 31.03.2021 को एनआईएनएल वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है, एनआईएनएल को 2020–20 के लिए अपना लेखा को अंतिम रूप देना शेष है।

(ix) एनआईएनएल के संभावित मूल्य निर्धारण और विनिवेश प्रक्रिया पर विचार करते हुए, प्रबंधन एनआईएनएल में निवेश और दिए गए अग्रिम को सही मानती है।

डी) मिंट बिक्री लेन–देन के विषय में कंपनी ने मैसर्स एआईपीएल के विरूद्ध 31.40 करोड़ रुपए(गत वर्ष 31.40 करोड़ रुपए), जिसमें 2.95 करोड़ रुपए

(गत वर्ष 2.95 करोड़ रुपए) का विलम्बित ब्याज भी शामिल है, की वसूली के लिए दावा किया है जिसका निर्णय कंपनी के पक्ष में आया है। मैसर्स एआईपीएल ने भी सरकारी मिंट/एमएमटीसी के विरूद्ध 167.20 करोड़ रू. (गत वर्ष 167.20 करोड़ रू.) की क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया है जो कानूनी राय के अनुसार मान्य नहीं है और इसका प्रतिवाद किया जा रहा है।

ई) भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत प्याज का बफर स्टाक बनाने के लिए एमएमटीसी ने जुलाई 2020 से दिनांक 31.3.2021 तक प्याज का आयात किया। योजना के अनुसार एमएमटीसी के ट्रेडिंग मार्जिन को बिक्री के समय सी एण्ड एफ लागत पर 1.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया तथा आयात से संबंधित सभी व्ययों का बहन सरकार द्वारा किया जायेगा। बिक्री उगाही और एमएमटीसी के मार्जिन सहित सरकार से प्राप्त दावे के रूप में दिखाया गया है जो कि माल के परिसमापन के पश्चात डीओसीए में लेखा प्रस्तुत करने के बाद सरकार से प्राप्त अग्रिम के साथ समायोजित कर दिया जाएगा। माल को मुंबई में केन्द्रीय गोदामों/राजकीय गोदामों/अन्य गोदामों में भंडारित किया गया है।

एफ) आयात्ति पोलिएस्टर खराब होने के कारण एक एसोशिएट के विरूद्ध 1.53 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1.53 करोड़ रूपए) का एक दावा लंबित है जिसके लिए ईएमडी और अन्य देयों को ध्यान में रखते हुए लेखों में 1.53 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1.53 करोड़ रूपए) का प्रावधान रखा है। कंपनी ने कस्टम से इसका परित्याग करने का अनुरोध किया जो निर्णय आदेश के लिए लंबित है। एसोसिएट के विरूद्ध आपराधिक व सिविल सूट दायर गया किया गया है।

जी) वर्ष 2011–12 के दौरान मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में एक विदेशी आपूर्तिकर्ता ने माल(तांबा) की आपूर्ति किए बिना 4.12 करोड़ रूपए (गत वर्ष 3.77 करोड़ रूपए) का भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंकिंग चैनलों द्वारा जाली शिपिंग दस्तावेज प्रस्तुत किए। तथापि भुगतान की देय तिथि से ब्याज का भुगतान करने के वचन पत्र के साथ साख पत्र के अंतर्गत भुगतान करने से भारतीय बैंक को रोके रखने के लिए कंपनी ने अंतरिम स्टे प्राप्त कर लिया है। मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है। इसी आपूर्तिकर्ता ने धोखे से तांबे की एक अन्य खेप के मास्टर बिल ऑफ लैडिंग को अपने अधिकार में लिया हुआ है जिससे क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई 8.60 करोड़ रूपए (गत वर्ष 8.60 करोड़ रूपए) मूल्य के माल की सुपुर्दगी तथा अधिकार प्राप्त कर सकता है। इस राशि का पहले ही भुगतान किया जा चुका है तथा ईएमडी एवं अन्य देयों के समायोजन के पश्चात् वर्ष 2014–15 के दौरान शेष राशि के लिए प्रावधान किया गया है।

एच) हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में वर्ष 2011–12 के दौरान बैकिंग चैनलों के माध्यम से 3.75 करोड़ रुपए (गत वर्ष 3.75 करोड़ रुपए) मूल्य के कॉपर की दो शिपमेंट्स के जाली बिल ऑफ लैडिंग प्राप्त हुए थे जिसके विरुद्ध माल प्राप्त नहीं हुआ था। कंपनी को अपने भारतीय ग्राहक से पूरा भुगतान प्राप्त हो जाने के उपरांत विदेशी सप्लायर को साख–पत्र के माध्यम से पूरा भुगतान कर दिया गया। कंपनी ने विदेशी सप्लायर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरु कर दी है। इस लेन–देन के संबंध में स्थानीय खरीदार से पूर्ण व अंतिम निपटान की 4.44 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त हो गई है। इस राशि में अन्य नॉन करंट देयताओं के तहत ग्राहक से प्राप्त एडवांस राशि भी शामिल है।

आई) माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने कंपनी को 39.62 करोड़ रुपए (गत वर्ष 39.62 करोड़ रुपए) जमा करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि एक विदेशी पार्टी द्वारा दायर की गई डिक्री के निष्पादन पर कंपनी के एक कोल सप्लायर से उनकी लेखा बहियों के अनुसार एमएमटीसी से यह राशि प्राप्त होगी। एमएमटीसी ने एक आवेदन तथा काउंटर हलफनाम दायर किया है जिसमें कहा गया है कि सप्लायर को अभी संविदा संबंधी अपने दायित्व पूरे करने है तथा ऐसी स्थिति में एमएमटीसी इस राशि को जमा कराने में असमर्थ है। यदि सभी मुददों का समाधान हो जाने पर सप्लायर को कोई राशि देय होगी तो उसे सप्लायर को देने की बजाय कोर्ट में जमा कराया जाएगा इस मामले में सुनवाई चल रही है और सुनवाई की अगली तारीख 8.7.2021 है।

37. वित्तीय दस्तावेज – उचित मूल्य तथा जोखिम प्रबंधन

37.1 कैटगरीज के वित्तीय दस्तावेज

निम्नलिखित तालिका में कैटगरीज की वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं की कैरिंग राशि तथा उचित मूल्य को दर्शाया गया है। यदि कैरिंग राशि उचित मूल्य का पर्याप्त अनुमान है तो वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य पर नहीं आंका गया है तथा उचित मूल्य सूचना भी इसमें शामिल नहीं है ।

(31 मार्च 2021 को करोड़ रुपये में)

विवरण	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	ओ सी आई अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	कुल कैरिंग मूल्य	कुल उचित मूल्य
परिसंपत्तियां					
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (संदर्भ नोट संख्या: 6)			10.07	10.07	10.07
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष (संदर्भ नोट संख्या: 13)	132.71			132.71	
ट्रेड प्राप्य (संदर्भ नोट संख्या: 7)	555.69			555.69	
कर्मचारियों को ऋण (संदर्भ नोट संख्या: 8)	4.85			4.85	
संबंधित पार्टी को ऋण (संदर्भ नोट संख्या: 8)	0.00			0.00	
सुरक्षा जमा तथा अन्य ऋण (संदर्भ नोट संख्या: 8)	1.94			1.94	

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ नोट संख्या: 9)	51.13			51.13	
देयताएं					
ट्रेड देय (संदर्भ नोट संख्या: 18)	765.01			765.01	
उधार (संदर्भ नोट संख्या: 17)	2364.01			2364.01	
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ नोट संख्या: 19)	212.42			212.42	

वर्गवार वित्तीय दस्तावेजों के कैरिंग मूल्य और उचित मूल्य मार्च, 31, 2020 के अनुसार है:

(31 मार्च 2020 को करोड़ रुपये में)

विवरण	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां / वित्तीय देयताएं	ओ सी आई अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां / वित्तीय देयताएं	कुल कैरिंग मूल्य	कुल उचित मूल्य
परिसंपत्तियां					
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (संदर्भ नोट संख्या: 6)			9.00	9.00	9.00
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष (संदर्भ नोट संख्या: 13)	63.27			63.27	
ट्रेड प्राप्य (संदर्भ नोट संख्या: 7)	1925.36			1925.36	
कर्मचारियों को ऋण (संदर्भ नोट संख्या: 8)	6.49			6.49	
संबंधित पार्टी को ऋण (संदर्भ नोट संख्या: 8)	0.00			0.00	
सुरक्षा जमा तथा अन्य ऋण (संदर्भ नोट संख्या: 8)	1.88			1.88	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ नोट संख्या: 9)	54.61			54.61	
देयताएं :					
ट्रेड देय (संदर्भ नोट संख्या: 18)	663.21			663.21	
उधार (संदर्भ नोट संख्या: 17)	3565.18			3565.18	
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ नोट संख्या: 19)	205.16			205.16	

37.2 उचित मूल्य वर्गीकरण

- स्तर 1. वर्गीकरण के स्तर 1 में सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (गैर समायोजित) का प्रयोग करते हुए वित्तीय दस्तावेजों का आकलन शामिल है ।
- स्तर 2. वर्गीकरण के स्तर 2 में ऐसे वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं जिनका मूल्यांकन कोटेड मूल्यों से इतर किया गया है। साथ ही इसमें ऐसी परिसंपत्तियां अथवा देयताएं भी शामिल हैं जो या तो प्रत्यक्ष (अर्थात मूल्यों के अनुसार) अथवा अप्रत्यक्ष (अर्थात मूल्यों से प्राप्त) रूप में सुस्पष्ट हैं।

  स्तर 3. वर्गीकरण के स्तर 3 में सुस्पष्ट बाजार डाटा (अस्पष्ट इनपुट्स) पर अनाधारित इनपुट्स का प्रयोग करते हुए वित्तीय दस्तावेजों का आकलन शामिल है।

निम्नलिखित तालिका उचित मूल्य पर आकलन की गई परिसंपत्तियों तथा देयताओं के उचित मूल्य के वर्गीकरण को प्रस्तुत करती है

(31 मार्च 2021 को करोड़ रुपये में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल योग	मूल्यांकन तकनीक तथा प्रमुख इनपुट्स	महत्वपूर्ण अन अवलोकनीय इनपुट्स
वित्तीय परिसंपत्तियां						
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय निवेश						
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (बीएसई)	2.23			2.23		उदधृत मूल्य
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (आईसीईएक्स)			7.84	7.84	उचित मूल्य के सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार स्वीकृत लागत	
कुल योग	2.23	-	7.84	10.07		

(31 मार्च 2020 को करोड़ रुपये में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल योग	मूल्यांकन तकनीक तथा प्रमुख इनपुट्स	महत्वपूर्ण अनआबजर्वेबल इनपुट्स
वित्तीय परिसंपत्तियां						
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय निवेश						
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (बीएसई)	1.16			1.16		उदधृत मूल्य
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (आईसीईएक्स)			7.84	7.84	उचित मूल्य के सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार स्वीकृत लागत	
कुल योग	1.16	-	7.84	9.00		

वित्तीय जोखिम प्रबंधन, उद्देश्य एवं नीतियां

कंपनी के कार्यकलापों में निम्नलिखित वित्तीय जोखिम शामिल हैं:–

–बाजार जोखिम

–क्रेडिट जोखिम तथा

–तरलता जोखिम

कंपनी ने ऐसे किसी फंड की व्यवस्था नहीं की जिसमें ब्याज दर जोखिम शामिल हो ।

क) बाजार जोखिम

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी का आयात व निर्यात का व्यापार है जिसके कारण इसे मुख्यतः अमरीकी डालर के संबंध में विदेशी मुद्रा का जोखिम है। कंपनी ने दीर्घावधि उधार द्वारा निधियों की व्यवस्था नहीं की है। बैंकों से लिए गए लघु अवधि विदेशी मुद्रा ऋण (क्रेता के क्रेडिट) स्थिर ब्याज दर के ऋण होते हैं। परिणामस्वरूप कंपनी को किसी प्रकार का ब्याज दर जोखिम नहीं है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति विदेशी मुद्रा के जोखिम से बचाव (हेज) के लिए हेजिंग दस्तावेजों को प्रयोग करने की है ।

अपने विदेशी मुद्रा जोखिम से बचाव के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा में फारवर्ड कांट्रेक्ट्स का प्रयोग करती है। संबंधित स्पॉट मार्किट विनिमय दर के संदर्भ में कंपनी द्वारा फारवर्ड कांट्रेक्ट्स के स्पॉट घटक को विनिर्दिश्ट किया जाता है। कांट्रेक्ट्स फारवर्ड तथा स्पॉट मार्केट विनिमय दर के बीच के अंतर को फारवर्ड घटक कहते हैं। हेजिंग दस्तावेज की स्पॉट विनिमय दर में परिवर्तनों, जो कि हेज की गई मद से संबंधित होते हैं, को रोकड़ प्रवाह हेज अधिशेष में स्थगित किया जाता है तथा इसकी पहचान तब की जाती है जब संबंधित हेज किए गए लेनदेन की श्रेणी में आ जाता है। फारवर्ड विनिमय दर कांट्रेक्ट के फारवर्ड घटक को हैजिंग अधिशेष की लागत में स्थगित किया जाता है तथा जब लेन–देन किया जाता है तो उस समय फारवर्ड घटक में परिवर्तन की सीमा तक इसकी पहचान की जाती है।

निम्नलिखित तालिका में वित्तीय दस्तावेजों से कंपनी को होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के मात्रात्मक डाटा का सारांश रुपयों में दर्शाया गया है ।

(31 मार्च 2021 को करोड़ रुपये में)

विवरण	अमरीकी डालर (समतुल्य आईएनआर में)	अन्य मुद्राएं (समतुल्य आईएनआर में)	कुल
रोकड व रोकड समतुल्य	4.11	-	4.11
ट्रेड प्राप्य	280.86	-	280.86
डेमरेज/डिस्पैच प्राप्य	4.61	1.65	6.26
अन्य प्राप्य	0.98	-	0.98
विदेशी मुद्रा में कुल प्राप्य	290.56	1.65	292.21
देय विदेशी मुद्रा ऋण	-	-	-
विदेशी मुद्रा ऋण पर देय ब्याज	-	-	-
ट्रेड देय	15.82	0.55	16.36
देय भाड़ा डेमरेज/डिस्पैच	1.15	-	1.15
मुकदमों के निपटान के प्रति प्रावधान	98.05	-	98.05
अन्य	904.19	-	904.19
विदेशी मुद्रा में कुल देय	**1,019.21**	**0.55**	**1,019.76**

जिन मामलों में अभी भी विवाद है उनके मुकदमों के निपटान के प्रति किए गए प्रावधान को छोड़कर विदेशी मुद्रा प्राप्य/देय के संबंध में कंपनी का कोई एक्सपोजर नहीं है चूंकि हानि/लाभ एसोसिएट आपूर्तिकर्ता/ग्राहक के खाते में होगा। इसके अतिरिक्त देयों के संबंध में कंपनी ने फारवर्ड विदेशी मुद्रा कांट्रेक्ट्स लिए हैं जो एसोसिएट के जोखिम एवं लागत पर हैं ।

(31 मार्च 2020 को करोड़ रुपये में)

विवरण	अमरीकी डालर (समतुल्य आईएनआर में)	अन्य मुद्राएं (समतुल्य आईएनआर में)	कुल
रोकड व रोकड़ समतुल्य	3.49	-	3.49
ट्रेड प्राप्य	-	-	-
डेमरेज/डिस्पैच प्राप्य	5.17	-	5.17
अन्य प्राप्य	7.58	-	7.58
विदेशी मुद्रा में कुल प्राप्य	**16.23**	**-**	**16.23**
देय विदेशी मुद्रा ऋण	227.25	-	227.25
विदेशी मुद्रा ऋण पर देय ब्याज	1.30	-	1.30
ट्रेड देय	30.53	-	30.53
देय भाड़ा डेमरेज/डिस्पैच	16.60	-	16.60
मुकदमों के निपटान के प्रति प्रावधान	-	-	-
अन्य	-	-	-
विदेशी मुद्रा में कुल देय	**275.67**	**-**	**275.67**

जिन मामलों में अभी भी विवाद है उनके मुकदमों के निपटान के प्रति किए गए प्रावधान को छोड़कर विदेशी मुद्रा प्राप्य/देय के संबंध में कंपनी का कोई एक्सपोजर नहीं है इसके अतिरिक्त देयों के संबंध में कंपनी ने फारवर्ड विदेशी मद्रा कांट्रेक्ट्स लिए हैं जो एसोसिएट के जोखिम एवं लागत पर हैं ।

संवेदनशीलता

31 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2020 को हमारी फंक्शनल मुद्रा की तुलना में संबंधित विदेशी मुद्रा में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हमारे कर पूर्व लाभ पर क्रमशः शून्य रूपये एवं शून्य रूपये का प्रभाव डालेगी।

i) मूल्य जोखिम

कंपनी के इक्विटी प्रतिभूतियों के मूल्य जोखिम कंपनी द्वारा किए गए निवेश से होते है तथा इसे तुलन पत्र में अन्य समेकित आय द्वारा उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी द्वारा दो प्रतिभूतियों में किए गए निवेश में एक एनएसई पर सूचीबद्ध है तथा दूसरा (आईसीईएक्स) सूचीबद्ध नहीं है।

31 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2020 को संबंधित इक्विटी मूल्यों में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी इक्विटी के अन्य घटकों पर क्रमशः लगभग 0.12 करोड़ रुपये एवं 0.18 करोड़ रुपये का प्रभाव डालेगी। इसका लाभ व हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बी) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम का अभिप्राय दूसरे पक्ष (काउंटर पार्टी) द्वारा अपने दायित्वों में की गई चूक, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होती है, के जोखिम से है। रिपोर्टिंग तिथि को क्रेडिट जोखिम का अधिकतम एक्सपोजर ट्रेड प्राप्यों से होता है। तदनुसार, ट्रेड प्राप्यों से होने वाले क्रेडिट जोखिम का अन्य सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों से अलग निम्नलिखित पैराग्राफ में मूल्यांकन किया गया है।

ट्रेड प्राप्य

संयुक्त उपक्रमों तथा भारत सरकार को छोड़कर कंपनी के बकाया ट्रेड प्राप्य अधिकांशतः साख पत्र/बैंक गारंटी द्वारा सुरक्षित है ।

इंड एएस – 109 के प्रावधानों के अनुरूप ट्रेड प्राप्यों में हानि की पहचान संभावित क्रेडिट हानि के आधार पर की जाती है। संभावित क्रेडिट हानि के उद्देश्य से कंपनी के ग्राहकों का ऐतिहासिक अनुभव, वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों एवं ग्राहकों के वर्तमान निष्पादन, इंडस्ट्री के भावी परिदृश्य को ध्यान में रखा जाता है ।

क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ट्रेड प्राप्यों की समयावधि के विश्लेषण को निम्नलिखित रूप से दर्शाया गया है :–

(31 मार्च 2021 को करोड़ रूपये में)

विवरण	सकल राशि	हानि	कैरिंग मूल्य
देय नही	426.51	-	426.51
एक महीने से कम अवधि से ओवरड्यू	1.86	-	1.86
एक महीने से अधिक तथा दो महीने की अवधि तक ओवरड्यू	0.13	-	0.13

दो महीने से अधिक तथा तीन महीने की अवधि तक ओवरड्यू	0.50	-	0.50
तीन महीने से अधिक तथा छह महीने की अवधि तक ओवरड्यू	0.09	-	0.09
छह महीने की अवधि से अधिक ओवरड्यू	516.62	390.02	126.60
कुल योग	**945.71**	**390.02**	**555.69**

(31 मार्च 2020 को करोड़ रूपये में)

विवरण	सकल राशि	हानि	कैरिंग मूल्य
देय नही	54.90	-	54.90
एक महीने से कम अवधि से ओवरड्यू	261.77	-	261.77
एक महीने से अधिक तथा दो महीने की अवधि तक ओवरड्यू	498.91	-	498.91
दो महीने से अधिक तथा तीन महीने की अवधि तक ओवरड्यू	859.39	-	859.39
तीन महीने से अधिक तथा छह महीने की अवधि तक ओवरड्यू	114.45	-	114.45
छह महीने की अवधि से अधिक ओवरड्यू	524.91	388.97	135.94
कुल योग	**2,314.33**	**388.97**	**1,925.36**

प्रत्येक ट्रेड प्राप्यों के लिए कंपनी द्वारा किए गए वसूली विश्लेषण के आधार पर जब वसूली को संदिग्ध माना जाता है तथा राशि को वसूली योग्य माने जाने तक देय तिथि (सरकारी देयों के अतिरिक्त) के तीन वर्षों के पश्चात ट्रेड प्राप्यों में सामान्यत: क्रेडिट हानि मानी जाती है। कंपनी का मानना है कि उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों जिनमें हानि नहीं हुई है परंतु ओवरडयू है, वे अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता की हैं।

कुछ लेन–देनों के ट्रेड प्राप्यों के संबंध में एसोसिएट आपूर्तिकर्ताओं को कंपनी द्वारा समकक्ष ट्रेड देय भी है जो ट्रेड प्राप्यों की वसूली के पश्चात देय होंगे। उक्त ट्रेड प्राप्यों को देय तिथि के पश्चात इम्पेयर्ड नहीं माना जाता है।

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

चूंकि हमारा दूसरा पक्ष बैंक है इसलिए रोकड़ व रोकड़ समकक्ष से संबंधित क्रेडिट जोखिम को नगण्य माना गया है। अनुसूचित बैंकों के पास साविध जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक की निगरानी में है, अत: इसे हम गुणवत्ता का क्रेडिट मानते हैं तथा ऑनगोईंग आधार पर हम इन बैंकिंग संबंधों की पुनरीक्षा करते हैं। चूंकि कर्मचारियों को दिए गए गृह निर्माण ऋण, वाहन ऋण आदि सम्पत्ति के प्रति सुरक्षित हैं इसलिए कर्मचारियों के ऋण से संबंधित क्रेडिट जोखिम को हम नगण्य मानते हैं। अन्य कर्मचारी ऋणों को संबंधित कर्मचारी की वैयक्तिक गारंटी के साथ साथ अन्य सेवारत कर्मचारी के जमानत बाण्ड द्वारा कवर किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रति प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किसी प्रकार की हानि का प्रावधान नहीं किया गया है। उपरोक्त सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों को रिपोर्टिंग तिथि को हम अच्छी गुणवत्ता का क्रेडिट मानते हैं ।

ग) तरलता जोखिम

हमारी तरलता आवश्यकताओं को मासिक एवं वार्षिक अनुमानों के आधार पर मानीटर किया जाता है। रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष, प्रचालनों से अर्जित रोकड़ तथा देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त राशि द्वारा वित्तपोषण की उपलब्धता कंपनी का मुख्य तरलता स्रोत है।

आधारभूत व्यापार की सक्रिय प्रकृति के कारण प्रतिबद्ध क्रेडिट लाईंस के अंतर्गत उपलब्धता बनाए रखते हुए वित्त पोशण के लिए कंपनी द्वारा लचीलापन अपनाया जाता है ।

लघु अवधि की तरलता आवश्यकताओं में प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि की मुख्यत: विविध लेनदार, देय व्यय, सामान्य व्यापार के दौरान होने वाले कर्मचारी देय शामिल हैं। लघु अवधि की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में पर्याप्त शेष बनाकर रखती है।

कंपनी द्वारा दीर्घावधि की तरलता आवश्यकताओं का नियतकालिक आधार पर आकलन किया जाता है तथा आंतरिक संग्रहण एवं प्रतिबद्ध क्रेडिट लाईंस द्वारा इनका प्रबंधन किया जाता है।

निम्नलिखित तालिका नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता से संबंधित विवरणों को दर्शाती है। जब कंपनी को भुगतान करना आवश्यक है तो उस अतिशीघ्र तारीख पर आधारित वित्तीय देयताओं के प्रकटन न किए गए रोकड़ प्रवाह के आधार पर यह तालिका बनाई गई है। इस तालिका में मूल एवं ब्याज रोकड़ प्रवाह दोनों शामिल किए गए हैं

(31 मार्च, 2021 को करोड़ रुपये में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–3 वर्ष	3–5 वर्ष	5 वर्षों से अधिक	कुल योग
ट्रेड देय	765.01					765.01
लघु अवधि उधार	2364.01					2364.01
अन्य वित्तीय देयताएं	208.82					208.82
कुल योग	**3337.84**	-	-	-	-	**3337.84**

(31 मार्च, 2020 को करोड़ रुपये में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–3 वर्ष	3–5 वर्ष	5 वर्षों से अधिक	कुल योग
ट्रेड देय	663.21					663.21
लघु अवधि उधार	3565.18					3565.18
अन्य वित्तीय देयताएं	199.35					199.35
कुल योग	**4427.74**	-	-	-	-	**4427.74**

38. हेजिंग गतिविधियों का प्रभाव

38.1 कैश फ्लो हेज

31 मार्च 2021 को कंपनी का कोई भी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट बकाया नहीं था।

38.2 उचित मूल्य हेज

जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, कंपनी सोने और चांदी की इंवेंट्री की कीमतों में होने वाले उतार–चढ़ाव के प्रति हेज करने के लिए कमोडिटी एक्सचेंजों के साथ फारवर्ड कांट्रेक्ट करती है। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ अथवा हानि माना जाता है। हेज किए गए आइटम पर होने वाले हेजिंग लाभ अथवा हानि को समायोजित करते हुए हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि ली जाती है तथा उसे लाभ अथवा हानि माना जाता है।

ए) हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले हेज अकाउंटिंग के प्रभाव का खुलासा :

(31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार रूपए करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की कैरिंग राशि		अवधि के लिए हेज निश्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को उसके उचित मूल्य में परिवर्तित करते हुए प्रयोग किया गया	हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की नामिनल राशि	
	परिसंपत्तियां	देयताएं		मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य
हेज उचित मूल्य					
मूल्य जोखिम					
सोने की बिक्री के लिए फारवर्ड कांट्रेक्ट				33	3.74

(31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार रूपए करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की कैरिंग राशि		अवधि के लिए हेज निश्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को उसके उचित मूल्य में परिवर्तित करते हुए प्रयोग किया गया	हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की नामिनल राशि	
	परिसंपत्तियां	देयताएं		मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य
हेज उचित मूल्य					
मूल्य जोखिम					
सोने व चांदी की बिक्री के लिए फारवर्ड कांट्रेक्ट				176	51.35

बी.) हेज्ड आइटम्स के लिए वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले हेज अकाउंटिंग के प्रभाव का खुलासा :

(31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार रूपए करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग आइटम की कैरिंग राशि		हेज्ड आइटम पर हेज समायोजन की संचित राशि जिसमें हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि भी शामिल है	तुलनपत्र में लाइन आइटम जिसमें हेज्ड आइटम शामिल है	हेज निष्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार मूल्य में परिवर्तन किए गए हैं	ऐसे हेज्ड आइटम्स जो हेजिंग लाभ तथा हानि के लिए समायोजित नहीं किए जा सके थे, तुलनपत्र में ऐसे शेष बचे हेज समायोजनों की संचित राशि (इंड:एएस–109 का पैरा 6.5.10)
हेज उचित मूल्य						
मूल्य जोखिम						
सोने की इन्वेंट्री	-	-	-	इंवेंट्रीज	-	-

(31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार रूपए करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग आइटम की कैरिंग राशि		हेज्ड आइटम पर हेज समायोजन की संचित राशि जिसमें हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि भी शामिल है	तुलनपत्र में लाइन आइटम जिसमें हेज्ड आइटम शामिल है	हेज निश्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार मूल्य में परिवर्तन किए गए हैं	ऐसे हेज्ड आइटम्स जो हेजिंग लाभ तथा हानि के लिए समायोजित नहीं किए जा सके थे, तुलनपत्र में ऐसे शेष बचे हेज समायोजनों की संचित राशि (इंड: एएस–109 का पैरा 6.5.10)
हेज उचित मूल्य						
मुल्य जोखिम						
सोने की इन्वेंट्री	-	-	-	इंवेंट्रीज	-	-

39 भारतीय लेखा मानक (इंड एएसं)–36 के संबंध में प्रकटीकरण "परिसंपत्तियों की हानि"

वर्ष के दौरान कंपनी ने संपत्ति की हानि/क्षति का निर्धारण किया तथा तदनुसार वर्ष के दौरान पीपीई के मूल्य में 'शून्य' करोड़ (गत वर्ष 0.27 करोड़ रू) की हानि का प्रावधान किया गया है।

40 भारतीय लेखा मानक (इंड एएसं)–19 के संबंध में प्रकटीकरण "कर्मचारी लाभ"

40.1 विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं के सामान्य विवरण इस प्रकार हैं :

ए) ग्रेच्युटी :

ग्रेच्युटी का भुगतान सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर सेवानिवृत्ति/सेप्रेशन पर सभी कर्मचारियों को किया जाता है। योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है और इसका संचालन एलआईसी के माध्यम से एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। अभ्रक डिवीजन के कर्मचारियों के लिए कंपनी इस योजना का संचालन सीधे एलआईसी के माध्यम से करती है। कंपनी इस योजना का वित पोशण करती है तथा इसमें देयता का निर्धारण इंश्योरर को दिए जाने वाले अंशदान के आधार पर किया जाता है अर्थात भारतीय बीमा निगम, हालांकि, इंड एएस–19 के अधीन अपेक्षित सूचना का खुलासा एक्चुएरल मूल्यांकन के अनुसार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–21 के लिए कंपनी के ग्रेच्युटी फंड अंशदान का एक्चुएरल मूल्यांकन का अनुमान रुपए 4.29 करोड़ है (गत वर्ष 4.88 करोड़ रुपए)। हालांकि, कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की जाने वाली मांग के अनुसार फंड में योगदान करती है।

बी) अवकाश मुआवजा :

सेप्रेशन पर पात्र कर्मचारियों को उनके द्वारा संचित किए गए अर्जित तथा अर्ध वेतन अवकाश का मुआवजा देय होता है। सेवा के दौरान अर्जित अवकाश का नकदीकरण कराया जा सकता है जो वर्श के दौरान दो बार कराया जा सकता है बशर्ते कर्मचारी के खाते में नकदीकरण के बाद कम से कम 15 अवकाश शेष रहने चाहिए।

इस खाते में देयता का निर्धारण एक्चुएरल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

सी) लंबे सेवाकाल का लाभ: कर्मचारियों को देय लबी अवधि सेवाकाल के लाभ का विवरण निम्नानुसार है :

(i) सेवा पुरस्कार

कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पूरे किए गए सेवाकाल के प्रत्येक वर्श के लिए रुपए 3500/– के हिसाब से सेवा पुरस्कार की राशि देय होती है।

(ii) अनुकंपा ग्रेच्युटी

सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को 50000/– रू की एक–मुश्त राशि अनुकंपा ग्रेच्युटी के रूप में देय होती है।

(iii) कर्मचारी परिवार लाभ योजना

यदि कर्मचारी की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो जाती है तो उसके आश्रितों को कर्मचारी परिवार लाभ योजना के तहत भुगतान उस तारीख तक देय होता है जो उसकी सेवानिवृत्ति की नोशनल तारीख है। यदि कर्मचारी ने अपनी मृत्यु के समय तक 20 वर्षों से कम अवधि की सेवा की है तो उस स्थिति में कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन तथा डीए की 40 प्रतिशत राशि मासिक आधार पर देय होती है जिसकी अधिकतम राशि 12,000/– रू है तथा यदि कर्मचारी ने 20 वर्ष अथवा इससे अधिक का सेवाकाल पूरा कर लिया है तो उस स्थिति में कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन तथा डीए की 50 प्रतिशत राशि मासिक आधार पर देय होती है जिसकी अधिकतम राशि 12,000/– रू है।

(iv) अभ्रक डिवीजन के कर्मचारियों को विशेष लाभः सेवानिवृत्ति पर अधिकारी को 5,00,000/–रू, स्टाफ को 4,00,000/– तथा कामगार को 3,00,000/– रूपए की राशि देय होती है।

लाभ व हानि, अन्य कम्प्रीहेंसिव इनकम(ओसीआई) तथा तुलनपत्र तथा अन्य प्रकटन में दिए गए विभिन्न लाभों की संक्षेप स्थिति निम्नानुसार है :

नेट परिभाषित लाभ देयता (रु. करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
परिभाषित लाभ देयता	सी. वाई	90.85	16.01	20.59	4.35	1.85	0.12	3.63
	पी.वाई	98.90	14.44	21.89	4.85	2.15	0.16	4.02
योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	सी. वाई	82.45	-	-	-	-	-	-
	पी.वाई	87.78	-	-	-	-	-	-
वित्त पोषित स्थिति / [अधिशेष / (घाटा)]	सी. वाई		-	-	-	-	-	-
	पी.वाई		-	-	-	-	-	-
परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	सी. वाई		-	-	-	-	-	-
	पी.वाई		-	-	-	-	-	-
नेट परिभाषित लाभ परिसंपत्ति / (देयताएं)	सी. वाई	**(8.41)**	**(16.01)**	**(20.59)**	**(4.35)**	**(1.85)**	**(0.12)**	**(3.63)**
	पी.वाई	**(11.12)**	**(14.44)**	**(21.89)**	**(4.85)**	**(2.15)**	**(0.16)**	**(4.02)**

परिभाषित लाभ देयता का चलन (रु. करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
परिभाषित लाभ दायित्व – वर्ष के शुरू में	सी. वाई	98.90	14.44	21.89	4.85	2.15	0.16	4.02
	पी. वाई	105.48	18.03	23.32	5.70	2.30	0.16	4.00
चालू सेवा लागत	सी. वाई	3.28	0.76	0.82	0.15	0.05		
	पी. वाई	2.97	0.71	0.95	0.17	0.06		
विगत सेवा लागत	सी. वाई	0.00	-					
	पी. वाई	0.00	-					

ब्याज लागत	सी. वाई	6.53	0.95	1.44	0.32	0.14		
	पी. वाई	7.90	1.37	1.78	0.43	0.18		
प्रदत्त लाभ	सी. वाई	(11.29)	(4.57)	(2.54)	(0.79)	(0.41)		
	पी. वाई	(28.42)	(12.47)	(4.35)	(1.73)	(0.42)		
पुनः मूल्यांकन – एक्चुरीएल हानि / (लाभ)	सी. वाई	(6.56)	4.43	(1.02)	(0.18)	(0.09)	(0.04)	(0.39)
	पी. वाई	10.97	6.79	0.19	0.27	0.03	0.00	0.02
परिभाषित लाभ दायित्व – वर्ष के अंत में	सी. वाई	90.85	16.01	20.59	4.35	1.85	0.12	3.63
	पी. वाई	98.90	14.44	21.89	4.85	2.15	0.16	4.02

योजना परिसंपत्ति का चलन **(रु. करोड़ में)**

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)	
	31.03.2021	**31.03.2020**
वर्ष के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	87.78	99.20
ब्याज आय	5.90	7.50
नियोक्ता अंशदान	0.06	9.51
प्रदत्त लाभ	(11.29)	(28.42)
पुनः मूल्यांकन – एक्चुरीएयल हानि / (लाभ)	(0.01)	(0.00)
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	82.45	87.78

लाभ व हानि विवरण में शामिल की गई राशि **(रु. करोड़ में)**

विवरण		ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)	अर्जित अवकाश (गैर–वित्त पोषित)	बीमारी की छुट्टी (गैर–वित्त पोषित)	लंबी सेवा पुरस्कार (गैर–वित्त पोषित)	विशेष लाभ (गैर–वित्त पोषित)	अनुकंपा ग्रेच्युटी (गैर–वित्त पोषित)	कर्मचारी परिवार लाभ (गैर–वित्त पोषित)
वर्तमान सेवा लागत	**सी.वाई**	3.28	0.76	0.82	0.15	0.05		
	पी.वाई	2.97	0.71	0.95	0.17	0.06		
पूर्व सेवा लागत– प्लान संशोधन	**सी.वाई**	0.00	-	-	-	-		
	पी.वाई		-	-	-	-		
सेवा लागत (ए)	**सी.वाई**	3.28	0.76	0.82	0.15	0.05		
	पी.वाई	2.97	0.71	0.95	0.17	0.06		
नेट परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) (बी)	**सी.वाई**	0.73	0.95	1.44	0.32	0.14		
	पी.वाई	0.42	1.37	1.78	0.43	0.18		
अवधि में माने गए नेट एक्चुरियअल (लाभ)/हानि	**सी.वाई**	-	4.43	(1.02)	-	-	(0.04)	(0.39)
	पी.वाई	-	6.79	0.19	-		0.00	0.02
पी एण्ड एल में मानी गई लागत (ए. बी)	**सी.वाई**	4.01	6.15	1.25	0.47	0.20	(0.04)	(0.39)
	पी.वाई	3.39	8.87	2.92	0.60	0.24	0.00	0.02

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में शामिल की गई राशि

(रु. करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
डीबीओ अनुभव के कारण एक्चुरिएयल लाभ / (हानि)	**सी.वाई**	6.56			0.21	0.11		
	पी.वाई	(10.97)	-	-	(0.09)	0.08	-	-
अनुमानित परिवर्तनों के कारण एक्चुएरियल लाभ / (हानि)	**सी.वाई**	-	-	-	(0.03)	(0.02)	-	-
	पी.वाई	-	-	-	(0.18)	(0.11)	-	-
अवधि के दौरान हुए एक्चुएरियल लाभ / (हानि) (ए)	**सी.वाई**	6.56	-	-	0.18	0.09	-	-
	पी.वाई	(10.97)	-	-	(0.27)	(0.03)	-	-
प्लान परिसंपत्ति पर रिर्टन जो डिस्काउंट रेट से (अधिक) / कम है (बी)	**सी.वाई**	0.10	-	-	-	-	-	-
	पी.वाई	0.01	-	-	-	-	-	-
ओसीआई में मानी गई एक्चुएरियल लाभ / (हानि) (ए बी)	**सी.वाई**	6.66	-	-	0.18	0.09	-	-
	पी.वाई	(10.96)	-	-	(0.27)	(0.03)	-	-

संवेदनशील विश्लेषण

(31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)

अनुमान		अनुमान में परिवर्तन	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
			(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
डिस्काउंट रेट		0.50%	(2.05)	(0.42)	(0.46)	(0.08)	(0.04)	-	
		-0.50%	2.07	0.44	0.48	0.09	0.05	-	
वेतनवृद्धि दर		0.50%	2.07	0.44	0.48	-		-	
		-0.50%	(2.07)	(0.42)	(0.46)	-		-	

(मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)

अनुमान		अनुमान में परिवर्तन	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
			(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
डिस्काउंट रेट		0.50%	(2.28)	(0.37)	(0.50)	(0.09)	(0.05)	-	-
		-0.50%	2.40	0.39	0.53	0.10	0.05	-	-
वेतनवृद्धि दर		0.50%	2.40	0.39	0.53	-	-	-	-
		-0.50%	(2.30)	(0.37)	(0.51)	-	-	-	-

एक्चुएरियल अनुमान

(मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
प्रयोग में लाई गई पद्धति	सी. वाई	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट
	पी. वाई	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट
डिस्काउंट रेट	सी. वाई	6.60%	6.42%	6.42%	6.42%	6.42%	6.42%	6.42%
	पी. वाई	6.60%	6.60%	6.60%	6.60%	6.60%	6.60%	6.60%
वेतनवृद्धि दर	सी. वाई	6.00%	6.00%	6.00%	-	-	-	-
	पी. वाई	6.00%	6.00%	6.00%	-	-	-	-
मृत्यु दर	सी. वाई	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)
	पी. वाई	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)

संभावित लाभ भुगतान

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	भुगतान वर्ष		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
			(वित्त पोषित)	(गैर– वित्त पोषित)	(गैर– वित्त पोषित)	(गैर– वित्त पोषित)	(गैर– वित्त पोषित)	(गैर– वित्त पोषित)	(गैर– वित्त पोषित)
1	0 से 1 साल		16.33	2.89	4.30	0.94	0.38	-	-
2	1 से 2 साल		11.36	2.13	2.65	0.62	0.42	-	-
3	2 से 3 साल		11.75	1.82	3.07	0.62	0.28	-	-
4	3 से 4 साल		8.73	1.59	1.69	0.44	0.24	-	-
5	4 से 5 साल		6.60	1.01	1.39	0.29	0.31	-	-
6	5 से 6 साल		8.22	1.48	1.76	0.35	0.12	-	-
7	6 साल से उपर		27.86	5.09	5.74	1.10	0.10	-	-

प्लान परिसंपत्तियों में निवेश की श्रेणी

निवेश की श्रेणी	प्लान परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का प्रतिशत
बीमाकृत लाभ	100 प्रतिशत

डी) भविष्य निधि: कंपनी का योगदान देय वर्ष के दौरान भविष्य निधि और देयताओं के लिए भुगतान किए गए/भुगतान योग्य राशि की पहचान अक्रुएल आधार पर की जाती है। कंपनी का भविष्य निधि ट्रस्ट कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान एक्ट, 1952 की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त है। जिन शर्तों के तहत छूट दी गई है उनमें प्रावधान है कि नियोक्ता ट्रस्ट द्वारा घोषित की गई ब्याज दर तथा वैधानिक दर में किसी प्रकार की कमी होने की स्थिति में उसकी पूर्ति करेगा। फंड की परिसंपत्तियों तथा किए गए निवेश पर आने वाले रिटर्न को देखते हुए कंपनी को लगता है कि निकट भविष्य में किसी और देयता के उत्पन्न होने की आशा नहीं है।

ई) सेवानिवृत्ति पेंशन लाभ – कंपनी ने वर्ष के दौरान परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना के लिए रू 5.09 करोड़ (गत वर्ष रू 5.43 करोड़) लाभ व हानि विवरण में शामिल किए हैं।

एफ) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ: 'परिभाषित अंशदान योजना' के तहत सेवानिवृत कर्मचारियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में इनपेशंट इलाज तथा

आपीडी इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

ए. वर्ष 2020–20 के लिए देयता की गणना परिभाषित अंशदान योजना के अनुसार दिनांक 1.1.2007 से पूर्व सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के लिए पीबीटी की 1.50 प्रतिशत की दर से तथा दिनांक 1.1.2007 के बाद सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के लिए उनको भुगतान किए गए मूल वेतन डीए की 4.50 प्रतिशत की दर से की गई है।

बी. वर्ष के दौरान, कंपनी ने फंड के प्रबंधन के लिए ट्रस्ट बनाया है और योजना के लिए कंपनी देयता के मद्देनजर रूपये 150.00 करोड़ का भुगतान किया है। फंड के संचालन के लिए ट्रस्ट बनने तक के लिए, चालू वर्ष तथा दिनांक 31.3.2021 तक की अवधि के लिए 'परिभाषित अंशदान योजना' के तहत कंपनी की देयता 3.70 प्रतिशत की दर से (गत वर्ष 6.75 प्रतिशत की दर से) अतिरिक्त अंशदान जोडा गया है जो वर्तमान देयता बनती है चूंकि इस वर्श सेटलमेंट होने वाला है।

सी. वर्ष के दौरान कुल रु 8.90 करोड़ (गत वर्ष रु. 15.91 करोड़) लाभ व हानि लेखे में चार्ज किए गए हैं।

41. भारतीय लेखा मानक(इंड एएस)–108 के संबंध में प्रकटनः "ऑपरेटिंग सेग्मेंट्स"

जैसाकि इंड एएस–108 में परिभाषित किया गया है "मैनेजमेंट अप्रोच" के आधार पर चीफ आपरेटिंग डिसीजन मेकर (सीओडीएम) कंपनी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करता है तथा बिजनेस सेग्मेंट्स के विभिन्न कार्यनिष्पादन सूचकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आबंटन करता है। तदनुसार प्रत्येक बिजनेस सेग्मेंट के बारे में सूचना दी गई है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में इस्तेमाल किए गए अकाउंटिंग सिद्धांतों को प्रत्येक बिजनेस सेग्मेंट का राजस्व तथा व्यय रिकार्ड करने के लिए निरंतर इस्तेमाल किया गया है तथा इन्हें महत्वपूर्ण अकाउंटिंग नीतियों में भी शामिल किया गया है। कंपनी के बिजनेस सेग्मेंट हैं :– बहुमूल्य धातुएं, धातुएं, खनिज, कोल तथा हाइड्रोकार्बन, कृषि उत्पाद, उर्वरक तथा अन्य।

सेग्मेंट राजस्व तथा व्यय

सेग्मेंट परिसंपत्तियों में सभी ओपरेटिंग परिसंत्तियां शामिल हैं जिसमें नेट स्थिर परिसंपत्तियां तथा वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण व अग्रिम इत्यादि शामिल हैं। कारेपोरेट तथा निर्माण से संबंधित परिसंपत्तियों को अनअलोकेटिड सेग्मेंट्स में शामिल किया गया है। सेग्मेंट देयताओं में संबंधित सेग्मेंट की देयताएं तथा प्रावधान शामिल हैं।

खंड राजस्व और परिणाम **(31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार रु करोड़ में)**

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रोकार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
बाहरी ग्राहकों से सेग्मेंट राजस्व								
भारत में	14029.93	74.03	1.32	586.14	671.45	9185.83	28.17	24576.86
भारत से बाहर	-	-	1796.78	-	-	-	7.96	1804.74
इंटर– सेग्मेंट राजस्व								
कुल सेग्मेंट राजस्व	14029.93	74.03	1798.10	586.14	671.45	9185.83	36.14	26381.61
सेग्मेंट परिणाम								
भारत में	53.13	0.80	1.32	(30.73)	7.02	29.40	2.97	63.91
भारत से बाहर	-	-	50.22	-	-	-	0.25	50.47
कुल सेग्मेंटनल परिणाम	53.13	0.80	51.54	(30.73)	7.02	29.40	3.22	114.38
अनअलोकेटिड कारपोरेट व्यय :								
ब्याज व्यय (नेट)								193.27
अन्य आय घटाने पर अन्य अनअलोकेटिड व्यय								1015.33
साधारण कार्यकलापों से कर पूर्व लाभ								(1,094.22)

(31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रोकार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
बाहरी ग्राहकों से सेग्मेंट राजस्व								
भारत में	8304.82	719.26	29.47	1341.83	831.23	11100.10	6.04	22332.75
भारत से बाहर		109.86	1685.19				7.18	1802.23
इंटर– सेग्मेंट राजस्व								
कुल सेग्मेंट राजस्व	8304.82	829.12	1714.66	1341.83	831.23	11100.10	13.22	24134.98

सेग्मेंट परिणाम								
भारत में	49.60	17.09	7.31	25.57	(6.88)	37.02	0.82	130.53
भारत से बाहर		2.51	47.95				0.22	50.68
कुल सेग्मेंटनल परिणाम	49.60	19.60	55.26	25.57	(6.88)	37.02	1.04	181.21
अनअलोकेटिड कारपोरेट व्यय :								
ब्याज व्यय (नेट)								127.66
अन्य आय घटाने पर अन्य अनअलोकेटिड व्यय								280.78
साधारण कार्यकलापों से कर पूर्व लाभ								(227.23)

परिसंपत्तियों व देयताओं का सेग्मेंट **(31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)**

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रोकार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
ए.01 सेग्मेंट परिसंपत्तियां								
परिसंपत्तियां	427.26	19.21	333.84	3509.61	392.70	19.81	39.99	4742.42
अनअलोकेटिड परिसंपत्तियां								764.33
कुल परिसंपत्तियां								5506.76
ए.02 सेग्मेंट देयताएं								
देयताएं	442.64	38.67	343.55	1200.13	432.70	19.80	23.71	2501.20
अनअलोकेटिड देयताएं								2583.10
कुल देयताएं								5084.30

(31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में) **(31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)**

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रोकार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
ए.01 सेग्मेंट परिसंपत्तियां								
परिसंपत्तियां	267.73	(222.48)	173.17	3539.98	221.71	1561.20	503.90	6045.21
अनअलोकेटिड परिसंपत्तियां								534.95
कुल परिसंपत्तियां								6580.17
ए.02 सेग्मेंट देयताएं								
देयताएं	188.05	82.49	218.30	497.55	287.16	1349.65	27.77	2650.97
अनअलोकेटिड देयताएं								2745.05
कुल देयताएं								5396.02

प्रमुख ग्राहकों के बारे में सूचना

बाहरी एकल ऐसे ग्राहकों, जिनके साथ हुए लेनदेन में कंपनी को कुल राजस्व का 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है, के बारे में सूचना नीचे दी गई है ।

प्रमुख ग्राहक (ग्राहक जिसका 10 प्रतिशत से अधिक राजस्व है)	2020-21	2019-20
कुल राजस्व	9177.84	11076.02
ग्राहकों की संख्या	1	1
कुल राजस्व का प्रतिशत	34.79%	45.89%
उत्पाद सेग्मेंट	उर्वरक	उर्वरक

42. भारतीय लेखा मानक 24"संबंधित पार्टी प्रकटन" के संबंध में प्रकटन

गैर–सरकारी संबंधी संगठन के लिए प्रकटन

ए. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों की सूची

नाम	पदनाम
i. श्री सुधांशु पांडे	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – (प्रबंध निदेशक) (01.03.2020 से 13.05.2020 तक)
ii. श्री संजय चड्ढा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – (प्रबंध निदेशक) अतिरिक्त प्रभार (14.05.2020 से)
iii. श्री उमेश शर्मा	निदेशक (वित्त) एवं (मुख्य वित्तीय अधिकारी) (31.05.2020 तक)
iv. श्री कपिल कुमार गुप्ता	निदेशक (वित्त) एवं (मुख्य वित्तीय अधिकारी) (01.06.2021 से)
v. श्री अश्वनी सोंधी	निदेशक (31.01.2021 तक)
vi. श्री जे. रवि शंकर	निदेशक
vii. श्री आर. आर. सिन्हा	निदेशक(कार्मिक)

बी) सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर

सी) संयुक्त उद्यम

1. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड
2. फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
3. एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड
4. एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड
5. सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड

डी. सरकार तथा इससे संबंधित संगठन

1. भारत सरकार के पास कंपनी के 89.93 प्रतिशत इक्विटी शेयर्स हैं तथा उसका कंपनी पर नियंत्रण है।
2. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिन पर भारत सरकार का नियंत्रण है।

ई. रोजगारोपरांत लाभ योजना

1. एमएमटीसी लिमिटेड सीपीएफ ट्रस्ट
2. एमएमटीसी लिमिटेड ग्रेच्युटी ट्रस्ट
3. एमएमटीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति ट्रस्ट
4. एमएमटीसी कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट

एफ. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों के लिए मुआवजा

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पावधि लाभ	1.35	1.87
पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स	0.32	0.39
अन्य दीर्घावधि लाभ	-	-
शेयर आधारित भुगतान	-	-
ट्रमिनेशन लाभ	-	-
कुल	**1.66**	**2.26**
वर्ष के दौरान ऋणों व अग्रिमों की वसूली	0.00	0.01
वर्ष के दौरान दिए गए अग्रिम		
31.03.2021 को ऋणों व अग्रिमों का अंतिम शेष	-	0.00

जी. संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन

(रुपए करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीताजलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड		एमटीपीएल		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि		अन्य	
	मार्च/21	मार्च/20	मार्च/21	मार्च/20	मार्च/21	मार्च/20	मार्च/21	मार्च/20	मार्च/21	मार्च/20	मार्च/21	मार्च/20	मार्च/21	मार्च/20	मार्च/21	मार्च/20
माल एवं सेवाओं की बिक्री	-	-	2.51	13.56	-	-	-	-		109.03	2.08	837.75	-	-		-
कच्चे माल/वस्तु तथा सेवाओं की खरीद	-	-	107.12	78.98	-	-	-	-	1.74	92.22	25.38	935.48	-	-	-	-
कंपनी की ओर से भुगतान	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	77.82	109.18
अन्य लेन–देन	-	-	-	-	-	-	-	-	28.64	-	-		-	-	6.01	179.96

एच. वस्तु/सेवाओं की बिक्री/खरीद से उत्पन्न बकाया शेष

(करोड़ रूपए)

विवरण	एमएमटीसी गीताजलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड		एमटीपीएल		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि	
	मार्च/21	मार्च/20	मार्च/21	मार्च/20	मार्च/21	मार्च/20	मार्च/21	मार्च/20	मार्च/21	मार्च/20	मार्च/21	मार्च/20	मार्च/21	मार्च/20
देय व्यापार	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	0.76	12.37	1.46	1.59	-	-
प्राप्य व्यापार	-	-	-	(1.05)	-	-	-	-	-		-	-	-	-
अन्य देय	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य प्राप्य	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	4.31	-	-	-	-

आई. संयुक्त उद्यमों को दिए गए ऋण

(करोड़ रूपए)

विवरण	एमएमटीसी गीताजलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड		एमटीपीएल		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि	
	मार्च /21	मार्च /20	मार्च /21	मार्च /20	मार्च /21	मार्च /20	मार्च/21	मार्च/20	मार्च /21	मार्च/20	मार्च/21	मार्च/20	मार्च/21	मार्च/20
वर्ष के प्रारंभ में ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अग्रिम में दिया गया ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्त/समायोजित अदायगी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लगाया गया ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में ब्याज सहित शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

जे. संयुक्त उद्यमों को दिए गए अग्रिम

(करोड़ रूपए)

विवरण	एमएमटीसी गीताजलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड		एमटीपीएल		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.		हल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.		कांडला फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	
	मार्च/21	मार्च/20	मार्च/21	मार्च/20	मार्च/21	मार्च/20	मार्च/21	मार्च/20	मार्च/21	मार्च/20	मार्च/21	मार्च/20	मार्च/21	मार्च/20	मार्च/20	मार्च/19	मार्च/20	मार्च/19
दिए गए अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,528.47	3,221.00	-	-	-	-	-	-

के. आईएण्डडी एस 27 के अनुसार, अलग वित्तीय विवरण का प्रक्ट्न

ए) सहायक में निवेश

कंपनी का नाम	संयोजन का देश	स्वामित्ववाली कंपनी व्याज का प्रतिशत	
		मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड	सिंगापुर	100%	100%

बी) संयुक्त उद्यम में निवेश

कंपनी का नाम	संयोजन का देश	स्वामित्ववाली कंपनी व्याज का प्रतिशत	
		मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	भारत	50	50
एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड	भारत	26	26
सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.	भारत	26	26
एमएमटीसी गीताजंलि लि.	भारत	26	26
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	भारत	49.78	49.78

एल. केएमपी को ऋण

विवरण	मार्च 2021	मार्च 2020
वर्ष के प्रारंभ में ऋण	0.00	0.01
दिया गया अग्रिम ऋण	-	-
प्राप्त अदायगी	-	-
लगाया गया ब्याज	-	-
प्राप्त ब्याज	0.00	0.01
वर्ष के अंत में ब्याज सहित शेष	-	0.01

एम . संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण अल्पावधि के होते हैं तथा केएमपी को दिए गए वेलफेयर अग्रिम की प्रकृति के होते हैं। इन पर लिया जाने वाला ब्याज समय–समय पर प्रचलित बाजार दरों पर होता है।

एन. सरकार तथा सरकारी संगठनों के साथ हुए लेन–देन का प्रकटन (करोड़ रूपए)

क्र. सं.	सरकार/सरकारी संगठन का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन–देन की प्रकृति	मूल्य (रुपए)	बकाया शेष	
					प्राप्य	देनदारियां
1	उर्वरक विभाग, भारत सरकार	बहुमत स्वामित्व	वस्तुओं की बिक्री	9,177.84	3.32	-
2	उपभोक्ता मामलों का विभाग, भारत सरकार	बहुमत स्वामित्व	दालों का आयात	-	-	33.17
3	भारत सरकार के अन्य विभाग	बहुमत स्वामित्व	वस्तुओं की खरीद/बिक्री	2,469.43	1.07	9.44
4	सीपीएसईज	भारत सरकार के माध्यम से	वस्तुओं की खरीद/बिक्री	1,839.39	113.18	303.10

42.2 भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–116 "लीज" के संबंध में प्रकटन

42.3 पट्टेदार के रूप में

ए. वित्तीय पट्टे अवधि के दौरान कंपनी ने किसी भी प्रकार की वित्तीय लीज व्यवस्था नहीं की है।

बी. आपरेटिंग लीज़ (करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति के उपयोग के लिए मूल्यह्रास प्रभार	0.42	0.43
पट्टे देनदारी पर ब्याज खर्च	0.49	0.55
अल्पावधि पट्टे पर खर्च	-	-
कम मूल्य संपत्ति पर खर्च	-	-
पट्टा देनदारी के माप खर्च रहित विभिन्न पट्टा भुगतान से संबंधित खर्च	-	-
संपत्ति उपयोग के पट्टा उधार अधिकार से प्राप्त आय	-	-
पट्टे के लिए नकद का कुल बर्हिगमन	0.84	0.90
संपत्ति के उपयोग के अधिकार के अलावा	0.14	2.71
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति के उपयोग के अधिकार के कैरिंग राशि	3.35	4.47

पट्टे देनदारी की परिपक्वता विश्लेषण (रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
एक वर्ष के अंदर	0.37	0.68
एक वर्ष के बाद परंतु 5 वर्षों के अंदर	0.42	2.99
5 वर्षों के बाद	3.23	28.47

सी) कंपनी अपने व्यापारिक गतिविधियों के संचालन के लिए संपत्ति के उपयोग के अधिकार का प्रयोग कर रही है।

डी) आईएण्डडी एएस – 116 (पट्टे) के प्रावधान के अंतर्गत व्यवहारिक रूप से, कम अवधि वाले पट्टे (12 महीने या उससे कम समय के लिए) और पट्टे जिसकी परिसंपत्ति कम मूल्य रू. 1,00,000/– प्रति महीने और रूपये 12,00,000/– प्रति वर्ष तक के हैं मान्य नहीं किए जाते हैं।

42.4 पट्टादाता के रूप में

ए. वित्तीय पट्टेः अवधि के दौरान कंपनी ने किसी भी प्रकार की वित्तीय लीज व्यवस्था नहीं की है।

बी. आपरेटिंग लीज़

रद्द न किए जाने वाले आपरेटिंग पट्टों के तहत भावी न्यूनतम लीज़ प्राप्य (रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
एक वर्ष के अंदर	1.50	1.50
एक वर्ष के बाद परंतु 5 वर्षों के अंदर	3.89	5.39
5 वर्षों के बाद	-	-

43. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–33 "प्रति शेयर अर्जन(ईपीएस)" के संबंध में प्रकटन

ए. बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस

बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस तथा बेसिक ईपीएस की गणना में साधारण शेयरों की संख्या में निम्नलिखित औसत आय व अधिमान अपनाया गया :

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के स्वामियों को वर्ष के दौरान हुए लाभ (हानि)	**(769.69)**	(227.11)
प्रति शेयर बेसिक आय के उद्देश्य के लिए साधारण शेयरों की वेटिड औसत	**1,500,000,000**	1,500,000,000
बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस	**(5.13)**	(1.51)

44. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों" के संबंध में प्रकटन

(रुपए करोड़ में)

प्रावधान के विवरण	01.04.20 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	31.03.21 को अंतिम शेष
गंतव्य भार व विश्लेषण जोखिम	0.04	0.04	0.08	0.08
बोनस / पीआरपी	21.11	3.69	0.05	17.46
मुकदमेबाजी निपटान के लिए प्रावधान	11.38	(0.17)	877.25	888.81

45. सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों के विवरण, जिनके बकाये के 31 मार्च 2021 के अनुसार कंपनी देनदार है, निम्न है

(करोड़ में)

		2020-21	2019-20
ए.	(i) लेखा–वर्ष की समाप्ति में किसी आपूर्तिकर्ता की शेष अदत्त मूलधन राशि	0.18	0.17
	(ii) उपरोक्त पर देय व्याज	-	-
	कुल (i) और (i) (नोट 18 व 19 के अंतर्गत सम्मिलित)	0.18	0.17
बी	अधिनियम की धारा 16 के अनुसार खरीददार द्वारा भुगतान की गई व्याज की राशि	-	-
सी)	भुगतान करने में विलंब अवधि के लिए देय व्याज की राशि (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान अंतिम तिथि के बाद किया गया है) परंतु कानून के अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए व्याज को बिना जोड़े किया गया है	-	-
डी)	प्रत्येक लेखा वर्ष की समाप्ति पर प्रोद्भूत और शेष देय ब्याज राशि	-	-
ई)	अनुवर्ति वर्षों में भी आगे का व्याज की राशि शेष और भुगतान करना है, अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती की गई खर्च की अस्वीकृति के उद्देश्य के लिए जब तक लघु उद्यम को उक्त व्याज राशि वास्तविक में भुगतान किया गया है।	-	-

46. भारतीय लेखा मानक(इंड एएस)–115 'ग्राहकों के साथ हुई संविदा से राजस्व' के बारे में प्रकटन

ए(1) ग्राहकों के साथ संविदाएं

ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं से निम्नलिखित को प्राप्त राजस्व माना है: (रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पादों की बिक्री	26361.59	24051.99
सेवाओं की बिक्री	2.89	4.06
अन्य प्रचालन राजस्व		
–दावे	25.90	89.25
–सब्सिडी	-	-
–अर्जित डिस्पैच	-	-
–अन्य व्यापार आय	(8.77)	(10.32)
कुल	**26381.61**	**24134.98**

बी. कंपनी ने ग्राहकों से प्राप्त होने वाली राशि अथवा ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं के कारण उत्पन्न होने वाली संविदा परिसंपत्तियों के विरूद्ध होने वाली हानि की राशि माना गया है, जो निम्नानुसार है:–

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
हानि	1.06	-

(ii) राजस्व का विभाजन

कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सेगमेंट की खनिजों, बहुमूल्य धातुओं, कृषि उत्पादों, कोल व हाईड्रोकार्बन, उर्वरक तथा सामान्य व्यापार/अन्य के रूप मे पहचान की है। ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं से अर्जित हुए सेग्मेंटवाइज राजस्व तथा उसका कुल राजस्व में अनुपात निम्नानुसार है:–

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	कुल राजस्व का प्रतिशत	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	कुल राजस्व का प्रतिशत
बहुमूल्य धातुए	14029.93	53.18%	8304.82	34.41%
धातुएं	74.03	0.28%	829.12	3.44%
खनिज	1798.10	6.82%	1714.66	7.10%
कोल व हाइड्रोकार्बन	586.14	2.22%	1341.83	5.56%
कृषि उत्पाद	671.45	2.55%	831.23	3.44%
उर्वरक	9185.83	34.82%	11100.10	45.99%
अन्य	36.14	0.14%	13.22	0.05%
कुल	**26381.61**	**100%**	**24134.98**	**100%**

(iii) संविदा शेष

(ए) प्राप्य

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2021 को
आरंभिक शेष	2314.33	669.04
वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी	(1,368.62)	1645.29
अंतिम शेष	945.71	2314.33

बी) संविदा परिसंपत्तियां

कंपनी संविदा परिसंपत्तियों की पहचान तब करती है जब इसे इस बात की तसल्ली हो जाती है कि इसने ग्राहक को माल अथवा सेवाओं के ट्रांसफर करने के दायित्व को पूरा कर दिया है तथा प्रतिफल के प्राप्त होने का अधिकार सुनिश्चित हो जाता है। इसके लिए कंपनी को प्रतिफल प्राप्त होने से पूर्व कुछ शर्ते पूरी करनी होती है। एक व्यापारिक कंपनी होने के नाते कंपनी को अपने ग्राहकों को उस माल अथवा सेवा का ट्रांसफर करना होता है जिसके लिए इसने अपनी वचनबद्धता दी है। कंपनी की ऐसी कोई देयता नहीं है जिसको इसने पूरा नहीं किया है।

सी) संविदा देयताएं

ग्राहकों के साथ संविदा हो जाने के बाद कंपनी को ग्राहकों से प्राप्त होने वाली ईएमडी, सिक्युरिटी डिपोजिट, मार्जिन राशि, कस्टम ड्यूटी इत्यादि के भुगतान के लिए एडवांस को 'अन्य वित्तीय देयताएं तथा अन्य देनदारियों के अंतर्गत ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के रूप में दर्शाया जाता है।

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2021 को
आरंभिक शेष	212.24	361.95
जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धि	329.36	132.83
घटाएं: कटौती (रिफंड/समायोजन)	24.25	188.70
घटाएं: राजस्व जिसे वर्ष के दौरान आरंभिक शेष का हिस्सा माना गया है	55.09	93.85
अंतिम शेष	**462.26**	**212.24**

वर्ष के दौरान पूर्व अवधि से संबंधित ग्राहकों को डेबिट/क्रेडिट नोट्स बनाकर कार्यनिष्पादन की देयता को पूरा किया हुआ दिखाकर राजस्व की प्राप्ति 'शून्य' करोड़ रूपए (गत वर्ष शून्य करोड़ रूपए) दर्शाया गया है।

कंपनी ने वर्ष के दौरान डिस्काउंट, रिबेट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य छूट, कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन बोनस इत्यादि की राशि राजस्व में शून्य" करोड़ रूपए (गत वर्ष शून्य करोड रूपए) माना है जिसके लिए संविदा राजस्व के विरूद्ध शून्य" करोड़ रूपए (गत वर्ष शून्य करोड रूपए) का समायोजन किया है।

(डी) व्यवहारिक दृष्टिकोण

वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने ग्राहकों के साथ कुछ ऐसी बिक्री संविदाएं की है जिनके कुछ हिस्से का निष्पादन किया जाना शेष है, इस संबंध में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इसका खुलासा नहीं किया गया है। इस प्रकार की संविदा की अवधि एक वर्ष से कम है अथवा प्रतिफल की प्राप्ति का अधिकार कंपनी द्वारा परफार्मेस पूरी करने के बाद उत्पन्न होगा।

(बी) इस मानक के अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण निर्णय

(i) कंपनी द्वारा राजस्व की पहचान उस स्थिति में की जाती है जब कंपनी अपने ग्राहकों के साथ किए गए वादे के अनुसार माल अथवा सेवा देने के

कार्य को पूरा करती है। परिसंपत्ति/माल सेवाओं को तब ट्रांसफर किया हुआ माना जाता है जब ग्राहक संबंधित परिसंपत्ति/माल/सेवाओं पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

(ii) कंपनी अपने लेन देन के मूल्य का निर्धारण अनुबंध की शर्तों तथा परंपरागत व्यावसायिक प्रथाओं के अनुसार करती है। लेन देन का मूल्य वह प्रतिफल होता है जो एक कंपनी ग्राहक को वादे के अनुसार माल अथवा सेवा का ट्रांसफर करने के बाद अधिकार प्राप्त करती है। इस मूल्य में तीसरे पक्ष की ओर से प्राप्त की गई राशि(उदाहरणार्थ जीएसटी इत्यादि) शामिल नहीं होती है ।

(iii) ग्राहक के साथ तय की गई संविदा में तय किए गए प्रतिफल की राशि निश्चित अथवा परिवर्तनशील अथवा दोनों प्रकार की हो सकती है। यदि इसमें किसी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता होती है तो इसके लिए ग्राहक के नाम पर डेबिट/क्रेडिट नोट तैयार किया जाता है। परिवर्तनशील प्रतिफल की स्थिति में लेनदेन मूल्य पर पडने वाले प्रभाव का निर्धारण करते समय परिवर्तनशील प्रतिफल के अनुमान संविदा में महत्वपूर्ण वित्तीय कम्पोनेंट, गैर नकदी प्रतिफल तथा ग्राहक को देय प्रतिफल पर भी विचार किया जाता है।

(iv) वर्ष के दौरान संविदा के मूल्य में कुछेक समायोजन किए गए हैं जो राशि की मात्रा को ध्यान में रखते हुए विशेष महत्व के नहीं है।

सी. ग्राहक के साथ की गई संविदा को प्राप्त करने अथवा उसे पूरा करने की लागत को परिसंपत्ति माना गया।

एक व्यापारिक कंपनी होने के नाते कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि निश्चित प्रकृति की होती है अतः ग्राहक के साथ की जाने वाली संविदा अथवा संविदा के दायित्व को पूरा करने में इस राशि में कोई बढोत्तरी नहीं होती है। इस स्थिति में एक प्रेक्टिकल दृष्टिकोण के तहत लाभ तथा हानि विवरण में शमिल किया जाता है।

47. कुछ व्यापार प्राप्यों, अन्य परिसंपत्तियों, व्यापार तथा अन्य देयों के भोश के बारे में पुष्टि/रिकंसिलिएशन किया जाना है तथा इनके पड़ने वाले प्रभाव को समायोजित किया जाना है। रिकंसिलिएशन ऑन–गोइंग आधार पर की जाती हैं। जहां कहीं भी आवश्यक हुआ है प्रावधान किए गए हैं। तथापि मैनेजमेंट को लगता है कि इस प्रकार की लंबित पुष्टि/रिकंसिलिएशन का कोई विशेष वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

48. लोक उद्यम विभाग (भारत सरकार) के दिशानिर्देशों के अनुसार रूपए 2000/– प्रतिमाह का भुगतान करने पर पूर्ण–कालीन निदेशकों को 1,000 किलो मीटर प्रतिमाह तक निजी प्रयोग के लिए स्टाफ कार का प्रयोग करने की अनुमति है।

49. कंपनी के व्यवसाय पर कोविड – 19 का भौतिक प्रभाव –

कोविड – 19 महामारी के कारण भारत सरकार कोविड – 19 के संक्रमण को रोकने के लिए समय–समय पर बंदी की घोषणा करती रही। यह महामारी कंपनी के व्यवसाय को प्रभावित किया है जो कि कंपनी के लाभ साथ ही नकदी को प्रभावित किया है। इसके कारण कंपनी अधिनियम, 2013 और एलओडीआर 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के पालन में देरी हुई है। एमएमटीसी लिमिटेड सात व्यवसाय भागों में बहुमूल्य धातुएँ, खनिजों, कोल और हाइड्रोकार्बन, कृषि उत्पादों, उर्वरकों और सामान्य व्यापारू अन्य व्यापार कर रहा है। कोविड – 19 के कारण निम्न व्यापार प्रभावित हुए हैं –

(i) कोविड – 19 की वजह से उत्पन्न परिस्तिथियों के कारण आदमी और खनिज की गतिविधि बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस महामारी के कारण कुछ इंटाइटिज जो कि बहुत कम क्षमता पर कार्य किया जो कि इन कंपनियों में लौह अयस्क निर्यात को प्रभावित किया है। मैगनजी अयस्क जैसे कुछ वस्तुएँ के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में भारी गिरावट आई जिससे इनके निर्यात अलाभकारी हो गया।

(ii) इस परिस्थिति और कीमत में निरंतर उतार–चढ़ाव के कारण ग्राहक आयात सामग्री बुक करने के अनिच्छुक है। नामिकागत आपूर्तिकर्ता प्रतिबद्ध परेषण को भेजने में सक्षम नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है।

(iii) बहुमूल्य धातुओं में डीटीए और एसईजेड में सोना और चाँदी की बिक्री बुरी तरह प्रभावित हुई है।

(iv) अन्य व्यापार कीमत में उतार – चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से प्रभावित होने के कारण नये ऑडर्स प्राप्त नहीं हो पाया। नये बाजार का अन्वेषण किया जा रहा है।

50. संलग्न लेखा नीतियां तथा नोट्स वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है ।

51. वित्तीय विवरणों में राशि प्रति शेयर डेटा को छोड़कर और अन्यथा बताए अनुसार करोड़ (दो दशमलव तक) में प्रस्तुत की जाती है। कुछ छोटी राशियाँ करोड़ में पूर्णांकित करने के कारण वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं हो सकती हैं। पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ आवश्यक समझा गया, पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

52. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया तथा इन्हें दिनांक 31.07.2021 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ.आर सं. 00002312 एन

(सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एमनं. 095584
दिनांक: 27.10.2021
स्थान: नई दिल्ली

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(बीएन दास)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएनः 08751137

(जे. रवि शंकर)
निदेशक
डीआईएन : 6961483

(संजय चड्ढा)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00752363

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
वित्तीय विवरण

(कंपनी पंजीकरण संख्या : 199407265एम)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

वित्तीय विवरण

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

निदेशक का स्टेटमेंट
31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

निदेशकों को 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड ("कंपनी") के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ–साथ सदस्यों को अपना विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसमें एकमात्र कॉर्पोरेट शेयरधारक शामिल है।

1. **निदेशकों की राय**

निदेशकों की राय में,

(i) कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं ताकि 31 मार्च 2021 को कंपनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में परिवर्तन और कंपनी के नकदी प्रवाह में समाप्त वर्ष के लिए एक सही और निष्पक्ष परिदृश्य दिया जा सके; तथा

(ii) इस कथन की तिथि पर, यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि कंपनी जब भी वे देय होंगेए अपने ऋणों का भुगतान करने में सक्षम होगी।

2. **निदेशकों**

इस स्टेटमेंट की तिथि तिथि पर कार्यालय में कंपनी के निदेशक हैं:

देवाशीष नायक

राजीव रंजन सिन्हा

रवि शंकर जनार्दन

थिम्मासारथी श्रीनिवास राव

3. **निदेशकों को शेयर या डिबेंचर हासिल करने में सक्षम बनाने की व्यवस्था**

न तो अंत में और न ही वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय कंपनी किसी भी व्यवस्था के लिए एक पार्टी थी जिसका उद्देश्य है, या जिसका उद्देश्य कंपनी के निदेशकों को शेयरों के अधिग्रहण के माध्यम से लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना है, या कंपनी या किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट के डिबेंचर।

4. **शेयरों या डिबेंचर में निदेशकों की रुचियां**

सिंगापुर कंपनी अधिनियम, अध्याय 50 ("अधिनियम") की धारा 164 के तहत कंपनी द्वारा रखे गए निदेशकों की शेयरधारिता के रजिस्टर के अनुसार, कंपनी के निदेशक, जो वित्तीय वर्ष के अंत में कार्यालय में थे, का वित्तीय वर्ष की शुरुआत या अंत में कंपनी और उसके संबंधित निगमों के शेयर या डिबेंचर में कोई हित नहीं था। ।

5. **शेयर विकल्प**

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के जारी न किए गए शेयरों की सदस्यता के लिए कोई शेयर विकल्प नहीं दिया गया था।

कंपनी के गैर–निर्गमित शेयरों को लेने के विकल्पों के प्रयोग के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान कोई शेयर जारी नहीं किए गए थे।

वित्तीय वर्ष के अंत में विकल्प के तहत कंपनी के कोई भी निर्गमित शेयर नहीं थे।

6. **लेखा परीक्षकों**

ऑडिटर्स, टीकेएनपी इंटरनेशनल , पब्लिक अकाउंटेंट्स और सिंगापुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने ऑडिटर्स के रूप में फिर से नियुक्ति को स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की है।

निदेशक मंडल की ओर से,

....	....
थिम्मासारथी श्रीनिवास राव	**देवाशीष नायक**
निदेशक	निदेशक

दिनांक: 05.07.2021

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

निदेशक का स्टेटमेंट
31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

एमएमटीसी ट्रांसनैशनल पीटीई लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड ("कंपनी") ,के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है। जिसमें 31 मार्च 2021 को वित्तीय स्थिति का विवरण, लाभ या हानि का विवरण और अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण शामिल है, और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स।

हमारी राय में, साथ में वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, अध्याय 50 ("अधिनियम") और सिंगापुर (FRS) में वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के प्रावधानों के अनुसार उचित रूप से तैयार किए गए हैं ताकि एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके। 31 मार्च 2021 को कंपनी की वित्तीय स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय प्रदर्शन, कंपनी के इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन।

राय के लिए आधार

हमने सिंगापुर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग (एसएसए) के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम लेखा और कॉर्पोरेट नियामक प्राधिकरण (एसीआरए) के व्यावसायिक आचरण और सार्वजनिक लेखाकारों और लेखा संस्थाओं (एसीआरए कोड) के लिए नैतिकता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं। सिंगापुर, और हमने इन आवश्यकताओं और एसीआरए कोड के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

अन्य सूचना

अन्य जानकारी के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में पृष्ठ 1 से 2 पर दिए गए निदेशकों का विवरण शामिल है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नही है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी, या अन्यथा भौतिक रूप से प्रतीत होती है गलत बताया यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नही है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और निदेशकों की जिम्मेदारियां

प्रबंधन वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो अधिनियम और एफआरएस के प्रावधानों के अनुसार एक सही और निष्पक्ष दृश्य देता है, और एक उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए पर्याप्त आंतरिक लेखा नियंत्रण की एक प्रणाली तैयार करने और बनाए रखने के लिए कि संपत्ति को नुकसान के खिलाफ सुरक्षित किया जाता है। अनधिकृत उपयोग या स्वभाव से; और लेन–देन उचित रूप से अधिकृत हैं और उन्हें सही और निष्पक्ष वित्तीय विवरण तैयार करने और परिसंपत्तियों की जवाबदेही बनाए रखने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों और लेखांकन के चल रहे चिंता आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है संचालन, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नही है।

निदेशकों की जिम्मेदारियों में कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करना शामिल है।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

निदेशक का स्टेटमेंट
31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएसए के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसएसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत स्टेटमेंटी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।

- ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों, लेकिन कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर एक राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण कंपनी चालू चिंता के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

- एमएमटीसी ट्रांसनैशनल पीटीई लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट। (जारी)

  हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में निदेशकों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

हमारी राय में, अधिनियम द्वारा कंपनी द्वारा रखे जाने वाले लेखांकन और अन्य अभिलेखों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित रूप से रखा गया है।

इस स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में संलग्न भागीदार ओंग लियन वान है।

टीकेएनपी इंटरनेशनल
सार्वजनिक लेखाकार और
चार्टर्ड अकाउंटेंट
सिंगापुर

दिनांकः 05.07.2021

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

निदेशक का स्टेटमेंट
31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	नोट	2021	2020
		यूएस$	यूएस$
परिसंपत्तियां			
गैर तात्कालिक परिसंपत्ति			
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	4	**3,309**	5,130
उपयोग का अधिकार संपत्ति	5	**-**	87,859
अन्य परिसंपत्तियां	6	**27,279**	26,969
		30,588	119,958
वर्तमान संपत्ति			
नकद और नकदी के समतुल्य	7	**11,938,319**	14,139,152
व्यापार और अन्य प्राप्तियां	8	**38,035,326**	18,530,582
		49,973,645	32,669,734
कुल संपत्ति		**50,004,233**	32,789,692
ऋण और शेयर			
वर्तमान देनदारियां			
व्यापार और अन्य देनदारियां	9	**32,001,236**	3,710,149
उधारी	10	**7,326,484**	15,589,023
लीज देनदारियां	11	**-**	88,966
आयकर खर्च		**201,745**	144,964
		39,529,465	19,533,102
हिस्सेदारी			
शेयर पूंजी	12	**1,000,000**	1,000,000
प्रतिधारित कमाई		**9,474,768**	12,256,590
		10,474,768	13,256,590
कुल देनदारियां और इक्विटी		**50,004,233**	32,789,692

वित्तीय स्टेटमेंट के लिए साथ देने वाले नोट देखें

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

निदेशक का स्टेटमेंट
31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	नोट	2021	2020
		यूएस$	यूएस$
राजस्व आय	13	**486,198,121**	333,596,463
अन्य आय	14	**2,070,174**	1,275,755
विदेशी मुद्रा अंतर		**(7,184)**	(815)
खर्च और लागत			
– वस्तुओं की खरीद		**473,423,224**	323,673,503
– माल ढुलाई लागत		**11,756,979**	8,291,442
– कर्मचारी मुआवजा	15	**692,964**	697,122
– संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास	4	**3,896**	2,422
– उपयोग के अधिकार की संपत्ति का मूल्यह्रास	5	**87,859**	87,860
– बैंक शुल्क		**429,388**	478,769
– वित्तीय खर्च	16	**485,548**	448,113
– अन्य खर्चे	17	**66,491**	80,107
		(486,946,349)	(333,759,338)
कर देने से पूर्व लाभ		**1,314,762**	1,112,065
आयकर खर्च	18	**(196,584)**	(144,964)
वर्ष के लिए लाभ, वर्ष के लिए व्यापक कुल आय का प्रतिनिधित्व		**1,118,178**	967,101

वित्तीय स्टेटमेंट के लिए साथ देने वाले नोट देखें

	नोट	शेयर पूंजी	प्रतिधारित कमाई	कुल
		यूएस$	यूएस$	यूएस$
1 अप्रैल 2019		1,000,000	11,289,489	12,289,489
वर्ष के लिए लाभ, वर्ष के लिए व्यापक कुल आय का प्रतिनिधित्व		-	967,101	967,101
31 मार्च 2020		1,000,000	12,256,590	13,256,590
1 अप्रैल 2020		1,000,000	12,256,590	13,256,590
सूद अदा किया	20	-	(3,900,000)	(3,900,000)
वर्ष के लिए लाभ, वर्ष के लिए व्यापक कुल आय का प्रतिनिधित्व		-	1,118,178	1,118,178
31 मार्च 2021		1,000,000	9,474,768	10,474,768

वित्तीय स्टेटमेंट के लिए साथ देने वाले नोट देखें

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

नकदी प्रवाह का स्टेटमेंट
31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	नोट	2021	2020
		यूएस$	यूएस$
संचालनीय गतिविधियों से प्राप्त रोकड़			
कर देने से पूर्व लाभ		**1,314,762**	1,112,065
के लिए समायोजन			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास	4	**3,896**	2,422
उपयोग के अधिकार की संपत्ति का मूल्यह्रास	5	**87,859**	87,860
ब्याज व्यय	16	**485,548**	448,113
ब्याज आय	14	**(488,713)**	(567,650)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		**1,403,352**	1,082,810
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन			
माल सूची में कमी		**-**	19,552
(वृद्धि)/व्यापार और अन्य प्राप्तियों में कमी		**(19,504,744)**	4,446,271
(वृद्धि) अन्य संपत्तियों में		**(310)**	(7,814)
व्यापार और अन्य देय राशियों में वृद्धि/(कमी)		**28,291,087**	(12,740,726)
(चुकौती)/उधार से प्राप्त आय	ए	**(8,262,539)**	9,872,150
संचालन से उत्पन्न नकद		**1,926,846**	2,672,243
आयकर का भुगतान		**(139,803)**	-
ब्याज भुगतान		**(484,148)**	(444,235)
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी		**1,302,895**	2,228,008
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अधिग्रह	4	**(2,075)**	(311)
प्राप्त ब्याज		**488,713**	567,650
निवेश गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी		**486,638**	567,339
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
सूद अदा किया	20	**(3,900,000)**	-
सावधि जमा गिरवी रखी गई	ए	**3,726,417**	(1,895,140)
पट्टा दायित्व का पुनर्भुगतान	ए	**(88,966)**	(86,753)
ब्याज भुगतान	16	**(1,400)**	(3,878)
निवल नकद (में इस्तेमाल) वित्तीय गतिविधियां		**(263,949)**	(1,985,771)
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि		**1,525,584**	809,576
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य		**1,507,805**	698,229
साल के अंत में नकद और नकद समकक्ष	7	**3,033,389**	1,507,805

नोट ए:
वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों का समाधान इस प्रकार है:

				गैर–नकद परिवर्तन		
	1 अप्रैल 2021	**नकदी प्रवाह**	**ब्याज खर्च**	**अधिग्रहण**	**हितों की वृद्धि**	**31 मार्च 2021**
	यूएस$	**यूएस$**	**यूएस$**	**यूएस$**	**यूएस$**	**यूएस$**
उधारी	15,589,023	(8,262,539)	(484,148)	-	484,148	7,326,484
लीज देनदारियां	88,966	(88,966)	(1,400)	-	1,400	-
गिरवी रखी गई सावधि जमा	(12,631,347)	3,726,417	-	-	-	(8,904,930)

				गैर–नकद परिवर्तन		
	1 अप्रैल 2020	**नकदी प्रवाह**	**ब्याज खर्च**	**अधिग्रहण**	**हितों की वृद्धि**	**31 मार्च 2021**
	यूएस$	**यूएस$**	**यूएस$**	**यूएस$**	**यूएस$**	**यूएस$**
उधारी	5,716,873	9,872,150	(444,235)	-	444,235	15,589,023
लीज देनदारियां	-	(86,753)	(3,878)	175,719	3,878	88,966
गिरवी रखी गई सावधि जमा	(10,736,207)	(1,895,140)	-	-	-	(12,631,347)

वित्तीय स्टेटमेंट के लिए संलग्न नोट देखें

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

निदेशक का स्टेटमेंट
31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

ये नोट एक अभिन्न अंग हैं और इन्हें साथ में वित्तीय विवरणों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

1. कॉर्पोरेट जानकारी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड ("कंपनी") एक निजी कंपनी है जो शेयरों द्वारा सीमित है जो सिंगापुर में निगमित और अधिवासित है।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय और व्यवसाय का प्रमुख स्थान 3 रैफल्स प्लेस, 08–01, भारत बिल्डिंग, सिंगापुर 048617 पर स्थित है।

कंपनी की प्रमुख गतिविधियाँ खनिज, धातु, उर्वरक, कृषि उत्पाद, कोयला, सोना और हाइड्रोकार्बन उत्पाद, आभूषण और अन्य वस्तुओं का व्यापार करना है। वित्तीय वर्ष के दौरान इन गतिविधियों की प्रकृति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

तत्काल और अंतिम होल्डिंग कंपनी एमएमटीसी लिमिटेड है, जिसे भारत गणराज्य में स्थापित किया गया है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश

2.1) तैयारी का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण सिंगापुर में वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों ("एफआरएस") के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय नीचे दी गई लेखांकन नीतियों में बताए गए अनुसार।

वित्तीय विवरण यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर ("यूएस") में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है।

एफआरएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में अपने निर्णय का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए लेखांकन अनुमानों और मान्यताओं के उपयोग की भी आवश्यकता होती है। हालांकि ये अनुमान वर्तमान घटनाओं और कार्यों के प्रबंधन के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित हैं, वास्तविक परिणाम अंततः उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। जिन क्षेत्रों में अनुमान और अनुमान वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण हैं, उन्हें वित्तीय विवरणों के नोट 3 में प्रकट किया गया है ।

2.2) नए और संशोधित मानकों और व्याख्याओं को अपनाना

अपनाई गई लेखांकन नीतियां पिछले वित्तीय वर्ष के अनुरूप हैं, सिवाय इसके कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में, कंपनी ने सभी नए और संशोधित मानकों को अपनाया है जो कंपनी के लिए प्रासंगिक हैं और 1 अप्रैल या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक वित्तीय अवधि के लिए प्रभावी हैं। 2020।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

नकदी प्रवाह का स्टेटमेंट
31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

2.3) मानक जारी किया गया लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं है

कंपनी ने निम्नलिखित मानकों को नहीं अपनाया है जो जारी किए गए हैं लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हैं

	पर या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधियों के लिए प्रभावी
• एफआरएस 116 पट्टों में संशोधन : कोविड–19–संबंधित किराया रियायतें	1 जून 2020
• एफआरएस 109 वित्तीय साधनों में संशोधन , एफआरएस 39 वित्तीय साधन : मान्यता और मापन, एफआरएस 107 वित्तीय साधन: प्रकटीकरण, एफआरएस 104 बीमा अनुबंध, एफआरएस 116 पट्टे: ब्याज दर बेंचमार्क सुधार – चरण 2	1 जनवरी 2021
• एफआरएस 16 में संशोधन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण: इच्छित उपयोग से पहले की आय	1 जनवरी 2022
• एफआरएस 37 प्रावधानों में संशोधन, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति : भारी अनुबंध – एक अनुबंध को पूरा करने की लाग	1 जनवरी 2022
• एफआरएस में वार्षिक सुधार 2018–2020	1 जनवरी 2022
• एफआरएस में संशोधन 1 वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति : देनदारियों का वर्गीकरण वर्तमान या गैर–चालू के रूप मे	1 जनवरी 2023
• एफआरएस 110 समेकित वित्तीय विवरण और एफआरएस 28 में संशोधन एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेश : एक निवेशक और उसके सहयोगी या संयुक्त उद्यम के बीच संपत्ति की बिक्री या योगदान	निर्धारित की जाने वाली तिथि

निदेशकों को उम्मीद है कि उपरोक्त मानकों को अपनाने से प्रारंभिक आवेदन के वर्ष में वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2.4) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की सभी वस्तुओं को शुरू में लागत पर दर्ज किया जाता है। मान्यता के बाद, संयंत्र और उपकरण को लागत कम संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि हानि पर मापा जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में इसकी खरीद मूल्य और संपत्ति को उस स्थान और स्थिति में लाने के लिए सीधे जिम्मेदार कोई भी लागत शामिल है जो प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक है। यदि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण प्राप्त करने या उपयोग करने के परिणामस्वरूप विघटन, हटाने या बहाली की बाध्यता होती है, तो संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की लागत के हिस्से के रूप में विघटन, हटाने या बहाली की लागत शामिल होती है।

मूल्यह्रास की गणना उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास राशि आवंटित करने के लिए सीधी–रेखा पद्धति का उपयोग करके की जाती है। अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार हैं :

	उपयोगी जीवन
पट्टाधृत सुधार	3 वर्ष
फर्नीचर और फिटिंग्स	3 वर्ष
कंप्यूटर उपकरण	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	3 वर्ष

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास पद्धति की समीक्षा की जाती है, और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु को निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है, तो उसे अमान्य कर दिया जाता है। आस्ति की गैर–मान्यता पर कोई लाभ या हानि उस वर्ष के लाभ या हानि में शामिल है जिस वर्ष आस्ति की मान्यता रद्द की गई है।

2.5) **गैर–वित्तीय आस्तियों की हानि**

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि एक परिसंपत्ति खराब हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है।

एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई के उचित मूल्य से अधिक होती है जिसमें निपटान की लागत कम होती है और इसका उपयोग में मूल्य होता है और एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य से उन लोगों से काफी हद तक स्वतंत्र होती है। संपत्ति या संपत्ति का समूह। जहां किसी परिसंपत्ति या नकद–उत्पादक इकाई की अग्रणीत राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, परिसंपत्ति को बिगड़ा हुआ माना जाता है और इसकी वसूली योग्य राशि के लिए लिखा जाता है ।

बिगाड़ हानि को लाभ या हानि में पहचाना जाता है।

पहले से मान्यता प्राप्त हानि हानि को केवल तभी उलट दिया जाता है जब पिछली हानि हानि की पहचान के बाद से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ हो। यदि ऐसा है, तो परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि को उसकी वसूली योग्य राशि तक बढ़ा दिया जाता है। वह वृद्धि वहन राशि से अधिक नहीं हो सकती है जो निर्धारित की गई होगी, मूल्यह्रास का शुद्ध, पहले से कोई हानि हानि नहीं पहचानी गई थी। इस तरह के उलटफेर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.6) **वित्तीय दस्तावेज**

वित्तीय संपत्ति

प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय परिसंपत्तियों को तब और केवल तभी मान्यता दी जाती है जब कंपनी लिखतों के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है।

प्रारंभिक मान्यता पर, कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को उसके उचित मूल्य प्लस पर मापती है, वित्तीय परिसंपत्ति के मामले में लाभ या हानि (एफवीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं, लेनदेन लागत जो सीधे वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है। एफवीपीएल में की गई वित्तीय परिसंपत्तियों की लेनदेन लागत को लाभ या हानि में खर्च किया जाता है।

व्यापार प्राप्तियों को उस प्रतिफल की राशि पर मापा जाता है, जिस पर कंपनी किसी ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले हकदार होने की उम्मीद करती है, तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को छोड़कर, यदि व्यापार प्राप्तियों में एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नही है प्रारम्भिक पहचान।

बाद की माप

ऋण विलेख में निवेश

ऋण विलेखों का परवर्ती माप परिसंपत्ति के प्रबंधन के लिए कंपनी के व्यवसाय मॉडल और परिसंपत्ति की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताओं पर निर्भर करता है। ऋण लिखतों के वर्गीकरण के लिए तीन माप श्रेणियां परिशोधित लागत, अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) और एफवीपीएल के माध्यम से उचित मूल्य हैं। कंपनी के पास केवल परिशोधन लागत पर ऋण लिखत हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियां जो संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए रखी जाती हैं, जहां वे नकदी प्रवाह केवल मूलधन के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं और ब्याज को परिशोधन लागत पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज पद्धति, कम हानि का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब संपत्ति की पहचान या हानि होती है, और परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से।

मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है जहां परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का संविदात्मक अधिकार समाप्त हो गया है। किसी वित्तीय आस्ति की संपूर्णता में मान्यता समाप्त होने पर, अग्रणीत राशि और प्राप्त प्रतिफल के योग और किसी भी संचयी लाभ या हानि के बीच का अंतर जिसे ऋण लिखतों के लिए अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई थी, को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय देनदारियों

प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय देनदारियों को मान्यता दी जाती है, जब और केवल जब, कंपनी वित्तीय साधन के संविदात्मक प्रावधानों के लिए एक पार्टी बन जाती है। कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर अपनी वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है।

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर और वित्तीय देनदारियों के मामले में एफवीपीएल पर नहीं, सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागतों के मामले में मान्यता दी जाती है।

बाद की माप

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियां जिन्हें एफवीपीएल में नही किया जाता है, बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब देनदारियों को अमान्य कर दिया जाता है, और परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से।

मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय दायित्व को अमान्य कर दिया जाता है जब दायित्व के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। मान्यता समाप्त होने पर, अग्रणीत राशि और भुगतान किए गए प्रतिफल के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.7) वित्तीय आस्तियों की हानि

कंपनी एफवीपीएल में नहीं रखे गए सभी ऋण उपकरणों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के लिए एक भत्ता को मान्यता देती है। ईसीएल अनुबंध के अनुसार देय संविदात्मक नकदी प्रवाह और कंपनी द्वारा प्राप्त होने वाले सभी नकदी प्रवाह के बीच अंतर पर आधारित हैं, जो मूल प्रभावी ब्याज दर के अनुमान पर छूट दी गई है। अपेक्षित नकदी प्रवाह में धारित संपार्श्विक की बिक्री से नकदी प्रवाह या अन्य ऋण संवर्द्धन शामिल होंगे जो संविदात्मक शर्तों के अभिन्न अंग हैं।

ईसीएल को दो चरणों में पहचाना जाता है। क्रेडिट एक्सपोज़र के लिए, जिसके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, ईसीएल को क्रेडिट हानियों के लिए प्रदान किया जाता है जो कि डिफॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप होता है जो अगले 12 महीनों (एक 12–महीने की ईसीएल) के भीतर संभव है। उन क्रेडिट एक्सपोज़र के लिए, जिनके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, डिफॉल्ट के समय (एक आजीवन ईसीएल) के बावजूद, एक्सपोज़र के शेष जीवन में अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए एक हानि भत्ता को मान्यता दी जाती है।

व्यापार प्राप्तियों के लिए, कंपनी ईसीएल की गणना में एक सरलीकृत दृष्टिकोण लागू करती है। इसलिए, कंपनी क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक नहीं करती है, बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते को पहचानती है। कंपनी ने एक प्रावधान मैट्रिक्स की स्थापना की है जो अपने ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव पर आधारित है, जो देनदारों के लिए विशिष्ट दूरंदेशी कारकों और आर्थिक वातावरण के लिए समायोजित है जो देनदारों की भुगतान करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को डिफॉल्ट मानती है जब संविदात्मक भुगतान 180 दिन पहले देय होता है। हालांकि, कुछ मामलों में, कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को डिफॉल्ट रूप से मान सकती है जब आंतरिक या बाहरी जानकारी इंगित करती है कि कंपनी द्वारा धारित किसी भी क्रेडिट वृद्धि को ध्यान में रखने से पहले कंपनी को बकाया संविदात्मक राशियों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने की संभावना नहीं है। एक वित्तीय परिसंपत्ति को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जब संविदात्मक नकदी

प्रवाह की वसूली की कोई उचित अपेक्षा नही होती है।

2.8) अनुबंध संतुलन

अनुबंध संपत्ति

एक अनुबंध परिसंपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक को भुगतान करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन करती है, तो एक अनुबंध परिसंपत्ति को अर्जित प्रतिफल के लिए मान्यता दी जाती है जो कि सशर्त है।

अनुबंध देनदारियां

एक अनुबंध दायित्व एक ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त किया है (या प्रतिफल की राशि देय है)। यदि ग्राहक कंपनी द्वारा ग्राहक को वस्तु या सेवाएं हस्तांतरित करने से पहले प्रतिफल का भुगतान करता है, तो भुगतान किए जाने या भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) एक अनुबंध दायित्व को मान्यता दी जाती है। जब कंपनी अनुबंध के तहत प्रदर्शन करती है तो अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.9) नकद और नकदी के समतुल्य

नकद और नकद समकक्ष में बैंकों और हाथ में नकदी शामिल है और मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

2.10) सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान को प्राप्य के रूप में मान्यता दी जाती है जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि अनुदान प्राप्त किया जाएगा और सभी संलग्न शर्तों का पालन किया जाएगा।

जब अनुदान एक व्यय मद से संबंधित होता है, तो इसे उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके लिए संबंधित लागत, जिसके लिए इसे क्षतिपूर्ति करने का इरादा है, खर्च की जाती है। जब अनुदान एक परिसंपत्ति से संबंधित होता है, तो उचित मूल्य को वित्तीय स्थिति के विवरण पर आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है और संबंधित परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर समान मात्रा में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.11) शेयर पूंजी

साधारण शेयर जारी करने से प्राप्त आय को इक्विटी में शेयर पूंजी के रूप में मान्यता दी जाती है। साधारण शेयरों को जारी करने के कारण सीधे तौर पर होने वाली वृद्धिशील लागतों को शेयर पूंजी के खिलाफ काट दिया जाता है।

2.12) पट्टे

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में मूल्यांकन करती है कि क्या अनुबंध एक पट्टा है या इसमें शामिल है। अर्थात्, यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

पट्टेदार के रूप में

कंपनी कम मूल्य की संपत्ति के अल्पकालिक पट्टों और पट्टों को छोड़कर, सभी पट्टों के लिए एकल मान्यता और माप दृष्टिकोण लागू करती है। कंपनी लीज भुगतान करने के लिए दायित्वों का प्रतिनिधित्व करने वाली लीज देनदारियों को पहचानती है और उपयोग की जाने वाली संपत्तियां अंतर्निहित पट्टे पर दी गई संपत्ति का उपयोग करने के अधिकार का प्रतिनिधित्व करती हैं।

अस्ति उपयोग का अधिकार

कंपनी पट्टे की आरंभ तिथि (अर्थात अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि) पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति को पहचानती है। उपयोग के अधिकार की संपत्ति को लागत पर मापा जाता है, किसी भी संचित मूल्यह्रास और हानि हानियों को कम किया जाता है, और पट्टे की देनदारियों के किसी भी पुनर्माप के लिए समायोजित किया जाता है।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

नकदी प्रवाह का स्टेटमेंट
31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

उपयोग के अधिकार की संपत्ति की लागत में मान्यता प्राप्त लीज़ देनदारियों की राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, और प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए लीज़ भुगतान में से कोई भी लीज प्रोत्साहन प्राप्त होता है। उपयोग की जाने वाली संपत्ति का मूल्यह्रास एक सीधी रेखा के आधार पर पट्टे की अवधि से कम और संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर किया जाता है।

यदि पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर दी गई संपत्ति का स्वामित्व कंपनी को हस्तांतरित हो जाता है या लागत खरीद विकल्प के प्रयोग को दर्शाती है, तो मूल्यह्रास की गणना परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन का उपयोग करके की जाती है। उपयोग के अधिकार की संपत्ति भी हानि के अधीन हैं। हानि के लिए लेखांकन नीति का खुलासा नोट 2.5 में किया गया है।

वित्तीय विवरणों में कंपनी के उपयोग के अधिकार का खुलासा नोट 5 में किया गया है ।

लीज देनदारियां

लीज की शुरुआत की तारीख में, कंपनी लीज अवधि में किए जाने वाले लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापी गई लीज देनदारियों को पहचानती है। लीज भुगतान में निश्चित भुगतान (इन–सबस्टेंस फिक्स्ड पेमेंट्स सहित) किसी भी लीज इंसेंटिव को घटाकर, वैरिएबल लीज पेमेंट्स जो एक इंडेक्स या रेट पर निर्भर करता है, और रकम अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत भुगतान किए जाने की उम्मीद है। लीज भुगतान में कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले खरीद विकल्प के व्यायाम मूल्य और पट्टे को समाप्त करने के लिए दंड के भुगतान भी शामिल हैं, यदि लीज अवधि कंपनी को समाप्त करने के विकल्प का उपयोग करने को दर्शाती है। परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होते हैं, उस अवधि के दौरान व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं (जब तक कि वे इन्वेंट्री का उत्पादन करने के लिए खर्च नही किए जाते हैं) जिस अवधि में भुगतान को ट्रिगर करने वाली घटना या स्थिति होती है।

पट्टा देयताएं (जारी)

लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य की गणना में, कंपनी लीज प्रारंभ तिथि पर अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है क्योंकि लीज में निहित ब्याज दर आसानी से निर्धारित नही होती है। प्रारंभ तिथि के बाद, लीज देनदारियों की राशि ब्याज की वृद्धि को दर्शाने के लिए बढ़ा दी जाती है और लीज भुगतान के लिए कम कर दी जाती है। इसके अलावा, पट्टे की देनदारियों की वहन राशि को फिर से मापा जाता है यदि कोई संशोधन होता है, पट्टे की अवधि में बदलाव, पट्टे के भुगतान में बदलाव (उदाहरण के लिए भविष्य के भुगतान में परिवर्तन एक सूचकांक या दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप होता है जो इस तरह के पट्टे को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है) भुगतान) या अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदने के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन।

कंपनी की लीज देनदारियों का खुलासा नोट 11 में वित्तीय विवरणों में किया गया है।

2.13) राजस्व मान्यता

राजस्व को उस विचार के आधार पर मापा जाता है जिसके लिए कंपनी तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को छोड़कर, ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले हकदार होने की उम्मीद करती है।

राजस्व तब पहचाना जाता है जब कंपनी ग्राहक को एक वादा किए गए अच्छे या सेवा को स्थानांतरित करके एक प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है, जो तब होता है जब ग्राहक अच्छी या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है। एक प्रदर्शन दायित्व एक समय में या समय के साथ संतुष्ट हो सकता है। मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित राशि है।

वस्तुओं की बिक्री

बिक्री को मान्यता दी जाती है जब वस्तुओं का नियंत्रण अपने ग्राहकों को स्थानांतरित कर दिया जाता है (अर्थात समय पर)। अप्रचलन और हानि का जोखिम ग्राहकों को हस्तांतरित कर दिया गया है, और या तो ग्राहकों ने बिक्री अनुबंध के अनुसार माल स्वीकार कर लिया है, स्वीकृति प्रावधान समाप्त हो गए हैं, या कंपनी के पास वस्तुनिष्ठ प्रमाण हैं कि स्वीकृति के सभी मानदंड संतुष्ट हैं। वित्तपोषण का कोई भी तत्व मौजूद नहीं माना जाता है क्योंकि बिक्री 30 से 180 दिनों की क्रेडिट अवधि के साथ की जाती है, जो बाजार अभ्यास के अनुरूप है।

ब्याज आय

आय ब्याज आय एक समय के आधार पर अर्जित की जाती है। बकाया मूलधन और लागू प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में

डैमरेज और प्रेषण आय

विलंब शुल्क और प्रेषण आय को मान्यता दी जाती है यदि इसका अनुमान मज़बूती से लगाया जाता है, और यह संभव है कि इसे प्राप्त किया जाएगा।

2.14) सम्बंधित पार्टी

एक संबंधित पार्टी एक व्यक्ति या संस्था है जो कंपनी से संबंधित है और इसमें शामिल हैं:

(ए) एक व्यक्ति या उस व्यक्ति के परिवार का कोई करीबी सदस्य रिपोर्टिंग इकाई से संबंधित है यदि वह व्यक्ति:

(i) रिपोर्टिंग इकाई पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है;

(ii) रिपोर्टिंग इकाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है; या

(iii) रिपोर्टिंग इकाई या रिपोर्टिंग इकाई के माता–पिता के प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का सदस्य है।

(बी) यदि निम्न में से कोई भी शर्त लागू होती है तो एक इकाई एक रिपोर्टिंग इकाई से संबंधित होती है:

(i) इकाई और रिपोर्टिंग इकाई एक ही समूह के सदस्य हैं (जिसका अर्थ है कि प्रत्येक माता–पिता, सहायक और साथी सहायक अन्य से संबंधित हैं)।

(ii) एक इकाई दूसरी इकाई का सहयोगी या संयुक्त उद्यम है (या किसी समूह के सदस्य का सहयोगी या संयुक्त उद्यम जिसका अन्य इकाई सदस्य है)।

(iii) दोनों संस्थाएं एक ही तीसरे पक्ष के संयुक्त उद्यम हैं।

(iv) एक इकाई तीसरी इकाई का संयुक्त उद्यम है और दूसरी इकाई तीसरी इकाई का सहयोगी है।

(v) इकाई या तो रिपोर्टिंग इकाई या रिपोर्टिंग इकाई से संबंधित इकाई के कर्मचारियों के लाभ के लिए रोजगार के बाद लाभ योजना है। यदि रिपोर्टिंग इकाई स्वयं ऐसी योजना है, तो प्रायोजक नियोक्ता भी रिपोर्टिंग इकाई से संबंधित होते हैं।

(vi) इकाई (ए) में पहचाने गए व्यक्ति द्वारा नियंत्रित या संयुक्त रूप से नियंत्रित होती है।

(vii) (ए) (i) में पहचाने गए व्यक्ति का इकाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव है या वह इकाई के प्रमुख प्रबंधन कर्मियों (या इकाई के माता–पिता) का सदस्य है।

(viii) इकाई, या समूह का कोई भी सदस्य जिसका वह हिस्सा है, रिपोर्टिंग इकाई या रिपोर्टिंग इकाई के माता–पिता को प्रमुख प्रबंधन कर्मियों की सेवाएं प्रदान करता है।

निम्नलिखित आवश्यक रूप से संबंधित पक्ष नहीं हैं:

(a) (ए) दो संस्थाएं केवल इसलिए कि उनके पास एक निदेशक या प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के अन्य सदस्य समान हैं;

(बी) दो उद्यमकर्ता केवल इसलिए कि वे एक संयुक्त उद्यम पर संयुक्त नियंत्रण साझा करते हैं।

प्रमुख प्रबंधन कर्मी वे व्यक्ति होते हैं जिनके पास कंपनी की गतिविधियों की योजना बनाने, निर्देशन और नियंत्रण करने का अधिकार और जिम्मेदारी होती है।

2.15) आयकर

वर्तमान आयकर

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

नकदी प्रवाह का स्टेटमेंट
31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

चालू वर्ष और पूर्व अवधि के लिए वर्तमान आयकर आस्तियों और देनदारियों को उस राशि पर मापा जाता है, जिसकी वसूली या कर प्राधिकरण को भुगतान किए जाने की उम्मीद है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित होते हैं।

वर्तमान आय करों को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि कर लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है, या तो अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में। प्रबंधन समय–समय पर कर रिटर्न में ली गई स्थितियों का मूल्यांकन उन स्थितियों के संबंध में करता है जिनमें लागू कर नियम व्याख्या के अधीन हैं और जहां उपयुक्त हो वहां प्रावधान स्थापित करते हैं ।

आस्थगित कर

आस्थगित कर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधार और उनकी वहन राशियों के बीच रिपोर्टिंग तिथि पर अस्थायी अंतर पर देयता पद्धति का उपयोग करके प्रदान किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है जो उस वर्ष में लागू होने की उम्मीद है जब संपत्ति का एहसास होता है या देयता का निपटारा होता है, कर दरों और कर कानूनों के आधार पर जो प्रत्येक रिपोर्टिंग के अंत तक अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित होते हैं अवधि।

आस्थगित कर संपत्ति और आस्थगित कर देनदारियां ऑफसेट हैं, यदि कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार वर्तमान आयकर देनदारियों के खिलाफ वर्तमान आयकर परिसंपत्तियों को सेट करने के लिए मौजूद है और आस्थगित कर एक ही कर योग्य इकाई और समान कर क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं।

माल और सेवा कर (जीएसटी)

राजस्व, व्यय और संपत्ति को जीएसटी की राशि के अलावा मान्यता प्राप्त है:

जहां संपत्ति या सेवाओं की खरीद पर किया गया जीएसटी कराधान प्राधिकरण से वसूली योग्य नही है, उस स्थिति में जीएसटी को संपत्ति के अधिग्रहण की लागत के हिस्से के रूप में या लागू व्यय मद के हिस्से के रूप में मान्यता दी जाती है; तथा

प्राप्य और देय राशि जो जीएसटी की राशि के साथ बताई गई है, शामिल हैं।

कर प्राधिकरण से वसूली योग्य या देय जीएसटी की शुद्ध राशि को वित्तीय स्थिति के विवरण में प्राप्य या देय राशि के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

2.16) उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत को उस अवधि में लाभ या हानि में पहचाना जाता है जिसमें वे प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके खर्च किए जाते हैं।

2.17 विदेशी मुद्रा लेनदेन और शेष राशि

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा में मापा जाता है और लेनदेन की तारीखों पर निर्णय लेने वालों की विनिमय दरों पर कार्यात्मक मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्ग की मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर विनिमय निर्णय की दर से अनुवादित किया जाता है। गैर–मौद्रिक आइटम जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है, का अनुवाद प्रारंभिक लेनदेन की तारीखों के अनुसार विनिमय दरों का उपयोग करके किया जाता है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौद्रिक मदों के निपटान या मौद्रिक मदों के अनुवाद पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.18) कर्मचारी लाभ

परिभाषित योगदान योजनाएं

कंपनी सिंगापुर में केंद्रीय भविष्य निधि योजना, एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में योगदान करती है। परिभाषित योगदान पेंशन योजनाओं में योगदान को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित सेवा की जाती है। एक बार योगदान का भुगतान करने के बाद कंपनी की कोई और बाध्यता नहीं है।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ दायित्वों को बिना छूट के आधार पर मापा जाता है और संबंधित सेवा प्रदान किए जाने पर इसका विस्तार किया जाता है। भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के लिए एक दायित्व की पहचान की जाती है यदि कंपनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है, और दायित्व का अनुमान मज़बूती से लगाया जा सकता है ।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय और अनुमान

कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। इन अनुमानों और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित परिसंपत्ति या देयता की अग्रणीत राशि के लिए सामग्री समायोजन की आवश्यकता होती है।

3.1) लेखांकन नीतियों को लागू करने में लिए गए निर्णय

प्रबंधन की राय है कि लेखांकन अनुमानों और नीतियों को लागू करने में कोई महत्वपूर्ण निर्णय नही लिया गया है जिससे अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में सामग्री समायोजन करने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है।

3.2) अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

जरिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख मान्यताओं पर नीचे चर्चा की गई है। वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपलब्ध मापदंडों पर कंपनी ने अपनी धारणाओं और अनुमानों को आधारित किया। हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों और भविष्य के विकास के बारे में धारणाएं, बाजार परिवर्तन या कंपनी के नियंत्रण से बाहर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं। इस तरह के परिवर्तन होने पर मान्यताओं में परिलक्षित होते हैं।

व्यापार प्राप्तियों की अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान

कंपनी व्यापार प्राप्तियों के लिए ईसीएल की गणना के लिए एक प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है। प्रावधान दरें विभिन्न ग्राहक खंडों के समूहों के कारण पिछले दिनों पर आधारित होती हैं जिनमें समान हानि पैटर्न होते हैं।

प्रावधान मैट्रिक्स शुरू में कंपनी की ऐतिहासिक अवलोकित डिफॉल्ट दरों पर आधारित है। कंपनी भविष्योन्मुखी जानकारी के साथ ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को समायोजित करने के लिए मैट्रिक्स को कैलिब्रेट करेगी। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों को अद्यतन किया जाता है और भविष्योन्मुखी अनुमानों में परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है।

ऐतिहासिक अवलोकित डिफ़ॉल्ट दरों, पूर्वानुमानित आर्थिक स्थितियों और ईसीएल के बीच सहसंबंध का आकलन एक महत्वपूर्ण अनुमान है। ईसीएल की राशि परिस्थितियों में बदलाव और आर्थिक स्थितियों के पूर्वानुमान के प्रति संवेदनशील है। कंपनी का ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव और आर्थिक स्थितियों का पूर्वानुमान भी भविष्य में ग्राहक के वास्तविक डिफॉल्ट का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। कंपनी के व्यापार प्राप्तियों पर ईसीएल के बारे में जानकारी वित्तीय विवरणों के नोट 21 में प्रकट की गई है। 31 मार्च 2021 को कंपनी के व्यापार प्राप्तियों की वहन राशि यूएस डॉलर 37,978,818 (2020: यूएस डॉलर 17,755,589) थी।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु के उपयोगी जीवन का अनुमान उस समय लगाया जाता है जब संपत्ति अर्जित की जाती है और समान संपत्ति के साथ ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित होती है और प्रत्याशित तकनीकी या अन्य परिवर्तनों

को ध्यान में रखती है। यदि परिवर्तन प्रत्याशित से अधिक तेजी से होते हैं या परिसंपत्ति में अप्रत्याशित स्तर पर टूट–फूट का अनुभव होता है, तो उपयोगी जीवन को तदनुसार समायोजित किया जाएगा। 31 मार्च 2021 को कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की वहन राशि यूएस डॉलर 3,309 (2020: यूएस डॉलर 5,130) थी।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की हानि

कंपनी सालाना आकलन करती है कि क्या संपत्ति, संयंत्र और उपकरण हानि का कोई संकेत प्रदर्शित करते हैं। ऐसे मामलों में जहां हानि के संकेत हैं, संयंत्र और उपकरणों की वसूली योग्य मात्रा का निर्धारण मूल्य–में–उपयोग गणना के आधार पर किया जाएगा। इन गणनाओं के लिए निर्णय और अनुमानों के उपयोग की आवश्यकता होती है। 31 मार्च 2021 को कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की वहन राशि यूएस डॉलर 3,309 (2020: यूएस डॉलर 5,130) थी।

कोविड–19

वैश्विक स्तर पर और सिंगापुर में कोविड–19 महामारी का प्रकोप आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण गड़बड़ी और मंदी का कारण बन रहा है। कंपनी ने निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख तक अपने वित्तीय विवरण के संबंध में विभिन्न अनुमानों को अंतिम रूप देते समय आंतरिक और बाहरी सूचनाओं पर विचार किया है और परिसंपत्तियों, देनदारियों या प्रावधान किया।

हालाँकि, इसकी प्रकृति और अवधि से जुड़ी अनिश्चितताओं को देखते हुए कोविड–19 का प्रभाव मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। कंपनी स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है और भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन के आधार पर उचित कार्रवाई करेगी।

4. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

	लीजहोल्ड सुधार	फर्नीचर और फिटिंग	कम्प्यूटर उपकरण	कार्यालय उपकरण	कुल
	यूएस$	यूएस$	यूएस$	यूएस$	यूएस$
लागत					
1 अप्रैल 2019	121,394	41,200	49,179	26,239	238,012
परिवर्धन	-	-	311	-	311
31 मार्च 2020	121,394	41,200	49,490	26,239	238,323
परिवर्धन	-	-	2,075	-	2,075
31 मार्च 2021	121,394	41,200	51,565	26,239	240,398
संचित मूल्यह्रास					
1 अप्रैल 2019	121,394	40,730	44,083	24,564	230,771
मूल्यह्रास शुल्क	-	157	1,707	558	2,422
31 मार्च 2020	121,394	40,887	45,790	25,122	233,193
मूल्यह्रास शुल्क	-	221	2,837	838	3,896
31 मार्च 2021	121,394	41,108	48,627	25,960	237,089
ले जाने वाली राशि					
31 मार्च 2021	-	92	2,938	279	3,309
31 मार्च 2020	-	313	3,700	1,117	5,130

5. उपयोग का अधिकार संपत्ति

	पट्टे पर दिया कार्यालय यूएस$
लागत	
1 अप्रैल 2019	-
परिवर्धन	175,719
31 मार्च 2020	175,719
परिवर्धन	-
31 मार्च 2021	175,719
संचित मूल्यह्रास	
1 अप्रैल 2019	-
मूल्यह्रास शुल्क	87,860
31 मार्च 2020	87,860
मूल्यह्रास शुल्क	87,859
31 मार्च 2021	175,719
ले जाने वाली राशि	
31 मार्च 2021	-
31 मार्च 2020	87,859

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

नकदी प्रवाह का स्टेटमेंट
31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

6. अन्य परिसंपत्तियां

	2021 यूएस$	2020 यूएस$
गैर वर्तमान		
वापसी योग्य जमा	**27,279**	26,969

अन्य संपत्तियां सिंगापुर डॉलर में मूल्यवर्गित हैं।

7. नकद और नकद समकक्ष

	2021 यूएस$	2020 यूएस$
बैंकों में नकद	**3,033,330**	1,507,534
हाथ में पैसा	**59**	271
सावधि जमा	**8,904,930**	12,631,347
	11,938,319	14,139,152

नकद और नकद समकक्ष निम्नलिखित मुद्राओं में मूल्यवर्गित हैं:

	2021 यूएस$	2020 यूएस$
यू एस डॉलर	**11,916,383**	14,117,472
सिंगापुर डॉलर	**21,936**	21,680
	11,938,319	14,139,152

रिपोर्टिंग तिथि पर, सावधि जमाओं पर 12 महीने (2020:12 महीने) की परिपक्वता तिथियों के साथ 0.50% से 1.10% (2020: 2.10% से 3.00%) प्रति वर्ष की ब्याज दरें होती हैं। भारित औसत प्रभावी ब्याज दर 0.80: (2020: 2.72:) प्रति वर्ष।

रिपोर्टिंग तिथि पर, यूएस$ 8,904,930 (2020: यूएस$ 12,631,347) की सावधि जमा को उधार के लिए दी गई सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा जाता है (नोट 10)।

नकदी प्रवाह का विवरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से, नकद और नकद समकक्ष में निम्नलिखित शामिल हैं:

	2021 यूएस$	2020 यूएस$
नकद और नकद समकक्ष (ऊपर के रूप में)	**11,938,319**	14,139,152
सावधि जमा	**(8,904,930)**	(12,631,347)
नकदी प्रवाह के प्रति विवरण नकद और नकद समकक्ष	**3,033,389**	1,507,805

8. व्यापार और अन्य प्राप्तियां

	2021 यूएस$	2020 यूएस$
व्यापार प्राप्तियां		
अन्य पार्टियां	**37,886,988**	16,124,450
अधिकार वाली कंपनी	**91,830**	1,631,139
	37,978,818	17,755,589
अन्य प्राप्तिया		
सावधि जमा से प्राप्य ब्याज	**53,688**	213,817
अन्य प्राप्तिया	**-**	558,438
जीएसटी प्राप्य	**2,820**	2,738
	56,508	774,993
कुल व्यापार और अन्य प्राप्तियां	**38,035,326**	18,530,582

व्यापार प्राप्य 30 से 180 दिनों (2020: 30 से 180 दिनों) तक के ग्राहकों को दी गई सामान्य व्यापार ऋण शर्तों के भीतर गैर–ब्याज वाले और चुकाने योग्य हैं।
अन्य प्राप्य एक संबंधित कंपनी से देय राशि का प्रतिनिधित्व करता है जो असुरक्षित, ब्याज मुक्त और मांग पर चुकाने योग्य है। व्यापार और अन्य प्राप्तियां निम्नलिखित मुद्राओं में मूल्यवर्गित हैं:

	2021 यूएस$	2021 यूएस$
यू एस डॉलर	**38,032,506**	18,527,844
सिंगापुर डॉलर	**2,820**	2,738
	38,035,326	18,530,582

9. व्यापार और अन्य देनदारियां

	2021 यूएस$	2020 यूएस$
व्यापार देनदारियां		
तीसरे पक्ष	**31,876,249**	1,998,927
अन्य देनदारियां		
एकुअल्स	**124,987**	126,724
अनुबंध देनदारियां	**-**	1,025,115
अधिकार वाली कंपनी (*)	**-**	559,383
	124,987	1,711,222
कुल व्यापार और अन्य देय राशि	**32,001,236**	3,710,149

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

नकदी प्रवाह का स्टेटमेंट
31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

व्यापार देय 30 दिनों (2020: 30 दिनों) के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी गई व्यापार ऋण शर्तों के भीतर गैर–ब्याज वाले और चुकाने योग्य हैं।

होल्डिंग कंपनी को देय राशि असुरक्षित, ब्याज मुक्त और मांग पर चुकाने योग्य है।

(*) भुगतान में देरी के लिए होल्डिंग कंपनी पर उर्वरक विभाग, भारत सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कोई भी ब्याज कंपनी द्वारा वहन किया जाना है।

व्यापार और अन्य भुगतान निम्नलिखित मुद्राओं में मूल्यवर्गित हैं:

	2021	2020
	यूएस$	यूएस$
यूनाइटेड स्टेट डॉलर	**31,876,249**	3,610,071
सिंगापुर डॉलर	**124,987**	100,078
	32,001,236	3,710,149

10. उधारी

	2021	2020
	यूएस$	यूएस$
ट्रस्ट रसीदें	**6,726,484**	8,989,909
अल्पकालिक ऋण	**600,000**	6,599,114
	7,326,484	15,589,023

रिपोर्टिंग तिथि पर ट्रस्ट प्राप्तियां यूएस डॉलर 3,215,834 (2020: यूएस डॉलर 2,039,859) पर रिपोर्टिंग तिथि से 57 दिनों (2020: 15 दिन) की परिपक्वता के साथ प्रति वर्ष 2.38% (2020: 3.34%) की ब्याज दर पर ब्याज दर वहन करती हैं। रिपोर्टिंग तिथि पर शेष ट्रस्ट प्राप्तियां यूएस डॉलर 3,510,650 (2020: यूएस डॉलर 6,950,050) पर रिपोर्टिंग से 14 से 30 दिनों (2020: 14 से 30 दिन) की परिपक्वता के साथ 2.61% (2020: 2.50%) प्रति वर्ष की ब्याज दर वहन करती हैं।

रिपोर्टिंग तिथि पर अल्पकालिक ऋण प्रति वर्ष 2.70% (2020: 3.95%) पर प्रभावी ब्याज दर वहन करता है। शॉर्ट–टर्म लोन की परिप. क्वता अवधि रिपोर्टिंग तिथि से 90 दिनों (2020: 9 से 71 दिन) की होती है।

7,326,484 यूएस डालर (2020: 15,589,023 यूएस डालर) का उधार बैंक द्वारा वित्तपोषित माल और प्राप्य राशियों और कंपनी के यू एस डॉ. 8,904,930 (2020: 12,631,347 यूएस डालर) के नकद और बैंक शेष (नोट 7) पर खाते पर प्रभार के विलेख पर सुरक्षित है।

उधार को यूएस डॉलर में मूल्यवर्गित किया जाता है।

11 लीज देयताएं

एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी के पास कार्यालय के लिए एक पट्टा अनुबंध है। कंपनी को पट्टे पर दी गई संपत्तियों को आवंटित करने और उन्हें उप संविदा देने से प्रतिबंधित किया गया है।

(ए) वर्ष के दौरान लीज देनदारियों और गतिविधियों की अग्रणीत राशि।

	1 अप्रैल 2020	नकदी प्रवाह	गैर–नकद परिवर्तन			31 मार्च 2021
			अधिग्रहण	हितों की वृद्धि	अन्य	
	यूएस$	यूएस$	यूएस$	यूएस$	यूएस$	यूएस$
देयताएं						
वर्तमान	88,966	(90,366)	-	1,400	-	-

	1 अप्रैल 2019	नकदी प्रवाह	गैर–नकद परिवर्तन			31 मार्च 2020
			अधिग्रहण	हितों की वृद्धि	अन्य	
	यूएस$	यूएस$	यूएस$	यूएस$	यूएस$	यूएस$
देयताएं						
वर्तमान	-	(90,631)	175,719	3,878	-	88,966

वित्तीय विवरणों के नोट 21 में पट्टा देनदारियों के परिपक्वता विश्लेषण का खुलासा किया गया है

(बी) लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त राशि निम्नलिखित हैः

	2021 यूएस$	2020 यूएस$
उपयोग के अधिकार की संपत्ति का मूल्यह्रास	**87,859**	87,860
लीज देनदारियों पर ब्याज व्यय	**1,400**	3,878
लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**89,259**	91,738

कंपनी के पास यूएस डॉलर 90,366 (2020: यूएस डॉलर 90,631) की लीज देनदारियों के लिए कुल नकद बहिर्गमन था।

लीज देयता सिंगापुर डॉलर में मूल्यवर्गित है।

12. शेयर पूंजी

	2021	2020	2021	2020
	साधारण शेयरों की संख्या		यूएस$	यूएस$
जारी किए गए और पूरी तरह से भुगतान किए गए साधारण शेयर				
1 अप्रैल और 31 मार्च	1,461,502	1,461,502	1,000,000	1,000,000

साधारण शेयरों के धारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश प्राप्त करने के हकदार होते हैं। सभी साधारण शेयरों में बिना किसी प्रतिबंध के प्रति शेयर एक वोट होता है। साधारण शेयरों का कोई सममूल्य मूल्य नही होता है ।

13. राजस्व आय

	2021 यूएस$	2020 यूएस$
वस्तुओं की बिक्री		
– तीसरे पक्ष	**485,964,133**	320,731,202
– अधिकार वाली कंपनी	**233,988**	12,865,261
	486,198,121	333,596,463

सभी बिक्री एक समय में पहचानी जाती हैं।

14. अन्य आय

	2021 US$	2020 US$
विलंब शुल्क और प्रेषण	**1,515,137**	702,320
बैंक जमा पर ब्याज आय	**183,035**	351,369
तीसरे पक्ष से ब्याज आय	**305,678**	216,281
	488,713	567,650
विविध आय	**66,324**	5,785
	2,070,174	1,275,755

15. कर्मचारी मुआवजा

	2021 US$	2020 US$
निदेशकों का पारिश्रमिक (नोट 19)	**259,430**	258,037
निदेशकों के लाभ (नोट 19)	**145,019**	146,573

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

नकदी प्रवाह का स्टेटमेंट
31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

परिभाषित योगदान योजना में निदेशकों का योगदान केंद्रीय भविष्य निधि और एसडीएल सहित (नोट 19	**17,614**	17,192
कर्मचारियों का वेतन और वेतन	**211,146**	208,809
स्टाफ बोनस	**24,465**	22,657
कर्मचारी कल्याण	**6,374**	14,644
परिभाषित योगदान योजना में नियोक्ता का योगदान केंद्रीय भविष्य निधि और एसडीएल सहित	**28,916**	29,210
	692,964	697,122

16. वित्त लागत

	2021 US$	**2020 US$**
इस पर ब्याज खर्च– उपयोग का अधिकार संपत्ति	**1,400**	3,878
– बिल छूट	**23,412**	-
– अल्पकालिक ऋण	**116,487**	130,590
– ट्रस्ट प्राप्त ब्याज	**344,249**	313,645
	485,548	448,113

17. अन्य खर्चे

	2021 US$	**2020 US$**
स्थानीय वाहन – अन्य	**7,848**	8,010
कार्यालय का व्यय	**17,138**	11,585
व्यावसायिक फीस	**12,579**	12,809
यात्रा खर्च	**-**	8,413
अन्य खर्चे	**28,926**	39,290
	66,491	80,107

18. आयकर खर्च

31 मार्च 2021 और 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आयकर व्यय के प्रमुख घटक इस प्रकार थे:

	2021 यूएस$	**2020 यूएस$**
वर्तमान आयकर		
– वर्तमान सालत	**201,745**	144,964
– पूर्व वर्षों के संबंध में अधिक प्रावधान	**(5,161)**	-
	196,584	144,964

कर व्यय और लेखा लाभ के बीच संबंध

31मार्च 2021 और 2020 को समाप्त वित्तीय वर्षों के लिए लागू कॉर्पोरेट कर की दर से कर व्यय और लेखांकन लाभ के उत्पाद के बीच एक सामंजस्य इस प्रकार था :

	2021 यूएस$	**2020 यूएस$**
कर देने से पूर्व लाभ	**1,314,762**	1,112,065
17% की वैधानिक दर का उपयोग कर आयकर (2020:17%)	**223,510**	189,051
समायोजन:		

– कोई कटौती योग्य खर्च नहीं	**474**	412
– आय कर के अधीन नहीं है	**(8,869)**	-
– आयकर छूट	**(12,789)**	(12,682)
– उपयोग न की गई गैर–मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्ति	**(581)**	(31,817)
– पूर्व वर्षों के संबंध में अधिक प्रावधान	**(5,161)**	-
	196,584	144,964

19. महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन

(ए) वित्तीय विवरणों में कही और प्रकट की गई संबंधित पार्टी की जानकारी के अलावा, कंपनी और उसके संबंधित पक्षों के बीच निम्नलिखित महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन वित्तीय वर्ष के दौरान पार्टियों के बीच सहमत शर्तों पर हुए:

	2021 यूएस$	**2020 यूएस$**
होल्डिंग कंपनी को बिक्री	**233,988**	12,865,261
होल्डिंग कंपनी से खरीदारी	-	15,982,246

(बी) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को दिया गया मुआवजा

	2021 यूएस$	**2020 यूएस$**
वेतन, वेतन और बोनस	**259,430**	258,037
रोजगार के बाद के लाभ – योगदान परिभाषित योगदान योजनाएं	**17,614**	17,192
बेनिफिट इन काईंड	**145,019**	146,573
	422,063	421,802

20. लाभांश

	2021 यूएस$	**2020 यूएस$**
प्रदत्त लाभांश		
चालू वित्तीय वर्ष के संबंध में भुगतान किया गया पहला अंतरिम लाभांश 250 सेंट प्रतिशेयर	**2,500,000**	-
चालू वित्तीय वर्ष के संबंध में भुगतान किया गया दूसरा अंतरिम लाभांश 50 सेंट प्रतिशेयर	**500,000**	-
चालू वित्तीय वर्ष के संबंध में भुगतान किया गया तीसरा अंतरिम लाभांश 90 सेंट प्रतिशेयर	**900,000**	-
	3,900,000	-

21. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की गतिविधियां इसके संचालन से विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों को उजागर करती हैं। प्रमुख वित्तीय जोखिमों में क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम (विदेशी मुद्रा जोखिम सहित) और चलनिधि जोखिम शामिल हैं।

निदेशक इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हैं और सहमत होते हैं, जिन्हें प्रबंधन टीम द्वारा निष्पादित किया जाता है। यह कंपनी की नीति है, और पूरे चालू और पिछले वित्तीय वर्ष में रही है कि सट्टा उद्देश्यों के लिए डेरिवेटिव में कोई व्यापार नहीं किया जाएगा।

निम्नलिखित अनुभाग उपर्युक्त वित्तीय जोखिमों के लिए कंपनी के जोखिम और इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए उद्देश्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में विवरण प्रदान करते हैं।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

नकदी प्रवाह का स्टेटमेंट
31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

इन वित्तीय जोखिमों के प्रति कंपनी के जोखिम में या जिस तरीके से वह जोखिमों का प्रबंधन और माप करता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है।

ऋण जोखिम

क्रेडिट जोखिम उस जोखिम को संदर्भित करता है जो प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों पर चूक करेगा जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को नुकसान होगा। क्रेडिट जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से व्यापार और अन्य प्राप्तियों से उत्पन्न होता है। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (नकद और नकद समकक्षों सहित) के लिए, कंपनी विशेष रूप से उच्च क्रेडिट रेटिंग समकक्षों के साथ व्यवहार करके क्रेडिट जोखिम को कम करती है।

कंपनी ने केवल साख योग्य प्रतिपक्षकारों के साथ व्यवहार करने की नीति अपनाई है। कंपनी अपने प्रतिपक्षकारों की वित्तीय स्थिति का निरंतर क्रेडिट मूल्यांकन करती है और आम तौर पर संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है।

कंपनी परिसंपत्ति की प्रारंभिक मान्यता पर डिफॉल्ट की संभावना पर विचार करती है और क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान निरंतर आधार पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर डिफॉल्ट घटना का निर्धारण किया है जब आंतरिक और/या बाहरी जानकारी इंगित करती है कि वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त होने की संभावना नहीं है, जिसमें 180 दिनों से अधिक के लिए संविदात्मक भुगतान की चूक शामिल हो सकती है या इसमें महत्वपूर्ण कठिनाई हो सकती है प्रतिपक्ष।

क्रेडिट जोखिम (जारी)

क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी ने डिफॉल्ट के जोखिम की डिग्री के अनुसार एक्सपोजर को वर्गीकृत करने के लिए कंपनी के क्रेडिट जोखिम ग्रेडिंग को विकसित और बनाए रखा है। क्रेडिट रेटिंग जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वित्तीय जानकारी और कंपनी के अपने ट्रेडिंग रिकॉर्ड द्वारा अपने प्रमुख ग्राहकों और अन्य देनदारों को रेट करने के लिए प्रदान की जाती है। कंपनी उपलब्ध उचित और सहायक भविष्योन्मुखी जानकारी पर विचार करती है जिसमें निम्नलिखित संकेतक शामिल हैं:

– आंतरिक क्रेडिट रेटिंग

– बाहरी क्रेडिट रेटिंग

– व्यवसाय, वित्तीय या आर्थिक स्थितियों में वास्तविक या अपेक्षित महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन, जिनसे देनदार की अपने दायित्वों को पूरा करने की क्षमता में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की उम्मीद है

– देनदार के परिचालन परिणामों में वास्तविक या अपेक्षित महत्वपूर्ण परिवर्तन

– एक ही देनदार के अन्य वित्तीय साधनों पर ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि

– देनदार के अपेक्षित प्रदर्शन और व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन, समूह में देनदारों की भुगतान स्थिति में परिवर्तन और देनदार के परिचालन परिणामों में परिवर्तन सहित।

उपरोक्त विश्लेषण के बावजूद, ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि को माना जाता है यदि कोई देनदार संविदात्मक भुगतान करने के कारण 90 दिनों से अधिक समय से पहले है।

कंपनी ने निर्धारित किया कि उसकी वित्तीय संपत्ति क्रेडिट–बिगड़ा है जब:

– कर्जदार की है खासी परेशानी

– अनुबंध का उल्लंघन, जैसे कि डिफॉल्ट या पिछले देय घटना

– यह संभव हो रहा है कि देनदार दिवालिएपन या अन्य वित्तीय पुनर्गठन में प्रवेश करेगा

– वित्तीय कठिनाई के कारण उस वित्तीय परिसंपत्ति के लिए एक सक्रिय बाजार गायब हो गया है

कंपनी संभावित राइट–ऑफ के लिए प्राप्य को वर्गीकृत करती है जब कोई देनदार देय 360 दिनों से अधिक समय से संविदात्मक भुगतान करने में विफल रहता है। वित्तीय परिसंपत्तियों को तब बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जब यह संकेत मिलता है कि देनदार गंभीर वित्तीय कठिनाई में है और देनदार के पास वसूली की कोई वास्तविक संभावना नहीं है।

कंपनी के वर्तमान क्रेडिट जोखिम ग्रेडिंग ढांचे में निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं:

श्रेणी	श्रेणी की परिभाषा	अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को पहचानने का आधार(ईसीएल)
I	प्रतिपक्ष के पास डिफॉल्ट का कम जोखिम होता है और उसके पास कोई पिछली देय राशि नहीं होती है।	12 महीने का ईसीएल
II	पिछली राशि 90 दिन पहले देय है या प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	लाइफटाइम ईसीएल – क्रेडिट की हानि नही
III	पिछली राशि झ 180 दिन पहले देय है या इस बात का सबूत है कि परिसंपत्ति क्रेडिट हानि (डिफाल्ट में) की है	लाइफटाइम ईसीएल – क्रेडिट की हानि
IV	इस बात के प्रमाण हैं कि देनदार गंभीर वित्तीय कठिनाई में है और देनदार के पास वसूली की कोई वास्तविक संभावना नही है	राशि बट्टे खाते में डाली जाती है

	नोट	श्रेणी	12–महीने या आजीवन ईसीएल	सकल वहन राशि	हानि भत्ता	शुद्ध वहन राशि
31 मार्च 2021			**यूएस$**	**यूएस$**	**यूएस$**	**यूएस$**
व्यापार प्राप्तियां	8	नोट 1	लाइफटाइम ईसीएल	37,978,818	-	37,978,818
अन्य प्राप्तियां	8	I	12 महीने का ईसीएल	53,688	-	53,688
					-	
31 मार्च 2020						
व्यापार प्राप्तियां	8	नोट 1	लाइफटाइम ईसीएल	17,755,589	-	17,755,589
अन्य प्राप्तियां	8	I	12 महीने का ईसीएल	772,255	-	772,255
					-	

व्यापार प्राप्य (नोट 1)

व्यापार प्राप्तियों के लिए, कंपनी ने आजीवन ईसीएल पर हानि भत्ते को मापने के लिए एफआरएस 109 में सरलीकृत दृष्टिकोण लागू किया है। कंपनी एक प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करके ईसीएल का निर्धारण करती है, जो कि देनदारों की पिछली देय स्थिति के आधार पर ऐतिहासिक क्रेडिट हानि अनुभव के आधार पर अनुमानित है, जिसे वर्तमान स्थितियों और भविष्य की आर्थिक स्थितियों के अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए उपयुक्त के रूप में समायोजित किया गया है। तदनुसार, व्यापार प्राप्तियों का क्रेडिट जोखिम प्रोफाइल प्रावधान मैट्रिक्स के संदर्भ में उनकी पिछली देय स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

कंपनी का मानना है कि सभी प्राप्य ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार और ग्राहकों की साख के आधार पर संग्रहणीय हैं।

अत्यधिक जोखिम एकाग्रता

एकाग्रता तब उत्पन्न होती है जब कई प्रतिपक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियों में लगे होते हैं, या ऐसी आर्थिक विशेषताएं होती हैं जो आर्थिक, राजनीतिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तन से समान रूप से प्रभावित होने वाली संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता का कारण बनती हैं। कंसंट्रेशन किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले विकास के लिए कंपनी के निष्पादन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

क्रेडिट जोखिम के लिए एक्सपोजर

कंपनी के पास तीसरे पक्ष के ग्राहकों के साथ शेष राशि के अलावा अन्य कोई क्रेडिट जोखिम नही है। कंपनी के पास अपने क्रेडिट जोखिम जोखिम को कम करने और कम करने के लिए क्रेडिट नीतियां और प्रक्रियाएं हैं।

अन्य प्राप्तियां

कंपनी ने प्रतिपक्षकारों के नवीनतम प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति का आकलन किया, उद्योग के भविष्य के दृष्टिकोण के लिए समायोजित किया जिसमें प्रतिपक्षी काम करते हैं और निष्कर्ष निकाला है कि वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

नकदी प्रवाह का स्टेटमेंट
31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

उल्लेखनीय वृद्धि नही हुई है। तदनुसार, कंपनी ने 12–महीने के ईसीएल का उपयोग करके हानि हानि को मापा और निर्धारित किया कि ईसीएल महत्वहीन है।

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम जोखिम है कि इस तरह के ब्याज दर और विदेशी विनिमय दरों के रूप में बाजार की कीमतों, में आने वाले बदलाव कंपनी की आय को प्रभावित करेगा है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्रबंधन करने के लिए और स्वीकार्य मापदंडों के भीतर नियंत्रण बाजार जोखिम जोखिम है, जबकि जोखिम पर वापसी के अनुकूलन है।

ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण कंपनी के वित्तीय साधनों के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा। ब्याज दर जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से सावधि जमा और उधार से उत्पन्न होता है।

रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी के ब्याज–असर वाले वित्तीय साधनों की ब्याज दर प्रोफाइल इस प्रकार थी:

परिवर्तनीय दर इंट्रूमेंटस्	2021 यूएस$	2020 यूएस$
वित्तीय संपत्ति	8,904,930	12,631,347
वित्तीय देनदारियों	(7,326,484)	(15,589,023)
	1,578,446	(2,957,676)

कंपनी वित्तीय वर्ष के अंत में ब्याज वाले वित्तीय साधनों पर ब्याज दरों में यथोचित संभावित परिवर्तनों के प्रभावों से उत्पन्न होने वाले कंपनी के लाभ या हानि पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव की उम्मीद नहीं करती है।

रिपोर्टिंग तिथि पर, यदि ब्याज दरें 0.5% (2020: 0.5%) अधिक या कम होती और अन्य सभी चर स्थिर होते, तो कंपनी का कर पूर्व लाभ या हानि यूएस डालर 7,892 अधिक होती (2020: यूएस डालर 14,788 निम्नतर), मुख्य रूप से उच्च या निम्न ब्याज आय या बैंक में फ्लोटिंग रेट कैश और फ्लोटिंग रेट बैंक उधार पर खर्च के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए आधार बिंदुओं में अनुमानित गति वर्तमान में देखे जा सकने वाले बाजार के माहौल पर आधारित है।

विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी की विदेशी मुद्रा जोखिम मुख्य रूप से परिणाम नकद विदेशी मुद्राओं में कमदवउपदंजमक लेनदेन से बहती है। वर्तमान में, कंपनी मुद्रा जोखिम के खिलाफ हेजिंग के लिए कोई औपचारिक नीति नहीं है। कंपनी यह सुनिश्चित है कि शुद्ध जोखिम खरीद या स्थान दरों, जहां आवश्यक हो, अल्पावधि असंतुलन को संबोधित करने पर विदेशी मुद्राओं की बिक्री के द्वारा एक स्वीकार्य स्तर तक रखा जाता है।

कंपनी के पास बिक्री या खरीद से उत्पन्न होने वाले लेन–देन मुद्रा जोखिम हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा, मुख्य रूप से सिंगापुर डॉलर (एसजीडी) के अलावा किसी अन्य मुद्रा में मूल्यवर्गित हैं।

रिपोर्टिंग तिथि पर एसजीडी के प्रति कंपनी का मुद्रा एक्सपोजर इस प्रकार था:

2021	यूएस$ एसजीडी
वित्तीय संपत्ति	
नकद और नकदी के समतुल्य	21,936
व्यापार और अन्य प्राप्तियां	2,820
अन्य परिसंपत्तियां	27,279
	52,035
वित्तीय देनदारियों	
व्यापार और अन्य देनदारियां	124,987
	(124,987)
मुद्रा जोखिम	(72,952)
2020	
वित्तीय संपत्ति	

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

निदेशक का स्टेटमेंट
31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

नकद और नकदी के समतुल्य	21,680
व्यापार और अन्य प्राप्तियां	2,738
अन्य परिसंपत्तियां	26,969
	51,387
वित्तीय देनदारियों	
व्यापार और अन्य देनदारियां	100,078
लीज देनदारियां	88,966
	(189,044)
मुद्रा जोखिम	(137,657)

रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की शेष राशि के मुकाबले यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में 5% की मजबूती से नीचे दिखाई गई राशियों से लाभ या हानि में वृद्धि होगी। यह विश्ले ाण मानता है कि अन्य सभी चर स्थिर रहते हैं।

	लाभ या हानि (कर के बाद)	
	2021	**2020**
	यूएस$	**यूएस$**
सिंगापुर का डॉलर	3,028	5,713

उपरोक्त मुद्राओं के मुकाबले युनाइटेड स्टेट्स डॉलर के 5: कमजोर होने का उपरोक्त मुद्राओं पर ऊपर दिखाई गई राशियों के बराबर लेकिन विपरीत प्रभाव होगा, इस आधार पर कि अन्य सभी चर स्थिर रहते हैं।

तरलता जोखिम

चलनिधि जोखिम से तात्पर्य उस जोखिम से है जो कंपनी को धन की कमी के कारण अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। चलनिधि जोखिम के प्रति कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की परिपक्वता के बेमेल होने से उत्पन्न होता है। इसका प्रबंधन भुगतान और प्राप्ति चक्रों का मिलान करके किया जाता है। कंपनी का उद्देश्य फंडिग की निरंतरता बनाए रखना है। कंपनी संचालन से उत्पन्न धन के माध्यम से अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करती है। निदेशक संतुष्ट हैं कि कंपनी के संचालन के वित्तपोषण के लिए धन उपलब्ध है।

शेष संविदात्मक परिपक्वताओं द्वारा वित्तीय साधनों का विश्लेषण

नीचे दी गई तालिका संविदात्मक बिना छूट वाली चुकौती दायित्वों के आधार पर रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल को सारांशित करती है।

	केरिंग राशि यूएस+	**संविदात्मक नकदी प्रवाह यूएस+**	**एक साल या कम यूएस+**	**एक से पांच साल यूएस+**
2021				
वित्तीय संपत्ति				
अन्य परिसंपत्तियां	27,279	27,279	-	27,279
नकद और नकदी के समतुल्य	11,938,319	11,938,319	11,938,319	-
व्यापार और अन्य प्राप्य (i)	38,032,506	38,032,506	38,032,506	-
कुल बिना छूट वाला वित्तीय संपत्तियां	49,998,104	49,998,104	49,970,825	27,279
वित्तीय देनदारियां				
व्यापार और अन्य देनदारियां (ii)	32,001,236	32,001,236	32,001,236	-
उधारी	7,326,484	7,329,110	7,329,110	-

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

नकदी प्रवाह का स्टेटमेंट
31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

कुल बिना छूट वाला वित्तीय देनदारियों	(39,327,720)	(39,330,346)	(39,330,346)	*
कुल शुद्ध बिना छूट वित्तीय संपत्ति	10,670,384	10,667,758	10,640,479	27,279
2020				
वित्तीय परिसंपत्तियां				
अन्य परिसंपत्तियां	26,969	26,969	-	26,969
नकद और नकदी के समतुल्य	14,139,152	14,352,969	14,352,969	-
व्यापार और अन्य प्राप्य (i)	18,527,844	18,527,844	18,527,844	-
कुल बिना छूट वाला वित्तीय संपत्तियां	32,693,965	32,907,782	32,880,813	26,969
वित्तीय देनदारियां				
व्यापार और अन्य देनदारियां (ii)	2,685,034	2,685,034	2,685,034	-
उधारी	15,589,023	15,602,757	15,602,757	-
लीज देनदारियां	88,966	88,966	88,966	-
कुल बिना छूट वाला वित्तीय देनदारियाँ	(18,363,023)	(18,376,757)	(18,376,757)	-
कुल शुद्ध बिना छूट वित्तीय परिसंपत्तिं	14,330,942	14,531,025	14,504,056	26,969

(i) इन राशियों में जीएसटी प्राप्तियां शामिल नहीं हैं (ii) इन राशियों में अनुबंध देयताएं शामिल नही हैं

22. वित्तीय साधनों का उचित मूल्य

उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियां और देनदारियां

एक वित्तीय साधन का उचित मूल्य वह राशि है जिस पर साधन का आदान–प्रदान किया जा सकता है या जानकार और इच्छुक पार्टियों के बीच एक हाथ की लंबाई के लेन–देन में, एक मजबूर या परिसमापन बिक्री के अलावा।

वित्तीय साधनों के प्रत्येक वर्ग के उचित मूल्य का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए उस मूल्य का अनुमान लगाना व्यावहारिक है।

नकद और नकद समकक्ष, अन्य प्राप्य, अन्य देय राशि

इन शेष राशियों की वहन राशि इन शेष राशियों की अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों का अनुमान लगाती है।

व्यापार प्राप्य और व्यापार देय राशि

इन प्राप्य और देय राशियों की वहन राशि उनके उचित मूल्यों का अनुमान लगाती है क्योंकि वे सामान्य व्यापार ऋण शर्तों के अधीन हैं।

उधार और लीज देनदारियां

उधार और लीज देनदारियों की वहन राशि उनके उचित मूल्यों का अनुमान लगाती है क्योंकि वे वित्तीय संस्थानों के साथ समान व्यवस्था के लिए ब्याज की बाजार दर के करीब ब्याज दरों के अधीन हैं।

23. पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह अपने व्यवसाय का समर्थन करने और शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करने के लिए एक मजबूत क्रेडिट रेटिंग और शुद्ध वर्तमान संपत्ति की स्थिति बनाए रखे। कंपनी की पूंजी संरचना में जारी शेयर पूंजी और प्रतिधारित आय शामिल है।

कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों में बदलाव के आलोक में उसमें समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान को समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी वापस कर सकती है या नए शेयर जारी कर सकती है। कंपनी किसी बाहरी रूप से लगाई गई पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है। 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्षों के दौरान उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया।

24. श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन

रिपोर्टिंग तिथि पर, परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की कुल अग्रणीत राशि इस प्रकार थी:

	2021 यूएस$	2020 यूएस$
परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां		
अन्य परिसंपत्तियां	27,279	26,969
नकद और नकदी के समतुल्य	11,938,319	14,139,152
व्यापार और अन्य प्राप्य (i)	38,032,506	18,527,844
	49,998,104	32,693,965
परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय देनदारियां		
व्यापार और अन्य देनदारियां (ii)	32,001,236	2,685,034
उधारी	7,326,484	15,589,023
लीज देनदारियां	-	88,966
	39,327,720	18,363,023

(i) इन राशियों में जीएसटी प्राप्तियां शामिल नहीं हैं

(ii) इन राशियों में अनुबंध देयताएं शामिल नहीं हैं

25. रिपोर्टिंग अवधि के बाद होने वाली घटनाएं

1 अप्रैल 2021 को, कंपनी ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कुल 2,000,000 यूएस डालर की राशि के लिए 2 यूएस डालर प्रति शेयर के अंतिम छूट (एक–स्तरीय) लाभांश की घोषणा की। ये वित्तीय विवरण इस लाभांश को नहीं दर्शाते हैं, जो होगा 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में किया गया।

26. अंक के लिए वित्तीय विवरणों के प्राधिकरण

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी के निदेशक मंडल के एक संकल्प के अनुसार निदेशकों के वक्तव्य की तारीख के अनुसार जारी करने के लिए अधिकृत थे।

एमएमटीसी लिमिटेड

31 मार्च, 2021 को समाप्त समेकित वित्तीय वर्ष के लिए

वित्तीय विवरण

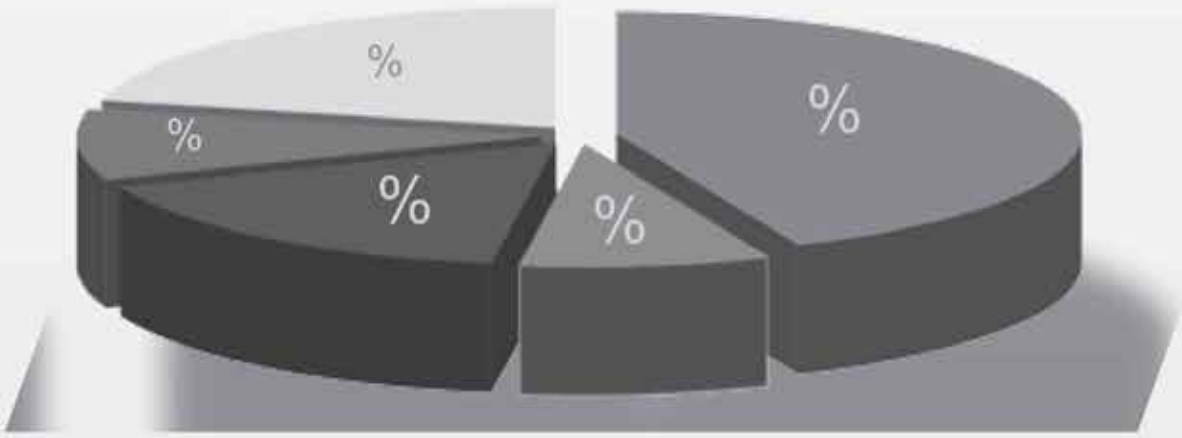

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्या: एएमजी-I/8(19)/वार्षिक खाता/ सीएफ़एस
एमएमटीसी(2020-21)/2021-22/378-79
दिनांक: 29 DEC 2021

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
एमएमटीसी लिमिटेड,
कोर 1, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.

विषय : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के साथ धारा 129 (4) के अधीन 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वार्षिक वित्तीय लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के साथ धारा 129 (4) के अधीन 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वार्षिक वित्तीय लेखों (Consolidated Financial Statements) पर उपरोक्त विषय संबंधित संलगन पत्र अग्रेषित है।

At Sl. No. 3 of Emphasis of Matter paragraph in Independent Auditor's Report on Consolidated Financial Statements, the amount of Deferred Tax Assets has been mentioned as ₹ 330.69 instead of ₹ 30.69 crore. The same needs to be corrected at the time of printing of Annual Report of MMTC.

भवदीया,

Vidhu Sood

(विधु सूद)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत एमएमटीसी लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर धारा के तहत निर्धारित अंकेक्षण पर मानकों के अनुसार राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा 27 अक्टूबर 2021 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट अधिनियम 1430(10) के द्वारा बताया गया है।

1, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखा परीक्षा आयोजित की है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षक के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहता हूं जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं। संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट:

ए. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

ए.1 परिसंपत्तियां

ए.1.1निवेश (नोट 6) बिक्री के लिए धारित गैर–वर्तमान निवेश (नोट 6 सी): 7.84 करोड़ रुपए

ऊपर में इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज (आईसीईएक्स) में 16 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है, जिसके खिलाफ कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2019–20 में 8–16 करोड़ रुपए (आईसीईएक्स की शेयर पूंजी में संचित नुकसान के अनुपात को ध्यान में रखते हुए, जो लगभग 51 प्रतिशत था) का प्रावधान किया गया था। यह देखा गया कि 31 मार्च 2021 को आईसीईएक्स की शेयर पूंजी में संचित हानियों का अनुपात बढ़कर 61 प्रतिशत हो गया है, हालांकि, कंपनी ने 1.60 करोड़ रुपए की राशि का अतिरिक्त प्रावधान नही किया है, जो कि कंपनी के स्वयं के लेखांकन व्यवहार के विरुद्ध है, जिसका पिछले वर्षों में पालन किया गया था।

इसके परिणामस्वरूप बिक्री के लिए धारित गैर–वर्तमान निवेशों को अधिक बताया गया है और हानि को 1.60 करोड़ रुपए से कम बताया गया है।

ए.1.2 आस्थगित कर परिसंपत्तियां (नोट 10): 555.44 करोड़ रुपए

उपरोक्त में 31.03.2021 को नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) से प्राप्य के रूप में कंपनी द्वारा निर्धारित 946.33 करोड़ रुपए की संभावित आय पर सृजित 330.69 करोड़ रुपए की आस्थगित कर परिसंपत्तियां (डीटीए) शामिल हैं। हालांकि कंपनी ने वित्त वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए प्राप्य ब्याज को इसकी प्राप्ति की अनिश्चितता के कारण मान्यता नहीं दी। हालांकि, डीटीए के निर्माण के लिए इसे निश्चित माना गया। इसके अलावा, डीटीए के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2021–22 के लिए ब्याज पर भी विचार किया गया था जो न केवल कंपनी द्वारा उठाए गए कदम के खिलाफ था बल्कि एनआईएनएल से प्राप्य आय अनिश्चित है बल्कि आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के खिलाफ भी है।

इसके परिणामस्वरूप आस्थगित कर आस्तियों को अधिक बताया गया और हानि को 330.69 करोड़ रुपए से कम बताया गया।

ए.1.3 अन्य वित्तीय परिसंपतियां (नोट 9)

अन्य अग्रिम (गैर चालू): 8.78 करोड़ रुपए

ऊपर में कंपनी द्वारा किए गए प्रावधान 25 से अधिक वर्षों से विभिन्न पार्टियों से वसूली योग्य दर्शाई गई 0.21 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। ये मामले बहुत पुराने हैं और कंपनी के पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और वसूली की संभावना भी बहुत कम है। इस प्रकार, उपरोक्त राशि को 31.03.2021 तक बही–खातों के बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था। पिछले वर्ष कंपनी द्वारा उपरोक्त अवलोकन पर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी ऐसा करने में विफल रही है। इसके परिणामस्वरूप अन्य अग्रिमों को 0.21 करोड़ रुपए से अधिक बताया गया है और परिणामस्वरूप उसी राशि से खराब और संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ते को कम बताया गया है।

ए 2 इक्विटी और देयता

ए. 2.1 प्रावधान–वर्तमान (नोट सं. 20 बी)

ए.2.1.1 अन्य मुकदमेबाजी निपटान के लिए प्रावधानः 881.81 करोड़ रुपए

उपरोक्त में मैसर्स एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीई लिमिटेड के साथ विवादित मामले की मध्यस्थता पूर्व अवधि के लिए देय 103.11 करोड़ रुपए के ब्याज के प्रावधान शामिल नहीं हैं।

कंपनी ने मेसर्स एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल के साथ पीटीई. लिमिटेड (आपूर्तिकर्ता) को 466000 मीट्रिक टन कोकिंग कोल उठाने के लिए (मार्च 2007) एक अनुबंध किया। हालांकि, कंपनी ने अनुबंधित मात्रा नहीं उठाई और आपूर्तिकर्ता ने सितंबर 2012 में मध्यस्थता का आह्वान किया। मामला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय (आईए) में चला गया और आपूर्तिकर्ता के पक्ष में निर्णय लिया गया और कंपनी को 78,720,414,92 अमरीकी डालर का भुगतान करने का निर्देश दिया जिसके साथ पूर्व अवार्ड–पूर्व ब्याज 7.5 प्रतिशत और अवार्ड की तारीख से भुगतान की तारीख तक भविष्य ब्याज 15 प्रतिशत की दर से भुगतान शामिल है।

मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट (एससी) में चला गया और आइए के अवार्ड को एससी द्वारा 17 दिसंबर 2020 के आदेश के तहत बरकरार रखा गया था। कंपनी ने (16 जनवरी 2021) एक समीक्षा याचिका दायर की और एससी ने आदेश दिया (29 जुलाई 2021) कि अवार्ड के बड़े ब्याज घटक को देखते हुए, पेंडेंट लाइट और भविष्य के ब्याज को 6 प्रतिशत साधारण ब्याज तक कम किया जा सकता है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पूर्व–मध्यस्थता अवधि के लिए ब्याज के बारे में कुछ नही कहा, जिसका अर्थ है कि आई.ए. द्वारा तय की गई पूर्व–मध्यस्थता अवधि के लिए ब्याज दर अच्छी है। तथापि कंपनी ने पूर्व–मध्यस्थता अवधि के लिए देय ब्याज के लिए कोई प्रावधान नही किया और एससी से स्पष्टीकरण (अक्टूबर 2021) मांगा है। कंपनी ने आकस्मिक देनदारियों के तहत संपूर्ण पूर्व–मध्यस्थता ब्याज दिखाया है। लेखापरीक्षा का विचार है कि लेखांकन के रूढ़िवादी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय विवरणों में कम से कम 6 प्रतिशत के बराबर प्रावधान किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार पूर्व–मध्यस्थता अवधि के लिए ब्याज प्रदान न करने के परिणामस्वरूप प्रावधान और हानि 103.11 करोड़ रू. कम हो गई है। इसके परिणामस्वरूप आकस्मिक देनदारियों को 103.11 करोड़ से अधिक बताया गया है।

ए.2.1.2 बोनस/निश्पादन संबंधित वेतनः 17.84 करोड़ रू.

उपरोक्त में निष्पादन संबंधित वेतन (पीआरपी) के लिए 17.08 करोड़ का प्रावधान शामिल है, जिसमें से 13.99 करोड़ रू. वित्त वर्ष 2017–18 और 2018–19 से संबंधित हैं और 3.09 करोड़ अतिरिक्त प्रावधान पहले के वर्षों में बुक किए गए हैं। कंपनी ने पीआरपी पर पहुंचने के लिए 2017–18 और 2018–19 के दौरान अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) से प्राप्य ब्याज बुक किया था, जबकि कंपनी वास्तव में नकद आधार पर लाभ नही कमा रही थी, एक तथ्य जिसे कंपनी ने उप मुख्य श्रम आयुक्त को अपने जवाब (मार्च 2021) में और वाणिज्य विभाग से स्पष्टीकरण (दिसंबर 2020) की मांग करते हुए द्वारा स्वीकार किया गया था।

इसके अलावा, पीआरपी के उद्देश्य के लिए जेवी कंपनी से प्राप्य ब्याज पर विचार करना भी डीपीई दिशानिर्देशों (18 सितंबर 2013) का उल्लंघन है जो अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्धारित करता है कि, "पीआरपी को सीपीएसई की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों से अर्जित लाभ के आधार पर वितरित किया जा सकता है।" इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए पीआरपी को निदेशकों की पारिश्रमिक समिति द्वारा अनुमोदित नही किया गया था, और अत्यधिक नकदी संकट को देखते हुए, कंपनी पीआरपी की सिफारिश करने की स्थिति में नहीं है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कंपनी ने पीआरपी की वसूली भी शुरू कर दी है, पीआरपी के लिए बनाई गई लाइन को भी उलट दिया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप प्रावधान और हानि को 17.08 करोड़ से अधिक बताया गया है।

ए.2.1.3 प्रावधान – चालू (नोट संख्या 20 बी): 926.97 करोड़ रू.

ऊपरोक्त में वित्त वर्ष 2020–21 के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ ट्रस्ट (ट्रस्ट) को देय रू. 0.14 करोड़ रू. शामिल नही है। कंपनी के निदेशक मंडल (411वीं बैठक) ने कंपनी के पास निहित निधि की राशि पर सालाना तीन साल की सावधि जमा के लिए स्वीकार्य दर पर ब्याज के बदले अतिरिक्त योगदान को मंजूरी दी। तदनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए ट्रस्ट को 6.75 प्रतिशत और 3.70 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त योगदान प्रदान किया। हालांकि, कंपनी ने ट्रस्ट को देय शुद्ध राशि पर वित्त वर्ष 2020–21 के लिए अतिरिक्त योगदान नही दिया।

इसके परिणामस्वरूप प्रावधान और हानि को 0.14 करोड़ से कम बताया गया है।

ए.2.2 व्यापार देय (नोट संख्या 18): रू 998.17 करोड़

उपरोक्त में 10 वर्षो से अधिक समय से भुगतान के लिए लंबित दो विदेशी पार्टियों को देय 6.32 करोड़ की राशि शामिल है। चूंकि, सीमा–कानून यह निर्धारित करता है कि पार्टियां तीन साल के बाद राशि का दावा नही कर सकती हैं, इसे रिटन बैक किया जाना चाहिए। पिछले वर्ष

कंपनी द्वारा इसे वापस लिए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, इसके बावजूद, कंपनी वित्त वर्ष 2020–21 में ऐसा करने में विफल रही है।

इसके परिणामस्वरूप व्यापार प्रप्य और हानि को 6.32 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।

ए.2.3अन्य वर्तमान देयताएं (नोट संख्या 21)

अन्य–1.11 करोड़

(i) उपरोक्त में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के दावों के लिए 0.49 करोड़ का प्रावधान शामिल नही है। कंपनी ने 0.49 करोड़ रू. मूल्य के एफसीआई के तीन दावों को स्वीकार किया जिसमें अर्जित प्रेषण (2006–08), लिक्विडटी हानि (2006–08) और शुद्ध स्लिंग शुल्क (1994–95) के दावे शामिल हैं। एफसीआई ने सेंट्रल पूल स्टॉक से गेहूं निर्यात के संबंध में 92.18 करोड़, देरी से भुगतान के लिए ब्याज, बोरियों की लागत, भंडारण शुल्क आदि, का कंपनी से दावा किया है और सीपीएसई के विवादों (एएमआरसीडी) के निवारण के लिए प्रशासनिक मशीनरी में इस मुद्दे को उठाया। एएमआरसीडी ने कंपनी और एफसीआई को विवादित मामले को सुलझाने का निर्देश दिया (मई 2020) और सुलह के दौरान, कंपनी ने 0.49 करोड़ के तीन दावों को स्वीकार कर लिया। हालांकि, कंपनी द्वारा इसके लिए कोई प्रावधान नही किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप अन्य वर्तमान देनदारियों और हानियों को 0.49 करोड़ से कम बताया गया है।

(ii) उपरोक्त में मार्च 2021 के महीने के लिए देय स्कोप कॉम्प्लेक्स के बिजली शुल्क के लिए 0.13 करोड़ का प्रावधान शामिल नहीं है। चूंकि इसके लिए बीजक जून 2021 में खातों को अंतिम रूप देने (अक्टूबर 2021) से काफी पहले प्राप्त किया गया था, वित्त वर्ष 2020–21 के खातों में राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी।

इसके परिणामस्वरूप अन्य वर्तमान देनदारियों और हानियों को 0.13 करोड़ रू. से कम बताया गया है।

ए.3 असाधारण आइटम – व्यय (नोट संख्या 32): 877.18 करोड़

उपरोक्त में एमएमटीसी कर्मचारी कॉआपरेटिव कैंटीन सोसाइटी के दो कर्मचारियों के टर्मिनल बकाया के लिए 0.16 करोड़ का प्रावधान शामिल नहीं है, जिन्हें कंपनी द्वारा मार्च 2016 में समाप्त कर दिया गया था। कंपनी द्वारा टर्मिनल देय राशि का भुगतान स्वीकार किया गया था।

इसके परिणामस्वरूप असाधारण मदों और हानि को रू. 0.16 करोड़ कम बताया गया है।

बी. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

आकस्मिक देयताएं और प्रकटीकरण (नोट संख्या 34): 942.61 करोड़

(i) उपरोक्त में संपदा अधिकारी, कोलकाता द्वारा पारित आदेश के अनुसार एनआईसी भवन के बकाया किराए और ब्याज के कारण 7.29 करोड़ की आकस्मिक देनदारी शामिल नहीं है, जिसमें कंपनी को अप्रैल 2014 से अप्रैल 2019 की अवधि के लिए भवन पर अनधिकृत के लिए कब्जा करने पर नेशनल इंशोरंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल) को राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। कंपनी ने, उपरोक्त आदेशों के खिलाफ, सिटी सिविल कोर्ट, कोलकाता के समक्ष एक अपील दायर की और जहां संपदा अधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी गई, जिसके खिलाफ एनआईसीएल ने माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के समक्ष मुख्य न्यायाधीश, सिटी सिविल कोर्ट, कोलकाता द्वारा पारित आदेश के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की है, मामला अभी भी लंबित है और सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं है और विचाराधीन है, इसलिए इसे आकस्मिक देयताओं के तहत दिखाया जाना चाहिए।

(ii) नोट संख्या 3 (सी) की ओर ध्यान दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि, एमएमटीसी की अचल संपत्तियों का मूल्यांकन किया गया है और नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 31.03.2021 को उचित मूल्य 1642 करोड़ है, जो पिछले मई 2019 में यह 1389 करोड़ रू. था। (नोट 32 (ii) देखें)। हालांकि, यह देखा गया कि नोट 32 (ii) में मूल्यांकन के संबंध में ऐसा कोई विवरण नहीं है। इस प्रकार, लेखे की टिप्पणियाँ उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण हैं।

(iii) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल प्रा. लिमिटेड की निष्पादन याचिका पर सुनवाई के बाद कंपनी को उक्त आदेश की तिथि से दो माह के भीतर 585.94 करोड़ रू. जमा करने का निर्देश दिया (मार्च 2021)। वित्तीय संकट के कारण, कंपनी आदेश का पालन नहीं कर सकी। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 27.08.2021 को 1.02 करोड़ रू. की राशि के दो बैंक खातों को कुर्क करने का आदेश पारित किया।

रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं पर इंडस्ट्रीज एएस–10 के अनुसार एक इकाई को रिपोर्टिंग अवधि के बाद प्राप्त जानकारी को दर्शाने के लिए अपने वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण को अद्यतन करने की आवश्यकता होती है, भले ही जानकारी अपने वित्तीय विवरणों में शामिल की गई राशि को प्रभावित न करे।

हालाँकि, कंपनी ने उपरोक्त तथ्य को लेखों की टिप्पणियों में प्रकट नहीं किया है और इस प्रकार, लेखे की टिप्पणियाँ उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण हैं।

सी. समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

(i) क्र.सं. 1 पर सांविधिक लेखा परीक्षक (पैरा की ऑडिट मैटर्स के तहत) ने कहा है कि कंपनी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जबकि 31.03.2021 को कंपनी के छह क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनका सामान्य सूचना के तहत भी वित्तीय विवरण में खुलासा किया गया है। इसलिए, स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्टिंग उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है।

(ii) उपरोक्त टिप्पणियों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के लिए हानि (789.28 करोड़) जैसा कि कंपनी के लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया गया है, 52.34 प्रतिशत बढ़कर 1202.41 करोड़ रू. तक पहुंच जाएगा। इसलिए, कंपनी के वित्तीय विवरण 'सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण' प्रस्तुत नहीं करते हैं और स्वतंत्र लेखा परीक्षक की ओर से यह आश्वासन देना उचित नहीं था कि वित्तीय विवरण एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

हस्ता./–
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए
और उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 29.12.2021

अनुलग्नक–ए

एमएमटीसी लिमिटेड के संयुक्त उद्यम / एसोशिएट का विवण

क्र. सं.	कंपनी का नाम	जेवी/सहायक	स्थिति
1	एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	प्राईवेट कंपनी
2	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	प्राइवेट कंपनी
3	सिकाल आयरन और टर्मिनल लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	प्राइवेट कंपनी
4	टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	प्राइवेट कंपनी
5	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	प्राइवेट कंपनी
6	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि.	सहायक कंपनी	विदेश में निगमित

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एमएमटीसी लिमिटेड के सदस्यों को

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

राय

हमने एमएमटीसी लिमिटेड (इसके बाद होल्डिंग कंपनी के रूप में संदर्भित) और इसकी सहायक कंपनी (होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनी में और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी में एक साथ "समूह" के रूप में संदर्भित किया गया है) जिसमें 31 मार्च, 2021 तक बैलेंस शीट, लाभ व हानि के समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय को शामिल करना) और नकदी प्रवाह का समेकित विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन और अन्य खोजपूर्ण जानकारी का सारांश सहित और समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां शामिल हैं। अब से ऐसे "समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों के रूप में संदर्भित किया गया हैं ।

हमारी राय में हमारी सबसे अधिक जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा आवश्यक जानकारी को पूर्वावत समेकित वित्तीय विवरणों में इस तरह से तैयार किया गया है और इसके अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया गया है जो भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार मार्च 31, 2021 में समेकित नुकसान और इसकी कुल व्यापक आय (शुद्ध हानि और कुल व्यापक नुकसान को मिलाकर) के रूप में समूह के मामले की समेकित स्थिति और वर्षान्त में सकल नकद प्रवाह को दर्शाता है

मामलों पर विशेष बल

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग (एसएज) के अनुरूप हमने लेखापरीक्षा की है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के सेक्शन की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों के दायित्व में और आगे वर्णित किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अधीन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित नीतिपूरक आवश्यकताओं के साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं। इसके अतिरिक्त हमने इन आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य नीतिपरक दायित्वों एवं नीति संहिता का पालन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए पर्याप्त एवं समुचित आधार प्रस्तुत करते हैं।

मामलों पर विशेष बल

1. हम 1.10.2009 से 24.09.2012 की अवधि के लिए एंग्लो कोल के लिए 128.89 करोड़ रुपये की राशि के पूर्व–पुरस्कार ब्याज के संबंध में समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरणों पर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी की राय है कि एंग्लो कोल को पूर्व–मध्यस्थता ब्याज उल्लिखित अवधि के लिए देय नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 29.07.2021 के अनुसार केवल पेंडेंट लाइट और भविष्य का ब्याज 6 प्रतिशत साधारण ब्याज पर देय होगा।

2. तीन संयुक्त उद्यमों नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड और एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड के वित्तीय विवरण कंपनी को 2020–21 के लिए फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर प्राप्त नहीं हुए हैं अपितु फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड और सिकल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड, जो कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में इन संयुक्त उद्यमों (फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड और सिकल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड सहित) में निवेश पूरी तरह से प्रभावित हुआ है।

3. हम समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरणों के नोट नंबर 10 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी ने ब्याज आय (वित्तीय वर्ष 2019–20,2020–21 और 2021.21 से) तक सीमित नुकसान पर 330.69 रुपये की आस्थगित कर संपत्ति बनाई है– 22) जो एनआईएनएल की विनिवेश आय के माध्यम से वसूल की जानी है।

4. एमएमटीसी नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) के साथ कुल 3987.58 करोड रुपये (इक्विटी निवेश सहित) का निवेश कर रहा है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 8 जनवरी, 2020 को एमएमटीसी और अन्य केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा आयोजित इक्विटी निवेश के रणनीतिक विनिवेश और बाद में "दीपम" द्वारा विनिवेश पर विभिन्न बैठकों के लिए "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान किया है। प्रबंधन ने माना है कि एनआईएनएल को निवेश और अग्रिम में किसी प्रकार की क्षति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एनआईएनएल से देय पूर्ण बकाया राशि विनिवेश से प्राप्त राशि से वसूल की जाएगी।

5. हम ऋणों के पुनर्गठन के संबंध में समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 17 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां ऋणदाता बैंकों के साथ यह सहमति हुई है कि ऋण और ब्याज की बकाया राशि 31.03.2022 तक चुका दी जाएगी, जिसे एनआईएनएल की विनिवेश आय के माध्यम से वसूल किया जाना है!

6. हम बयानों के नोट संख्या 51 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो कंपनी के संचालन और वित्तीय मामलों पर वैश्विक महामारी कोविड–19 के प्रभाव का वर्णन करता है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नही किया गया है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले ऐसे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक विचार से वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्व के हैं। इन मामलों को वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा तथा इन पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में पूर्ण रूप से शामिल किया गया है। इन मामलों पर हम अलग से अपनी राय नहीं देते ।

क्र.सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामला	लेखा परीक्षकों का उत्तर
1.	दावों पर नोट संख्यां 34 का संदर्भ लें जिसमें लम्बित विधिक मामलों के लिए इनमें सम्मिलित दावों को ऋण के रूप में नही पहचाना गया है। विभिन्न निर्णायक प्राधिकरणों के समक्ष बहुत अधिक संख्या में मामले लम्बित हैं । इन विधिक मामलों में विवादों के संभावित परिणामों का निर्धारण करने के लिए तथा स्वतंत्र विधिक निर्धारण हेतु मामलों की पूछताछ करना शामिल है। व्यापारिक कार्यकलापों के साथ–साथ विशेष कार्यकलापों की एकाउंटिंग के लिए होल्डिंग कंपनी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय तथा विभिन्न प्रभाग हैं। तथापि, अनेक मामलों में विधिक मामले कारपोरेट कार्यालय स्तर पर देखे जाते हैं जबकि संबंधित वित्तीय सूचनाएं/लेन–देन क्षे.का. स्तर पर देखे जाते हैं। ऐसे लेनदेनों को व्यापक एवं सम्पूर्ण व्यवहार देने में कठिनाईयां होती हैं।	हमने दिनांक 31 मार्च 2021 को कारपोरेट कार्यालय के विधि प्रभाग द्वारा हैंडल किए जा रहे सभी लम्बित विधिक मामलों की सूची के साथ साथ विगत वर्ष की तुलना में मामलों की स्थिति में परिवर्तनों पर प्रबंधतंत्र से एक नोट भी प्राप्त किया है। प्रबंधतंत्र द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के प्रभाव पर हमने विचार किया है तथा कंपनी के वित्तीय दायित्वों के प्रभाव का भी विश्लेषण किया है। वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग में स्पष्टता लाने के लिए प्रबंधतंत्र को सुझाव दिया गया कि विधिक मामलों तथा वित्तीय दायित्वों, यदि कोई हो तो, को एक स्थान पर रखा जाए।
2.	2. नोट सं. ।।बी का संज्ञान लें, जिसमें संबंधित पार्टियों का अग्रिम शामिल है, जिसमें एनआईएनएल को दिया गया ऋण/अग्रिम वर्ष के दौरान आय नहीं माना गया है ।	मामले के महत्व को देखते हुए हमने इस क्षेत्र में दूसरों के बीच निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं को लागू किया, ताकि पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त हो सके। हमने ब्याज की वसूली की संभावना के तहत प्रबंधन के साथ मामले पर चर्चा की। इंडएएस 115 राजस्व मान्यता की भांतीं में कंपनी की राजस्व मान्यता नीति और उसके अनुपालन की उपयुक्तता को माना। वित्तीय विवरणों में किए गए प्रासंगिक खुलासों को आंकलन किया गया ।
3.	3 सहायक और संयुक्त उद्यमों में निवेश में हानि का आंकलन (संदर्भ नोट सं. 6) 31 मार्च, 2021 को कंपनी के पास गैर–चालू और वर्तमान निवेश है ।	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल है, लेकिन हम निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं– प्रबंधन प्रकिया की प्राप्ति और समझ। हानि संकेतो के संबंध में प्रबंधन के साथ बड़े पैमाने पर चर्चा की और नियंत्रण के डिजाईन और परीक्षण संचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया। निवेश की पुनः प्राप्ति का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्य–प्रणाली को स्वीकार किया और यह सुनिश्चित किया कि यह लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप है ।
4.	एंगलो कोल के प्रावधान पर नोट संख्या 32 देखें।	मामले के महत्व को देखते हुए हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा को लागू किया: एंगलो कोल के मामले के संबंध में प्रासंगिक दस्तावेजों को प्राप्त करना और समझना। संभवित प्रभाव के संबंध में प्रबंधन के साथ चर्चा की और जैसा कि वित्तीय विवरण में दिखाया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप समूह तथा इसके संयुक्त उदयमों की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन तथा रोकड़ प्रवाह की सत्य एवं सही स्थिति दर्शाने वाले समेकित वित्तीय विवरणों को बनाने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013(अधिनियम) की अपेक्षाओं के अनुसार समूह तथा इसके संयुक्त उदयमों की होल्डिंग

कंपनी के निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे पर्याप्त रिकार्ड का रखरखाव शामिल है जो आवश्यक है समूह तथा इसके संयुक्त उद्यमों की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी रोकने तथा धोखाधड़ी व अनियमित्ताओं का पता लगाने, उचित लेखा नीतियों का चयन करने तथा उनको अपनाने, ऐसे निर्णय लेने तथा आंकलन करने जो तर्कसंगत तथा उचित हो, ऐसा पर्याप्त अंतरिम वित्तीय नियंत्रण तैयार करने, लागू करने जो लेखा रिकार्ड एक्युरेसी तथा पूर्णतया को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करते हों, ऐसे समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने तथा प्रस्तुत करने जो लेखों की सही तथा सत्य स्थिति प्रस्तुत करते हों तथा लेखा विवरण धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण हुई बड़ी चूक से मुक्त हों।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय मैनेजमेंट का यह दायित्व होता है कि वह कंपनी की गोईंग कंसर्न की योग्यता का निर्धारण करे, गोईंग कंसर्न से संबंधित मामलों का खुलासा करे तथा अकाऊंटिग के लिए गोईंग कंसर्न की व्यवस्था उस स्थिति तक अपनाए जब तक कि मैनेजमेंट कंपनी का निस्तातरण न कर दे अथवा परिचालन न बंद कर दे अथवा कोई विकल्प ही न बचा हो, जिसका उपयोग होल्डिंग कंपनी के निदेशक द्वारा पूर्ववत रूप से समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है ।

समूह में भाामिल कंपनियों और इसके संयुक्त उद्यम इकाईयों से संबंधित समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रकिया और उसके सहयोगियों को संयुक्त उद्यम इकाईयों की देखरेख के लिए भी निदेशक मंडल जिम्मेदार है ।

समेकित वित्तीय विवरणों की ऑडिट के बारे में लेखा परीक्षकों के दायित्व

हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसा उचित आश्वासन प्राप्त करे कि वित्तीय विवरणों में किसी भी सूचना एवं तथ्यों को गलत तौर पर नहीं दिया गया है, चाहे गलत जानकारी किसी धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण क्यों न दी गई हो। इसके बाद हम लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें हम अपनी राय शामिल करते हैं। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है परंतु वह इस बात की गारंटी नहीं होती है कि एसएज के अनुसार किया गया ऑडिट सदा ही किसी गलत तथ्य एवं सूचना का पता लगा सके। गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा किसी गलती से उत्पन्न हो सकते हैं तथा उन्हें एकल रूप से अथवा समग्र रूप से इतना महत्वपूर्ण अथवा प्रभावी माना जाता है कि इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोगकर्ता द्वारा किए जाने वाले निर्णयों की इससे पर्याप्त रूप से प्रभावित होने की आशंका हो।

एसए के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में हम पेशेवर के तौर पर निर्णय लेते हैं तथा अपनी ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेहवाद को अपनाते हैं। हम यह भी करते हैं :

वित्तीय वितरणों में दी गई गलत जानकारी, त्रुटि चाहे धोखाधड़ी अथवा गलती से हुई हो, का पता लगाते हैं तथा संबंधित जोखिम का निर्धारण करते हैं। साथ ही हम ऑडिट की ऐसी प्रकिया अपनाते हैं जो उन जोखिम के लिए रिस्पोंसिव हो। इसके अलावा ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय अथवा मत के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार होता है। धोखाधड़ी से दी गई गलत जानकारी का जोखिम त्रुटि की तुलना में अधिक होता है चूंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना हो सकती है।

ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त आडिट प्रकियाएं तैयार की जा सकें। कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 143(3)() के अंतर्गत हमारा यह भी दायित्व होता है कि हम यह देखें कि कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है तथा यह प्रणाली नियंत्रण के लिए कारगर है ।

प्रयोग में लाई गई लेखानीतियां तथा लेखा अनुमानों की उपयुक्तता तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों की उपयुक्तता का मूल्यांकन।

इस बात का निष्कर्ष निकालते हैं कि लेखांकन के लिए प्रबंधतंत्र द्वारा प्रयोग किया गया गोईंग कंसर्न उचित है, प्राप्त किए गए आडिट साक्ष्य के अनुसार क्या ऐसी घटनाओं अथवा परिस्थितियों के बारे में अनिश्चितता विद्यमान है जिनके कारण कंपनी की एक गोईंग कंसर्न की निरंतरता कायम रहने की योग्यता पर पर्याप्त संदेह बनता हो। यदि हमें यह पता चलता है कि इस बारे में पर्याप्त अनिश्चितता है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए साक्ष्य पर आधारित होते हैं। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी के लिए ऐसी स्थितियां पैदा कर सकती है जिनके कारण कंपनी के लिए गोइंग कंसर्न बने रहना संभव न हो।

प्रकटनों सहित समग्र प्रस्तुति संरचना तथा वित्तीय विवरणों के सार का मूल्यांकन तथा क्या वित्तीय विवरण मुख्य लेनदेन तथा इवेंट्स का इस प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हैं कि वे सही प्रस्तुति की श्रेणी में आते हैं।

समूह के भीतर संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी और समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए संयुक्त उद्यम संस्थाओं में शामिल होने के लिए पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट प्रमाण प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में ऑडिट की दिशा, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक है। समेकित

वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिन्हें अन्य लेखा परीक्षण द्वारा ऑडिट किया गया है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए ऑडिट की दिशा, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हम अपनी ऑडिट राय के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा–परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए अंकेक्षणों के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी रहते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।

हम होल्डिंग कंपनी के शासन के साथ उन लोगों के साथ संवाद करते हैं और इस तरह की अन्य ईकाई को समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है, जिनके बारे में हम वैधानिक लेखा परीक्षक नहीं हैं! अन्य मामले के अलावा, ऑडिट और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय, कोई भी, आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण सहित कमी को जो हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम अपनी रिपोर्ट पर इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के मामले में संबंधित नीतिपरक आवश्यकताओं का पालन किया है तथा उन सभी संबंधों तथा अन्य मामले जिनमें संवाद किया गया है तथा जो स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में आवश्यक हैं।

शासन के साथ आरोपित मामलों के साथ, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते हैं और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं, उनमें हम ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों में वर्णन करते हैं जब तक कि मानून या विनिमयन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले में संचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभ के दुषपरिणामों की यथोचित अपेक्षा नहीं होगी ।

अन्य मामले

1. हमने सिंगापुर में निगमित एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाओं का लेखा–जोखा नहीं किया – एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड जिसका वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2021 तक 367.60 करोड़ रु. की कुल संपत्ति, 77.12 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति, समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया और 3625.72 करोड़ रुपये का राजस्व ओर 61.11 करोड़ रुपये का कुल शुद्ध आय है उस वर्ष के लिए 8.24 करोड़ रुपये में कुल शुद्ध लाभ है ।

2. समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 1.13 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ (अन्य व्यापक आय सहित) समूह का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि संयुक्त रद्यम मैसर्स एमएमटीसी पैम्प इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया तथा जिसके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी या हमारे द्वारा ऑडिट नहीं किया गया है ।

3. समेकित वित्तीय विवरणों में 5 संयुक्त उद्यम कंपनी, मैसर्स फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड सिकल आयरन अयस्क टर्मिनल लिमिटेड, टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड और एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड और नीलाचल इस्पात निगम (NINL) के समूह की हिस्सेदारी का नुकसान शामिल नहीं है क्योंकि समूह की संचित घाटे से अधिक हो गई है। होल्डिंग कंपनी के पूर्वोक्त संयुक्त उद्यमों के संबंध में निवेश का मूल्य उन संयुक्त मूल्य उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं का न तो हमारे द्वारा ऑडिट किया गया हे और न ही किसी वित्तीय विवरण (आडिटेड/अनआडिटेड) को होल्डिंग कंपनी के प्रबंधन और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के अनुसार, अब तक इसमें प्रस्तुत किया गया है। सहायक धारा और 6 संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशियों और खुलासों से संबंधित है और अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, अब तक यह उपर्युक्त सहायक से संबंधित है और संयुक्त उद्यम पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। सिंगापुर में सहायक के वित्तीय विवरणों को होल्डिंग कंपनी के प्रबंधन द्वारा समायोजित किया गया है, जो आमतौर पर भारतीय लेखा मानकों सहित भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय दी गई अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं के बारे में हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है जो प्रबंधन द्वारा प्रमाणित काम पर हमारी निर्भरता और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी के संबंध में है ।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) में जैसा आवश्यक है, हम सूचित करते हैं :–

   ए) हमने ऐसी सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी एवं विश्वास में लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे ।

बी) योग्य राय पैराग्राफ के लिए आधार में वर्णित मामले के प्रभाव को छोड़कर हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने से संबंधित कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों को अब तक रखा गया है जैसा कि उन पुस्तकों की और अन्यख लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से हमारी परीक्षा से प्रकट होता है।

सी) समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि व समेकित विवरण, समेकित नकदी प्रवाह विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा इक्विटी में किए गए परिवर्तनों में समेकित विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों में तैयारी के उद्देश्य के लिए बनाए गए खाते से संबंधित पुस्तकों के साथ अनुबंध है।

डी) योग्य राय पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों और उसके तहत जारी प्रासंगिक नियम का अनुपालन करते हैं।

ई) ऊपर "योग्य राय के आधार" और "मामले पर जोर" पैराग्राफ में वर्णित मामले, हमारी राय में, कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

फ) कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा 164 की उप–धारा (2) के प्रावधान होल्डिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

जी) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक ए" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

एच) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :–

i. बिक्री कर, कस्टम ड्यूटी और उत्पाद शुल्क से संबंधित मामलों सहित लंबित मुकदमें जिनका खुलासा आकस्मिक देयता के रूप में किया गया है – एकल वित्तीय विवरण के नोट 34 और 36 का संदर्भ लें । इसके प्रभाव का निर्धारण करना संभव नहीं है चूंकि मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं।

ii. कंपनी ने डेरीवेटिव करारों सहित दीर्घावधि करारों पर अनुमान्य हानियों, यदि कोई है, के लिए लागू विधानों या लेखा मानकों के अंतर्गत प्रावधान कर लिए हैं ।

iii. कंपनी ने 0.66 लाख रुपये निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष में स्थानांतरित नहीं किए हैं।

3. अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(5) के अंतर्गत भारत के सीएजी की अपेक्षाओं के अनुसार हम अनुलग्नक सी में हमारी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे है।

कृते एम एल पुरी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफ आर एन 002312 एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.10.2021
यूडीआईएन 21095584

चार्टड एकाउंटेंट आर सी गुप्ता
भागीदार
सदस्य सं. 095584

एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक – ए

कंपनी अधिनियम 2013(अधिनियम) की धारा 143(3) (1) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के हमारे आडिट के साथ 31 मार्च 2021 से संबंधित एमएमटीसी लि.(कंपनी) के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबंधन का दायित्व

कंपनी द्वारा इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आडिट पर दिशा निर्देश नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना और रखरखाव के लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है। इसमें इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाईन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके व्यवसाय को सक्षम और सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सुनिश्चित करने के प्रभावी तरीके से परिचालित हो रहे थे। इसमें कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों से बचाव और इसकी पहचान लेखा रिकार्डो की सटीकता और इसकी पूर्णता भी शामिल हैं।

आडिटरों का दायित्व

हमारा दायित्व हमारे आडिट पर आधारित कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय देना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आडिट पर दिशा निर्देशों के अनुसार आडिट किया है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्धारित माना गया है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आडिट पर लागू है। हम उन मानकों और दिशा –निर्देशों का नीतिपरक अपेक्षाओं और योजनाओं के साथ अनुपालन करते हैं और पर्याप्त आश्वासन लेने के लिए आडिट करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रमाणित हो और इससे संबंधित सभी का प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण हो सके।

हमारे आडिट में निष्पादन प्रक्रिया को अपनाया है जिससे वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के आडिट प्रमाण मिल सके और उनकी संचालन प्रभावशीलता मिल सके। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ पैदा करने, मूर्त कमजोरी में जोखिम का पता लगाना और इसके जोखिम पर आधारित डिजाइन और आंतरिक नियंत्रण के परिचालित प्रभावशीलता की जांच और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया आडिट के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरण का ठोस गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमें जो आडिट प्रमाण मिले हैं वे कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी आडिट राय के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्वांतों के अनुसार बाहय उददेश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में इन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है कि

(1) रिकार्ड के रख रखाव से संबद्व जो उचित विवरण में कंपनी की संपत्तियों के लेन देन, प्रकृति को सटीक और उचित रूप से प्रतिबिंबित करते हैं।

(2) उचित आश्वासन देता है कि लेन देन को आमतौर पर स्वीकार्य सिद्वांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी करने के लिए आवश्यक रूप में रिकार्ड किया गया है और कंपनी के प्रबंधन और निवेशकों के अधिकारों के अनुसार कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है।

(3) रोकथाम या अनाधिकृत अधिग्रहण की समय पर खोज, उपयोग के संबंध में उचित आश्वासन उपलब्ध कराता है या कंपनी की संपत्ति की प्रकृति जिसका वित्तीय विवरण पर ठोस प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्विहित सीमाएं:

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित तरीके से प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथ में लेना, ठोस गलत विवरण जो त्रृटि या धोखाधड़ी के कारण हो सकता है इसमें शामिल है,

जिसका पता न लग सके! भविष्य की अवधि में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय विवरण के किसी मूल्यांकन के प्रोजेक्शन जोखिम पर निर्भर करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं क्योंकि स्थिति में परिवर्तन हो सकता है या नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा बदतर हो सकती है।

अन्य मामले

1. अधिनियम की धारा 143(3)(1) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालन प्रभावशीलता पर अब तक चार संयुक्त उद्यमों से संबंधित भारत में शामिल कंपनियां, ऐसी भारत में शामिल कंपनियों के आडिटर्स रिपोर्ट पर आधारित हैं ।
2. हम अब तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि यह दो संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, जो भारत में निगमित है और ऐसी भारत में निगमित कंपनियों के ऑडिटर्स की सुसंगत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

उपरोक्त मामलों पर हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

राय

हमारी राय में भारत में निगमित होल्डिंग कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियां के पास, सभी ठोस मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त रूप में हैं और इस प्रकार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 से प्रभावी रूप से संचालित है जो कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर मानदंड पर आधारित थे। इनकी स्थापना के समय इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आडिट पर दिशा–निर्देशों में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रकों के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया है।

कृते एम एल पुरी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफ आर एन 002312 एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.10.2021
यूडीआईएन 21095584

चार्टड एकाउंटेंट आर सी गुप्ता
भागीदार
सदस्य सं. 095584

एमएमटीसी लिमिटेड : कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली

31 मार्च,2021 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों पर सीएंडएजी द्वारा जारी अंतिम टिप्पणियों का उत्तर

वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत सीएजी द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

सीएंडएजी की अंतिम टिप्पणियां(समेकित)	सीएंडएजी की टिप्पणियां का प्रबंधतंत्र को उत्तर
ए. समेकित लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ **ए.1 परिसंपत्तियां** **ए.1.1 बिक्री के लिए रखे गये गैर–चालू निवेश(नोट 6 डी) : 7.84 करोड़ रुपए** ऊपर में इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज (आईसीईएक्स) में 16 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है, जिसके कंपनी लिए द्वारा वित्त वर्ष 2019–20 में 8.16 करोड़ रुपए (आईसीईएक्स की शेयर पूंजी में संचित नुकसान के अनुपात को ध्यान में रखते हुए, जो लगभग 51 प्रतिशत था) का प्रावधान किया गया था। यह देखा गया कि 31 मार्च 2021 को आईसीईएक्स की शेयर पूंजी में संचित हानियों का अनुपात बढ़कर 61 प्रतिशत हो गया है, हालांकि, कंपनी ने 1.60 करोड़ रुपए की राशि का अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया है, जो कि कंपनी के स्वयं के लेखांकन व्यवहार के विरुद्ध है, जिसका पिछले वर्षों में पालन किया गया था। इसके परिणामस्वरूप बिक्री के लिए धारित गैर–चालू निवेशों को अधिक बताया गया है और हानि को 1.60 करोड़ रुपए से कम बताया गया है।	यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2019–20 के दौरान निवेश किए गए 16/– करोड़ रुपये में से आईसीईएक्स में निवेश की हानि के लिए 8.16 करोड़ रुपये का आंशिक प्रावधान करना उचित होगा जो किया गया था। इसके अलावा आईसीईएक्स ने सूचित किया है कि कुल 1960 ग्राहकों के साथ वर्ष 2020–21 के दौरान एक्सचेंज का कुल कारोबार 1666.17 करोड़ रुपये था। कोविड–19 के प्रभाव के कारण 2020–21 के दौरान आईसीईएक्स सहित सभी कमोडिटी एक्सचेंजों में व्यापारिक परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। आईसीईएक्स ने वैश्विक महामारी और उससे उपजी वैश्विक मंदी के कारण अपने संचालन को मजबूत करने की योजना बनाई है। उनका ध्यान म्युचुअल फंड के लेनदेन का उपयोग करने और वस्तुओं पर नए सिरे से जोर देने के साथ पूंजी जुटाने पर है। उपरोक्त को मद्देनजर रखते हुए 1.60 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता नहीं हो सकती है। हालांकि, आईसीईएक्स पर संचित हानि के प्रावधान के संबंध में सीएजी के अवलोकन की समीक्षा की जाएगी तथा वित्त वर्ष 2021–22 में वर्णित प्रावधान सहित उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
ए.1.2 आस्थगित कर परिसंपत्तियां (नोट 10): 555.44 करोड़ रुपए उपरोक्त में 31.03.2021 को नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) से प्राप्य के रूप में कंपनी द्वारा निर्धारित 946.33 करोड़ रुपए की संभावित आय पर सृजित 330.69 करोड़ रुपए की आस्थगित कर परिसंपत्तियां (डीटीए) शामिल हैं। हालांकि कंपनी ने वित्त वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए प्राप्य ब्याज को इसकी प्राप्ति की अनिश्चितता के कारण मान्यता नहीं दी। हालांकि, डीटीए के निर्माण के लिए इसे निश्चित माना गया। इसके अलावा, डीटीए के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2021–22 के लिए ब्याज पर भी विचार किया गया था जो न केवल कंपनी द्वारा उठाए गए कदम के खिलाफ था बल्कि एनआईएनएल से प्राप्य आय अनिश्चित है बल्कि आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के खिलाफ भी है। इसके परिणामस्वरूप आस्थगित कर आस्तियों को अधिक बताया गया और हानि को 330.69 करोड़ रुपए से कम बताया गया।	एमएमटीसी को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कारोबार में 1,094.22 करोड रु.(स्टैंडअलोन) 2020–21 की हानि है। आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, इस नुकसान को अप्रयुक्त कर हानियों के रूप में 8 वर्षों तक आगे बढ़ाया जा सकता है और इसे भविष्य के कर योग्य व्यावसायिक लाभ के साथ समायोजित किया जा सकता है। इसके अलावा, इंड अस 12 – इनकम टैक्स के अनुसार, "एक आस्थगित कर परिसंपत्ति को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए तदनरूप पहचान की जाएगी ताकि कर योग्य लाभ उपलब्ध हो जिसके लिए कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है।" एमएमटीसी ने गत वित्त वर्ष के दौरान एक मास्टर ऋण समाधान समझौते पर हस्ताक्षर किए। जिसके तहत एनआईएनएल की विनिवेश आय के माध्यम से मार्च, 2022 में 946.33 करोड रू. के ब्याज आय की उम्मीद है। 324 करोड़ की आस्थगित कर परिसंपत्तियां की हानियों पर सृजित की गई है जो 946.33 करोड के एनआईएनएल से प्राप्त होने वाली संभावित ब्याज तक सीमित है ताकि आयकर और इंडस 12 के प्रावधानों का अनुपालन किया जा सके और चालू कर और भविष्य के करो की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत की जा सके। इसका अनुमोदन पहले ही सक्षम प्राधीकारी दे चुके है। इसके अलावा, इंडस्ट्रीज एएस 12 के अनुसार – एक आस्थगित कर परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में समीक्षा की जाएगी। डीटीए की वहन राशि को इस हद तक कम किया जाएगा कि अब यह संभव नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा और इस तरह की कमी को इस हद तक उलट दिया जाएगा कि यह संभव हो जाए कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। चूंकि एनआईएनएल के विनिवेश की बोली प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है और मेसर्स टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीएसएलपी) 12100 करोड़ रुपये की एच1 बोलीदाता बन गई है, एनआईएनएल के विनिवेश के बाद के मुद्दे की समीक्षा की जाएगी और वित्त वर्ष 2021–22 में उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। अतः एमएमटीसी को ब्याज सहित सभी देय राशियां प्राप्त होंगी, जिन्हें प्राप्ति की अनिश्चितता के कारण खातों में मान्यता नहीं दी गई है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एमएमटीसी प्रबंधन एनआईएनएल की विनिवेश आय से अपने सभी बकाया की वसूली के लिए आश्वस्त है और इसलिए बनाया गया आस्थगित कर इंडस्ट्रीज एएस 12 के अनुरूप है।

सीएंडएजी की अंतिम टिप्पणियां(समेकित)	सीएंडएजी की टिप्पणियां का प्रबंधतंत्र को उत्तर
ए.1.3 अन्य वित्तीय परिसंपतियां (नोट 9) **अन्य अग्रिम (गैर चालू): 8.78 करोड़ रुपए** ऊपर में कंपनी द्वारा किए गए प्रावधान 25 से अधिक वर्षों से विभिन्न पार्टियों से वसूली योग्य दर्शाई गई 0.21करोड़ रुपए की राशि शामिल है। ये मामले बहुत पुराने हैं और कंपनी के पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और वसूली की संभावना भी बहुत कम है। इस प्रकार, उपरोक्त राशि को 31.03.2021 तक बही–खातों के बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था। पिछले वर्ष कंपनी द्वारा उपरोक्त अवलोकन पर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी ऐसा करने में विफल रही है। इसके परिणामस्वरूप अन्य अग्रिमों को 0.21 करोड़ रुपए से अधिक बताया गया है और परिणामस्वरूप उसी राशि से खराब और संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ते को कम बताया गया है।	चूंकि मामले वर्ष 1995–96 से संबंधित हैं और फाइलों/अभिलेखों का पता लगाना मुश्किल है। तथापि, संबंधित फाइलों/दस्तावेजों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीएण्डएजी के अवलोकन की समीक्षा की जाएगी और इसे 2021–22 में बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।
ए 2 इक्विटी और देयता **ए. 2.1 प्रावधान–वर्तमान (नोट सं. 20 बी)** **ए.2.1.1 अन्य मुकदमेबाजी निपटान के लिए प्रावधानः 888.81 करोड़ रुपए** उपरोक्त में मैसर्स एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीई लिमिटेड के साथ विवादित मामले की मध्यस्थता पूर्व अवधि के लिए देय 103.11 करोड़ रुपए के ब्याज के प्रावधान शामिल नहीं हैं। कंपनी ने मेसर्स एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल के साथ पीटीई. लिमिटेड (आपूर्तिकर्ता) को 466000 मीट्रिक टन कोकिंग कोल उठाने के लिए (मार्च 2007) एक अनुबंध किया। हालांकि, कंपनी ने अनुबंधित मात्रा नही उठाई और आपूर्तिकर्ता ने सितंबर 2012 में मध्यस्थता का आह्वान किया। मामला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय (आईए) में चला गया और आपूर्तिकर्ता के पक्ष में निर्णय लिया गया और कंपनी को 78,720,414,92 अमरीकी डालर का भुगतान करने का निर्देश दिया जिसके साथ पूर्व अवार्ड–पूर्व ब्याज 7.5 प्रतिशत और अवार्ड की तारीख से भुगतान की तारीख तक भविष्य ब्याज 15 प्रतिशत की दर से भुगतान शामिल है। मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट (एससी) में चला गया और आइए के अवार्ड को एससी द्वारा 17 दिसंबर 2020 के आदेश के तहत बरकरार रखा गया था। कंपनी ने (16 जनवरी 2021) एक समीक्षा याचिका दायर की और एससी ने आदेश दिया (29 जुलाई 2021) कि अवार्ड के बड़े ब्याज घटक को देखते हुए, पेंडेंट लाइट और भविष्य के ब्याज को 6 प्रतिशत साधारण ब्याज तक कम किया जा सकता है।	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.07.2021 के अनुसार, लंबित अवधि और भविष्य की अवधि के लिए ब्याज दर क्रमशः 7.5% और 15% से घटाकर 6% कर दी गई है, लेकिन पूर्व मध्यस्थता अवधि के लिए ब्याज दर पर निर्गत आदेश में कोई प्रावधान नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, एमएमटीसी ने पहले ही रुपये वित्त वर्ष 2020–21 के लिए खाता बुक में 887.43 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए 1.10.2009 से 26.09.2012 तक की पूर्व मध्यस्थता अवधि के लिए ब्याज दर को शून्य रखा गया है। भारत के विद्वान महान्यायवादी (एजी) के उद्धरण। इस स्तर पर यह विवेकपूर्ण नहीं हो सकता है क्योंकि विद्वान एजी ने राय दी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.7.2021 से उत्पन्न होने वाली किसी भी अस्पष्टता को हल किया जा सकता है। को ध्यान में रखते हुए आगे अनउद्धृत विद्वान एजी की सलाह के अनुसार, एमएमटीसी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2021 के स्पष्टीकरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया था। यह दोहराया जा रहा है कि विद्वान एजी का मत था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.7.2021 से उत्पन्न किसी भी अस्पष्टता का समाधान स्वयं न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। कंपनी ने स्पष्टीकरण आवेदन भरा है जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 28.01.2022 को सूचीबद्ध किया गया था। सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने मामले को दो सप्ताह के बाद सूचीबद्ध कर दिया। सुनवाई की विशेष तारीख का इंतजार है। माननीय उच्चतम न्यायालय के स्पष्टीकरण पर, सीएण्डएजी के अवलोकन की समीक्षा की जाएगी और वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

सीएंडएजी की अंतिम टिप्पणियां(समेकित)	सीएंडएजी की टिप्पणियां का प्रबंधतंत्र को उत्तर
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पूर्व–मध्यस्थता अवधि के लिए ब्याज के बारे में कुछ नही कहा, जिसका अर्थ है कि आई.ए. द्वारा तय की गई पूर्व–मध्यस्थता अवधि के लिए ब्याज दर अच्छी है। तथापि कंपनी ने पूर्व–मध्यस्थता अवधि के लिए देय ब्याज के लिए कोई प्रावधान नही किया और एससी से स्पष्टीकरण (अक्टूबर 2021) मांगा है। कंपनी ने आकस्मिक देनदारियों के तहत संपूर्ण पूर्व–मध्यस्थता ब्याज दिखाया है। लेखापरीक्षा का विचार है कि लेखांकन के रूढ़िवादी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय विवरणों में कम से कम 6 प्रतिशत के बराबर प्रावधान किया जाना चाहिए था। इस प्रकार पूर्व–मध्यस्थता अवधि के लिए ब्याज प्रदान न करने के परिणामस्वरूप प्रावधान और हानि 103.11 करोड़ रू. कम हो गई है। इसके परिणामस्वरूप आकस्मिक देनदारियों को 103.11 करोड से अधिक बताया गया है।	
ए.2.1.2 बोनस/निष्पादन संबंधित वेतनः 17.84 करोड़ रू. उपरोक्त में निष्पादन संबंधित वेतन (पीआरपी) के लिए 17.08 करोड़ का प्रावधान शामिल है, जिसमें से 13.99 करोड़ रू. वित्त वर्ष 2017–18 और 2018–19 से संबंधित हैं और 3.09 करोड़ अतिरिक्त प्रावधान पहले के वर्षों में बुक किए गए हैं। कंपनी ने पीआरपी पर पहुंचने के लिए 2017–18 और 2018–19 के दौरान अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) से प्राप्य ब्याज बुक किया था, जबकि कंपनी वास्तव में नकद आधार पर लाभ नही कमा रही थी, एक तथ्य जिसे कंपनी ने उप मुख्य श्रम आयुक्त को अपने जवाब (मार्च 2021) में और वाणिज्य विभाग से स्पष्टीकरण (दिसंबर 2020) की मांग करते हुए द्वारा स्वीकार किया गया था। इसके अलावा, पीआरपी के उद्देश्य के लिए जेवी कंपनी से प्राप्य ब्याज पर विचार करना भी डीपीई दिशानिर्देशों (18 सितंबर 2013) का उल्लंघन है जो अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्धारित करता है कि, "पीआरपी को सीपीएसई की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों से अर्जित लाभ के आधार पर वितरित किया जा सकता है।" इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए पीआरपी को निदेशकों की पारिश्रमिक समिति द्वारा अनुमोदित नही किया गया था, और अत्यधिक नकदी संकट को देखते हुए, कंपनी पीआरपी की सिफारिश करने की स्थिति में नही है।	वेतन पैकेज के हिस्से के रूप में पीआरपी की अवधारणा को डीपीई द्वारा दिनांक 26/11/2008 और 09/02/2009 के अपने कार्यालय ज्ञापन में दिशानिर्देशों के अनुसार पेश किया गया था। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, पीआरपी का भुगतान सेवारत कर्मचारियों को तब किया जाता है जब खातों को अंतिम रूप दिया जाता है और बोर्ड, सीएजी द्वारा अनुमोदित किया जाता है और एजीएम, कंपनी रेटिंग, कर्मचारी ग्रेड और संबंधित कर्मचारी की रेटिंग द्वारा अपनाया जाता है। जैसा कि डीपीई दिशानिर्देशों में अनिवार्य रूप से वर्णित है, अंतिम पीआरपी का भुगतान निदेशकों की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (आरसीओडी) के अनुमोदन के बाद किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए पीआरपी के अंतिम भुगतान के प्रस्ताव को कंपनी और कर्मचारी रेटिंग की एमओयू रेटिंग लंबित अनुमोदन के लिए आरसीओडी के पास नहीं रखा गया है, इस प्रकार, दोनों वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम पीआरपी का भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि, पिछली प्रथा के अनुसार, पीआरपी को अंतिम रूप दिए जाने तक कर्मचारियों को अंडरटेकिंग के लिए सीएमडी के उचित अनुमोदन के साथ एक तदर्थ अग्रिम जारी किया गया था। जो कई वर्षों से तदर्थ अग्रिम जारी करने की पिछली प्राथमिकता के अनुरूप था। एमएमटीसी के निदेशक मंडल ने 13/11/2020 को आयोजित अपनी 459वीं बैठक में पाया कि इस तरह के तदर्थ भुगतान अनुचित थे और उचित प्रक्रिया का पालन करके इसे वसूल करने की आवश्यकता है। तदर्थ अग्रिम से संबंधित मामले को एमएमटीसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा प्रतिकूल रूप से देखा गया था, पूरे मामले को डिवीजन के नोट दिनांक 30/03/2021 के माध्यम से आरसीओडी के समक्ष रखा गया था। उक्त नोट को आरसीओडी द्वारा 31/03/2021 को आयोजित अपनी 10वीं बैठक में चर्चा के लिए लिया गया था। आरसीओडी ने चर्चा के लिए नोट में बताई गई स्थिति पर ध्यान देने के बाद यह विचार किया कि तदर्थ/अग्रिम की वसूली को तब तक के लिए रोक दिया जाए जब तक कि श्रम आयुक्त कर्मचारी संघ की याचिका पर निर्णय न ले लें और इस पर डीपीई से राय प्राप्त न कर लें। साथ ही मामले को मूल्यांकन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखने का निर्देश दिया।

सीएंडएजी की अंतिम टिप्पणियां(समेकित)	सीएंडएजी की टिप्पणियां का प्रबंधतंत्र को उत्तर
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कंपनी ने पीआरपी की वसूली भी शुरू कर दी है, पीआरपी के लिए बनाई गई लाइन को भी उलट दिया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप प्रावधान और हानि को 17.08 करोड़ से अधिक बताया गया है।	चूंकि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान लाभ दर्ज किया था, लेखा सिद्धांतों और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप पीआरपी के भुगतान के लिए अकाउंट बुक में प्रावधान किए गए थे। पीबीटी की गणना और सीपीएसई में पीआरपी के वितरण के उद्देश्य से निष्क्रिय नकदी/बैंक शेष पर ब्याज की कटौती के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीबीटी की गणना के समय, निष्क्रिय नकदी/बैंक शेष पर अर्जित ब्याज की कटौती की गई है। इसके अलावा, कंपनी की अनिश्चित तरलता की स्थिति के कारण, देय पीआरपी का केवल 50% वित्तीय वर्ष 16–17 के लिए सेवारत कर्मचारियों को जारी किया गया था। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कोई पीआरपी जारी नहीं की गई थी। यह आश्वासन दिया जाता है कि बनाए गए प्रावधान को 2021–22 में उलट दिया जाएगा और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए जल्द से जल्द वसूली की जाएगी। चूंकि एनआईएनएल के विनिवेश की बोली प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है और मैसर्स टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीएसएलपी) 12100 करोड़ रुपये की एच1 बोलीदाता बन गई है, एमएमटीसी को ब्याज सहित सभी बकाया राशि मिल जाएगी, जिसे प्राप्ति की वसूली की अनिश्चितता के कारण खातों में मान्यता नहीं दी गई है। इसलिए बोर्ड एक बार फिर पीआरपी के मुद्दे की समीक्षा करना चाहेगा।
ए.2.1.3 प्रावधान – चालू (नोट संख्या 20 बी): 926.97 करोड़ रू. उपरोक्त में वित्त वर्ष 2020–21 के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ ट्रस्ट (ट्रस्ट) को देय रू. 0.14 करोड़ रू. शामिल नहीं है। कंपनी के निदेशक मंडल (411वीं बैठक) ने कंपनी के पास निहित निधि की राशि पर सालाना तीन साल की सावधि जमा के लिए स्वीकार्य दर पर ब्याज के बदले अतिरिक्त योगदान को मंजूरी दी। तदनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए ट्रस्ट को 6.75 प्रतिशत और 3.70 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त योगदान प्रदान किया। हालांकि, कंपनी ने ट्रस्ट को देय शुद्ध राशि पर वित्त वर्ष 2020–21 के लिए अतिरिक्त योगदान नहीं दिया। इसके परिणामस्वरूप प्रावधान और हानि को 0.14 करोड़ से कम बताया गया है।	बोर्ड ने अपनी 447वीं बैठक दिनांक 15.05.2019 में एमएमटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा आवश्यकता के लिए ट्रस्ट के गठन और ट्रस्ट के लिए आयकर छूट प्राप्त करने के बाद एक या एक से अधिक किश्तों में 150.05 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दी थी और नियमित स्थानांतरण करने के लिए उसके बाद योगदान की। 19.12.2019 से 3.3.2020 तक की अवधि में 7 किस्तों में कुल 150 करोड़ रुपये की धनराशि ट्रस्ट को हस्तांतरित की गई। जैसा कि बीओडी ने अपनी 411वीं बैठक में कंपनी के पास निहित निधि की राशि पर सालाना तीन साल की सावधि जमा के लिए स्वीकार्य दर पर ब्याज के बदले अतिरिक्त योगदान अनुमोदित किया था। (कार्यवृत का उद्धरण संलग्न है) 31.03.2021 तक, ट्रस्ट को 9.31 करोड़ रुपये देय है तथा ट्रस्ट से 6.63 करोड़ रुपये प्राप्त करने योग्य है और ट्रस्ट को देय ब्याज अल्प है, इसलिए ब्याज प्रावधान नहीं बनाया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अवलोकन का अनुपालन किया जाएगा और वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी
ए.2.2 व्यापार देय (नोट संख्या 18): रू 765.01 करोड उपरोक्त में 10 वर्षों से अधिक समय से भुगतान के लिए लंबित दो विदेशी पार्टियों को देय 6.32 करोड़ की राशि शामिल है। चूंकि, सीमा–कानून यह निर्धारित करता है कि पार्टियां तीन साल के बाद राशि का दावा नहीं कर सकती हैं, इसे रिटन बैक किया जाना चाहिए। पिछले वर्ष कंपनी द्वारा इसे वापस लिए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, इसके बावजूद, कंपनी वित्त वर्ष 2020–21 में ऐसा करने में विफल रही है। इसके परिणामस्वरूप व्यापार प्रप्य और हानि को 6.32 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार, आरओ चेन्नई ने पहले ही वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए खातों की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियां पारित कर दी हैं ताकि मेसर्स वी.एस. एलएडी के संबंध में 4.06 करोड़ रुपये की देयता वापस लिखी जा सके। पार्टी बहीखाता की प्रति संलग्न है।. जहां तक मैसर्स ओबालापुरम माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, बेल्लारी (ओएमसी) के संबंध में 2.26 करोड़ रुपये की देनदारी का संबंध है, चेन्नई क्षे.का. को मामले की समीक्षा करने की सलाह दी गई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अवलोकन का अनुपालन किया जाएगा और वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

सीएंडएजी की अंतिम टिप्पणियां(समेकित)	सीएंडएजी की टिप्पणियां का प्रबंधतंत्र को उत्तर
ए.2.3 अन्य वर्तमान देयताएं (नोट संख्या 21) अन्य–1.11 करोड़	
(i) उपरोक्त में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के दावों के लिए 0.49 करोड़ का प्रावधान शामिल नहीं है। कंपनी ने 0.49 करोड़ रू. मूल्य के एफसीआई के तीन दावों को स्वीकार किया जिसमें अर्जित प्रेषण (2006–08), लिक्विडटी हानि (2006–08) और शुद्ध स्लिग शुल्क (1994–95) के दावे शामिल हैं। एफसीआई ने सेंट्रल पूल स्टॉक से गेहूं निर्यात के संबंध में 92. 18 करोड़, देरी से भुगतान के लिए ब्याज, बोरियों की लागत, भंडारण शुल्क आदि, का कंपनी से दावा किया है और सीपीएसई के विवादों (एएमआरसीडी) के निवारण के लिए प्रशासनिक मशीनरी में इस मुद्दे को उठाया। एएमआरसीडी ने कंपनी और एफसीआई को विवादित मामले को सुलझाने का निर्देश दिया (मई 2020) और सुलह के दौरान, कंपनी ने 0.49 करोड़ के तीन दावों को स्वीकार कर लिया। हालांकि, कंपनी द्वारा इसके लिए कोई प्रावधान नही किया गया है। इसके परिणामस्वरूप अन्य वर्तमान देनदारियों और हानियों को 0.49 करोड़ से कम बताया गया है।	एफसीआई ने एमएमटीसी के खिलाफ एएमआरसीडी की कार्यवाही की है। सचिव (एफएंडपीडी), वाणिज्य सचिव और कानून सचिव की समिति ने एमएमटीसी और एफसीआई दोनों को एक दूसरे पर अपने दावों और काउंटर दावों का समाधान करने का निर्देश दिया है। तदनुसार, एमएमटीसी और एफसीआई दोनों ही दावों के समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। जैसा कि जीएपी नोट में उल्लेख किया गया है, एमएमटीसी ने एफसीआई के तीन दावों को स्वीकार किया है और जीएपी ने आगे दावों की गणना की है; रिकॉर्ड में कुल दावा रु. 1.11 करोड़ है। एमएमटीसी द्वारा स्वीकार किए गए तीन दावों की पुष्टि एमएमटीसी और एफसीआई के बीच दावों के सत्यापन के लिए नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (एएससी एंड एसोसिएट्स) ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.06.2021 में भी की थी। एमएमटीसी और एफसीआई के बीच दावों और काउंटर दावों का समाधान जारी है। ऊपर से आगे, निम्नलिखित बिंदुओं का भी अवलोकन किया जा सकता है: 1. एमएमटीसी द्वारा स्वीकार किए गए तीनों दावे (सक्षम प्राधिकारी के उचित अनुमोदन के बाद) दिनांक 26.11.2021 के पीओएम 4 में संदर्भित 2007–08 के गेहूं आयात (डिस्पैच और एलडी) और 1995–96 के चीनी आयात (स्लिंग शुल्क) से संबंधित हैं। स्वीकृत राशि पर लगने वाले ब्याज का निर्णय मामले का निर्णय करते समय एएमआरसीडी द्वारा किया जाएगा। 2. मामला एएमआरसीडी द्वारा अंतिम निर्णय के लिए लंबित है और एमएमटीसी द्वारा स्वीकृत राशि पर प्रावधान करने की आवश्यकता पर एएमआरसीडी का अंतिम निर्णय ज्ञात होने पर विचार किया जाएगा। अत: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का अनुपालन किया जाए और वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
(ii) उपरोक्त में मार्च 2021 के महीने के लिए देय स्कोप कॉम्प्लेक्स के बिजली शुल्क के लिए 0.13 करोड़ का प्रावधान शामिल नहीं है। चूंकि इसके लिए बीजक जून 2021 में खातों को अंतिम रूप देने (अक्टूबर 2021) से काफी पहले प्राप्त किया गया था, वित्त वर्ष 2020–21 के खातों में राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी। इसके परिणामस्वरूप अन्य वर्तमान देनदारियों और हानियों को 0.13 करोड़ रू. से कम बताया गया है।	वास्तविक आधार पर बिल प्राप्त नहीं होने की स्थिति में 31.03.2021 को अकाउंट बुक में अनुमानित आधार पर देय बिजली शुल्क और अन्य विविध खर्चों जैसे प्रशासनिक खर्चों का प्रावधान किया गया है। विशेष शीर्ष पर सृजित प्रावधान और निपटान पर वास्तविक व्यय के बीच किसी भी अंतर का हिसाब अगले वित्तीय वर्ष में लगाया जाएगा। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 की पहली तिमाही में 13 लाख की कमी का हिसाब लगाया गया है। स्कोप कॉम्प्लेक्स के बिजली बिल का भुगतान जून 2021 में किया गया था और 2021–22 में इसका हिसाब रखा गया है।
ए.3 असाधारण आइटम – व्यय (नोट संख्या 32): 877.18 करोड़ उपरोक्त में एमएमटीसी कर्मचारी कॉआपरेटिव कैंटीन सोसाइटी के दो कर्मचारियों के टर्मिनल बकाया के लिए 0.16 करोड़ का प्रावधान शामिल नहीं है, जिन्हें कंपनी द्वारा मार्च 2016 में समाप्त कर दिया गया था। कंपनी द्वारा टर्मिनल देय राशि का भुगतान स्वीकार किया गया था। इसके परिणामस्वरूप असाधारण मदों और हानि को रू. 0.16 करोड कम बताया गया है।	एमएमटीसी कर्मचारी सहकारी समिति के दो कर्मचारियों द्वारा वीएसएस मुआवजा स्वीकार नहीं किया गया और उनकी सेवा समाप्त करने को चुनौती देते हुए श्रम न्यायालय दिल्ली में मामला दायर किया। मामला आज की तारीख में विचाराधीन है। कुंदन लाल बनाम एमएमटीसी के मामले में दलीलें पूरी की गई। मामला अब बहस के लिए तय है, पिछली तारीख 10.11.221 थी। सुनवाई की अगली तिथि का इंतजार है। मामला विचाराधीन है और अपने अंतिम पायदान तक नहीं पहुंचा है। कानूनी मामला समाप्त होने के बाद दायित्व, यदि कोई हो, प्रदान किया जाएगा। हालांकि एमएमटीसी कैंटीन सोसाइटी द्वारा ग्रेच्युटी का भुगतान वैधानिक दायित्व के रूप में किया गया है। ग्रेच्युटी की स्वीकृति से सेवा समाप्त हो जाती है, इस प्रकार, यह महसूस किया जाता है कि समाप्ति पर विवाद का कोई अधिकार नहीं है। तत्कालीन एमएमटीसी कर्मचारी सहकारी कैंटीन सोसाइटी के दो कर्मचारियों द्वारा वीएसएस मुआवजा स्वीकार नहीं किया गया, जबकि बाकी कर्मचारियों ने मुआवजा लिया और उसे स्वीकार कर लिया। ये दोनों कर्मचारी औद्योगिक न्यायाधिकरण में एमएमटीसी में नियमितीकरण के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बर्खास्तगी अवैध है। चूंकि मामला विचाराधीन है, इसलिए जब तक औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा मामले का समाधान नहीं किया जाता है, तब तक इस संबंध में कोई प्रावधान करना समझदारी नहीं होगी।

सीएंडएजी की अंतिम टिप्पणियां(समेकित)	सीएंडएजी की टिप्पणियां का प्रबंधतंत्र को उत्तर
बी. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ **आकस्मिक देयताएं और प्रकटीकरण (नोट संख्या 34): 942.61 करोड़**	
(i) उपरोक्त में संपदा अधिकारी, कोलकाता द्वारा पारित आदेश के अनुसार एनआईसी भवन के बकाया किराए और ब्याज के कारण 7.29 करोड़ की आकस्मिक देनदारी शामिल नहीं है, जिसमें कंपनी को अप्रैल 2014 से अप्रैल 2019 की अवधि के लिए भवन पर अनधिकृत के लिए कब्जा करने पर नेशनल इंशोरंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल) को राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। कंपनी ने, उपरोक्त आदेशों के खिलाफ, सिटी सिविल कोर्ट, कोलकाता के समक्ष एक अपील दायर की और जहां संपदा अधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी गई, जिसके खिलाफ एनआईसीएल ने माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के समक्ष मुख्य न्यायाधीश, सिटी सिविल कोर्ट, कोलकाता द्वारा पारित आदेश के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की है, मामला अभी भी लंबित है और सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं है और विचाराधीन है, इसलिए इसे आकस्मिक देयताओं के तहत दिखाया जाना चाहिए।	एमएमटीसी ने पहले ही आरओ के खातों की किताबों में समय–समय पर फर्म की देनदारी दर्ज की है। फरवरी, 2014 से 15.4.2019 की अवधि के लिए एनआईसी द्वारा जारी लीज एग्रीमेंट दिनांक 23.06.2004 के अनुसार देय कोलकाता किराया और बिजली शुल्क और देनदारियों का हिस्सा भी बिजली के लिए एनआईसी द्वारा एमएमटीसी को भेजे गए बिलों के भुगतान के लिए समायोजित किया गया है। और अन्य शुल्क। 31.3.2020 को अकाउंट बुक के अनुसार, एनआईसी को 31.03.2019 तक देय किराए के कारण फर्म की देनदारी 91,77,890.00 रुपये है। सिटी सिविल कोर्ट के आदेश दिनांक 9.7.2019 के निर्देश के आलोक में और एनआईसी द्वारा जारी किए गए लीज एग्रीमेंट दिनांक 23.06.2004 के अनुसार 15 साल की अवधि में हर पांच वर्ष में किराए में 25% की वृद्धि के साथ लीज रखने के लिए वर्ष 01.04.2004 से 31.03.2019 तक, 8.21 रुपये की आकस्मिक देयता का प्रावधान है। एनआईसी द्वारा दावा किए गए नुकसान के लिए इस स्तर पर कोई दावा नहीं हो सकता है। इस बीच एमएमटीसी, कोलकाता ने एनआईसी के परिसर को खाली कर दिया है। चूंकि मामला विचाराधीन है, इसलिए जब तक न्यायालय द्वारा मामले का समाधान नहीं हो जाता, तब तक आकस्मिक देनदारियों के खाते में एनआईसी द्वारा दावा किए गए नुकसान रु. 8.21 करोड़ रुपये का खुलासा करना समझदारी नहीं होगी।
(ii) नोट संख्या 3 (सी) की ओर ध्यान दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि, एमएमटीसी की अचल संपत्तियों का मूल्यांकन किया गया है और नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 31.03.2021 को उचित मूल्य 1642 करोड़ है, जो पिछले मई 2019 में यह 1389 करोड़ रू. था। (नोट 32 (ii) देखें)। हालांकि, यह देखा गया कि नोट 32 (ii) में मूल्यांकन के संबंध में ऐसा कोई विवरण नहीं है। इस प्रकार, लेखे की टिप्पणियाँ उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण हैं।	सीएजी की टिप्पणियों को नोट किया गया है और इसे वित्तीय वर्ष 2020–21 के मुद्रित खातों में उपयुक्त रूप से शामिल/संशोधित किया जाएगा।
(iii) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल प्रा. लिमिटेड की निष्पादन याचिका पर सुनवाई के बाद कंपनी को उक्त आदेश की तिथि से दो माह के भीतर 585.94 करोड़ रू. जमा करने का निर्देश दिया (मार्च 2021)। वित्तीय संकट के कारण, कंपनी आदेश का पालन नहीं कर सकी। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 27.08.2021 को 1.02 करोड़ रू. की राशि के दो बैंक खातों को कुर्क करने का आदेश पारित किया। रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं पर इंड एएस–10 के अनुसार एक इकाई को रिपोर्टिंग अवधि के बाद प्राप्त जानकारी को दर्शाने के लिए अपने वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण को अद्यतन करने की आवश्यकता होती है, भले ही जानकारी अपने वित्तीय विवरणों में शामिल की गई राशि को प्रभावित न करे। हालाँकि, कंपनी ने उपरोक्त तथ्य को लेखों की टिप्पणियों में प्रकट नहीं किया है और इस प्रकार, लेखे की टिप्पणियाँ उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण हैं।	चूंकि वर्ष 2021–22 में बीबीएसआर और पारादीप के बैंक खातों को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है और वर्ष 2021–22 के दौरान आवश्यक लेखा प्रविष्टियां भी पारित की जाएंगी। इसलिए वित्तीय वर्ष 2021–22 के खातों में आवश्यक प्रकटीकरण पर भी विचार किया जाएगा। तथापि, दो बैंक खातों की कुर्की दिनांक 27.08.2021 को प्रभावी कर दी गई है, तदनुसार उक्त राशि की आवश्यक लेखांकन प्रविष्टि पारित की जाएगी और खातों की टिप्पणियों में प्रकटीकरण, जैसा कि अकाउंट बुक में आवश्यक है, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान किया जाएगा।

सीएंडएजी की अंतिम टिप्पणियां(समेकित)	सीएंडएजी की टिप्पणियां का प्रबंधतंत्र को उत्तर
सी. समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ **31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट**	
(i) क.सं. 1 पर सांविधिक लेखा परीक्षक (पैरा की ऑडिट मैटर्स के तहत) ने कहा है कि कंपनी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जबकि 31.03.2021 को कंपनी के छह क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनका सामान्य सूचना के तहत भी वित्तीय विवरण में खुलासा किया गया है। इसलिए, स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्टिंग उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है।	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को नोट किया जाता है और वित्तीय वर्ष 2020–21 के मुद्रित खातों में उपयुक्त रूप से शामिल/संशोधित किया जाएगा।
(ii) उपरोक्त टिप्पणियों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के लिए हानि (789,28 करोड़) जैसा कि कंपनी के लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया गया है, 52.34 प्रतिशत बढ़कर 1202.41 करोड़ रू. तक पहुंच जाएगा। इसलिए, कंपनी के वित्तीय विवरण 'सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण' प्रस्तुत नहीं करते हैं और स्वतंत्र लेखा परीक्षक की ओर से यह आश्वासन देना उचित नहीं था कि वित्तीय विवरण एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।	सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि प्रबंधन के साथ मामलों पर चर्चा करने के बाद 2021–22 में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा और भी आस्थगित कर परिसंपत्ति की मान्यता के लिए पर्याप्त कारण उपलब्ध है और एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल प्राइवेट लिमिटेड को देय ब्याज का प्रावधान सही नहीं है और इस प्रकार वित्तीय विवरणों पर एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो केवल विचार का विषय है। इसके अलावा नुकसान और आकस्मिक देनदारियों को 2020–21 के लिए अकाउंट बुक में सही ढंग से दिखाया गया है।

एमएमटीसी लिमिटेड

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित तुलन पत्र

(रुपए करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2021को	31.03.2020 को
परिसंपत्तियां			
गैर चालू परिसंपत्तियां			
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	3	**34.57**	38.95
संपत्ति,उपयोग का अधिकार	3	**3.36**	5.14
कार्यशील पूंजीगत	3	**-**	-
निवेश संपत्ति	4	**3.87**	4.05
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	5	**0.39**	0.56
इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए निवेश खाता	6A	**79.87**	78.73
वित्तीय परिसंपत्तियां			
निवेश	6B	**2.23**	1.16
व्यापार प्राप्य	7A	**-**	-
ऋण	8	**5.44**	6.65
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	**45.31**	46.13
स्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	10	**555.44**	230.84
अन्य चालू परिसंपत्तियां	11A	**24.99**	25.00
चालू परिसंपत्तियां			
इन्वेंट्रीज	12	**45.65**	217.71
वित्तीय परिसंपत्तियां			
निवेश	6C	**-**	-
व्यापार प्राप्य	7B	**834.11**	2,046.99
नगद तथा नगद समतुल्य	13	**155.00**	74.65
उपरोक्त के अलावा बैंक भोश	14	**98.65**	152.20
ऋण	8	**1.36**	1.72
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	**6.20**	14.31
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	15	**2.64**	11.44
अन्य चालू परिसंपत्तियां	11B	**3,566.94**	3,446.16
बिक्री के लिए रोकी गई संपत्ति	6D	**7.84**	7.86
कुल परिसंपत्तियां		**5,473.86**	**6,410.25**
इक्विटी तथा देयता			
इक्विटी			
इक्विटी भोयर पूंजी	16A	**150.00**	150.00
अन्य इक्विटी	16B	**(50.26)**	733.47
अनियंत्रित ब्याज		**-**	-
देयताएं			
गैर-चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
उधार	17A	**-**	166.70
अन्य वित्तीय देनदारी	19A	**3.61**	6.49
प्रावधान	20A	**44.03**	44.84
चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
उधार	17B	**2,417.85**	3,682.84
व्यापार प्राप्य			
कुल सुक्ष्म और लघु उद्यम बकाया देय	18	**0.03**	0.08
कुल सुक्ष्म और लघु उद्यम से अलग बकाया देय देनदारी		**998.28**	665.52
अन्य वित्तीय देयताएं	19B	**209.65**	200.19
अन्य चालू देनदारियाँ	21	**772.22**	706.26
प्रावधान	20B	**926.97**	52.77
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	22	**1.48**	1.09
कुल इक्विटी और देयता		**5,473.86**	**6,410.25**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ.आर सं. 00002312 एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एमनं 095584

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दास)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन: 08751137

दिनांक: 27.10.2021
स्थान: नई दिल्ली

(जे. रवि शंकर)
निदेशक
डीआईएन : 6961483

(संजय चड्ढा)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00752363

*एमएमटीसी की अचल संपत्तियों का मूल्यांकन किया गया है और नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 31.03.2021 को उचित मूल्य 1642 करोड़ रू.है, जबकि पिछले मूल्यांकन गई 2020 में 1389 करोड़ रू. था।

एमएमटीसी लिमिटेड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्श के लिए लाभ व हानि लेखा विवरण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
आय			
परिचालन से राजस्व	23	**30,001.47**	26,304.71
अन्य आय	24	**17.67**	36.25
कुल आय (i)		**30,019.14**	**26,340.96**
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	25	**75.51**	177.46
व्यापार में स्टॉक की खरीद	26	**28,348.17**	25,060.51
तैयार माल की इंवेंट्रीज, स्टॉक इन ट्रेड और वर्कइन में परिवर्तन	27	**161.82**	44.09
कर्मचारी लाभ व्यय	28	**140.21**	199.32
वित्तीय लागत	29	**202.09**	142.19
मूल्यह्रास, हानि तथा अमोर्टाइजेशन व्यय	30	**5.69**	6.50
अन्य खर्च	31	**1,321.61**	886.14
कुल खर्च (ii)		**30,255.10**	**26,516.21**
असाधारण मदों तथा टैक्स (I और II) से पूर्व लाभ		**(235.96)**	(175.25)
असाधारण मदें –व्यय/(आय)	32	**877.18**	44.32
कर पूर्व लाभ और इक्विटी एकाउंटिड निवेशी		**(1,113.14)**	**(219.57)**
इक्विटी पद्धति का प्रयोग करते हुए खाते में संयुक्त उपक्रमो लाभ का भाग(आयकर निकालकर)		**0.79**	(71.27)
करपूर्व लाभ		**(1,112.35)**	**(290.84)**
कर व्यय	33		
i) वर्तमान कर		**1.46**	1.03
ii) पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन		**0.07**	(0.12)
iii) आस्थगित कर		**(324.60)**	-
कुल कर व्यय		**(323.07)**	**0.91**
वर्ष के लिए लाभ (ए)		**(789.28)**	(291.75)
वर्ष के लिए उपारोप्य लाभः			
पैरेंट के मालिक		**(789.28)**	(291.75)
अनियंत्रित ब्याज		**-**	-
अन्य व्यापक आय		**(789.28)**	**(291.75)**
ऐसी मदें जिनको लाभ अथवा हानि के लिए पुनः			
वर्गीकृत नहीं किया जाएगाः			
– परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मूल्यांकन		**6.93**	(11.26)
– अन्य व्यापक आय द्वारा इक्विटी इंस्ट्रूमेंटस		**1.07**	(9.38)
– आयकर का प्रभाव		**-**	-
– संयुक्त उपक्रमों मे अन्य व्यापक आय का शेयर(कर रहित)		**0.34**	(0.06)
लाभ अथवा हानि के लिए पुनः वर्गीकृत मदें		**-**	
– विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों को बदलने पर विनिमय अंतर		**(2.79)**	8.28
कुल अन्य व्यापक आय कर रहित (बी)		**5.55**	(12.42)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि) (ए + बी)		**(783.73)**	(304.17)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		**(783.73)**	**(304.17)**
पैरेंट के मालिक		**-**	**-**
अनियंत्रित ब्याज			
वर्ष के कुल व्यापक आय		**(783.73)**	**(304.17)**
प्रति इक्विटी शेयर से अर्जन			
बेसिक व डाइल्यूटेड	**46**	**(5.26)**	**(1.95)**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ.आर सं. 00002312 एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए. आर.सी. गुप्ता)
पार्टनर
एमन. 095584
दिनांकः 27.10.2021
स्थानः नई दिल्ली

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दास)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएनः 08751137

(जे. रवि शंकर)
निदेशक
डीआईएन : 6961483

(संजय चड्ढा)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00752363

एमएमटीसी लिमिटेड				
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण				
				(रुपए करोड़ में)
विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
ए. प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ		**(1,112.35)**		**(290.84)**
के लिए समायोजन :–				
इवेंट्रीज के मूल्यांकन पर हानि	**1.59**		7.49	
मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय	**5.69**		6.50	
निवल विदेशी मुद्रा (लाभ)/हानि	**(11.89)**		(5.80)	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	**(1.37)**		(0.06)	
गैर चालू निवेश की मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	**-**		33.80	
ब्याज आय	**(8.31)**		(14.61)	
लाभांश आय	**(0.07)**		(12.41)	
वित लागत	**201.60**		141.87	
लीज पर ब्याज खर्च	**0.49**		0.32	
बट्टे खाते में डाले गये ऋण/दावे	**5.80**		0.34	
सीएसआर व्यय	**0.89**		1.43	
संदिग्ध ऋणों/ दावे व अग्रिमों के लिए भत्ता	**1.06**		0.49	
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	**(0.29)**		(3.83)	
रिटेन बैक देयताएं	**(4.38)**		(4.91)	
डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	**0.08**		0.04	
संयुक्त उपक्रमों के (लाभ)/हानि के शेयर में प्रयुक्त लेखों के लिए इक्विटी पद्धति (शुद्ध निवल आयकर)	**(0.79)**		71.27	
		190.10		**221.93**
कार्यगत पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ		**(922.25)**		**(68.91)**
के लिए समायोजन :–				
इन्वेंट्रीज	**170.47**		54.71	
व्यापार प्राप्ति योग्य	**1,210.48**		(1,617.30)	
ऋण व अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**10.50**		(8.34)	
अन्य चालू व गैर चालू परिसंपत्तियां	**(70.01)**		(484.74)	
व्यापार प्राप्य	**344.81**		(461.89)	
अन्य वित्तीय देयताएं	**6.58**		26.06	
अन्य चालू व गैर चालू देयताएं	**65.96**		145.55	
प्रावधान	**879.34**	**2,618.13**	(154.01)	(2,499.96
प्रदत्त कर		**1,695.88**		(2,568.87)
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		**7.66**		**(19.44)**
बी. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		**1,703.54**		**(2,588.31)**
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	**(0.42)**		(6.41)	
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	**2.61**		0.69	
निवेश की बिक्री/खरीद	**0.02**		(79.42)	
प्राप्त किया गया ब्याज	**8.31**		14.61	
प्राप्त किया गया लाभांश	**0.07**	**10.59**	12.41	(58.12)
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		**10.59**		**(58.12)**
सी. वित गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
लिये गये उधार	**(1,431.69)**		2,888.05	
वित्त लागत	**(201.60)**		(141.87)	
लीज (ब्याज)	**(0.49)**		(3.41)	
प्रदत्त लाभांश (लाभांश वितरण कर शामिल)	**-**	**(1,633.78)**	(54.25)	2,688.52
वित्तीय कार्यकलापों से निवल नगदी		**(1,633.78)**		**2,688.52**
डी . नगद व नगद समतुल्य में निवल परिवर्तन		**80.35**		42.09
ई. आरंभिक नगद व नगद समतुल्य(नोट संख्या 13)		**74.65**		**32.56**
एफ. अंतिम नगद व नगद समतुल्य(नोट संख्या 13)		**155.00**		**74.65**

टिप्पणी:

3. उपरोक्त नगद प्रवाह विवरण 'अप्रत्यक्ष पद्धति' के तहत जैसाकि नगद प्रवाह विवरण के विशय में इंड एएस–7 में बताया गया है के अनुसार तैयार किया गया है ।
4. शाखा कार्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर कारपोरेट कार्यालय में निश्चित एकूअल / डेफरल के लिए समायोजन
3. नगद तथा नगद समतुल्य में शामिल है :–

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
बैंकों में उपलब्ध भोश		
(ए) चालू खाते में	**62.93**	59.79
(बी) 3 माह तक की मूल परिपक्वता वाले टर्म डिपाजिट्स	**57.92**	-
(सी) कैश क्रेडिट खाते में डेबिट शेष	**33.99**	14.82
उपलब्ध चेक / ड्राफ्ट / स्टाम्प	**-**	-
उपलब्ध रोकड़	**0.16**	0.04
कुल	**155.00**	**74.65**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ.आर सं. 00002312 एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एमनं. 095584

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दास)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएनः 08751137

दिनांकः 27.10.2021
स्थानः नई दिल्ली

(जे. रवि शंकर)
निदेशक
डीआईएन : 6961483

(संजय चड्ढा)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00752363

एमएमटीसी लिमिटेड

31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में हुए परिवर्तनों का समेकित विवरण

1. इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपए करोड़ में)

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
01.04.2020 तक शेष	1,500,000,000	150
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31.03.2021 को शेष	**1,500,000,000**	**150**

(रुपए करोड़ में)

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
01.04.2020 तक शेष	1,500,000,000	150
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31.03.2020 को शेष	**1,500,000,000**	**150**

(रुपए करोड़ में)

	संचयी वित्तीय इंस्ट्रूमेंट का इक्विटी घटक	रिजर्व एवं सरप्लस				व्यापक आय की अन्य मदें			मूल कंपनी के के मालिकों को शेष्य	कुल
		बांड रिडिंपशन रिर्जव	आरएंडडी रिजर्व	सामान्य रिजर्व	रिटेंड अर्जन	ओसीआई द्वारा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरण बदलने पर विनिमय अंतर	ओसीआई के अन्य आइटम्स		
1.4.2020 को शेष	1.13	8.30	-	598.89	132.08	(10.00)	16.93	(13.86)	733.47	733.47
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	(789.28)	1.07	(2.79)	7.27	(783.73)	(783.73)
लाभांश तथा डीडीटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
फारवर्ड कांट्रेक्ट पर अनअमोर्टाइज्ड प्रीमियम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रिटेंड अर्जन में मदों की सीधे पहचान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजना का पुनः मापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य कोई परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.3.2021 को शेष	**1.13**	**8.30**	**-**	**598.89**	**(657.20)**	**(8.93)**	**14.14**	**(6.59)**	**(50.26)**	**(50.26)**

(रुपए करोड़ में)

	संचयी वित्तीय इंस्ट्रूमेंट का इक्विटी घटक	रिजर्व एवं सरप्लस				व्यापक आय की अन्य मदें			मूल कंपनी के के मालिकों को शेष्य	कुल
		बांड रिडिंपशन रिर्जव	आरएंडडी रिजर्व	सामान्य रिजर्व	रिटेंड अर्जन	ओसीआई द्वारा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरण बदलने पर विनिमय अंतर	ओसीआई के अन्य आइटम्स		
1.4.2019 को शेष	1.13	8.30	0.35	588.54	505.69	(0.62)	8.85	(2.54)	1,109.70	1,109.70
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	(291.75)	(9.38)	8.28	(11.32)	(304.17)	(304.17)
लाभांश तथा डीडीटी	-	-	-	-	(54.25)	-	-	-	(54.25)	(54.25)
फारवर्ड कांट्रेक्ट पर अनअमोर्टाइज्ड प्रीमियम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रिटेंड अर्जन में मदों की सीधे पहचान	-	-	-	-	(2.89)	-	(0.20)	-	(3.09)	(3.09)
परिभाषित लाभ योजना का पुनः मापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य कोई परिवर्तन	-	-	(0.35)	10.35	(24.72)	-	-	-	(14.72)	(14.72)
31.3.2020 को शेष	**1.13**	**8.30**	**-**	**598.89**	**132.08**	**(10.00)**	**16.93**	**(13.86)**	**733.47**	**733.47**

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर न पहचाना गया लाभांश (करोड़ रुपए में)

प्रस्तावित लाभांश	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
प्रस्तावित लाभांश	-	-
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	-	-

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ.आर सं. 00002312 एन

(सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एमनं. 095584
दिनांक: 27.10.2021
स्थान: नई दिल्ली

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दास)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन: 08751137

(जे. रवि शंकर)
निदेशक
डीआईएन : 6961483

(संजय चड्ढा)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00752363

एमएमटीसी लिमिटेड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के लिए नोट

1. सामान्य सूचना

1963 में स्थापित और भारत में अधिवासित कंपनी एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स, 7 इंस्टीटयूनल एरिया, लोदी रोड नई दिल्ली–110003, भारत में स्थित है। कंपनी के भारत में विभिन्न स्थानों पर 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड सिंगापुर में है।

कंपनी की प्रमुख गतिविधियों में खनिजों का निर्यात और कीमती धातुओं, अलौह धातुओं के आयात, उर्वरक, कृषि उत्पादों, कोयला तथा हाइड्रोकार्बन आदिका व्यवसाय शामिल हैं। कंपनी की व्यापार गतिविधियां एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के विभिन्न देशों में फैली हुई है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2.1 क) अनुपालन का विवरण और वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण कंपनीज (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड–एएस) तथा इनमें बाद में हुए संशोधनों के अनुरूप तैयार किया गया है। इन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी समयावधि के लिए लेखांकन नीतियों को निरंतर लागू किया गया है। वित्तीय विवरण एक्रुअल के आधार पर तैयार लेखा पुस्तिकाओं से ऐतिहासिक लागत समझौते के तहत तैयार किए जाते हैं। वित्तीय साधन, जो उचित मूल्य पर मापे जाते हैं, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार होते हैं, इसके अपवाद हैं।

(ख) समेकन का आधार

एमएमटीसी लिमिटेड अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के साथ 'समूह' के रूप में जाना जाता है। कंपनी उन संस्थाओं को समेकित करती है, जो इंड ए एस–110 के प्रावधानों के अनुसार उसका स्वामित्व या नियंत्रण रखती है। समेकित वित्तीय विवरण ों में कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण शामिल होते हैं। समूह की कंपनियों के वित्तीय विवरणों को लाइन–बाई–लाइन आधार पर समेकित किया जाता है और इस तरह के लेनदेन से अवास्तविक लाभ/हानि सहित इंट्रा–ग्रुप बैलेंस और लेनदेन को समेकन पर समाप्त कर दिया जाता है। ये वित्तीय विवरण 'समूह' में उपयोग में समान लेखा नीतियों को लागू करके तैयार किए जाते हैं। गैर–नियंत्रित हित जो कि समूह द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रित नहीं की जाने वाली सहायक कंपनियों के शुद्ध लाभ या हानि और शुद्ध संपत्ति के हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, को निकाल दिया गया है।

एसोसिएट्स ऐसी इकाइयाँ हैं जिन पर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव है लेकिन नियंत्रण नहीं है। संयुक्ति उपक्रम ऐसी इकाइयों हैं जिनपर समूह का संयुक्त नियंत्रण होता है और इकाई की निवल संपत्ति पर अधिकार होता है। सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों में निवेश का हिसाब इंड–एएस 28 के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए रखा जाता है। निवेश शुरू में लागत पर पहचाना जाता है, और अधिग्रहण की तारीख के बाद निवेशकर्ता के लाभ या हानि के निवेशक की हिस्सेदारी को पहचानने के लिए वहन राशि को बढ़ाया या घटाया जाता है।

2.2 कार्यात्मक और प्रस्तुति करेंसी

इन वित्तीय विवरणों को भारत की राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रूप्ए में तैयार किया गया है। यह कंपनी की फंक्शनल करेंसी है। वित्तीय विवरणों में इक्विटी भोयरों की संख्या और प्रति शेयर डेटा को छोडकर सभी राशियों को भारतीय रूपयों में दर्शाया गया है तथा जंहा कही ऐसा नहीं किया गया है वहां पर अन्य उल्लेख किया गया है।

2.3 अनुमान और निर्णय का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए निर्णयों अनुमानों और आकलनों की आवश्यकता होती है जो परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरण की तिथि को सूचित की गई आकस्मिक देनदारियों तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करता है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर की पहचान उस अवधि में होती है जिसमें परिणाम ज्ञात/प्राप्त होते हैं।

2.5 राजस्व पहचान

i) ट्रेडिंग आय

माल की बिक्री से प्राप्त होने वाले राजस्व की गणना रिटर्न व भत्तों, व्यापार डिस्काउंट वाल्यूम छूट को घटाकर प्राप्त प्रतिफल अथवा प्राप्त होने वाले प्रतिफल के उचित मूल्य पर की जाती है। राजस्व की पहचान तब की जाती है जब कंपनी वादा की गई सेवाओ और सामान को ग्राहक को ट्रांसफर करके निष्पादन दायित्व पर सहमत होता है और ग्राहक इसका इसपर अपना आधिकार ले लेता है और ऐसी संभावना है कंपनी ग्राहक को ट्रांसफर किए गए सामान और सेवाओं के बदले लाभ, जिसके हकदार है, कंपनी प्राप्त करेगी!

खरीद व बिक्री

ए. कंपनी के माध्यम से सरणीकृत किये गये कुछ वस्तुओं के आयात के मामले मे जो आयात भारत सरकार द्वारा जारी अधिकृत पत्र के

द्वारा 'सरकारी खाते' में किये जाते हैं, वह क्रय/विक्रय कंपनी के नाम पर बुक होता है।

बी. वस्तुओं का व्यापार कमोडिटी एक्सचेंज के माध्यम से भी होता है। व्यापार के संबंध में विभिन्न कमोडिटी एक्सचेंजों के माध्यम से क्रय/विक्रय को बुक किया जाता है और इसके आधार पर माल की वास्तविक सुपुर्दगी होती है।

सी. सोने/चांदी को डिपोजिट के तहत रखा जाता है: सोने/चांदी के आपूर्तिकर्ता के साथ व्यवस्था के अनुसार धातु को आपूर्तिकर्ता द्वारा कंपनी के पास अनफिक्स्ड मूल्य आधार पर बाद में वापसी के लिए या आउटराईट क्रय के लिए रखा जाता है।

(i) नामित एजेंसी के रूप में कंपनी द्वारा संचालित एक्जिम पॉलिसी की योजना के अनुसार, खरीद में आउटराईट खरीद के आधार पर आपूर्तिकार की जमा खेप से निकाला गया सोना/चांदी शामिल हैं।

(ii) वर्ष के दौरान घरेलू बिक्री के लिए सोने की खरीद को सप्लायरों के जमा सोने/चांदी की खेप से निकासी पर और आपूर्तिकारों के साथ मूल्य निर्धारण पर शामिल किया जाता है। 'वर्ष के अंत में कंपनी में अंडर डिपॉजिट रखे गये स्टॉक को चालू परिसंपत्तियां स्टॉक के अंतर्गत 'बिना बीजक के खरीदारी के स्टाक के रूप में और चालू देयताओं के अंतर्गत वर्ष के अंत में प्रचलित बुलियन मूल्य पर बिना बीजक के खरीदारी के रूप में देय राशि में शामिल किया जाता है। हालांकि, जमा में शेष के संबंध में भुगतान सीमा शुल्क प्रीपेड खर्च में शामिल किया जाता है।

(iii) सोने/चांदी अंडर डिपॉजिट से ऋण आधार पर वापस लिये गये सोना/चांदी ग्राहकों को दिए गए ऋण के रूप में बुक किया जाता है और वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत समूहबद्ध किया जाता है। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त स्टॉक की देनदारी को सकल लेनदार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। ऋण/सकल लेनदार का समायोजन खरीद/बिक्री बुक किए जाने पर होता है।

डी. जब सोने की खरीद घरेलू बाजार से की जाती है तथा मूल्य निर्धारण को आस्थगित रखा जाता है, इस स्थिति में आरंभ में खरीद को सप्लायर से प्राप्त इन्वायस के आधार पर रिकार्ड में लिखा जाता है। मूल्य फिक्स करने पर यदि कोई अंतर आता है तो इसे डेबिट/क्रेडिट नोट के माध्यम से हिसाब में लिया जाता है।

ई. भरपाई के आधार पर, मार्जिन धन देकर निर्यातक द्वारा बुक कराए गए सोने/चांदी खरीद विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ कीमत तय करने के बाद बुक की जाती है। हालांकि, बिक्री तब बुक की जाती है जब वास्तव में निर्यात पूरा होने के बाद माल की डिलीवरी की जाती है।

एफ. हाईसीज सेल

माल के दस्तावेजों के हस्तांतरण के माध्यम से आयात बिक्री के दौरान अर्थात हाई सीज बिक्री को माल के टाईटल के दस्तावेजों के हस्तातंरण पर खरीदार के पक्ष में माल बुक किया जाता है जिससे माल पर क्रेता का नियंत्रण हो जाता है और कंपनी बिकी आय को लेने की हकदार हो जाती है। जिससे माल पर क्रेता का नियंत्रण हो जाता है और कंपनी बिकी आय को लेने की हकदार हो जाती है इससे पहले माल भारत के कस्टम सीमाओं से बाहर हो जाता है।

ii) अन्य ऑपरेटिंग राजस्व

कंपनी की मुख्य गतिविधियों से संबंधित आय, जो बिक्री/सेवाओं से प्राप्त होने वाले राजस्व में शामिल नहीं होती है, उदाहरण के लिए अर्जित डिस्पैच, सब्सिडी, व्यापार लेनदेन पर होने वाले नुकसान के दावें क्रेडिट बिक्री पर ब्याज और व्यापार संबंधी अग्रिम (ओवरडयू के अलावा) आदि, जो व्यापार सहयोगी या संबंधित व्यापार संबंधी योजनाओं के साथ संबंधित व्यापार समझौतों की शर्तों के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं को 'अन्य ऑपरेटिंग राजस्व' के अंतर्गत रखा जाता है।

iii) दावें

दावों की पहचान लाभ और हानि (किसी भी देय को घटाकर) के विवरण में अक्रुअल आधार पर होती है, जिसमें सरकार से मिली प्राप्तियां, सब्सिडी, नकद प्रोत्साहन, हानियां आदि की प्रतिपूर्ति शामिल है जब अंतिम वसूली की संभावना होती है । दावों की पहचान की जाती है लेकिन बाद में संदिग्ध होने के कारण लाभ और हानि विवरण में दिखाया जाता है। बीमा दावों को बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार किए जाने पर खातों में शामिल किया जाता है। कमी/क्षति जिसमें तरल क्षतियां/मात्रा/गुणवत्ता में कमी इत्यादि को संबद्ध संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार खातों में शामिल किया जाता है। यदि वर्तमान संविदा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो संभावित दावा राशि की वसूली के अतिरिक्त पार्टी द्वारा स्वीकृति मिलने पर लेखों में शामिल किया जाता है। ऐसे दावों की पहचान होने पर उसी पार्टी को अग्रिम मिलने भुगतान योग्य दावे के एवज में वसूली की जाएगी/समंजन किया जाएगा।

iv) सेवा आय

कंपनी मुआवजे का हक देने के लिए सेवाओं में राजस्व बुक किया जाता है जब ग्राहक को वायदा की गई सेवाएं ट्रांसफर करने पर निष्पादन दायित्व पूरा हो जाए।

v) लाभांश और ब्याज आय

निवेश से लाभांश आय की पहचान तब की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार प्रमाणित हो जाता है और यह संभव है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आय की राशि की गणना विश्वसनीय रूप से की जा सकती है।

ब्याज आय की पहचान बकाया राशि और प्रभावी ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात आधार पर होती है, जो वित्तीय परिसंपत्ति की सकल राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों पर छूट

की दर है।

vi) वास्तविक वसूली पर राजस्व की पहचान

राजस्व की पहचान अक्रुअल आधार पर नीचे दी गई मदों को छोडकर, इंड एएस–115 के प्रावधानों के अनुसार होती है। जिनकी गणना वास्तविक वसूली पर होती है क्योंकि ऐसी मदों की वसूली अनिश्चित होती है :–

ए) ड्यूटी क्रेडिट/लागू विदेश व्यापार नीति की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के तहत छूट, टैक्स क्रेडिट, सर्वेक्षण कमी के कारण कस्टम शुल्क की वापसी, और आयकर/सेवाकर/बिक्री–कर/वैट/जीएसटी तथा इस पर लगने वाले ब्याज आदि की वापसी।

बी) निष्पादन/विवादित देय राशि और उन पर देय ब्याज के लिए लंबित डिक्री, यदि कोई हो तो

सी) अतिदेय वसूली पर ब्याज जहां वसूली अनिश्चित हो।

डी) आपूर्तिकर्ताओं/अंडरराईटरों को देय निर्णीत हर्जाना।

2.5 परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की लागत की पहचान परिसंपत्ति के रूप में होती है यदि, और केवल यदि ऐसी संभावना है कि मदों से संबंधित संभावी आर्थिक लाभ कंपनी के पक्ष में जाएंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकता है। पीपीई की मद की लागत पहचान तिथि को लागत के बराबर होती है। पीपीई की एक मद की लागत में शामिल है:

(i) खरीद मूल्य जिसमें व्यापार छूट और कटौती को घटाकर आयात शुल्क और गैर–वापसी खरीद कर शामिल है।

(ii) लागत सीधे तौर पर पीपीई को उस स्थिति और स्थान पर लाने के लिए सहायक है जहां प्रबंधन द्वारा अपेक्षित तरीके से संचालन करने में सक्षम है।

(iii) वस्तु को विभाजित करने और हटाने की लागत का आरंभिक अनुमान और उस स्थान पर लौटाने के लिए जिस पर यह स्थित है, कंपनी जिस दायित्व के लिए खर्च करती है जब पीपीई लिया हो या विशेष अवधि के दौरान पीपीई के प्रयोग के परिणामस्वरूप उस अवधि के दौरान इंवेंट्री तैयार की गई हो।

कंपनी ने पहचान के लिए लागत माडल को चुना है और यह माडल पीपीई की पूरी श्रेणी पर लागू होता है। संपत्ति की पहचान के बाद पीपीई की एक मद इसकी लागत से कम किसी भी संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि पर नुकसान होता है।

छोटे मूल्य की कुछ वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, दीवार घड़ी, रसोई के बर्तन, आदि जिनका उपयोगी जीवन बहुत ही सीमित है और लागत के रूप में इस तरह के आइटम के लिए 2000/– रूपये प्रत्येक मामले में खरीद के वर्ष में राजस्व के लिए सीधे शुल्क लिया जाता है। लागत के बावजूद मोबाइल हैंडसेट की कीमत भी राजस्व प्रभारित की जाती है चाहे लागत कुछ भी हो।

2.6 अमूर्त परिसंपत्तियां

जब कंपनी परिसंपत्तियों पर नियंत्रण रखती है तो पहचान योग्य अमूर्त संपत्तियों की पहचान की जाती है, ऐसी संभावना है कि परिसंपत्ति पर भविष्य में मिलने वाले आर्थिक लाभों का प्रवाह एक से अधिक आर्थिक अवधि में कंपनी के हित में होता है और संपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकता है। पहली नजर में अमूर्त संपत्ति की पहचान लागत पर होती है। अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन सीधे तौर पर अनुमानित राशि पर उपयुक्त अवधि के लिए उस तिथि से किया जाता है जिस तिथि से वे उपयोग के लिए उपलब्ध है। साफ्टवेयर्स को इनकी उपभोग अवधि में अमोर्टाइज किया जाता है। जिसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष अथवा लाइसेंस अवधि होती है, जैसा भी मान्य हो। प्रत्येक मामले में 2000/–रूपये तक अमूर्त परिसंपत्ति को सीधे राजस्व में चार्ज किया जाता है।

रिसर्च के द्वारा निकली अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान नहीं की जाती और खर्चे पर रिसर्च को सीधे लाभ व हानि खाते से कम किया जाता है, जब यह व्यय होता है विकास के द्वारा अर्जित अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान की जाती है यदि परिसंपत्ति इंडएएस के अनुसार पहचान के लिए कसौटी को पूरा करती है। अमूर्त परिसंपत्ति पर परिव्यय जिसकी पहचान शुरू में खर्चे के रूप में की गई थी वह अमूर्त संपत्ति की लागत के एक भाग के रूप में बाद में की गई।

2.7 बिक्री के लिए गैर–उपयोगी परिसंपत्ति

कंपनी गैर–उपयोगी संपत्ति (या संपत्ति का निपटान समूह) जो बिक्री के लिए है यदि इसकी वर्तमान मूल्य की वसूली इसका उपयोग जारी रखने की बजाय बिक्री लेन–देन के माध्यम से इसकी वसूली सैद्धांतिक रूप से हुई हो तो उसका वर्गीकरण किया जाता है। गैर–उपयोगी संपत्ति को बिक्री के लिए वर्गीकृत किया जाता है, जिसको वर्तमान से कम और बिक्री से कम लागत के उचित मूल्य पर आंका जाता है।

2.8 मूल्यह्रास

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित उपयोगी अवधि के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसची–II के अंतर्गत प्रदान किए गए मूल्यह्रास के बराबर है। संपत्ति के उपयोगी जीवन के प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है। पीपीई की प्रत्येक ईकाई का प्रत्येक भाग लागत के साथ संपत्ति की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और यदि संपत्ति का उपयोगी जीवन संपत्ति के शेष भाग से अलग है, ऐसे महत्वपूर्ण भाग पर अलग से मूल्यह्रास लगाया जाता है। सभी वस्तुओं पर मूल्यह्रास उस तिथि से लगाया जाता है जिस तिथि को "उपयोग के लिए उपलब्ध" है और बिक्री पर निपटान की तिथि तक लगाया जाता है। इसमें अमूर्त संपत्ति और लीजहोल्ड संपत्ति का परिशोधन शामिल है। फ्रीहोल्ड जमीन पर मूल्यह्रास नहीं

निकाला जाता है। पीपीई की आइटम की पहचान नहीं की जाती जब या तो इसका निपटान किया गया है या जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से किसी आर्थिक लाभ की आशा नहीं होती।

परिसंपत्ति का नाम परिसंपत्ति का नाम	अनुसूची II के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाया गया उपयोगी जीवन
ए. सामान्य परिसंपत्ति	
फर्नीचर फिटिंग्स	10
दफ्तर के उपकरण	5
वाहन – स्कूटर	10
वाहन – कार	8
कंप्यूटर्स– सर्वर्स और नेटवर्क	6
कंप्यूटर्स – अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण	3
लीज–होल्ड भूमि	लीज एग्रीमेंट के अनुसार
वैगन रेक्स	एग्रीमेंट/वैगन निवेश योजना के अनुसार
पंखों को छोड़कर इलैक्ट्रिक इंस्टालेशन	10
जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज	5
सडकें	
कारपेटिड सड़क – आरसीसी	10
गार्डेड सड़क – आरसीसी के अलावा	5
गैर कारपोटिड सड़कें	3
पुलिया	30
ईमारतें	
आरसीसी	60
आरसीसी के अलावा	30
आवासीय फ्लैट (तैयार)	
आरसीसी	60
आरसीसी के अलावा	30
अस्थायी संरचना और लकड़ी के पार्टिशन	3
वेयरहाउस/गोदाम	30
बी. विनिर्माण इकाई की परिसंपत्तियां	
फैक्टरी बिल्डिंग्स	30
पंखों को छोड़कर इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन	10
जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज	5
मशीनरी एवं प्लांट	
एक शिफ्ट	15
दो शिफ्ट	10
तीन शिफ्ट	7.5
मशीनरी एवं संयंत्र – पवन उर्जा उत्पादन संयंत्र	22
सी. भूमि पर बनाई गई स्थायी परिसंपत्तियां तथा जो न ही स्थायी परिसंपत्तियां तथा न ही जमीन कंपनी की है	5
डी. अमूर्त संपत्ति का परिशोधन(अमोर्टाजेशन)	
सॉफ्टवेयर	5 साल या लाइसेंस अवधि जैसी भी स्थिति हो

2.9 हानि

यदि किसी संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य (या नगद–जनरेटिंग ईकाई) का अनुमान संपत्ति की मूल राशि (या नगद–सृजित ईकाई) से वसूली योग्य मूल्य से कम पर लगाया जाता है। हानि को लाभ या हानि में तुरंत दिखाया जाता है जब तक कि संबंद्ध संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता जिस मामले में हानि को पुनर्मूल्यांकन कमी माना गया है।

वसूली योग्य मूल्य उचित मूल्य में से निपटान लागत और इसका मूल्य घटाकर निकाला जाता है। उपयोग में मूल्य के आकलन के लिए अनुमानित भविष्य नगद–प्रवाह को उसके वर्तमान लागत में लाया जाता है इसके लिए कर से पूर्व छूट का उपयोग किया जाता है ताकि यह धन का सामयिक मूल्य का चालू बाजार आकलन और संपत्ति पर जोखिम विशेष प्रतिबिंबित कर सके जिसके लिए भविष्य नगद प्रवाह आकलन का समायोजन नहीं किया गया है।

जब इसके फलस्वरूप हानि रिवर्स होती है तो संपत्ति की मूल राशि इसकी वसूली योग्य मूल्य के संशोधित आकलन तक बढ जाती है (या एक नगद–जनरेटिंग ईकाई) ताकि बढी हुई मूल राशि इसकी मूल राशि से अधिक न हो और यह माना गया है कि पिछले वर्षों में संपत्ति के लिए कोई हानि नहीं दिखाई गई है (या नगद–जनरेटिंग ईकाई)। जब तक संबंधित संपत्ति की पुनर्मूल्यांकन राशि नहीं निकाली जाती, हानि के रिवर्स को तुरंत लाभ या हानि में दिखाया जाता है जिस मामले में हानि में रिवर्स को पुनर्मूल्यांकन वृद्धि माना गया है।

मूर्त एवं अमूर्त परिसंपत्तियों में हानि होने के किन्हीं संकेतों का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर कंपनी उनकी कैरिंग लागत की पुनरीक्षा करती है। यदि ऐसे कोई संकेत विद्यमान होते हैं तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है ताकि हानि (यदि कोई हो तो) के परिमाण का निर्धारण किया जा सके। जब किसी एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता तो जिस रोकड़ अर्जन इकाई से परिसंपत्ति संबंधित है कंपनी उसकी वसूली योग्य राशि का आकलन करती है। जब आबंटन के तर्कसंगत एवं एक समान आधार की पहचान की जा सकती है तो अनिश्चित उपयोगी समय के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों एवं उपयोग के लिए अभी अनुपयुक्त अमूर्त परिसंपत्तियों की हानि के लिए जब भी ऐसे संकेत मिलते हैं कि परिसंपत्ति में हानि हो सकती है तो वर्ष में न्यूनतम एक बार जांच की जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में क्षति के सूचकों के लिए लाभ व हानि द्वारा उचित मूल्य(एफवीटीपीएल) के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्धारण किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्ति की आरंभिक पहचान के पश्चात एक या अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप निवेश के अनुमानित भविष्य में रोकड़ प्रवाह प्रभावित हुआ है तो ऐसे वस्तुनिष्ठ साक्ष्य होने पर वित्तीय परिसंपत्ति में क्षति मानी जाती है। बिक्री हेतु उपलब्ध(एएफएस) इक्विटी निवेशों के लिए प्रतिभूति की लागत से कम पर फेयर मूल्य में महत्वपूर्ण अथवा दीर्घकालीन गिरावट को क्षति का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य माना जाता है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षति के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:–

- जारीकर्त्ता अथवा प्रतिपक्ष(काउंटर पार्टी) की महत्वूपर्ण वित्तीय समस्या
- ब्याज अथवा मूल भुगतान में डिफाल्ट अथवा चूक के कारण करार भंग
- ऋण लेने वाले की दिवालिया अथवा वित्तीय पुनर्गठन अथवा वित्तीय कठिनाइयों के कारण उस वित्तीय परिसंपत्ति के लिए एक्टिव बाजार गायब होने की संभावना।

व्यापारिक प्राप्य जैसी वित्तीय परिसंत्तियों के कुछ वर्गो के लिए क्षति हेतु परिसंपत्तियों का निर्धारण वैयक्तिक आधार पर किया जाता है। भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का विगत अनुभव तथा शून्य दिन की औसत क्रेडिट अवधि के पश्चात पोर्टफोलियो में विलंबित भुगतान की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ वसूली योग्य राशि में चूक से संबंधित राष्ट्रीय अथवा स्थानीय आर्थिक परिस्थितियों में दर्शनीय परिवर्तन वसूली योग्य राशि के पोर्टफोलियो में क्षति का वस्तुनिष्ठ साक्ष्यों में शामिल हो सकते हैं।

जिन वित्तीय परिसंपत्तियों को लागत पर लिया जाता है उनकी क्षति/हानि की राशि का आकलन उसी प्रकार की वित्तीय परिसंपत्ति की वर्तमान मार्केट रेट आफ रिटर्न घटा कर अनुमानित भविश्य रोकड़ प्रवाह के वर्तमान मूल्य तथा परिसंपत्ति की कैरिंग लागत के बीच के अंतर पर किया जाता है। ऐसी क्षति/हानि को तदंतर में रिवर्स नहीं किया जाएगा।

व्यापारिक प्राप्यों को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षति/हानि को सीधे ही वित्तीय परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि से कम कर दिया जाता है। संबंधित वित्तीय परिसंपत्ति के लिए अलाउंस अकाउंट के प्रयोग द्वारा उक्त क्षति/हानि को कम किया जाता है। जब यह माना जाता है कि व्यापारिक प्राप्य संग्रहणीय नहीं है तो अलाउंस खाते के प्रति इसे बटटे खाते में डाला जाता है। पहले बटटे खाते में डाली गई राशि की वसूली को अलाउंस खाते के प्रति क्रेडिट किया जाता है। अलाउंस खाते की कैरिंग राशि की पहचान लाभ अथवा हानि में की जाती है।

परिशोधित लागत पर आकलित वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए यदि तदंतर में क्षति/हानि के परिमाण में कमी आती है तथा क्षति की पहचान होने के पश्चात घटी घटना से कमी को निष्पक्षता से संबंधित किया जाता है तो विगत में पहचानी गई क्षति/हानि को लाभ अथवा हानि द्वारा रिवर्स किया जाता है। यह उस सीमा तक किया जाता है कि रिवर्स की गई क्षति की तिथि को निवेश की कैरिंग राशि, यदि क्षति की पहचान न की जाती तो जो परिशोधित लागत होती, उससे अधिक न हो।

वित्तीय परिसंपत्तियों की डी–रिकग्नीशन

जब परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाह के संविदात्मक अधिकार निरस्त होते हैं अथवा जब वित्तीय परिसंपत्ति तथा इसके पश्चात स्वामित्व के जोखिम एवं रिकार्डस का किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरण करती है तो कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को डी–रिकागनाईज कर देती है। यदि कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा रिवार्डस को न तो हस्तांतरित करती है और न ही उन्हें अपने पास रखती है तथा हस्तांतरित परिसंपत्ति का नियंत्रण रखती है तो कंपनी परिसंपत्ति में अपने रिटेन्ड हितों की पहचान करती है तो राशि की संबंधित देयता का इसे वहन करना होगा। यदि हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के जोखिमों तथा रिकार्ड को काफी हद तक कंपनी अपने पास रखती है तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की पहचान करने के साथ–साथ प्राप्त मुनाफे के लिए कोलेटराइज्ड ऋण की भी पहचान करती है।

वित्तीय परिसंपत्ति के पूर्णतः डी–रिकगनाईज होने पर परिसंपत्ति की कैरिंग राशि तथा प्राप्त हुए लाभ की राशि के अंतर को तथा वसूली योग्य एवं संचयी लाभ अथवा हानि जिसे अन्य आय में पहचाना गया है तथा इक्विटी में संचय किया गया है, को लाभ अथवा हानि में पहचाना जाता है।

2.10 ऋण लागत

कंपनी उस क्रय लागत को पूंजीगत बनाती है जो सीधे तौर पर अधिग्रहण, निर्माण या संपत्ति की लागत के भाग के रूप में क्वालिफाईंग संपत्ति के उत्पादन पर आरोप्य होता है।

कंपनी उस लागत की पहचान खर्चे के रूप में उस अवधि में करती है जिसमें यह खर्च की गई हो।

क्वालिफाइंग परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जिसको इसके वांछित उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार होने में काफी समय लगता है।

2.11 विदेशी मुद्रा विनिमय

क्रियात्मक मुद्रा से अलग मुद्रा में लेनःदेन की पहचान लेन–देन की तिथि को विनिमय दर पर की जाती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गित मौद्रिक मदें उस तिथि को प्रचलित दर पर पुनः मूल्यांकित की जाती हैं। विदेशी मुद्रा में मूल्य–वर्गित गैर–मौद्रिक मदें उचित मूल्य पर पुनःमूल्यांकित की जाती है जिस दर पर उस तिथि को उचित मूल्य निर्धारित हुआ था। विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित की गई गैर–मौद्रिक मदों का ऐतिहासिक लागत पर पुनःमूल्यांकन नहीं किया जाता है।

विदेशी करेंसी मौद्रिक मदों (अतिदेय वसूली योग्य जहां विश्वसनीयता अनिश्चित हो, को छोड़कर) को इंड एएस–21 में परिभाषित अंतिम दर को प्रयोग करके परिवर्तित किया जाता है। गैर–मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग लेन–देन की तिथि को विनिमय दर का प्रयोग करके ही जाती है। विनियम अंतर लाभ/हानि को लाभ–हानि विवरण में दिखाया जाता है।

स्थिर परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित विदेशी मुद्रा की देयता को अंतिम दर का प्रयोग करके परिवर्तित किया जाता है। विनिमय अंतर को लाभ–हानि विवरण में दिखाया जाता है।

2.12 इन्वेंट्री

इन्वेंट्री को शुद्ध वसूली योग्य मूल्य और कम लागत पर दर्शाया जाता है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य इन्वेंट्री के अनुमानित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें पूर्व अनुमानित लागत जो बिक्री के लिए आवश्यक है, शामिल है। लागत और मूल्यांकन के निर्धारण की पद्धति नीचे दी गई है :–

(ए) निर्यात :

(i) प्रत्यक्ष खर्चे जो स्टॉक के रखने की जगह तक किए गए हैं, को शामिल करने के बाद निर्यात स्टाक निकाला गया है। इसी प्रकार बाजार मूल्य खर्चों को घटाकर वसूली योग्य मूल्य निकाला जाता है। इन खर्चों में वे खर्चे भी शामिल हैं जो उस स्थान से बिक्री स्थान तक किए गए हैं।

(ii) खनिज अयस्क के संबंध में अयस्क के वसूली मूल्य की गणना निर्यात करार के अनुसार अयस्क के ग्रेड के न्यूनतम एफई/एमएन मात्रा पर की जाती है और इसकी तुलना अयस्क के वेटिड औसत एफई/एमएन मात्रा/वेटिड औसत नमी की मात्रा पर क्रेटिड औसत लागत से की जाती है।

(बी) आयात :

(i) आयातित स्टाक की लागत का मूल्यांकन वार्षिक क्षेत्रीय भारित औसत लागत निकाल कर किया जाता है जिसमें अलौह धातु के लिए शामिल शेष स्टाक की वेटिड औसत लागत शामिल नहीं है। इसमें उन खर्चों को शामिल माना जाता हैं जो रखे गये माल के स्थान तक किये गये हैं, तथापि जहां स्टाक विशेष रुप से पहचान योग्य होता है, वहां माल की वास्तविक लागत में वे खर्चे शामिल किए जाते हैं जो उस स्थान तक किए गए हैं जहां माल रखा गया माना जाता है।

ii) प्रतिपूर्ति विकल्प के अंतर्गत निर्यातकों द्वारा बुकिंग करने पर विदेशी आपूर्तिकारों से सोना/चांदी खरीदा जाता है और वर्ष के अंत में सुपुर्द नहीं किए गए स्टाक को कंपनी के स्टाक में दिखाया जाता है और उसका मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

(सी) घरेलू

(i) सोने/चांदी के मेडालियन और चांदी के सामान की लागत की गणना प्रतिवर्ष स्थान–वार सामान की भारित औसत लागत और आरंभिक स्टाक की लागत की गणना करके की जाती है। लागत में विनिर्माण/फैबरिकेशन चार्जेज, वेस्टेज तथा अन्य लागत खर्च शामिल है ।

(ii) कट और पालिश वाले पत्थरों और आभूषणों (तैयार, अर्ध–तैयार) के मामले में जहां स्टाक विशेष रूप से पहचाने जाने योग्य है, माल की वास्तविक लागत में वे खर्चे शामिल किए जाते हैं जो उस स्थान तक किए जाते हैं जहां रखे गए माने जाते हैं। लागत में वेस्टेज और अन्य प्रत्यक्ष निर्माण लागत शामिल है।

(डी) पैकिंग मैटिरियल

पैकिंग मैटिरियल का मूल्यांकन कम लागत या शुद्ध वसूली मूल्य पर किया जाता है।

(ई) फैब्रिकेटर्स के पास स्टाक

फैब्रिकेटर्स के पास स्टाक को समायोजन होने तक कंपनी के स्टाक में लिया जाता है।

2.13 प्रावधान

पिछली घटना के फलस्वरूप कंपनी के वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा रचनात्मक) होने पर प्रावधानों की पहचान की जाती है, यह संभव है कि दायित्वों के समायोजन के लिए आर्थिक लाभों के आउटफ्लो की आवश्यकता हो और दायित्वों की राशि से विश्वसनीय आकलन तैयार किया जा सके।

2.14 आकस्मिक देयताएं / परिसंपत्तियां

आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं की जाती है बल्कि इनकी सूचना लेखों की टिप्पणियों में दी जाती है जब कंपनी का संभावित दायित्व पिछली घटना और दायित्वों की विद्यमानता भविश्य की घटनाओं की पुनरावृत्ति और गैर–पुनरावृत्ति पर निर्भर करता है जो कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होते।

आकस्मिक देनदारियों का मुल्यांकन निरंतर यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि अधिक संसाधनों का आउटफ्लो संभाव्य हो जाता है। यदि आउटफ्लो संभव हो जाता है तो संबंधित प्रावधान की पहचान वित्तीय विवरण में की जाती है।

जहां एक ईकाई एक दायित्व के लिए संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी है, उस दायित्व का हिस्सा जिसे अन्य पार्टियों द्वारा मिले जाने की उम्मीद है, उसे एक आकस्मिक दायित्व माना जाता है। ईकाई दायित्वों के भाग के लिए प्रावधानों की पहचान करती है जिसके लिए आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों का आउटफ्लो संभावित है, सिवाय अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जहां विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, देयताओं के सामान्य टिप्पणियों के खातों के हिस्से के रूप में दिखाया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्ति

आकस्मिक परिसंपत्ति की पहचान वित्तीय विवरणों में की जाती है। इस तरह की आकस्मिक संपत्ति का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और आर्थिक लाभों का प्रवाह संभव होने पर नोट्स में खुलासा किया जाता है। अगर यह वास्तव में निश्चित है कि आर्थिक लाभों का प्रवाह उत्पन्न होगा तो ऐसी संपत्तियां और संबंधित आय की पहचान वित्तीय विवरणों में की जाती है।

2.15 लीज

संपत्ति लीज के तहत होती है जिसमें जोखिम और स्वामित्व का महत्वपूर्ण दर्जा मूलभूत परिसंपत्ति से जुडे पट्टेदार को स्थानांतरित कर दिया जाता है जो वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत होते हैं।

अन्य पट्टों को ऑपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जिसमें जोखिम और स्वामित्व का दर्जा मूलभूत परिसंपत्ति से जुडे पट्टेदारों को स्थानांतरित किया जाता है।

कंपनी आमतौर पर ऑपरेटिंग पट्टों का निष्पादन करती है, जो निम्नानुसार है:–

(i) परिचालन पट्टों से किराए की आय की पहचान सीधी रेखा के आधार पर संबद्ध पट्टे की शर्तों पर की जाती है।

(ii) जब कंपनी पटटाधारी हो तो आरंभ में संपत्ति के अधिकार की तिथि को लागत और पटटे को भुगतान के वर्तमान मूल्य पर दिखाया जाता है जिसको पट्टे की देयता के रूप का भुगतान नहीं किया जता है तदंतर, संपत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यांकन लागत माडल का उपयोग करते हुए पट्टा देयता के पुर्नमूल्यांकन के लिए अपेक्षित किसी समायोजन के साथ किया जाता है और पटटा देयता का मूल्यांकन पट्टा देयता पर ब्याज दर्शाने के लिए कैरिंग राशि की वृद्धि करके दिया जाता है कि जिससे भुगतान की गई पट्टे की राशि की वृद्धि करके किया जाता है जिससे भुगतान की गई पटटे की राशि को दिखाने के लिए केरिंग राशि को कम किया जाता है और केरिंग राशि का पुनः मूल्यांकन किसी पुनःनिर्धारण या पट्टे में संशोधन को दिखाने के लिए किया जाता है।

(iii) एक व्यावहारिक समीक्षक के रूप में, अल्पावधि के पट्टे और पट्टे जिनके लिए अंतर्निहित संपत्ति 1,00,000/– रूपये प्रति माह के कम मूल्य की है या 1,00,000/– रूपये प्रति वर्ष दिए गए प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त नहीं हैं। इंड ए एस–116 (पट्टों) के तहत और पट्टे की अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर खर्च के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2.16 कर्मचारी लाभ

i. ग्रेच्युटी, अवकाश मुआवजा और दीर्घ सेवा लाभ जैसे सेवा अवार्ड, अनुकंपा ग्रेच्युटी, कर्मचारियों के लिए परिवार लाभ योजना तथा माईका प्रभाग के कर्मचारियों को विशेष लाभ का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और इसमें प्रोजेक्टिड ईकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया गया है। पुनर्मूल्यांकन, बीमांकिक जिसमें लाभ और हानि, संपत्ति सीमा (यदि

लागू हो) में परिवर्तन और योजना परिसंपत्तियों (ब्याज को छोडकर) पर लाभ, वित्तीय स्थिति विवरणों में चार्ज और उस अवधि में व्यय जिसमें वे होते हैं अन्य व्यापक आय क्रेडिट के साथ तुरंत दिखाई देते हैं, उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। अन्य व्यापक आय में पहचाने गये पुनर्मूल्यांकन रोकी गई आय में प्रतिबिंबित होते हैं और उन्हें फिर से लाभ या हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता। और किसी योजना संशोधन, कटौती और वर्तमान सेवा लागत, निवल ब्याज, पिछली सेवालागत या समझौते के लिए लाभ या हानि के निर्धारण के लिए विचार किया जाता है।

ii. सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान परिभाषित अंशदान आधार पर किया जाता है।

iii. प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट को प्रोविडेंट फंड का अंशदान अक्रूअल आधार पर किया जाता है।

iv. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर एक्स–ग्रेशिया और नोटिस वेतन के भुगतान को उस वर्ष के राजस्व में लिया जाता है।

v. एक परिभाषित अंशदान योजना, अधिवर्षिता योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किया जाता है। कंपनी प्रत्येक पात्र कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के आधार पर अंशदान देती है।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ दायित्व

लघु अवधि के कर्मचारी लाभ दायित्वों का आकलन बिना छूट आधार पर मापा जाता है और व्यय को संबंधित सेवा के रूप में दर्ज किया जाता है। पीएलआई/पीआरपी योजना के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि के लिए दायित्व के रूप में पहचान की जाती है अगर कंपनी के कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सर्विस के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए वर्तमान कानूनी या तर्कसाध्य दायित्व है और दायित्व का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है।

2.17 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय और आस्थगित कर की राशि को दर्शाता है।

वर्तमान कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ, लाभ या हानि विवरण और अन्य व्यापक आय/लाभ या हानि विवरण में दिखाये गए कर से पहले लाभ से भिन्न होता है क्योंकि आय या व्यय जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य है और जो आइटम कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं है। कंपनी के चालू कर की गणना उस कर की दर से की जाती है जो लागू हो या रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक में लागू हो।

आस्थगित कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की राशियों के बीच कर योग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त वित्तीय विवरणों और संबंधित कर के बीच अस्थायी अंतर है। आस्थगित कर देनदारियों की पहचान आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए की जाती है। आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान आमतौर पर उस सीमा तक की जाती है कि ऐसा संभव है कि कर योग्य लाभ उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए उपलब्ध होंगे। इस तरह के आस्थगित कर संपत्ति और देनदारियों की लेनदेन में पहचान नहीं की जाती है यदि उस लेनदेन में संपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक पहचान से अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है (एक व्यापार संयोजन के अलावा) जो कर योग्य लाभ और न ही लेखा लाभ को प्रभावित करता है। इसके अलावा, आस्थगित कर देनदारियों की पहचान नहीं की जाती यदि गुडविल की प्रारंभिक पहचान से अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है।

आस्थगित करों की पहचान जहां कंपनी अस्थायी अंतर के रिवर्सल को नियंत्रित करने में सक्षम है, को छोड़कर सहायक और सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के हितों में देनदारियों में निवेश से संबंधित कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए की जाती है। और ऐसी संभवना है कि निकट भविष्य में अस्थायी अंतर में रिवर्सल नहीं होगा। ऐसे निवेश और हितों से संबद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर संपत्ति की पहचान केवल उस सीमा तक की जाती है जहां संभव है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ का अस्थायी अंतरों के लिए लाभों का उपयोग हो सके और निकट भविष्य में इसका रिवर्सल होने की आशा हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियें की बकाया राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और इस सीमा तक कम किया गया है कि यह अब संभव नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ संपत्ति के सभी या कुछ हिस्से के लिए उपलब्ध होगा !

आस्थगित कर देयताएं और संपत्तियों का मूल्यांकन टैक्स दर से किया जाता है और ऐसी आशा की जाती है कि यह उस अवधि में लागू होगा जिसमें दायित्व का निर्वाह होता है या संपत्ति की वसूली होती है। यह रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू या मूल रूप से लागू कर दरों (और कर कानून) पर आधारित होता है।

वर्ष के लिए वर्तमान और आस्थगित कर

वर्तमान और आस्थगित कर की पहचान लाभ या हानि में की जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संगत किये जाते हैं जब उनकी पहचान क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में की जाती है। जब वर्तमान कर या आस्थगित कर प्रारंभिक लेखा से उत्पन्न होता है तो कर प्रभाव व्यापार संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल होता है ।

लाभांश वितरण कर

कंपनी अन्य इक्विटी के अंतर्गत लाभांश के भुगतान पर देय लाभांश वितरण कर भी शामिल कर रही है क्योंकि वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के फलस्वरूप भुगतान के देय लाभांश को अन्य इक्विटी के तहत भी प्रस्तुत किया जाता है।

आयकर ट्रीटमेंटस पर अनिश्चितता

ईंडएएस–12 के अंतर्गत जेब आयकर ट्रीटमेंट्स, पर अनिश्चितता हो तो कंपनी कर योग्य लाभ (या हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानियां अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों पर विचार करते हुए, कंपनी आयकर प्राधिकारी द्वारा इसी ट्रीटमेंट को स्वीकार करने की संभावना पर विचार करती है और तुलनात्मक समायोजन के बिना ही पहले निवेदन पर इक्विटी समायोजन के द्वारा संचयी प्रभाव के साथ पूर्व प्रभाव के समायोजन के कारण परिवर्तन पर भी विचार करती है!

2.18 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां वे संपत्ति हैं जो किराया कमाने और/या पूंजी में बढोतरी (ऐसे उद्देश्य के लिए निर्माणाधीन संपत्ति शामिल हैं) के लिए होती हैं। निवेश संपत्ति का मूल्यांकन आरंभ में लागत दर पर किया जाता है जिसमें लेन–देन लागत शामिल है। कंपनी की सभी संपत्तियां आपरेटिंग लीज के अंतर्गत किराया कमाने या पूंजी का विस्तार करने के उद्देश्य के लिए निवेश संपत्तियों के रूप में लेखों में शामिल की जाती हैं। आरंभिक पहचान के पश्चात कंपनी निवेश का मूल्यांकन लागत पर करती है।

जब कर निपटान किया जाता है या निवेश संपत्ति पूरी तरह से उपयोग से हटा ली जाती है और उसके निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलने की कोई उम्मीद होती है तो ऐसी निवेश संपत्ति की पहचान समाप्त हो जाती है। संपत्ति के निपटान से किसी लाभ या हानि को उस वर्ष की अवधि में लाभ अथवा हानि में लिया जाता है जिस वर्ष इसका निपटान होता है। (इसकी गणना शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की मूल राशि के अंतर पर की जाती है)।

निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास संपत्ति की उस श्रेणी के अनुसार लगाया जाता है जिससे वह संबंध रखती है और संपत्ति की अवधि का अनुमान कंपनी की संपत्ति को उसी श्रेणी में लिया जाता है।

2.19 प्रति शेयर अर्जन

इक्विटी धारकों पर आरोप्य सकल लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर बेसिक प्रति शेयर अर्जन का आकलन किया जाता है। डाईल्यूटिड प्रति शेयर अर्जन का आकलन कंपनी के इक्विटी धारकों पर अरोप्य लाभ को मूल(बेसिक) प्रति शेयर अर्जन ज्ञात करने के लिए उपयुक्त इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या के साथ साथ अगर सभी संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर यह शेयर जारी किए जाते तो उन इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। यदि इक्विटी शेयरों को वास्वत में उचित मूल्य(अर्थात बकाया इक्विटी शेयरों का औसत बाजार मूल्य) पर जारी किया जाता तो वसूली योग्य लाभ में संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों को समायोजित किया जाता है। जब तक शेयर बाद की तिथि को जारी नहीं किए जाते तो संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों को अवधि के आरंभ में ही परिवर्तित माना जाता है। प्रत्येक प्रस्तुत अवधि के लिए स्वतंत्र रूप से संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों का निर्धारण किया जाता है।

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों का अनुमोदन किए जाने से पूर्व किए गए प्रभावी परिवर्तनों सहित किसी शेयर विभाजन एवं जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए सभी अवधियों में प्रस्तुत किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या एवं संभावित डाईल्यूटिड इक्विटी शेयर्स को पूर्व प्रभावी रूप से समायोजित किया जाता है।

2.20 बंद किए गए प्रचालन

बंद किए गए प्रचालन कंपनी के व्यापार का एक घटक है जो अलग प्रकार के व्यापार को इंगित करता है जिसे बेचा जा रहा है अथवा बिक्री के लिए रखा गया है अथवा यह एक सहायक कंपनी है जिसे केवल पुनः बिक्री के उद्देश्य से अधिग्रहीत किया गया है। निपटान से पहले अथवा जब प्रचालन 'बिक्री के लिए रखा गया' के रूप में वर्गीकृत मापदण्ड को पूरा करता है तो 'बंद किए गए प्रचालन' के रूप में इसका वर्गीकरण किया जाता है।

2.21 वित्तीय दस्तावेज

i) गैर अमौलिक (नान डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेज

गैर अमौलिक (नॉन डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेज में निम्नलिखित शामिल हैं :–

- वित्तीय परिसंपत्तियां जिसमें रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष, ट्रेड प्राप्य, बिल न किया गया राजस्व, वित्त लीज प्राप्य, कर्मचारी एवं अन्य अग्रिम, इक्विटी में निवेश तथा ऋण प्रतिभूतियां एवं पात्र चालू एवं गैर चालू परिसंपत्तियां शामिल हैं।

  वित्तीय देयताएं जिसमें दीर्घ एवं लघु अवधि ऋण एवं उधार, बैंक ओवरड्राफट, ट्रेड देय, पात्र चालू एवं गैर चालू देयताएं शामिल हैं।

  वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं बराबर कर दी जाती हैं और शुद्ध राशि को तुलन–पत्र में रखा जाता है। यदि वर्तमान में प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार है जो शामिल राशि को बराबर कर देता है और निवल आधार पर सेटल करने की मंशा है। ताकि परिसंपत्ति की कानूनी और देयताओं का निपटान एक साथ हो सके।

  गैर मौलिक (नॉन डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेजों की पहचान आरंभ में सीधे तौर पर आरोप्य ट्रांजेक्शन लागत के साथ–साथ उचित मूल्य पर की जाती है। जब वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के बहुत अधिक जोखिमों एवं रिवार्डस को अंतरित किया गया हो तब वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान नहीं की जाती है। यदि वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के बहुत अधिक जोखिमों एवं रिवार्ड को न ही ट्रांसफर अथवा न ही रिटेन किया गया है अथवा रोक कर नहीं रखा गया तथा कंपनी द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों का नियंत्रण बना कर नहीं रखा है तो वित्तीय परिसंपत्तियों की

पहचान नहीं की जाती।

आरंभिक पहचान के पश्चात गैर–मौलिक (नॉन–डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेजों का आकलन निम्नलिखित है:–

(ए) रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष

कैश फ्लो विवरण के उद्देश्य के लिए अपने पास(कैश इन हैंड), बैंकों में रोकड़ तथा बैंकों में डिमाण्ड डिपाजिट, मांग किए जाने पर पुनर्भुगतान योग्य बकाया बैंक ओवर ड्राफ्ट्स जिन्हें कंपनी के रोकड़ प्रबंधन सिस्टम का भाग माना जाता है आदि रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में शामिल हैं। वित्तीय स्थिति के विवरण में बैंक ओवरड्राफ्ट्स को चालू देयताओं के अधीन उधार के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

(बी) लिक्विड म्यूचुअल फंडों, इक्विटी प्रतिभूतियों(सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम तथा एसोसिएट्स के अतिरिक्त) में निवेश का मूल्यांकन उनके फेयर मूल्य पर किया जाता है। इन निवेशों का आकलन फेयर मूल्य पर किया जाता है तथा इनमें क्षति/हानि के अतिरिक्त परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में दर्शाने के साथ–साथ कर घटाकर इक्विटी के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। क्षति/हानि, यदि कोई हो तो, को इक्विटी से आय के विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। जब कोई वित्तीय परिसंपत्ति बिक्री के लिए उपलब्ध होती है तो इसे डी–रिकग्नाईज कर दिया जाता है तथा इक्विटी में पहचाने गए संबंधित संचयी लाभ या हानि को आय के विवरण में अंतरित कर दिया जाता है।

(सी) ऋण एवं प्राप्य

ऋण एवं प्राप्य स्थायी अथवा निर्धारण किए जाने योग्य वाली गैर मौलिक वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जिन्हें सक्रिय बाजार में उदधृत नहीं किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात 12 माह से अधिक समय पर परिपक्व होने वाली जिन्हें गैर चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, के अतिरिक्त इन्हें चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऋणों एवं प्राप्यों को आरंभ में उचित मूल्य के साथ–साथ आरोप्य किए जाने योग्य लेन देन लागत सहित पहचाना जाता है तथा बाद में किसी प्रकार की क्षति होने को कम करके प्रभावी ब्याज प्रक्रिया का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर आंका जाता है। ऋणों एवं प्राप्यों में ट्रेड प्राप्य, बिल न किए गए राजस्व तथा अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं।

ऐतिहासिक भुगतान तरीके, ग्राहकों पर ध्यान, ग्राहक की विश्वसनीयता तथा वर्तमान आर्थिक रुझानों का विश्लेषण करते हुए कंपनी वसूली योग्य खातों के संग्रह न किए जाने का अनुमान निर्धारित करती है। यदि किसी ग्राहक की वित्तीय स्थिति और खराब होती है तो अतिरिक्त भत्तों की आवश्यकता हो सकती है।

(डी) ट्रेड एवं अन्य प्राप्य

ट्रेड एवं अन्य प्राप्यों को आरंभ में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है तथा इसके पश्चात प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर निर्धारित किया जाता है। वित्तीय दस्तावेजों की लघु अवधि परिपक्वता के कारण इनकी कैरिंग राशि उचित मूल्य के लगभग होती है।

(ई) सहायक कंपनी, एसोसिएट्स तथा संयुक्त उपक्रम में निवेश

सहायक कंपनी एसोसिएटस में किए गए निवेश को निगम लागत पर खातों में लेता है।

कंपनी के नियंत्राधीन इकाई को कंपनी की सहायक कंपनी माना जाता है।

भारत से बाहर की सहायक कंपनी में किए गए निवेश को अधिग्रहण की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर हिसाब में लिया जाता है।

जिन निवेश पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है उनका वर्गीकरण एसोसिएट्स के रूप में किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशकर्ता द्वारा वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी नीतिगत निर्णयों में भागीदारी की शक्ति होती है परन्तु इन नीतियों पर नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है ।

संयुक्त व्यवस्था जिसके द्वारा व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों का संयुक्त व्यवस्था की सकल परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है, उन्हें संयुक्त उपक्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संयुक्त नियंत्रण किसी व्यवस्था की हिस्सेदारी के लिए संविदात्मक रूप से की गई सहमति है जिसमें प्रासंगिक कार्यकलापों के विषय में निर्णयों के लिए नियंत्रण की हिस्सेदारी वाले पक्षों की एक मत से सहमति आवश्यक होती है।

ii) <u>अमौलिक (डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेज</u>

कंपनी को विदेशी मुद्रा में परिसंपत्तियों, दायित्वों, विदेशी कार्यकलापों में शुद्ध निवेश तथा विदेशी मुद्रा में मौद्रिकृत पूर्वानुमित रोकड़ प्रवाह में विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव का जोखिम रहता है।

कंपनी डेरिवेटिव के प्रयोग तथा स्थापित जोखिम प्रबंधन नीतियों का अनुसरण करते हुए विदेशी मुद्रा दर में उतार चढ़ाव के प्रभाव को सीमित किया जाता है, जहां दूसरा पक्ष मुख्यतः बैंक होता है, वहां कंपनी डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेज बनाती है।

डेरिवेटिव की पहचान एवं मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है। निश्चित लेन देन लागत की पहचान लागत की तरह आय के विवरण में की जाती है।

आरंभिक पहचान के पश्चात डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेजों का मूल्यांकन निम्नलिखित रूप से किया जाता है।

ए) रोकड़ प्रवाह हेजिज

रोकड़ प्रवाह हेज के रूप में निर्दिष्ट डेरिवेटिव हेजिंग दस्तावेज के उचित मूल्य में परिवर्तन की पहचान अन्य समेकित आय तथा रोकड़ प्रवाह हेजिंग अधिशेष, सकल कर एवं हेज के प्रभावी होने की सीमा तक इक्विटी के एक घटक के रूप में की जाती है। हेज के अप्रभावी होने की सीमा तक उचित मूल्य की पहचान आय के विवरण में की जाती है तथा विदेशी मुद्रा विनिमय में लाभ/(हानि) प्रचालन के कार्यकलापों से प्राप्त निवल राशि दी जाती है। यदि हेजिंग दस्तावेज हेज एकाउंटिंग की प्रणाली के अनुरूप नहीं होता है तो हैज एकाउंटिंग को बंद कर दिया जाता है। विगत में रोकड़ हेजिंग अधिशेष में पहचाने गए संचयी लाभ अथवा हानि को संबंधित अनुमानित लेनदेन किए जाने पर लाभ व हानि विवरण में अंतरित किया जाता है। यदि अनुमानित लेनदेन होने की संभावना नहीं होती है तो उक्त संचयी शेष की पहचान त्तकाल रूप से लाभ तथा हानि के विवरण में की जाती है।

बी) अन्य

न तो रोकड़ प्रवाह हेजिज और न ही विदेशी प्रचालनों में किए गए निवल निवेश की हेजिज के रूप में निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव दस्तावेज के उचित मूल्य में परिवर्तन को आय के विवरण में पहचाने जाने के साथ–साथ प्रचालन के कार्यकलापों के परिणामस्वरूप निवल विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ/(हानि) के अधीन सूचित किया जाता है।

उधार से संबंधित विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंटस के निपटान पर अंकित मूल्य में होने वाले परिवर्तनों तथा लाभ/(हानि), जिन्हें हेजिज नहीं माना गया है, को वित्तीय खर्चों में शामिल किया गया है।

2.22 खण्डवार सूचना

जैसा कि इंड एएस–108 ' 'आपरेटिंग सेगमेंट्स' में परिभाषित किया गया है कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक(सीएमडी) की पहचान चीफ आपरेटिंग डिसीजन मेकर(सीओडीएम) के रूप में की जाती है। कंपनी के सीएमडी द्वारा ही राजस्व में वृद्धि तथा प्रचालन आय के आधार पर खंडों का मूल्यांकन किया जाता है।

कंपनी ने अपने आपरेटिंग सेगमेंट्स की पहचान खनिजों, बहुमूल्य धातुओं, धातुओं, कृषि उत्पादों, कोयला एवं हाईड्रोकार्बन, उर्वरक एवं सामान्य व्यापार/अन्य के रूप में की है।

कंपनी के व्यापार में प्रयुक्त परिसंपत्तियों एवं देयताओं जिन्हें किसी भी आपरेटिंग खण्ड में नहीं पहचाना गया है उन्हें आबंटन न की जाने वाली परिसंपत्तियों/देयताओं के रूप में दर्शाया गया है। प्रबंध तंत्र का यह विचार है कि उपलब्ध डाटा का अर्थपूर्ण विश्ले ाण कठिन होने के कारण संपूर्ण परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबंधित खंडवार प्रकटन उपलब्ध करवाना अभी व्यवहार्य नहीं है चूंकि कुल परिसंपत्तियों एवं देयताओं को परस्पर परिवर्तन के रूप में प्रयोग किया जाता है।

2.23 पूर्वावधि चूकें

पूर्वावधि(यों) से संबंधित गंभीर चूकों का प्रकटन पूर्वावधि चूकों की प्रकृति तथा बाद में प्रस्तुत किए गए उक्त प्रत्येक पूर्वावधि चूक के लिए किए गए सुधारों के एक नोट द्वारा किया जाता है और यह बेसिक एवं कम हुए (डाईल्यूटिड) प्रतिशेयर अर्जन में परिवर्तन के साथ व्यवहार्य सीमा तक किया जाता है। तथापि किसी विशेष अवधि के लिए यदि अतीतलक्षीय पुनः विवरण व्यवहार्य नहीं होता है तो इस स्थिति के विद्यमान होने की परिस्थितियों एवं चूक को किस प्रकार एवं कहां से सुधारा गया है इसके विवरण का प्रकटन नोट्स टू एकाउंटस में किया जाता है। कंपनी के व्यापार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यदि एक साथ आय/व्यय (निवल) की मदें कंपनी की बिक्री टर्न ओवर के 0.5 प्रतिशत से अधिक होती है तो पूर्वावधि चूकों को गंभीर माना जाता है।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों का नोट

3. संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2020 को सकल कैरिंग मूल्य	वृद्धि	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2021 को सकल कैरिंग मूल्य	1 अप्रैल, 2020 को संचित मूल्यह्रास	वृद्धि	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2021 को संचित मूल्यह्रास	31 मार्च, 2021 को नेट कैरिंग मूल्य	31 मार्च, 2020 को नेट कैरिंग मूल्य
फ्रीहोल्ड भूमि										
– कार्यालय भवन	0.37	-	-	0.37	-	-	-	-	0.37	0.37
– स्टॉफ क्वार्टर्स	0.13	-	-	0.13	-	-	-	-	0.13	0.13
लीज होल्ड भूमि	-	-	-		-	-	-			
– कार्यालय भवन	1.07	-	-	1.07	0.09	0.02	-	0.11	0.96	0.98
– स्टॉफ क्वार्टर्स	1.85	-	-	1.85	0.56	0.22	-	0.78	1.07	1.29
भवन	-	-	-		-	-	-			
– कार्यालय भवन	6.68	-	(0.23)	6.45	0.81	0.17	(0.03)	0.95	5.50	5.87
– स्टॉफ क्वार्टर्स/आवासीय फ्लैट्स	1.21	-	-	1.21	0.18	0.04	-	0.22	0.99	1.03
– जलापूर्ति, सीवरेज व ड्रेनेज	0.06	-	-	0.06	0.04	0.01	-	0.05	0.01	0.02
– विद्युत इंस्टॉलेशंस	3.07	-	-	3.07	1.90	0.06	-	1.96	1.11	1.17
– सड़कें व पुलियां	0.02	-	-	0.02	0.02	-	-	0.02	-	-
– ऑडियो/फायर/एयरकंडिशिनिंग	0.06	-	-	0.06	0.05	-	-	0.05	0.01	0.01
प्लांट एवं उपकरण	41.11	-	(0.51)	40.60	15.39	2.97	(0.51)	17.85	22.75	25.72
फर्नीचर तथा फिक्स्चर्स	-	-	-		-	-	-			
– पार्टिशंस	1.27	-	(0.03)	1.24	0.97	0.10	-	1.07	0.17	0.30
– अन्य	1.61	0.01	(0.05)	1.57	0.65	0.15	(0.03)	0.77	0.80	0.96
वाहन	0.50	-	(0.02)	0.48	0.24	0.06	(0.02)	0.28	0.20	0.26
कार्यालय उपकरण	1.88	0.20	(0.20)	1.88	1.47	0.20	(0.04)	1.63	0.25	0.41
अन्य :	-	-	-		-	-	-			
कम्प्यूटर/डाटा प्रोसेसर्स	2.47	0.03	(0.11)	2.39	2.04	0.20	(0.10)	2.14	0.25	0.43
कुल	**63.36**	**0.24**	**(1.15)**	**62.45**	**24.41**	**4.20**	**(0.73)**	**27.88**	**34.57**	**38.95**
गत वर्ष	63.13	0.69	(0.46)	63.36	20.27	4.48	(0.34)	24.41	**38.95**	
परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार	**7.40**	**0.14**	**(1.18)**	**6.36**	**2.26**	**1.04**	**(0.30)**	**3.00**	**3.36**	**5.14**
गत वर्ष	1.62	5.78	-	7.40	0.13	2.13		2.26	**5.14**	
कार्य प्रगति पर पूंजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गत वर्ष	0.28	-	(0.28)	-	-	-	-	-	-	-

(ए) दिल्ली स्थित स्टाफ क्वार्टर्स से संबंधित लीजहोल्ड भूमि, सडकें तथा पुलियां, सीवरेज, ड्रेनेज तथा जलापूर्ति में वह भागिल है जो पूर्व में कंपनी द्वारा 50:50 के आधार पर एसटीसी लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से धारित थी। तथापि कंपनी ने वर्ष 2018–19 में डीडीए से अपने हिस्से की 16.16 एकड भूमि की अलग लीज डीड अपने नाम पर निष्पादित करा ली।

(बी) वर्ष के दौरान, कंपनी ने परिसंपत्तियों में हुई हानि का निर्धारण कराया तथा तदनुसार पीपीई के मूल्य में वर्ष के दौरान हुई 0.27 करोड रूपए (गत वर्ष 'शून्य' करोड रूपए) की हानि का प्रावधान किया गया है।

सी) एमएमटीसी की अचल संपत्तियों का मूल्यांकन किया गया है और नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 31.03.2021 को उचित मूल्य मई 2019 में 1389 करोड रू. के पिछले मूल्यांकन के मुकाबले 1642 करोड रू. है। नोट 32 (ii) देखें

4. निवेश संपत्ति

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
वर्ष के आरंभ में सकल कैरिंग मूल्य	**4.88**	4.66
वृद्धि	-	0.22
निपटान / समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में सकल कैरिंग मूल्य	**4.88**	**4.88**
वर्ष के आरंभ में संचित मूल्यह्रास	**0.84**	0.67
वृद्धि	**0.16**	0.16
निपटान / समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में संचित मूल्यह्रास	**1.01**	0.83
वर्ष के अंत में नेट कैरिंग मूल्य	**3.87**	**4.05**

निवेश संपत्तियों के लिए राशि लाभ अथवा हानि में पहचान की गई राशियां हैं ।

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
किराया आय	**1.50**	1.35
संपत्ति से संबंधित प्रत्यक्ष परिचालन व्यय जिससे किराया आय अर्जित हुई।	-	-
संपत्ति से संबंधित प्रत्यक्ष परिचालन व्यय जिससे किराया आय अर्जित नहीं हुई।	-	-
मूल्यह्रास से पूर्व निवेश परिसंपत्तियों से लाभ	**1.50**	1.35
मूल्यह्रास	**0.08**	0.08
निवेश संपत्तियों से लाभ	**1.42**	**1.27**

लिजिंग व्यवस्था

कुछ निवेश परिसंपत्तियों को किराएदारों को दीर्घावृद्धि ओपरेटिंग लीज के तहत लीज पर दिया जाता है जिसके तहत मासिक आधार पर किराया देय होता है। निरस्त न की जाने वाली ओपरेटिंग लीज निवेश संपत्तियों से प्राप्त होने वाली न्यूनतम लीज राशि का विवरण नीचे दिया गया है :–

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
एक वर्ष के अंदर	-	-
एक वर्ष के बाद परंतु पांच वर्ष तक	-	-
पांच वर्ष के बाद	-	-
कुल	**-**	**-**

उचित मूल्य का अनुमान

निवेश संपत्तियों का मूल्यांकन निम्नलिखित लागत मॉडल के अनुसार किया गया है। स्वतंत्र वैल्यूअर द्वारा निर्धारित किया गया निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य रुपए 107.63 करोड़ (पिछले वर्ष 96.48 करोड़) है।

5. अन्य अमूर्त संपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	01 अप्रैल 2020 को सकल कैरिंग मूल्य	वृद्धि	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2021 को सकल कैरिंग मूल्य	01 अप्रैल 2020 को संचित मूल्यह्रास	वृद्धि	निपटान/ समायोजन	01 अप्रैल 2021 को संचित मूल्यह्रास	31 मार्च, 2021को नेट कैरिंग मूल्य	31 मार्च, 2020 को नेट कैरिंग मूल्य
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	**4.11**	**0.13**	-	**4.24**	**3.55**	**0.30**	-	**3.85**	**0.39**	**0.56**
पिछले वर्ष	3.39	0.64	0.08	4.11	2.59	0.78	0.18	3.55	**0.56**	

6. निवेश (रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार		31 मार्च 2020 के अनुसार	
गैर चालू निवेश				
(ए). इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स में निवेश – (इक्विटी विधि का उपयोग करने के लिए निवेश किया जाता है – संयुक्त उपकम) अनकोटिड				
फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि. – प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 5000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्श 5000) ।	**0.01**		0.01	
जमा/(कमी): अब तक संयुक्त उपकमो से आय/(हानि)	**(0.01)**	**-**	(0.01)	-
एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि. – प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 17446000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्श 17446000) ।	**17.45**		17.45	
जमा: अब तक संयुक्त उपकमो से आय	**62.42**	**79.87**	61.28	78.73
कुल (ए)		**79.87**		**78.73**
(बी). इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स में निवेश (अन्य)				
ए)अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य				
कोटिड				
बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड 38961(गत वर्ष 38961) पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर रुपए 2 प्रत्येक।	**3.00**		3.00	
जमा/(कमी): अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन अनकोटिड	**(0.77)**	**2.23**	(1.84)	1.16
बी) अमोर्टाइज्ड लागत पर				
अनकोटिड				
इंडो फ्रेंच बायोटेक लिमिटेड प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 4750000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 4750000)	**4.75**		4.75	
घटाएं : निवेश के मूल्य में कमी	**(4.75)**	**0.00**	(4.75)	0.00
कुल (बी)		**2.23**		**1.16**

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार		31 मार्च 2020 के अनुसार	
कुल गैर चालू निवेश (सकल)		**25.21**		25.21
	सकल राशि	**बाजार मूल्य**	**सकल राशि**	बाजार मूल्य
कोटिड निवेश की सकल राशि तथा इसका बाजार मूल्य का सकल मूल्य	**3.00**	**2.23**	3.00	1.16
अनकोटिड निवेश की सकल राशि	**22.21**	**-**	22.21	-
निवेश मूल्य में कमी की सकल राशि	**4.75**	**-**	4.75	-

विवरण	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
सी)चालू निवेश	-	-	-	-

विवरण	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
6.डी बिकी के लिए गैर चालू निवश				
(क) अमोटाईज्ड लागत पर इक्विटी इस्ट्रूमेंट में निवेश				
संयुक्त उपकम				
अनकोटिड				
नीलाचल इस्पात निगम लि. 368762744 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्श 289342744) प्रत्येक 10 रूपये मूल्य	**459.11**		459.11	
जमा/(कमी):अब तक सयुंक्त उपकम से आय/(हानि)	**(459.11)**	-	(459.11)	-

सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि. – प्रत्येक रु. 10/– मूल्य के 33800000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (33800000 31 मार्च 2020 को)	-		-	
जमा/(कमी):अब तक सयुंक्त उपकम से आय/(हानि)	-	-	-	-
अन्य				
अन्य व्यापाक आय के माध्यम से उचित मूल्य				
अनकोटिड				
इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि. – प्रत्येक 5/– मूल्य के 32000000 के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर 3200000031 मार्च 2020 को)	**16.00**		16.00	
जमा/(कमी):अन्य आय के माध्यम से उचित मूलय समायोजन	**(8.16)**	**7.84**	(8.16)	7.84
बिकी के लिए रखा गया कुल निवेश		**7.84**		**7.84**
(बी) बिकी के लिए रखा पीपीई		**-**		**0.02**
कुल (क) +(ख)		**7.84**		**7.86**

i. सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के इक्विटी इंस्ट्रयुमेंट्स में किए जाने वाले सभी गैर चालू निवेशों को लागत के आधार पर आगे लाया जाता है तथा निवेश मूल्य में आई कमी, यदि कोई है, तो इसमें से घटाया जाता है। अन्य के इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स में किए जाने वाले निवेश को उचित मूल्य पर आगे ले जाया जाता है।

ii. कंपनी ने कामराजार बंदरगाह पर लौह अयस्क टर्मिनल को बनाने तथा प्रचालन हेतु सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड (एसआईओटीएल) के साथ संयुक्त उपक्रम में 26 प्रतिशत इक्विटी के रूप में 33.80 करोड़ रुपए (गत वर्ष 33.80 करोड़ रुपए) का निवेश किया था। हालांकि नवंबर 2010 तक टर्मिनल का निर्माण पूरा हो गया था परन्तु लौह अयस्क के खनन, परिवहन तथा निर्यात पर लगे प्रतिबंधों के कारण बंदरगाह को चालू नहीं किया गया। कामराजार पोर्ट लिमिटेड (केपीएल) द्वारा कोयले की हैंडलिंग हेतु सुविधा में बदलाव के टेंडर प्रक्रिया के बाद स्वीकार कर लिया गया था। एमएमटीसी के निदेशक मंडल ने दिनांक 14.09.16 को हुई अपनी 428वीं बैठक में एमएमटीसी को ओपन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से एमएमटीसी को जेवी से बाहर आने संबंधी अनुमोदन प्रदान किया था। तदनुसार एमएमटीसी की इक्विटी की बिक्री के लिए इच्छुक पार्टियों से बोलियां आमंत्रित की। टेंडर प्रक्रिया में कोई आवेदन नही मिला। परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान अग्रणी प्रोमोटर (मै. सिकाल लॉजिस्टिक लि.) नें 34.26 करोड़ रू. के रिजर्व मूल्य पर एमएमटीसी की इक्विटी खरीदने के लिए सहमति दी है। तदनुसार, शेयर खरीद करार (एसपीए) हस्ताक्षरित किया गया है तथा करार के अनुसार मैसर्स सिकॉल लाजिस्टिक्स लिमिटेड ने करार के निष्पादन हेतु एमएमटीसी के पास रूपए 0.50 करोड की राशि जमा कराई है। एसपीए की शर्तों के अनुसार मैसर्स एसआईओटीएल ने एमएमटीसी के जेवी छोडने की एनओसी/अनुमति लेने के लिए मैसर्स कामराजार पोर्ट लिमिटेड को आवेदन कर दिया है। अक्टूबर 2020 में एनओसी मिल गई। तथापि शेष राशि का भुगतान अभी नही मिला है। मैसर्स सिकॉल लाजिस्टिक्स लिमिटेड से शेयर कय मूल्य की प्राप्ति में देरी और मैसर्स सिकॉल लाजिस्टिक्स लिमिटेड के वित्तीय संकट को देखते हुए एसआईओटीएल में निवेश के मूल्य में कमी के लिए 33.80 करोड़ रूप्ये सृजित करने का प्रावधान किया गया है तदनुसार निवेश को 'बिकी के लिए रोक' के रूप में दिखाया गया है।

इसके अलावा, कंपनी दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत पार्टियों द्वारा आवेदन के अनुसार एनसीएलटी द्वारा नियुक्त कॉर्पोरेट दिवाला समाधान पेशेवर के साथ रू 34.26 करोड़ का दावा दर्ज करती है। इस बीच केपीएल ने 21.12.2020 को एसआईओटीएल को समाप्त करने के इरादे का नोटिस जारी किया। केपीएल द्वारा जारी टर्मिनेशन नोटिस के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में 24.06.2021 को कंपनी ने एक रिटयाचिका दायर की है।

iii. भारत सरकार ने एनआईएनएल में एमएमटीसी की 100% इक्विटी के विनिवेश के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। डीआईपीएएम के माध्यम से विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है। तदनुसार, निवेश को 'बिक्री के लिए आयोजित निवेश' के रूप में दिखाया गया है।

iv. भारतीय कमोडिटी एक्सचेंज (आईसीईएक्स) में 26.00 करोड़ रूपये मूल्य के 5 रू. प्रत्येक राशि के 5.20 करोड़ इक्विटी शेयरों के शुरुआती निवेश के की एवज में (आईसीएक्स में कंपनी की 26% हिस्सेदारी) कंपनी ने 2015–16 के दौरान 100% के प्रीमियम पर 2 करोड़ इक्विटी शेयर बांटे। फरवरी/मार्च 2016 में आईसीईएक्स द्वारा 100% प्रीमियम पर एक राइट इश्यू लाया गया जो पूरी तरह से सब्सक्राइब हुआ। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान, आईसीईएक्स द्वारा 100% प्रीमियम पर राइट इश्यू फिर से लाया गया जो पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। एमएमटीसी ने उपरोक्त राइट इश्यू में भाग नही लिया।

31.03.2021 तक एमएमटीसी की होल्डिंग 6% है। एमएमटीसी ने आईसीईएक्स में अपनी इक्विटी होल्डिंग आईसीईएक्स की बुक वैल्यू पर 31.3.2021 को 7.84 करोड़ रुपये (पि.वर्ष 7.84 करोड़) पर कीमत लगाई। आईसीईएक्स के इक्विटी शेयर 31.03.2021 तक भारत के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नही थे। एमएमटीसी ने आईसीईएक्स में 6% इक्विटी के विनिवेश के लिए प्रस्ताव पर अनुरोध आमंत्रित किया है और तदनुसार 31.3.2021 को निवेश को 'बिक्री के लिए रोकने हेतु दिखाया गया है।

एसईसीसी विनियम, 2018 के अनुसार शेयरधारिता सीमा का अनुपालन करने के लिए SEBI ने 31 दिसंबर, 2021 तक की अतिरिक्त

समय–सीमा प्रदान की है।

v. जांच एजेंसियों द्वारा की गई जांच संबंधी मीडिया में आई रिपोर्टों के अनुसार मुख्य प्रमोटर द्वारा हाल ही में किए गए डिफाल्ट के मद्देनजर तथा जे वी कंपनी द्वारा अपनी व्यावसायिक गतिविधियां रोक देने के परिणामस्वरूप कंपनी को वर्ष 2017–18 के दौरान अपने संयुक्त उदयम मैसर्स एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड इक्विटी में निवेश की गई 2.99 करोड़ रुपए की हानि हो गई। कंपनी ने जेवी कंपनी को छोड़ने का भी नोटिस दिया है। जेवी कंपनी से वित्तीय वर्ष 2020–21 के वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः इन्हे समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया जा सका।

vi. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने संयुक्त उदयम टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड की इक्विटी में निवेश की गई 0.06 करोड़ रुपए की राशि को बट्टे खाते में डाला। जेवी कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है तथा इस संबंध में एमसीए को आवेदन किया है ।

7 . प्राप्य व्यापार करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
(i) अन्य व्यापार प्राप्य		
ए) अच्छे माने गये–सुरक्षित	-	-
बी) अच्छे माने गये–असुरक्षित	**0.01**	(0.06)
सी) ऐसा जिसमें क्रेडिट जोखिम अधिक है	-	-
डी) क्रेडिट हानि	-	
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता	-	-
अनुयोग	**0.01**	**(0.06)**
(ii) अन्य व्यापार प्राप्य		
ए) अच्छे माने गये –सुरक्षित	**538.22**	303.54
बी) अच्छे माने गये –असुरक्षित	**295.88**	1,743.51
सी) ऐसा जिसमें क्रेडिट जोखिम अधिक है	-	-
डी) क्रेडिट हानि	**390.02**	388.97
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता	**390.02**	388.97
अनुयोग	**834.10**	**2,047.05**
कुल	**834.11**	**2,046.99**
गैर–चालू (ए)	-	-
चालू (बी)	**834.11**	**2,046.99**
कुल	**834.11**	**2,046.99**

उपरोक्त में से कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों अथवा उनमें एकल अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से अथवा फर्म अथवा निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक भागीदार है अथवा निदेशक है अथवा सदस्य है से शून्य राशि देय है (पिछले वर्ष शून्य रू)।

अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता में चलन (करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
वर्ष के आरंभ में शेष	**388.97**	391.20
वर्ष के दौरान वृद्धि	**1.05**	1.33
वर्ष के दौरान बटटे खाते में/रिवर्सल	-	(3.56)
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**390.02**	**388.97**

08. ऋण (करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार		31 मार्च 2020 के अनुसार	
	चालू	गैर चालू	चालू	गैर चालू
प्राप्ति योग्य– सुरक्षित				

सिक्योरिटी जमा राशि	**-**	**0.06**	**-**	**0.01**
संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण	-	-	-	-
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	**0.62**	**2.57**	0.72	3.14
अन्य	-	-	-	-
अनुयोग	**0.62**	**2.63**	**0.72**	**3.15**
प्राप्ति योग्य – असुरक्षित				
सिक्योरिटी जमा राशि	-	**1.89**	-	**1.87**
संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण	-	-	-	-
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	**0.74**	**0.92**	1.00	1.63
अन्य	-	-	-	-
अनुयोग	**0.74**	**2.81**	**1.00**	**3.50**
जिनमें क्रेडिट जोखिम अधिक है				
सिक्योरिटी जमा राशि	-	-	-	-
संबंधित पार्टियों को ऋण	-	-	-	-
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-
अनुयोग	**-**	**-**	**-**	**-**
क्रेडिट में क्षति				
सिक्योरिटी जमा राशि	-	**0.17**	-	0.17
संबंधित पार्टियों को ऋण	-	-	-	-
कर्मचारियों को ऋण	-	-	-	-
अन्य	**0.03**	**0.14**	0.03	0.14
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण	**0.03**	**0.31**	0.03	0.31
अनुयोग	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल	**1.36**	**5.44**	**1.72**	**6.65**

उपरोक्त में निदेशकों अथवा कंपनी के अन्य अधिकारियों अथवा उनमें से अन्य किसी व्यक्ति के साथ अलग से अथवा संयुक्त रूप से देय राशि अथवा ऐसी फर्मों अथवा निजी कंपनियों जिनमें कोई निदेशक पार्टनर अथवा निदेशक अथवा सदस्य हैं उनके द्वारा देय राशि रू 0 करोड़ है (पिछले वर्ष रू 0.01 करोड़ रू)।

09. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपयों

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार		31 मार्च 2020 के अनुसार	
	चालू	गैर चालू	चालू	गैर चालू
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाले बैंक जमा राशि	-	**13.12**	-	0.03
भुगतान नही किये गये लाभांश के लिए बैंक के पास शेष	-	**0.22**	-	0.22
एनएसईएल से प्राप्य (i)	-	**208.25**	-	208.25
प्राप्य डेमरेज तथा डिस्पैच	**5.00**	**6.26**	5.82	6.41
फारवार्ड संविदा प्राप्य	-	-	-	-
अन्य कंपनियों को दिए गए अग्रिम (ii)	-	**33.53**	-	33.53
अन्य अग्रिम	**(0.05)**	**8.78**	1.40	8.71
निम्नलिखित पर उत्पन्न देय ब्याज/अदेय ब्याज :	-	-		
– सावधिक जमा राशि	**1.81**	-	2.75	-
– कर्मचारियों को दिए गए ऋण	**0.55**	**7.10**	0.71	7.69
– संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण	-	-	-	-

– अन्य को दिए गए ऋण	**0.02**	**2.25**	0.55	15.03
अन्य	**-**	**9.90**	4.21	11.27
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध प्राप्यों में हानि/स्वीकार्यता	**1.13**	**244.10**	1.13	245.01
योग	**6.20**	**45.31**	**14.31**	**46.13**

(i) रूपए 208.25 करोड़ (गत वर्ष रूपए 208.25 करोड़) विभिन्न उधारकर्ताओं तथा नेशनल स्पॉट एक्सचेंज (एनएसईएल) से वसूल किए जाने हैं जो कि एनएसईएल द्वारा भुगतान देनदारी में डिफाल्ट करने के कारण उत्पन्न हुआ है। इसके लिए पूरा प्रावधान कर लिया गया हैं। कंपनी ने मुम्बई हाईकोर्ट में एनएसईएल तथा अन्य के विरूद्ध कानूनी वाद दायर किया है तथा इस मामले की सुनवाई चल रही है। सीबीआई ने भी मामले की जांच की है। भारत की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनएसईएल तथा एफटीआईएल के विलय आदेश को निरस्त कर दिया है।

एसएलपी के लंबित रहने के दौरान, एमएमटीसी द्वारा दायर किए गए सिविल सूट और प्रस्ताव की नोटिस पर रोक लगा दी गई थी, जो उपर्युक्त एसएलपी के निपटान के बाद फिर से शुरू हो सकती है।

इस बीच महाराष्ट्र राज्य ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 2019 के एसएलपी (सिविल) संख्या 21128–29 के माध्यम से बॉम्बे एचसी के दिनांक 22.08.2019 के एक निर्णय को चुनौती दी है! दिनांक 22.08.19 के आदेश में कहा गया है कि एनएसईएल "वित्तीय प्रति ठान" की परिभाषा के अंतर्गत नही आता है। एमएमटीसी ने उक्त एसएलपी में हस्तक्षेप का आवेदन भी दाखिल किया है जो न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है। मामला 02.02.2021 को अंतिम निपटान के लिए आया था। हालांकि, माननीय न्यायालय ने मामले को स्थगित कर दिया। सुनवाई की अगली तारीख का इंतजार है।

(ii) वर्ष के दौरान प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए एचएफटीडब्ल्यूपीएल तथा केएफटीडब्ल्यूपीएल को एडंवास देने के लिए 0.36 (पिछले वर्ष) 15.94 करोड रूपए (गत वर्श रूपए 'शून्य' करोड) का प्रावधान किया गया है। 31.03.2021 को 16.30 करोड रू.(पि.व. 16.30 करोड़) का प्रावधान है

10. आस्थगित कर परिसंपत्तियां **(करोड़ रुपयों में)**

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
आस्थगित कर देयता		
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	**(7.83)**	(8.70)
अनुयोग	**(7.83)**	**(8.70)**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**233.27**	233.27
डीडब्ल्यूए जोखिम	**0.02**	0.01
वीआरएस व्यय	**3.03**	6.26
हानियाँ जो आगे ले जाई गई	**330.69**	-
कर्मचारी लाभ व्यय हेतु प्रावधान	**(3.74)**	-
अनुयोग	**563.27**	**239.54**
आस्थगित कर संपत्तिया(निवल)	**555.44**	**230.84**

कंपनी की संभावित भविष्य की कर योग्य आय के लिए संभावित अनुप्रयोग की सीमा तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को दिखाया गया है।

'कंपनी ने वित्तीय वर्ष से संभावित ब्याज आय तक सीमित हानियों पर रु 330.69 करोड़ की आस्थगित कर परिसंपत्तियां बनाई हैं। 2019–20 से 2021–22 तक एनआईएनएल पर विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से वसूली की जाएगी।

वर्ष के दौरान आस्थगित कर शेष में गतिशीलता **(करोड़ रुपयों में)**

विवरण	31 मार्च 2020 को शेष	लाभ व हानि में शामिल	समायोजन	31 मार्च 2021 को शेष
आस्थगित कर देयता संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	(8.70)	-	0.87	(7.83)
अनुयोग	**(8.70)**	-	**0.87**	**(7.83)**

आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	233.27	-	-	233.27
डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	0.01	0.01	-	0.02
वीआरएस व्यय		-	(3.23)	3.03
कर हानियों को आगे लाया गया	-	330.69	-	330.69
कर्मचारी लाभ खर्चों के लिए प्रावधान	-	(3.74)	-	(3.74)
अनुयोग	**239.54**	**326.96**	**(3.23)**	**563.27**
कुल	**230.84**	**326.96**	**(2.36)**	**555.44**

मान्य आस्थगित कर परिसंपतियां

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
अस्थाई कटौती योग्य अंतर राशि	**555.44**	230.84
कुल	**555.44**	**230.84**

आस्थगित कर संपत्तियों और आस्थगित कर दायित्वों को आफसेट कर दिया है क्योंकि वे एक ही कानून के अंर्तगत आते हैं।

11. अन्य संपत्तियां (रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
ए. गैर चालू		
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
–सिक्युरिटी डिपाजिट्स	**0.24**	0.24
–अन्य सप्लायर्स को अग्रिम	**4.67**	4.67
–अन्य अग्रिम	**17.12**	17.12
अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों की स्वीकार्यता	**(18.02)**	(17.98)
अन्य		
–वसूली योग्य प्रदत्त आयकर	**20.94**	20.94
–अन्य	**0.04**	0.01
कुल	**24.99**	**25.00**
बी. चालू		
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
–सिक्युरिटी डिपाजिट्स	**20.82**	13.09
–संबंधित पार्टियों को अग्रिम	**1,425.00**	1,425.00
–संबंधित पार्टियों को व्यापार संबंधित अग्रिम	**2,103.47**	1,796.00
–अर्जित ब्याज की वसूली अनिश्चित	**(547.87)**	(252.18)
–अन्य आपूर्तिकारों को अग्रिम	**8.38**	5.75
– अन्य प्राप्य दावे	**165.44**	131.34
–बिना बिलों के की गई गोल्ड/सिल्वर स्टॉक की खरीद	**294.50**	238.18
–अन्य अग्रिम	**15.41**	23.68
अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों की स्वीकार्यता	**(3.36)**	(3.25)
अन्य		
–देय आयकर रिफंड	**11.12**	-

देय बिक्रीकर रिफंड	**13.77**	13.82
–देय एक्साइज/कस्टम ड्यूटी रिफंड	**4.68**	4.64
–देय सेवाकर रिफंड	**0.40**	0.46
–अन्य	**55.18**	49.63
कुल	**3,566.94**	**3,446.16**

12. इन्वेंट्रीज **(रुपए करोड़ में)**

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
कच्चा माल	**5.83**	11.31
तैयार माल	**22.25**	43.38
स्टॉक इन ट्रेड	**13.83**	155.82
रू 7.69 करोड. रूपये (पिछले वर्ष 139.74 करोड. रूपये) मूल्य के गुड्स इन ट्रॉंजिट		
अन्य	**3.74**	7.20
कुल	**45.65**	**217.71**

ए) जैसा प्रबंधतंत्र ने मूल्यांकित तथा प्रमाणित किया वैसा ही अपनाया गया।

बी) गुडस इन ट्रांजिट सहित इन्वेंट्रीज का मूल्यांकन दिनांक 31 मार्च 2021 को लागत के निम्नतर अथवा वसूली योग्य मूल्य पर किया गया। बाजार मूल्य पर अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत से कम मूल्य पर करने के कारण 1.59 करोड. रूपये(पिछले वर्श 7.49 करोड.) की हानि हुई ।

सी) स्टॉक इन ट्रेड में निम्नलिखित शामिल हैं.–

i) प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआर) 9036 यूनिट जिनका मूल्य 1 रूपये (पिछले वर्ष 1 रुपए) जो इंड एएस –2 'इन्वेंट्रीज' के अनुसार लागत अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य से निम्नतर है।

ii) प्रमाणन के अंतर्गत सीईआरएस की संख्या शून्य यूनिट है (गत वर्ष शून्य यूनिट)

iii) मूल्यहृास, एमिशन कटौती उपकरण की ओएण्डएम लागत के लिए 4.91 करोड़ रुपए की राशि(गत वर्ष रू 5.13 करोड़ रूपए) व्यय की गई।

(डी) प्याज का बफर स्टॉक बनाने के लिए भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण योजना के अंर्तगत आयातित प्याज से संबंधित लागत पर मूल्यांकित 22.18 करोड़ रूपये(गत वर्ष शून्य करोड़ रूपये) की इन्वेंट्री स्टॉक इन ट्रेड में शामिल है (सदंर्भ नोट 36(ई)) ।

ई) एमएमटीसी और एनआईएनएल के बीच विपणन समझौते के अनुसार एमएमटीसी एनआईएनएल को आयातित कोकिंग कोल की आपूर्ति कर रहा है। प्रमोटरों द्वारा मार्च, 2020 में संयंत्र को बंद करने का निर्णय लिया गया और एमएमटीसी द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि एनआईएनएल को आगे कोकिंग कोल की आपूर्ति नही की जाएगी। एमएमटीसी ने फरवरी 2020 में 79848 एमटी गोनीएला कोकिंग कोल का आयात किया था। इसके अलावा, एमएमटीसी के पास पारादीप बंदरगाह पर 15853 एमटी ब्लैकवाटर सॉफ्ट कोकिंग कोल का स्टॉक था जिसे पहले आयात किया गया था और एनआईएनएल को नही दिया गया था। एमएमटीसी ने कई बार घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निविदाएं जारी कर कोयले के स्टॉक को निपटाने का प्रयास किया, लेकिन असंतोषजनक प्रतिक्रिया के कारण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कोयला बेचने का प्रयास किया गया। आरआईएनएल/सेल। सेल ने शुरू में इस कोयले को खरीदने के लिए प्रतिबद्ध किया था, लेकिन बाद में कोयले की अस्वीकार्य गुणवत्ता का हवाला देते हुए इसे खरीदने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात, स्टॉक को खुली निविदाओं के माध्यम से निपटाया गया। गूनीला कोकिंग कोल यानी 79848 एमटी की खरीद लागत जीएसटी उपकर को छोड़कर 111 करोड़ रू.(लगभग) है और 15853 मीट्रिक टन की शेष मात्रा के लिए जीएसटी उपकर को छोड़कर ब्लैक वाटर सॉफ्ट कोकिंग कोल का खरीद मूल्य 17.23 करोड़ रू.(लगभग) है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 93119.49 मीट्रिक टन कोकिंग कोल 74.16 करोड़ रू. में 37.66 करोड़ रू. की हानि के साथ बेचा गया है।

13. नकद तथा नकद समतुल्य **(रुपए करोड़ में)**

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
बैंक में उपलब्ध शेष		
ए) चालू खाते में	**62.93**	59.79
बी) सावधिक जमा राशि में जिनकी मूल परिपक्वता 3 महीने तक की है	**57.92**	-

सी) कैश क्रेडिट अकांउट में डेबिट शेष	**33.99**	14.82
चैक, ड्राफट ऑन हैंड	**-**	-
कैश ऑन हैंड	**0.16**	0.04
कुल	**155.00**	**74.65**

14 उपरोक्त के अलावा बैंक शेष (करोड रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
मार्जिन मनी के रूप में/लियन पर	**88.66**	140.04
सावधिक जमा राशि में जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक परंतु 12 महीने से कम है	**9.99**	12.16
कुल	**98.65**	**152.20**

15 वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल) (करोड रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए भुगतान किया गया अग्रिम कर	**2.64**	
वित्तीय वर्ष 2020–20 के लिए भुगतान किया गया अग्रिम कर	**-**	11.44
कुल	**2.64**	**11.44**

16 ए. इक्विटी शेयर पूंजी (करोड रुपए में)

विवरण		31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
अधिकृत		संख्या	संख्या
प्रत्येक 1/– रुपए समान मूल्य के साधारण			
	शेयर	**2,000,000,000**	2,000,000,000
	संख्या	**200.00**	200.00
निर्गत, खरीदे गए तथा पूर्ण प्रदत्त			
प्रत्येक 1/– रुपए समान मूल्य के साधारण शेयर			
	शेयर	**1,500,000,000**	1,500,000,000
	संख्या	**150.00**	150.00

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
आरंभिक इक्विटी शेयर	**1,500,000,000**	**1,500,000,000**
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी/खरीदे गए शेयरों की संख्या	**-**	-
घटाए : कटौती	**-**	-
अंतिम शेष	**1,500,000,000**	**1,500,000,000**

कंपनी में ऐसे शेयर होल्डर के शेयरों की संख्या जिनकी 5 प्रतिशत से अधिक होल्डिंग है

शेयर होल्डर का नाम	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
– भारत के राष्ट्रपति	**1,348,903,143**	**1,348,903,143**

कंपनी में शेयर पूंजी की एक श्रेणी है, जिसमें रू 1/– प्रत्येक शेयर मूल्य के साधारण शेयर हैं। कंपनी के आर्टिकल्स आफ असोसिएशन तथा लागू कानून के तहत कंपनी के साधारण शेयर होल्डर को कंपनी की वार्षिक आम सभा का नोटिस तथा वोट डालने का अधिकार प्रदान करता है, कंपनी के बंद होने की स्थिति में सरप्लस परिसंपत्तियों को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है, साधारण शेयरों पर घोषित किए गए किसी भी लाभांश को प्राप्त करने की पात्रता प्रदान करता है।

इक्विटी शेयर पूंजी में गतिविधिः वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी शेयर की वापस खरीद नहीं की है।

कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है

वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी ने पोस्टल बैलट के माध्यम से शेयरहोल्डर्स की सहमति प्राप्त कर पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में 50 करोड रूपए की फ्री रिजर्व राशि का पूंजीकरण करते हुए कंपनी ने 50 करोड इक्विटी शेयर 1:2 के अनुपात में पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर के रूप में आबंटित किए। तदनुसार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी बढकर 150 करोड रूपए हो गई है जिसे रूपए 1/– प्रति इक्विटी शेयर पूर्णप्रदत्त की दर से 150 करोड़ इक्विटी शेयर में विभाजित किया गया है।

बी. अन्य इक्विटी (करोड रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
सामान्य रिजर्व	**598.89**	**598.89**
अनुसंधान व विकास रिजर्व	-	-
रिटेंड अर्जन	**(657.20)**	132.08
बांड रिडंपशन रिजर्व	**8.30**	8.30
अन्य रिजर्व	**(0.25)**	(5.80)
कुल	**(50.26)**	**733.47**

(i) सामान्य रिजर्व (करोड रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
आरंभिक शेष	**598.89**	588.54
सरप्लस से अंतरण/ अन्य रिजर्व	-	10.35
बोनस शेयर जारी	-	-
अंतिम शेष	**598.89**	**598.89**

(ii) अनुसंधान एवं विकास रिजर्व (करोड रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
आरंभिक शेष		0.35
सरप्लस से अंतरण	-	-
सामान्य रिजर्व से अंतरण	-	(0.35)
अंतिम शेष	-	-

(iii) बांड रिडंपशन रिजर्व (करोड रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
आरंभिक शेष		8.30
सरप्लस से अंतरण	-	-
कटौती	-	-
अंतिम शेष	**8.30**	**8.30**

(iv) रिटेंड रिजर्व (करोड रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
आरंभिक शेष	**132.08**	505.69
वर्ष के लिए निवल लाभ	**(789.28)**	(291.75)
लाभांश और लाभांश वितरण कर	-	(54.25)
अन्य समायोजन	-	(17.61)
विनियोजनः–		
सामान्य रिजर्व	-	(10.00)
अंतिम शेष	**(657.20)**	**132.08**

अ) अन्य रिजर्व

(करोड रुपए में)

	संचयी वित्तीय इंस्ट्रयूमेंट्स के इक्विटी घटक	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स	नगद प्रवाह के प्रभावी भाग	विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों को बदलने पर विनिमय अंतर	पुनर्मल्यांकन – पोस्ट कर्मचारी लाभ योजनाएं	कुल अन्य रिजर्व
01 अप्रैल 2019 को	1.13	(0.62)	-	8.85	(2.54)	6.82
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	-	-	-	-	(11.32)	(11.32)
अन्य समायोजन						
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	-	(9.38)	-	-	-	(9.38)
जमा / (कटौती)	-	-	-	8.08	-	8.08
01 अप्रैल 2020 को	**1.13**	**(10.00)**	**-**	**16.93**	**(13.86)**	**(5.80)**
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मूल्यांकन	-	-	-	-	7.27	7.27
अन्य समायोजन	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स	-	1.07	-	-	-	1.07
जमा / (कटौती)	-	-	-	(2.79)	-	(2.79)
31 मार्च, 2021 को	**1.13**	**(8.93)**	**-**	**14.14**	**(6.59)**	**(0.25)**

17. उधार

(करोड रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
(क)गैर –चालू		
(i). मियादी ऋण		
(क) बैंकों से		
– सुरक्षित	-	-
– असुरक्षित	-	166.70
योग	**-**	**166.70**
(ख) चालू		
(i). मांग पर पुनर्भगतान योग्य ऋण (क) बैंकों से		
– सुरक्षित (इन्वेंट्रीज, ट्रेड प्राप्यों तथा अन्य वर्तमान एवं भविष्य की चालू परिसंपत्तियों के हाईपोथिकेशन के प्रति)	**239.04**	581.07
– असुरक्षित	**2,178.81**	1,791.77
अन्य ऋण–राष्ट्रीय लघु बचत फंड (एफएसएसएफ) से	-	1,310.00
योग	**2,417.85**	**3,682.84**

- किसी भी निदेशक अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा ऋणों की गारंटी नहीं दी गई है।
- बैंकों से कैश क्रेडिट / पैकिंग क्रेडिट खाते / अन्य के अंतर्गत ऋण लिए गए हैं तथा एक वर्ष के अंदर अदायगी योग्य हैं। मांग पर प्रतिदेय ऋण पर देय ब्याज एमसीएलआर तथा बैंकों के विस्तार पर आधारित है।

एमएमटीसी लंबे समय से चलनिधि संकट का सामना कर रहा है और सितंबर 2020 से बैंकों को देय ऋण और मासिक ब्याज भुगतान के भुगतान में भी चूक की है (198.48 रू.की वित्तीय लागत में 84.48 करोड़ रू.का अर्जित ब्याज शामिल है)। बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, एमएमटीसी ने सभी ऋणदाता बैंकों से आरबीआई परिपत्र संख्या के अनुसार ऋण के पुनर्गठन के लिए अनुरोध किया। कोविड–19 संबंधित तनाव के समाधान के लिए दिनांक 06.08.2020 आरबीआई / 2020–21 / 16 डीओआर सं.बीपी / बीसी / 3 / 21.04.048 / 2020–21 से ऋण

समाधान योजना को सभी ऋणदाता बैंकों द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसे 1.4.2015 से लागू किया गया था। 08.06.2021 को समाधान योजना के क्रियान्वयन की तिथि को बकाया ऋण की मूल राशि रु 2272.25 करोड़ रू. थी। आवश्यक जानकारी और/रिकॉर्ड बैंकों के साथ साझा किए गए थे और बाद में कंपनी और ऋणदाता बैंकों ने 08.06.2021 को मास्टर ऋण समाधान समझौते (एमडीआरए), ट्रस्ट और प्रतिधारण खाता समझौते (टीआरए) और अन्य आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं।

ऋण पुनर्गठन के कार्यान्वयन के बाद, सभी ऋणदाता बैंकों के साथ एमएमटीसी खाता सभी ऋणदाता बैंकों के साथ नियमित/मानक होना चाहिए। दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करके, उधारदाताओं ने डिफॉल्ट की मौजूदा घटना को माफ कर दिया और आईबीसी के तहत कोई नागरिक कार्रवाई या कार्यवाही नही की जा सकती है। इस योजना के तहत, कंपनी को एसबीआई के लिए 08.12.2021 तक और अन्य बैंकों के लिए 31.03.2022 तक और सभी बैंकों के लिए 31.03.2022 तक मूलधन के लिए ब्याज की वसूली पर मोहलत मिली है। बकाया ऋण और अर्जित ब्याज मुख्य रूप से नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) की विनिवेश आय के माध्यम से चुकाया जाना है। यह मामलों/एंग्लो कोल, सरकारी निर्देशों और कोविड–19 महामारी की स्थिति आदि से प्रभावित हो सकता है। भारत सरकार के प्रशासनिक विभाग यानी वाणिज्य विभाग को विधिवत सूचित किया गया है।

18. व्यापार प्राप्य (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
चालू		
व्यापार देय		
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों का कुल देय बकाया	**0.03**	0.08
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिश्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स का कुल देय बकाया	**998.17**	665.50
संबंधित पार्टियों को व्यापार देय		
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स कुल देय बकाया	**-**	-
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स का कुल देय बकाया	**0.11**	0.02
कुल	**998.31**	**665.60**

19. अन्य वित्तीय देयताएं (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
ए. गैर चालू		
लीज	**3.61**	6.49
कुल	**3.61**	**6.49**
बी –चालू		
देय – व्यापार के अलावा	**14.88**	9.59
देय डिस्पेच/डेमरेज	**4.23**	5.18
वसूली गई राशि – पेंडिंग रेमिटेंस	**8.72**	0.59
उधार पर उत्पन्न ब्याज	**2.08**	13.40
सिक्युरिटी डिपॉजिट व ईएमडी	**43.57**	37.98
भुगतान न किया गया लाभांश	**0.22**	0.22
देय दावे	**47.20**	45.41
फारवर्ड कांट्रैक्ट भुगतान योग्य	**0.35**	0.27
अन्य	**88.40**	87.55
कुल	**209.65**	**200.19**

20. प्रावधान (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
ए. गैर चालू		

कर्मचारी लाभ		
ए) अर्जित अवकाश	**13.12**	11.68
बी) अनुकंपा ग्रेच्युटी	**0.09**	0.10
सी) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ		
01.01.2007 को या इसके बाद सेवानिवृत्त	**5.22**	4.25
01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त	**1.32**	1.46
डी) अर्द्धवेतन अवकाश	**16.29**	18.26
ई) सेवा अवार्ड	**3.41**	3.88
एफ) कर्मचारी परिवार लाभ योजना	**3.11**	3.48
जी) माईका कर्मचारियों को विशेष लाभ	**1.47**	1.73
कुल	**44.03**	**44.84**
बी. चालू		
कर्मचारी लाभ		
ए) अर्जित अवकाश	**2.89**	2.75
बी) अनुकंपा ग्रेच्युटी	**0.03**	0.06
सी) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ		
01.01.2007 को या इसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी	**0.28**	0.10
01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी	**2.49**	0.27
डी) अर्द्धवेतन अवकाश	**4.30**	3.62
ई) ग्रेच्युटी	**8.41**	11.12
एफ) सेवा अवॉर्ड	**0.94**	0.97
जी) बोनस/कार्यनिष्पादन से जुड़ा वेतन	**17.84**	21.48
एच) कर्मचारी परिवार लाभ योजना	**0.52**	0.55
आई) माईका कर्मचारियों को विशेष लाभ	**0.38**	0.43
अनुयोग	**38.08**	**41.35**
अन्य		
गंतव्य भार तथा विश्लेषण जोखिम	**0.08**	0.04
मुकदमेंबाजी के निपटान के लिए प्रावधान	**888.81**	11.38
अनुयोग	**888.89**	**11.42**
कुल	**926.97**	**52.77**

21. अन्य देयताएं (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
चालू		
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	**418.68**	455.74
सांविधिक भुगतान योग्य देय	**57.93**	11.07
अनबिल्ड खरीदारी के लिए देय राशि	**294.50**	238.18
अन्य	**1.11**	1.27
कुल	**772.22**	**706.26**

22. वर्तमान कर देयताएं (निवल) (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए देय आयकर	**1.48**	1.09
वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए देय आयकर	-	-
कुल	**1.48**	**1.09**

23. प्रचालन से राजस्व (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री	**29,970.20**	26,216.74
सेवाओं की बिक्री	**2.91**	4.06
अन्य प्रचालन राजस्व		
–दावे	**25.90**	89.25
–सब्सिडी	-	-
–अर्जित डिस्पैच	11.25	4.98
–अन्य व्यापार आय	(8.79)	(10.32)
कुल	**30,001.47**	**26,304.71**

24. अन्य आय (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय		
– फिक्स्ड डिपोजिट से	**5.38**	5.59
– ग्राहकों की अतिदेय राशि से	**0.15**	0.04
– अन्य	**3.32**	9.73
लाभांश आय		
– सहायक/संयुक्त उद्यमों से	-	12.21
– अन्य से	0.07	0.20
अन्य गैर–प्रचालन राजस्व (ऐसी आय पर प्रत्यक्ष रूप से हुए खर्च को घटाकर)		
– स्टाफ क्वार्टर्स किराया	**0.70**	**0.64**
– रिटन बैक देयताएं	**4.38**	**4.91**
– विदेशी मुद्रा लाभ	**-**	**-**
– विविध प्राप्तियों	**3.67**	**2.93**
कुल	**17.67**	**36.25**

25. प्रयुक्त माल की लागत (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
कच्चे माल का आरंभिक स्टॉक	**11.31**	26.97
जोड़ें : क्रय से अंतरण	**70.30**	161.13
घटाएं: कच्चे माल का अंतिम स्टॉक	**6.10**	10.64
प्रयुक्त माल की लागत	**75.51**	**177.46**
उपभोग वस्तुएँ	**-**	**-**

26. स्टॉक–इन–ट्रेड का क्रय (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
क. क्रय		
बहुमूल्य धातुएं	**12,803.89**	7,524.20
धातुएं	**323.25**	894.55
उर्वरक	**9,162.36**	11,058.11
खनिज	**1,766.86**	1,693.04
कृषि उत्पाद	**3,555.34**	2,336.43
कोयला व हाईड्रोकार्बन	**709.93**	1,542.78
जर्नरल ट्रेड	**26.63**	10.90
अन्य	-	0.64
ख. स्टॉक के रूप में प्राप्त/(जारी किया गया) बहुमूल्य धातुए	**(0.09)**	(0.14)
कुल	**28,348.17**	**25,060.51**

27. इन्वेंट्रीज में परिवर्तन (करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
क. तैयार माल		
आरंभिक शेष	**43.38**	30.18
अंतिम शेष	**22.58**	46.53
तैयार माल की इन्वेंट्री में परिवर्तन	**20.80**	(16.35)
ख. स्टॉक–इन–ट्रेड		
आरंभिक शेष	**155.83**	222.76
अंतिम शेष	**14.81**	162.32
स्टॉक–इन–ट्रेड की इन्वेंट्री में परिवर्तन		60.44
निवल (वृद्धि)/कमी)	**161.82**	**44.09**

28. कर्मचारी लाभ व्यय (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
क) वेतन तथा पारिश्रमिक		
वेतन तथा भत्ते	**105.55**	129.62
छुट्टी नकदीकरण	**7.86**	11.98
बोनस	**0.41**	0.40
परफॉरमेंस से जुडा वेतन	-	-
चिकित्सा व्यय	**6.97**	13.21
ग्रुप बीमा	**0.08**	0.12
वी आर खर्चे	-	22.87
ख) भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अशंदान		
भविष्य निधि	**9.14**	10.13
ग्रेच्युटी निधि	**4.03**	3.42
परिवार पेंशन योजना	**0.84**	1.02
अधिवर्षिता लाभ	**4.59**	5.12
ग) स्टाफ कल्याण व्यय	**0.74**	1.43
कुल	**140.21**	**199.32**

निदेशकों की समिति के निर्णय के अनुसार एमएमटीसी ने अपने सेवारत कर्मचारी के भत्तों का भुगतान सितंबर 2020 से स्थगित कर दिया है। तदनुसार, 2020–21 के दौरान कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। उसकी आगे की बहाली एमएमटीसी की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगी जो मुख्य रूप से एनआईएनएल के विनिवेश और प्रासंगिक दिशानिर्देशों के बाद होगी।

29. वित्त लागत (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
क. ब्याज व्यय	**201.60**	141.87
ख. लीज पर ब्याज व्यय	**0.49**	0.32
ग. फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्ट पर प्रीमियम	**-**	-
कुल	**202.09**	**142.19**

30. मूल्यह्रास तथा अमोर्टाइजेशन व्यय (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
पीपीई पर मूल्यह्रास	**5.24**	5.56
निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास	**0.16**	0.16
अमूर्त परिसंपत्तियों पर अमोर्टाइजेशन	**0.29**	0.78
कुल	**5.69**	**6.50**

31. अन्य व्यय (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
ए. प्रचालन व्यय		
भाड़ा	**87.32**	110.30
डेमरेज	**0.85**	25.37
क्लियरिंग, हैंडलिंग, डिस्काउंट एवं अन्य प्रभार	**126.71**	142.71
एल/सी नेगोशिएशन एवं अन्य प्रभार	**3.77**	4.99
विदेशी मुद्रा विनिमय में अंतर	**(7.72)**	(6.60)
सीमा शुल्क	**1,072.70**	546.41
पैकिंग सामग्री	**0.17**	1.25
बीमा	**-**	0.08
गोदाम बीमा	**1.37**	0.87
प्लॉट तथा गोदाम किराया	**0.66**	2.86
गंतव्यी भार एवं विश्लेषण जोखिम के लिए प्रावधान	**0.08**	0.04
अनुयोग(ए)	**1,285.91**	**828.28**
बी. प्रशासनिक व्यय :		
किराया	**1.31**	2.22
सुरक्षा खर्च	**3.41**	3.62
दरें एवं कर	**1.46**	2.14
बीमा	**0.20**	0.25
भवनों की मरम्मत	**4.51**	5.11
मशीनों की मरम्मत	**0.02**	0.03
मरम्मत एवं रखरखाव–कम्प्यूटर्स	**1.89**	1.63

मरम्मत एवं रखरखाव – अन्य	**0.36**	0.67
बिजली एव जल प्रभार	**2.34**	3.14
विज्ञापन एवं प्रचार	**0.10**	0.90
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	**0.22**	0.51
पोस्टेज एवं कुरियर	**0.04**	0.17
टेलीफोन	**0.82**	1.09
टेलीकम्युनिकेशन	**0.37**	0.45
यात्रा	**0.70**	1.81
वाहन	**0.90**	1.48
मनोरंजन	**0.12**	0.52
विधिक	**4.07**	11.43
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (i)	**0.65**	0.72
बैंक प्रभार	**0.60**	1.88
किताबें एवं पत्रिकाएं	**0.01**	0.05
ट्रेड/बिक्री प्रोमोशन	**0.28**	0.83
सब्सक्रिपशन	**0.21**	0.62
प्रशिक्षण सेमिनार तथा कान्फ्रेंस	**0.01**	0.14
प्रोफेशनल/कंसलटैंसी	**1.47**	2.48
सीएसआर व्यय (ii)	**0.89**	1.43
विदेशी मुद्रा विनिमय में अंतर	**(4.17)**	0.80
सेवा कर/जीएसटी	**1.93**	0.82
प्रदर्शनी एवं मेले	**0.08**	0.76
विविध व्यय	**4.04**	9.33
अनुयोग (बी)	**28.84**	**57.03**
सी. अन्य :		
अशोध्य ऋण/दावे/परिसंपत्तियाँ अपलिखित/निकासी	**1.06**	0.49
अशोध्य और संदिग्ध कर्ज/दावे/अग्रिम के लिए भत्ते	**5.80**	0.34
अनुयोग(सी)	**6.86**	**0.83**
कुल (ए बी सी)	**1,321.61**	**886.14**

32. अपवाद मदें

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से इन्वैंट्रीज को राइट डाउन करना और उसका रिवर्सल करना।	**1.59**	7.49
परिसंपत्तियों की मदों का निपटान	**(0.24)**	(0.06)
गैर चालू निवेश के मूल्य में हुई कमी के लिए प्रावधान	**-**	33.80
पट्टा संपत्ति के समर्पण पर लाभ	**(1.13)**	-
मुकदमों का निपटान	**877.25**	6.92
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	**(0.29)**	(3.83)
कुल	**877.18**	**44.32**

(i) एसआईसीएएल आइरन ओर ट्रमिनल लिमिटेड में इक्विटी निवेश के प्रावधान

(i) असाधारण मदों में एक विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा वर्ष 2008–09 में एनआईएनएल (एक संयुक्त उद्यम कंपनी) को आपूर्ति के लिए 7.872 करोड़ अमरीकी डॉलर की राशि और मध्यस्थता की लागत 0.098 करोड़ अमरीकी डॉलर की आपूर्ति के लिए कोकिंग कोल के आयात से संबंधित दावे की राशि शामिल है। ब्याज के साथ, जिसे अंततः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एससी निर्णय दिनांक 17.12.2020 द्वारा तय किया गया था और मध्यस्थता पुरस्कार और निर्णय दिनांक 12.5.2014 को बहाल किया गया था। इस बीच एमएमटीसी ने 16.01.2021 को एक समीक्षा याचिका दायर की थी जिसे 03.02.2021 को सूचीबद्ध किया गया था और एससी ने ब्याज भाग के मुद्दे तक सीमित खुली अदालत में सुनवाई की अनुमति दी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 29.07.2021 को पेंडेंट लाइट और भविष्य के ब्याज को 6 साधारण ब्याज पर भुगतान करने का निर्देश दिया। तदनुसार, एमएमटीसी ने 877.43 करोड़ रू. (583.15 करोड़ रू. के दावे और 294.28 करोड़ रू. के ब्याज सहित) का प्रावधान किया है।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.5.2019 के अनुपालन में, कंपनी ने रजिस्ट्रार के पास अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख जमा किए। अनुकूल आदेश के बाद, कंपनी ने अन्य बातों के साथ–साथ दावेदार द्वारा दायर निष्पादन/प्रवर्तन याचिका को खारिज करने के लिए आवेदन दायर किया था, लेकिन दावेदार ने प्रस्तुत किया कि वे वर्तमान में डिवीजन बेंच के फैसले को रद्द करने के फैसले को खारिज करने की प्रक्रिया में हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता देते हुए। न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15 जुलाई, 2020 द्वारा प्रवर्तन याचिका को निष्फल बताते हुए खारिज कर दिया और आदेश दिया कि कंपनी द्वारा जमा किए गए टाइटल डीड को दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 12 सप्ताह की और अवधि के लिए रखा जाएगा और उसके बाद जारी किया जाएगा, कंपनी को, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश के अधीन। अचल संपत्तियों का टाइटल डीड अभी भी दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेसर्स एंग्लो कोल की निष्पादन याचिका याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिनांक 03.03.2021 के तहत उक्त आदेश की तारीख से दो महीने के भीतर 585.94 करोड़ रू. जमा करने का निर्देश दिया है। वित्तीय संकट के कारण कंपनी के आदेश का पालन नहीं किया जा सका। एमएमटीसी की कुछ संपत्तियों/बैंक खाते की कुर्की के अनुसरण में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में निष्पादन मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। दिनांक 28.9.2021 के आदेश के अनुसार, एमएमटीसी को मास्टर डेट एग्रीमेंट दिनांक 8.6.2021 के अनुसार बैंकरों की बकाया राशि का निर्वहन करने के बाद एनआईएनएल की विनिवेश आय के अधिशेष से 1000 करोड़ रू. अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया था। नवीनतम आदेश के अनुसार सुनवाई की अगली तिथि 29.11.2021 है।

यद्यपि एमएमटीसी एंग्लो कोल से संबंधित कानूनी मामले की प्रगति पर एनआईएनएल को नियमित रूप से अपडेट कर रहा है और एनआईएनएल की पुस्तकों में एनआईएनएल को एनआईएनएल की पुस्तकों में प्रदान करने के लिए बार–बार अनुरोध कर रहा है, क्योंकि एनआईएनएल के लिए एमएमटीसी द्वारा खरीद शुरू की गई थी, एंग्लो कोल विवाद से उत्पन्न आकस्मिक देयता केवल, एमएमटीसी ने इस संबंध में एनआईएनएल को कई पत्र भेजे हैं। तथापि, एमएमटीसी द्वारा एंग्लो कोल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही में एनआईएनएल को पक्षकार नही बनाया गया था।

एंग्लो कोयला विवाद से संबंधित कार्यसूची मद को मद सं. 27.05.2019 को आयोजित एनआईएनएल के निदेशक मंडल की 165वीं बैठक में से 10. एजेंडे पर एनआईएनएल के अध्यक्ष ने बोर्ड को एंग्लो कोल के साथ लेनदेन और कानूनी मामले की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। अध्यक्ष, एनआईएनएल ने यह भी बताया कि एनआईएनएल की ओर से कच्चे माल की खरीद के लिए एकमात्र और अनन्य एजेंट के रूप में एमएमटीसी ने एनआईएनएल के हित में उपाय किए थे। कोकिंग कोल का आयात केवल एनआईएनएल के लिए था। यह भी बताया गया कि एमएमटीसी मामले के बचाव के लिए हर संभव उपाय और कानूनी सहारा लेती रही है और जारी रखेगी। हालांकि, एनआईएनएल में देयता को दर्शाने का निर्णय नहीं लिया गया था, भले ही यह प्रावधान के बिना एमएमटीसी की वार्षिक रिपोर्ट में एनआईएनएल के खिलाफ परिलक्षित हुआ था।

स्टील और खानों के नामित निदेशकों, उड़ीसा सरकार, आईपीआईसीओएल और ओएमसी ने व्यक्त किया कि एनआईएनएल के खातों के विवरण में एंग्लो कोयला विवाद के कारण देयता का खुलासा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उक्त देयता एनआईएनएल के लिए उपार्जित नहीं है क्योंकि बाद वाली है अनुबंध के पक्षकार नहीं। उन्होंने आगे सलाह दी कि ऐसी वस्तुओं को टेबल पर रखी वस्तुओं के रूप में न रखें।

एमएमटीसी ने वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2018–19 तक एमएमटीसी की लेखा पुस्तकों में एनआईएनएल के कारण आकस्मिक देयता के रूप में एंग्लो कोल का उल्लेख किया है, जिसका लेखा परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया गया है और एजीएम द्व ारा अनुमोदित किया गया है। एंग्लो कोयला देयता के लिए एमएमटीसी की लेखा पुस्तकों में 2018–19 तक कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि 2013–14 से 2018–19 के खातों में यह उल्लेख किया गया है कि इस खाते पर देयता एनआईएनएल द्वारा वहन की जानी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में लगभग ₹ 1607 करोड़ की आकस्मिक देयता का आदेश। एमएमटीसी के खातों में उपस्थित होने पर एमएमटीसी द्वारा फिर से विचार किया गया और 18.02.2021 को आयोजित एनआईएनएल के निदेशक मंडल की 175वीं बैठक में फिर से विचार–विमर्श किया गया। एनआईएनएल बोर्ड में लिया गया निर्णय "लगभग 1607 करोड़ रुपए की आकस्मिक देयता" था। एमएमटीसी के खातों में उपस्थित होने पर विचार–विमर्श किया गया और ओएमसी ने सूचित किया कि उन्होंने पहले ही एक औपचारिक संचार भेजा है कि ये देनदारियां एनआईएनएल खातों की किताबों में देनदारियों का हिस्सा नहीं बन सकती हैं। एनएमडीसी ने इस संबंध में ओएमसी की टिप्पणियों को भी दोहराया। एमएमटीसी और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संदर्भ में इस मुद्दे पर दीपम द्वारा उठाए गए स्टैंड पर भी चर्चा की गई।

06.03.2021 को आयोजित एनआईएनएल के निदेशक मंडल की 176 वी बैठक के दौरान, एमएमटीसी के खातों में प्रदर्शित होने वाले एंग्लो कोल के कारण आकस्मिक देयता को फिर से एमएमटीसी के नामित निदेशकों द्वारा उठाया गया था और ओएमसी ने सूचित किया कि उन्होंने पहले ही औपचारिक संचार भेज दिया है कि यह देनदारी एनआईएनएल की बहीखातों में देनदारियों का हिस्सा नहीं बन सकती। एनएमडीसी ने भी ओएमसी की टिप्पणियों को दोहराया।

इस दायित्व के क्रिस्टलीकरण के बाद, एमएमटीसी ने अपने पत्र दिनांक 07 सितंबर, 2021 के माध्यम से एनआईएनएल पर एक औपचारिक दावा दर्ज किया और एनआईएनएल के खातों की पुस्तकों में इस फर्म देयता को शामिल करने की मांग की।

इस संबंध में दिनांक 13.09.2021 को आयोजित एनआईएनएल के निदेशक मंडल की 180वी बैठक में एमएमटीसी के दावे पर विचार किया गया। एमएमटीसी के नामित निदेशकों ने इस बात पर जोर दिया था कि लेनदेन केवल एनआईएनएल की ओर से किया गया था और इससे उत्पन्न होने वाली देनदारियों को एनआईएनएल द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, एनआईएनएल के बोर्ड ने बहुमत से निर्णय लिया कि एनआईएनएल को दायित्व नहीं सौंपा जा सकता है। एमएमटीसी के निदेशकों ने बैठक में यह भी सूचित किया था कि एमएमटीसी इस विषय पर एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी से राय मांगेगा। वकील और एनआईएनएल बोर्ड के निर्णय के साथ इसे डीओसी/दीपम को समाधान के लिए प्रस्तुत करेंगे।

इसके अलावा, एनआईएनएल के बोर्ड की 24.09.2021 को हुई 182वीं बैठक में वित्त वर्ष 2020–21 के लिए एनआईएनएल के अनंतिम खातों पर विचार–विमर्श करते हुए, राशि के क्रिस्टलीकरण के बाद एंग्लो कोल विवाद के कारण देयता से संबंधित मुद्दे को फिर से उठाया गया था। एमएमटीसी के नामित निदेशकों द्वारा, क्योंकि वित्त वर्ष 2020–21 के लिए एमएमटीसी की बहीखातों पर इसका असर पड़ता है, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि, अन्य सभी बोर्ड सदस्यों ने एनआईएनएल की पुस्तकों में उक्त देयता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और 2020–21 के लिए एनआईएनएल के अनंतिम खातों को एंग्लो कोल की देयता को शामिल किए बिना पारित कर दिया गया। एनआईएनएल द्वारा 28.09.2021 को अनंतिम खाते दीपम को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

एमएमटीसी ने एनआईएनएल पर एंग्लो कोल की देनदारी के उपार्जन के संबंध में लर्न्ड एजी से राय भी मांगी थी। उन्होंने कहा कि एमएमटीसी एनआईएनएल पर दावा करती है कि एमएमटीसी के लिए एनआईएनएल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने में बहुत देर हो चुकी है क्योंकि सीमा अवधि समाप्त हो गई है।

कंपनी एंग्लो कोल के खिलाफ उपलब्ध कानूनी उपाय तलाश रही है।

33. कर व्यय (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
वर्तमान वर्ष	**1.46**	1.03
पूर्वावधियों से संबंधित समायोजन	**0.07**	(0.12)
अनुयोग (ए)	**1.53**	0.91
आस्थगित कर व्यय		
अस्थाई अंतर राशि का ओरिजिनेशन तथा रिवर्सल	**(324.60)**	-
अनुयोग (बी)	**(324.60)**	-
कुल (एबी)	**(323.07)**	**0.91**
अन्य व्यापक आय में माना गया कर		
विवरण	**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष**
परिभाषित लाभ योजना एक्चुरियल लाभ(हानि)	-	-
कुल	-	-
प्रभावी करों का मिलान		
विवरण	**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष**
कर पूर्व लाभ	**(1,112.34)**	**(272.80)**
अधिनियमित कर दर (होल्डिंग कंपनी पर लाग)	**34.94**	**34.94**
गणना की गई अनुमानित कर खर्चे	-	-
होल्डिंग कंपनी से संबंधित खर्चे		
कटौती मुक्त खर्चे	-	-
कर मुक्त आय/अन्य कोई कटौती अथवा अनुमति योग्य खर्च	-	-

पूर्वावधि से संबंधित अनुमानों में परिवर्तन	-	-
आस्थगित कर	-	-
सहायक कंपनी और संयुक्त उपकम से संबंधित समायोजन	-	-
वर्ष के लिए कर व्यय		
समायोजन : ओसीआई पर कर प्रभाव	-	-
वर्ष के लिए निवल कर व्यय	-	-

34. आकस्मिक देयताएं एवं प्रकटन

i) (करोड़ रू. में)

	विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
I)			
ए)	विदेशी मुद्रा दावे सहित कंपनी के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है।	175.57	202.35
बी)	विवादित आयकर मांग जिसके प्रति 19.64 करोड़ रू. (गत वर्श 19.08 करोड़ रू.) जमा किए गए हैं।	42.69	40.59
सी)	विवादित टीडीएस मांग	0.05	0.00
डी)	विवादित बिक्री कर मांग जिसके विरूद्ध 12.36 करोड़ रू. (गत वर्ष 1780 करोड़ रू.) जमा किए गए तथा बैंक गारंटी द्वारा 0.07 करोड़ रू. (गत वर्ष 0.07 करोड़ रू.) कवर किए गए।	202.73	202.66
ई)	विवादित सेवा कर मांग	113.76	107.10
एफ)	विवादित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मांग	20.29	20.29
जी)	विवादित पीएफ मांग	2.24	2.24
एच)	कस्टम्स बांड्स	254.80	267.08
आई)	बकाया जीआर–1 जिसके लिए 0.73 करोड़ रूपए (गत वर्ष 0.72 करोड़ रू.) की बैंक गारंटी दी गई है।	1.60	1.60
जे)	कंपनी के विरूद्ध विदेशी सप्लायर की ओर से किए गए दावे को ऋण नही माना गया है।	128.89	-
	कुल (I)	**942.61**	**843.91**
(II)	**अन्य बैंक टु बैंक आधार पर असोसिएट के अकाउंट में यदि कोई देयता बनती है**		
ए)	कस्टम्स डयूटी/ब्याज/पेनल्टी इत्यादि की अंतर राशि	166.87	166.92
	कुल (II)	**166.87**	**166.92**

क्रमांक (I) लिखित मदों के संबंध में संचलन (करोड़ रू. में)

	विवरण	31 मार्च 2020 को शेष	वर्ष के दौरान आरंभिक शेष में कटौती	वर्ष 2020–20 के दौरान वृद्धि	31 मार्च 2021 को शेष
ए)	विदेशी मुद्रा के दावों सहित कंपनी के विरूद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण नही माना गया	202.35	30.88	4.10	175.57
बी)	विवादित आयकर मांग	40.59	-	2.10	42.69
सी)	विवादित टीडीएस मांग	-	-	0.05	0.05
डी)	विवादित बिक्री कर मांग	202.66	0.01	0.08	202.73
ई)	विवादित सेवाकर मांग	107.10	-	6.66	113.76
एफ)	विवादित केंद्रीय उत्पाद भुल्क मांग	20.29	-	-	20.29
जी)	विवादित पीएफ मांग	2.24	-	-	2.24
एच)	कस्टम्स बांड्स	267.08	74.66	62.38	254.80

आई)	बकाया जीआर–1	1.60	-	-	1.60
जे)	विदेशी सप्लायर की ओर से कंपनी के विरूद्ध किए गए ऐसे दावे जिन्हें ऋण नही माना गया	-	-	128.89	128.89
	कुल	**843.91**	**105.55**	**204.26**	**942.61**

क्रमांक (II) में उल्लिखित मदों के संबंध में संचलन

	विवरण	31 मार्च 2020 को शेष	वर्ष के दौरान आरंभिक वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए शेष में कटौती	वर्श 2020–20 के दौरान वृद्धि	31 मार्च 2021 को शेष
ए)	कस्टम्स ड्यूटी/ब्याज/पेनल्टी आदि की अंतर राशि	166.92	0.05	-	166.87
	कुल	**166.92**	**0.05**	**-**	**166.87**

संयुक्त उद्यमों की आकस्मिक देनदारियों में हिस्सेदारी **(करोड़ रू. में)**

क्र.सं.	संयुक्त उपकम का नाम	31.03.2021 को	31.03.2020 को
1	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा.लि	7.70	7.68
2	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लि.	एनए	एनए
3	नीलांचल इस्पात निगम लि.	एनए	595.80
4	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा.लि.	-	-

i) संविदा के निष्पादन के प्रति कंपनी की ओर से ग्राहक के पक्ष में बैंकों ने 3.66 करोड़ रु. (गत वर्ष 3.87 करोड़ रु.) की गारंटियां जारी हैं जिनकी एवज में एसोसिएट आपूर्तिकर्ताओं से शून्य करोड़ रुपए (गत वर्ष 0.59 करोड़ रुपए) की बैक–अप गारंटियां प्राप्त की गई हैं।

ii) कंपनी द्वारा खोली गई एल/सीज के तहत 138.38 करोड़ रु. की शेष बकाया है (गत वर्ष 100.54 करोड़ रु.)।

iii) कंपनी ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम कंपनी को वित्तीय संस्थानों/बैंकों से लिए गए ऋण तथा ब्याज को सुरक्षित रखने के प्रयोजन से संबंधित वित्तीय संस्थानों/बैंकों के पक्ष में 1345.82 करोड़ रूपए (गत वर्ष 1345.82 करोड़ रुपए) की कारपोरेट गारंटियां दी हैं। (संदर्भ 36 सी (iv))

iv) कुछ मामलों में आकस्मिक देयताओं के तहत शामिल की गई राशि भारत सरकार के (खाते में कि, वस्तु व्यापार से संबंधित है और इसे भारत सरकार से वसूल किया जाना है।

v) यदि कर निर्धारण हो जाने पर बिक्री कर की मांग, कुछ कर्मचारियों के विवादित मामले, हैंडलिंग एजेंट्स/ठेकेदारों द्वारा भविष्य निधि की कटौती न करना, विवादित किराया तथा आकस्मिक देयता के रूप में दर्शायी गयी राशि के संबंध में ब्याज/दण्ड/विधिक लागत आदि के प्रति यदि कोई अतिरिक्त देयता बनती है तो इसका निर्धारण करना संभव नही है। अतः इस पर विचार नहीं किया गया।

vi)* 1.10.2009 से 24.9.2012 की अवधि के लिए ब्याज देयता के लिए 128.89 करोड़ रू.(@7.50%) की राशि जो प्रदान नही की गई है। 1.10.2009 से 24.09.2012 तक की अवधि के लिए ब्याज प्रदान करना इस स्तर पर विवेकपूर्ण नही हो सकता है क्योंकि विद्वान एजी का मत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.7.2021 से उत्पन्न किसी भी अस्पष्टता का समाधान स्वयं न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

35. वचनबद्धताएं :

पूंजीगत वचनबद्धताएं : विदेशी मुद्रा संविदाओं सहित ऐसी संविदाओं की अग्रिम राशि घटाकर अनुमानित राशि जिनका निष्पादन कैपिटल अकाउंट में किया जाना है तथा जिसका प्रावधान नहीं किया गया है ऐसी राशि 'शून्य' करोड रूपए है (गत वर्ष 'शून्य' करोड रु.)।

संयुक्त उद्यमों की पूंजी प्रतिबद्धताओं में हिस्सा:–. **(करोड़ रू. में)**

क्र.सं	संयुक्त उपक्रम का नाम	31.03.2021 को	31.03.2020 को
1	एमएमटीसी पैंप इंडिया प्रा.लि.	7.37	8.08
2	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लि.	लागू नहीं	लागू नहीं
3	नीलाचल इस्पात निगम लि.	लागू नहीं	59.19
4	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा.लि.	-	-

एनए– लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए

36. सामान्य प्रकटन

ए) कंपनी ने बिना बिल के खरीदे गये निम्नलिखित माल को अपने पास रखा है जिसको अन्य चालू परिसंपत्तियों को (टिप्पणी संख्या 11(बी)) तथा अन्य चालू देयताओं को (टिप्पणी संख्या 21) में दिखाया गया है।

मदें	31/03/2021		31/03/2020	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
स्वर्ण (किलोग्राम)	733.96	291.11	467.00	181.98
स्वर्णाभूषण (ग्राम में)	-	-	-	-
चांदी (कि.ग्रा. में)				
कुल	**1,333.96**	**294.50**	**15,602.22**	**238.18**

श्री माता वैष्णो देवी सिरीन बोर्ड की ओर से 3956.494 किलोग्राम ((पिछले वर्ष 7970.788 किलोग्राम) अशोधित चाँदी लाया गया। चाँदी की शुद्धता मालूम न होने के कारण माल की कीमत सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

सी) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) – संयुक्त उपक्रम कंपनी में निवेश:–

(i) कंपनी ने ओडिशा सरकार के साथ मिलकर ओडिशा में 1.1 मीट्रिक टन एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किया है और एनआईएनएल में इक्विटी पूंजी में 49.78: की ओर 459.11 करोड़ (पिछले वर्ष रु 459.11 करोड़ रू.) (नोट 6) का निवेश किया है। भारत सरकार (सीसीईए) ने 8 जनवरी, 2020 को एमएमटीसी और अन्य केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा धारित इक्विटी निवेश के रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दिपम) के माध्यम से विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है। दीपम द्वारा ईओआई आमंत्रित किया गया है और इच्छुक पार्टियों के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं और तकनीकी रूप से योग्य पार्टियों की शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया में है। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, तकनीकी रूप से योग्य पार्टियों के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध आमंत्रित किया जाएगा।

ii) कंपनी समय–समय पर अपनी दैनिक परिचालन गतिविधियों के लिए निरंतर आधार पर एनआईएनएल को 1425.00 करोड़ रू. की सीमा तक अल्पावधि ऋण सुविधा (नकद ऋण) प्रदान करती रही है। इसके अलावा, व्यापार से संबंधित 1875.00 करोड़ रू.की वित्तीय सुविधा भी प्रदान की गई है। इसके प्रति, अन्य परिसंपत्तियों (संबंधित पक्षों को अग्रिम) (नोट 11) के तहत बकाया 3528.47 करोड रू. (पिछले वर्ष 3221.00 करोड़ रू.के ब्याज 295.69 करोड़ रू. क्रमश 2019–20 और 2020–21 के लिए आय के रूप में शामिल नही है।

(iii) कंपनी समय–समय पर अपनी दैनिक परिचालन गतिविधियों के लिए निरंतर आधार पर एनआईएनएल को 1425.00 करोड़ रु की सीमा तक अल्पावधि ऋण सुविधा (नकद ऋण) प्रदान करती रही है। इसके अलावा, व्यापार से संबंधित रु 1875.00 करोड़ की वित्तीय सुविधा भी प्रदान की गई है। इसके प्रति, अन्य परिसंपत्तियों (संबंधित पक्षों को अग्रिम) (नोट 11) के तहत बकाया रू 3528.47 करोड (पिछले वर्ष 3221.00 करोड़ रू के ब्याज सहित रू 252.18 करोड़ और रू 295.69 करोड़ क्रमश 2019–.20 और 2020–21 के लिए आय के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

(vi) एनआईएनएल ने कंपनी को समय–समय पर दी जाने वाली क्रेडिट सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए कंपनी को 2800.00 करोड :–(पिछले वर्ष रू 2800.00 करोड) की कॉर्पोरेट गारंटी दी है।

(vii) एनआईएनएल ने कंपनी को समय–समय पर दी जाने वाली क्रेडिट सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए कंपनी को 2800.00 करोड :–(पिछले वर्ष रू 2800.00 करोड) की कॉरपोरेट गारंटी दी है।

(viii) एनआईएनएल के संभावित मूल्य निर्धारण और विनिवेश प्रक्रिया पर विचार करते हुए, प्रबंधन एनआईएनएल में निवेश और दिए गए अग्रिम को सही मानती है।

डी) मिंट बिक्री लेन देन के विषय में कंपनी ने मैसर्स एआईपीएल के विरूद्ध 31.40 करोड़ रुपए(गत वर्ष 31.40 करोड़ रुपए), जिसमें 2.95 करोड़ रुपए (गत वर्ष 2.95 करोड रुपए) का विलम्बित ब्याज भी शामिल है, की वसूली के लिए दावा किया है जिसका निर्णय कंपनी

के पक्ष में आया है। मैसर्स एआईपीएल ने भी सरकारी मिंट/एमएमटीसी के विरूद्ध 167.20 करोड़ रू. (गत वर्ष 167.20 करोड़ रू.) की क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया है जो कानूनी राय के अनुसार मान्य नहीं है और इसका प्रतिवाद किया जा रहा है।

ई) भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत प्याज का बफर स्टाक बनाने के लिए एमएमटीसी ने जुलाई 2020 से दिनांक 31.3.2021 तक प्याज का आयात किया। योजना के अनुसार एमएमटीसी के ट्रेडिंग मार्जिन को बिक्री के समय सी एण्ड एफ लागत पर 1.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया तथा आयात से संबंधित सभी व्ययों का वहन सरकार द्वारा किया जायेगा। बिक्री उगाही और एमएमटीसी के मार्जिन सहित सरकार से प्राप्त दावे के रूप में दिखाया गया है जो कि माल के परिसमापन को सरकार से प्राप्त अग्रिम के साथ समायोजित कर दिया जाएगा। माल को मुंबई में केन्द्रीय गोदामों/राजकीय गोदामों/ अन्य गोदामों में भंडारित किया गया है।

एफ) आयातित पोलिएस्टर खराब होने के कारण एक एसोशिएट के विरूद्ध 1.53 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1.53 करोड़ रूपए) का एक दावा लंबित है जिसके लिए ईएमडी और अन्य देयों को ध्यान में रखते हुए लेखों में 1.53 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1.53 करोड़ रूपए) का प्रावधान रखा है। कंपनी ने कस्टम से इसका परित्याग करने का अनुरोध किया जो निर्णय आदेश के लिए लंबित है। एसोसिएट के विरूद्ध आपराधिक व सिविल सूट दायर गया किया गया है।

जी) वर्ष 2011–12 के दौरान मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में एक विदेशी आपूर्तिकर्ता ने माल(तांबा) की आपूर्ति किए बिना 3.98 करोड़ रूपए (गत वर्ष 4.12 करोड़ रूपए) का भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंकिंग चैनलों द्वारा जाली शिपिंग दस्तावेज प्रस्तुत किए। तथापि भुगतान की देय तिथि से ब्याज का भुगतान करने के वचन पत्र के साथ साख पत्र के अंतर्गत भुगतान करने से भारतीय बैंक को रोके रखने के लिए कंपनी ने अंतरिम स्टे प्राप्त कर लिया है। मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है। इसी आपूर्तिकर्ता ने धोखे से तांबे की एक अन्य खेप के मास्टर बिल ऑफ लैडिंग को अपने अधिकार में लिया हुआ है जिससे क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई 8.60 करोड़ रूपए (गत वर्ष 8.60 करोड़ रूपए) मूल्य के माल की सुपुर्दगी तथा अधिकार प्राप्त कर सकता है। इस राशि का पहले ही भुगतान किया जा चुका है तथा ईएमडी एवं अन्य देयों के समायोजन के पश्चात् वर्ष 2014–15 के दौरान शेष राशि के लिए प्रावधान किया गया है।

एच) हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में वर्ष 2011–12 के दौरान बैकिंग चैनलों के माध्यम से 3.75 करोड़ रुपए (गत वर्ष 3.75 करोड़ रुपए) मूल्य के कॉपर की दो शिपमेंट्स के जाली बिल ऑफ लैडिंग प्राप्त हुए थे जिसके विरुद्ध माल प्राप्त नहीं हुआ था। कंपनी को अपने भारतीय ग्राहक से पूरा भुगतान प्राप्त हो जाने के उपरांत विदेशी सप्लायर को साख–पत्र के माध्यम से पूरा भुगतान कर दिया गया। कंपनी ने विदेशी सप्लायर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरु कर दी है। इस लेन–देन के संबंध में स्थानीय खरीदार से पूर्ण व अंतिम निपटान की 4.44 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त हो गई है। इस राशि में अन्य नॉन करंट देयताओं के तहत ग्राहक से प्राप्त एडवांस राशि भी शामिल है।

आई) माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने कंपनी को 39.62 करोड़ रुपए (गत वर्ष 39.62 करोड़ रुपए) जमा करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि एक विदेशी पार्टी द्वारा दायर की गई डिक्री के निष्पादन पर कंपनी के एक कोल सप्लायर से उनकी लेखा बहियों के अनुसारमा एमएमटीसी से यह राशि प्राप्त होगी। एमएमटीसी ने एक आवेदन तथा काउंटर हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि सप्लायर को अभी संविदा संबंधी अपने दायित्व पूरे करने है तथा ऐसी स्थिति में एमएमटीसी इस राशि को जमा कराने में असमर्थ है। यदि सभी मुद्दों का समाधान हो जाने पर सप्लायर को कोई राशि देय होगी तो उसे सप्लायर को देने की बजाय कोर्ट में जमा कराया जाएगा इस मामले में सुनवाई चल रही है और सुनवाई की अगली तारीख 20.9.2021 है।

37. वित्तीय दस्तावेज – उचित मूल्य तथा जोखिम प्रबंधन

37.1 कैटगरीज के वित्तीय दस्तावेज

निम्नलिखित तालिका में कैटगरीज की वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं की कैरिंग राशि तथा उचित मूल्य को दर्शाया गया है । यदि कैरिंग राशि उचित मूल्य का पर्याप्त अनुमान है तो वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य पर नहीं आंका गया है तथा उचित मूल्य सूचना भी इसमें शमिल नहीं है ।

(31 मार्च 2021 को करोड़ रुपये में)

विवरण	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां / वित्तीय देयताएं	ओ सी आई अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां / वित्तीय देयताएं	कुल कैरिंग मूल्य	कुल उचित मूल्य
परिसंपत्तियां					
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (संदर्भ नोट संख्या: 6)			2.23	2.23	2.23
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष (संदर्भ नोट संख्या: 13)	155.00			155.00	
ट्रेड प्राप्य (संदर्भ नोट संख्या: 7)	834.11			834.11	
कर्मचारियों को ऋण (संदर्भ नोट संख्या: 8)	4.85			4.85	

संबंधित पार्टी को ऋण (संदर्भ नोट संख्या: 8)	0.00			0.00	
सुरक्षा जमा तथा अन्य ऋण (संदर्भ नोट संख्या: 8)	1.95			1.95	
सुरक्षा जमा (संदर्भ नोट संख्या:11)	21.06			21.06	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ नोट संख्या: 9)	6.20			6.20	
देयताएं					
ट्रेड देय (संदर्भ नोट संख्या: 18)	998.31			998.31	
उधार (संदर्भ नोट संख्या: 17)	2417.85			2417.85	
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ नोट संख्या: 19)	209.65			209.65	

(31 मार्च 2020 को करोड़ रुपये में)

विवरण	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां / वित्तीय देयताएं	ओ सी आई अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां / वित्तीय देयताएं	कुल कैरिंग मूल्य	कुल उचित मूल्य
परिसंपत्तियां					
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (संदर्भ नोट संख्या: 6)			1.16	1.16	1.16
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष (संदर्भ नोट संख्या: 13)	74.65			74.65	
ट्रेड प्राप्य (संदर्भ नोट संख्या: 7)	2046.99			2046.99	
कर्मचारियों को ऋण (संदर्भ नोट संख्या: 8)	6.49			6.49	
संबंधित पार्टी को ऋण (संदर्भ नोट संख्या: 8)	0.00			0.00	
सुरक्षा जमा तथा अन्य ऋण (संदर्भ नोट संख्या: 8)	1.88			1.88	
सुरक्षा जमा (संदर्भ नोट–11)	13.33			13.33	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ नोट संख्या: 9)	14.31			14.31	
देयताएं :					
ट्रेड देय (संदर्भ नोट संख्या: 18)	665.60			665.60	
उधार (संदर्भ नोट संख्या: 17)	3682.84			3682.84	
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ नोट संख्या: 19)	200.19			200.19	

37.2 उचित मूल्य वर्गीकरण

स्तर 1.वर्गीकरण के स्तर 1 में सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (गैर समायोजित) का प्रयोग करते हुए वित्तीय दस्तावेजों का आकलन शामिल है ।

स्तर 2. वर्गीकरण के स्तर 2 में ऐसे वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं जिनका मूल्यांकन कोटेड मूल्यों से इतर किया गया है। साथ ही इसमें ऐसी परिसंपत्तियां अथवा देयताएं भी शामिल हैं जो या तो प्रत्यक्ष (अर्थात मूल्यों के अनुसार) अथवा अप्रत्यक्ष (अर्थात मूल्यों से प्राप्त) रूप में सुस्पष्ट हैं।

स्तर 3. वर्गीकरण के स्तर 3 में सुस्पष्ट बाजार डाटा (अस्पष्ट इनपुट्स) पर अनाधारित इनपुट्स का प्रयोग करते हुए वित्तीय दस्तावेजों का आकलन शामिल है।

निम्नलिखित तालिका उचित मूल्य पर आकलन की गई परिसंपत्तियों तथा देयताओं के उचित मूल्य के वर्गीकरण को प्रस्तुत करती है

(31 मार्च 2021 को करोड़ रुपये में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल योग	मूल्यांकन तकनीक तथा प्रमुख इनपुट्स	महत्वपूर्ण अनआबजर्वेबल इनपुट्स
वित्तीय परिसंपत्तियां						
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय निवेश						
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (बीएसई)	2.23			2.23		उदधृत मूल्य
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (आईसीईएक्स)			7.84	7.84	उचित मूल्य के सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार स्वीकृत लागत	
कुल योग	**2.23**	**-**	**7.84**	**10.07**		

(31 मार्च 2020 को करोड़ रुपये में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल योग	मूल्यांकन तकनीक तथा प्रमुख इनपुट्स	महत्वपूर्ण अनआबजर्वेबल इनपुट्स
वित्तीय परिसंपत्तियां						
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय निवेश						
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (बीएसई)	1.16			1.16		उदधृत मूल्य
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (आईसीईएक्स)			7.84	7.84	उचित मूल्य के सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार स्वीकृत लागत	
कुल	**1.16**	**-**	**7.84**	**9.00**		

37.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन, उद्देश्य एवं नीतियां

कंपनी के कार्यकलापों में निम्नलिखित वित्तीय जोखिम शामिल हैं:–

–बाजार जोखिम

–क्रेडिट जोखिम तथा

–तरलता जोखिम

कंपनी ने ऐसे किसी फंड की व्यवस्था नहीं की जिसमें ब्याज दर जोखिम शामिल हो ।

क) बाजार जोखिम

(ii) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी का आयात व निर्यात का व्यापार है जिसके कारण इसे मुख्यतः अमरीकी डालर के संबंध में विदेशी मुद्रा का जोखिम है। कंपनी ने दीर्घावधि उधार द्वारा निधियों की व्यवस्था नहीं की है। बैंकों से लिए गए लघु अवधि विदेशी मुद्रा ऋण (क्रेता के क्रेडिट) स्थिर ब्याज दर के ऋण होते हैं। परिणामस्वरूप कंपनी को किसी प्रकार का ब्याज दर जोखिम नहीं है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति विदेशी मुद्रा के जोखिम से बचाव (हेज) के लिए हेजिंग दस्तावेजों को प्रयोग करने की है।

अपने विदेशी मुद्रा जोखिम से बचाव के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा में फारवर्ड कांट्रेक्ट्स का प्रयोग करती है। संबंधित स्पॉट माक्रिट विनिमय दर के संदर्भ में कंपनी द्वारा फारवर्ड कांट्रेक्ट्स के स्पॉट घटक को विनिर्दिष्ट किया जाता है। कांट्रेक्ट्स फारवर्ड तथा स्पॉट मार्केट विनिमय दर के बीच के अंतर को फारवर्ड घटक कहते हैं। हेजिंग दस्तावेज की स्पॉट विनिमय दर में परिवर्तनों, जो कि हेज की गई मद से संबंधित होते हैं, को रोकड़ प्रवाह हेज अधिशेष में स्थगित किया जाता है तथा इसकी पहचान तब की जाती है जब संबंधित हेज किए गए लेनदेन की श्रेणी में आ जाता है। फारवर्ड विनिमय दर कांट्रेक्ट के फारवर्ड घटक को हैजिंग अधिशेष की लागत में स्थगित किया जाता है तथा जब लेन–देन किया जाता है तो उस समय फारवर्ड घटक में परिवर्तन की सीमा तक इसकी पहचान की जाती है।

निम्नलिखित तालिका में वित्तीय दस्तावेजों से कंपनी को होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के मात्रात्मक डाटा का सारांश रुपयों में दर्शाया गया है ।

(31 मार्च 2021 को करोड़ रुपये में)

विवरण	अमरीकी डालर (समतुल्य आईएनआर में)	अन्य मुद्राएं (समतुल्य आईएनआर में)	कुल
रोकड व रोकड़ समतुल्य	91.84	-	91.84
ट्रेड प्राप्य	559.28	-	559.28
डेमरेज/डिस्पैच प्राप्य	4.61	1.65	6.26
अन्य प्राप्य	1.37	-	1.37
विदेशी मुद्रा में कुल प्राप्य	**657.10**	**1.65**	**658.75**
देय विदेशी मुद्रा ऋण	53.84	-	53.84
विदेशी मुद्रा ऋण पर देय ब्याज	-	-	-
ट्रेड देय	249.79	0.55	250.34
देय भाड़ा डेमरेज/डिस्पैच	1.42	-	1.42
मुकदमों के निपटान के प्रति प्रावधान	98.05	-	98.05
अन्य	904.66	-	904.66
विदेशी मुद्रा में कुल देय	**1,307.77**	**0.55**	**1,308.31**

जिन मामलों में अभी भी विवाद है उनके मुकदमों के निपटान के प्रति किए गए प्रावधान को छोड़कर विदेशी मुद्रा प्राप्य/देय के संबंध में कंपनी का कोई एक्सपोजर नहीं है चूंकि हानि/लाभ एसोसिएट आपूर्तिकर्ता/ग्राहक के खाते में होगा। इसके अतिरिक्त देयों के संबंध में कंपनी ने फारवर्ड विदेशी मद्रा कांट्रेक्ट्स लिए हैं जो एसोसिएट के जोखिम एवं लागत पर हैं। साथ ही कंपनी ने सहयोगी के जोखिम और लागत पर देय राशियों के संबंध में विनिमय अनुबंधों को आगे बढाया है

(31 मार्च 2020 को करोड़ रुपये में)

विवरण	अमरीकी डालर (समतुल्य आईएनआर में)	अन्य मुद्राएं (समतुल्य आईएनआर में)	कुल
रोकड व रोकड़ समतुल्य	110.20	-	110.20
ट्रेड प्राप्य	121.64	-	121.64
डेमरेज/डिस्पैच प्राप्य	5.17	-	5.17
अन्य प्राप्य	13.40	-	13.40
विदेशी मुद्रा में कुल प्राप्य	**250.41**	**-**	**250.41**
देय विदेशी मुद्रा ऋण	344.91	-	344.91
विदेशी मुद्रा ऋण पर देय ब्याज	1.30	-	1.30
ट्रेड देय	45.28	-	45.28
देय भाड़ा डेमरेज/डिस्पैच	16.88	-	16.88
मुकदमों के निपटान के प्रति प्रावधान	-	-	-
अन्य	0.46	-	0.46
विदेशी मुद्रा में कुल देय	**408.83**	**-**	**408.83**

संवेदनशीलता

31 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2020 को हमारी फंक्शनल मुद्रा की तुलना में संबंधित विदेशी मुद्रा में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हमारे कर पूर्व लाभ पर क्रमशः शून्य रूपये एवं शून्य रूपये का प्रभाव डालेगी।

i) मूल्य जोखिम

कंपनी के इक्विटी प्रतिभूतियों के मूल्य जोखिम कंपनी द्वारा किए गए निवेश से होते है तथा इसे तुलन पत्र में अन्य समेकित आय द्वारा उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी द्वारा दो प्रतिभूतियों में किए गए निवेश में एक एनएसई पर सूचीबद्ध है तथा

दूसरा (आईसीईएक्स) सूचीबद्ध नहीं है ।

31 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2020 को संबंधित इक्विटी मूल्यों में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी इक्विटी के अन्य घटकों पर क्रमशः लगभग 0.02 करोड़ रुपये एवं 0.01 करोड़ रुपये का प्रभाव डालेगी। इसका लाभ व हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बी) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम का अभिप्राय दूसरे पक्ष (काउंटर पार्टी)द्वारा अपने दायित्वों में की गई चूक, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होती है, के जोखिम से है। रिपोर्टिंग तिथि को क्रेडिट जोखिम का अधिकतम एक्सपोजर ट्रेड प्राप्यों से होता है। तदनुसार, ट्रेड प्राप्यों से होने वाले क्रेडिट जोखिम का अन्य सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों से अलग निम्नलिखित पैराग्राफ में मूल्यांकन किया गया है।

ट्रेड प्राप्य

संयुक्त उपक्रमों तथा भारत सरकार को छोड़कर कंपनी के बकाया ट्रेड प्राप्य अधिकांशतः साख पत्र/बैंक गारंटी द्वारा सुरक्षित है।

इंड एएस – 109 के प्रावधानों के अनुरूप ट्रेड प्राप्यों में हानि की पहचान संभावित क्रेडिट हानि के आधार पर की जाती है। संभावित क्रेडिट हानि के उद्देश्य से कंपनी के ग्राहकों का ऐतिहासिक अनुभव, वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों एवं ग्राहकों के वर्तमान निष्पादन, इंडस्ट्री के भावी परिदृश्य को ध्यान में रखा जाता है ।

क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ट्रेड प्राप्यों की समयावधि के विश्लेषण को निम्नलिखित रूप से दर्शाया गया है :–

(31 मार्च 2021 को करोड़ रूपये में)

विवरण	सकल राशि	हानि	कैरिंग मूल्य
देय नही	704.93	-	704.93
एक महीने से कम अवधि से ओवरड्यू	1.86	-	1.86
एक महीने से अधिक तथा दो महीने की अवधि तक ओवरड्यू	0.13	-	0.13
दो महीने से अधिक तथा तीन महीने की अवधि तक ओवरड्यू	0.50	-	0.50
तीन महीने से अधिक तथा छह महीने की अवधि तक ओवरड्यू	0.09	-	0.09
छह महीने की अवधि से अधिक ओवरड्यू	516.62	390.02	126.60
कुल योग	**1,224.13**	**390.02**	**834.11**

(31 मार्च 2020 को करोड़ रूपये में)

विवरण	सकल राशि	हानि	कैरिंग मूल्य
देय नही	176.54	-	176.54
एक महीने से कम अवधि से ओवरड्यू	261.77	-	261.77
एक महीने से अधिक तथा दो महीने की अवधि तक ओवरड्यू	498.91	-	498.91
दो महीने से अधिक तथा तीन महीने की अवधि तक ओवरड्यू	859.38	-	859.38
तीन महीने से अधिक तथा छह महीने की अवधि तक ओवरड्यू	114.45	-	114.45
छह महीने की अवधि से अधिक ओवरड्यू	524.91	388.97	135.94
कुल योग	**2,435.96**	**388.97**	**2,046.99**

प्रत्येक ट्रेड प्राप्यों के लिए कंपनी द्वारा किए गए वसूली विश्लेशण के आधार पर जब वसूली को संदिग्ध माना जाता है तथा राशि को वसूली योग्य माने जाने तक देय तिथि (सरकारी देयों के अतिरिक्त) के तीन वर्षों के पश्चात ट्रेड प्राप्यों में सामान्यतः क्रेडिट हानि मानी जाती है। कंपनी का मानना है कि उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों जिनमें हानि नहीं हुई है परंतु ओवरडयू है, वे अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता की हैं।

कुछ लेन–देनों के ट्रेड प्राप्यों के संबंध में एसोसिएट आपूर्तिकर्ताओं को कंपनी द्वारा समकक्ष ट्रेड देय भी है जो ट्रेड प्राप्यों की वसूली के पश्चात देय होंगे। उक्त ट्रेड प्राप्यों को देय तिथि के पश्चात हानि नहीं माना जाता है।

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

चूंकि हमारा दूसरा पक्ष बैंक है इसलिए रोकड़ व रोकड़ समकक्ष से संबंधित क्रेडिट जोखिम को नगण्य माना गया है। अनुसूचित बैंकों के पास सांविध जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक की निगरानी में है, अतः इसे हम गुणवत्ता का क्रेडिट मानते हैं तथा ऑनगोईंग

आधार पर हम इन बैंकिंग संबंधों की पुनरीक्षा करते हैं। चूंकि कर्मचारियों को दिए गए गृह निर्माण ऋण, वाहन ऋण आदि सम्पत्ति के प्रति सुरक्षित हैं इसलिए कर्मचारियों के ऋण से संबंधित क्रेडिट जोखिम को हम नगण्य मानते हैं। अन्य कर्मचारी ऋणों को संबंधित कर्मचारी की वैयक्तिक गारंटी के साथ साथ अन्य सेवारत कर्मचारी के जमानत बाण्ड द्वारा कवर किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रति प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किसी प्रकार की हानि का प्रावधान नहीं किया गया है। उपरोक्त सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों को रिपोर्टिंग तिथि को हम अच्छी गुणवत्ता का क्रेडिट मानते हैं ।

ग) तरलता जोखिम

हमारी तरलता आवश्यकताओं को मासिक एवं वार्षिक अनुमानों के आधार पर मानीटर किया जाता है। रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष, प्रचालनों से अर्जित रोकड़ तथा देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त राशि द्वारा वित्तपोषण की उपलब्धता कंपनी का मुख्य तरलता स्रोत है।

आधारभूत व्यापार की सक्रिय प्रकृति के कारण प्रतिबद्ध क्रेडिट लाईंस के अंतर्गत उपलब्धता बनाए रखते हुए वित्त पोषण के लिए कंपनी द्वारा लचीलापन अपनाया जाता है ।

लघु अवधि की तरलता आवश्यकताओं में प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि की मुख्यतः विविध लेनदार, देय व्यय, सामान्य व्यापार के दौरान होने वाले कर्मचारी देय शामिल हैं। लघु अवधि की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में पर्याप्त शेष बनाकर रखती है।

कंपनी द्वारा दीर्घावधि की तरलता आवश्यकताओं का नियतकालिक आधार पर आकलन किया जाता है तथा आंतरिक संग्रहण एवं प्रतिबद्ध क्रेडिट लाईंस द्वारा इनका प्रबंधन किया जाता है।

निम्नलिखित तालिका नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता से संबंधित विवरणों को दर्शाती है। जब कंपनी को भुगतान करना आवश्यक है तो उस अतिशीघ्र तारीख पर आधारित वित्तीय देयताओं के प्रकटन न किए गए रोकड़ प्रवाह के आधार पर यह तालिका बनाई गई है। इस तालिका में मूल एवं ब्याज रोकड़ प्रवाह दोनों शामिल किए गए हैं :–

(31 मार्च 2021 को करोड़ रूपये में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–3 वर्ष	3–5 वर्ष	5 वर्षों से अधिक	कुल योग
ट्रेड देय	998.31					998.31
लघु अवधि उधार	2417.85					2417.85
अन्य वित्तीय देयताएं	209.65					209.65
कुल योग	**3625.81**	-	-	-	-	**3625.81**

(31 मार्च, 2021 को करोड़ रुपये में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–3 वर्ष	3–5 वर्ष	5 वर्षों से अधिक	कुल योग
ट्रेड देय	665.60					665.60
लघु अवधि उधार	3682.84					3682.84
अन्य वित्तीय देयताएं	200.19					200.19
कुल योग	**4548.63**	-	-	-	-	**4548.63**

38. हेजिंग गतिविधियों का प्रभाव

38.1 कैश फ्लो हेज

31 मार्च 2021 को कंपनी का कोई भी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट बकाया नहीं था।

38.2 उचित मूल्य हेज

जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, कंपनी सोने और चांदी की इंवेंट्री की कीमतों में होने वाले उतार–चढ़ाव के प्रति हेज करने के लिए कमोडिटी एक्सचेंजों के साथ फारवर्ड कांट्रेक्ट करती है। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ अथवा हानि माना जाता है। हेज किए गए आइटम पर होने वाले हेजिंग लाभ अथवा हानि को समायोजित करते हुए हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि ली जाती है तथा उसे लाभ अथवा हानि माना जाता है।

ए) हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले हेज अकाउंटिंग के प्रभाव का खुलासा

(31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार रूपए करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट की कैरिंग राशि		अवधि के लिए हेज निष्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट को उसके उचित मूल्य में परिवर्तित करते हुए प्रयोग किया गया	हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट की नामिनल राशि	
	परिसंपत्तियां	देयताएं		मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य
हेज उचित मूल्य					
मूल्य जोखिम					
सोने की बिक्री के लिए फारवर्ड कांट्रेक्ट				33	3.74

(31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार रूपए करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट की कैरिंग राशि		अवधि के लिए हेज निष्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट को उसके उचित मूल्य में परिवर्तित करते हुए प्रयोग किया गया	हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट की नामिनल राशि	
	परिसंपत्तियां	देयताएं		मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य
हेज उचित मूल्य					
मूल्य जोखिम					
सोने व चांदी की बिक्री के लिए फारवर्ड कांट्रेक्ट				176	51.35

बी.) हेज्ड आइटम्स के लिए वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले हेज अकाउंटिंग के प्रभाव का खुलासा :

(31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार रूपए करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग आइटम की कैरिंग राशि		हेज्ड आइटम पर हेज समायोजन की संचित राशि जिसमें हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि भी शामिल है	तुलनपत्र में लाइन आइटम जिसमें हेज्ड आइटम शामिल है	हेज निष्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार मूल्य में परिवर्तन किए गए हैं	ऐसे हेज्ड आइटम्स जो हेजिंग लाभ तथा हानि के लिए समायोजित नहीं किए जा सके थे, तुलनपत्र में ऐसे शेष बचे हेज समायोजनों की संचित राशि (इंडःएएस–109 का पैरा 6.5.10)
हेज उचित मूल्य						
मूल्य जोखिम						
सोने की इन्वेट्री		-		इंवेट्रीज	-	-

(31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार रूपए करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग आइटम की कैरिंग राशि		हेज्ड आइटम पर हेज समायोजन की संचित राशि जिसमें हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि भी शामिल है	तुलनपत्र में लाइन आइटम जिसमें हेज्ड आइटम शामिल है	हेज निष्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार मूल्य में परिवर्तन किए गए हैं	ऐसे हेज्ड आइटम्स जो हेजिंग लाभ तथा हानि के लिए समायोजित नहीं किए जा सके थे, तुलनपत्र में ऐसे शेष बचे हेज समायोजनों की संचित राशि (इंडःएएस–109 का पैरा 6.5.10)
हेज उचित मूल्य						
मुल्य जोखिम						
सोने की इन्वेंट्री		-		इंवेंट्रीज	-	-

39 भारतीय लेखा मानक (इंड एएसं)–36 के संबंध में प्रकटीकरण "परिसंपत्तियों की हानि"

वर्ष के दौरान कंपनी ने संपत्ति की हानि/क्षति का निर्धारण किया तथा तदनुसार वर्ष के दौरान पीपीई के मूल्य में 'शून्य' करोड़ (गत वर्ष 'शून्य' करोड़ रू) की हानि का प्रावधान किया गया है।

40 भारतीय लेखा मानक (इंड एएसं)–19 के संबंध में प्रकटीकरण "कर्मचारी लाभ"

40.1 विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं के सामान्य विवरण इस प्रकार हैं

ए) ग्रेच्युटी :

ग्रेच्युटी का भुगतान सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर सेवानिवृत्ति/सेप्रेशन पर सभी कर्मचारियों को किया जाता है। योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है और इसका संचालन एलआईसी के माध्यम से एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। अभ्रक डिवीजन के कर्मचारियों के लिए कंपनी इस योजना का संचालन सीधे एलआईसी के माध्यम से करती है। कंपनी इस योजना का वित पोषण करती है तथा इसमें देयता का निर्धारण इंश्योरर को दिए जाने वाले अंशदान के आधार पर किया जाता है अर्थात भारतीय बीमा निगम, हालांकि, इंड एएस–19 के अधीन अपेक्षित सूचना का खुलासा एक्चुएरल मूल्यांकन के अनुसार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–21 के लिए कंपनी के ग्रेच्युटी फंड अंशदान का एक्चुएरल मूल्यांकन का अनुमान रूपए 3.78 करोड़ है (गत वर्ष 4.29 करोड़ रुपए)। हालांकि, कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की जाने वाली मांग के अनुसार फंड में योगदान करती है।

बी) अवकाश मुआवजा :

सेप्रेशन पर पात्र कर्मचारियों को उनके द्वारा संचित किए गए अर्जित तथा अर्धवेतन अवकाश का मुआवजा देय होता है। सेवा के दौरान अर्जित अवकाश का नकदीकरण कराया जा सकता है जो वर्ष के दौरान दो बार कराया जा सकता है बशर्ते कर्मचारी के खाते में नकदीकरण के बाद कम से कम 15 अवकाश शेष रहने चाहिए।

इस खाते में देयता का निर्धारण एक्चुएरल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

सी) लंबे सेवाकाल का लाभ : कर्मचारियों को देय लबी अवधि सेवाकाल के लाभ का विवरण निम्नानुसार है :

(i) सेवा पुरस्कार

कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पूरे किए गए सेवाकाल के प्रत्येक वर्ष के लिए रूपए 3500/– के हिसाब से सेवा पुरस्कार की राशि देय होती है।

(ii) अनुकंपा ग्रेच्युटी

सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को 50000/– रू की एक–मुश्त राशि अनुकंपा ग्रेच्युटी के रूप में देय होती है।

(iii) कर्मचारी परिवार लाभ योजना

यदि कर्मचारी की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो जाती है तो उसके आश्रितों को कर्मचारी परिवार लाभ योजना के तहत भुगतान उस तारीख तक देय होता है जो उसकी सेवानिवृत्ति की नेशनल तारीख है। यदि कर्मचारी ने अपनी मृत्यु के समय तक 20 वर्षों से कम अवधि की सेवा की है तो उस स्थिति में कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन तथा डीए की 40 प्रतिशत राशि मासिक आधार पर देय होती है जिसकी अधिकतम राशि 12,000/– रू. है तथा यदि कर्मचारी ने 20 वर्ष अथवा इससे अधिक का सेवाकाल पूरा कर लिया है तो

उस स्थिति में कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन तथा डीए की 50 प्रतिशत राशि मासिक आधार पर देय होती है जिसकी अधिकतम राशि 12,000/– रू है।

(iv) अभ्रक डिवीजन के कर्मचारियों को विशेष लाभ : सेवानिवृत्ति पर अधिकारी को 5,00,000/– रू, स्टाफ को 4,00,000/– तथा कामगार को 3,00,000/– रूपए की राशि देय होती है।

लाभ व हानि, अन्य कम्प्रीहेंसिव इनकम(ओसीआई) तथा तुलनपत्र तथा अन्य प्रकटन में दिए गए विभिन्न लाभों की संक्षेप स्थिति निम्नानुसार है :

नेट परिभाषित लाभ देयता (रु. करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	चालू वर्ष	90.85	16.01	20.59	4.35	1.85	0.12	3.63
	पि. वर्ष	98.90	14.44	21.89	4.85	2.15	0.16	4.02
वित्त पोशित स्थिति/(अधिशेष/ (घाटा))	चालू वर्ष	82.45	-	-	-	-	-	-
	पि. वर्ष	87.78	-	-	-	-	-	-
परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-	-
	पि. वर्ष	-	-	-	-	-	-	-
नेट परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयताएं)	चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-	-
	पि. वर्ष	-	-	-	-	-	-	-
नेट परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयताएं)	चालू वर्ष	(8.41)	(16.01)	(20.59)	(4.35)	(1.85)	(0.12)	(3.63)
	पि. वर्ष	(11.12)	(14.44)	(21.89)	(4.85)	(2.15)	(0.16)	(4.02)

परिभाषित लाभ देयता का चलन (रु. करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
परिभाषित लाभ दायित्व – वर्ष के आरंभ में	चालू वर्ष	98.90	14.44	21.89	4.85	2.15	0.16	4.02
	पि. वर्ष	105.48	18.03	23.32	5.70	2.30	0.16	4.00
चालू सेवा लागत	चालू वर्ष	3.28	0.76	0.82	0.15	0.05	-	-
	पि. वर्ष	2.97	0.71	0.95	0.17	0.06	-	-
विगत सेवा लागत	चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-	-
	पि. वर्ष	-	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत	चालू वर्ष	6.53	0.95	1.44	0.32	0.14	-	-
	पि. वर्ष	7.90	1.37	1.78	0.43	0.18	-	-
प्रदत्त लाभ	चालू वर्ष	(11.29)	(4.57)	(2.54)	(0.79)	(0.41)	-	-
	पि. वर्ष	(28.42)	(12.47)	(4.35)	(1.73)	(0.42)	-	-
पुन: मूल्यांकन – एक्चुरीएल हानि/(लाभ)	चालू वर्ष	(6.56)	4.43	(1.02)	(0.18)	(0.09)	(0.04)	(0.39)
	पि. वर्ष	10.97	6.79	0.19	0.27	0.03	0.00	0.02
परिभाषित लाभ दायित्व – वर्ष के अंत में	चालू वर्ष	90.85	16.01	20.59	4.35	1.85	0.16	4.02
	पि. वर्ष	98.90	14.44	21.89	4.85	2.15	0.16	4.00

योजना परिसंपत्ति का चलन

(रु. करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)	
	31.03.2021	31.03.2020
वर्ष के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	87.78	99.20
ब्याज आय	5.90	7.50
नियोक्ता अंशदान	0.06	9.51
प्रदत्त लाभ	(11.29)	(28.42)
पुनः मूल्यांकन – एक्चुरीएयल हानि / (लाभ)	(0.01)	(0.00)
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	82.45	87.78

लाभ व हानि विवरण में शामिल की गई राशि

(रु. करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
वर्तमान सेवा लागत	चालू वर्ष	3.28	0.76	0.82	0.15	0.05		
	पि. वर्ष	2.97	0.71	0.95	0.17	0.06		
पूर्व सेवा लागत– प्लान संशोधन	चालू वर्ष							
	पि. वर्ष	-	-	-	-	-		
सेवा लागत (ए)	चालू वर्ष	3.28	0.76	0.82	0.15	0.05		
	पि. वर्ष	2.97	0.71	0.95	0.17	0.06		
नेट परिभाशित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) (बी)	चालू वर्ष	0.73	0.95	1.44	0.32	0.14	-	-
	पि. वर्ष	0.42	1.37	1.78	0.43	0.18	-	-
अवधि में माने गए नेट एक्चुरियअल (लाभ) / हानि	चालू वर्ष	-	4.43	(1.02)	-	-	(0.04)	(0.39)
	पि. वर्ष	-	6.79	0.19	-	-	0.00	0.02
पी एण्ड एल में मानी गई लागत (ए. बी)	चालू वर्ष	4.01	6.15	1.25	0.47	0.20	(0.04)	(0.39)
	पि. वर्ष	3.39	8.87	2.93	0.60	0.24	0.00	0.02

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में शामिल की गई राशि

(रु. करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
डीबीओ अनुभव के कारण एक्चुरिएयल लाभ / (हानि)	चालू वर्ष	6.56	-	-	0.21	0.11	-	-
	पि. वर्ष	(10.97)	-	-	(0.09)	0.08	-	-
अनुमानित परिवर्तनों के कारण एक्चुएरियल लाभ / (हानि)	चालू वर्ष	-	-	-	(0.03)	(0.02)	-	-
	पि. वर्ष	-	-	-	(0.18)	(0.11)	-	-
अवधि के दौरान हुए एक्चुएरियल लाभ / (हानि) (ए)	चालू वर्ष	6.56	-	-	0.18	0.09	-	-
	पि. वर्ष	(10.97)	-	-	(0.27)	(0.03)	-	-
प्लान परिसंपत्ति पर रिर्टन जो डिस्काउंट रेट से (अधिक) / कम है (बी)	चालू वर्ष	0.10	-	-	-	-	-	-
	पि. वर्ष	0.01	-	-	-	-	-	-

ओसीआई में मानी गई एक्चुएरियल लाभ/(हानि) (ए. बी)	चालू वर्ष	6.66	-	-	0.18	0.09	-	-
	पि. वर्ष	(10.96)	-	-	(0.27)	(0.03)	-	-

संवेदनशील विश्लेशण **(31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)**

अनुमान		अनुमान में परिवर्तन	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
			(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
डिस्काउंट रेट		0.50%	(2.05)	(0.42)	(0.46)	(0.08)	(0.04)	-	-
		-0.50%	2.07	0.44	0.48	0.09	0.05	-	-
वेतनवृद्धि दर		0.50%	2.07	0.44	0.48	-	-	-	-
		-0.50%	(2.07)	(0.42)	(0.46)	-	-	-	-

(31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)

अनुमान		अनुमान में परिवर्तन	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
			(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
डिस्काउंट रेट		0.50%	(2.28)	(0.37)	(0.50)	(0.09)	(0.05)	-	-
		-0.50%	2.40	0.39	0.53	0.10	0.05	-	-
वेतनवृद्धि दर		0.50%	2.40	0.39	0.53	-	-	-	-
		-0.50%	(2.30)	(0.37)	(0.51)	-	-	-	-

एक्चुएरियल अनुमान

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
प्रयोग में लाई गई पद्धति	चालू वर्ष	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट
	पि. वर्ष	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट
डिस्काउंट रेट	चालू वर्ष	6.60%	6.42%	6.42%	6.42%	6.42%	6.42%	6.42%
	पि. वर्ष	6.60%	6.60%	6.60%	6.60%	6.60%	6.60%	6.60%
वेतनवृद्धि दर	चालू वर्ष	6.00%	6.00%	6.00%	-	-	-	-
	पि. वर्ष	6.00%	6.00%	6.00%	-	-	-	-
मृत्यु दर	चालू वर्ष	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)
	पि. वर्ष	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)

संभावित लाभ भुगतान

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	भुगतान वर्ष	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर– वित्त पोषित)	(गैर– वित्त पोषित)	(गैर– वित्त पोषित)	(गैर– वित्त पोषित)	(गैर– वित्त पोषित)	(गैर– वित्त पोषित)
1	0 से 1 साल	16.33	2.89	4.30	0.94	0.38	-	-
2	1 से 2 साल	11.36	2.13	2.65	0.62	0.42	-	-
3	2 से 3 साल	11.75	1.82	3.07	0.62	0.28	-	-
4	3 से 4 साल	8.73	1.59	1.69	0.44	0.24	-	-
5	4 से 5 साल	6.60	1.01	1.39	0.29	0.31	-	-
6	5 से 6 साल	8.22	1.48	1.76	0.35	0.12	-	-
7	6 साल से उपर	27.86	5.09	5.74	1.10	0.10	-	-

प्लान परिसंपत्तियों में निवेश की श्रेणी

निवेश की श्रेणी	प्लान परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का प्रतिशत
बीमाकृत लाभ	100 प्रतिशत

डी) भविष्य निधि : कंपनी का योगदान देय वर्ष के दौरान भविष्य निधि और देयताओं के लिए भुगतान किए गए/भुगतान योग्य राशि की पहचान अक्रुएल आधार पर की जाती है। कंपनी का भविष्य निधि ट्रस्ट कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान एक्ट, 1952 की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त है। जिन शर्तों के तहत छूट दी गई है उनमें प्रावधान है कि नियोक्ता ट्रस्ट द्वारा घोषित की गई ब्याज दर तथा वैधानिक दर में किसी प्रकार की कमी होने की स्थिति में उसकी पूर्ति करेगा। फंड की परिसंपत्तियों तथा किए गए निवेश पर आने वाले रिटर्न को देखते हुए कंपनी को लगता है कि निकट भविश्य में किसी और देयता के उत्पन्न होने की आशा नहीं है।

ई) सेवानिवृत्ति पेंशन लाभ – कंपनी ने वर्ष के दौरान परिभाशित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना के लिए रू 4.56 करोड़ (गत वर्ष रू 5.09 करोड़) लाभ व हानि विवरण में शामिल किए हैं।

एफ) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ : 'परिभाषित अंशदान योजना' के तहत सेवानिवृत कर्मचारियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में इनपेशंट इलाज तथा आपीडी इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

ए. 1.1.2007 से पहले सेवानिवृत्त लोगों के लिए योजना के संबंध में वर्ष 2020–21 के लिए देयता शून्य (पीबीटी का 1.5%) रही है, क्योंकि कंपनी ने वर्ष के दौरान नुकसान की सूचना दी है और 2020–21 के दौरान भुगतान किए गए मूल + डीए का 4.50% परिभाषित अंशदान योजना के अनुसार 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त लोगों के लिए योजना के संबंध में।

बी. 2019–20 के दौरान, कंपनी ने फंड के प्रबंधन के लिए ट्रस्ट बनाया है और योजना के प्रति कंपनी की देनदारी के खिलाफ ट्रस्ट को रू 150.00 करोड़ रु. का भुगतान किया है। 'परिभाषित योगदान योजना' के तहत 31.03.2021 को कंपनी के दायित्व के रूप में निवल देयता को दर्शाया गया है।

सी. वर्ष के दौरान कुल 3.60 करोड (गत वर्ष 8.90 करोड) लाभ व हानि में प्रभारित किया गया है।

41. समूह सूचना

1. सहायक कंपनियां

समूह की सहायक कंपनियां नीचे दी गई हैं। उनके पास शेयर पूंजी होती है जिसमें केवल इक्विटी शेयर होते हैं जो सीधे समूह के पास होते हैं और स्वामित्व के हितों का अनुपात समूह द्वारा रखे गए वोटिंग अधिकारों के बराबर होता है। निगमन या पंजीकरण का देश भी उनके व्यवसाय का प्रमुख स्थान है।

कम सं.	सहायक कंपनी का नाम	मुख्य कार्यकलाप	स्थापना का स्थान	समूह द्वारा धारित स्वामित्व हित	
				31.03.2021	31.03.2020
1	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड	खनिज, धातु, उर्वरक, कृषि उत्पाद, कोयला और हाइड्रोकार्बन, बुलियन, आभूषण और अन्य वस्तुओं में व्यापार	सिंगापुर	100% (अनियंत्रित हित शून्य)	100% (अनियंत्रित हित शून्य)

2. संयुक्त उद्यम

जिन संयुक्त उपक्रमों में समूह एक संयुक्त उद्यम है उनका विवरण नीचे दिया गया है। उनके पास शेयर पूंजी होती है जिसमें इक्विटी शेयर होते हैं जो सीधे समूह द्वारा रखे जाते हैं और स्वामित्व हितों का अनुपात समूह द्वारा आयोजित मतदान अधिकारों के बराबर होता है। निगमन या पंजीकरण का देश भी उनके व्यवसाय का प्रमुख स्थान है।

कम सं.	सहायक कंपनी का नाम	मुख्य कार्यकलाप	स्थापना का स्थान	समूह द्वारा धारित स्वामित्व हित		लेखांकन विधि
1	एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड (i)	सोने और चांदी के सिक्कों, सोने के आभूषणों, हीरे जड़ित आभूषणों, जीवन शैली के आभूषणों का व्यापार	भारत	26%	26%	इक्विटी पद्धति
2	एमएमटीसी पीएएमपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	सोने और चांदी की छडों, सिक्कों और संबंधित वस्तुओं का व्यापार और सोने और चांदी के डोरों का शोधन ।	भारत	26%	26%	इक्विटी पद्धति
3	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड (iii)	कंपनी ने अपनी लौह अयस्क टर्मिनल सुविधा स्थापित की है	भारत	26%	26%	इक्विटी पद्धति
4	टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड (ii)	खनिज ब्लॉकों/जमाओं के अन्वेशण, खोज पूर्वेक्षण, विकास, निष्कर्षण, दोहन कार्य में लगे हुए हैं	भारत	26%	26%	इक्विटी पद्धति
5	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	लोहा और इस्पात संयंत्र कैप्टिव पावर प्लांट के साथ	भारत	49.78%	49.78%	इक्विटी पद्धति
6	फ्री ट्रेड वेयर–हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	भारत में मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्रों का विकास	भारत	50%	50%	इक्विटी पद्धति

i) मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्य प्रमोटर द्वारा किए गए डिफॉल्ट की रिपोर्ट के मद्देनजर कंपनी ने वर्ष 2017–18 के दौरान अपने संयुक्त उद्यम– मेसर्स एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड में 2.99 करोड़ के अपने इक्विटी निवेश को पूरी तरह से प्रभावित किया है। जांच एजेंसियों द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई जांच और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जेवी कंपनी ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को निलंबित कर दिया है। कंपनी ने जेवी कंपनी से बाहर निकलने का नोटिस भी दिया है। वित्तीय विवरण संयुक्त उद्यम कंपनी से 2020–21 के लिए प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए इसे भी समेकन के उद्देश्य के लिए नहीं माना जाता है।

(ii) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने संयुक्त उद्यम–टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड में अपने 0.06 करोड़ के इक्विटी निवेश को बट्टे खाते में डाल दिया है। संयुक्त उद्यम कंपनी बंद होने की प्रक्रिया में है और एमसीए के पास आवश्यक आवेदन किया गया है।

(iii) कंपनी ने अपने संयुक्त उद्यम मेसर्स सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड में 33.80 करोड़ के इक्विटी निवेश में हानि के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान किया।

(iv) उद्धृत उचित मूल्यः उपरोक्त सभी संयुक्त उद्यम असूचीबद्ध संस्थाएं हैं और इसलिए कोई उद्धृत मूल्य उपलब्ध नहीं है। वहन राशि का विवरण नोट 6 संख्या में दिया गया है।

3. संस्थाएं समेकित

निम्नलिखित संस्थाओं को समेकन उद्देश्य के लिए माना जाता है:–

क्रम	संस्था का नाम	स्थिति	अपनाये गये वित्तीय विवरण
1.	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	सहायक कंपनी	लेखा परीक्षित
2.	एमएमटीसी पेम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उदयम	लेखा परीक्षित
3.	नीलाचल इस्पात निगम प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उदयम	*
4.	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उदयम	लेखा परीक्षित

*2020–21 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त नही हुए।

#एक संयुक्त उद्यम कंपनी (एमपीआईपीएल) के वित्तीय विवरण में सुधार के कारण 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय विवरण वर्ष को इस प्रकार बहाल किया गया है:

विवरण			
तुलन पत्र की मदें	पिछली रिपोर्ट	किया गया समायोजन	पुर्ननिर्धारित मूल्य
परिरसंपतिः इक्विटी पद्धति के माध्यम से खते में लाया गया निवेश			
31.03.201 तक	105.79	(27.06)	78.73
इक्विटी एंव देयताएं अन्य इक्विटी			
31.03.2021 तक	760.53	(27.06)	733.47
वित्तीय परिणाम की मदें			
लाभ व हानि खाते की मदें संयुक्त उपकम के लाभ(हानि) के अंश (कर निकालकर)			
31.03.2021 को समाप्त वर्ष	26.17	(18.02)	8.15

निम्नलिखित संस्थाओं को समेकन उद्देश्य के लिए नहीं माना जाता है क्योंकि निवेश पूरी तरह से हानि है।

क्रम	संस्था का नाम	स्थिति	समेकित नही होने के कारण
1.	एमएमटीसी गितांजली प्राइवेट	संयुक्त उदयम	उपरोक्त टिप्पणी सं.41.2(i) का संदर्भ लें
2.	टी एम माइनिंग कंपनी लि.	संयुक्त उदयम	उपरोक्त टिप्पणी सं.41.2(ii) का संदर्भ लें
3.	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लि.	संयुक्त उदयम	उपरोक्त टिप्पणी सं.41.2(iii) का संदर्भ लें

4. संयुक्त उपकमों की पहचान नही की गई हानि

संयुक्त उपकमों की नहीं पहचानी गई हानि का शेयर, क्योंकि समूह ने संयुक्त उपकमों के अपने शेयर नुकसान को पहचानना बंद कर दिया है, निवेश के वहन मूल्य को इक्विटी पद्धति को लागू करते हुए नीचे दिया गया है –

क्र. सं	संयुक्त उद्यम के नाम	31.03.2021 को संचयी शेष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
1	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड	1,274.89	Not Re'cd	799.88	200.90	186.89	87.22
2	फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	19.68	6.79	9.06	1.45	1.38	1.00

2020–21 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं।

42. संयुक्त उद्यम से संबंधित जानकारी (करोड़ में)

संक्षेपित तुलन पत्र	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड		नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	
	31 मार्च 21	31 मार्च 20	31 मार्च 21	31 मार्च 20	31 मार्च 21	31 मार्च 20
चालू परिसंपत्तियां						
नकद और नकद समकक्ष	700.08	555.95		34.96	0.09	0.10
अन्य परिसंपत्तियां	1,041.31	1,161.95	-	385.57	-	0.05
कुल चालू परिसंपत्तियाँ	1,741.39	1,717.90	-	420.53	0.09	0.15
कुल गैर चालू परिसंपत्तियाँ	330.85	234.07		2,707.22	33.60	49.03
चालू देनदारियाँ						
वित्तीय देनदारियाँ (व्यापार देय और प्रावधानों को छोड़कर)	1,399.60	324.88		2,043.13	0.01	2.01
अन्य देनदारियाँ	332.76	1,287.38	-	2,156.50	7.66	7.51
कुल चालू देनदारियाँ	1,732.36	1,612.26	-	4,199.63	7.67	9.52
गैर चालू देनदारियाँ						

वित्तीय देनदारियाँ (व्यापार देय और प्रावधानों को छोड़कर)	3.91	4.32		1,271.20	-	-
अन्य देनदारियाँ	28.80	32.58	-	221.63	65.38	65.42
कुल गैर चालू देनदारियाँ	32.71	36.90	-	1,492.83	65.38	65.42
निवल परिसंपत्तियाँ	307.17	302.81	-	(2,564.71)	(39.36)	(25.76)

विवरण	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड		नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	
	2020-21	**2019-20**	**2020-21***	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**
राजस्व	20,372.37	34,512.63		941.07	0.46	0.60
ब्याज आय	16.33	18.23		3.26	-	-
मूल्यह्रास और ऋणमुक्ति	25.02	26.22		177.55	0.82	0.87
ब्याज व्यय	61.59	61.62		214.69	0.17	0.55
आयकर व्यय	2.16	18.42		606.77	-	-
निरंतर प्रचालन से लाभ	3.06	31.30		(1,758.05)	(13.60)	(18.11)
अनिरंतर प्रचालन से लाभ (कर के बाद)	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	3.06	31.30	-	(1,758.05)	(13.60)	(18.11)
अन्य व्यापक आय	1.30	(0.22)		(8.31)	-	-
कुल व्यापक आय	4.36	31.08	-	(1,766.36)	(13.60)	(18.11)

विवरण	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड		नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)		फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड (एफटीडब्ल्यूपीएल)	
	31 मार्च 21	**31 मार्च 20**	**31 मार्च 21**	**31 मार्च 20**	**31 मार्च 21**	**31 मार्च 20**
आरंभिक निवल परिसंपत्ति	302.81	328.35	(2,564.71)	(956.49)	(25.76)	(7.65)
वर्ष के लिए लाभ	3.06	31.30	-	(1,758.05)	(13.60)	(18.11)
अन्य समेकित आय	1.30	(0.22)	-	(8.31)	-	-
अन्य समायोजन	-	(56.62)		158.14	-	-
ईक्विटी के समानक अग्रिम	-	-	-	-	-	
समापन निवल परिसंपत्ति	307.17	302.81	(2,564.71)	(2,564.71)	(39.36)	(25.76)
प्रतिशत में समूह के शेयर	26%	26%	49.78%	49.78%	50%	50%
आईएनआर में ग्रुप के शेयर	79.87	78.73	(1,276.71)	(1,276.71)	(19.68)	(12.88)
गुडविल/ (आरक्षित पूंजी)	-	-	-	-	-	-
कैरिंग राशि**	79.87	78.73	-	-	-	-

*31.03.2021 को वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुआ

संयुक्त उद्यम कंपनी एनआईएनएल और एफटीडब्ल्यूपीएल के मामले में निवेश की कैरिंग राशि शून्य है, क्योंकि संबंधित संयुक्त उद्यम कंपनी से संबंधित निवेश की कैरिंग राशि अधिक हो गयी है। जेवी कंपनी एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड और सिकल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड के संबंध में निवेश की अग्रणी राशि शून्य है क्योंकि संयुक्त उद्यम में समूह का इक्विटी निवेश पूरी तरह से प्रभावित हुआ है।संयुक्त उद्यम कंपनी टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड के निवेश की कैरिंग राशि बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

43. भारतीय लेखा मानक(इंड एएस)–108 के संबंध में प्रकटन : "ऑपरेटिंग सेग्मेंट्स"

जैसाकि इंड एएस–108 में परिभाषित किया गया है "मैनेजमेंट अप्रोच" के आधार पर चीफ आपरेटिंग डिसीजन मेकर (सीओडीएम) कंपनी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करता है तथा बिजनेस सेग्मेंट्स के विभिन्न कार्यनिश्पादन सूचकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आबंटन करता है। तदनुसार प्रत्येक बिजनेस सेग्मेंट के बारे में सूचना दी गई है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में इस्तेमाल किए गए अकाउंटिंग सिद्धांतों को प्रत्येक बिजनेस सेग्मेंट का राजस्व तथा व्यय रिकार्ड करने के लिए निरंतर इस्तेमाल किया गया है तथा इन्हें महत्वपूर्ण अकाउंटिंग नीतियों में भी शामिल किया गया है। कंपनी के बिजनेस सेग्मेंट हैं :– बहुमूल्य धातुएं, धातुएं, खनिज, कोल

तथा हाइड्रोकार्बन, कृषि उत्पाद, उर्वरक तथा अन्य।

सेग्मेंट राजस्व तथा व्यय

सेग्मेंट परिसंपत्तियों में सभी ओपरेटिंग परिसंत्तियां शामिल हैं जिसमें नेट स्थिर परिसंपत्तियां तथा वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण व अग्रिम इत्यादि शामिल हैं। कारेपोरेट तथा निर्माण से संबंधित परिसंपत्तियों को अनअलोकेटिड सेग्मेंट्स में शामिल किया गया है। सेग्मेंट देयताओं में संबंधित सेग्मेंट की देयताएं तथा प्रावधान शामिल हैं।

(31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार रु करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रोकार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
बाहरी ग्राहकों से सेग्मेंट राजस्व								
भारत में	14,029.93	74.03	1.32	586.14	671.45	9,185.83	28.17	24,576.86
भारत से बाहर	0.00	231.40	1,817.87	233.80	3,127.46	6.11	7.96	5,424.61
इंटर– सेग्मेंट राजस्व								
कुल सेग्मेंट राजस्व	14029.93	305.43	1819.20	819.94	3798.90	9191.94	36.14	30001.47
सेग्मेंट परिणाम								
भारत में	53.13	0.80	1.32	(30.73)	7.02	29.40	2.97	63.91
भारत से बाहर	-	0.93	50.39	1.34	11.77	0.07	0.25	64.75
कुल सेग्मेंटनल परिणाम	53.13	1.72	51.72	(29.39)	18.78	29.47	3.22	128.66
अन्य अनआबंटित कारपोरेट व्यय :								
ब्याज व्यय (नेट)								193.24
अन्य आय घटाने पर अन्य अनअलोकेटिड व्यय								1,048.56
साधारण कार्यकलापों से कर पूर्व लाभ								(1,113.14)

(31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रोकार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
बाहरी ग्राहकों से सेग्मेंट राजस्व								
भारत में	8,304.82	719.26	29.47	1,341.83	831.23	11,100.10	6.04	22,332.75
भारत से बाहर	0.15	250.73	1,694.54	325.62	1,693.76	(0.02)	7.18	3,971.96
इंटर– सेग्मेंट राजस्व								-
कुल सेग्मेंट राजस्व	8,304.97	969.99	1,724.01	1,667.45	2,524.99	11,100.08	13.22	26,304.71
सेग्मेंट परिणाम								-
भारत में	49.60	17.09	7.31	25.57	(6.88)	37.02	0.82	130.53
भारत से बाहर	0.01	3.58	48.12	1.77	8.06	-	0.22	61.76
कुल सेग्मेंटनल परिणाम	49.61	20.67	55.43	27.34	1.18	37.02	1.04	192.29
अनअलोकेटिड कारपोरेट व्यय :								
ब्याज व्यय (नेट)								126.83
अन्य आय घटाने पर अन्य अनअलोकेटिड व्यय								285.03
साधारण कार्यकलापों से कर पूर्व लाभ								(219.57)

परिसंपत्तियों व देयताओं का सेग्मेंट

(31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रोकार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
ए.01 सेग्मेंट परिसंपत्तियां								
परिसंपत्तियां	427.26	19.21	333.84	3514.81	668.84	19.74	39.99	5023.69
अनअलोकेटिड परिसंपत्तियां								450.15
कुल परिसंपत्तियां								**5473.86**
ए.02 सेग्मेंट देयताएं								
देयताएं	442.64	38.67	344.50	1200.13	722.51	19.88	23.71	2792.02
अनअलोकेटिड देयताएं								2582.12
कुल देयताएं								**5374.12**

(31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रोकार्बन	कृशि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
ए.01 सेग्मेंट परिसंपत्तियां								
परिसंपत्तियां	267.73	(211.61)	173.36	3550.38	313.82	1560.86	503.90	6158.42
अनअलोकेटिड परिसंपत्तियां								251.81
कुल परिसंपत्तियां								**6410.25**
ए.02 सेग्मेंट देयताएं								
देयताएं	188.05	93.77	218.47	507.87	397.91	1353.68	27.77	2787.55
अनअलोकेटिड देयताएं								2739.26
कुल देयताएं								**5526.78**

प्रमुख ग्राहकों के बारे में सूचना

बाहरी एकल ऐसे ग्राहकों, जिनके साथ हुए लेनदेन में कंपनी को कुल राजस्व का 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है, के बारे में सूचना नीचे दी गई है ।

(रुपए करोड़ में)

प्रमुख ग्राहक (ग्राहक जिसका 10 प्रतिशत से अधिक राजस्व है)	2020-21	2019-20
कुल राजस्व	9177.84	11076.02
ग्राहकों की संख्या	1	1
कुल राजस्व का प्रतिशत	30.59%	42.11%
उत्पाद सेग्मेंट	उर्वरक	उर्वरक

44. भारतीय लेखा मानक 24 "संबंधित पार्टी प्रकटन" के संबंध में प्रकटन

44.1 गैर–सरकारी संबंधी संगठन के लिए प्रकटन

ए. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों की सूची

नाम	पदनाम
1. श्री सुधांशु पांडे	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – (प्रबंध निदेशक (01.03.2020 से 13.05.2020 तक)
2. श्री संजय चड्ढा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – (प्रबंध निदेशक) (14.05.2020 से)
3. श्री उमेश शर्मा	निदेशक (वित्त) एवं (मुख्य वित्तीय अधिकारी) (31.05.2020 तक)
4. श्री कपिल कुमार गुप्ता	निदेशक (वित्त) एवं (मुख्य वित्तीय अधिकारी) (01.06.2020 से)

5 श्री अश्वनी सोंधी	निदेशक (31.01.2021 तक)
6. श्री जे. रवि शंकर	निदेशक
7. श्री आर. आर. सिन्हा	निदेशक(कार्मिक),
8. श्री टी.एस.राव	प्रबंध निदेशक, एमटीपीएल
9. श्री देबाशिष नायक	निदेशक(वित्त) एमटीपीएल

बी) सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर

सी) संयुक्त उद्यम

i. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड
ii. फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
iii. एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड
iv. एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड
v. सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड

डी. सरकार तथा इससे संबंधित संगठन

i. भारत सरकार के पास कंपनी के 89.93 प्रतिशत इक्विटी शेयर्स हैं तथा उसका कंपनी पर नियंत्रण है।
ii. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिन पर भारत सरकार का नियंत्रण है।

ई. रोजगारोपरांत लाभ योजना

i. एमएमटीसी लिमिटेड सीपीएफ ट्रस्ट
ii. एमएमटीसी लिमिटेड ग्रेच्युटी ट्रस्ट
iii. एमएमटीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति ट्रस्ट
iv. एमएमटीसी कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट

एफ. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों के लिए मुआवजा (रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पावधि लाभ	4.35	4.67
पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स	0.45	0.58
अन्य दीर्घावधि लाभ	-	-
शेयर आधारित भुगतान	-	-
ट्रमिनेशन लाभ	-	-
कुल	**4.81**	**5.26**
वर्ष के दौरान ऋणों व अग्रिमों की वसूली	0.00	0.01
वर्ष के दौरान दिए गए अग्रिम	-	-
31.03.2021 को ऋणों व अग्रिमों का अंतिम शेष	-	0.00

जी. संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन

(रुपए करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीताजलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज लि.		एमटीपीएल		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि		अन्य	
	मार्च 21	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 20
माल एवं सेवाओं की बिक्री	-	-	2.51	13.56	-	-	-	-		109.03	2.08	837.75	-	-		-
कच्चे माल/वस्तु तथा सेवाओं की खरीद	-	-	107.12	78.98	-	-	-	-	1.74	92.22	25.38	935.48	-	-	-	-
कंपनी की ओर से भुगतान	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	77.82	109.18
अन्य लेन–देन	-	-	-	-	-	-	-	-	28.64	-	-		-	-	6.01	179.96

एच. वस्तु/सेवाओं की बिक्री/खरीद से उत्पन्न बकाया शेष

(रुपए करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीताजलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		इंडिया कमोडिटी एक्सच. ेंज लि.		एमटीपीएल		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि	
	मार्च 21	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 20
देय व्यापार	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	0.76	12.37	1.46	1.59	-	-
प्राप्य व्यापार	-	-	-	(1.05)	-	-	-	-	-		-	-	-	-
अन्य देय	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य प्राप्य	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	4.31	-	-	-	-

आई. संयुक्त उद्यमों को दिए गए ऋण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीताजलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज लि.		एमटीपीएल		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि	
	मार्च 21	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 20
वर्ष के प्रारंभ में ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अग्रिम में दिया गया ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्त /समायोजित अदायगी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लगाया गया ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में ब्याज सहित शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

जे. संयुक्त उद्यमों को दिए गए अग्रिम

(रुपए करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीताजलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज लि.		एमटीपीएल		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	
	मार्च 21	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 20
दिए गए अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,528.47	3,221.00	-	-

के. केएमपी को ऋण (करोड़ रूपए)

विवरण	मार्च 2021	मार्च 2020
वर्ष के प्रारंभ में ऋण	0.00	0.01
दिया गया अग्रिम ऋण	-	-
प्राप्त पुनर्भुगतान	-	-
लगाया गया ब्याज	-	-
प्राप्त ब्याज	0.00	0.01
वर्ष के अंत में ब्याज सहित शेष	-	0.01

एल . संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण अल्पावधि के होते हैं तथा केएमपी को दिए गए वेलफेयर अग्रिम की प्रकृति के होते हैं। इन पर लिया जाने वाला ब्याज समय–समय पर प्रचलित बाजार दरों पर होता है।

एम. सरकार तथा सरकारी संगठनों के साथ हुए लेन–देन का प्रकटन (करोड़ रूपए)

क्र. सं.	सरकार/सरकारी संगठन का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन–देन की प्रकृति	मूल्य(रुपए)	बकाया शेष	
					प्राप्य	देनदारियां
1	उर्वरक विभाग, भारत सरकार	बहुमत स्वामित्व	वस्तुओं की बिक्री	9,177.84	3.32	-
2	उपभोक्ता मामलों का विभाग, भारत सरकार	बहुमत स्वामित्व	दालों का आयात	-	33.17	-
3	भारत सरकार के अन्य विभाग	बहुमत स्वामित्व	वस्तुओं की खरीद/बिक्री	2,469.43	1.07	9.44
4	सीपीएसईज	भारत सरकार के माध्यम से	वस्तुओं की खरीद/बिक्री	1,839.39	113.18	303.10

45. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–116 "लीज" के संबंध में प्रकटन

45.1 पट्टेदार के रूप में

ए. वित्तीय पट्टे : अवधि के दौरान कंपनी ने किसी भी प्रकार की वित्तीय लीज व्यवस्था नहीं की है।

बी. आपरेटिंग लीज़

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति के उपयोग के लिए मूल्यह्रास प्रभार	1.07	1.06
पट्टे देनदारी पर ब्याज खर्च	0.50	0.58
अल्पावधि पट्टे पर खर्च	-	
कम मूल्य संपत्ति पर खर्च	-	
पट्टा देनदारी के माप खर्च रहित विभिन्न पट्टा भुगतान से संबंधित खर्च	-	-
संपत्ति उपयोग के पट्टा उधार अधिकार से प्राप्त आय	-	
पट्टे के लिए नकद का कुल बर्हिगमन	1.51	1.55
संपत्ति के उपयोग के अधिकार के अलावा	0.14	3.96
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति के उपयोग के अधिकार के कैरिंग राशि	3.35	5.10

पट्टे देनदारी की परिपक्वता विश्लेषण (रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
एक वर्ष के अंदर	0.37	1.35
एक वर्ष के बाद परंतु 5 वर्षों के अंदर	0.42	2.99
5 वर्षों के बाद	3.23	28.47

सी) कंपनी अपने व्यापारिक गतिविधियों के संचालन के लिए संपत्ति के उपयोग के अधिकार का प्रयोग कर रही है।

डी) आईएण्डडी एएस – 116 (पट्टे) के प्रावधान के अंतर्गत व्यवहारिक रूप से, कम अवधि वाले पट्टे (12 महीने या उससे कम समय के लिए) और पट्टे जिसकी परिसंपत्ति कम मूल्य रू. 1,00,000/– प्रति महीने और रूपये 12,00,000/– प्रति वर्ष तक के हैं मान्य नहीं किए जाते हैं।

पट्टादाता के रूप में

ए. वित्तीय पट्टे : अवधि के दौरान कंपनी ने किसी भी प्रकार की वित्तीय लीज व्यवस्था नहीं की है।

बी. आपरेटिंग लीज

- **रद्द न किए जाने वाले आपरेटिंग पट्टों के तहत भावी न्यूनतम लीज प्राप्य** **(रुपए करोड़ में)**

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
एक वर्ष के अंदर	1.50	1.50
एक वर्ष के बाद परंतु 5 वर्षों के अंदर	3.89	5.39
5 वर्षों के बाद	-	

46. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–33 "प्रति शेयर अर्जन(ईपीएस)" के संबंध में प्रकटन

बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस तथा बेसिक ईपीएस की गणना में साधारण शेयरों की संख्या में निम्नलिखित औसत आय व अधिमान अपनाया गया :

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के स्वामियों को वर्ष के दौरान हुए लाभ (हानि)	(789.28)	(291.75)
प्रतिशेयर बेसिक आय के उद्देश्य के लिए साधारण शेयरों की वेटिड औसत	1,500,000,000	1,500,000,000
बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस(इन)	(5.26)	(1.95)

47. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों" के संबंध में प्रकटन

(रुपए करोड़ में)

प्रावधान के विवरण	01.04.20 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	31.03.2021 को अंतिम शेष
गंतव्य भार व विष्लेषण जोखिम	0.04	0.04	0.08	0.08
बोनस/पीआरपी	21.48	4.05	0.41	17.84
मुकदमेबाजी निपटान के लिए प्रावधान	11.38	(0.18)	877.25	888.81

48. भारतीय लेखा मानक(इंड एएस)–115 'ग्राहकों के साथ हुई संविदा से राजस्व' के बारे में प्रकटन

प्रकटन

ए(i) ग्राहकों के साथ संविदाएं

ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं से निम्नलिखित को प्राप्त राजस्व माना है: – (रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पादों की बिक्री	29,970.20	26,216.74
सेवाओं की बिक्री	2.91	4.06
अन्य प्रचालन राजस्व		
–दावे	25.90	89.25
–सब्सिडी	-	-
–अर्जित डिस्पैच	11.25	4.98
–अन्य व्यापार आय	(8.79)	(10.32)
कुल	**30,001.47**	**26,304.71**

ए) कंपनी ने ग्राहकों से प्राप्त होने वाली राशि अथवा ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं के कारण उत्पन्न होने वाली संविदा परिसंपत्तियों के विरूद्ध होने वाली हानि की राशि माना गया है, जो निम्नानुसार है:–

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
हानि	1.06	-

(ii) राजस्व का विभाजन

कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सेगमेंट की खनिजों, बहुमूल्य धातुओं, कृषि उत्पादों, कोल व हाईड्रोकार्बन, उर्वरक तथा सामान्य व्यापार/अन्य के रूप मे पहचान की है। ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं से अर्जित हुए सेग्मेंटवाइज राजस्व तथा उसका कुल राजस्व में अनुपात निम्नानुसार है:–

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	कुल राजस्व का प्रतिशत	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	कुल राजस्व का प्रतिशत
बहुमूल्य धातुए	14,029.93	46.76	8,304.97	31.57
धातुएं	305.43	1.02	969.99	3.69
खनिज	1,819.20	6.06	1,724.01	6.55
कोल व हाइड्रोकार्बन	819.94	2.73	1,667.45	6.34
कृषि उत्पाद	3,798.90	12.66	2,524.99	9.60
उर्वरक	9,191.94	30.64	11,100.08	42.20
अन्य	36.14	0.12	13.22	0.05
कुल	**30,001.47**	**100.00**	**26,304.71**	**100.00**

(ii) संविदा शेष

(ए) प्राप्य

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
आरंभिक शेष	2,435.96	818.69
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)	(1,211.83)	1,617.27
अंतिम शेष	**1,224.13**	**2,435.96**

बी) संविदा परिसंपत्तियां

कंपनी संविदा परिसंपत्तियों की पहचान तब करती है जब इसे इस बात की तसल्ली हो जाती है कि इसने ग्राहक को माल अथवा सेवाओं के ट्रांसफर करने के दायित्व को पूरा कर दिया है तथा प्रतिफल के प्राप्त होने का अधिकार सुनिश्चित हो जाता है। इसके लिए कंपनी को प्रतिफल प्राप्त होने से पूर्व कुछ शर्ते पूरी करनी होती है। एक व्यापारिक कंपनी होने के नाते कंपनी को अपने ग्राहकों को उस माल अथवा सेवा का ट्रांसफर करना होता है जिसके लिए इसने अपनी वचनबद्धता दी है। कंपनी की ऐसी कोई देयता नहीं है जिसको इसने पूरा नहीं किया है।

सी) संविदा देयताएं

ग्राहकों के साथ संविदा हो जाने के बाद कंपनी को ग्राहकों से प्राप्त होने वाली ईएमडी, सिक्युरिटी डिपोजिट, मार्जिन राशि, कस्टम डयूटी इत्यादि के भुगतान के लिए एडवांस को 'अन्य वित्तीय देयताएं तथा अन्य देनदारियों के अंतर्गत ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के रूप में दर्शाया जाता है।

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
आरंभिक शेष	212.24	361.95
जोडें : वर्ष के दौरान वृद्धि	329.36	132.83
घटाएं: कटौती (रिफंड/समायोजन)	24.25	188.70
घटाएं: राजस्व जिसे वर्ष के दौरान आरंभिक शेष का हिस्सा माना गया है	55.09	93.85
अंतिम शेष	**462.26**	**212.24**

वर्ष के दौरान पूर्व अवधि से संबंधित ग्राहकों को डेबिट/क्रेडिट नोट्स बनाकर कार्यनिष्पादन की देयता को पूरा किया हुआ दिखाकर राजस्व की प्राप्ति 'शून्य' करोड़ रूपए (गत वर्ष शून्य करोड़ रूपए) दर्शाया गया है।

कंपनी ने वर्ष के दौरान डिस्काउंट, रिबेट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य छूट, कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन बोनस इत्यादि की राशि राजस्व में शून्य" करोड़ रूपए (गत वर्ष शून्य करोड रूपए) माना है जिसके लिए संविदा राजस्व के विरूद्ध शून्य" करोड' रूपए (गत वर्ष शून्य करोड रूपए) का समायोजन किया है।

(डी) व्यावहारिक दृष्टिकोण

वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने ग्राहकों के साथ कुछ ऐसी बिक्री संविदाएं की है जिनके कुछ हिस्से का निष्पादन किया जाना शेष है, इस संबंध में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इसका खुलासा नहीं किया गया है। इस प्रकार की संविदा की अवधि एक वर्ष से कम है अथवा प्रतिफल की प्राप्ति का अधिकार कंपनी द्वारा परफार्मेंस पूरी करने के बाद उत्पन्न होगा।

बी. इस मानक के अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण निर्णय

(i) कंपनी द्वारा राजस्व की पहचान उस स्थिति में की जाती है जब कंपनी अपने ग्राहकों के साथ किए गए वादे के अनुसार माल अथवा सेवा देने के कार्य को पूरा करती है। परिसंपत्ति/माल सेवाओं को तब ट्रांसफर किया हुआ माना जाता है जब ग्राहक संबंधित परिसंपत्ति/माल/सेवाओं पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

(ii) कंपनी अपने लेन देन के मूल्य का निर्धारण अनुबंध की शर्तों तथा परंपरागत व्यावसायिक प्रथाओं के अनुसार करती है। लेन देन का मूल्य वह प्रतिफल होता है जो एक कंपनी ग्राहक को वादे के अनुसार माल अथवा सेवा का ट्रांसफर करने के बाद अधिकार प्राप्त करती है। इस मूल्य में तीसरे पक्ष की ओर से प्राप्त की गई राशि(उदाहरणार्थ जीएसटी इत्यादि) शामिल नहीं होती है ।

(iii) ग्राहक के साथ तय की गई संविदा में तय किए गए प्रतिफल की राशि निश्चित अथवा परिवर्तनशील अथवा दोनों प्रकार की हो सकती है। यदि इसमें किसी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता होती है तो इसके लिए ग्राहक के नाम पर डेबिट/क्रेडिट नोट तैयार किया जाता है। परिवर्तनशील प्रतिफल की स्थिति में लेनदेन मूल्य पर पडने वाले प्रभाव का निर्धारण करते समय परिवर्तनशील प्रतिफल के अनुमान संविदा में महत्वपूर्ण वित्तीय कम्पोनेंट, गैर नकदी प्रतिफल तथा ग्राहक को देय प्रतिफल पर भी विचार किया जाता है।

(iv) वर्ष के दौरान संविदा के मूल्य में कुछेक समायोजन किए गए हैं जो राशि की मात्रा को ध्यान में रखते हुए विशेष महत्व के नहीं है।

सी. ग्राहक के साथ की गई संविदा को प्राप्त करने अथवा उसे पूरा करने की लागत को परिसंपत्ति माना गया।

एक व्यापारिक कंपनी होने के नाते कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि निश्चित प्रकृति की होती है अत: ग्राहक के साथ की जाने वाली संविदा अथवा संविदा के दायित्व को पूरा करने में इस राशि में कोई बढोत्तरी नहीं होती है। इस स्थिति में एक प्रेक्टिकल दृष्टिकोण के तहत लाभ तथा हानि विवरण में शमिल किया जाता है।

49. कुछ व्यापार प्राप्यों, अन्य परिसंपत्तियों, व्यापार तथा अन्य देयों के भोश के बारे में पुष्टि/रिकंसिलिएशन किया जाना है तथा इनके पड़ने वाले प्रभाव को समायोजित किया जाना है। रिकंसिलिएशन ऑन–गोइंग आधार पर की जाती हैं। जहां कहीं भी आवश्यक हुआ है प्रावधान किए गए हैं। तथापि मैनेजमेंट को लगता है कि इस प्रकार की लंबित पुष्टि/रिकंसिलिएशन का कोई विशेष वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

50. लोक उद्यम विभाग (भारत सरकार) के दिशानिर्देशों के अनुसार रूपए 2000/– प्रतिमाह का भुगतान करने पर पूर्ण–कालीन निदेशकों को 1,000 किलो मीटर प्रतिमाह तक निजी प्रयोग के लिए स्टाफ कार का प्रयोग करने की अनुमति है।

51. कंपनी के व्यवसाय पर कोविड – 19 का भौतिक प्रभाव :–

कोविड – 19 महामारी के कारण भारत सरकार कोविड – 19 के संक्रमण को रोकने के लिए समय–समय पर बंदी की घोषणा करती रही। यह महामारी कंपनी के व्यवसाय को प्रभावित किया है जो कि कंपनी के लाभ साथ ही नकदी को प्रभावित किया है। इसके कारण कंपनी अधिनियम, 2013 और एलओडीआर 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के पालन में देरी हुई है। एमएमटीसी लिमिटेड सात व्यवसाय भागों में बहुमूल्य धातुएँ, खनिजों, कोल और हाइड्रोकार्बन, कृषि उत्पादों, उर्वरकों और सामान्य व्यापार, अन्य व्यापार कर रहा है। कोविड–19 के कारण निम्न व्यापार प्रभावित हुए हैं –

(i) कोविड–19 की वजह से उत्पन्न परिस्तिथियों के कारण आदमी और खनिज की गतिविधि बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस महामारी के कारण कुछ संस्थाओं द्वारा निर्यात किया जाता है। जो कि बहुत कम क्षमता के साथ कार्य कर रहीं है और जिसके कारण इन कंपनियों को लौह अयस्क निर्यात को प्रभावित किया है।

(ii) इस परिस्थिति और कीमत में निरंतर उतार–चढ़ाव के कारण ग्राहक आयात सामग्री बुक करने के अनिच्छुक है। पैनल के आपूर्तिकर्ता प्रतिबद्ध खेप को भेजने में सक्षम नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है।

(iii) बहुमूल्य धातुओं में डीटीए और एसईजेड में सोना और चाँदी की बिक्री बुरी तरह प्रभावित हुई है।

(iv) अन्य व्यापार कीमत में उतार–चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से प्रभावित होने के कारण नये ऑडर्स प्राप्त नहीं हो पाया। नये बाजार का अन्वेषण किया जा रहा है।

52. संलग्न लेखा नीतियां तथा नोट्स वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है ।

53. वित्तीय विवरणों में प्रति शेयर डेटा को छोड़कर सभी राशियों को करोड़ रूपए में (दो दशमलव तक) में दर्शाया गया है तथा जंहा कही ऐसा नहीं किया गया है वहां पर अन्य उल्लेख किया गया है। संभव है कि कुछ राशियों का उल्लेख वित्तीय विवरणों में न किया गया हो चूंकि उन्हें करोड़ रूपए में राउंड ऑफ किया गया है। जहां आवश्यक समझा गया वहां पर गत वर्ष के आंकडों को रिग्रुप/रिअरेंज्ड किया गया है।

54. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार अनुषंगियों/एसोसिएट्स कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण, निर्धारित प्रपत्र एओसी–I में अनुलग्नक–ए में संलग्न है।

55. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया तथा इन्हें दिनांक 31.07.2021 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

कृते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ.आर सं. 00002312 एन

(सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एमनं. 095584

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दास)
मुख्य महाप्रबंधक(वित्त)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन: 08751137

दिनांक: 27.10.2021
स्थान: नई दिल्ली

(जे. रवि शंकर)
निदेशक
डीआईएन : 6961483

(संजय चड्ढा)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00752383

अनुलग्नक : ए

एओसी – I

सहायक / सहयोगी कंपनी / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों के प्रमुख विशेषताओं का विवरण

(अधिनियम, 2013 के अनुभाग 129 (3) के अनुसरण में)

भाग "ए" : सहायक कंपनी

		(करोड़ रूपये में)
1	**क्र. सं**	**1**
2	सहायक के नाम	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
3	संबंधित सहायक की रिपोर्टिंग अवधि, यदि नियंत्रक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अंतर हो	लागू नहीं
4	विदेश सहायकों के मामले में संगत वित्त वर्ष की अंतिम तिथि को विनिमय दर और रिपोर्टिंग मुद्रा	यूएस डालर विनिमय दर रू. 74.2567 (औसत दर)
5	शेयर पूंजी	3.14
6	आरक्षित निधियां और अधिशेष	73.97
7	कुल परिसंपत्ति	367.60
8	कुल देयता	290.48
9	निवेश	-
10	कारोबार	3,621.60
11	कर से पूर्व लाभ	9.70
12	कर के प्रावधान	1.46
13	कर के बाद लाभ	8.24
14	प्रस्तावित लाभांश	NIL
15	शेयरधारिता का :	100
ए	सहायकों के नाम जिसका परिचालन होना शेष है	शून्य
बी	सहायकों के नाम जिसका परिसमापन कर दिया गया है या बिक्री कर दिया गया है।	शून्य

एओसी – I भाग "बी" : सहायक और संयुक्त उद्यमों					
					(करोड़ रूपय में)
सहायक और संयुक्त उद्यमों के नाम	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	सिकाल लौह अयस्क टर्मिनल लिमिटेड	एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड
1. अद्यतित लेखापरीक्षित तुलन पत्र तिथि	31.03.2020*	31.03.2021	31.3.2021	31.03.2021	31.03.2017**
2. वर्ष के अंत में कंपनी के द्वारा आयोजित सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यमों के शेयर					
संख्या	368762744	5000	17446000	33800000	2987400
सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यमों में निवेश की राशि	459.11	0.01	17.45	33.80	2.99
होल्डिंग% को बढ़ाना	49.78%	50%	26%	26%	26%
3. विवरण दें, इसका कैसे महत्वपूर्ण प्रभाव है	इक्विटी और प्रबंधन नियंत्रण	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी
4. कारण दें, क्यों सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम समेकित नहीं है	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	नोट (1)
5. अद्यतित अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारक के नेटवर्थ एट्रीट्युबेल	(1,276.71)	(19.68)	79.86	33.78	1.82
6 वर्ष के लिए लाभ/ (हानि)					
i समेकित पर विचार किया गया	-	-	1.13	-	-
ii समेकित पर विचार नहीं किया गया	-	-	-	-	-
ए) सहायकों के नाम जिसका परिचालन होना शेष है				शून्य	
बी) सहायक कंपनियों के नाम जिसका परिसमापन कर दिया गया है या बिक्री कर दिया गया है।				शून्य	

*31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए संयुक्त उद्यमों से वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हैं। वर्ष 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए जेवी कंपनी के लिए अद्यतित लेखापरीक्षित तुलन पत्र। नोट सं. 41 पर विवरण दिए गए हैं।

**31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए संयुक्त उद्यमों से वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हैं। वर्ष 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए जेवी कंपनी के लिए अद्यतित लेखापरीक्षित तुलन पत्र। नोट सं. 41 पर विवरण दिए गए हैं।

भाग– III के अनुसार अतिरिक्त सूचना – समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए सामान्य सूचना									
क्र. सं.	कंपनी का नाम	निवल परिसंपत्तियां अर्थात् कुल परिसंपत्तियों में से देयताएं घटाकर		लाभ अथवा हानि में हिस्सेदारी		अन्य व्यापक आय में हिस्सेदारी		कुल व्यापक आय में हिस्सेदारी	
		समेकित निवल परिसंपत्ति के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड़ रुपए में)	समेकित लाभ अथवा हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड़ रुपए में)	अन्य समेकित व्यापक आय के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड़ रुपए में)	कुल व्यापक आय के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड़ रुपए में)
मूल कंपनी									
एमएमटीसी लिमिटेड		423.56	422.46	101.14	(798.30)	144.27	8.00	100.84	(790.30)
सहायक विदेश कंपनी									
1	एमएटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	74.17	73.97	(1.04)	8.24	(50.36)	(2.79)	(0.69)	5.45
2	अनियंत्रित हित	-	-						
संयुक्त उद्यम–भारतीय (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)									
1	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	(0.01)	(0.01)	-	-	-	-	-	-
2	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि.	62.58	62.42	(0.10)	0.79	6.09	0.34	(0.14)	1.13
3	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लि.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	(460.31)	(459.11)	-	-	-	-	-	-
5	एमएमटीसी गीतांजलि लि.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	टीएम माइनिंग कंपनी लि.	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	**100.00**	**99.74**	**100.00**	**(789.27)**	**100.00**	**5.55**	**100.00**	**(783.73)**

लेखा परीक्षक

भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय ने अपने पत्र संख्याः सीए.वी/सीओबाई/केन्द्र सरकार एमएमटीसी (12)/134 दिनांक 10 अगस्त, 2020 ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अधीन वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति संबंधी सूचना दी है जिसका विवरण नीचे दिया गया है :–

सांविधिक लेखा परीक्षक	**क्षेत्र**
एमएल पुरी एण्ड कंपनी, नई दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली तथा इसके उप क्षेत्रीय कार्यालय कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली (विदेश कार्यालयों सहित), माइका प्रभाग के कार्यालयों की सभी शाखाओं के लेखों का समेकन व विलय
शाखा लेखा परीक्षक	
एनआरएसएम एंड एसोसिएंट आफिस/कटक	भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके उप क्षेत्रीय कार्यालय/वितरण केंद्र
बथिया एंड एसोसिएंटड एलएलपी मुम्बई	मुबई क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके उप क्षेत्रीय कार्यालय/वितरण केंद्र
सी श्रीराम एंड कं. कार्यालय/वितरण हैदराबाद	हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके उप क्षेत्रीय कार्यालय/वितरण केंद्र
बी थ्यागराजन एंड कं. चेन्नै	चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके उप क्षेत्रीय कार्यालय/वितरण केंद गुडुर में माइका प्रभाग
राव एंड मनोज एसोसिएट्स विशाखापतनम	विशाखापटनम तथा इसके उप क्षेत्रीय कार्यालय/वितरण केंद्र

एमएमटीसी बैंकर्स

1) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

2) पंजाब नेशनल बैंक

3) पंजाब एण्ड सिंध बैंक

4) बैंक ऑफ महाराष्ट्र

5) इंडियन बैंक

6) कर्नाटक बैंक लिमिटेड

7) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

एमएमटीसी कार्यालय

कारपोरेट कार्यालय

एममएटीसी लिमिटेड, कोर 1, स्कोप काम्पलेक्स, 7, इंस्टीटयू नल एरिया, लोदी रोड
नई दिल्ली–110003
टेलीफोन : 91–11–24362200, ईमेल mmtc@mmtclimited.com
वेबसाइट : www.mmtclimted.com

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर क्षेत्र	**दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय** एफ – 8–11, झंडेवालान, फलेटिड फैक्टरी कम्प्लेक्स, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली–110055 फोन : 011–23623950, 23623952,23670408 फैक्स : 011–23633175 ईमेल – headjjc@mmtclimited.com उप क्षे.का. / फी.आ.: :जयपुर
दक्षिण क्षेत्र	**चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय** एस्सार हाउस, 6 एस्प्लेनेड, चेन्नई – 600108, तमिलनाडु फोन : 044–25341942 25341938 फैक्स : 044–25340544, 25340317 ईमेल – headchennai@mmtclimited.com उप क्षे.का. / फी.आ :बेंगलुरू, बन्नीहटटी **विजाग क्षेत्रीय कार्यालय** एमएमटीसी भवन, पोर्ट एरिया, पी.बी. नं. 132, विशाखापट्टनम, 530035 (आंध्र प्रदेश) फोन : 0891–256358, 2562771 फैक्स : 0891–2562611 ईमेल – mmtcvizag@mmtclimited.com **हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय** 9–1–76 से 77 / 1बी, तीसरी मंजिल, एसडी रोड, सिकंदराबाद– 500003, फोन : 040–27804033 फैक्स : 040–27804038,27725401 ईमेल – mmtchyd@mmtclimited.com
पूर्वी क्षेत्र	**भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय** आलोक भारती काम्प्लेक्स, 7वीं मंजिल, साहिद नगर, भुवनेश्वर – 751007, ओडिशा फोन : 0674–2546848,2518517,2503336,2544783 , फैक्स : 0674–2546847, 2512832 ईमेल headbhubaneswar@mmtclimited.com, mmtcbbsr@mmtclimited.com उप क्षे.का. / फी.आ :पारादीप डुबरी
पश्चिमी क्षेत्र	**मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय** एमएमटीसी हाउस, प्लाट नंबर.सी–22, ब्लाक – ई, बांद्रा–कुर्ला कम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051, फोन: 022–26572, 437,26594100,26573193,61214500 फैक्स: 022–26572541 ,26572807 ईमेल headmumbai@mmtclimited.com, mmtcmumbai@mmtclimited.com उप क्षे.का. / फी.आ :अहमदाबाद
प्रोन्नत	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, एनेक्सी प्रथम तल, इपीकोल हाउस प्रोजेक्ट जनपथ, भुवनेश्वर –751022 टेलीफोन: 0674–2543231, फैक्स –0674–2541763
विदेश	**सिंगापुर** कार्यालय एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड 3 रैफल्स प्लेस रु08–01, भरत बिल्डिंग, सिंगापुर –048617 टेलीफोन: (65)65385313, फैक्स : (65) 65385316, ईमेल : info@mtpl.com.sg

एम एम टी सी
लि मि टे ड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

कारपोरेट कार्यालय
नई दिल्ली
एम.एम.टी.सी. लिमिटेड की ओर से
कपिल कुमार गुप्ता, निदेशक (वित्त)
द्वारा प्रकाशित
कारपोरेट कम्युनिकेशन्स प्रभाग
द्वारा निर्मित एवं मुद्रित

CORPORATE OFFICE
New Delhi
Published by
Kapil Kumar Gupta, (Finance)
on behalf of **MMTC Limited**
Produced & Printed by
Corporate Communications Division